राजभाषा भारती का विशेषांक
ISSN No. 0970-9398

सत्यमेव जयते

राजभाषा
हीरक जयंती
विशेषांक

1949-2024

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हमारे मार्गदर्शक एवं प्रेरणास्रोत

हमारा यह निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि हिंदी भाषा समृद्ध कैसे बने। कार्यशालाओं के द्वारा भाषाशास्त्री विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्द हिंदी में जोड़कर इसे समृद्ध बनाएं।

- नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)

जो देश अपनी भाषा खो देता है, वह कालक्रम में अपनी सभ्यता, संस्कृति और मौलिक चिंतन को भी खो देता है। जो मौलिक चिंतन खो देते हैं, वह दुनिया को आगे बढ़ाने में योगदान नहीं कर सकते।

- अमित शाह (गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री)

स्मारिका

चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन
14-15 सितंबर 2024, नई दिल्ली (भारत मंडपम)

संरक्षक
अंशुली आर्या
सचिव, राजभाषा विभाग

प्रधान संपादक
डॉ. मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

उप सचिव (पत्रिका)
अनिल कुमार

संपादक
रघुवीर शर्मा
भावना सक्सैना

सहायक संपादक
सत्येंद्र दहिया
वीरेन्द्र कुमार

टंकण सहयोग
गौरव अरोड़ा

स्मारिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र व्यवहार का पता:
उप सचिव (पत्रिका)
राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-II भवन,
चतुर्थ तल, बी विंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
ईमेल- raghubir.sharma75@nic.in
वेबसाइट- rajbhasha.nic.in

नि:शुल्क वितरण के लिए

राष्ट्रपति का संदेश
उपराष्ट्रपति का संदेश
प्रधान मंत्री का संदेश
गृह मंत्री का संदेश
गृह राज्य मंत्री (एन) का संदेश
गृह राज्य मंत्री (बी एस) का संदेश
सचिव (राजभाषा) का संदेश
संयुक्त सचिव (राजभाषा) का संदेश

क्र.सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ
1.	राजभाषा हिंदी (1949-2024) - इतिहास के झरोखे से		1
2.	देवनागरी विश्वनागरी बने	संत विनोबा भावे	8
3.	हिंदी का सवाल: चरित्र का संकट	डॉ. धर्मवीर भारती	14
4.	हिंदी को सब प्रान्तों की विशेषताएँ मिलनी चाहिए	सूर्यकांत त्रिपाठी निराला	19
5.	संविधान सभा और राजभाषा	शंकर दयाल सिंह	22
6.	हिंदी की बढ़ती ताकत	हरिवंश	29
7.	हिंदी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	हृदयनारायण दीक्षित	36
8.	भारतीय भाषाएं और हिंदी अंतर्संबंधों की व्याख्या	डॉ. विमलेश कान्ति वर्मा	43
9.	कृत्रिम मेधा के युग में भारतीय भाषाएं और हिंदी-अवसर एवं चुनौतियां	प्रो. गिरीश नाथ झा डॉ. आकाश मोहन रावत	52
10.	आजादी के अमृत काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं	प्रो. एम. जगदीश कुमार	64
11.	पश्चिम बंगाल में मेरी हिंदी यात्रा	मृत्युंजय	67
12.	मानव-मशीन संतुलित साहचर्य से समावेशी समग्र विकास	डॉ. ओम विकास	73
13.	आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा का महत्व	डॉ. सोमनाथ एस.	80
14.	देश दुनिया की हिंदी	डॉ. शुभंकर मिश्र	84
15.	स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी भाषा-साहित्य की भूमिका	प्रो. सुनील बाबुराव कुलकर्णी	90

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ
16.	साहचर्य से बढ़ती हिंदी की स्वीकार्यता	अनंत विजय	94
17.	हिंदी की व्याप्ति: संदर्भ तथा प्रगति	प्रो. गिरीश्वर मिश्र	98
18.	12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास	डॉ. सुमीत जैरथ	105
19.	न्यायपालिका में हिंदी	उमेश चन्द्र शर्मा	110
20.	अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग	रामेश्वर काम्बोज 'हिमांशु'	116
21.	हिंदी को समृद्ध करने में नागरी की भूमिका	डॉ. हरिसिंह पाल	124
22.	राष्ट्रीय एकात्मता में लोक भाषाओं से संपन्न हिंदी का योगदान	डॉ. राजेश्वर उनियाल	130
23.	कृत्रिम बुद्धिमता (ए आई) और हिंदी भाषा की चुनौतियां	राम स्वरूप यादव	136
24.	हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं: अंतर्संबंध के अंत: सूत्र	डॉ. हरीश कुमार सेठी	142
25.	आर्यभाषा से प्रस्फुटित होती हिंदी की अविचल धारा	भारती	150
26.	सरकार और न्यायपालिका के जनभाषा में न्याय की ओर बढ़ते कदम	डॉ. मोतीलाल गुप्ता 'आदित्य'	157
27.	चैट जीपीटी और हिंदी	रीना पांडेय	163
28.	विज्ञान एवं तकनीकी संचार की भाषा हिंदी	डॉ. वेदप्रकाश बोरकर	166
29.	मैं हूँ राजभाषा हिंदी	एस.के.सनोडिया	175
30.	अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में हिंदी भाषा की भूमिका	डॉ. साकेत सहाय	183
31.	विश्व पटल पर हिंदी	सुनीता शर्मा	190
32.	मीडिया में हिंदी की भूमिका	डॉ. अस्मिका सिन्हा	196
33.	हिंदी का ई-जगत	डॉ. श्याम सुंदर कथूरिया	202
34.	गांधीगिरी में है गहन हिंदी प्रेम और गहन हिंदी चिंतन	सुरेश कुमार श्रीचन्दानी	208

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ
35.	विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी: अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी लेखन	राकेश शुक्ला	214
36.	संविधान सभा में हिंदी पर हुई बहसें	सूजय प्रसाद	223
37.	पूर्वोत्तर भारत में हिंदी	जैनेंद्र चौहान	227
38.	कृत्रिम मेधा के दौर में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं	दिलीप कुमार सिंह	233
39.	स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी का महत्व	देवाशीष चक्रवर्ती	242
40.	अमृतकाल में हिंदी और पूर्वोत्तर की भाषाएँ	डॉ. आलोक कुमार पांडेय	248
41.	हिंदी के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका	प्रीति अग्रवाल	255
42.	राष्ट्रभाषा, राजभाषा और भारत	डॉ. सत्येंद्र सिंह	263
43.	कहानी राजभाषा हिंदी की	राज भवन	267
44.	राजभाषा बनाम हिंदी : दशा, दिशा, अपेक्षाएं और समाधान	राकेश कुमार	274

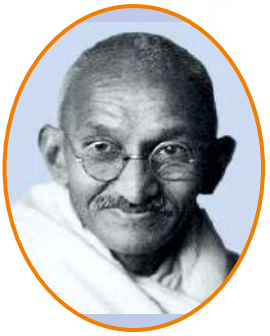

हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है
राष्ट्र और जाति की उन्नति।
-महात्मा गांधी

भारतीय भाषाएँ नदियाँ हैं
और हिंदी महानदी।
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर

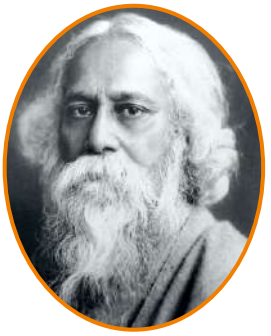

राष्ट्र की एकता को यदि बनाकर रखा जा सकता है
तो उसका माध्यम हिंदी में ही हो सकता है।
- सुब्रह्मणयम भारती

सबको हिंदी सीखनी चाहिए। इसके द्वारा
भाव विनिमय में सारे भारत को सुविधा होगी।
-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय 14 सितम्बर, 2024 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने पर, 14-15 सितंबर को चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

यह आयोजन उन मनीषियों के योगदान, विशेष रूप से उन दूरदर्शी नेताओं को याद करने का अवसर है जिनकी मातृभाषा हिंदी न होने पर भी वे राष्ट्रहित में हिंदी के पक्ष में खड़े रहे और हिंदी संघ की राजभाषा बनी। राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में उनकी दूरदर्शिता के लिए राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा।

वर्तमान भारत नव संसाधन संपन्न महादेश के रूप में उभर रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस विकास यात्रा में हिंदी ने देश की समृद्ध भाषा बनकर वसुधैव कुटुम्बकम् की धारणा को सुदृढ़ किया है और समस्त विश्व को एक परिवार बनाने में योगदान दिया है। आज के युग में कृत्रिम मेधा व प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न भाषाएं एक-दूसरे को जोड़ रही हैं।

विश्व बाजार, उदारीकरण, अर्थव्यवस्था, विधि और चिकित्सा सहित सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है और इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण पर बल दिया गया है और सभी भाषाओं को समान बढ़ावा दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे भाषायी समरसता और मजबूत होगी।

भारत विविधता से भरा देश है। यहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाएं एक-दूसरे से सीखती भी हैं, और एक दूसरे को समृद्ध भी करती हैं, इसलिए भाषाओं के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम राजभाषा हिंदी के साथ-साथ देश की अन्य भाषाओं को साथ लेकर चलें।

आइए! हम सब मिलकर इस विशेष अवसर पर यह प्रतिज्ञा लें कि राजभाषा हिंदी के माध्यम से नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। हमारे सामूहिक एवं सार्थक प्रयासों से ही यह स्वप्न साकार होगा।

द्रौपदी

(द्रौपदी मुर्मु)

नई दिल्ली
29 अगस्त, 2024

सत्यमेव जयते

उपराष्ट्रपति
भारत गणराज्य
VICE-PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

संदेश

हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की हीरक जयंती पर मैं संपूर्ण राष्ट्र को बधाई देता हूँ। आज से **75** साल पहले भारत की संविधान सभा ने परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और स्वाधीनता के भाव की वाहक हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी थी। हमारी धरोहर हिंदी दीर्घकाल से जन-जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है।

इस साल हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा हिंदी की हीरक जयंती स्मारिका का प्रकाशन होना अत्यंत हर्ष का विषय है। विगत कई वर्षों से शासकीय कामकाज और आधिकारिक सम्प्रेषण में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई सफल प्रयास किए गए हैं। इस स्मारिका का प्रकाशन भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरा यह मानना है कि मातृ-भाषा की उन्नति के बिना समाज की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि अमृत-काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में हिंदी के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है और उसके अधिकाधिक प्रयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।

हिंदी दिवस के इस अवसर पर मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी की अदम्यता और आभा से अपने जीवन को सुशोभित करें।

जगदीप धनखड़

नई दिल्ली
27 अगस्त, 2024

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

संदेश

हिन्दी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 14-15 सितम्बर, 2024 को हिन्दी दिवस समारोह एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है।

संविधान सभा द्वारा हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किए जाने को इस वर्ष 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग द्वारा हीरक जयंती स्मारिका का प्रकाशन सराहनीय है।

किसी भी देश की भाषा वहां की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को संजोकर, ज्ञान एवं परंपरा को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह देखकर गर्व होता है कि भारत-भूमि पर अनेक भाषाओं का सह-अस्तित्व है और सदियों से यहां विभिन्न भाषाएं पुष्पित-पल्लवित हो रही हैं।

हिन्दी की सरल, सहज और सर्वसमावेशी प्रकृति इसे विशेष बनाती है। शिक्षा, शोध, व्यापार एवं रोजगार समेत विभिन्न क्षेत्रों में आज व्यापक स्तर पर हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के युग में हिन्दी अपना प्रभाव दिखा रही है, जिसका श्रेय विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को जाता है। आज के इस तेजी से बदलते समय में भी उन्होंने हिन्दी की मूल भावना और अस्तित्व को बनाए रखा है।

हिन्दी भाषा की लोकप्रियता न केवल हमारे देश में, बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में भी बढ़ रही है। हमें गर्व है कि आज हिन्दी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार और संवर्धन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। आशा करता हूं कि हिन्दी की उपयोगिता को बढ़ाने में विभाग इसी तरह बढ़-चढ़कर योगदान देता रहेगा। इस विश्वास के साथ राजभाषा विभाग को सम्मेलन के आयोजन और पत्रिका के सफल प्रकाशन की हार्दिक शुभकामनाएं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली
भाद्रपद 11, शक संवत 1946
02 सितम्बर, 2024

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुए 75 **वर्ष** पूरे हो रहे हैं और राजभाषा विभाग इस 75 वर्षीय यात्रा पर प्रकाश डालने हेतु **हीरक जयंती** स्मारिका का प्रकाशन भी कर रहा है।

हिंदी भाषा अपनी प्रवृत्ति से ही समावेशी रही है और इस भाषा ने स्वाधीनता संग्राम के मुश्किल दिनों में देश की प्रमुख भाषाओं के शब्दों और भंगिमाओं को आत्मसात कर मजबूत सम्पर्क भाषा की भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद हिंदी की समावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश, मातृभाषाओं के संरक्षण, संवर्धन व राजभाषा के व्यापक उपयोग का स्वर्णिम कालखंड देख रहा है। मोदी जी ने एक तरफ जहाँ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मातृभाषा में संबोधन देकर भारतीय भाषाओं को गौरवान्वित किया है, वहीं सरकार के प्रयासों से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिंदी में काम-काज को बढ़ावा मिला है।

राजभाषा विभाग ने देश की मातृभाषाओं के विस्तार व विकास के लिए एकनिष्ठ भाव से कार्य किया है। चाहे सभी मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियों और देश से लेकर विदेशों तक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन हो या भाषायी टेक्नोलॉजी का कर्मियों को प्रशिक्षण हो, राजभाषा विभाग ने राजभाषा व मातृभाषा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का कुशलता से निर्वहन किया है। विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली **'कंठस्थ 2.0'**, 14 **भाषाओं** में **'लीला राजभाषा'** व **'लीला प्रवाह'** शिक्षण पैकेज और **वृहत शब्दकोश-'हिंदी शब्द सिंधु'** का निर्माण भी किया है।

मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के कार्यों को और भी गति देने व मातृभाषाओं के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को और भी ऊँचाई देने का यह **हीरक जयंती वर्ष** माध्यम बनेगा। मैं, इस अवसर पर विभाग के सभी कर्मियों को शुभकामना देते हुए स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

(अमित शाह)

कार्यालय : गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23092462, 23094686, फैक्स : 23094221
इ-मेल : hm@nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव
नित्यानन्द राय
NITYANAND RAI

सत्यमेव जयते

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली – 110001
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NORTH BLOCK, NEW DELHI - 110001

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि हिंदी दिवस, 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के पावन अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हीरक जयंती स्मारिका प्रकाशित की जा रही है जिससे राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन को नई बुलंदियां हासिल होंगी।

राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को दी गई है। राजभाषा विभाग सौंपे गए दायित्व के अनुरूप राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सतत प्रयासरत है।

हिंदी केवल भारतीयों की ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैले भारतवंशियों सहित अनेक विदेशियों की संपर्क भाषा है। हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किए जाने के लिए प्रबल दावेदार है। आज विश्व के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। भाषा बहते हुए नीर के समान होती है। हिंदी को देश की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ विदेशी भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों को अपनाने में परहेज नहीं करना चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि हमें सरल और सुबोध हिंदी को बढ़ावा देना है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को नि:संकोच प्रयोग करना है।

हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर प्रकाशित की जा रही स्मारिका के लिए राजभाषा विभाग और इसके अधिकारियों को मेरी शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि स्मारिका में प्रकाशित सामग्री राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने और इसके व्यापक प्रयोग के संबंध में उपयोगी सिद्ध होगी।

(नित्यानन्द राय)

नई दिल्ली ।
जुलाई, 2024

Office Tel. : 011-23092870, 23092595, Fax No. : 011-23094896

बंडी संजय कुमार
BANDI SANJAY KUMAR

सत्यमेव जयते

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, कार्यकलाप तथा आर्थिक विकास पर निर्भर होती है। भारत एक विशाल देश है, जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक सभी क्षेत्रों में अनेक विविधताएं हैं। परन्तु इन विभिन्नताओं के बावजूद भारत की एकता अपने आप में मिसाल है। राष्ट्रीय एकता की इस कड़ी में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत वर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम बनाए है जिनके तहत जारी आदेशों के माध्यम से राजभाषा हिंदी का प्रभावशाली कार्यान्वयन किया जा रहा है।

देश की अधिकांश जनसंख्या हिंदी बोलती और समझती है। हिंदी का विकास करके हम देश की एकता को सुदृढ़ कर सकते हैं। हिंदी की प्रगति के लिए सरकार में सभी का सक्रिय सहयोग और सतत प्रयास अपेक्षित है। राजभाषा हिंदी वर्ग विशेष की भाषा न होकर आम जन की भाषा होनी चाहिए जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी उदारता से शामिल किया जाना चाहिए।

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि इस वर्ष हिंदी दिवस, 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे हिंदी प्रेमियों में नई ऊर्जा का संचार होगा ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(बंडी संजय कुमार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.07.2024

Office : Room No. 127, North Block, New Delhi-110 001 Tel. : 23094054 Fax : 23093549

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 के आयोजन के सुअवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अपनी पत्रिका 'राजभाषा भारती' का विशेषांक स्मारिका के रूप में प्रकाशित किया गया है।

इस वर्ष यह अवसर विशेष है क्योंकि संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा 'राजभाषा हीरक जयंती' का आयोजन किया जा रहा है।

राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में स्मारिका का प्रकाशन भी है। इस स्मारिका में हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित भाषाविदों, हिंदी प्रेमियों एवं लेखकों द्वारा प्रेषित लेखों का संकलन किया गया है। स्मारिका के प्रकाशन के लिए बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया के रूप में विभाग को बड़ी संख्या में लेख प्राप्त हुए जो कि सराहनीय है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस स्मारिका के प्रकाशन के माध्यम से जहां एक ओर हिंदी के संवर्धन और विकास में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी से संबंधित अनेक विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी भी सहजता से प्राप्त होगी। निश्चित रूप से यह स्मारिका, केंद्र सरकार के सभी कार्मिकों और देश के सभी भाषाविदों एवं हिंदी प्रेमियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं सभी लेखकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं कि स्मारिका के प्रकाशन से सभी हिंदी प्रेमियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा।

अं आर्या

(अंशुली आर्या)

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

संदेश

हिंदी दिवस 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर आप सभी को बधाई।

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा की 'हीरक जयंती' मनाई जा रही है। इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन और भी सुखद है। इस स्मारिका के लिए हमें विविध विषयों पर लेख प्राप्त हुए और हमारा प्रयास रहा है कि राजभाषा हिंदी के विविध पहलुओं को समेटते हुए लेखों का एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया जाए जिसे आप लंबे समय तक सहेज कर रख सकें और जिनका बार-बार संदर्भ दे सकें। इस अंक में चार आलेख ऐसे भी शामिल किए जा रहे हैं जो धरोहर के रूप में संग्रहणीय हैं। ये आलेख न सिर्फ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर रोशनी डालते हैं, अपितु आगे की कार्यनीति बनाने की दिशा में मार्गदर्शन भी करते हैं।

इस अंक में 75 वर्षों में राजभाषा हिंदी के विकास का कालक्रम व राजभाषा विभाग की नवोन्मेषी पहल को संदर्भ सूत्र के रूप में दर्शाया गया है।

राजभाषा विभाग द्वारा पिछले तीनों अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों में स्मारिकाएं प्रकाशित की गई थीं और ये स्मारिकाएं पाठकों द्वारा पसंद की गई हैं। इस वर्ष प्रकाशित की जा रही स्मारिका के लिए हमें काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और बड़ी संख्या में लेख प्राप्त हुए। अधिकाधिक लेखों को शामिल करने की दृष्टि से संग्रह की पृष्ठ सीमा को भी बढ़ाया गया, फिर भी सभी आलेखों को शामिल करना संभव नहीं हो पाया। जिन लेखकों के लेख इस बार शामिल नहीं हो पाए, वे निराश न हों। राजभाषा भारती निरंतर प्रकाशित हो रही है। आप अपने सुविचारित लेख आगामी अंकों के लिए भेजते रहें। राजभाषा की 'हीरक जयंती' के अवसर पर प्रकाशित की जा रही इस स्मारिका में शामिल लेख सभी को पसंद आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

हिंदी दिवस के अवसर पर सभी हिंदी प्रेमियों,अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से जुड़े लोगों व सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

राजभाषा हिंदी (1949-2024)

इतिहास के झरोखे से

- 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का संविधान सभा का निर्णय।
- 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ। तदनुसार उसमें किए गए भाषाई प्रावधान (अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351) लागू हुए।
- 1952 -तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के तहत हिंदी शिक्षण योजना का प्रारंभ।
- जुलाई,1952 -हिंदी शिक्षण योजना के अतंर्गत प्रशिक्षण आरंभ। 1955 में यह योजना गृह मंत्रालय को सौंपी गयी।
- 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय।
- 07 जून, 1955 – बी. जी. खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन। (संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के अंतर्गत)
- 31 जुलाई, 1956 – खेर आयोग ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया।
- सितंबर, 1957- खेर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन। (तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में)
- 8 फरवरी,1959- संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के अन्तर्गत संसदीय समिति द्वारा राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत।
- 27 अप्रैल, 1960- संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी के आदेश। संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए जिनमें हिन्दी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्यविधिक साहित्य का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, विधेयकों की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे हैं।
- 1960 – हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण आरंभ। 1974 से उपक्रमों के लिए भी प्रशिक्षण अनिवार्य।
- 1960 - शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन।
- 1960 – वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन10 मई, 1963- संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया। इसके अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह- राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई।
- 1967- प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया। यह समिति सरकार की राजभाषा

नीति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति में प्रधानमंत्री जी के अलावा नामित केन्द्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद तथा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल किए जाते रहे हैं।

- 1968 - संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया जिसमें हिन्दी के राजकीय प्रयोजनों हेतु उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने, प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने, हिन्दी के साथ-साथ 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने, त्रिभाषा सूत्र अपनाये जाने, संघ सेवाओं के लिए भर्ती के समय हिन्दी व अंग्रेजी में से किसी एक के ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित होने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परीक्षा के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की बात कही गई है। (संकल्प 18.1.1968 को अधिसूचित हुआ)

- 01 मार्च 1971 - केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों, बैंकों आदि के मैनुअलों, कोडों, प्रपत्रों तथा अन्य विविध असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च, 1971 को की गई। तब से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो लगातार यह कार्य कर रहा है। उपर्युक्त सामग्री के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, पांचवां वेतन आयोग, जैन आयोग आदि विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों का अनुवाद कार्य भी ब्यूरो को सौंपा गया।

- 1975 - राजभाषा विभाग की स्थापना।

- 1976 - संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963, की धारा 4(I) के तहत वर्ष 1976 में किया गया था। यह एक उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 20 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

- 1976- राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 बनाए गए (बाद में इन नियमों में 1987, 2007 तथा 2011 में संशोधन किए गए)

- 1977- श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया।

- 09 सितंबर, 1981 - केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध कार्यालयों में सृजित हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्तें, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन वर्ष 1981 में केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष 1976 में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया था। राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है। इस समय इस संवर्ग में 1020 स्वीकृत पद हैं।

- 1985 - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन। राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की

स्थापना दिनांक 31 अगस्त, 1985 को अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई।

- 1990 - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पत्राचार माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण आरंभ किया गया।
- 2015 - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी भाषा पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ।
- 2018 – राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद टूल कंठस्थ 1.0 का लोकार्पण कराया गया।
- जुलाई, 2020 - भारत की नयी शिक्षा नीति, 2020 में मातृभाषाओं और हिन्दी को विशेष महत्व देने की अनुसंशा।
- सितंबर 2020- 23 सितंबर 2020 को संसद ने मौजूदा उर्दू और अंग्रेजी के अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया।
- 14 सितंबर, 2022 – राजभाषा विभाग द्वारा कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण।
- फरवरी, 2023 -राजभाषा विभाग द्वारा कंठस्थ 2.0 के मोबाइल ऐप का लोकार्पण।
- 13-14 नवंबर, 2021 - वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।14-15 सितंबर, 2022 - सूरत, गुजरात में हिंदी दिवस एवं दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।
- 14-15 सिंतबर, 2023 - पुणे, महाराष्ट्र में हिंदी दिवस एवं तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।
- 14-15 सिंतबर, 2024 - भारत मंडपम् नई दिल्ली में हिंदी दिवस एवं चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन प्रस्तावित है।

*****

पिछले 10 वर्षों के दौरान राजभाषा विभाग की विशिष्ट उपलब्धियाँ और पहल

केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक :

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वय स्थापित करने के आशय से वर्ष 1967 में हिंदी के व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रगामी प्रयोग के लिए किया गया था। यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। समिति का कार्यकाल सामान्यत: तीन वर्ष का होता है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार की जानी अपेक्षित होती है। वर्तमान समिति का गठन 09 नवंबर, 2021 में किया गया था। समिति में प्रधान मंत्री जी के अतिरिक्त 09 माननीय केंद्रीय मंत्री (गृह मंत्री जी उपाध्यक्ष, गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री-सदस्य), 06 राज्यों के मुख्य मंत्री तथा 04 संसद सदस्य हैं, कुल मिलाकर

21 (इक्कीस) सदस्य हैं। अब तक इसकी 31 बैठकें हो चुकी हैं और 32वीं बैठक की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पिछली 31वीं बैठक 06.09.2018 को हुई थी।

हिंदी सलाहकार समितियों का गठन व उनकी बैठकें:

पिछले वर्षों में 58 मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन कराया गया जिनकी बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की गई हैं। इन समितियों की बैठकों से मंत्रालयों को राजभाषा कार्यान्वयन की गति तीव्र करने के लिए दिशा-निर्देश मिलते हैं और इनमें वे राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा भी करते हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

देश के विभिन्न नगरों में 31 अगस्त, 2024 तक करीब 534 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ कार्यरत।
भारत के बाहर पांच देशों में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है- मॉरीशस (पोर्ट लुई), दुबई, लंदन, फिजी एवं सिंगापुर में।

अनुवाद सॉफ्टवेयर कंठस्थ-2.0

स्मृति एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर "कंठस्थ" को राजभाषा विभाग ने सी-डैक, पुणे की सहायता से विकसित किया है। इसका लोकार्पण वर्ष 2018 में मॉरीशस में किया गया था। इस अनुवाद स्मृति प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि यह लोकल और ग्लोबल टीएम की सहायता से किसी नई फाइल का अनुवाद करने में अनुवादक को सहायता प्रदान करती है। कंठस्थ के उन्नत संस्करण "कंठस्थ-2.0" का विमोचन हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2022 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कर-कमलों से किया गया।

2019 के बाद राजभाषा विभाग की विशिष्ट उपलब्धियाँ और पहल

हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

हिंदी के समुचित विकास तथा राजभाषा नीति के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन की एक शृंखला विभाग द्वारा आरंभ की गई है। परंपरागत रूप से हिंदी दिवस (14 सितंबर) का आयोजन दिल्ली में ही किया जाता रहा है। वर्ष 2022 से हिंदी दिवस और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का संयुक्त आयोजन देश के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है।

पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन:

माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में वर्ष 2021 में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 13-14 नवंबर, 2021 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया जिसमें देश भर से 2500 से ज्यादा हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की। विभिन्न

विषयों पर आयोजित सत्रों में राजभाषा हिंदी के विकास एवं प्रचार-प्रसार संबंधी संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन:

माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में पहली बार हिंदी दिवस तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन 14 व 15 सितंबर, 2022 को गुजरात राज्य के सूरत शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस सम्मेलन में पूरे देश से केंद्र सरकार के 10,000 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों और हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की।

तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन:

14 व 15 सितंबर, 2023 को हिंदी दिवस तथा तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, बालेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। इस सम्मेलन में 8500 से अधिक हिंदी प्रेमी उपस्थित हुए। इन सभी अवसरों पर राजभाषा कीर्ति एवं राजभाषा गौरव पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन:

हिंदी दिवस तथा चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन वर्ष 2024 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जा रहा है।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग सम्मेलन/तकनीकी सम्मेलन:

राजभाषा विभाग द्वारा इस दौरान एक नई पहल करते हुए पहली बार केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग सम्मेलन/तकनीकी सम्मेलन की शुरूआत की गई। 18 मई, 2022 को माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी की अध्यक्षता में पहली बार बड़े पैमाने पर इस विशेष तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की।

विभाग द्वारा दिनांक 06 जून, 2023 को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों हेतु अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में द्वितीय तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें केंद्र सरकार के राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े लगभग 750 अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हुए। माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री अजय कुमार मिश्रा जी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे कंठस्थ, तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं और विचार-विमर्श किया गया I

हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों के संकलन का नवीनतम संस्करण:

भारत सरकार के कार्यालयों के लिए जारी किए गए हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों के संकलन के नवीनतम संस्करण (जुलाई 2005 से दिसंबर 2021) को तैयार किया गया और इसका विमोचन माननीय गृह राज्य मंत्री जी के कर कमलों से 18 मई 2022 को नई दिल्ली में तकनीकी सम्मेलन में कराया गया।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक का नवीनतम संस्करण (31 जुलाई 2023 तक संशोधित):

राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक के नवीन संस्करण को तैयार किया गया और इसका भव्य लोकार्पण तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में दिनांक 14-15 सितंबर, 2023 को श्री छत्रपति शिवाजी क्रीड़ा संकुल, बालेवाड़ी, पुणे (महाराष्ट्र) में किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन के 10वें, 11वें और 12वें खंड को राष्ट्रपति महोदय को सौंपना।

वर्ष 2019 के बाद की अवधि में ही समिति ने अपने प्रतिवेदन के 10वें, 11वें और 12वें खंड को राष्ट्रपति महोदय को सौंपे।

वर्ष 2022-23 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना।

राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से संशोधित **"राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"** लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-

(क) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ख) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराध शास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(घ) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

कंठस्थ का ई- ऑफिस के साथ एकीकरण

हिंदी शब्द सिंधु

माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, राजभाषा विभाग ने एक डिजिटल शब्दकोश का निर्माण किया है। इसमें स्वास्थ्य, तकनीक, मीडिया, विधि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों को शामिल किया गया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को समाहित करते हुए 'हिंदी शब्द सिंधु' नामक हिंदी से हिंदी बृहत शब्दकोश का निर्माण एक अनूठी पहल है। इस डिजीटल शब्दकोश से हिंदी के तकनीकी सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके पहले संस्करण का लोकार्पण गृह मंत्री जी ने सूरत के अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर किया। इसमें अब तक 4 लाख से भी ज्यादा शब्दों को समाहित किया जा चुका है। इसमें बोल कर शब्द खोजने की क्षमता सहित कई आधुनिक फीचर भी उपलब्ध हैं। इसका निरंतर विकास किया जा रहा है।
राजभाषा विभाग की भावी योजनाएं और नई पहल।

भारतीय भाषा अनुभाग

भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना इस विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके लिए गृह मंत्री जी ने सैद्धांतिक स्वीकृति 30 जुलाई, 2023 को प्रदान की। इस अनुभाग की स्थापना किए जाने का प्रयोजन एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा (First Official Language) में भी हो सके। इसमें संविधान की आठवीं अनुसूची की 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सार्वभौमिक व्यवस्था विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

देवनागरी विश्वनागरी बने

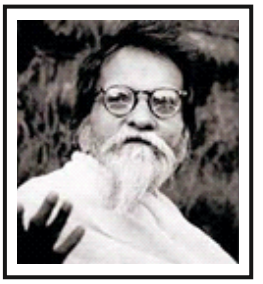

- संत विनोबा भावे

हिन्दुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत ज्यादा काम देवनागरी लिपि देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की समस्त भाषाएं देवनागरी में लिखी जाएँ। नागरी लिपि सब भाषाओं में चले - इसका मतलब दूसरी लिपियों का निषेध नहीं है, दोनों लिपियां चलेंगी।

नागरी ही नहीं, नागरी भी

भारत की राष्ट्रीय एकता और पारस्परिक व्यवहार के लिए राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को भारतीयों ने मान्यता दी है। दक्षिण वाले भी हिंदी के विरोधी नहीं हैं, वे ज़रा मोहलत चाहते हैं। जिन कारणों से 'सबकी बोली' के तौर पर हिंदी को मान्यता दी गई है, उन्हीं कारणों से नागरी को सबकी लिपि के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। हिन्दुस्तान की अन्य भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाएँ, ऐसा निर्णय होने पर दूसरी भाषाओं के लिए आज जो लिपियां चल रही हैं, उसका निषेध नहीं होगा; वे लिपियां भी चलेंगी और नागरी भी चलेगी।

मुझे दस-ग्यारह साल पहले यह सूझा और इस पर बोलना-लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन इस वक्त मैं यदि किसी के बारे में तीव्र हूं तो वह है देवनागरी लिपि का प्रचार।

यूरोप में आज कॉमन मार्केट हो रहा है, यूरोपियन इकनॉमिक कम्युनिटी (ई०ई०सी०) बन रही है। कॉमन मार्केट बनाने में उन्हें आसानी इस कारण हुई क्योंकि वहां लिपि एक थी। मैंने इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा जर्मन, लैटिन और एस्पेरेण्टो बहुत थोड़े समय में सीखी। यह सब आसानी से क्यों हो सका? इसलिए कि लिपि एक थी।

भारत में वह चीज़ है जो यूरोप में नहीं है। भारत पन्द्रह-सोलह भाषाओं का एक देश है। यूरोप में हरेक भाषा का अलग-अलग देश है। समाजशास्त्र में यूरोप पीछे है, विज्ञान में भले ही आगे हो। लेकिन वे धीरे-धीरे एक हो रहे हैं। भारत में हमने सोलह भाषाओं का एक देश बनाया जो बड़ी बात है। पहले संस्कृत भाषा थी जो सबको जोड़ती थी। शंकराचार्य केरल से लेकर काश्मीर तक घूमे, तो संस्कृत का आधार लेकर घूमे। रामानुजाचार्य भी संस्कृत का आधार लेकर सारे भारत में घूमे। उन दिनों संस्कृत ही चलती थी, इसलिए एक ही लिपि चलती थी-ब्राह्मी लिपि। बाद में नागरी लिपि आई। उसके बाद जब अलग-अलग भाषाएं बनीं तो अलग-अलग लिपियां आई। आज भिन्न-भिन्न प्रदेश के लोग लिपि-भेद के कारण अलग हुए हैं। दक्षिण की चार भाषाओं की चार लिपियां हैं। अगर एक लिपि हो तो चारों प्रान्तों वाले एक-दूसरे की भाषा पन्द्रह दिन में सीख सकते हैं। उनकी भाषाओं में बहुत-से शब्द समान हैं और संस्कृत के शब्द तो समान हैं ही, लेकिन लिपियां चार हैं। इसलिए एक-दूसरे की भाषा सीखना कठिन है।

रोमन नहीं, विश्व रोमन

डॉ. उमाशंकर जोशी ने, जो गुजरात के बहुत बड़े विद्वान् हैं, मुझे पत्र लिखा कि सामान्य लिपि के तौर पर अगर हम रोमन लिपि को स्वीकार करें तो अच्छा होगा। इसी प्रकार रोमन लिपि स्वीकार करने के बारे में हिन्दुस्तान के दूसरे लोगों ने भी कहा है। मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि भारतीय होते हुए भी वे अभिमान नहीं रखते। निरभिमान वृत्ति से, विश्व-कल्याण की दृष्टि से जो उचित लगता है, वह ज़ाहिर कर देते हैं। इसलिए मुझे उन भारतीयों के लिए बड़ा आदर है जो कि रोमन लिपि का सुझाव देते हैं, उनकी निरभिमान और निरहंकार वृत्ति के कारण।

बाबा भी नागरी लिपि पर जोर देता है वह अभिमान के कारण नहीं है। वह निरभिमान वृत्ति से सोचता है। मालूम होता है कि वह काफी पूर्ण लिपि है। फिर भी इसका यह मतलब नहीं कि उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। कुछ सुधार तो करने ही पड़ेंगे। किंतु प्रथम सुधार नहीं, प्रथम स्वीकार। स्वीकार के बाद सुधार। नहीं तो क्या होगा? यह गाँधी ने कह रखा है। उन्होंने गुजराती में कहा-बाबाना बेऊ बगडे। यदि हम लिपि सुधारने में लगेंगे और बाद में देवनागरी चले ऐसा सोचेंगे तो वह चलने वाली नहीं है। क्योंकि सुधार के फेर में पड़ेंगे तो दोनों बिगड़ेंगे। इस वास्ते पहले सारा भारत स्वीकार करे, फिर सुधार करना कठिन नहीं, वह किया जा सकेगा। तो, बाबा ने निरभिमान और निरहंकार वृत्ति से ही देवनागरी लिपि सुझाई।

वास्तव में बाबा तो सर्व लिपियों का विरोधी है, लिपि-मात्र का विरोधी। एक दफा एक भाई ने पूछा कि "अगर आपको पुनः जन्म मिले तो आप क्या करेंगे?" तो मैंने कहा कि पुनर्जन्म पाने का बाबा का विचार तो नहीं है, फिर भी यदि भगवान् लादेगा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो फिर जो गलतियां इस जिंदगी में कीं, वे अगले जन्म में करूंगा नहीं। तो उन्होंने पूछा, "क्या गलतियां आपने कीं?" मैंने कहा-दो गलतियां कीं। एक, मैं स्कूल में गया; और दूसरी, पढ़ना-लिखना सीखा इसके कारण क्या हुआ? आत्मसाक्षात्कार के काम में बाधा आई; बहुत ज्यादा समय लग गया। अगर पढ़ना-लिखना सीखा नहीं होता, लिपि कुछ जानता नहीं होता तो प्रगति जल्दी होती। ऐसे दो बड़े ज्ञानी हो गए दुनिया में जो लिपियों से मुक्त थे। एक थे निरक्षर कबीर और दूसरे पैगम्बर मुहम्मद। दोनों निरक्षर थे और दोनों का असर बहुत पड़ा है। कबीर का असर कुल भारत पर पड़ा और मुहम्मद पैगम्बर का तो दुनिया पर पड़ा। इस वास्ते लिपि-मात्र का विरोध करने वाले बाबा का यह दुर्दैव है कि वह साक्षर है और एक नहीं, कम-से-कम 12-15 लिपियां जानता है। वे लिपियां सीखने में वह अपनी आंख बिगाड़ चुका। इस वास्ते दया भाव से सोचता है कि दूसरों की आंख ऐसे न बिगड़े। इसलिए सोचता है कि एक लिपि, कम-से-कम भारत-भर में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।

इतना कहने के बाद रोमन लिपि के बारे में दो बातें कहूंगा। रोमन लिपि इंग्लिश भाषा के लिए भी अत्यन्त खराब है। उस लिपि में बिल्कुल अराजकता चलती है। बी-यू-टी बट और पी-यू-टी पुट। ऐसी अराजकता से जॉर्ज बर्नार्ड शा इतना तंग आ गया कि उसने आखिरकार यह सोचकर कि अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन लिपि नहीं होनी चाहिए, लिपि सुधार के लिए बिल में, मृत्यु-पत्र, में पैसा रखा। उस पैसे के आधार पर अनेक लोगों ने लिपि-सुधार सुझाये। कुछ एक मान्य भी हो गई। लेकिन वह चली नहीं क्योंकि लाखों की तादाद में लिंक भाषा में यानी अंग्रेजी में रोमन लिपि में बहुत-कुछ लिखा जा चुका है तो कौन शिकायत करने वाला था उसकी? (लेकिन आखिर यह जो लिपि मान्य हुई थी उसकी एक प्रति 'लन्दन टाइम्स' ने बाबा के पास भेजी थी; वह रखी हुई है मेरे पास।) उसका अर्थ यह हुआ कि रोमन लिपि बिल्कुल काम की नहीं ऐसा बर्नार्ड शा जैसा महापुरुष, विद्वान् मानता था।

लेकिन फिर भी मैं रोमन लिपि के लिए तैयार हूं- विश्व रोमन के लिए। आज जो रोमन चलती है सो नहीं, विश्व रोमन; बशर्ते कि इंग्लिश, फ्रेंच आदि तैयार हों। यह सुनने के बाद बहुत लोगों को आश्चर्य मालूम होता है कि इंग्लिश, फ्रेंच वगैरा में तो रोमन लिपि है ही। मैं भी कहता हूं कि रोमन हैं, पर विश्व रोमन नहीं है। विश्व रोमन जो लिपि होगी उसमें एक उच्चारण के लिए एक वर्ण होगा और एक वर्ण के लिए एक उच्चारण होगा।

रोमन लिपि की क्या हालत है? एक वर्ण के अनेक उच्चारण हैं। जैसे 'जी' है। इसका एक उच्चारण है 'ग', दूसरा उच्चारण है 'ज'। एक 'जी' के दो उच्चारण। एक वर्ण के अनेक उच्चारण का एक उदाहरण। और एक ध्वनि के लिए अनेक वर्ण हैं। जैसे 'स' है। 'स' 'सी' में मिलेगा और 'एस' में मिलेगा। और 'पी' में भी मिलेगा, जैसे साइकोलॉजी है। इस वास्ते जितना पूर्ण अराजक है वह उसमें है। यदि वे इस विश्व रोमन के लिए तैयार हो जायें कि निश्चित वर्ण का निश्चित उच्चारण, तो फिर जो तय होगा तदनुसार लिखना होगा। अगर यह तय होगा कि 'ओ' का उच्चारण 'आ' और 'ए' का उच्चारण 'अ' करना है तो डी-ओ-टी-ए-आर डाटर होगा, आज जैसा लम्बा-चौड़ा डाटर बनता है उतनी लम्बी-चौड़ी कन्या नहीं होगी। कन्या का आकार छोटा हो जाएगा। शायद कन्याएं पसन्द करेंगी छोटा आकार! इसके लिए इंग्लिश लोग कतई तैयार नहीं हैं। इसका अर्थ विश्व रोमन के लिए वे तैयार नहीं हैं। अगर वे तैयार हो जाएँ तो बाबा तैयार है।

इंग्लिश भी नागरी में सीखें

एक बात और, जिसका आचरण मैंने खुद किया है। मैं उर्दू सीखना चाहता था तो प्रथम उर्दू की किताब जो नागरी में मिली वह मैंने ले ली और नागरी लिपि में उर्दू उत्तम सीख ली। उसके बाद उर्दू लिपि भी सीख ली। वैसे ही भारत में लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको प्रथम इंग्लिश नागरी लिपि में सीखनी चाहिए। नागरी लिपि में इंग्लिश अच्छी आ जाए तो उसके बाद रोमन लिपि भी सीख सकते हैं। यह शिक्षण की दृष्टि से उत्तम प्रक्रिया होगी। एकदम दूसरी भाषा और दूसरी लिपि एक साथ सीखना गलत है। प्रथम हमारी परिचित लिपि में नई भाषा सीखनी चाहिए अगर हो सकता है तो। वैसी ही कोशिश बाबा ने हर भाषा के बारे में की। तेलुगु कैसे सीखी? मैंने पूछा कि तेलुगु भाषा में नागरी लिपि में लिखा कोई ग्रन्थ है क्या? तो बोले कि संस्कृत गीता। तेलुगु की सारी लिपि का अभ्यास मुझे हो गया। इसी प्रकार से भाषाएं सीखने की कोशिश की जिस लिपि का मेरा परिचय है उस लिपि से, उसके बाद उनकी लिपि से। जहां तक हो सकता था वहां तक यह प्रक्रिया की। जहां नहीं हो सका वहां नई लिपि से सीखी। तात्पर्य यह है कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा सीखने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी भी प्रथम नागरी लिपि में उत्तम अंग्रेजी सीख लें।

पड़ोसी राष्ट्र भी नागरी अपनायें

इसके मानी यह नहीं कि नागरी लिपि परिपूर्ण लिपि है या उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। नागरी लिपि में सुधार की जरूरत है ऐसा मानने वालों में मैं भी शुमार हूं। परन्तु लिपि-सुधार का मेरा सुझाव है, आग्रह नहीं। लिपि-प्रचार का मेरा आग्रह है। आग्रह के माने यह न समझा जाए कि मैं उसे किसी पर लादना चाहता हूं। लादने वाली बात अहिंसा में आती ही नहीं। मेरा तो मानना है कि अगर भारत की सभी प्रान्तीय भाषाएं देवनागरी लिपि को भी स्वीकार कर लें तो आगे चलकर चीन, जापान-जैसे देश भी उसे स्वीकार कर लेंगे। मैं मानता हूं कि देवनागरी लिपि जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण-पूर्व एशिया की सभी भाषाओं के लिए अपनायी जा सकती है। यह सबका सब नागरी का क्षेत्र है। जापानी भाषा की लिपि चित्रमय लिपि है। इसलिए उसके शब्दचित्रों की संख्या लगभग दो हजार है जिसे सोचना सरल काम नहीं है। इसलिए वे लोग नई लिपि की खोज कर रहे हैं। यही बात चीनी भाषा के संबंध में भी है।

लिपि एक होने का लाभ

चीनी लोगों को जो अक्ल है वह हमको नहीं है। चीन वालों ने जाहिर किया कि दुनिया-भर में चीनी भाषा बोलने वाले सत्तर करोड़ हैं। बेचारी हिंदी का नम्बर बहुत नीचे है, पांचवीं, छठी या सातवीं भाषा हो गई है। इसका कारण क्या है? हिंदी वाले लोगों की अपनी अक्ल। सैन्सस में अपनी भाषा लिखानी पड़ती है तो राजस्थान के लोगों ने अपनी भाषा राजस्थानी लिखाई, बिहार वालों ने मैथिली, भोजपुरी आदि-आदि लिखाई; हिंदी नहीं, अगरचे वे हिंदी की ही अंगभूत हैं। वैसे देखा जाए तो मराठी वालों की अकल थोड़ी ठीक थी। अगर न होती तो खानदेशी, वर्हाडी, कोंकणी ऐसी बातें बोलते और मराठी के भी तीन-चार टुकड़े हो जाते। लेकिन हिंदी वालों की यह अक्ल है। हिंदी भाषा दुनिया की भाषा नंबर दो की मानी जा सकती थी-एक इंग्लिश और दो हिंदी। पर अब उसका पांचवा या सातवां नम्बर लग गया।

अब चीन वालों की खूबी देखिए। मैंने चीनी भाषा सीखने की कोशिश की। जापानी तो अच्छी जानता हूं लेकिन चीनी भाषा सीखने में जो बाधा आई वह मेरे लिए अनुकूल हो गई। मैंने चीनी भाषा सीखना शुरू कर दिया। उसमें करीब दो हजार चित्र हैं। सारे चित्र पहचानना होता है और मैंने उससे मराठी पढ़ना शुरू कर दिया। लिपि चीनी और भाषा मराठी। क्योंकि वह चित्र लिपि है, इस वास्ते उन चित्रों को पहचान लेने पर अपनी भाषा पढ़ सकते हैं। तो चीनी नाम की कोई भाषा है ही नहीं। सत्तर करोड़ लोग एक भाषा बोल ही नहीं सकते। यह अशक्य वस्तु है। यह सब लोग जानते हैं कि जगह-जगह उच्चारण में भेद होता है, फर्क होता है, हवा का परिणाम होता है, सूर्य-किरणों का परिणाम होता है। जिस प्रकार की आबोहवा आइसलैण्ड में होगी वह महाराष्ट्र में हो नहीं सकती। इस वास्ते इतने बड़े क्षेत्र में 70 करोड़ लोग एक ही भाषा बोल सकते हैं, यह सम्भव ही नहीं। एक लिपि उनकी है, उस लिपि में अपनी-अपनी भाषा वे पढ़ लेते हैं। उस लिपि के द्वारा समझ लेते हैं इतनी ही बात है। सामने सूर्य का चित्र रख दिया तो कोई कहेगा सूर्य, कोई कहेगा सन और कोई कहेगा सूरज। हर कोई अपना-अपना बोलेगा। ऐसी स्थिति में यदि चीन और जापान देवनागरी लिपि को अपना लेते हैं तो इसमें उनका ही भला है। पर यह आगे की बात है। लेकिन कम-से-कम भारत का क्षेत्र नागरी में आए।

ठोस कार्यक्रम

इसका आरम्भ कहां से हो? हमने सोचा कि हमारी सर्वोदय-पत्रिकाएं नागरी में छपें। मैंने प्रेरणा दी और गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया की सर्वोदय-पत्रिकाएं देवनागरी में प्रकाशित हो रही हैं। गीता प्रवचन के जो अनुवाद भिन्न-भिन्न भाषाओं में हुए उनको, मेरे सुझाव पर सर्व सेवा संघ ने देवनागरी में प्रकाशित किया है। इनके सहारे घर बैठे हम एक-दूसरे की भाषाओं का अध्ययन कर सकते हैं। मेरी सिफ़ारिश है कि जो गैर-पंजाबी और गैर-तेलुगु लोग हैं, वे नागरी लिपि में छपे हुए तेलुगु और पंजाबी गीता-प्रवचन जरूर खरीदें। समझ न सकें, तो भी पढ़ें। दो-चार-दस मिनट अपनी आंख उन अक्षरों पर से घुमायें। इससे मालूम होगा कि हमारी भाषाओं में कितना साम्य है। इससे परस्पर प्रेम पैदा होगा। जरा-सी मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे कि कम-से-कम उत्तर हिन्दुस्तान की भाषाएं दो-चार-पांच दिन में ही सीख सकते हैं। मैं सिफारिश करता हूं कि कुछ किताबें अनेक भाषाओं में परन्तु नागरी लिपि में भी निकालें। इस प्रकार का उपक्रम सर्व सेवा संघ ने किया है।

नागरी की लोकप्रियता

भिन्न-भिन्न लिपियां भारत में चलती हैं। उन सबकी अपनी-अपनी खूबियां हैं। मैं सबसे कहता हूं कि आपकी भाषा

नागरी में भी लिखी जाए तो सारे भारत के शिक्षितों को जोड़ने में मदद मिलेगी। नागरी लिपि पूर्ण है, ऐसा किसी का दावा नहीं है और दुनिया की कोई लिपि पूर्ण है भी नहीं। लेकिन जो लिपियां हमारे यहां मौजूद हैं उन सब में थोड़े-से फर्क से जो पूर्ण हो सकती है वह नागरी लिपि है। दो-तीन अक्षरों की जरूरत है। भारत की सब भाषाएं नागरी लिपि में व्यक्त करने के लिए नुक्ते और ज़रा स्वर भेद की जरूरत है। इतना कर लिया जाए तो नागरी लिपि हिन्दुस्तान की सब भाषाओं में तो चल ही सकती है, जापानी और चीनी भाषाओं के लिए भी चल सकती है। ऐसी है इसकी शक्ति। सारे एशिया को प्रेम से जोड़ना चाहें तो मैं बौद्धों से कहूंगा कि वे त्रिपिटक को नागरी लिपि में लायें। पालि भी भारत की अपनी भाषा है। पालि और संस्कृत में क्या फर्क है? पड़ोसी देश नेपाल है जहां का सारा कारोबार नागरी में चलता है। संस्कृत, मराठी और हिंदी तो हैं ही, गुजराती भी नागरी है। बंगला आदि दूसरी लिपियां हैं जो नागरी के बहुत नजदीक हैं। अगर हम लोगों में नागरी के प्रति प्रेम है तो नागरी में दूसरी लिपियों का साहित्य लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस सिलसिले में एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि देवनागरी लिपि दक्षिण वालों को अरुचिकर होगी, यह बिल्कुल गलत कल्पना है। मेरी मातृभाषा संस्कृत है, ऐसा सेन्सस में लिखाने वाले तमिलनाडु और केरल में हैं। कुंभकोणम् के कुछ लोगों ने सेन्सस में लिखाया कि हमारी मातृभाषा संस्कृत है। इसी तरह केरल के पालघाट वालों ने लिखाया।

संस्कृत मेरी मातृभाषा है यह कहने वाला उत्तर में कोई नहीं है। जो थोड़े-से हैं, 25-30 हजार, वे दक्षिण में हैं। इस वास्ते किसी को यह भ्रम होगा कि संस्कृत भाषा, जो नागरी में ही आजकल चलती है, दक्षिण के लिए अरुचिकर है, यह गलत बात है। आपको मालूम होगा, एक संस्कृत दैनिक पत्रिका निकलती है, उसका नाम है 'सुषमा'। वह खूब अच्छी तरह निकल रही है, बिल्कुल माडर्न से माडर्न विषय उसमें संस्कृत भाषा में छपते हैं। वह निकलती है मैसूर से, कर्नाटक से।

हां, नागरी अरुचिकर हो सकती है गलतफहमी के कारण। कौन-सी गलतफहमी? देवनागरी और हिंदी की। कुछ लोग देवनागरी को हिंदी लिपि कहते हैं। असल में उसका हिंदी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। मराठी भी उसमें लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है, अर्धमागधी लिखी जाती है, पालि लिखी जाती है। प्राचीन भाषाओं में संस्कृत, अर्धमागधी और पालि। और अर्वाचीन भाषाओं में मराठी तो है, बाकी उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वे भी थोड़े-थोड़े फर्क के साथ नागरी में ही लिखी जाती हैं। इस वास्ते हिंदी का देवनागरी से कतई ताल्लुक नहीं है। उसे हिंदी लिपि कहने से भ्रम पैदा होता है। दरअसल देवनागरी सारे भारत को जोड़ने वाली लिपि है।

इसलिए हमारा कहना यह है कि उत्तर भारत वाले कन्नड़ या दूसरी भाषा सीखने के लिए देवनागरी का उपयोग करें। केवल उत्तर वाले नहीं, कन्नड़ वाले तमिल सीखना चाहें, तेलुगु वाले या मलयालम वाले सीखना चाहें तो वे भी नागरी में सीखें। सबके लिए नागरी लिपि अनुकूल होगी। नहीं तो, केरल वाले को तमिल सीखने के लिए तमिल लिपि और गुजराती सीखने के लिए गुजराती लिपि, कन्नड़ सीखने के लिए कन्नड़ लिपि और तेलुगु सीखने के लिए तेलुगु लिपि सीखनी पड़ेगी। इस वास्ते अगर ये सब भाषाएं नागरी लिपि में भी प्रकाशित की जाएँगी तो तमिलनाडु के लिए नहीं, दूसरे प्रान्तों को तमिल सीखने के लिए नागरी मदद देगी। वैसे ही तमिल वालों को दूसरी भाषा सीखने में नागरी मदद देगी। तमिल वालों को तमिल सीखने के लिए नागरी चाहिए ऐसा बाबा ने कभी नहीं सोचा। कन्नड़ वालों को कन्नड़ सीखने के लिए नागरी चाहिए ऐसा नहीं कहा। उन-उन भाषाओं को अपनी-अपनी भाषा सीखने के लिए उनको अपनी-अपनी लिपियां कायम रहें, प्रलय-काल तक, तो बाबा को कोई हर्ज नहीं। परन्तु हिन्दुस्तान बड़ा मुकाम है, इसमें 15-16 विकसित भाषाएं हैं, हजारों वर्षों का साहित्य है। वह सारा एक-दूसरे की भाषा सीखने के लिए अनुकूल पड़ेगा अगर वह नागरी में छापा जाए तो।

फिर से दोहराता हूं-नागरी लिपि अन्य भाषा सीखने के लिए जरूरी, अपनी भाषा सीखने के लिए नहीं। अगर आपको अन्य भाषा सीखनी ही है तो मैंने पहले ही कह दिया है, आपको अपनी भाषा भी नहीं सीखनी है तो बाबा को हर्ज नहीं है। बाबा सर्वलिपि-विरोधी है। जैसे कबीर ने कहा, समझ में नहीं आता कि कोरा कागज लेते हैं और उस पर काली स्याही फांसते हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं। इतना अच्छा कागज लिया, कितना सुन्दर था, उस पर मसि छाप दी। काली स्याही पोत दी। और उसको लिपि कहते हैं। क्यों? पढ़ने के लिए। कबीर कहता है कि ढाई अक्षर प्रेम का सीख लो, बाकी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो, बाबा उसे जानता है। मूलतः एक ही लिपि सीखने की किसी को जरूरत नहीं है। हरेक को यह हक होना चाहिए कि वह अपने बच्चे को निरक्षर रख सके। निरर्थक बनना हम नहीं चाहते, सार्थक बनना चाहते हैं। लोग बनते हैं, साक्षर और निरर्थक। मैं चाहता हूं कि मैं बनूं निरक्षर और सार्थक। ऐसे सार्थक महापुरुष हो गए अपने देश में और दूसरे देश में भी जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। इसलिए बाबा का लिपि-मात्र के लिए आग्रह नहीं है। फिर भी आप लोगों को यदि एक-दूसरे की भाषा सीखनी है और सीखनी तो होगी ही, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा साहित्य है और सबको इकट्ठा रहना है, इस वास्ते सीखनी पड़ेगी, उसके लिए देवनागरी लिपि आ सकती है।

पंच विध उद्देश्य

अब अन्त में अपनी बात फिर से दुहराता हूं। मैं 'भी' वादी हूं, 'ही' वादी नहीं। देवनागरी ही चले नहीं कहता हूं, देवनागरी भी चले कहता हूं। वह पहली बात है जिससे भ्रम दूर हो जाए।

1. मेरा पहला उद्देश्य है कि दक्षिण की चार भाषाएं नजदीक आएँ। कन्नड़ के उत्तम साहित्यकार हैं-बेन्द्रे, कारन्त, पुट्टप्पा आदि। इनका कुछ भी साहित्य तमिलवाले पढ़ते नहीं। अगरचे तमिल और कन्नड़ बिल्कुल नजदीक हैं। वे कहेंगे परप्परपल्ली, ये कहेंगे हरपनहल्ली। वे कहेंगे पाल, ये कहेंगे हालु। हालु यानी दूध। मेरा प्रथम उद्देश्य है कि दक्षिण की चारों भाषाएं बिल्कुल नजदीक आ जाएँ। एक-दूसरे का साहित्य एक-दूसरे पढ़ें। इससे पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर पूरी एकता उनकी हो जाएगी।
2. सारा उत्तर भारत एक हो जाए। नाहक अलग-अलग लिपि न चलायें।
3. दक्षिण और उत्तर भारत एक हो जाएँ।
4. भारत और एशिया एक हो जाएँ।
5. भारत और विश्व एक हो जाएँ। यह पांचवां कार्यक्रम तब शुरू होगा, जब विश्व की एकता लाने की बात होगी, वहां मैं नागरी के साथ रोमन ऐसा मान सकता हूं। वह होगी विश्व रोमन।

- साभार: हिंदी सब संसार
(गौरव प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2008)

हिंदी का सवाल : चरित्र का संकट

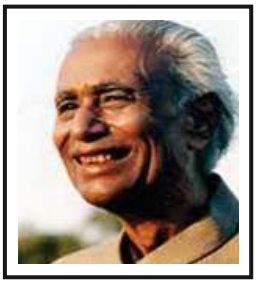

- डॉ. धर्मवीर भारती

भाषा और उसके बोलने वाले मनुष्य का संबंध अविच्छिन्न है। सच तो यह है कि इतिहास के किसी विशिष्ट क्षण में किसी भी भाषा की स्थिति प्रतिष्ठा के स्तर पर केवल इसलिए नहीं होती कि वह व्याकरण, लिपि, साहित्य-संपदा की दृष्टि से कितनी संपन्न है, इसलिए भी नहीं होती कि यह संख्या में कितने लोगों द्वारा बोली जाती है, उसकी प्रतिष्ठा मूलतः इस आधार पर हो पाती है कि जिनकी वह भाषा है, जो उसे बोलते हैं, उनमें तनकर खड़े हो सकने की रीढ़ है या नहीं, अपने जातीय स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आन है या नहीं, कितना साहस है, कितनी संवेदना है, कितना मौलिक चिंतन है, कितनी बौद्धिक जागरूकता है, और अपने मूल्यों और अपनी आस्थाओं के लिए कितना बलिदान दे सकने का माद्दा है। और सबसे अधिक यह कि अपने इस चरित्र-बल के साथ वे कितनी गहराई से अपनी भाषा से जुड़े हैं। वस्तुतः उनके आंतरिक चरित्र बल का भाषा के साथ जुड़ना, भाषा को बहुआयामी गरिमा प्रदान करता है। इसी बिंदु पर आकर यह संबंध अन्योन्याश्रित हो जाता है। पुरानी उक्ति है 'धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः' 'जो धर्म की हत्या करता है वह स्वयं मारा जाता है और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है।' यदि यहां धर्म की जगह 'भाषा' रख दें तो स्थिति वही रहती है। जो जाति भाषा की उपेक्षा करती है वह स्वयं उपेक्षित हो जाती है और जो भाषा की रक्षा करती है, भाषा उसकी रक्षा करती है।

आज हिंदी का संकट यह नहीं है कि वह अविकसित भाषा है, यह नहीं है कि उसमें ज्ञान-विज्ञान की शब्दावली नहीं है, यह नहीं है कि उसके बोलने वालों की संख्या कम होती जाती है, यह नहीं है कि विधान में उसे उचित स्थान नहीं मिला हुआ है, उसका मूल संकट यह है कि हिंदी भाषी जन में आज चरित्र-बल नहीं रह गया है। वह रागात्मक निष्ठा के बिंदु पर उससे कट चुकी है। परिणाम यह है कि सांस्कृतिक स्तर पर वह भाषा से कटा हुआ, पंख कटे पक्षी की तरह शून्य से तेजी से गिरता चला जा रहा है, और भाषा अनाथालय की हर ओर से दुत्कारी जाने वाली निर्दोष बच्ची की तरह दिनोंदिन कुंठित और असहज होती चली जा रही है।

भाषा बहता नीर

आखिर यह हुआ क्यों? क्या सदा से ऐसा था? आइए आज से कुछ शताब्दियों पहले लौटें। वह युग जब इस भाषा में पृथ्वीराज रासो के छंदों में एक बंदी अंधे किंतु अपराजित योद्धा के शब्दबेधी धनुष की टंकार सुनायी दी थी, जब मीरा ने इसी भाषा में ढोल बजाकर अपने गिरधर को मोल लिया था, जब सूर के पद मानव-मन की कोमल अभिव्यक्तियों को चरम उत्कर्ष पर ले गए थे, जब जायसी की पद्मावत के भावों की बिछियां 'नखत तराई' (नक्षत्र और तारों) को पराजित करती थीं, जब तुलसी की चौपाई विनय न माननेवाले 'जलधि जड़' पर सेतु बांध डालती थी। क्या उस समय किसी ने विधान की धारा बनाकर हिंदी को मान्यता दी थी? क्या किसी ने कवियों के पास परिपत्र भेजा था कि वे लोकभाषा में लिखें? नहीं, उस समय हिंदी भाषा उनके लिए अपने जातीय स्वाभिमान, अपनी सांस्कृतिक संज्ञा, अपने गहन आत्म-साक्षात्कार और जनजीवन में अपने एक उपयोगी इकाई बनने की स्वस्थ प्रक्रिया की वाहिका थी। इसीलिए कबीर ने

स्पष्ट कहा था संस्किरत है कूप जल, भाखा बहता नीर!' इसीलिए विदेशी विजेताओं की जाति का होकर भी भारत में जन्मा अमीर खुसरो हिंदी चेतना में ओत-प्रोत होकर कह सकता था: "जो सुख छज्जू के चौबारे, सो न बलख न बुखारे" और तुलसी भी जानते थे कि वाल्मीकि और 'नाना पुराण निगमागम' के रचयिता संस्कृत में जो कर गए सो अपनी जगह ठीक लेकिन अब तो जाति की इयत्ता और अस्मिता के लिए उन्हें जो-कुछ करना है वह 'भाषा' में ही संभव हो सकता है और उनके जैसा प्रकांड विद्वान् भी 'भाखा भनति मोर मति थोरी' कहकर लोकभाषा की गरिमा के प्रति विनयावनत होता था।

और चूंकि उस समय हिंदी-भाषी जन का (हिन्दू और मुसलमान सभी) सारा चरित्र-बल, आत्म-बल, साहस और शौर्य, विनय और तपस्या अपनी भाषा से गहराई से जुड़ी हुई थी, इसीलिए वह भाषा उस समय अनेक आयामों में उच्चतम गरिमा-बिंदु तक पहुंची। जनता को पराधीन बनाये रखने और उसका शोषण करने वाली कोई भी सत्ता यह अच्छी तरह जानती है कि जन को कमजोर बनाना हो तो चतुराई से उसको उसकी भाषा-संस्कृति से विच्छिन्न कर दो, उसमें एक हीनता का बोध पनपा दो, और भाषा की उपेक्षा करके धीरे-धीरे वह खुद उपेक्षित होता जाएगा। मुगल शहंशाह जहां एक ओर फारसी को राजकाज की भाषा बनाये रहे वहीं धीरे-धीरे उनकी प्रकृति बदलती गई, वे यहीं के हो गए और हिंदी के प्रति (ब्रज के प्रति, अवधी के प्रति, हिन्दवी या दकनी या उर्दू के प्रति) उनमें अनुराग जागता गया। अकबर के गुरु-संरक्षक अब्दुर्रहीम खानखाना हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि बने, पठान-योद्धा रसखान ने 'लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूंपुर को तजि डारौ' की घोषणा की। यहां तक कि औरंगजेब जैसा कट्टर वादशाह भी हिंदी से प्रेम करता था और अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह 'जफ़र' तो ब्रजभाषा के आध्यात्मिक पदों के रचयिता बने।

लेकिन उपनिवेशवादी अंग्रेज शासक हमेशा परदेशी बना रहा। यह देश उसकी मातृभूमि नहीं बन सका, वह तो यहां शासक बनकर निश्चित अवधि के लिए आता था और फिर अपने देश लौट जाता था। उसने महसूस किया कि इनकी भारतीयता का एक दृढ़ आधार है इनका अपनी देशी भाषाओं से लगाव और उसने जान लिया कि यही एक बिंदु है जहां पर ठीक-ठीक प्रहार करने पर वह इस जाति को सदा के लिए कमजोर, हीन और आत्महारा बना सकेगा और उसके बाद मेकाले की जो शिक्षा-नीति का पड्यंत्र चला वह सभी को ज्ञात है।

1857 का विद्रोह, कुछ इतिहासकार उसकी जो भी व्याख्या करें, लेकिन वह विद्रोह हमारे जातीय स्वाभिमान की अंतिम भभक थी। और उसके जन-अभियान का नेतृत्व बैसवाड़े, अवध और भोजपुर के किसानों के उन युवा पुत्रों ने किया था जो आजीविका के लिए अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गए थे। आप इतिहास उठाकर देखें, उन्हें 'हिन्दुस्तानी सिपाही' कहा जाता था और मेरठ की छावनी हो या कलकत्ते की, मद्रास की छावनी हो या असम की, विद्रोह का नेतृत्व इसी हिंदी-भाषी किसान-पुत्र सिपाही ने किया था और अंग्रेजों के दांत इन्हीं 'हिन्दुस्तानी' पल्टनों ने खट्टे किए थे।

और उसका भरपूर दंड हिंदी-भाषी प्रदेश को दिया गया। हर तरह से उन्हें ध्वस्त किया गया। भौतिक स्तर पर भी, आंतरिक स्तर पर भी। भौतिक स्तर पर सब जगह भूमि-सुधार हुए पर हिंदी-प्रदेशों में जमींदारी लाद रखी गई और जमींदार को सल्तनते बर्तानिया का मददगार बना कर किसान की ताकत को धीरे-धीरे खत्म किया गया। तटवर्ती प्रदेशों का औद्योगीकरण हुआ लेकिन शस्यश्यामला हिंदी-प्रदेश को धीरे-धीरे अकाल, महामारी, सूखा और निरक्षरता की विभीषिकाओं से ग्रस्त किया गया और फिर उन भूखों को, मरते किसानों को जानवरों की तरह हांककर जहाजों पर लादकर सात समुद्र पार कभी फिजी, कभी गुयाना, कभी मारिशस में गुलाम बनाकर जानवरों से बदतर हालत में रखा गया। हिंदी-प्रदेशों की आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था को इतनी निर्ममता और क्रूर चतुराई से ध्वस्त किया गया कि आज तक वे उससे उबर नहीं पाए और हिंदी-भाषी जन सदियों के लिए एक हीन-भावना, पिछड़ेपन की भावना से ग्रस्त हो

गया, वही हिंदीभाषी जन जो इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र अभियान का साहसी नायक था।

आंतरिक स्तर पर सम्प्रदाय, भाषा, जाति के भेद जान-बूझकर पनपाए गए। हिंदी जाति की आंतरिक एकता को छिन्न-भिन्न किया गया। इन तमाम षड्यंत्रों में अंग्रेज शासक खूब सोच-समझकर मोहरे बिठा रहा था, इतनी दूरदर्शिता से कि चलते-चलते उसने आखिरकार भारत का बंटवारा भी करा ही दिया। इस बंटवारे का सबसे भयानक दुष्प्रभाव उत्तर भारत को ही झेलना पड़ा। जिसमें हिंदी प्रदेशों का क्षेत्र सबसे बड़ा था। सच पूछिए तो बंटवारा उत्तर भारत का किया गया था और उसके माध्यम से समूचे हिंदी-प्रदेश के मानस को खंडित किया गया था।

हिंदी-प्रदेश का अलग से जिक्र इसलिए नहीं हो रहा कि उनकी समस्या सारे भारत की समस्या से कुछ अधिक या विशिष्ट है, बल्कि इसलिए कि ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से हिंदी-प्रदेश भारत के हृदय-प्रदेश के समान है। यदि वहां प्रवाह अवरुद्ध हुआ तो सारे देश का विकास संतुलित और स्वस्थ ढंग से होना असंभव हो जाता है। यही नहीं वरन् मध्यकाल से जब से यह सारा भारतवर्ष एक सांस्कृतिक इकाई बना तब से इसी प्रदेश की कोई-न-कोई लोक-भाषा सारे देश के बाजारों, मठों, मंदिरों और राजदरबारों के पारस्परिक संपर्क और विचारों से आदान-प्रदान की भाषा रही। चाहे वह भगवान् बुद्ध की पालि हो, भगवान् महावीर की प्राकृत हो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात तक के चौरासी सिद्धों की संध्या-भाषा हो, चाहे द्वारिका से पुरी तक गूंजने वाली 'बज्र बुलि' हो, चाहे विद्यापति की 'देसिल बयना' हो या मानस की अवधी हो, या गोरखनाथ से कबीर तक की 'सधुक्कड़ी' भाषा हो!

राष्ट्रीय आत्माभिमान की प्रतीक हिंदी

इस देश को यदि अपनी खोयी राष्ट्रीय एकता और अस्मिता पानी है, हीन, चरित्रहारा गुलामों में यदि फिर से राष्ट्रीय आत्माभिमान जगाना है तो इस समूचे राष्ट्र की एक सांस्कृतिक लोकभाषा की परंपरा को स्थापित करना आवश्यक है। यह बात हमारे उन चिन्तकों और लोकनायकों ने अच्छी तरह समझ ली थी जिन्होंने 1857 की पराजय के बाद फिर से राष्ट्रीय चेतना जगाने का अभियान शुरू किया। इसीलिए हम पाते हैं कि चाहे सौराष्ट्र के स्वामी दयानन्द हों, बंगाल के केशवचंद्र सेन या सिन्ध के ओबेदुल्लाह सिन्धी या महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक, सभी ने राष्ट्र के व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए राष्ट्रभाषा का उत्थान अनिवार्य माना और हिंदी में ही उन्होंने इस पद का दायित्व वहन करने की क्षमता बताई। हमारे राष्ट्रीय संग्राम के महान् नायक राष्ट्रपिता गाँधी ने हिंदी-प्रचार के कार्य को केवल भाषा-प्रचार का कार्य मान, उसे आत्महारा राष्ट्र को नई आत्मा देने के रूप में परिकल्पित किया। हिंदी के प्रति उनकी निष्ठा और विश्वास दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई से लेकर चंपारण के नील-खेतों के मजदूर किसानों के अधिकार-संग्राम में से उपजा था। उनके लिए हिंदी केवल स्लेट पर लिखे या पोथी में छपे अक्षर नहीं थे। वह उस टूटे हुए, पराजित, आत्महारा भारतीय जन को पुनः अपनी नियति, अपने दायित्व और अपने चरित्र-बल से जोड़कर उसे एक समूचा व्यक्तित्व देने का प्रयास था। यदि राजनीतिक स्तर पर हमें शासन की बागडोर मिल जाए पर अन्दर से हम सड़ी गुलामी के कैंसर से पीड़ित रहें तो वह आजादी बेमानी है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि यदि स्वराज्य में हिंदी नहीं रही तो मैं उसे स्वराज्य नहीं मानूंगा।

राष्ट्रभाषा, राजभाषा या सम्पर्क भाषा

लेकिन सही बात यह है कि गाँधी जी की यह दृष्टि, यह निष्ठा, स्वराज्य के प्रारम्भिक दिनों में तो कुछ दिनों तक चली लेकिन स्वराज्य के बाद जिसके हाथ में सत्ता आई वे पं. जवाहरलाल नेहरू देशी भाषाओं और विशेषतः राष्ट्रभाषा

हिंदी के प्रति अत्यंत अवैज्ञानिक, पूर्वग्रहयुक्त मानसिक उलझनों के शिकार थे। देश की मिट्टी से उपजे गाँधी के गहन तत्त्वचिंतन को वे आत्मसात नहीं कर पाए थे। पश्चिम से उधार लिए एक प्रभामंडल के प्रति उनका अदम्य आकर्षण था। राष्ट्रभाषा का सवाल भारतीय जन की, भारतीय मनुष्य की आंतरिक परिपूर्णता से कहां पर जुड़ा हुआ है इसको वे समझ ही नहीं पाते थे। भाषा का सवाल उनके लिए केवल प्रशासन का सवाल बन गया था और उसके बारे में उनकी अधिकांश नीतियां उस नौकरशाही के परामर्श पर बनती थीं जो स्वयं षड्यंत्रकारी अंग्रेज शासकों की जूठन के रूप में छूट गई थी लेकिन हमारे नए प्रशासक इस जूठन को मन्दिर के प्रसाद की गरिमा देने की घातक भूल कर रहे थे। राष्ट्रभाषा का सवाल, गाँधी-युग की अर्थवत्ता और गहन दृष्टि से विच्छिन्न होकर राजभाषा का सवाल बना, फिर सम्पर्क भाषा का और अंत में प्रमुख राजभाषा कौन है, सहभाषा कौन है आदि के निरर्थक तर्कजाल में उलझ गया। इस संदर्भ में गृहमंत्री के पद से लाल बहादुर शास्त्री ने भी अंग्रेजी को अनन्तकाल तक लादे रखने का जो राष्ट्रघाती प्रस्ताव रखा वह उनके अन्यथा उज्जवल व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं था। यह स्पष्ट समझ लेने की जरूरत है।

खैर, राजभाषा के स्तर पर आज हिंदी की क्या दुर्दशा है, उसे किस तरह हर स्तर पर उपेक्षा सहनी पड़ रही है, किस प्रकार धीरे-धीरे अंग्रेजी को प्रमुखता दे दी गई, किस प्रकार अंग्रेजी और अंग्रेजीयत आज इस मुल्क की जेहनियत पर छा गई है, इस पर बहुत-कुछ कहा जा चुका है और जितना कहा जा चुका है उससे कहीं ज्यादा हम उसे आज देश के रोजमर्रा के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक जीवन में प्रत्यक्षतः अनुभव कर ही रहे हैं लेकिन उससे भी बड़ी विडम्बना यह है कि जनभाषा के रूप में हिंदी जहां हिंदी बोलनेवाले जन से जुड़ी थी वहां से वह च्युत हो चुकी है और परिणामस्वरूप हिंदी-भाषी जन भी अपने आधार-बिन्दु से च्युत होकर हीनता, मानसिक गुलामी और चिन्तन-शून्यता के गर्त में दिनोंदिन गहरे गिरता जा रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इंग्लैंड या फ्रांस में कोई प्रशासक यह कहे कि उसकी मातृभाषा होने पर भी उसे अंग्रेजी या फ्रेंच ठीक से नहीं आती? पर आपको लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर में ऐसे ही हिंदी-भाषी अफसर मिलेंगे जो यह कहने में गर्व महसूस करेंगे कि वे हिंदी अच्छी तरह नहीं जानते। बल्कि बड़ा और रुआब वाला अफसर होने के लिए यह आवश्यक है कि वह गलत हिंदी बोले और लिखे तो कदापि नहीं।

हिंदी-भाषी प्रदेश का राजनेता दो चेहरे रखता है, एक अपने चुनाव-क्षेत्र के लिए, जो हिंदी चेहरा होता है और दूसरा दिल्ली के लिए जो हिंदी की उपेक्षा का चेहरा होता है। हिंदी-भाषी व्यवसायी कथा-कीर्तन, दान-दक्षिणा, पदक-पुरस्कार के स्तर पर तो हिंदी का सेवक होता है, लेकिन अर्थोपार्जन और सरकार-सम्पर्क के आधार पर अंग्रेजी के सामने नतशिर दृष्टिगोचर होता है। हिंदी-भाषी क्लर्क बेचारा तो बेहद निरीह प्राणी है और हिंदी-भाषी किसान और मजदूर, वह उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के चुनाव का मोहरा है जिनका राष्ट्रभाषा के सवाल पर ही नहीं राष्ट्र के सवाल पर भी कोई साधार, निष्ठावान, तर्कपूर्ण, दूरदर्शी चिंतन है ही नहीं।

पर सबसे विडम्बनापूर्ण स्थिति है उन लोगों की जो हिंदी-भाषी हैं और सामाजिक कार्य या आजीविका के स्तर पर हिंदी से जुड़े हैं। मसलन हिंदी लेखक, हिंदी अध्यापक, हिंदी पत्रकार, हिंदी फिल्म-निर्माता। ये अपनी भाषा से किस स्तर पर जुड़े हैं? क्या गहरे आत्मदान और निष्ठा और ऐतिहासिक दायित्व के स्तर पर ये अपनी भाषा से जुड़ते हैं या केवल यशोपार्जन और अर्थोपार्जन के स्तर पर? ये हिंदी की रक्षा करते हैं या हिंदी के द्वारा अपनी रक्षा और पालन-पोषण करते हैं, यह विचारणीय है। यही कारण है कि एक ओर ये दिनों-दिन गरिमाविहीन होते जा रहे हैं और दूसरी ओर हिंदी भाषा दिनों-दिन असहज और कुंठित होती जा रही है। दुरूह निरर्थक किताबी लेखन, छात्रोपयोगी कुंजियों, अनूदित समाचारपत्रों, कुरुचिपूर्ण फिल्मों या सरकारी घोषणाओं की निष्प्राण भाषा।

और सबसे अन्त में तथाकथित हिंदी-सेवी और उनकी अनेकानेक संस्थाएं। वास्तव में हिंदी-सेवा किस सीमा तक

संस्थाबाजी, अभिनन्दनबाजी, मंत्री चाटुकारिता, अनुदान-प्राप्ति के दुश्चक्र में फंस चुकी है, इसकी चर्चा करना और भी दुःखद है।
अंग्रेजी शासन के चरम दबाव में भी शायद चरित्र का ऐसा संकट कभी नहीं आया था जिसमें से हम आज गुजर रहे हैं।

और यही बुनियादी संकट है। भाषा की विपन्नता का मूल यही है। शासन का कितना भी विरोधी रुख होता लेकिन यदि हम अपनी भाषा से सही बिन्दु पर जुड़े रहते, हम यानी हमारे लोकनेता, हमारे हिंदी-भाषी प्रशासक, हमारे हिंदी-भाषी व्यवसायी, हमारे लेखक, हमारे अध्यापक, हमारे अखवारनवीस, हमारे फिल्म-कलाकार, हमारे हिंदी-सेवक और प्रचारक, तो हम पाते कि विरोध के समक्ष भी हमारी भाषा नई गरिमा और प्रतिष्ठा से युक्त होती है। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि भाषा की प्रतिष्ठा मूलतः इस आधार पर हो जाती है जो उसे बोलते हैं उसमें तनकर खड़े होने की रीढ़ है या नहीं, अपने जातीय स्वाभिमान की रक्षा करने की आन है या नहीं, उनमें साहस, संवेदना, मौलिक चिंतन, बौद्धिक जागरूकता है या नहीं, उनमें अपने मूल्यों और अपनी आस्थाओं के लिए बलिदान दे सकने की क्षमता है या नहीं?

बुनियादी संकट, यही चरित्र का संकट है। केवल समारोहों की धूम-धाम, मंत्रियों के आशीर्वाद, अधिकाधिक अनुदान या नए कानून पास होने या पुराने मन्सूख होने से भाषा का सवाल हल नहीं होता। इनमें एक राष्ट्र को, एक राष्ट्रभाषा में बांधने और अपनी ऐतिहासिक नियति के साक्षात्कार करने का संकल्प जागना जरूरी है। अपनी भाषा के प्रति प्रेम को अपने सम्पूर्ण चरित्रबल और मूल्य-बोध से सम्पृक्त करना जरूरी है। जिस दिन हम यह कर लेंगे, हम पाएँगे कि विश्व की महान् शक्तियों में हमारी गणना होने लगी है। वरना अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजीनियत के चिथड़े लपेटे, हाथ में भिक्षापात्र लेकर जम्बोजेट में दुनिया के चक्कर हम लगाते रहें, हमारी औकात भिखारी से ज्यादा कुछ भी बननेवाली नहीं है। विश्व-राजनीति के सन्दर्भ में यह बात विश्व-हिंदी-सम्मेलन के अवसर पर अच्छी तरह समझ लेना बेहद जरूरी है।

- साभार: हिंदी सब संसार
(गौरव प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2008)

हिंदी को सब प्रान्तों की विशेषताएँ मिलनी चाहिए

- सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला

हिंदी के कवि प्रायः युक्तप्रान्त (उत्तर प्रदेश) के कवियों की भाषा को आदर्श मानते हैं। खड़ी बोली के विषय पर, आदर्श भाषा वाला प्रश्न उठने पर, बहुत पहले, सरस्वती में, युक्तप्रान्त की ही भाषा आदर्श है, ऐसा निश्चय हुआ था। यह मत मुझे ठीक नहीं जँचता। भाषा विज्ञान अपने देश की जलवायु के अनुसार उच्चारण तथा भाव प्रकाशन में भिन्नता रखता है। पूर्वीय हिंदी, पश्चिमी हिंदी से उच्चारण तथा वाक्य-बन्ध में पृथक है। पर इस भेद का यह अर्थ कदापि नहीं कि भाषा विज्ञान के अनुसार वह सदोष भी है। भाषा सब स्थानों की, जितने भी प्रकार के भिन्न प्रकाशन लिए हुए हो, अवैज्ञानिक कदापि नहीं। युक्तप्रान्त वाले जहाँ बोलते हैं- 'आप न देंगे क्यों?' 'आप नहीं देंगे-न?' 'आप न देंगे-न?', वहाँ बिहारी कहेंगे- 'आप नहीं न देंगे?' भाषा विज्ञान दोनों प्रान्त वालों को शुद्ध कहता है। बिहारियों को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर यू.पी. वाले हँसते हैं, इसके मानी यह नहीं कि भाषा विज्ञान भी हँसता है। 'आप नहीं देंगे-न?' और 'आप नहीं न देंगे?' इनमें कोई फर्क अर्थवाला नहीं, वाक्य-विन्यास में बहुत थोड़ा है, उच्चारण के रूप में अधिक।

यू.पी. के शब्दबन्धों का बिहारी गले से शुद्ध रूप में उच्चारण नहीं हो सकता, तो यू.पी. वालों की नकल बिहारी, पंजाबी या बंगाली क्यों करें? 'आटे को मुक्की दे दे' में हिंदी का भाव-प्रकाशन नहीं रुक रहा, न यू.पी. वालों के हँसने से पंजाब में आटे को मुक्की देना बन्द हो रहा है। फिर मैं नहीं समझता, किसी पंजाबी को 'आटा गूँधने' या 'आटा माड़ने' की क्या जरूरत है? बंगाली 'आटा दलते हैं।' अगर अपने मुहावरे के अनुसार उन्होंने हिंदी में आटा दल लिया, तो मेरे विचार से हिंदी के व्याकरण की नाक बिल्कुल बरकरार रही। 'दल' धातु का संस्कृत-प्रयोग ऐसे स्थल में यू.पी. की लिखी हुई एकार्थ किसी धातु से कम समर्थ नहीं। इस प्रकार हर प्रान्त यदि हिंदी में अपनी छाप लगाए और व्याकरण-संगत हो, तो उसे अधिकार है उतना ही, जितना यू.पी. वालों को।

फिर बिहार की तो हिंदी मातृभाषा है। विलायत वालों की अंग्रेजी से अमेरिका वालों की काफी फर्क रखती है, पर इंग्लैण्ड के बड़े-बड़े आलोचक इसके लिए कुछ नहीं कहते। आयरलैण्ड और स्कॉटलैण्ड की अंग्रेजी से भी खास इंग्लैण्ड वालों की जबान और प्रयोगों में फर्क रहता है। पर क्या मजाल, कोई आलोचक इस पर चीं चपड़ करे। यह महाक्षुद्रता तो सिर्फ हिंदी के अहलेजबों, यू.पी. के लेखक और आलोचकों में मिलेगी। हिंदी में बहुत से बंगाली लेखक हैं। उनकी भाषा में, यू.पी. वाले कहते हैं, बंगाली बू आती है, पर महात्मा जी की भाषा में किसी को कहने की हिम्मत नहीं हुई कि गुजराती बू मिलती है। उल्टे महात्मा जी ने ही कुछ साल पहले लिखा था कि यू.पी. वालों को शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता, अगर कोई ऐसे हैं तो उनसे महात्मा जी का परिचय नहीं। अवश्य सज्जन यू.पी. का भाषा-विज्ञान अच्छी तरह समझे बगैर उसकी खूबियों को नहीं समझ सकता। अस्तु, हिंदी के व्यापक रूप, व्यापक विशेषत्व का समादर होना चाहिए।

मेरे एक बंगाली मित्र ने एक बार मुझसे कहा, 'हम अपने मुँह से कह रहे हैं।' वहीं मेरे एक युक्तप्रान्तीय मित्र बैठे थे, वह हँस

पड़े। बंगाली मित्र का उच्चारण तथा 'अपने मुँह से' वाला प्रयोग वहाँ वैसा ही युक्त प्रान्तीय कर्णों के लिए खटकने वाला था। यदि बंगाली सज्जन 'हम अपने मुँह से कह रहे हैं' की जगह 'हम खुद कह रहे हैं' कह देते, तो हँसने वाली कोई बात न होती। 'आमि निज मुखे बलितेछि' इस साधु बंगला का शब्द-शब्द अनुवाद उन्होंने किया था। उच्चारण और स्वर-पात बिल्कुल बंगालियों जैसा था। युक्त प्रान्तीय मित्र को इसमें यथेष्ट विजातीयता मिली। अर्थ-ध्वनि ऐसी हुई- 'आप अपने मुँह से नहीं, तो क्या कान से कह रहे हैं?' इसीलिए मित्र को हँसी आ गई थी। पर यह भाषा के प्रश्न का गहन ज्ञानोत्तर न हुआ। 'अपने मुँह से' की जगह 'खुद' या 'स्वयं' लगा देने पर कोई विशेषता नहीं बढ़ जाती। व्याकरण के अनुसार दोनों, वाक्य को जोरदार करते हैं और शुद्ध हैं। जब कहा जाता है, 'उसने अपने मुँह से दोष स्वीकार कर लिया है', तब यू.पी. की भाषा-विशेषता, उच्चारण-विधि अनुरूप रहती है, पर पूर्वोक्त प्रकार से बंगाली उच्चारण में नहीं रहती। इसे भाषा की ग्राहिका-शक्ति की कमजोरी कहना चाहिए। भाषा का प्रकाशन जब व्याकरण सम्मत सभी प्रकारों से हो, तभी भाषा को मुक्ति प्राप्त होती है, तभी भाषा परिपक्व भी कहलाती है। इस उठे हुए प्रसंग पर सूक्ष्म रूप से विस्तारपूर्वक विचार करूँ, इतना अवकाश इस समय नहीं। पर एक आत्मानुभव इस विषय पर पेश करता हूँ:

बहुत पहले की बात है। तब सरस्वती का सद्यः प्रकाशित अंक लेकर उसकी भाषा पर संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी के व्याकरण के अनुसार विचार करता, व्याकरण-सम्बन्ध जोड़ता, समझता हुआ मैं हिंदी सीख रहा था। तब मेरी दूसरी जबान बंगला थी। पर व्रज भाषा हिंदी का मुझे तब भी यथेष्ट ज्ञान था। घर में वैसवाड़ी में तो बोलता ही था। सिर्फ खड़ी बोली मेरे लिए एक अद्भुत भाषा हो रही थी। इन्हीं दिनों हिंदी और बंगला के व्याकरण पर एक लेख मैंने 'सरस्वती' को भेजा। सम्पादक आचार्य द्विवेदीजी थे। उन्हें लेख पसन्द आया। अपनी सरल संस्कृत भाषा में सुधार कर उन्होंने उस लेख को छाप दिया। तब से बराबर पत्र भी द्विवेदीजी को मैं लिखने लगा। पत्रोत्तर देने में द्विवेदीजी प्रसिद्ध हैं, उत्तर भी मुझे समय पर मिलने लगे। इस प्रकार उत्तरोत्तर द्विवेदीजी की कृपा भी मुझ पर बढ़ चली। वे मुझे भाषा-सुधार के लिए, जहाँ कहीं उन्हें त्रुटि दिख पड़ती थी, बराबर उपदेश देते थे, पर सदैव परोक्ष। मेरे गलत प्रयोग का, पत्र में भावानुसार शुद्ध प्रयोग कर देते थे, कहते न थे कि तुमने गलती की है, वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए।

एक बार, मैं बंगाल से घर आने वाला था। पत्र से मालूम हो चुका था, द्विवेदीजी की भांजी की शादी थी। मैंने लिखा, 'मैं इन्हीं आँखों से विवाह देखूँगा' ऐसा ही कुछ था। द्विवेदीजी के दर्शनों के लिए दौलतपुर गया, तो उन्होंने उस वाक्य की पुनरावृत्ति की। कहा, हमने लिखा था, 'मैं खुद चलकर विवाह देखूँगा।' मैं मन-ही-मन बहुत झेंपा। द्विवेदीजी का वाक्य बड़ा अच्छा लगा। पर अब मेरे प्रांतीयता वाले वे विचार बदल गए हैं। मैंने जो वाक्य लिखा था, वह गलत नहीं, उतना ही शुद्ध है, जितना 'खुद चलकर' के प्रयोग से होता है। बैसवाड़ी में इस इन ही आखिन से विवाह देखेब (या चाखय) बिल्कुल शुद्ध है। तुलसीकृत रामायण में है- 'निज नयनन देखा चहहिं नाथ तुम्हार विवाह।' यदि इसको 'खुद चलिकै देखा चाहहिं नाथ तुम्हार विवाह' करें, तो सारा कवित्व चौपट हो जाता है। मैंने अपनी बैसवाड़ी का अनुवाद पत्र में किया था। पर प्रकाशन-विशेष के कारण वैसे प्रयोग हल्के समझे जाते हैं। यह ठीक नहीं। इसका निराकरण ही सत्साहित्य की श्री-वृद्धि है।

इतना सब लिखने का मतलब यह है कि हिंदी को सब प्रान्तों की विशेषताएँ मिलनी चाहिए। विद्यापति और गोविन्ददास को प्यार करने वाले बिहारी साहित्यिक कभी यू.पी. के किसी कवि को उनसे अधिक प्रेम और सम्मान नहीं दे सकते। उनके शब्द-बन्ध यू.पी. के कवियों से भिन्न हैं। बिहार का भाषा-प्रवाह यू.पी. से जुदा है। बिहार के साहित्यिकों को अपनी ही विशेषता के साथ साहित्यिक आसन ग्रहण करना चाहिए। वे यहाँ के साहित्यिकों का अनुकरण न करें। बिहार में वर्तमान खड़ी बोली के नवयुवक अच्छे-अच्छे कवि हैं। उनमें काव्य जितनी मात्रा में हैं, सुविधा, संगति,

अध्ययन, विचार उतनी मात्रा में नहीं। यह उनकी कृतियों से जाहिर होता है।

जो लोग यह समझते हैं कि कवि पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, जैसी कि अंग्रेजी उक्ति प्रचलित है, वे इसका वैज्ञानिक तात्पर्य नहीं जानते। कवि भी बनाया जाता है। काव्य-पाठ, सूक्ष्म-अध्ययन, भाषा-ज्ञान इसके कारण हैं। काव्य के अध्ययन से कवि-संस्कार पैदा होते हैं- यहीं कवि बनाया जाता है। संसार के 99 फीसदी कवि भाषा के मर्मज्ञ थे। भाषा में एक प्रवाह फेरने की शक्ति इसीलिए कवि में होती है। हिंदी में कबीर के लिए कहा जाता है कि वे लिखना न जानते थे। पर इसके मानी ये न हुए कि बोलचाल की भी भाषा उन्हें न आती थी। वे अपनी मातृभाषा जानते थे। उसी में उन्होंने कविता की। सत्य-दर्शन से हृदय की ग्रन्थि खुल ही गई थी। वे कविता कर चले। पर वे भी साहित्य-संस्कारों से बाहर चलकर कुछ नहीं कह सके किसी ऐसे शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, जिसका अर्थ पहले से न जानते रहे हों, न किसी ऐसे साहित्यिक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ उन्हें समझना था। छंदों में भी यही बात है। जनता के हृदय की गति से ताल देते हुए जो छंद उनके प्राणों से मिले हुए थे, उन्हीं में कबीर ने कविता की। भाव भी साधु संस्कार जन्य प्राचीन हैं। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि कवि बनाया जाता है। यही कवि का पैदा होना भी है। अर्थात कवि पैदा होता है और कवि बनाया जाता है, ये दोनों वाक्य दार्शनिक दृष्टि से एक हैं। 'कवि बनाया नहीं जाता', इस उक्ति से कवि की केवल महत्ता प्रकट की गई है।

हमारे कहने का मतलब यह है कि कवि पैदा होता है, ऐसा विचार कर साहित्य और काव्य-पाठ से विरत न होना चाहिए। इस समय पहले से कहीं अधिक साहित्यिक प्रतियोगिता संसार में है। साहित्य के अध्ययन से, शब्दों को प्यार करने से, उनकी ललित कला का मर्म आत्मा सुझा देगी।

शब्द-साहित्य का ज्ञान आत्मा में मधुर-मधुर प्रतिध्वनित होकर बाहर निकलने पर काव्य कहलाता है। आज शब्द-साहित्य का बाह्य संसार में बड़ा विस्तार है। इसलिए उसे, संसार में हुई उसकी भिन्न-भिन्न गतियों के साथ, ज्ञान के साथ, आत्मसात करके बाहर निकालने में बड़े श्रम और अध्ययन की कवि को आवश्यकता पड़ती है। हमारे कवि साहित्य में तभी जीवित रह सकेंगे, जब इधर सपरिश्रम कार्य करेंगे। रस, अलंकार, ध्वनि आदि काव्य-साहित्य के पूर्व लक्षण चिरन्तन हैं, इसमें संदेह नहीं। पर थिएटर के गानों की तरह आज अनेक मौलिक काव्य-रागिनियाँ एक साथ मिल-मिलकर एक विशिष्ट स्वर से संसार को चकित कर रही हैं, इधर भी ध्यान होना चाहिए। आजकल बल्कि इसी नवीनता की विजय है। प्राण इसी में है।

संविधान सभा और राजभाषा

- शंकर दयाल सिंह
पूर्व उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति

कुछ लोगों को भ्रम है कि एक वोट के बहुमत से हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है। जब संविधान सभा बनी तब अंग्रेजी ही एकमात्र भाषा थी जिसमें संविधान का प्रारूप तैयार किया जा सकता था क्योंकि प्रारूपण समिति में जितने भी सदस्य थे वे यदि किसी एक भाषा में पारंगत थे तो अंग्रेजी में। 14 सितंबर, 1946 को संविधान सभा की नियम समिति ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय किया कि संविधान सभा का कामकाज हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए और अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य सदन में अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकेगा। संघ संविधान समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि संघ की संसद की भाषा हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी होगी और सदस्यों को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने की छूट होगी। प्रांतीय संविधान समिति ने यह सिफारिश की कि प्रांतीय विधान मंडलों में कामकाज प्रान्त की भाषा या भाषाओं में किया जायेगा अथवा हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी में।

14 जुलाई, 1947 को जब संविधान सभा का सत्र प्रारंभ हुआ तब सत्र के दूसरे ही दिन यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि हिन्दुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द रखा जाए। 16 जुलाई को ही संविधान सभा और कांग्रेस पार्टी में इस विषय पर विचार-विमर्श शुरू हुआ। विचार-विमर्श के दौरान नेता एक ओर थे और साधारण सदस्य दूसरी ओर। इस मतदान में हिंदी के पक्ष में 63 वोट थे और हिन्दुस्तानी के पक्ष में 32. इसी प्रकार एक दूसरे संविधान में देवनागरी के पक्ष में 63 वोट थे और विपक्ष में 18. दूसरे दिन संविधान सभा की बैठक में सरदार पटेल ने यह अनुरोध किया कि प्रांतीय विधानमंडलों की भाषा के प्रश्न को अभी न लिया जाए। 5 अगस्त, 1949 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने विभागीय क्षेत्रों के बारे में एक संकल्प तैयार किया।

5 अगस्त के संकल्प की प्रतिक्रिया तुरन्त हुई। 6 और 7 अगस्त को संविधान सभा की बैठक नहीं हुई। किंतु कांग्रेस दल के कार्यालय में भाषा नीति के बारे में हजारों पत्र आए। इसी बीच गोविंद दास की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मलेन ने नई दिल्ली में एक राजभाषा सम्मेलन किया जिसमें हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार भी एकत्र हुए। इस सम्मेलन में हिंदी भाषा और नागरी लिपि को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

8 अगस्त को जब संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ तो उस दिन के परिपत्र में संविधान के प्रारूप संबंधी उपबन्धों पर अनेक संशोधन थे। एक संशोधन पर 82 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इनमें से पहला नाम आचार्य जुगल किशोर का था, जो 1948 में कांग्रेस के महामंत्री थे। अनेक हस्ताक्षरकर्ता दक्षिण भारत के थे। 9 अगस्त, 1948 को कुछ सदस्यों ने इन संशोधनों का विरोध किया और अपराह्न में सभा में कांग्रेस पार्टी की बैठक में इसका विरोध किया। विरोध इस बात पर था कि अंग्रेजी राजभाषा के रूप में 15 वर्ष तक चले। जहां तक हिंदी के संघ को राजभाषा के रूप में स्वीकार

किए जाने की बात है मीटिंग में इस बारे में कोई मतभेद नहीं था। सदस्यों में अगर मतभेद था तो वह इस बात पर कि हिंदी का स्वरूप क्या हो, अर्थात उसमे शब्द अरबी, फारसी के लिए जाएं या संस्कृत' से। समस्या का हल निकालने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य थे- श्री गोपाल स्वामी आयंगर, श्री टी.टी. कृष्णामाचारी, श्री ए०के आयंगर, श्री के. एम. मुंशी, श्री भीम राव अम्बेडकर, श्री सआदुल्ला, श्री एल. एम. राव., मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन, श्री पं. बालकृष्ण शर्मा नवीन, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्री के सन्थानम्।

हिंदी को राजभाषा के रूप में शीघ्र प्रतिष्ठित करने के लिए 82 सदस्यों के हस्ताक्षर थे जो संशोधन पेश किया गया था उसके जवाब में 15 वर्ष तक अंग्रेजी को चालू रखने के लिए 44 सदस्यों के हस्ताक्षर से एक अन्य संशोधन पेश किया गया जिसमें सबसे पहला नाम श्री के सन्थानम का था और अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं में मुख्य थे - श्री कृष्णामाचारी, श्रीमती दुर्गा बाई, श्री ए.के. अय्यर और श्री अनन्तशयनम् अयंगर।

जहां तक हिंदी के स्वीकार किए जाने की बात है दोनों ही पक्षों में इसके बारे में कोई असहमति नहीं थी। मत भिन्नता केवल इस बात पर थी कि अंग्रेजी कब तक चलती रहे। इसी संशोधन में 10 अगस्त को यह प्रस्ताव रखा गया कि संघ और राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए अंकों का प्रयोग किया जाए। 10 से 17 अगस्त तक भाषा के बारे में सभाई पार्टी में गरमागरम बहस चलती रही। 16 अगस्त को विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में अरबी अंकों के स्थान पर "अन्तर्राष्ट्रीय अंक" शब्द का प्रयोग किया गया। 22 अगस्त को डॉ. अम्बेडकर ने समझौते के रूप में एक प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद दस दिनों तक अंकों और 15 वर्ष की अन्तरिम अवधि के बारे में संविधान सभाई पार्टी में बहस चली। इस बहस के दौरान जो विचार सामने आए उन्हें ध्यान में रखते हुए संविधान के उपबन्धों को जो रूप दिया गया उसे मुंशी अयंगर सूत्र कहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'थाट्स ऑन सिग्यिास्टिक स्टेटस्' में यह लिखा है कि जिस अनुच्छेद पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ वह हिंदी के पत्र पर था। सबसे अधिक विरोध इसी पर हुआ तथा सबसे अधिक गरमागरमी भी इस पर हुई। लेकिन विवाद के बाद इस प्रश्न पर मतदान हुआ तो पक्ष और विपक्ष में 78-78 वोट थे। पुनर्विचार के बाद जब पुनः मतदान हुआ तो हिंदी के पक्ष में 78 और विपक्ष में 77 मत थे। सेठ गोविन्ददास ने अपनी आत्मकथा में इसी प्रकार की बात लिखते हुए यह भी उल्लेख किया है कि पटियाला के काका भगवन्त राय हिंदी के पक्ष में अपना मत देकर और यह जानकर कि मतदान उनके पक्ष में हुआ है बाहर चले गए। दोनों लेखकों ने जिस घटना का उल्लेख किया है वह 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी मीटिंग की घटना है, संविधान सभा की नहीं।

2 सितंबर की शाम को मुंशी आयंगर सूत्र पर विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ। अध्यक्षता डॉ. पट्टाभि सीतारमैया कर रहे थे। यहां जो भी मुख्य बहस थी वह तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर थी और कोई भी निर्णय नहीं हो सका। परिणामस्वरूप संसदीय कांग्रेस पार्टी में सहमति के अभाव में भाषा विवाद संविधान में उसी रूप में प्रस्तुत किया गया और कोई व्हिप जारी नहीं किया गया।

2 सितंबर की बैठक के बाद भी हिंदी के मामले में समझौता ढूंढने का प्रयास जारी रहा। संविधान सभा में भाषा संबंधी उपबन्धों पर 12 सितंबर को विचार प्रारंभ होना था। 10 सितंबर के संविधान सभा के परिपत्र में भाषा संबंधी जो संशोधन थे, वे 45 पृष्ठों में छपे थे। यह उल्लेखनीय है कि डा० अम्बेडकर और श्री कृष्णामाचारी सहित 28 सदस्यों ने एक संविधान पेश करके यह मांग की कि संस्कृत को राजभाषा बनाया जाए।

12 सितंबर को बहस प्रारंभ होते ही डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सदस्यों से यह अनुरोध किया कि वे संपर्क भाषा का प्रयोग करें और ऐसा कुछ न करें जिससे दूसरों की भावना को ठेस पहुंचे। इसके बाद श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने मुंशी-आयंगर सूत्र पर आधारित उपबन्ध पुनः स्थापित किए। सेठ गोविंद दास ने इसका विरोध किया। उसी दिन शाम को राजर्षि टंडन, पंडित रविशंकर शुक्र, सेठ गोविंददास आदि ने कुछ और संशोधन तैयार किए। 13 तारीख की बहस में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। तीसरे दिन की बहस में डॉ. रघुवीर, राजर्षि टंडन, मौलाना आजाद और शंकरराव देव आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

14 सितंबर को 1 बजे बैठक स्थगित हुई। इसी दिन अपराहन में इस विषय पर अन्तिम फैसला होना था। किंतु विचार-विमर्श से समझौते की कोई शक्ल उभरती नजर नहीं आ रही थी। 3 बजे संविधान सभाई पार्टी से समझौते के प्रयास में बैठक आरंभ की। इसकी अध्यक्षता पट्टाभि सीतारमैया ने की। विधान सभा का सत्र 5 बजे प्रारंभ होना था और तभी सदनों में कुछ सहमति हुई। वे संविधान सभा में प्रविष्ट हुए और उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि मुंशी को हल करने के लिए एक घंटे का समय और दें। 6 बजे तक सभी पहलुओं पर विचार कर मुंशी-अयंगर सूत्र में सुधार कर दिया गया और सभी सदस्यों ने मुक्ति की सांस ली।

संविधान सभा की कार्रवाई के अनुसार तीन दिनों तक चलने वाली इस राजभाषा-समस्या पर 71 माननीय सदस्यों ने भाग लियाः

12-9-49 से 15-9-49
राजभाषा संविधान के मसौदे पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम:

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (सभापति)
2. श्री महावीर त्यागी
3. श्री मौलाना हसरत मोहानी
4. सेठ गोविन्द दास (सी.पी. और बरार, सामान्य)
5. श्री पं. बालकृष्ण शर्मा
6. पं. रविशंकर शुक्ला (सी.पी. और बरार, सामान्य)
7. श्री जसपत राय कपूर (संयुक्त प्रांत, सामान्य)
8. श्री पी. एस. देशमुख
9. मौलाना नज़ीरूद्दीन अहमद
10. श्री जवाहर लाल नेहरू
11. श्री देशबंधु गुप्ता
12. श्री बी. दास (उड़ीसा, सामान्य)
13. श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव
14. श्री घनश्याम सिंह गुप्त (सी.पी. और बरार, सामान्य)
15. डॉ. बी.आर. अंबेडकर
16. श्री एच.वी. कामत
17. श्री एम. गोपालस्वामी आयंगर (मद्रास सामान्य)
18. श्री लक्ष्मीकांत गायत्रा (प० बंगाल, सामान्य)
19. श्री एस. नागप्पा

20. पं. गोविन्द मालवीय (संयुक्त प्राप्त, सामान्य)
21. काज़ी सैयद करीमुद्दीन (सी.पी. और बरार, मुस्लिम)
22. श्री काला वेंगट राव
23. श्री सारंगधर दास (ओड़िसा)
24. श्री के. संथानम् (मद्रास सामान्य)
25. श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव
26. मो. हिफ्ज़ुद रहमान (संयुक्त प्रांत, मुस्लिम)
27. श्री आर.वी. कुलेकर (संयुक्त प्रति, सामान्य)
28. प्रो. सिब्बनलाल सक्सेना (संयुक्त प्रांत, सामान्य)
29. श्री एच.आर. गुरुव रेड्डी (मैसूर प्रांत)
30. श्री बी.एन. मुन्नवली (बंबई राज्य)
31. श्री फ्रैंक एंथनी
32. पं. हृदयनाथ कुंजरू
33. श्री ए. कृष्णस्वामी अय्यर (मद्रास, सामान्य)
34. श्री राम सहाय (मध्य भारत)
35. श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लै (मद्रास सामान्य)
36. श्री लक्ष्मीनारायण साहू (ओड़िया, सामान्य)
37. श्री एन.वी. गाडगिल (बंबई, सामान्य)
38. श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार (मद्रास, सामान्य)
39. प्रो. एन.जी. रंगा (मद्रास, सामान्य)
40. श्री सतीश चंद्र सामंत (प. बंगाल, सामान्य)
41. श्री अलगूराय शास्त्री (संयुक्त प्रांत, सामान्य)
42. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी (प. बंगाल, सामान्य)
43. श्री पी.टी. चाको (त्रावनकोर और कोच्चिन, संयुक्त सचिव)
44. श्री एच.जे. खांडेकर (सी.पी. और बरार, सामान्य)
45. डॉ. वी. सुब्बारायन (मद्रास, सामान्य)
46. श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास, सामान्य)
47. श्री कुलाधार चालिहा (असम, सामान्य)
48. श्री रे. जेरोम डि ज़ा (मद्रास, सामान्य)
49. श्री वी.एम. गुप्ते (बंबई, सामान्य)
50. श्री बी.पी. झुनझुनवाला (बिहार, सामान्य)
51. श्री एल. कृप्पणस्वामी भारती (मद्रास, सामान्य)
52. सरदार हुकम सिंह (पू. पंजाब, सिक्ख)
53. श्री जयनारायण व्यास (राजस्थान)
54. श्रीमती जी. दुर्गाबाई (मद्रास सामान्य)
55. श्री शंकरराव देव (बंबई सामान्य)
56. श्री जयपाल सिंह (बिहार, सामान्य)
57. श्री पुरुषोत्तमदास टंडन (सं. प्रांत, सामान्य)
58. श्री आर.आर. दिवाकर
59. मौलाना अबुल कलाम आजाद (संयुक्त प्रांत, मुस्लिम)
60. डॉ. रघुवीर (सी.पी. और बरार, सामान्य)

61. श्री के.एम. मुंशी (बंबई, सामान्य)
62. श्री नजीरुद्दीन अहमद (प. बंगाल, मुस्लिम)
63. श्री सी. सुब्रह्मण्यम (मद्रास, सामान्य)
64. मो. इस्माइल (मद्रास, मुस्लिम)
65. श्री जगतनारायण लाल (बिहार, सामान्य)
66. श्री रामनाथ गोयनका (मद्रास, सामान्य)
67. श्री सत्यनारायण सिन्हा (बिहार, सामान्य)
68. श्री जेड.एच. लारी (संयुक्त प्रांत, मुस्लिम)
69. श्री महबूब अली बेग साहिब बहादुर (मद्रास, सामान्य)
70. मोहम्मद ताहिर (बिहार, मुस्लिम)
71. श्री बोनीफेस लकड़ा (बिहार, सामान्य)

संविधान सभा और हिंदी की चर्चा की समाप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के विचारों से अवगत न हों। ऊपर दो बातें आई हैं इससे यह स्पष्ट है कि भाषा का प्रश्न सदा ही आवश्यक प्रश्न था जिस पर संविधान सभा ने 12, 13 और 14 सितम्बर, 1949 को गंभीरता से बहस की। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अन्त में जो भाषण दिया उसे यथावत् मैं भारतीय संविधान सभा के वाद-विवाद की सरकारी रिपोर्ट के हिंदी संस्करण से उद्धृत कर रहा हूं:

"अब आज की कार्रवाई समाप्त होती है, किंतु सदन को स्थगित करने से पूर्व मैं बधाई के रूप में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरे विचार में हमने अपने संविधान में एक अध्याय स्वीकार किया है जिसका देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे इतिहास में अब तक कभी भी एक भाषा को शासन और प्रशासन की भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। हमारा धार्मिक साहित्य और प्रकाशन संस्कृत में सन्निहित था। निस्संदेह उसका समस्त देश में अध्यापन किया जाता था, किंतु यह भाषा भी कभी समूचे देश के प्रशासनीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती थी। आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जबकि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी और उस भाषा का विकास समय की परिस्थितियों के अनुसार ही करना होगा।

मैं हिंदी का या किसी अन्य भाषा का विद्वान होने का दावा नहीं करता। मेरा यह भी दावा नहीं है कि किसी भाषा में मेरा कुछ अंशदान है, किंतु सामान्य व्यक्ति में हमारी उस भाषा का क्या रूप होगा जिसे हमने आज संघ के प्रशासन की भाषा स्वीकार की है। हिंदी में विगत में कई कई बार परिवर्तन हुये है और आज उसकी कई शैलियां हैं, पहले हमारा बहुत सा साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया था। अब हिंदी में खड़ी बोली का प्रचलन है। मेरे विचार में देश की अन्य भाषाओं के सम्पर्क से उसका और भी विकास होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी देश की अन्य भाषाओं से अच्छी-अच्छी बातें ग्रहण करेगी तो उससे उन्नति ही होगी, अवनति नहीं होगी।

हमने अब देश का राजनैतिक एकीकरण कर लिया है। अब हम एक दूसरा जोड़ लगा रहे हैं जिससे हम सब एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक हो जायेंगे। मुझे आशा है कि सब सदस्य संतोष की भावना लेकर घर जायेंगे और जो मतदान में हार भी गये हैं ये भी इस पर बुरा नहीं मानेंगे तथा उस कार्य में सहायता देंगे जो संविधान के कारण संघ को भाषा के विषय में अब करना पड़ेगा।

मैं दक्षिण भारत के विषय में एक शब्द कहना चाहता हूँ। 1917 में जब महात्मा गांधी चम्पारन में थे और मुझे उनके साथ

कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तब उन्होंने दक्षिण में हिंदी प्रचार का कार्य आरम्भ करने का विचार किया और उनके कहने पर स्वामी सत्यदेव और गांधी जी के प्रिय पुत्र देवदास गांधी ने वहां जाकर यह कार्य आरम्भ किया। बाद में 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में इस प्रचार कार्य को सम्मलेन का मुख्य कार्य स्वीकार किया गया और वहां कार्य चलता रहा। मेरा सौभाग्य है कि मैं गत 32 वर्षों में इस कार्य से सम्बद्ध रहा हूं। यद्यपि मैं यह घनिष्ट संबंध का दावा नहीं कर सकता। मैं दक्षिण में एक सिरे से दूसरे सिरे को गया और मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई कि दक्षिण के लोगों ने भाषा के संबंध में महात्मा गांधी के अनुरोध के अनुसार कैसा अच्छा कार्य किया है। मैं जानता हूं कि उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा किंतु उन्हें इस मामले में जो जोश था वह बहुत सराहनीय था। मैंने कई बार पारितोषिक वितरण भी किया है और सदस्यों का यह सुन कर मनोरंजन होगा कि मैंने एक ही समय पर दो पीढ़ियों को पारितोषिक दिये हैं शायद तीन को ही दिये हों अर्थात दादा, पिता और पुत्र हिंदी पढ़कर, परीक्षा पास करके एक ही वर्ष पारितोषिकों तथा प्रमाणपत्रों के लिये आये थे। यह कार्य चलता रहा है और दक्षिण के लोगों ने इसे अपनाया है। आज मैं कह नहीं सकता कि ये इस हिंदी कार्य के लिए कितने लाख व्यय कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि इस भाषा को दक्षिण के बहुत से लोगों ने अखिल भारतीय भाषा मान लिया है और इसमें उन्होंने जिस जोश का प्रदर्शन किया है उसके लिए उत्तर भारतीयों को उन्हें बधाई देनी चाहिए, मान्यता देनी चाहिये और धन्यवाद देना चाहिए।

यदि आज उन्होंने किसी विशेष बात पर हठ किया है तो हमें याद रखना चाहिए कि आखिर यदि हिंदी को उन्हें स्वीकार करना है तो वे ही करेंगे, उनकी ओर से हम तो नहीं करेंगे, और आखिर यह क्या बात है जिस पर इतना वाद-विवाद हो गया है? मैं आश्चर्य कर रहा था कि हमें छोटे से मामले पर इतनी बहस करने की, इतना समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है ? आखिर अंक हैं क्या? दस ही तो हैं। इन दस में, मुझे याद पड़ता है कि तीन तो ऐसे हैं जो अंग्रेजी में और हिंदी में एक से है। 2, 3 और मेरे ख्याल में चार और है जो रूप में एक से हैं किंतु उनसे अलग-अलग कार्य निकलते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी का 4 अंग्रेजी के 8 (8) से बहुत मिलता जुलता है, यद्यपि एक 4 के लिए आता है और दूसरा 8 के लिए। अंग्रेजी का 6 हिंदी के 7 से बहुत मिलता है, यद्यपि उन दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। हिंदी का 9 जिस रूप में अब लिखा जाता है, मराठी से लिया गया है और अंग्रेजी के 9 से बहुत मिलता है। अब केवल दो-तीन अंक बच गये जिनके दोनों प्रकार के अंकों में भिन्न-भिन्न रूप है और भिन्न-भिन्न अर्थ है। अतः यह मुद्रणालय को सुविधा या असुविधा का प्रश्न नहीं है जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है। मेरे विचार में मुद्रणालय की दृष्टि से हिंदी और अंग्रेजी अंकों में कोई अंतर नहीं है।

किंतु हमें अपने मित्रों की भावनाओं का आदर करना है जो उसे चाहते है, और मैं अपने सब हिंदी मित्रों से कहूंगा कि वे इसे उस भावना से स्वीकार करें, इसलिए स्वीकार करें कि हम उनसे हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि स्वीकार करवाना चाहते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन ने अत्यधिक बहुमत से इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आखिर यह बहुत बड़ी रियायत नहीं है। हम उनसे हिंदी स्वीकार करवाना चाहते थे और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, और हम उनसे देवनागरी लिपि को स्वीकार करवाना चाहते थे, वह भी उन्होंने स्वीकार कर ली। वे हमसे भिन्न प्रकार के अंक स्वीकार करवाना चाहते थे, उन्हें स्वीकार करने में कठिनाई क्यों होनी चाहिए? इस पर मैं छोटा सा दृष्टान्त देता हूं जो मनोरंजक होगा। हम चाहते हैं कि कुछ मित्र हमे निमंत्रण दें। वे निमंत्रण दे देते हैं। वे कहते हैं, आप आकर हमारे घर में ठहर सकते हैं उसके लिए आपका स्वागत है। किंतु जब आप हमारे घर आये तो कृपया अंग्रेजी चलन के जूते पहनिए, भारतीय चप्पल मत पहनिए जैसा कि आप अपने घर में पहनते हैं। "उस निमंत्रण को केवल इसी आधार पर ठुकराना मेरे लिए बुद्धिमता नहीं होगी कि मैं चप्पल को नहीं छोड़ना चाहता। मैं अंग्रेजी जूते पहन लूंगा और निमंत्रण को स्वीकार कर लूंगा और इसी सहिष्णुता की भावना से राष्ट्रीय समस्याएं हल हो सकती हैं।

हमारे संविधान में बहुत से विवाद उठ खड़े हुए है और बहुत से प्रश्न उठे हैं जिन पर गंभीर मतभेद थे किंतु हमने किसी न किसी प्रकार उनका निपटारा कर लिया। यह सब से बड़ी खाई थी जिससे हम एक दूसरे से अलग हो सकते थे। हमें यह कल्पना करनी चाहिये कि यदि दक्षिण हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को स्वीकार नहीं करता तब क्या होता। स्विटजरलैण्ड जैसे छोटे से, नन्हे से देश में तीन भाषाएं हैं जो संविधान में मान्य हैं और सब कुछ काम उन तीनों भाषाओं में होता है। क्या हम समझते हैं कि हम केंद्रीय प्रशासनीय प्रयोजनों के लिए उन भाषाओं को रखने की सोचते जो भारत में प्रचलित हैं तो क्या हम सब प्राणों को साथ रख सकते थे, सब में एकता करा सकते थे? प्रत्येक पृष्ठ को शायद पन्द्रह बीस भाषाओं में मुद्रित करना पड़ता।

यह केवल व्यय का प्रश्न नहीं है। यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है जिसका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केंद्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक दूसरे के निकटतर आते जायेंगे। आखिर अंग्रेजी से हम निकटतर आये हैं क्योंकि यह एक भाषा थी। अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है, इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परम्पराएँ एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं। अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि इस देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रांत पृथक हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासंभव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी सन्तति इसके लिए हमारी सराहना करेगें।

(राजभाषा भारती के अंक 69 में प्रकाशित लेख का संपादित अंश)

हिंदी की बढ़ती ताकत

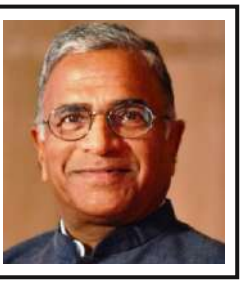

- हरिवंश
उपसभापति, राज्य सभा

देश, आजादी के अमृतकाल में है। पंच प्रण के आह्वान को व्यावहारिक रूप से धरातल पर उतारने के संकल्पों के साथ काम हो रहे हैं। लक्ष्य और संकल्प है, 2047 तक भारत को दुनिया का सिरमौर देश बनाना। 'अमृत काल' में पंच प्रण के बिंदु हैं, विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन। सभी बिंदु उतने ही महत्वपूर्ण। देश के कोने-कोने में नागरिक इन संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध हो रहे हैं। इन्हें साकार करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

इस 'पंच प्राण' का दूसरा संकल्प है, 'गुलामी की हर सोच से मुक्ति'। आजादी बाद, यह पहली केंद्र सरकार है, जो पिछले दस सालों से इस दिशा में सुनियोजित ढंग से काम कर रही है। गुलामी के अनेक स्थापित प्रतीकों से मुक्ति दिलाने की कोशिश की है। इसमें एक अहम क्षेत्र है, भाषा। इस 'पंच प्राण' के संकल्प को पूरा करने के लिए, गुलामी से मुक्ति के लिए हम सबको अपनी भाषा की ओर लौटने की जरूरत है। उसे महत्व देने और दुनिया के लिए उसे महत्वपूर्ण बनाने की जरूरत। न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में स्वभाषा से ही जन-जीवन आत्मनिर्भर हो सकेगा।

वर्तमान केंद्र सरकार ने भारतेंदु के उद्घोष, 'निज भाषा उन्नति अहै...' को मूल मंत्र माना है। सभी देशी भाषाओं को आगे बढ़ाकर, भारत के समग्र विकास की गांधी की परिकल्पना को आधार मानकर, नयी शिक्षा नीति में देश की मातृभाषाओं, लोकभाषाओं को समान अवसर दिया है। आरंभिक स्कूली पठन-पाठन से लेकर उच्च शिक्षा तक में, लोकभाषाओं का महत्व बढ़ा है। अभी यह शुरुआत है। आने वाले वर्षों में नयी शिक्षा नीति के माध्यम से हुआ यह प्रयोग, भारत को ज्ञान की दुनिया में नये सिरे से स्थापित करेगा।

भाषा का महत्व क्या है, इस पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से, मानव विज्ञान की दृष्टि से अनेक बातें कही गयी हैं। पर, यहां एक अलग संदर्भ पर गौर करते हैं। देश के मशहूर पत्रकार, यशस्वी संपादक, स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा, 'मुझे देश की आजादी और भाषा की आजादी में से किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं नि:संकोच भाषा की आजादी चुनूंगा। देश की आजादी के बावजूद भाषा की गुलामी रह सकती है, लेकिन अगर भाषा आजाद हुई, तो देश गुलाम नहीं रह सकता।'

इससे स्पष्ट है कि भाषा का रिश्ता महज संवाद तक सीमित नहीं है। ज्ञान तक नहीं बंधा है। यह पूरी तरह से इंसान—समाज की अस्मिता, व्यक्तित्व के विकास और स्वाभिमान से जुड़ा है। इसी कड़ी में दुनिया के मशहूर लेखक,

विचारक केन्याई मूल के न्गूगी वा थ्योंगो का स्मरण प्रासंगिक होगा। थ्योंगो हम सब के समय के बेहद महत्वपूर्ण विचारक हैं। स्वभाषा के हिमायती। वह कहते हैं, 'जब मैं उनकी भाषा यानी विदेशी भाषा में लिखता था, तो उन सबका प्रिय लेखक था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मातृभाषा में लिखा, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। तब मेरी समझ में आया कि आजादी तक सिर्फ अपनी भाषा के जरिए ही पहुंचा जा सकता है।'

इन उद्धरणों से स्पष्ट है, अपनी भाषा का ओज अलग होता है। प्रेरणा अलग होती है। भारत में हिंदी वही अपनी भाषा है, जिसने मुल्क को आजादी दिलाने से लेकर यहां के मानवीय विकास में अहम भूमिका निभायी है। यह हजारों वर्ष का स्थापित सच है कि बदलाव या परिवर्तन के बड़े काम भावना छूकर ही संभव हैं। भाषा, भावना को उद्वेलित करती है। भाषा की इस भूमिका को, देश के पुरखे नायकों, मनीषियों ने उस दौर में ही समझा। गौर करें, तो पायेंगे कि अपनी-अपनी मातृभाषाओं के साधक, सेवक महानायकों ने राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीयता के विकास के लिए हिंदी को चुना और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभायी।

अनेक गैर हिंदीभाषी यशस्वी नायकों ने न सिर्फ हिंदी का प्रचार-प्रसार किया, बल्कि इस भाषा को स्वराज्य पाने की भाषा के रूप में विकसित किया। देशवासियों को प्रेरित कर हिंदी को संपर्क भाषा, संवाद भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए इन नायकों ने अभियान-आंदोलन चलाया। इसके लिए आह्वान व उद्घोष किया और नारे दिये। रचनात्मक प्रयास किये। क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, क्या बंगाल, क्या तमिलनाडु, क्या केरल, क्या ओडिशा..। ऐसे हर गैर हिंदी भाषी इलाके के नायकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही।

केशवचंद्र सेन आजादी की लड़ाई के दिनों के मशहूर व्यक्तित्व हुए जो बंगाल के थे। मूलतः बांगलाभाषी। उनका अखबार था-'सुलभ समाचार'। बांग्ला भाषा में। 1873 में उन्होंने अपने अखबार 'सुलभ समाचार' में जो लिखा उसका सार-संक्षेप कुछ इस तरह का बनता है। यदि भाषा एक ना हो और वह एकता में बाधक बने, तो क्या उपाय है? उपाय है कि देश में एक भाषा का प्रयोग हो। इस समय जितनी भाषाएं प्रचलित हैं, उनमें हिंदी सर्वप्रचलित भाषा है। हिंदी को बढ़ाया जाए, तो एकता बन सकती है। केशवचंद्र सेन के लिखे को उस समय के संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों के भावात्मक-वैचारिक एकीकरण के संदर्भ में उन्होंने यह आह्वान किया था। इसका व्यापक प्रभाव हुआ। बंकिमचंद्र चटर्जी ने भी इसका समर्थन किया। फिर उस समय इसके पक्ष में सबसे बड़ा अभियान चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी,मूलतः गुजरात के थे, गुजराती भाषी थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को अपनाना शुरू किया। हिंदी का प्रचार शुरू किया। हिंदी में भाषण देना शुरू किया। हिंदी में लिखना शुरू किया। आर्यसमाज के जो दस नियम बने, उनमें पांचवां नियम यह बना कि सभी आर्यसमाजी को हिंदी पढ़ना, जानना जरूरी होगा। इसका व्यापक असर पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धारा मोड़ दी, धारा बदल दी। स्वामी दयानंद जिस गुजरात से थे, वहां से अनेक गुजराती महापुरूषों ने हिंदी को आगे बढ़ाने में अविस्मरणीय योगदान दिया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल समेत अनेक महान नाम, हिंदी को बढ़ाने के अभियान से जुड़े और आजीवन बढ़ाते रहे।

फिर यह सिलसिला पूरे देश में फैला। बांग्ला समुदाय से राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रवींद्र नाथ टैगोर, मराठी समुदाय से विनायक दामोदर सावरकर, माधव राव सप्रे, संत तुकड़ो जी महाराज, काका साहेब कालेलकर, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, विष्णु राव पराड़कर, तमिल समुदाय से राजगोपालाचारी, के कामराज, पंजाबी समुदाय से स्वामी रामतीर्थ, तेलुगु समुदाय से जेबी कृपलानी, पट्टाभि सीतारमय्या, असमिया समुदाय से अंबिका गिरी राय चौधुरी, मलयालम समुदाय से जस्टिस कृष्ण अय्यर, उड़िया

समुदाय से डॉ. हरेकृष्ण मेहताब जैसे अनेक महापुरूष सामने आये।
हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर आजादी की लड़ाई के दौरान जो कहा गया, यह पढ़कर उनकी दूरदृष्टि और संकल्प को समझा जा सकता है।

1. भारतीय भाषाएं नदियां है और हिंदी महानदी—**गुरुदेव टैगोर**

2. हिंदी द्वारा समस्त भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है—**स्वामी दयानंद सरस्वती**

3. हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है—**मौलाना हसरत मोहानी**

4. राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है—**महात्मा गांधी**

5. समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो, तो वह देवनागरी ही हो सकती है—**जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर**

6. पप्रांतीय ईर्ष्या को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती—**नेताजी सुभाषचंद्र बोस**

7. हिंदी अब सारे देश की राष्ट्रभाषा हो गयी है। उस भाषा का अध्ययन करने और उसकी उन्नति करने में गर्व का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रभाषा किसी व्यक्ति या प्रांत की सम्पत्ति नहीं है, इस पर सारे देश का अधिकार है—**सरदार वल्लभभाई पटेल**

8. मेरा आग्रहपूर्वक कथन है कि हम अपनी सारी मानसिक शक्ति हिंदी भाषा के अध्ययन में लगाएं—**आचार्य विनोबा भावे**

9. मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता—**बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय**

10. यह भारत की जनता के बहुत बड़े वर्ग की और, यदि हम छोटे-मोटे बोलीगत रूप भेदों को छोड़ दें तो, बहुमत की भाषा है। वास्तव में यह उसी प्रकार भारत की राष्ट्रीय भाषा होने का दावा कर सकती है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है—**चक्रवर्ती राजगोपालाचारी**

11. भारत के सभी भागों में सारी शिक्षा का एक उद्देश्य हिंदी का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। हिंदी का भारत की राष्ट्रभाषा होना निश्चित है। संचार व्यवस्था और वाणिज्य की प्रगति निश्चय ही यह कार्य संपन्न करेगी—**चक्रवर्ती राजगोपालाचारी**

12. हिंदी ही एक भाषा है, जो भारत में सर्वत्र बोली और समझी जाती है—**डॉ. ग्रियर्सन**

13. हिंदी भारतवर्ष की सामान्य भाषा होनी चाहिए—**नरसिंह चिंतामणी केलकर**

14. भिन्न प्रदेशों की एक सामान्य भाषा बनने का सम्मान हिंदी को ही मिलना चाहिए—**डॉ.रामकृष्ण भंडारकर**
15. मुझे पूर्ण विश्वास है कि चाहे इस समय, इस संबंध में कैसा ही वाद—विवाद या विरोध क्यों न चल रहा हो, एक न एक दिन भारतवर्ष में राष्ट्रीयता अपने आप को दृढ़तापूर्वक अभिव्यक्त करेगी और देश के लिए एक राजभाषा की मांग होगी। वह राजभाषा हिंदी के अतिरिक्त कोई और भाषा नहीं हो सकती—**डॉ. हरेकृष्ण मेहताब**

16. यदि हिंदी को भारतवर्ष के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, तब हमें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करना चाहिए—**महाराज सयाजी राव गायकवाड़**

ऐसे अनेक पुरखों के प्रयास से ही आजादी की लड़ाई के दिनों में भारत की भाषा हिंदी बन सकी।

पत्रकार रहा हूं। इसी विधा में जीवन के सबसे उर्वर वर्ष (लगभग चार दशक) गुजरे हैं। आजादी की लड़ाई में हिंदी की भूमिका की बात चलती है, तो माधव राव सप्रे, माखन लाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार याद आते हैं। इस देश में तो 'यंग इंडिया', 'केसरी', 'उदंत मार्तंड', 'स्वराज', 'प्रदीप', 'भारत मित्र', 'प्रताप', 'आज' जैसे हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की शुरुआत ही आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हुआ। 'स्वराज' और 'प्रताप' जैसे पत्रों में पत्रकारों या संपादकों के लिए जो नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, उसमें आवश्यक योग्यता के मानदंड के रूप में लिखा ही होता था कि अंडमान या जेल की सजा काटने को तैयार रहें। इसी कड़ी में गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जाना चाहिए, जिन्होंने हिंदी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और धारा ही बदल दी। गांधी मूल रूप से गुजराती और अंग्रेजी में ही लिखते थे, पर हिंदी की जरूरत और ताकत का अंदाजा ब्रिटेन से लौटने के बाद ही हो गया था।

गांधी दक्षिण अफ्रीका गये। उन्होंने भारतीयों को एकजुट करने के लिए, भारतीयों को सूचना संपन्न बनाने और सामाजिक-राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए 'इंडियन ओपिनियन' पत्र की शुरुआत की। इस प्रकाशन के आरंभ में उन्होंने हिंदी खंड नहीं रखा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि अप्रवासी भारतीयों को भी एकजुट करने के लिए 'इंडियन ओपिनियन' अखबार में हिंदी विभाग या खंड होना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जब भारत लौटे और 'नवजीवन' की शुरुआत हुई, तो उन्होंने 'नवजीवन' का भी हिंदी संस्करण निकालना शुरू किया।

गांधी जैसे लोग भाषा को लेकर बार—बार चेता रहे थे। साथ ही विदेशी दासता, सांस्कृतिक—मानसिक गुलामी के प्रति लोगों को सजग कर रहे थे। 20 अक्टूबर, 1917 को गुजरात के भड़ौच में एक शिक्षा सम्मेलन में गांधी संबोधन के लिए गये थे। उनका यह संबोधन लंबा है। उन्होंने कहा, 'विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने में दिमाग पर जो बोझ पड़ता है, वह असह्य है। यह बोझ हमारे बच्चे उठा तो सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। वे दूसरा बोझ उठाने लायक नहीं रह जाते। इससे हमारे स्नातक अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरुत्साही, रोगी और कोरे नकलची बन जाते हैं। उनमें खोज करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, साहस, धीरज, वीरता, निर्भयता और अन्य गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं। इससे हम नई योजनाएं नहीं बना सकते और यदि बनाते हैं, तो उन्हें पूरा नहीं कर पाते। कुछ लोग, जिनमें उपर्युक्त गुण दिखाई देते हैं, अकाल ही काल के गाल में चले जाते हैं।'

बाद में डॉ. राममनोहर लोहिया ने हिंदी को लेकर इसी तरह की बात दुहराई। डॉ लोहिया ने कहा, 'बच्चा किसके साथ अच्छी तरह से खेल सकता है, अपनी मां के साथ या पराई मां के साथ! अगर कोई आदमी किसी जबान के साथ खेलना चाहे और जबान का मजा तो तभी आता है, जब उसको बोलने वाला या लिखने वाला उसके साथ खेले, तो

कौन हिंदुस्तानी है, जो अंग्रेजी के साथ खेल सकता है? हिंदुस्तानी आदमी तेलुगू, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी के साथ खेल सकता है। उसमें नए-नए ढांचे बना सकता है। उसमें जान डाल सकता है, रंग ला सकता है। बच्चा अपनी मां के साथ जितनी अच्छी तरह से खेल सकता है, दूसरे की मां के साथ उतनी अच्छी तरह से नहीं खेल सकता.' डॉ. लोहिया खुद विदेश से पढ़कर आये थे। जर्मनी से पीएचडी की डिग्री लेकर। अंग्रेजी के बड़े जानकार थे। पर, उन्होंने अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चलाया। वह दुनिया देखकर आये थे। जानते थे कि जब तब अपने देश पर अंग्रेजी का बोलबाला रहेगा, तब तक देश के नागरिक मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होंगे। हीनता की भावना से निकलेंगे नहीं। इन दोनों के बिना देश बड़े सपने नहीं देख सकता।

आधुनिक काल में हिंदी के बढ़ने में न जाने ऐसे कितने महापुरूषों की भूमिका रही। आज वैश्विक स्तर पर करीब 602.2 मिलियन यानी 60 करोड़ से अधिक लोग इस भाषा को बोलते हैं। वैश्विक भाषाई परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान है, इस भाषा का। सिर्फ बोलने के आधार पर नहीं, बल्कि भाषा के बढ़ने से हमारी ताकत भी अलग तरीके से बढ़ रही है। 'विश्व इकोनॉमिक फोरम' दुनिया भर की ताकतवर भाषाओं को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करती है, 'पावर लैंग्वेज इन्डेक्स'। 2021 की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि 2050 तक आर्थिक अवसरों के लिए चौथी सबसे शक्तिशाली भाषा, हिंदी होगी। भाषायी स्तर पर दुनिया भर में संकट का यह दौर है। फिर भी भाषाविदों के अनुसार हिंदी, दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली भाषाओं में से एक है। यह 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' का अध्ययन और अनुमान (2021) है। आजादी के अमृतकाल में आज देश जिस प्रकार से अपनी पहचान और अस्मिता के साथ 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहा है, हम हिंदी के विकास के मामले में भी लक्ष्य को अनुमानित समय से पहले ही प्राप्त करेंगे। 'लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया' के हवाले से 'ओपन' पत्रिका ने हिंदी पर एक रिपोर्ट छापी (जून 2022)। उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदी बोलने वालों की संख्या की वृद्धि प्रतिशतता सबसे ज्यादा 25 प्रतिशत है।

ऐसी अनेक उपलब्धियां और संभावनाएं बनी हैं।

वैश्विक संस्थाओं के ऐसे अनुमान लगाने के पीछे ठोस वजहें हैं। पिछले एक दशक में वर्तमान केंद्र सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं। नयी शिक्षा नीति (2020) में जिस तरह से हिंदी समेत देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को ज्ञान और व्यवहार की भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने की पहल की गयी, वह आनेवाले समय में भारत को महाशक्ति बनाएगा। 'नीट' की परीक्षा अब सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में नहीं है। केंद्र सरकार की पहल पर 'नीट' परीक्षा हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी और उर्दू भाषा में भी हो रही है। यह निर्णय प्रधान मंत्री जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में लिया गया था। इससे जुड़ा प्रसंग है कि माननीय प्रधान मंत्री शिक्षा विभाग की एक बैठक में थे। उसमें आई आई टी कानपुर के निदेशक डॉ. अभय करंदीकर भी थे। डॉ. करंदीकर ने कहा कि आज 'नीट' आदि की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें 80-90 प्रतिशत बच्चों का माध्यम अंग्रेजी होता है। हिंदी में अधिकतम 10-12 प्रतिशत। और शेष 12 भारतीय भाषाओं में तीन प्रतिशत। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इस पर तुरंत काम शुरू हो कि सभी भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रस्फुटन हो। सभी भारतीय भाषाओं को जानने वाले बेस्ट माइंड बेस्ट क्षेत्र में जाएं।

इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दो अगस्त, 2024 को संसद में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सदन में बताया कि भारत सरकार ने पहली बार 'नीट' प्रवेश परीक्षा को मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में शुरू किया है। होड़ मच गयी है और सभी जगह से डिमांड आयी है। आज यह टेस्ट 13 भाषाओं में हो रहा है। इसका फायदा यह हुआ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा आज

मेडिकल एजुकेशन में आ रहा है। इसके पहले यह धारणा थी कि मेडिकल एजुकेशन के लिए अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, मिशनरी स्कूल में पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि अंग्रेजी में ही परीक्षा होती थी। पर, आज केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, ओडिशा के बच्चे अपनी भाषा में टेस्ट देकर मेडिकल एजुकेशन में आ रहे हैं।

सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात नहीं, अपने देश में लंबे समय से यह मांग रही है कि अदालतों के फैसले हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो, तो न्यायिक फैसले आम आदमी भी समझ सकते हैं। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। महत्वपूर्ण काम हुए भी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) टूल का इस्तेमाल करके अपने पुराने फैसलों का अनुवाद कई भारतीय भाषाओं में करने की शुरूआत की है। 02.12.2023 तक, एआई अनुवाद टूल का उपयोग करके, सर्वोच्च न्यायालय के 31,184 निर्णयों का 16 भाषाओं-हिंदी (21,908), पंजाबी (3,574), कन्नड़ (1,898), तमिल (1,172), गुजराती (1,110), मराठी (765), तेलुगु (334), मलयालम (239), उड़िया (104), बंगाली (39), नेपाली (27), उर्दू (06), असमिया (05), गारो (01), खासी (01), कोंकणी (01) में अनुवाद किया गया है। दिनांक 02.12.2023 तक 16 भाषाओं में अनुवादित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का विवरण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का विवरण सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के ई-एससीआर पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी उच्च न्यायालयों में संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक इसी तरह की समिति गठित की गई है। अब तक, सर्वोच्च न्यायालय ई-एससीआर निर्णयों का 16 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने में उच्च न्यायालयों के साथ सहयोग कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 4,983 निर्णयों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। उच्च न्यायालयों ने इसे अपनी वेबसाइटों पर अपलोड किया है। इस काम का मकसद यह है कि देश का हर नागरिक अदालत के फैसलों को आसानी से समझ सके। इससे न्यायपालिका और लोगों के बीच की दूरी कम होगी और न्यायपालिका अधिक पारदर्शी बनेगी। इन अनुदित फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक बड़ा कदम है। इससे न्यायपालिका और अधिक जनता के करीब आएगी। न्याय और अधिक पारदर्शी व सुलभ होगा। यह एक सकारात्मक पहल है। इससे देश में कानूनी जागरूकता बढ़ेगी। लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बनेंगे। इसी तरह अब हिंदी में कानून की पढ़ाई की दिशा में भी काम हो रहा है।

इसी तरह भारतीय संसद के कामकाज में भी वर्तमान केंद्र सरकार ने भाषायी विस्तार दिया है। हाल ही में सदन में अब हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही संविधान की आठवीं सूची में शामिल करीब सभी 22 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा है।

वर्षों से लोक भाषाओं की दबी आकांक्षा को अब अनेक रूपों में स्वर मिल रहा है. मकसद है, ज्ञान की दुनिया में अपने देश में लोकभाषाओं को बोलने-जानने वाले महज अंग्रेजी नहीं जानने की वजह से ज्ञानी दुनिया से बाहर ना हों। अपनी-अपनी भाषाओं को ही माध्यम बनाकर, हिंदी से सामंजस्य स्थापित कर ज्ञान की दुनिया में हस्तक्षेप करें. इस ज्ञानयुग में भारत को इतना मजबूत बनायें कि भारत दुनिया में न सिर्फ हस्तक्षेप करे, बल्कि सिरमौर बने। आज अपने देश में गृह मंत्रालय समेत अनेक मंत्रालय हैं, जहां अधिकांश कामकाज हिंदी में हो रहे हैं। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ है. लगभग सभी मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर राजभाषा हिंदी को अधिक से अधिक व्यावहारिक बनाने के काम को मूर्तरूप दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 'भारतवाणी परियोजना' की शुरुआत की है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गयी यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत समस्त भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को मल्टीमीडिया के जरिये एक पोर्टल पर लाना है। लगभग डेढ़ सौ डिजिटल शब्दकोश इसके तहत उपलब्ध हैं। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं के त्रिभाषा शब्दकोश बने हैं। ये शब्दकोश

ई—बुक के रूप में उपलब्ध हैं। जिस स्तर पर नियमित रूप में प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक की सहायता से राजभाषा को व्यावहारिक बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका परिणाम आनेवाले समय में दिखेगा. इसका असर दूरगामी होगा। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने वैश्विक स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाई है।

2018 में 'हिंदी @ UN' परियोजना शुरू की गयी थी। लक्ष्य था, हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना। दुनिया भर में हिंदी बोलनेवाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेट देना। 10 जून, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस आधार पर यह उम्मीद जतायी जा रही है कि अगले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की उपस्थिति और मजबूत होगी।

आज हिंदी की जो संभावना बनी है, अगर ऐसे प्रयास पहले किये गये होते, तो हिंदी की स्थिति आज दूसरी होती। देश की भी। यह समझ से परे है कि आजादी के बाद हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं की बजाय अंग्रेजी को लेकर इतनी रुचि शासक वर्ग में क्यों रही? दुनिया में ऐसा किसी मुल्क में शायद ही हुआ हो। जर्मनी, फ्रांस,रूस,चीन से लेकर दुनिया के तमाम विकसित मुल्कों को देखें, वहां उनकी अपनी भाषा की ही प्रमुखता है। साहित्य की भाषा से लेकर शासन तक की भाषा में।

जब जागो, तभी सबेरा। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भविष्य कैसा होगा और कैसा होना चाहिए? इसे लेकर वर्तमान केंद्र सरकार और माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाका तैयार कर दिया है। ये योजनाएं आनेवाले समय में भारत को महाशक्ति बनाएंगी।

वर्तमान सरकार का प्रयास है कि इस दिशा में जो नीतियां बनें, जो काम हो, वे सारे काम, सारी नीतियों के प्रति देश का आम नागरिक भी अवगत हो। इसलिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं का हिंदी से मिलान करवा के देश को कड़ी दर कड़ी एक सूत्र में जोड़ा जा रहा है। मकसद है, हर कोई देश की हर गतिविधि से अवगत हों, आपस में सभी देशवासियों का संपर्क, संवाद बढ़े, दिन-ब-दिन मजबूत हो। दुनिया के विकसित देशों का इतिहास देखें। उन्हें विकसित बनाने में वहां की भाषाओं की भूमिका निर्णायक रही है। भारत भी उसी दिशा में अग्रसर है। आने वाले समय में भारत के कायाकल्प की कहानी, देश को 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' बनाने में हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं की भूमिका मेरूदंड की होगी।

हिंदी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

हृदयनारायण दीक्षित
पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा

हिंदी भारत की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह राष्ट्रभाषा है। राजभाषा है। साहित्यकारों ने काव्य, गीत, वैचारिक ग्रंथों, उपन्यासों सहित सभी विधाओं में हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी को राजभाषा बनाने का कार्य किसी उद्घोषणा का परिणाम नहीं है। भारत की संविधान सभा ने तीन दिन बहस की। यह बहस पठनीय है। संविधान सभा (14 सितंबर, 1949) को हिंदी को राजभाषा बनाया। 15 वर्ष तक अंग्रेजी में राजकाज चलाने का 'परंतु' जोड़ा। सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने समापन भाषण में कहा, "हमने संविधान में एक भाषा रखी है। अंग्रेजी के स्थान पर एक भारतीय भाषा (हिंदी) को अपनाया है। हमारी परंपराएं एक हैं, संस्कृति एक है।" राजभाषा भी एक होनी चाहिए। इसके एक दिन पूर्व पंडित नेहरू ने कहा, "हमने अंग्रेजी इस कारण स्वीकार की, कि वह विजेता की भाषा थी, अंग्रेजी कितनी ही अच्छी हो किन्तु इसे हम सहन नहीं कर सकते।" इसके एक दिन पूर्व (12.9.1949) को एन. जी. आयंगर ने सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखते हुए 15 वर्ष तक अंग्रेजी को जारी रखने का कारण बताया, "हम अंग्रेजी को एकदम नहीं छोड़ सकते। यद्यपि सरकारी प्रयोजनों के लिए हमने हिंदी को अभिज्ञात किया फिर भी हमें यह मानना चाहिए कि आज वह समुन्नत भाषा नहीं है।" पंडित नेहरू अंग्रेजी सहन करने को तैयार नहीं थे। राजभाषा अनुच्छेद के प्रस्तावक हिंदी को कमतर बता रहे थे। संविधान के अनुच्छेद (343-1) में हिंदी राजभाषा बनी। किंतु अनुच्छेद (343-2) में अंग्रेजी जारी रखने का प्रावधान हुआ। हिंदी के लिए आयोग-समिति बनाने की व्यवस्था हुई।

हिंदी के विकास की जिम्मेदारी (अनुच्छेद 351) केंद्र पर डाली गई। सत्ता पक्ष की दृष्टि में अंग्रेजी समृद्ध थी और हिंदी गरीबी रेखा के नीचे। सभा में 15 वर्ष तक अंग्रेजी जारी रखने और आगे भी आवश्यकता अनुसार बनाए रखने का प्रस्ताव आया। सेठ गोविंद दास ने हिंदी की पैरोकारी की, " इस देश में हजारों वर्ष से एक संस्कृति है। यहां एक भाषा और एक लिपि ही होनी चाहिए।" नजीरूद्दीन अहमद ने संविधान सभा में अंग्रेजी की तरफदारी की, "वह संसार की भाषा है। अंग्रेजी अनिवार्य होनी चाहिए।" आर. वी. धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बताया। कई सदस्यों ने आपत्ति की। धूलेकर ने कहा, "मैं कहता हूं कि वह राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। हिंदी के राष्ट्रभाषा-राजभाषा हो जाने के बाद संस्कृत विश्व भाषा बनेगी।" अंग्रेजी के नाम 15 वर्ष का पट्टा लिखने से राष्ट्र का हित साधन नहीं होगा। (संविधान सभा बहस 13-9-1949) लक्ष्मीकांत मैत्र ने कहा, "अंग्रेजी भाषा को निकाल देने से भारत में बर्बरता फैल जाएगी।" भारत में अनेक भाषाएं हैं। भारतीय भाषाओं में परस्पर कोई होड़ नहीं है। तमिल, तेलगु, कन्नड़ आदि सभी भाषाएं भारत का श्रृंगार हैं। हिंदी इन्हीं भाषाओं के साथ राजभाषा है। अंग्रेजी की टक्कर हिंदी से थी, भारतीय भाषाओं से नहीं। बाकी भारतीय भाषाएं भी प्रेय थीं। अंग्रेजी राजा की भाषा थी, हिंदी लोकभाषा राष्ट्रभाषा थी।

अलगू राय शास्त्री ने ठीक कहा, "हिंदी की होड़ है अंग्रेजी के साथ। बांग्ला, तमिल, तेलगू, कन्नड़ से नहीं। अंग्रेजी हुकूमत गई। अब भारतीय भाषा ही होनी चाहिए। हिंदी को ही यह महत्व प्राप्त हो सकता है। अंग्रेजी हमारे किसी भी प्रांत की भाषा नहीं है। पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर रघुवीर और अब्दुल कलाम आजाद जैसे महारथी बोले, लेकिन 15 वर्ष

के अंग्रेजी प्रस्ताव पर वे सहमत थे। अंततः 14 सितंबर के दिन अंग्रेजी प्रभुत्व के साथ हिंदी राजभाषा बन गई। संविधान ने हिंदी के प्रसार-प्रचार का काम केन्द्र को सौंपा। सरकारों ने बहुत चिंता नहीं की। लेकिन वर्तमान केन्द्र सरकार सक्रिय है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन आरंभ हुए हैं।

पंडित नेहरू के अनुसार अंग्रेजी विजेता की भाषा थी। लेकिन 1947 के बाद हिंदी भी विजेता की भाषा थी। अंग्रेज जीते, अंग्रेजी लाए, भारतवासी स्वाधीनता संग्राम जीते, हिंदी विस्तृत व व्यापक क्यों नहीं हुई? स्वाधीनता संग्राम की भाषा मातृभाषा हिंदी थी। लेकिन कांग्रेस अपने जन्म काल से ही अंग्रेजी को वरीयता देती रही है। गांधी जी ने कहा था, "अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी राजनीतिज्ञों के मन में घर कर लिया है। मैं इसे अपने देश और मनुष्यत्व के प्रति अपराध मानता हूं।" (संपूर्ण गांधी वांगमय 29-312) गांधी जी ने बीबीसी (15 अगस्त 1947) पर कहा, "दुनिया वालों को बता दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।" भारतीय संस्कृति, सृजन और संवाद की भाषा हिंदी है। बावजूद इसके अंग्रेजी का मोह बढ़ा, अंग्रेजी स्कूल बढ़े, अंग्रेजी प्रभुवर्ग की भाषा बनी। जो अंग्रेजी ज्ञापन की भाषा थी वही विज्ञापन की भाषा बनी। हिंदी का अंग्रेजीकरण भी हुआ। टीवी सिनेमा ने नई 'संकर भाषा' को गले लगाया। हिंदी सौंदर्य और कला में व्यक्त करने का माध्यम थी-है। अंग्रेजीकृत हिंदी-हिंगलिश-मिश्रित बोली ने उदात्त भारतीय सौंदर्यबोध को विकृत किया। अंग्रेजी मिश्रित हिंदी शैंपू और दाद खाज की दवा बेचने का माध्यम हो सकती है लेकिन सृजन और संवाद की भाषा नहीं हो सकती। बाजार नई भाषा गढ़ रहा है। मातृभाषा संकट में है। स्वभाषा के बिना संस्कृति निष्प्राण होती है, स्वसंस्कृति के अभाव में राष्ट्र अपना अंतस, प्राण, चेतन और ओज खो देते हैं।

लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद (2 फरवरी 1934) में कहा, "उच्चतर जीवन मूल्य और उत्कृष्ट क्षमताओं को देखते हुए भारतीयों पर तब तक विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जब तक वहां की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा की सशक्त रीढ़ नहीं तोड़ी जाती। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति, संस्कृति को विस्थापित करें कि भारतवासी विदेशी और अंग्रेजी को श्रेष्ठ समझते हुए स्वसंस्कृति और स्वाभिमान खोकर हमारी इच्छा अनुरूप शासित राष्ट्र हो जाएं।

हिंदी पर आरोप है कि हिंदी रोजगार नहीं देती। भाषा रोजगार नहीं देती। रोजगार देना राष्ट्र राज्य का कर्तव्य है। अनेक विदेशी कंपनियां ललकार रही हैं, तुम्हारी भाषा बेकार है, न रोटी देती है, न रोजी। अंग्रेजी पढ़ो, नौकर बनो, अंग्रेजी में सोचो, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वसंस्कृति में क्या धरा है? अंतरराष्ट्रीय बनो। वस्तुतः भाषा का आविष्कार इतिहास की अतिप्राचीन घटना है। मनुष्य की सामूहिकता के कारण बोली का विकास हुआ। लिपि के आविष्कार के बाद लिखित भाषा का विकास हुआ। फिर सभ्यता आई। यूरोप की सभ्यता यूनानी है। यूनान जर्मनी से पहले सभ्य हुआ। भारत यूनान से पहले। यूनानी दर्शन ईसा के 500-600 वर्ष पहले शुरू हुआ। इसके सैकड़ों बरस पहले भारत का वैदिक दर्शन सृष्टि रचना के आदि तत्व की व्याख्या कर रहा था।

यूनानी सभ्यता की विकास भूमि क्रीट द्वीप है। क्रीट की कला के विश्लेषक रैनोल्ड हिगिंस के अनुसार ईसा के 2800 बरस पहले लघु एशिया के प्रवासी वहां सभ्यता ले गए। क्रीट के क्रोसोस नगर के प्रथम शासक मिनोस के नाम पर इसे 'मिनोअन सभ्यता' कहा गया। मिकनी नगर यूनानी सभ्यता का केन्द्र बना। यह मखदूनिया, साइप्रस और इटली तक फैली। मिस्र से निकाले गए हुक्सोस मिकनी के शासक थे। टायनबी ने इन्हें आर्य व हिगिंस ने इन्हें भारतीय कहा। भाषा वैज्ञानिक वामपंथी विद्वान डॉ. रामविलास शर्मा ने बताया कि, "आर्य भाषा बोलने वाले भारतीय मिनोअन-मिकीनियन राज्यों के संस्थापक थे।" यूनानी सभ्यता, संस्कृति और दर्शन का विकास भारतीय सम्बंधों से हुआ। ऋग्वेद के मनु, मिस्र के प्रथम राजा मेनस और यूनान (क्रीट) के प्रथम शासक मिनोस भाषा की दृष्टि से संस्कृत के और संस्कृति

की दृष्टि से भारतीय तत्व हैं।

इंग्लैंड की सभ्यता यूनान प्रेरित है। उन्होंने लैटिन, ग्रीक, मिस्र से संस्कृति और सभ्यता के तत्व पाए। भारतीय संपर्क से उन्हें पुष्ट किया। अंग्रेजी स्वयं में व्यवस्थित भाषा नहीं है। संस्कृत के तमाम शब्द अंग्रेजी में हैं। संस्कृत का दिव्य ही अंग्रेजी का डिवाइन है। अंग्रेजी का ब्रदर संस्कृत का भ्रात है, फादर संस्कृत का पितृ है और मदर संस्कृत की मातृ है। गोदाम अंग्रेजी में गोडाउन है। जी. सुब्बाराव ने 'इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश' में ऐसे सैकड़ों दिलचस्प शब्दों की सूची दी है। अंग्रेजी में जर्मन, फ्रेंच के भाषाई संस्कार हैं।

भाषा विज्ञानी अलब्राइट व लैम्बिडन ने सुमेरी को प्राचीनतम लिखित भाषा बताया। इनके मुताबिक पश्चिम को सुमेरी ने प्रभावित किया। उन्होंने बताया अंग्रेजी 'ऐबिस' सुमेरी का अब्ज (पृथ्वी के नीचे का जल) है। यूनानी में वह अबुस्सास है। बेबीलोन में इसे अप्सु कहते हैं। लेकिन ऋग्वेद (1.23.19, 9.43.9 और 9.30.5 आदि) में जलवाची अप और अप्सु शब्द भरे पड़े हैं। मिस्री, सुमेरी और संस्कृत में भूतल जल पर एक शब्दावली है। ऋग्वेद पुराना है, जाहिर है कि संस्कृत ही सबसे पहले सृष्टि के आदि तत्व 'जल' की बोली बनी। विलियम जोन्स ने कहा कि, "संस्कृत ग्रीक से अधिक निर्दोष, लैटिन से अधिक समृद्ध और इनमें किसी से भी अधिक उत्कृष्ट है। इसके बावजूद धातुओं और व्याकरणिक रूपों में यह इन दोनों से प्रगाढ़ सम्बंध रखती है, इतना प्रगाढ़ कि कोई भाषाविद इनका एक ही स्रोत माने बिना छानबीन नहीं कर सकता।" संस्कृत जाने बिना विश्व भाषा विज्ञान, विश्व भाषा परिवार, सृष्टि संरचना और विश्व सांस्कृतिक सम्बंधों का अध्ययन विश्लेषण संभव नहीं।

भारत भाषा तत्वों के साथ ही सांस्कृतिक तत्वों का भी निर्यातक था। पश्चिम एशिया में रूद्र-शिव की उपासना थी। गूर्ने ने 'दि हिटटाइटस' (पृष्ठ 134) मे बताया कि वे हित्तियों के विशेष देवता थे, उनके अनेक रूप थे। सीरिया के शिल्प में वह परशु चलाते हुए बिजली कौंधने के प्रतीक हैं। यूनानी (मिनोअन) संस्कृति में भी परशु खास प्रतीक हैं। इबान्स के मुताबिक यह परशु मिनोअन दवी और उसके पुरुष देवता का चिन्ह था। परशु का उल्लेख ऋग्वेद में है। पश्चिमी भारत से दक्षिणी यूरोप, फिर उत्तरी यूरोप होते हुए परशु नाम का देव प्रतीक इंग्लैंड तक पहुंचा। मार्शल वैदिक रूद्र को बाद की शिव उपासना से अलग रखते हैं। तमाम अंग्रेजी विद्वान नहीं मानते कि रुद्र का शिवत्व प्रागैतिहासिक काल में भी है। ऋग्वेद में वे अरुण-रूद्र हैं। वे जटाधारी भी हैं। यजुर्वेद में वे नमः शम्भवाय-नमः शिवाय भी हैं। जैसे सीरिया में वे बिजली कौंधने के प्रतीक हैं वैसे ही उसके बहुत पहले ऋग्वेद (7.46.3) में वे आकाश से बिजली गिराते हैं। यहां उनसे अमृत्व की महामृत्युंजय स्तुति (7.59.12) है।

सभ्यता, संस्कृति, देवतंत्र, दर्शन, भौतिकी और आधुनिक ज्ञान विज्ञान का आदि केन्द्र भारत है, इन सबकी आदि भाषा है संस्कृत। यूरोपीय विद्वान एच. एस. मेन ने लिखा था, "बीजगणित, अंकगणित में पश्चिमी सहायता के बिना ही ऊंचे दर्जे की दक्षता है। दशमलव प्रणाली के अविष्कार का हम पर ऋण है। अरबों ने अंक हिन्दुओं से पाए, यूरोप में फैलाए। अरब चिकित्सा पद्धति संस्कृत का अनुवाद है। यूरोपीय चिकित्सा पद्धति 17वीं सदी तक अरबी चिकित्सा थी।" विलियम हंटर ने लिखा था कि, "पश्चिम के विद्वान जब भाषा विज्ञान का विवेचन आकस्मिक समानताओं के आधार पर कर रहे थे, उस समय भारत में व्याकरण को मूल सिद्धांतों का रूप मिल चुका था। पाणिनि का व्याकरण संसार में सर्वोच्च है।" सारा ज्ञान विज्ञान, संस्कृति दर्शन संस्कृत में है, हिंदी में भी है। बावजूद इसके अंग्रेजी पर जोर है, अंग्रेजी का शोर है। सवाल यह है कि जो संस्कृत और हिंदी काव्य, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, प्रीति और प्रेम की सहज अभिव्यक्ति है, वही विज्ञान और व्यापार की सशक्त भाषा क्यों नहीं है? हिंदी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। संस्कृत देव भाषा है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। इन्हें रोजगारपरक बनाना राज्य व्यवस्था का काम है।

भारत प्राचीनतम व अद्वितीय राष्ट्र है। मैक्समूलर ने लिखा, "भारत के मानवी-मस्तिष्क ने कुछ सर्वोत्तम गुणों का पूर्ण विकास किया है। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं पर भारत द्वारा प्राप्त हल प्लेटो और कांट के दर्शन का अध्ययन किए हुए लोगों के लिए (भी) विचार करने योग्य है। यूनानी, रोमन और एक सेमेटिक जाति यहूदी के विचारों मात्र पर पालित पोषित यूरोप के हम लोग जीवन को अधिक परिपक्व, अधिक व्यापक, अधिक सार्वलौकिक दरअसल सच्चे मानवीय बनाने के लिए भारत की ओर ही देखते हैं।" भारतीय दर्शन की ऐसी प्रशंसा प्रतिष्ठा में संस्कृत, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अंग्रेजी को श्रेष्ठ व भारतीय भाषाओं को कमतर बताया जा रहा था। महात्मा गाँधी इससे क्षुब्ध थे। भाषा के प्रश्न पर महात्मा गांधी ने लिखा, "पृथ्वी पर हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां मां-बाप अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी पढ़ाना लिखाना पसंद करेंगे। (संपूर्ण गांधी वांगमय 15-249) देश की मातृभाषा राजभाषा हिंदी है लेकिन अंग्रेजी के सामने कमतर है। अंग्रेजी को विश्व भाषा बताया जाता है लेकिन जापान, रूस और चीन आदि अनेक देशों में अंग्रेजी की कोई हैसियत नहीं है।

अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बताने वाले भारतीय दरअसल आत्महीन ग्रंथि के रोगी हैं। अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड ने अंग्रेजी की बाबत (लैंग्वेज पृष्ठ 52) लिखा, "यॉर्कशायर (इंग्लैंड) के व्यक्ति की भाषा को अमेरिकी नहीं समझ पाते।" भाषाविद डॉ. रामविलास शर्मा ने 'भाषा और समाज' (पृष्ठ 401) में लिखा, "अंग्रेजी के भारतीय प्रोफेसरों को हॉलीवुड की फिल्में दिखाइए, पूछिए वे कितना समझे। अंग्रेजी बोलने के भिन्न-भिन्न ढंग हैं। इसके विपरीत हिंदी की सुबोधता को हर किसी ने माना है। हिंदी अपनी बोलियों के क्षेत्र में तो समझी ही जाती है। देश में उसे बोलने समझने वाले करोड़ों हैं। यूरोप में जर्मन और फ्रांसीसी अंग्रेजी से ज्यादा सहायक है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की भाषा जर्मन है। स्विट्जरलैंड के 70 फीसदी लोगों की मातृभाषा भी जर्मन है। चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया और पोलैंड के लोग जर्मन समझते हैं। हमारी धारणा है कि संसार की आबादी में अंग्रेजी समझने वाले 25 करोड़ होंगे तो हिंदी वाले कम से कम 35 करोड़ (किताब सन 1960 की है)।" अंग्रेजी जानकार कम हैं तो भी वह विश्वभाषा है। हिंदी वाले ज्यादा हैं बावजूद इसके वह राष्ट्रभाषा नहीं है।

भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। भाषा के साथ संस्कृति आती है। संवाद की शैली बदलती है। भाषा विज्ञानी नोम चोम्स्की ने कहा, "करोड़ों डॉलर से चलने वाले जनसंपर्क उद्योग के जरिए बताया जाता है कि दरअसल जिन चीजों की जरूरत उन्हें नहीं है, वे विश्वास करें कि उनकी जरूरत उन्हें ही है।" भाषा के विकास की प्रक्रिया सामाजिक विकास से जुड़कर चलती है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में संस्कृति और आर्थिक उत्पादन के कारक प्रभाव डालते हैं। अमेरिकी समाज का विकास अंग्रेजी और पूंजीवाद से हुआ। अमेरिकी नई पीढ़ी अपना मूल स्रोत नहीं जानती। भारत की भी नई पीढ़ी अपने मूल स्रोत भाषा, संस्कृति और दर्शन से दूर है।

हिंदी के पास प्राचीन संस्कृति और परंपरा का सुदीर्घ इतिहास है। यहां अनेक भाषाएं-बोलियां उगीं। भाषा के विकास के साथ वस्तुओं के रूप को नाम देने की परंपरा चली। रूप और नाम मिलकर ही परिचय बनते हैं। तुलसीदास ने यही बात हिंदी में गाई 'रूप ज्ञान नहि नाम विहीना'। हिंदी के पास संस्कृत और संस्कृति की अकूत विरासत है। ऋग्वेद ने भाषा के न्यूनतम घटक को 'अक्षर' बताया। अक्षर नष्ट नहीं होता। वाणी-भाषा 'सहस्रनी अक्षरा' (ऋग्वेद 1.164.41) है। वाणी में सात सुर हैं लेकिन अक्षर मूल हैं 'अक्षरेण मिमते सप्तवाणी'। वे अक्षर से वाणी नापते हैं। हिंदी ने संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं बोलियों से शब्द लिए। सबको अर्थ दिए। संविधान निर्माण के बाद 1951 में नियुक्त ऑफिशल लैंग्वेज कमिश्नर ने अंग्रेजी के ठीक जानकारों की संख्या लगभग 0.25 प्रतिशत बताई। एक प्रतिशत से भी कम अंग्रेजी लोग नीति नियंता क्यों है? नौकरशाही अंग्रेजी में सोचती है। हिंदी फिल्में अरबों कमाती हैं। संवाद गीत हिंदी में होते हैं

लेकिन नाम परिचय अंग्रेजी में। लोकप्रिय निर्माता, निर्देशक, गायक, नायिकाएं अपने साक्षात्कार अंग्रेजी में देते हैं। इनसे प्रभावित युवा पीढ़ी 'हाय गाइज, रियली स्पीकिंग' बोल रही है। राष्ट्र अपनी भाषा में ही अभिव्यक्त होते हैं। मातृभाषा में ही प्रीति, प्यार, राग, द्वेष, काव्य सृजन चरम पाते हैं। हिंदी दिवस के दिन उत्सव होते हैं। हिंदी का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है। बाजार से अपेक्षाएं छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र मातृभाषा में बोले, लिखे। इसे समृद्ध करे। भारत का वर्तमान और भविष्य हिंदी है। हिंदी हमारी अभिव्यक्ति है, हमारे आनंद का चरम संगीत और काव्य भी।

हिंदी अपनी उपयोगिता व क्षमता के बल पर राष्ट्रव्यापी हुई। फारसी को अंग्रेजी की तरह राज्य आश्रय नहीं मिला। फारसी मध्यकाल के इस्लामी बादशाहों ने थोपी थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी लाई। हिंदी का जन्म, विकास और विस्तार राज्य आश्रय से नहीं हुआ। भारत में विश्व के चार भाषा परिवार-भारोपीय, द्रविड़ कौल और कीरत हैं। इन भाषाओं के बोलने वालों के बीच सांस्कृतिक समानताएं थीं। यहां वैदिक काल से बुद्ध काल तक शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी। बाद की सभी भाषाओं-बोलियों में संस्कृत और संस्कृति का प्रदाय था। राष्ट्र का अभ्युदय और आत्मज्ञान इस शिक्षा का लक्ष्य था। दसवीं शताब्दी तक संस्कृत और उसकी प्राकृत भाषा ही शिक्षा, इतिहास, भौतिकी और परा विज्ञान (ब्रह्म) का माध्यम थी। संस्कृत और संस्कृति से विकसित पाली, मगधी, प्राकृत, अपभ्रंश और अंततः हिंदी ने ही भारत को एक सांस्कृतिक क्षेत्र बनाया। अमेरिकी भाषाविद एम. बी एमेन्यू ने भारत को भाषिक क्षेत्र बताया है।

अरबी फारसी के विद्वानों ने भारत की भाषाई पहचान के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अमीर खुसरो ने इसे हिन्दवी-हिन्दूई गाया। हैदराबाद के मुस्लिम शासक कुली कुतुबशाह ने इसे 'जबाने हिंदी' बताया। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। मातृभाषा और लोकभाषा भी है। हिंदी राजप्रेयसी कभी नहीं रही। वह यमुना के निकुंजों पर गीत गाते बड़ी हुई। सरस्वती तट पर उगे वेद भारत का परम ज्ञान बने। जैसे सरस्वती यमुना से मिली वैसे ही यमुना तट पर उगी हिंदी भी वेद ज्ञान से जुड़ गई। उसने संतों का मुक्त हृदय पाया। सिद्धों की परमव्योम दृष्टि पाई। फारसी राजभाषा होकर भी हिंदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अंग्रेजी राज के बाद फारसी की जगह अंग्रेजी लाने का प्रस्ताव आया।

ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदी की ताकत से परिचित थी। कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर ने एक पत्रक (29-9-1830) में कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि प्रयुक्त भाषा को वादी, प्रतिवादी वकील और सामान्यजन भी जानें।" गांधी जी ने लखनऊ में 'अखिल भारतीय एक भाषा व एक लिपि सम्मेलन' (1916) में कहा, "मेरी हिंदी टूटी-फूटी है। मैं सब भाइयों से टूटी-फूटी हिंदी में ही बोलता हूं। अंग्रेजी बोलने में मुझे पाप लगता है।" (संपूर्ण गांधी वांगमय में 13-323) साजिश यह कि अंग्रेजी सभ्यजनों की भाषा थी। हिंदी वाले असभ्य थे। गांधी जी ने इसी भाषण में कहा, "मुझ जैसे लोगों को हिंदी व्यवहार के कारण धक्के भी खाने पड़ते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वायसराय से भी अपनी भाषा में बात करो।" हिंदी अंग्रेजी से लड़ रही थी।

गांधी जी ने अंग्रेजी का विरोध और हिंदी का समर्थन (1917) करते हुए कहा, "हिंदी ही हिन्दुस्तान के शिक्षित समुदाय की भाषा हो सकती है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यदि हम भीरूता छोड़ दें और हिंदी का गौरव समझें तो सरकारी व्यवस्था का भी कार्य व्यापार हिंदी में चलने लगेगा।" गांधी जी ने अंग्रेजी के इस्तेमाल को भीरुता बताया। स्वाधीनता संग्राम में जनप्रबोधन की भाषा हिंदी थी।

उच्चतम न्यायालय-उच्च न्यायालय और संसद में प्रस्तावित विधेयकों-पारित कानूनों की भाषा अंग्रेजी (अनुच्छेद 348) ही है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान हुआ। आयोग को सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने और अंग्रेजी के प्रयोग

को घटाने के बारे में सिफारिश के काम मिले। अंग्रेजी के प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन हुए। डॉ. लोहिया ने आजीवन 'अंग्रेजी हटाओ' आंदोलन चलाया। हिंदी को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए 350 सांसदों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ज्ञापन दिया था।

आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदी जानने वालों की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है। भारत के बाहर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, ब्रिटेन, रूस, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इराक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, इजराइल, ओमान, यमन, सऊदी अरब, कतर, फिजी, त्रिनिदाद, मालदीव, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा आदि देशों में लाखों हिंदी भाषी हैं, लेकिन हिंदी राजभाषा के असली सिंहासन से दूर है। इसके बावजूद हिंदी पंख फैलाकर उड़ी है। देश में सबसे बड़ी प्रसार संख्या वाले अखबार हिंदी के हैं। हिंदी फिल्मों-सीरियलों का व्यापार करोड़ों में है। हिंदी में लिखे गए इतिहास, संस्कृति व दर्शन ग्रंथ विश्व की किसी भी भाषा से उत्कृष्ट हैं। विशाल बाजार होने के कारण विदेशी उत्पादों के विज्ञापन की भाषा भी हिंदी है। अंग्रेजी महाप्रभुओं की भाषा है और हिंदी भारत के जन गण मन की।

हिंदी राजभाषा बनी, अंग्रेजी को 15 बरस तक बनाए रखने का निर्णय हुआ। अंग्रेजी जारी है। भारत की सभी सरकारों ने हिंदी प्रसार के लिए संविधान के दिशा निर्देशों की भी उपेक्षा की। संविधान (अनुच्छेद 351) में 'हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश' शीर्षक से कहा गया कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, विकास करे। जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द लेते हुए उसकी समृद्धि करे। इसके बावजूद भारत के राजकाज की भाषा अंग्रेजी है। एशिया महाद्वीप के 48 देशों में से भारत छोड़ किसी भी देश की मुख्य भाषा अंग्रेजी नहीं है। यहां तक कि अजरबैजान की भाषा अजेरी और तुर्की है। आर्मेनिया की आर्मेनियन, इजरायल की हिब्रू, ईरान की फारसी, उज्बेकिस्तान की उज्बेक, ओमान, सऊदी अरब, सीरिया, इराक, जॉर्डन, यमन, बहरीन, कतर व कुवैत की भाषा अरबी है। चीन, ताइवान, सिंगापुर की मंदारिन, दोनों कोरिया की कोरियाई, श्रीलंका की सिंगली व तमिल, कंबोडिया की खमेर, अफगानिस्तान की पश्तो, पाकिस्तान की उर्दू, तुर्की की तुर्की और मालदीव की दिवेही है। दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर देशों में स्पेनी और पुर्तगाली बोली जाती है। दो देशों सूरीनाम व गुयाना में हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है। यूरोप को अंग्रेजी भाषी क्षेत्र माना जाता है, पर यूरोप के 51 देशों में से ज्यादातर की भाषा अंग्रेजी नहीं है। यहां डेनमार्क की डैनिश, चेक गणराज्य की चेक, रूस की रूसी, स्वीडन की स्विडिश, ऑस्ट्रिया, जर्मनी की जर्मन, पोलैंड की पोलिश, इटली की इटालियन, ग्रीस की ग्रीक, बुल्गारिया की बुल्गेरियन, यूक्रेन की यूक्रेनियन, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश है। सिर्फ ब्रिटेन की भाषा अंग्रेजी व आयरलैंड की आयरिश व अंग्रेजी है। बेशक उत्तरी अमेरिका के चारों देशों अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको व एंटीगुआ की भाषा अंग्रेजी है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में भी अंग्रेजी मूल भाषा नहीं है। बावजूद इसके भारत में अंग्रेजी जानना विद्वान होना है, हिंदी ज्ञान गँवारूपन की निशानी है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में मंदारिन (चीनी) भाषा जानने वाले लोगों की संख्या लगभग 1 अरब 11 करोड़ तथा अंग्रेजी की 1 अरब 35 करोड और हिंदी की 61 करोड़ 50 लाख है। अपनी क्षमता के बल पर हिंदी पंख फैलाकर उड़ी है। एक अरब से ज्यादा आबादी वाले भारत में प्रभु वर्ग के अंग्रेजी प्रेम के बावजूद हिंदी साहित्य, अखबार, फिल्मों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दायरा बढ़ा है। भारत हिंदी में अभिव्यक्त होता है। हिंदी में उल्लासित होता है, आनंदित होता है। देश अंग्रेजी में इंडिया होता है तो द्वैत होता है। हिंदी में भारत है तो अद्वैत होता है। इंडिया की ध्वनि है कि देश राज्यों का संघ है, लेकिन भारत की ध्वनि है कि भारत सनातन है, सदा से है। हिंदी भी सदा से है। इसका जन्म विश्लेषण पाली,

अपभ्रंश से ही करना अनुचित है। अक्षर सनातन वाक् प्रतीति है। ऋग्वैदिक ऋषियों ने अक्षर को भाषा का अल्पतम घटक जाना है। जैसे प्रकृति-पदार्थ का अल्पतम घटक परमाणु है वैसे ही भाषा का अक्षर। भाषा का केन्द्र वाक् है, वाक् से ही शब्द और वाक्य हैं। वाक्य (संस्कृत) सुगठित हैं। आगे संस्कृत ही भाषा का नाम पड़ गया। जैसे दुनिया की बाकी भाषाओं का क्रमिक विकास हुआ, वैसे ही हिंदी का भी लेकिन बाकी भाषाओं के नाम जस के तस रहे। भारत में क्रमिक विकास के साथ भाषाई नाम भी बदलते रहे। संस्कृत वैदिक संस्कृत या छन्दस कहलाई। पाणिनि ने व्याकरण गठन में तमाम अपवाद बताए। वह उपलब्ध भाषा नियमों का ही संहिताकरण कर रहे थे। भारत की सनातन भाषा ही आगे लोक-संस्कृति बनी, प्राकृत बनी, पाली बनी, अपभ्रंश बनी, और खड़ी बोली के साथ हिंदी बन गई। संस्कृत से हिंदी तक की यात्रा में इस सनातन भाषा ने विविध नाम, रूप, सौंदर्य पाए, वे सब के सब जस के तस मौजूद हैं।

भारत में अनेक भाषाएं हैं। कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा से छोटी या बड़ी नहीं होती। भारतीय भाषाओं में परस्पर प्रतिद्वंदिता भी नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सम्यक विचारोपरांत हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था।

भारतीय भाषाएँ और हिंदी : अंतर्संबंधों की व्याख्या

- डॉ. विमलेश कान्ति वर्मा
वरिष्ठ भाषाविद

भारत की संश्लिष्ट भाषिक तथा सामाजिक संरचना के कारण विद्वानों ने कभी तो भारतवर्ष को भाषा सामाजिक विकट विग्रह (सोशियो लिंग्विस्टिक जाईट)[1] तो कभी भाषिक सामाजिक इकाईयों के मूल में विद्यमान एकात्मता के कारण इसे एक 'भाषिक क्षेत्र' (लिंग्विस्टिक एरिया)[2] की संज्ञा से अभिहित किया है। भारतीय जनगणना[3] के अनुसार भारत में चार भाषा परिवारों की (भारोपीय, द्रविड़, मुंडा या अस्ट्रिक तथा तिब्बती-चीनी परिवार) 1652 भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से 1455 भाषाएँ ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या दस हज़ार से कम है। शेष 197 भाषाओं में से देश की चौदह भाषाओं को भारत के संविधान निर्माताओं ने देश की प्रधान भाषा मानकर अष्टम अनुसूची में रखा था। ये भाषाएँ थीं – 1. असमिया, 2. उड़िया, 3. उर्दू, 4. कन्नड़, 5. कश्मीरी, 6. गुजराती, 7. तमिल, 8. तेलुगु, 9. पंजाबी, 10. बंगला, 11. मराठी, 12. मलयालम, 13. संस्कृत, 14. हिंदी। इन 14 भाषाओं के बोलने वालों की संख्या देश की सकल जनसंख्या का 98 प्रतिशत थी। इसके बाद इस अनुसूची में सिन्धी ,फिर नेपाली. कोंकडी और मणिपुरी, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुडीं। आज अष्टम अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएँ हैं। 1991 की जनगणना[4] के अनुसार इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या देश की जनसंख्या का 99.92 प्रतिशत है। निष्कर्षत: आज देश की प्रधान भाषाएँ बाइस हैं। ये भाषाएँ विश्व के चार प्रमुख भाषा परिवारों – भारोपीय परिवार जिसके अंतर्गत असमिया, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, बंगला मराठी, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, संस्कृत व हिंदी, द्रविड़ परिवार जिसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़, तिब्बती-चीनी परिवार की मणिपुरी तथा ऑस्ट्रिक परिवार की संथाली व बोडो हैं।

इन प्रधान भाषाओं में हिंदी केंद्रीय महत्व की भाषा बनी। उसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा का गौरव मिला। इसका कारण था कि हिंदी क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से देश के सबसे बड़े भूभाग की भाषा है। यह देश के ग्यारह प्रदेशों – उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रधान भाषा है; इसके बोलने वालों की संख्या देश की जनसंख्या का 42.88 प्रतिशत है तथा व्यापार, जन संचार तथा राजनीति की दृष्टि से यह देश की संपर्क भाषा है।[5] इसीलिए देश की भाषाओं में हिंदी प्रतिनिधि भाषा मानी गई। संभवत: यही कारण है कि जहाँ अन्य भारतीय भाषाएँ अपने-अपने क्षेत्रीय नामों से जानी जाती हैं – पंजाबी, पंजाब की भाषा; मराठी, महाराष्ट्र की; बंगला, बंगाल की; असमिया, असम की; तमिल, तमिलनाडु की वहीं हिंदी, हिंद की या हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान की भाषा कही जाती है। हिंदी की इसी व्यापकता को देखकर महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी थी और देश के सभी नेताओं ने जो प्रमुखत: हिंदीतर प्रदेश के थे, हिंदी का समर्थन किया था, उसके व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना बनाई थी तथा वह देश के स्वाधीनता आंदोलन में शंखनाद की भाषा भी बनी थी।[6]

हिंदी एक समृद्ध, भाषिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परंपरा की वाहिनी है। वह संस्कृत जैसी प्राचीन सम्पन्न भाषा

की उत्तराधिकारिणी है, उदारशीला है। उसने ध्वनि और शब्द संपदा दोनों ही दृष्टियों से विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से असंख्य शब्दों को ग्रहण कर तथा अपनी भाषिक प्रकृति में ढालकर हिंदी को समृद्ध किया है। विभिन्न क्षेत्रों के संतों तथा विभिन्न मतों और धर्मों के अनुयायियों ने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और हिंदी को देश के कोने-कोने तक पहुँचाया। यही कारण है कि हिंदी ही संपूर्ण भारत की एक ऐसी भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा कामाख्या से कच्छ तक समझी व बोली जाती है। वस्तुत: एक हजार वर्षों से हिंदी देश की सामाजिक संस्कृति की वाहिका रही है। वह देश के विभिन्न भाषा भाषी प्रांतों की प्रमुख संपर्क भाषा एवं धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केन्द्रों में आदान- प्रदान का माध्यम रही है।[7]

महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित 'बौद्ध गान ओ दूहा' से ज्ञात होता है कि सातवीं शती में बंगाल के सिद्ध अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग करते थे। नाथ पंथ के संत गोरखनाथ ने अपनी वाणी के प्रचार के लिए संस्कृत के साथ हिंदी का सहारा लिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल में गहनीनाथ, मुक्ताबाई एवं नामदेव आदि महाराष्ट्री संतों ने हिंदी में रचनाएँ कीं। सूफी संतों ने भी अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी को अपनाया। सूफी संत अरबी-फारसी के विद्वान होते थे किंतु नित्य प्रति व्यवहार में या सत्संग सभाओं में हिंदी में ही उपदेश देते थे। सूफी कवियों की अधिकांश रचनाएँ फारसी लिपि में किंतु अवधी भाषा में हैं। अमीर खुसरो फ़ारसी का विद्वान था किंतु हिंदी में रचना करके इस देश की भाषा के लिए उसने अपना प्रेम तो प्रदर्शित किया ही है उसे व्यापक पाठक समाज तक पहुँचाया भी है। मध्ययुग में आगरा देश की राजनीति का तथा ब्रज भूमि संस्कृति की केंद्र थी। यहाँ की भाषा ब्रज, ब्रज प्रदेश की साहित्यिक भाषा थी। इसके व्यापक प्रभाव का अनुमान मुसलमान भक्त कवि रसखान की पंक्ति – 'मानुष हौं तो वही रसखान, बसौं, ब्रज, गोकुल गांव के ग्वारन' से लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के अनेक लेखकों ने हिंदी में रचनाएँ कीं। गुजरात के मालण, अरबा, दयाराम ने आत्माभिव्यक्ति के लिए हिंदी का सहारा लिया, बंगाल के शासक हुसेन शाह के आश्रित कवि कुतुबन ने मृगावती नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की और बहुत से मुसलमान तथा हिंदू कवियों ने विद्यापति के लीला परक गीतों से प्रभावित होकर ब्रजबुलि में राधाकृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। असम के शंकर देव और नारायण देव ने हिंदी में भक्ति परक पदों और पंजाब के गुरू नानक, गुरू गोविंद सिंह आदि सिक्ख गुरूओं ने हिंदी में मुक्तक तथा प्रबंध काव्य लिखकर अपनी भक्ति अर्चना की। दक्षिण में दखिनी हिंदी का जन्म द्रविड़ भाषाओं तथा हिंदी के अंतर्संबंध की अच्छी व्याख्या करता है।

यह कहना संभवत: अनुचित न होगा कि भारत देश का संतुलन बिंदु गंगा-यमुना का क्षेत्र रहा है। राम, कृष्ण तथा बुद्ध जैसे महामानव अवतारी पुरुषों की जन्म भूमि तथा लीला स्थली और इसी तरह काशी, मथुरा, हरिद्वार और गंगा यमुना सरस्वती की संगमस्थली प्रयाग संपूर्ण देश के लिए युगों से आकर्षण का केंद्र रही है। देश की सांस्कृतिक एकता में हिंदी क्षेत्र और हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की अधिकांश भाषाएँ चाहे वे किसी भी भाषा परिवार से संबंधित हों, उनमें अद्भुत समानता है।

भारतीय भाषाओं का अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि भारोपीय परिवार की भारतीय भाषाएँ अपने परिवार की अन्य भारोपीय परिवार की भाषाओं से पर्याप्त विभिन्न हैं जबकि वे भारत के दूसरे परिवार की भाषाओं से समानता रखती हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भारोपीय परिवार की आधुनिक भारतीय आर्यभाषा है। उसमें तथा द्रविड़ परिवार की भाषा तमिल में कई समानताएँ हैं जबकि भारोपीय परिवार की यूरोपीय भाषाओं में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच में वे समानताएँ नहीं हैं। इस प्रकार हिंदी अलग परिवार की भाषा तमिल के अधिक निकट है जबकि अपने ही परिवार की अंग्रेजी, जर्मन आदि से दूर। इसी प्रकार हिंदी और तमिल की समानता मुंडा परिवार की भाषाओं में देखी जाती है। अपने परिवार की

भाषाओं के अतिरिक्त विभिन्न भाषा परिवारों की भारतीय भाषाओं की यह समानता विभिन्नता में एकता के सिद्धांत को पुष्ट करती है।

भारतीय भाषाओं तथा हिंदी के अन्तर्संबंधों को यदि हम देखें तो हमें अद्भुत समानताएँ दिखती हैं जो नितांत संयोग न होकर उन भाषाओं के सांस्कृतिक सामाजिक संबंधों की द्योतक है, बाहरी विभिन्नता तथा आंतरिक एकता को पुष्ट करती है। यह समानता ध्वनि, शब्द, वाक्य तथा लिपि सभी स्तर पर दिखाई पड़ती है।

भारतीय भाषाओं में चाहे वे किसी भी भाषा परिवार की हों उनकी ध्वन्यात्मक व्यवस्था में एक समानता दिखती है। आर्यभाषा परिवार की आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं तथा द्रविड़ परिवार की भाषाओं का वर्णमाला क्रम एक ही है। द्रविड़ परिवार की प्राचीन तथा प्रधान भाषा तमिल में भी जिसमें व्यंजनों की संख्या सीमित है, वर्णमाला भी देवनागरी से नितांत भिन्न है पर दोनों भाषाओं की वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम हिंदी के समान है। तमिल में व्यंजनों का क्रम क ङ च ञ ट ण त न प म य र ल व ष़ ल़ ऱ ऩ हैं। अंतिम चार व्यंजनों को छोड़कर जो तमिल की विशिष्ट ध्वनियाँ हैं, शेष सभी व्यंजनों का क्रम देवनागरी की वर्णमाला के ही समान है।[8]

हिंदी स्वर वर्णमाला में ह्रस्व तथा दीर्घ के क्रम की व्यवस्था है। उदाहरणार्थ ।अ। तथा ।आ।, ।इ। तथा ।ई।, ।उ। तथा ।ऊ। यह क्रम व्यवस्था सभी भारतीय भाषाओं में दिखती है। भारोपीय परिवार की यूरोपीय भाषाओं में स्वर वर्णमाला में यह क्रम नहीं दिखता।

भारतीय भाषाओं में व्यंजनों का क्रम अधिक वैज्ञानिक है। गले से होंठ तक के स्थानों से उच्चरित व्यंजनों में भी क्रम व्यवस्था दिखाई पड़ती है। (कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग के क्रम में) इस वैज्ञानिक व्यंजन क्रम व्यवस्था के कारण भारतीय भाषाओं में बहुत कम अंतर आया तथा साम्य बना रहा।

।ट। का उच्चारण भारतीय भाषाओं की विशेषता है। अन्य किसी भारोपीय परिवार की यूरोपीय भाषा में ।ट। वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण नहीं दिखता। ।ट। वर्ग की ध्वनियाँ भारोपीय, द्रविड़ तथा मुंडा परिवार की भाषाओं में भी है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि ।ट। वर्ग की ध्वनियाँ संस्कृत में तथा आधुनिक आर्य भाषाओं में द्रविड़ भाषाओं के प्रभाव से आई। भारत की भाषाओं में ।त। और ।ट।, इसी तरह ।द। और ।ड। ध्वनियाँ ध्वनिग्रामिक हैं जबकि यूरोप की भाषाओं में ।t। तथा ।d। का उच्चारण है। इसी तरह ।ष। और ।ण। भी भारतीय भाषाओं की विशेषता है।

महाप्राण ध्वनियाँ भारतीय भाषाओं की विशेषता है। वस्तुत: पहले की सभी भारोपीय भाषाओं में महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण था जिसे उन भाषाओं ने बाद में छोड़ दिया। संस्कृत में यह उच्चारण सुरक्षित रहा जिससे वह अन्य भारतीय भाषाओं में आया। द्रविड़ परिवार की भाषाओं ने आर्य भारतीय परिवार की भाषाओं की इस विशेषता को अपना लिया।

हर वर्ग की नासिक्य ध्वनि, उनका उच्चारण, उनकी ध्वनिग्रामिता भारतीय भाषाओं की विशेषता है जबकि यूरोप की भाषाओं में दो ही नासिक्य व्यंजन ।न। तथा ।म। रह गए हैं। भारतीय भाषाओं में ।ङ।, ।ञ।, ।ण।, ।न।, ।म। पाँच नासिक्य व्यंजन मिलते हैं।

शब्द स्तर पर हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में समानता दिखती है। हिंदी का शब्द समूह प्रधानतया भारतीय आर्य भाषा

का शब्द समूह है। हिंदी में बहुत से शब्द अविकल रूप में संस्कृत से आए – अग्नि, नभ, वायु, जल, धरती, माता, पिता, धर्म, कर्म, जन्म, मृत्यु आदि। कुछ शब्द संस्कृत से पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए और अन्य भारतीय भाषाओं में भी पहुँचे। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ध्वन्यात्मक परिवर्तन लेकर आए वे तद्भव शब्द कहलाए जैसे अग्नि से आग, पूर्व से पूरब, दंत से दांत, मयूर से मोर,चतुर्दश से चौदह, कृष्ण से कान्हा, रात्रि से रात। देशज शब्दों में उन शब्दों की गणना हिंदी में होती है जिनके स्रोत की आज हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे शब्द देश में उत्पन्न (देशज) या बने हुए क्षेत्रीय शब्द मूलत: माने गए। पेड़, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, झगड़ा, झूठ, लड़का आदि इसी वर्ग के शब्द हैं।

हिंदी चूंकि एक व्यापक क्षेत्र की भाषा है और हिंदी बोलने वाले लगभग सारे देश में फैले हुए हैं इसलिए स्वाभाविक है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं से भी शब्द हिंदी ने लिए हों। इन शब्दों में कहीं तो ध्वन्यात्मक परिवर्तन हुआ तो कहीं उन्हें उसी रूप में ग्रहण कर लिया गया। हिंदी की सीमावर्ती भारतीय भाषाएँ पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, बंगला, नेपाली आदि हैं। हिंदी ने अगरु, उपन्यास, गल्प, धन्यवाद बांगला से, वाङमय, लागू, चालू, प्रगति मराठी से, हड़ताल गुजराती से, छोले, भठूरे पंजाबी से लिए।

अरबी-फारसी से हिंदी में आए शब्द भी हिंदी में ऐसे रच बस गए हैं कि वे अब हिंदी के ही शब्द मालुम पड़ते हैं। इन शब्दों का प्रवेश हिंदी में उस समय हुआ जब मुसलमान शासकों ने विशेषकर तुर्की बोलने वाले मुगल शासकों ने धर्म के लिए अरबी तथा शासन के लिए फारसी भाषा का प्रयोग शुरू किया। अरबी के शब्दों में इंतजाम, असर, शुरू, वकील, किताब, हुक्म, अक्ल, मशहूर, मालूम तथा फारसी के शब्दों में चश्मा, रास्ता, आदमी, औरत, कालीन, आदि कितने ही शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में बड़े सहज रूप में होता है। तुर्की भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रचलन चाकू, कैंची, तोप, दरोगा, चेचक, बीबी, बावर्ची, काबू, तमगा, चोगा, कुर्की आदि हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश शब्दों के हिंदी या भारतीय भाषाओं में समानक भी नहीं हैं।

मुगलों के बाद भारत में पुर्तगाल, फ्रांस, हालैंड तथा इंगलैंड आदि यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। डच भारत से जल्दी चले गए, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों ने सुदूर पश्चिम तथा सुदूर दक्षिण में अपने उपनिवेश बनाए किंतु अंग्रेज सारे भारत पर छा गए। देश अंग्रेजी का गुलाम हो गया। अंग्रेजी प्रशासन की, शिक्षा की तथा सभ्यता की भाषा बनी। अंग्रेजी की वर्चस्विता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि देश की स्वाधीनता के सतहत्तर (77) वर्ष बाद भी अंग्रेजी देश की राजभाषा बनी हुई है और वह सारे देश में शिक्षा तथा प्रभुत्व की भाषा है। अंग्रेजी के बिना देश अपने को असमर्थ तथा पंगु समझने लगा। स्वाभाविक ही था कि हिंदी में पुर्तगाली, फ्रेंच और अंग्रेजी शब्द आते। अंग्रेजी के शब्द तो हिंदी में इतने आ गए कि उनकी लंबी सूची बन सकती है। ये विदेशी शब्द हिंदी शब्द भंडार के अनिवार्य अंग बन गए। इन शब्दों का हिंदीकरण भी हुआ और उन्हें हिंदी की रूप रचना में ढाल लिया गया।

हिंदी में जिन स्रोतों से ये शब्द आए हैं, उन्हीं स्रोतों से ये शब्द भारतीय भाषाओं में पहुंचे हैं। इन विदेशी शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन भी नहीं के बराबर हुए हैं क्योंकि अंग्रेजी देश के सभी प्रांतों में शिक्षा, प्रशासन तथा न्याय की भाषा थी इसलिए इन विदेशी शब्दों का स्वरूप भी सभी भारतीय भाषाओं में सुरक्षित रहा। इस प्रकार किन्हीं दो भारतीय भाषाओं में विभिन्न स्रोतों से आए हजारों शब्द समान हैं और ये शब्द दो भाषाओं के बीच पारस्परिक बोधगम्यता के कारण है। वस्तुत: हमारे सामने एक अखिल भारतीय शब्दावली है जो सभी भारतीय भाषाओं में न्यूनाधिक मात्रा में समान रूप से प्रयोग में आती है। ये आयातित विदेशी शब्द संपदा भारतीय भाषाओं और हिंदी के अंतर्संबंधों को पुष्ट करने वाली है।

भारतीय भाषाओं में आयातित इस शब्दावली की एक विशेषता और भी है कि भारतीय भाषाओं ने तत्सम, तद्भव आदि संस्कृत शब्दों तथा फारसी, अरबी आदि भाषाओं से आए हुए शब्दों के साथ उनकी रूप रचना भी ग्रहण की है तो कहीं जैसा ऊपर कहा जा चुका है उन्हें अपनी रूप रचना में भी ढाला है। विदेशी प्रत्ययों और उपसर्गों को लेकर हम भारतीय भाषाओं में शब्दों का निर्माण भी करते हैं। उदाहरणार्थ हिंदी में बेसुरा, नासमझ, चूड़ीदार गुजराती – बेमान (बेहोश), धारदार (पैना)। इस समान शब्द निर्माण पद्धति के कारण भारतीय भाषाओं की पारस्परिक बोधगम्यता भी बढ़ी है।

भारतीय भाषाओं में नित बढ़ता पारिभाषिक शब्दावली का भंडार भी भारतीय भाषाओं को और निकट लाता जा रहा है। सभी भारतीय भाषाएं विज्ञान, शिक्षा, विधि, प्रशासन, प्रबंधन आदि के क्षेत्र में भाषा की समृद्धि के लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता अनुभव करती हैं। हम पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए सामान्यत: संस्कृत का सहारा लेते हैं क्योंकि संस्कृत के पास समृद्ध और विशाल शब्द भंडार तो है ही साथ ही संस्कृत की सहायता से बनाए गए शब्द भारतीय भाषाओं में अनेक हैं। उदाहरणार्थ - दूरभाष, दूरदर्शन, दूरलेख, दूरमुद्रक, दूरेक्ष। राष्ट्रपति, परिप्रेक्ष्य, संक्रांति, संचार व्यवस्था, सम्प्रेषण, मानव संसाधन। अंग्रेजी से लिए गए पारिभाषिक शब्दों की भी हिंदी में कमी नहीं है – अकादमी, यूनियन, स्ट्राइक, राकेट, मिसाइल, कैप्स्यूल, लेजर, एक्सरे आदि।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग और सम्प्रेषण सीमा का विस्तार भाषाओं को निकट लाता है। भाषा भाषियों के ज्ञान क्षेत्र के विस्तार के साथ पारिभाषिक शब्दावली का व्यवहार बढ़ता है और यह पारिभाषिक शब्द व्यवहार का विस्तार भारतीय भाषाओं को समर्थ तो बना ही रहा है उन्हें निकट लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हो और उसका मानकीकरण भी हो।

वाक्य संरचना भाषा विश्लेषण का जटिल पक्ष है। विविध भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता या अंतर्संबंधों की व्याख्या के लिए मैं यहाँ कुछ उदाहरण भारतीय भाषाओं की वाक्य संरचनागत समानता के देना चाहूंगा। अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग पदक्रम होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भारोपीय परिवार की भाषाएँ हैं। अंग्रेजी भाषा के वाक्य में पद क्रम कर्त्ता+क्रिया+कर्म है किंतु हिंदी भाषा में पदक्रम कर्त्ता+कर्म+क्रिया का है। अंग्रेजी भाषा का ही पदक्रम जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि भाषाओं में भी मिलता है किंतु विलक्षण बात यह है कि हिंदी का पद क्रम अपने परिवार की भारोपीय परिवार की यूरोपीय भाषाओं से विभिन्न किंतु भारतीय भाषाओं के समान है। हिंदी वाक्य रचना का पदक्रम भारतीय आर्यशाखा की भाषाओं में, द्रविड़ भाषाओं में तथा मुंडा परिवार की भाषाओं में भी मिलता है।

पदक्रम के साथ ही पदक्रम से जुड़ी एक दूसरी विशेषता पदबंध के भीतर शब्दों के क्रम में भी है। हिंदी में हम संज्ञा शब्दों के बाद कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग का अर्थ है बाद में जोड़ा जाने वाला अंश जैसे – जेब में (in the pocket), बाज़ार को (to the market) घर के लिए (for the home)। फारसी भाषा में भी पूर्व सर्ग का प्रयोग होता था जैसे दरअसल (असल में) ताज़िंदगी (जिंदगी भर) सिवाय आप (आप के सिवा)। संभवत: पूर्व सर्ग आर्य भाषाओं की सामान्य विशेषता थी किंतु लगता है कि भारतीय आर्य भाषाओं में ही परसर्ग का विकास हुआ। भारतीय आर्य भाषा, द्रविड़ भाषाओं तथा तिब्बती बर्मी वर्ग की भारतीय भाषाओं (मणिपुरी आदि) में परसर्ग का प्रयोग होता है और इस प्रकार सभी भारतीय भाषाएँ परसर्ग भाषाएँ कही जा सकती हैं।

क्रिया रचना में भी पद व्यवस्था की ओर यदि ध्यान दिया जाए तथा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की इस व्यतिरेकी अक्ष से तुलना की जाय तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में मुख्य क्रिया वाचक शब्द पहले आता है और सहायक क्रिया बाद में तथा अंग्रेजी में मुख्य क्रिया शब्द क्रिया पदबंध के अंत में आता है तथा सहायक क्रिया पहले। तुलना कीजिए –

क.	यह कहा जा चुका है	/this has been said/
ख.	काम किया जा रहा है	/the work is being done/

सभी भारतीय आर्य भाषाओं और द्रविड़ भाषाओं में क्रिया रचना का यह रूप समान है। इनमें मुख्य क्रिया पहले आती है, सहायक क्रिया बाद में। रंजक क्रिया की दृष्टि से भी सभी भारतीय भाषाओं में एकरूपता है। 'करना' मूल क्रिया है। इसी क्रिया से कर लेना, कर देना, कर डालना, कर गुज़रना, कर रखना आदि रंजक क्रियाएँ बनी हैं। भारोपीय परिवार की यूरोपीय भाषाओं में रंजक क्रिया का विधान नहीं है। संस्कृत में भी रंजक क्रियाएं नहीं हैं। यह विशेषता केवल आधुनिक भारतीय भाषाओं में दिखती है। कई विद्वानों का यह भी विचार है कि रंजक क्रियाएँ द्रविड़ भाषाओं की विशेषता थी तथा वहीं से अन्य भारतीय भाषाओं में पहुंची। प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना द्रविड़ और आर्य दोनों परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं में समान है। अंग्रेजी में प्रेरणार्थक क्रियाएं अलग होती हैं, मूल क्रिया के रूप में परिवर्तन कर नहीं बनती। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं –

बनना	/to get built/	लिखना/to write/	
बनाना	/to construct/	लिखाना/to dictate/	
बनवाना	/to get it constructed by someone/	लिखवाना /to make some one write/	
पढ़ना	/to study/	खाना/to eat/	
पढ़ाना	/to teach/	खिलाना/to feed/	
पढ़वाना	/to get taught/	खिलवाना/to get some one fed/	

मौखिक अभिव्यक्ति को देश और काल की सीमा से मुक्त करने के लिए मानव ने लिपि का आविष्कार किया। भारतीय भाषाओं में कश्मीरी, सिंधी तथा उर्दू को छोड़कर जो फारसी लिपि पर आधारित हैं, कुल नौ लिपियां हैं। ये सभी नौ लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं इसलिए इनमें वर्णों की समानता दिखती है, लेखन प्रवृति एक जैसी है। हिंदी, मराठी तथा संस्कृत की लिपि देवनागरी है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी (गुरुमुखी), बंगला (जो असमिया तथा मणिपुरी के लिए प्रयुक्त होती है) भाषाओं की अलग-अलग लिपियां हैं। विकास क्रम में इनके वर्णों में परिवर्तन तो हुआ फिर भी स्पष्ट साम्य झलकता है। लिपियों की साम्य तालिका से ये बात आसानी से समझी जा सकती है।

भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में भाषिक स्तर पर समानता हिंदी और भारतीय भाषाओं के अंतर्संबंधों की व्याख्या करती है। भारतीय भाषाओं की इस मूलभूत एकता का कारण देश की सांस्कृतिक एकता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला तथा संस्कार की एकता भाषायी एकता को सुदृढ़ करती है। सभी भाषाओं की अपनी-अपनी व्याकरणिक विशेषताएँ हैं, उनकी अपनी लिपियां हैं, उनकी अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपराएं हैं किंतु उनमें पारस्परिक समानताएं भी हैं जो भाषिक बोधगम्यता बढ़ाती हैं और सभी को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं जिससे हम भारत को एक बृहत् भाषायी क्षेत्र के रूप में देखते हैं। एक समय था जब संस्कृत भाषा सारे देश को भाषा और साहित्य से जोड़े हुए थी और केंद्रीय भाषा थी। व्यापक देशव्यापी पहुंच के लिए व्यक्ति संस्कृत में अभिव्यक्ति चाहता था। कालान्तर में यह दायित्व पाली और प्राकृत भाषाओं ने निभाया। आज सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की धुरी हिंदी है जो देश की संपर्क भाषा बनी है। डॉ॰

सुनीति कुमार चाटुर्ज्या अपनी पुस्तक 'भारतीय आर्यभाषा और हिंदी' में लिखते हैं –

हिंदी (हिंदुस्तानी) एक महान संपर्क साधक भाषा है। संस्कृत (जो इसकी जननी है तथा नागरी हिंदी जिसके बराबर अपने शब्दों का भंडार परिपूर्ण करती रहती है), द्राविड़ भाषाएँ (जिनके रूप तत्व, वाक्य विन्यास एंव मुहावरों की कुछ आधारभूत बातें इसमें मिलती हैं) तथा अरबी-फारसी (जिनका इसकी शब्दावली पर प्रभाव पड़ा है और जिसके उर्दू रूप की लिपि, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक शब्द, साहित्यिक अंग तथा आदर्श एवं अभिव्यक्ति के साधन, सब इन्हीं से आए हैं) सब एकत्रित होकर हिंदुस्तानी में एक ही जगह मिल जाती है। सभी महान अंतरराष्ट्रीय स्थिति को प्राप्त भाषाओं (उदा. अंग्रेजी) की भांति हिंदुस्तानी भी अब प्रान्त या देश के संकुचित दायरे को छोड़कर विश्वकोशीय स्थिति (encyclopaedic stage) को प्राप्त कर रही है। हमें अब इस भाषा के शब्दों को देखते हुए यह आवश्यक वस्तु मुक्त कंठ से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि होनहार एवं हाट बाज़ार की आम जनता की सहज हिंदुस्तानी ही भारत की वास्तविक राष्ट्रभाषा है।[9]

भारतीय भाषाओं और हिंदी के अंतर्संबंधों को प्रमाणित करने से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय भाषाओं और हिंदी के अन्तर्संबंधों को कैसे और अधिक प्रगाढ़ और प्रबल बनाया जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष निदेश दिया गया है। मंत्र रूप में यह निदेश भारतीय भाषाओं और हिंदी के अन्तर्संबंध की ओर संकेत तो करता ही है, साथ ही यह भी बताता है कि हिंदी का विकास तथा भारतीय भाषाओं का विकास अन्योन्याश्रित है।

भारतीय भाषाओं और हिंदी के अंतर्संबंधों का साहित्यिक तथा भाषिक स्तर पर संक्षिप्त विवेचन आलेख में किया जा चुका है। अब आवश्यकता इस बात के विवेचन की है कि ये अंतर्संबंध कैसे प्रगाढ़ और सुहढ़ हों। उल्लेखनीय है कि संविधान की अष्टम अनुसूची में जिन 22 भाषाओं की गणना है, उनमें अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी की भी गणना है जिसका राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343(1) में पहले ही उल्लेख हो चुका है, इसी प्रकार संस्कृत की भी गणना है जो आधुनिक भाषा नहीं है और न ही मौखिक व्यवहार में आज उसका प्रयोग होता है। यह संभवत: इसलिए है कि हिंदी तथा संस्कृत दोनों भाषाएं सभी भारतीय भाषाओं की पोषक हैं और इन दोनों का ही सहयोग भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अनिवार्यता है। संस्कृत जहां सभी भारतीय भाषाओं के लिए तथा हिंदी के लिए भी संजीवनी का कार्य करती है वहीं हिंदी सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय अभिव्यक्ति देने में सक्षम है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया निदेश यह संकेत देता है कि हिंदी तभी सबल होगी और भारत का सच्चा एवं पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकेगी, जब वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बने और यह तब संभव होगा जब वह भारतीय भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए अपने शब्द भंडार को प्रमुखत: संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भारतीय भाषाओं से समृद्ध करे। रामचरित मानस में मुखिया के गुणों की व्याख्या तुलसी ने इस प्रकार की है –

मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सों एक।
पाले पोसे संकल अंग तुलसी सहित विवेक।।[10]

सारे शरीर का पालन पोषण मुख से होता है। मुख स्वयं तो अन्न जल ग्रहण करता हैं किंतु ग्रहण किए गए भोजन की शक्ति इससे सारे अंगों को प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुखिया के मुख के समान देश की प्रतिनिधि भाषा हिंदी

है, और सभी भारतीय भाषाएं उसकी अंग हैं। भारतीय भाषाओं की सम्पन्नता और उनकी शक्ति हिंदी पर निर्भर करती है। हिंदी ही उन भारतीय भाषाओं की शक्ति को अभिव्यक्ति और प्रसार देगी। हिंदी सबल होगी तो भारतीय भाषाएं भी सबल होंगी। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय भाषाओं की सबलता हिंदी की सबलता है। जब शरीर के सारे अंग पुष्ट होंगे तभी शरीर स्वस्थ व पुष्ट बनेगा। वस्तुत: हिंदी और भारतीय भाषाएं दोनों अन्योन्याश्रित हैं।

हिंदी देश की प्रधान भाषा है – क्षेत्र के दृष्टि से, भाषा-भाषियों की संख्या की दृष्टि से, संपर्क साधक भाषा की दृष्टि से किंतु यह हिंदी देश की प्रतिनिधि भाषा के रूप में तभी सबल बनेगी जब वह केवल हिंदी क्षेत्र की, केवल हिंदी भाषा भाषियों की भाषा से ऊपर उठकर सभी भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि भाषा बनेगी, जब हिंदी भाषा में पूरे देश की छवि प्रतिबिंबित होगी और वह संपूर्ण देश को, विभिन्न प्रांतों को, उनके साहित्य को, उनके संस्कारों को और उनके जीवन को समझने के लिए एक माध्यम भाषा बन जाएगी। यह तब होगा जब भारतीय भाषाओं के साहित्य का प्रभूत मात्रा में हिंदी में अनुवाद होगा, प्रांतीय भाषाओं की फिल्में हिंदी में अनूदित होकर आएंगी, उनका ज्ञान साहित्य और उन प्रांतों की संपूर्ण जानकारी हिंदी में उपलब्ध होगी। भारतीय प्रदेशों को, उनके रूप रंग और आत्मा को समझने के लिए हिंदी माध्यम भाषा बन जाएगी। अभी एक प्रांतीय भाषा का लेखक व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचने के लिए हिंदी में लिखने का प्रयत्न करता है, अभिनेता व्यापक दर्शक तक पहुंचने के लिए हिंदी भाषा में काम करते हैं, क्या यह संभव नहीं है कि प्रांतीय भाषा में लिखे गए साहित्य का, प्रांतीय भाषा में बनी फिल्मों का व्यापक स्तर पर हिंदी भाषा में योजनाबद्ध तरीके से अनुवाद हो। इससे प्रांतीय भाषाएं भी समृद्ध होंगी और उनके अनुवाद से हिंदी भी समृद्ध होगी। विश्व की सभी समृद्ध भाषाओं की यही विकास प्रक्रिया है। हिंदी के ही समान सभी भारतीय भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपरा है, सम्पन्न शब्द भंडार है, वे अंचल विशेष की भावनाओं, धारणाओं, चिंतन-मनन की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, आवश्यकता है उन्हें प्रोत्साहन देने की और अधिक सम्पन्न बनाने की। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अन्त: सम्पर्क के लिए हिंदी सेतु का कार्य करेगी जैसा आज भी करती है और एक हज़ार साल से करती आ रही है। हिंदी सेतु के माध्यम से किसी भी भारतीय या विदेशी भाषा का व्यक्ति संपूर्ण भारत को समझ सकेगा। हां यह सेतु मज़बूत होना चाहिए जिससे वह संपूर्ण भारत की सम्पन्न भाषाओं की गरिमा को वहन कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी का मानकीकरण हो, हिंदी का पारिभाषिक शब्द भंडार और समृद्ध हो, एक अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हो और हिंदी में भी उन सब गुणों का विकास हो जो समृद्ध आधुनिक भाषा के लिए आज आवश्यक हैं।

भारत एक महादेश है। यह अनेक संस्कृतियों का देश है और एक बृहत भाषायी क्षेत्र है। भारत की सभी भाषाएं अपने भाषिक तथा साहित्यिक वैशिष्ट्य के साथ अन्तर्गुम्फित भी हैं। उनकी भाषिक समानताएं और उनके संस्कार, उनकी जीवन दृष्टि उन्हें परस्पर जोड़े हुए है। इन अंतर्संबंधों की प्रगाढ़ता और सुदृढ़ता में ही हिंदी की शक्ति और भारतीय भाषाओं का विकास और विस्तार निहित है।

संदर्भ

1. फर्ग्युसन, सी.ए.: नेशनल सोशल लिंग्विस्टिक प्रोफाइल फार्मूलाज़, सोशियो लिंग्विस्टिक सं. ब्राइट, 1966. पृ. 313.
2. एमेन्यु एम.बी.: इंडिया ए. लिंग्विस्टिक एरिया, लैंग्वेज इन कल्चर एण्ड सोसाइटी (हाइम्स) 1966. पृ. 650.
3. सेंसज़ आफ इंडिया 1967 वाल्यूम 1, पार्ट (II)-सी (II) नई दिल्ली 1961
4. सेंसेज़ आफ इंडिया 1991 सिरीज 1-भारत पार्ट IV. बी(आ.ई)(ए)-सी सिरीज़ टेबल सी-, भारत, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश

5. वर्मा ,विमलेश कान्ति, हिंदी और उसकी उपभाषाएँ,प्रकाशन विभाग , भारत सरकार ,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना भवन , नई दिल्ली
6. वर्मा ,विमलेश कान्ति, हिंदी; राष्ट्रभाषा से राज भाषा तक ,प्रकाशन विभाग , भारत सरकार ,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना भवन , नई दिल्ली
7. वर्मा ,धीरेन्द्र,हिंदी भाषा का इतिहास ,हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहांबाद
8. वर्मा,विमलेश कान्ति तमिल और देवनागरी ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन, भाषा वर्ष 1965 खंड 5 अंक 1 पृष्ठ 91-95 ,केंद्रीय हिंदी निदेशालय,शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार
9. चाटुर्ज्या, सुनीति कुमार भारतीय आर्यभाषा और हिंदी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 1963, पृ. 160.
10. तुलसीदास : रामचरित मानस 2.315 गीताप्रेस, गोरखपुर

कृत्रिम मेधा के युग में भारतीय भाषाएं और हिंदी- अवसर एवं चुनौतियां

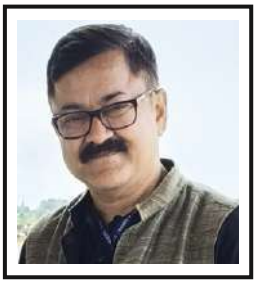

प्रो. गिरीश नाथ झा
अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी
शब्दावली आयोग, नई दिल्ली
डॉ. आकाश मोहन रावत
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली

शोधसार:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (रा.शि.नी. 2020) ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रन्तिकारी परिवर्तनों के साथ नये दिशा निर्देश दिए। रा.शि.नी. 2020 भारत केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है। नीति में कई घटकों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और छात्रों का अकादमिक अनुभव बेहतर बनाने हेतु मौलिक सुधारों पर प्रकाश डाला गया है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम को भारतीय भाषाओं में बनाने और पढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल की गयी है जिससे विधार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि के साथ साथ आत्मविश्वास का सृजन हो और पाठ्यक्रम के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित हो। भारत के विविध भाषाई परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह शोधपत्र एक ऐसी मानक भाषा पर चर्चा करता है जो संस्कृत आधारित, सर्वसमावेशी हो, जिसे आसानी से सम्प्रेषण योग्य बनाया जा सके और जिसे उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके। संस्कृत कई भारतीय भाषाओं की जननी है अतः भारतीय भाषाई इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है जिसका प्रयोग एक सर्व समावेशी भाषा का निर्माण करने में किया जा सकता है। शोधपत्र द्वितीयक आंकड़ो के माध्यम से एक ऐसी मानक भाषा की परिकल्पना करता है जिसे संचार, इन्टरनेट व कृत्रिम मेधा के अनुप्रयोागों द्वारा अति सुगम बनाया जा सके और जिसका उपयोग कर कुशलता से शिक्षा व संबद्ध सामग्री का निर्माण आसान हो सके। शोधपत्र उपर्युक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर अनेक सुझावों को प्रस्तुत करता है जिससे भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की मजबूत नीव बन सके। साथ ही शोधपत्र कृत्रिम मेधा के विभिन्न आयामों व संबद्ध चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।

मुख्यशब्द:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय भाषाएं, कृत्रिम मेधा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM), सर्वसमावेशी हिंदी

1. प्रस्तावना

भारतीय भाषाओं में संस्कृत का विशाल ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई महत्व रहा है। संस्कृत भारत और यूरोप की अधिकांश भाषाओं की जननी मानी जाती है। इन भाषाओं पर खास कर भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं पर संस्कृत का भाषाई, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव सर्वथा सिद्ध रहा है। यह शोधपत्र संस्कृत और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्संबंध का उपयोग कर एक ऐसी सर्वसमावेशी भाषा (हिंदी) की परिकल्पना करता है जिसे उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके। ऐसी सर्वसमावेशी भाषा के विकास के लिए जरुरी आधारभूत ढांचे क्या हों उसका भी सुझाव देता है। साथ ही संस्कृत के संरक्षण और पुनरुद्धार पर बल देता है।

संस्कृत का आधार : भाषा परिवार और भाषाई क्षेत्र

भारतीय उपमहाद्वीप लगभग डेढ़ अरब लोगो द्वारा बोली जानेवाली सैकड़ों भाषाओं का निवास स्थान है। भारत में भाषाओं को भाषा परिवार द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ अधिकतर भाषाएँ चार प्रमुख भाषा परिवार से आती हैं। जो कि इस प्रकार हैं –
भारतीय आर्य, द्रविड़,ऑस्ट्रो-एशियाई, तिब्बती-बर्मी।

एमेनो (1980) भारतीय भाषा परिवार को भारतीय आर्य, द्रविड़, मुंडा में वर्गीकृत करते हैं। वहीं अन्विता अब्बी, (2001) भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाई, तिब्बती-बर्मी, अंडमानी में भाषा परिवार की रचना करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भाषा वियोजक (language isolates) एवं लघु परिवार भी मौजूद हैं (Georg, 2017)।

बोरिन (2021) के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप कई असंबंधित भाषा परिवारों का समूह है जो एक लम्बे इतिहास के साथ बहुसमाजवाद और सामाजिक भाषाई रूप से जटिल भाषाई समुदाय बन जाता है। इसी कारण से अनेक विद्वानों के अनुसार इस क्षेत्र की भाषाएं आनुवांशिक रूप से संबंधित बाहरी भाषाओं की तुलना में एक दूसरे के ज्यादा समान प्रतीत होती हैं **(Emeneau 1956; Kachru et al. 2008; 206 Borin et al. Masica 1976)**. ये ही परस्थितियाँ भाषाई क्षेत्र की धारणा को जन्म देती हैं **(Trubetzkoy (1930))**। सामान्यतः भाषाई क्षेत्र वो संदर्भित करता है जहाँ निकट संपर्क और व्यापक बहुभाषावाद के कारण, भाषाओं ने एक दूसरे को इस हद तक प्रभावित किया है कि आनुवंशिक रूप से संबंधित और असंबंधित भाषाएं हमारी तुलना में अधिक संबंधित प्रतीत होती हैं।

(Borin,2021) के अनुसार भारत में इंडो आर्यन शाखा एक प्रमुख भाषा परिवार है जिन्हें समूचे भारत में बोला एवं प्रयोग में लाया जाता है। आमतौर पर इंडो आर्यन भाषाएं चार प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। (1) उत्तर-पश्चिमी (जैसे सिंधी, पंजाबी,लहंडा, विभिन्न पहाड़ी किस्में, डोगरी, कश्मीरी); (2) दक्षिण-पश्चिमी (जैसे गुजराती,मराठी, कोंकणी, धिवेही (मालदीवियन) और सिंहली); (3) मिडलैंड्स (सेंट्रल) (हिंदी-उर्दू और इसकी विभिन्न बोलियाँ जिनमें पूर्वी और पश्चिमी हिंदी भी शामिल हैं और उनकी बोलियाँ), जिसे हिंदी बेल्ट (बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,) के रूप में भी जाना जाता है।हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश); और (4) पूर्वी (उदा.बंगाली, असमिया, उड़िया)।

एक ही भाषाई क्षेत्र से होने के कारण संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं में साम्य देखने को मिलता है | यह साम्य विभिन्न पहलुओं द्वारा समझा जा सकता है। उपमहाद्वीप की समस्त भारतीय भाषाएं निम्नलिखित प्रकार से परस्पर साम्य प्रदर्शित करती हैं :

1.ध्वन्यात्मक रूप से, 2. शाब्दिक, 3. शब्द संरचनात्मक रूप से, 4. वाक्य विन्यासात्मक रूप से, 5. सांस्कृतिक रूप से

उपरोक्त साम्य अनेक प्रकार से लाभप्रद हैं जो इस प्रकार हैं।

1.भारतीय कोश और उसके विकास की संभावनाएं
2.भारतीय टैग-सेट (व्याकरण-अंकन-इकाइयाँ)
3.भारतीय आधारभूत व्याकरण

इस शोधपत्र के माध्यम से भारतीय भाषाओं में परस्पर अंतर्संबंध होने का गुण एवं आवश्यक परिस्थितियां जोकि एक सर्व समावेशी भाषा के विकास की अपार संभावानाओं को मजबूती प्रदान करता है पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही भारतीय शिक्षा प्रणाली को उक्त भाषा में रूपांतरित करने के विभिन्न अवयवों एवं चुनौतियों पर भी चर्चा करता है। विशाल शिक्षा पाठ्यक्रम को एक सर्वसमावेशी भाषा में अनुवाद करना मानवीय स्तर पर बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया है| कृत्रिम मेधा व बिग डेटा के युग में किस तरह से इस चुनौती से निपटा जा सकता है प्रस्तुत शोधपत्र इस पर चर्चा करता है।

2. कैसी हिंदी चाहिए?

एक ऐसी सर्व समावेशी भाषा जो संस्कृत का आधार लेकर अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द और सम्प्रेषण क्षमता स्वीकार करे। एक ऐसा सशस्क्त माध्यम जिसे हम संपूर्ण राष्ट्र में उच्च शिक्षा का माध्यम बना सकें। साथ ही ये भाषा वैदिकी और लौकिक रूप प्रयोग व उपयोग करने का भी सामर्थ्य रखती हो। वैदिकी द्वारा यह भाषा प्रशासन,साहित्य,शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान का माध्यम होगी वहीं लोक,संचार माध्यम,फिल्म टी.वी. आदि लौकिकी माध्यम के रूप में प्रयोग में लाई जा सकेगी। इन्टरनेट के विभिन्न रूपों में अपनी बेहतर उपस्थिति और पहचान बनाने में सक्षम हो और जिससे आम जनमानस खुद को उस माध्यम से जोड़ पाए। जैसे कि इन्टरनेट का सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वीडियो होस्टिंग प्लेटफार्म यूट्यूब जिससे भारत का जन-जन खुद को जोड़ पाता है पर भी भाषा अपना सर्व समावेशी गुण संरक्षित रख पाए| इसके साथ उपरोक्त भाषा के भाषा प्रौद्योगिकी के सारे सामान्य टूल्स सुगमता से उपलब्ध हों जिससे सूचना एवं शैक्षणिक सामग्री निर्माण आसान हो सके। जिसे कृत्रिम मेधा द्वारा हिंदी LLM ("भारती") बहुत ही विशाल डेटा समूह और लक्षणों पर प्रशिक्षित किया जा सके। जिससे इसकी जन-जन तक अभिगम्यता संभव हो सके।

3. भारत में हिंदी का विस्तार और वैविध्य

भारत के अनेकों राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है| 09 राज्य एवं 03 केंद्र शासित प्रदेश निमंलिखित हैं।

- 09 राज्य: उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड
- 03 केंद्र शासित प्रदेश: लद्दाख, एनसीटी दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह

साथ ही जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश), पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल,ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बड़ी संख्या में वक्ता हैं। साथ ही भारत के शहरों एवं महानगरों में, केंद्र सरकार, हिंदीतर क्षेत्रों के कार्यालयों, सेना शिविरों,केंद्रीय विद्यालयों में भी हिंदी का प्रतिदिन प्रयोग होता है।

4. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का विस्तार

विश्व में मंदारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी के बाद हिंदी चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उर्दू के साथ यह तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।जैसे कि पाकिस्तान में हिंदी को उर्दू के साथ बोला जाता है| त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम में इसे कैरेबियन हिंदुस्तानी के रूप में बोला जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय देश

फिजी में भी हिंदी बोली जाती है।

इसके साथ ही मध्य पूर्वी देशों, सयुंक्त राज्य अमेरिका, यूरोप,दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जहाँ अप्रवासी भारतीय निवास करते हैं एवं स्थानीय लोगों द्वारा भी हिंदी को बड़े स्तर पर बोला व समझा जाता है। उक्त सभी देशों में भारतीय टीवी सिनेमा एवं बॉलीवुड हिंदी सिनेमा का महत्वपूर्ण प्रभाव होने से हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में अपना स्थान रखती है।

इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर भारत सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दी है और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसकी मान्यता और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए उपाय करना जारी रखा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) में हिंदी पहले से ही नौ कामकाजी भाषाओं में से एक है| हाल के दिनों में, भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बयान दिए हैं, जिसमें 2014, 2019, 2020 और 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन भी शामिल है। 2018 में, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के बीच एक स्वैच्छिक वित्तीय योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अनुसार, यूएन ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट के साथ-साथ यूएन न्यूज की एक हिंदी वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट पर हिंदी में प्रसारित करता है, साउंड क्लाउड पर एक साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन जारी करता है, हिंदी में एक संयुक्त राष्ट्र ब्लॉग प्रकाशित करता है और संयुक्त राष्ट्र समाचार रीडर मोबाइल एप्लिकेशन का हिंदी विस्तार प्रदान किया है।

5. हिंदी भाषाई समुदाय

जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी भाषाई समुदाय का प्रतिशत 42.22 % (2011 में) है। उर्दू भाषा को सम्मिलित करने पर यह प्रतिशत 46.32% पहुँच जाता है| अन्य राज्यों और शहरों को शामिल करने पर यह प्रतिशत 60% प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। 81% से अधिक व्यक्तियों में हिंदी बोलने के सामान्य संवाद की क्षमता की संभावना है।

हिंदी की उप भाषाएं:

आकृति 1 हिंदी की उपभाषाओं जैसे छत्तीसगढ़ी,बज्जिका,भोजपुरी,राजस्थानी(जोधपुरी) पहाड़ी (कुमाउनी) को और उनके व्यवहारिक प्रयोगों को दर्शाता है और हिंदी को एक सर्वसमावेशी भाषा के रूप में इंगित करता है।

हिंदी	छत्तीसगढ़ी	बज्जिका	भोजपुरी	राजस्थानी (जोधपुरी)	पहाड़ी (कुमाउनी)
सीता एक पका आम खा रही है	सीता एक पका आम खवाथे	सीता एगो पाकल आम खाइछै	सीता एगो पाकल आम खतारी	सीता एक पकोरु आम खावे हैं	सीता एक पाकी आम खाने

आकृति 1: हिंदी की उपभाषाएं एवं उनके अनुप्रयोग

हिंदी और अन्य अनुसूचित भारतीय भाषाएं:

भारत विविध भाषाओँ का देश रहा है। एक सर्व समावेशी भाषा के रूप में हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भाषाओं की विविधता को एकजुट करती है। हिंदी ने विभिन्न भारतीय भाषाओँ और बोलियों के साथ-साथ कई वैश्विक भाषाओं को भी सम्मान दिया है और उनकी शब्दावली,वाक्यों और व्याकरण नियमों को अपनाया है। स्वतंत्रता आन्दोलन के कठिन दिनों में भी हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई| सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी ने कई भाषाओँ और बोलियों में बंटे देश में एकता की भावना पैदा की| आजादी के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था।

अतः इसी के चलते गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 'हिंदी शब्द सिन्धु' ऑनलाइन कोश को विकसित किया गया जिसके द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाकर उन्हें सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक उपयोग की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किया गया है। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय भाषा कॉरपोरा परियोजना शुरू की गयी जिसका उद्देश्य हिंदी वाक्यों का अन्य अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद और व्याकरणिक अंकन किया जाता है, जिससे हिंदी को सर्वसमावेशी भाषा के रूप में विकसित किया जा सकता है| इसी क्रम में हिंदी निदेशालय का समान्तर कोश और वै.त.श.आयोग का द्वि/त्रि/बहुभाषिक कोश, अन्य कोश, संस्कृत, हिंदी और भारतीय भाषाओं में साम्य और अखिल भारतीय शब्दावली द्वारा उक्त कार्य करने की असीम संभावनाएं हैं।

6. सर्वसमावेशी हिंदी की आवश्यकता क्यों है ?

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सर्वसमावेशी हिंदी ही अंग्रेजी के स्थान पर शिक्षा का सुगम माध्यम बन सकती है। सुगम भाषा से सुगम सम्प्रेषण, शिक्षा को अति सहज बनाने में मदद करता है जिससे विद्यार्थी बिना किसी भाषाई व्यवधान के संबंधित विषय के मूल सिद्धांत को समझेंगे और विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और साथ ही उनकी रचनात्मकता का भी संपूर्ण विकास संभव हो सकेगा।

यद्यपि भारत की भाषाई पृष्ठभूमि बहुभाषिक है पर लिपि के संधर्भ में बहुभाषाएं परस्पर जुडी हुई प्रतीत होती हैं। जिसे नीचे दी गयी आकृति संख्या-02 के सूची के डेटा के आधार पर समझा जा सकता है। जैसा कि नीचे आकृति संख्या 02 से स्पष्ट है कि संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में करीब करीब 50% भाषाओं (10) को देवनागरी लिपि में बोला,लिखा और समझा जा सकता है।करीब 15% भाषाओं बंगाली, असमिया, मणिपुरी को बंगाली लिपि में बोला,लिखा और समझा जा सकता है एवं 10% भाषाओँ को उर्दू और कश्मीरी को परसो-अरबी लिपि में बोला,लिखा और समझा जा सकता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि बहुभाषिक होने पर भी समान लिपियों का गुण भारतीय भाषाओं को एक सर्वसमावेशी भाषा में रूपांतरण की क्षमता रखता है।

क्रं.सं.	भाषा	लिपि
1.	हिंदी	देवनागरी
2.	संस्कृत	देवनागरी

क्रं.सं.	भाषा	लिपि
4.	कोंकणी	देवनागरी
5.	नेपाली	देवनागरी

क्रं.सं.	भाषा	लिपि
3.	मराठी	देवनागरी
7.	सिन्धी	देवनागरी
8.	बोडो	देवनागरी
9.	डोगरी	देवनागरी
10.	संथाली	देवनागरी,ओआई चिकि
11.	बांग्ला	बंगाली,
12.	असमिया	बंगाली,
13.	मणिपुरी	बंगाली,मैतेई
14.	गुजराती	गुजराती

क्रं.सं.	भाषा	लिपि
6.	मैथिली	देवनागरी
15.	कन्नड़	कन्नड़
16.	मलयालम	मलयालम
17.	ओड़िया	ओड़िया
18.	पंजाबी	गुरुमुखी
19.	तमिल	तमिल
20.	तेलगू	तेलगू
21.	उर्दू	फारसी अरबी
22.	कश्मीरी	फारसी अरबी

आकृति संख्या-02: भारतीय भाषाएं और लिपियां

अधिकतर भारतीय भाषाएँ दो प्रमुख समुदायों से जनित मानी जाती हैं, जो कि इंडो आर्यन एवं द्रविड़ियन में विभाजित हैं। **आकृति संख्या-03** भारत में भाषाएं और समुदाय प्रतिशत का विवरण देती है।

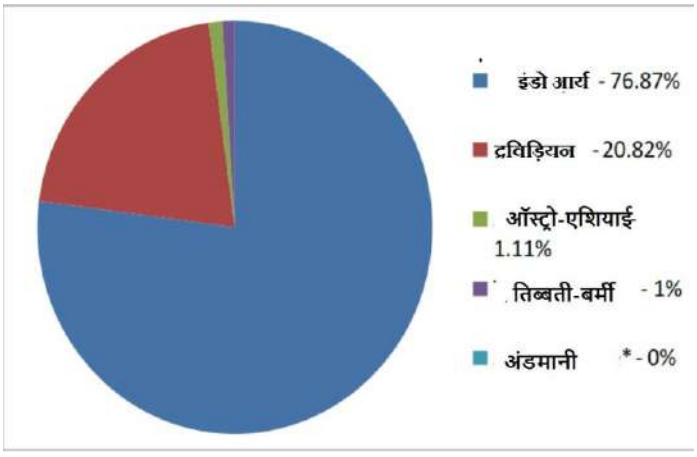

आकृति संख्या-03 भारत में भाषाएं और समुदाय प्रतिशत

विद्वानों ने दो वर्तमान वंशावली में भाषाओं और उनके अंतर्संबंधों को समझने का प्रयास किया है **(Borin et al.2021)**। आकृति संख्या. **03** भाषाओं का वर्गीकरण, दो भिन्न लेकिन काफी हद तक संगत को दर्शाता है। **Ethnologue (Simons and Fennig 2018)** मूलतः **Grierson's classification** का अनुसरण करता है वर्गीकरण, दो प्राथमिक भाषाओं के रूप में आंतरिक और बाहरी भाषाओं में इसके विभाजन के साथ शाखाएँ. **Glottolog (Hammarström et al. 2019)**, **Masica (1991)**, पर आधारित है।

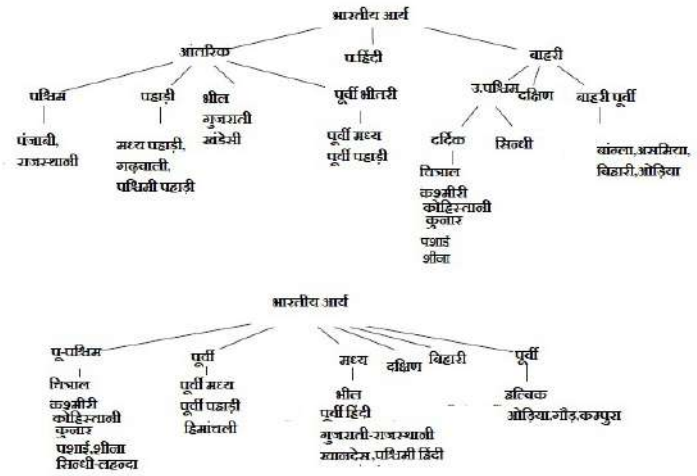

आकृति संख्या 04: इंडो आर्यन भाषाई परिवार के अंतर्गत भाषाओं का वर्गीकरण (**Borin et al.2021)**

7. नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का हस्तक्षेप

कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को बड़े पैमाने पर लाने की मंजूरी दी जिसके तहत स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिवर्तनकारी सुधार लाने का आहवान किया।नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के अंतराल के बाद आई है, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन की बात की गयी है। शिक्षा में भाषा को लेकर भी क्रन्तिकारी सुझाव नई राष्टीय शिक्षा नीति पेश करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, जहां भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा में होने का प्रावधान करती है। यह नीति घरेलू भाषा/मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने और शिक्षकों को शिक्षण के दौरान द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान करती है। इसके अलावा, यह अधिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) और उच्च शिक्षा में अधिक कार्यक्रमों के लिए मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने और/या द्विभाषी रूप से कार्यक्रम पेश करने का प्रावधान करता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों को स्थानीय भाषाओं में भी अपने पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब तक 10 राज्यों के 19 संस्थानों ने ऐसे पाठ्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया है।

ऐसा करते हुए, एनईपी 2020 ने भी काफी हद तक ध्यान केंद्रित किया है कि सभी भारतीय भाषाओं और मातृभाषाओं को बढ़ावा मिले चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो।

8. यदि उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी हो तो क्या करना अत्यंत आवश्यक होगा ?

उच्च शिक्षा का सर्वसमावेशी हिंदी में रूपांतरण जरुरी है इसके लिए अति आवश्यक है कि समस्त पाठ्यक्रम के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों के कोशों का त्वरित निर्माण हो। जिससे संबद्ध विषय संबंधी शैक्षणिक सामग्री निर्माण करने में भौगोलिक तथा भाषाई बाधाओं का निवारण हो सकेगा और पाठ्य सामग्री सभी विद्यार्थियों के लिए समरूप एवं संदर्भ के अनुरूप होगी। उक्त शब्दावली निर्माण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) की स्थापना 21 दिसंबर, 1960 को संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के प्रावधान के तहत भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को विकसित करने और परिभाषित करने के उद्देश्य से की गई थी। आयोग का उद्देश्य हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में; शब्दावलियाँ, पारिभाषिक शब्दकोश, विश्वकोशों का प्रकाशन करना; यह सुनिश्चित करना कि विकसित शब्द और उनकी परिभाषाएँ छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुँचें। साथ ही उपयोगी जानकारी प्राप्त करके (कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से) किए गए कार्यों पर उचित उपयोग/आवश्यक अद्यतन/सुधार/सुधार सुनिश्चित करना। आयोग द्वारा विभिन्न कोशों से पाठ्यक्रम में मौजूद हर विषय पर हिंदी में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव हो सकेगा, जिससे उक्त सर्वसमावेशी हिंदी में शिक्षण,पठन-पाठन का कार्य विद्यार्थियों-शिक्षकों के अनुरूप होगा। अतः सारी 270 मातृभाषाओं में (प्रारंभिक शिक्षा हेतु) एवं 22 अनुसूचित भाषाओं में (उच्च शिक्षा हेतु) में कोश निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे संबंधित भाषा में पाठ्य सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

इसी क्रम में AICTE ने अंग्रेजी भाषा के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए AICTE ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नामक एक टूल विकसित किया है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए संदर्भ सामग्री का अनुवाद SWAYAM MOOCS पोर्टल पर क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। कक्षा 1-12 के लिए पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण संसाधनों सहित पाठ्यक्रम सामग्री सरकार के दीक्षा पोर्टल पर 33 भारतीय भाषाओं और भारतीय सांकेतिक भाषा में उपलब्ध है जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दवाली के शब्दकोशों के कारण संभव हो पाया।

सामग्री निर्माण में कृत्रिम मेधा का उपयोग

समस्त भाषाओं में सामग्री निर्माण बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य तो है ही साथ ही मानवीय सन्दर्भ में बेहद जटिल, थकाऊ कार्य है।अतः इतने बड़े स्तर पर सामग्री निर्माण के लिए मानवीय प्रयासों के साथ-साथ कृत्रिम मेधा (आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस,AI) की मदद लेना बेहद आवश्यक है।जिसके लिए दो तरह की कृत्रिम मेधा (आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस,AI) आधारित तकनीकों का विकास करना होगा जो निम्नलिखित हैं:

- **शैक्षणिक प्रौद्योगिकी (Educational Technology)**
- **भाषा प्रौद्योगिकी (Language Technology)**

शैक्षणिक प्रौद्योगिकी (Educational Technology) के निम्न अवयव होंगे:

ई-शिक्षण, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग, मशीन अनुवाद तकनीकी आधारित सामग्री निर्माण, पाठ सरलीकरण, स्पीच तथा हस्तलेखन तकनीकी

आज के युग में जहां समस्त भारत की बहुत बड़ी आबादी डिजिटल साक्षरता की ओर अग्रसर है उस दौर में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी सरल,मुफ्त और सर्व सुलभ हो और हर हितधारक तक इसकी पहुंच हो जिससे ई-शिक्षण, इंटेलीजेंट ट्यूटरिंग, मशीन अनुवाद, पाठ सरलीकरण और स्पीच और हस्तलेखन तकनीकी जैसे नवीन तकनीकों द्वारा जन-जन तक दक्षतापूर्वक हिंदी का प्रयोग में सुनिश्चित हो सके।इससे शैक्षणिक प्रौद्योगिकी बहुभाषिकता के आयामों को साकार कर पायेगी और अनेकों भाषाओँ में तकनीकी शब्दों का प्रचलन बढ़ेगा।

भाषा प्रौद्योगिकी (Language Technology) के निम्न अवयव होंगे:

- सभी भारतीय भाषाओं के लिए बुनियादी I/O उपकरण (OCR, OLHWR, ASR,TTS, Smart Key Board)
- वास्तविक समय एमटी (Real Time MT)
- भाषा से भाषा (यूनिमॉडल)
- वाक् से वाक् (द्विमोडल)
- संवाद पहचान
- मल्टीमॉडल प्रौद्योगिकियाँ
- भाषा प्रौद्योगिकी बनाने के लिए संसाधन (language resource)
- स्वदेशी एल्गोरिदम
- स्वदेशी डेटा केंद्र
- भारत की अपनी सस्ती, लचीली,बहुभाषी कृ.मे.

हमारी कृत्रिम बुद्धि (AI) के निदर्श (model) की अपेक्षित अनिवार्य घटक :

हिंदी में "भारती" जैसा LLM (Large Language Model) बनाना होगा जिससे बहुत ही अधिक संख्या में हिंदी भाषाई डेटा का संकलन/निर्माण कर LLM (Large Language Model) को प्रशिक्षित किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु इसके लिये एक विशाल उपक्रम की जरुरत पड़ेगी जो उक्त कार्य को तो करेगा ही साथ में LLM से युक्त इंटरफ़ेस और एजेंट का निर्माण जो हिंदी के उपलब्ध टूल्स का प्रयोग कर सकने में सक्षम होंगे जिसे आम जनमानस/विद्यार्थी आसानी से उपयोग में ला पाएंगे। इसी के साथ ही अपने एल्गोरिथ्म बनाने होंगे या पूर्व निर्मित को पुनःप्रशिक्षित करना होगा। उक्त घटकों को संबलता प्रदान करने हेतु स्वनिर्मित उच्च स्तरीय संगणन/डेटा केंद्र चाहिए होंगे। जिससे डिजिटल पटल पर हिंदी की स्थिति को मजबूती मिलेगी और उक्त घटक बेहतर कार्य कर पाने में सक्षम हो पायंगे।

यद्यपि हिंदी विश्व की चौथी सबसे बड़ी भाषा है लेकिन इंटरनेट पर हिंदी की उपस्थिति सिर्फ़ 0.17% ही है। हिंदी ही नहीं सभी 22 अनुसूचित भाषाओं की बहुत कम वेब उपस्थिति है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म यूट्यूब पर यह स्थिति बेहतर है, जहां पर हिंदी प्रयोग में लाई जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। यूट्यूब जहां अंग्रेजी को अंग्रेज़ी-66%, स्पेनी 15%, पुर्तगाली 7%, उपयोग में लाया जाता है वहीं हिंदी 5% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। 500 मिलियन से अधिक भारतीय इंटरनेट का उपयोग करते हैं और लगभग 80% या उससे अधिक लोग भारतीय भाषाओं का उपयोग करते हैं यदि हिंदी LLM से युक्त इंटरफ़ेस और एजेंट का प्रयोग करते हैं तो डिजिटल पटल पर हिंदी को लाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं।

विश्व में बहुसंख्या में बोले जानी वाली भाषाओं में से एक होने के बावजूद इन्टरनेट सामग्री व वेब पृष्ठों की संख्या में कम प्रतिनिधित्व होने के कारण हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओँ का डेटा आधारित AI के युग में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिये तकनीकी निर्माण चुनौतीपूर्ण है। अतः मौजूदा उपलब्ध तकनीकों को बेहतर बनाकर इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। हिंदी के लिए उपलब्ध तकनीकियां इस प्रकार हैं:

- मशीन अनुवाद (गूगल/माइक्रोसॉफ़्ट बिंग)
- स्पीच तकनीकी (गूगल असिस्टेंट, अमेज़न अलेक्सा)
- ASR, OCR, हस्तलेख पहचान आदि
- यूनीकोड, फ़ांट आदि
- वेबपटल, एप आदि बनाने की सुविधा व चैट की सुविधा

भारतीय शिक्षण संस्थानों का भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है जो निरंतर उन्नत डिजिटल तकनीकों का विकास करते रहते हैं जिसका उपयोग हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिये तकनीकी निर्माण में किया जा सकता है। कुछ अति महत्वपूर्ण व उन्नत विकसित टूल्स एवं संबंधित संस्थान निम्नलिखित हैं:

- आई.आई.टी. चेन्नई ASR/TTS
- आई.आई.टी. दिल्ली OCR
- आई.आई.एससी. बैंगलोर OLHWR
- जे.एन.यू. LT Resources, उपकरण
- CDAC, IIIT हैदराबाद, IIITM Kerala, कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय MT, Resources
- आई.आई.टी. बॉम्बे MT, Wordnet
- जादवपुर विश्वविद्यालय, आई.आई.टी पटना आदि
- तकनीक का उपयोग कर जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के संस्कृत और प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पोषित परियोजनाओं के माध्यम से निम्न भाषाओं में मशीन अनुवाद का कार्य किया:
  - -"विद्यापति" हिंदी-मैथिली मशीन अनुवाद (अभी चल रहा है)
  - -भारतीय भाषा कॉर्पोरा उपक्रम (समाप्त) 100000 हिंदी वाक्यों का 17 भाषाओं मे अनुवाद और व्याकरण अंकन
  - -संस्कृत-हिंदी मशीन अनुवाद (समाप्त)
  - -भारतीय भाषा शब्द संसाधक (समाप्त) हिंदी समेत 12 भाषाओं में शब्द संसाधन

भारत सरकार के लिए भी हिंदी तथा भारतीय भाषाओं का उत्थान एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और अपने सांप्रतिक

उपक्रमों द्वारा भाषा आधारित डिजिटल तकनीकों के निर्माण से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। कुछ प्रमुख सांप्रतिक उपक्रम इस प्रकार हैं।

- MoE "अनुवादिनी" MT (AICTE द्वारा CSTT शब्दावली के साथ इंजीनियरिंग पाठ्यपुस्तकों के त्वरित अनुवाद के लिए)
- MEITY "भाषिणी"
- PSA ICMATS (मशीन एडेड अनुवाद के लिए इनोवेशन चैलेंज)
- तकनीकी विकास के लिए कुछ निजी उद्योग जो इस क्षेत्र में कार्यकुशलता एवं सामर्थ्य रखते हैं:
- माइक्रोसॉफ्ट खोज इंजन, एमटी और सभी संबंधित उपकरण
- गूगल खोज इंजन, एमटी और सभी संबंधित उपकरण
- Swiftkey इनपुट तंत्र
- अमेज़ॅन एआई
- SAMSUNG
- एडोबी दस्तावेज़ प्रसंस्करण
- Nuance इनपुट तंत्र
- ezDI मेडिकल डेटा प्रोसेसिंग
- स्टार्टअप, एसएमई
- उक्त कार्य से भाषाओं को तकनीकी रूप से व्यावहारिक तो बनाएगा ही साथ ही रोजगार के अनेक अवसर पैदा करेगा, जो इस प्रकार हैं।
- हिंदी और उसकी 55 उपभाषाओं में शैक्षणिक सामग्री निर्माण - अनुवाद
- मशीन अनुवाद और LLM का उपक्रम
- प्रौद्योगिकी हेतु कॉर्पोरा निर्माण
- लिखित/वाक/विडियो
- कॉर्पोरा अंकन
- हिंदी शिक्षण, अंतर-सांस्कृतिक-प्रशिक्षण
- मीडिया, फ़िल्म, संगीत, डबिंग
- टेलीकॉलर
- संपादक
- स्टार्टअप संस्कृति

9. कृत्रिम बुद्धि (AI) की चुनौतियाँ

जहाँ कृत्रिम बुद्धि (AI) व मशीनी अनुवाद (MT) की प्रक्रिया से बहुत ही आसानी से पाठ को एक भाषा (स्रोत) से दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है और बहुत ही कम समय में विविध भाषाई पाठ्यक्रम को व्यावहारिक स्वरुप दिया जा सकता है, वहीं उक्त तकनीक से चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। कृत्रिम बुद्धि (AI, ए.आई.) में लगातार विकसित हो रही डेटा,तकनीक, विधि, समस्या को और जटिल बना सकती हैं। 90 के दशक में ए.आई., वर्तमान की ए.आई. और भविष्य की ए.आई. में सामंजस्य जटिलता को जन्म दे सकता है जिससे निपटने के लिए सदैव तैयार रहने की आवश्यकता है।

10. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधपत्र में हिंदी की एक सर्वसमावेशी भाषा के रूप में संभावानाओं पर चर्चा की गयी है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भाषाई समुदायों/परिवारों में परस्पर सामंजस्य,निकटता और अंतर्संबंध एक मानक, संस्कृत आधारित व सर्वसमावेशी भाषा को विकसित करने की संभावनाओं को बल देते हैं। उक्त सर्वसमावेशी भाषा को विकसित करने के लिए कृत्रिम बुद्धि (AI) व मशीनी अनुवाद जैसी तकनीकी का उपयोग और उसके अहम घटक जैसे भाषा प्रौद्योगिकी ("सामान्य कोर" विधि),शैक्षिक प्रौद्योगिकी,हिंदी LLM और भारत की अपनी कृत्रिम बुद्धि (AI), भारत के अपने डेटा सेंटर जिनके द्वारा उच्च शिक्षा में उक्त मानक भाषा का प्रयोग सुगमता से हो सके पर भी प्रकाश डाला गया है।विभिन्न डेटा का उपयोग कर दर्शाया गया है कि कैसे भारत के शिक्षण संस्थान,भारत सरकार के उपक्रम एवं भारत के उद्योगों के डिजिटल टूल्स का उपयोग कर भारतीय भाषाओं का इंटरनेट सामग्री (डिजिटल पटल/वेब पटल) पर जहां उनकी मौजूदगी बेहद अल्प है का बखूबी जीर्णोधार किया जा सकता है। वेब पटल पर भारतीय भाषाओं की बेहतर स्तिथि भारतीय भाषाओं में अकादमिक पठन-पाठन को लाने में मील का पत्थर साबित होगा।

संदर्भ सूची:

7. Masica, Colin P. 1976. Defining a linguistic area: South Asia. Chicago: Chicagoसन्दर्भ सूची
1. Emeneau, Murray B. 1980. The Indian linguistic area revisited. In Anwar S. Dil (ed.), Essays by Murray B. Emeneau, 197–249. Stanford: Stanford University Press.
2. Abbi, A., Gupta, R. S., & Kidwai, A. (Eds.). (2001). Linguistic structure and language dynamics in South Asia: papers from the proceedings of SALA XVIII Roundtable (Vol. 15). Motilal Banarsidass Publ.
3. Georg, Stefan. 2017. Other isolated languages of Asia. In Lyle Campbell (ed.), Language isolates,139–161. London: Routledge.
4. Borin, L., Saxena, A., Comrie, B., & Virk, S. M. (2020). A bird's-eye view on South Asian languages through LSI: Areal or genetic relationships?. Journal of South Asian languages and linguistics, 7(2), 203-237.
5. Emeneau, Murray B. 1956. India as a linguistic area. Language 32(1). 3–16.
6. Kachru, Braj B., Yamuna Kachru & Shikarupur N. Sridhar (eds.). 2008. Language in South Asia.Cambridge: Cambridge University Press. University Press.
8. Trubetzkoy, Nikolai S. 1930. Proposition 16. Über den Sprachbund. In Actes du premier congress international de linguistes à la Haye, 17–18. Leiden: A. W. Sijthoff.
9. Simons, Gary F. & Charles D. Fennig (eds.). 2018. Ethnologue: Languages of the world, 21st edn.Dallas: SIL International. Available at: http://www.ethnologue.com.
10. Masica, Colin P. 1991. The Indo-Aryan languages. Cambridge: Cambridge University Press.
11. Hammarström, Harald, Robert Forkel & Martin Haspelmath. 2019. Glottolog 4.0. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. https://glottolog.org (accessed on 12 October 2019).

आजादी के अमृत काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं

प्रो. एम. जगदीश कुमार
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

परिचय

आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का भव्य उत्सव था। यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि राष्ट्र की विकास यात्रा और भविष्य की आकांक्षाओं का भी एक प्रतिबिंब था। इस उत्सव के प्रमुख पहलुओं में से एक था, भारत की समृद्ध भाषाई विविधता पर जोर देना, विशेष रूप से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में इन भाषाओं की भूमिका, ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर करता है।

भारत ने वर्ष 2023 को आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृतकाल के रूप में मनाया था। माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक के समय को अमृतकाल की संज्ञा दी है जिस दौरान देश के सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, अंतरिक्ष, रक्षा, रेल, सड़क, राजमार्ग संपर्क, खाद्यान्न, मेक इन इंडिया के अंतर्गत कई पहलों आदि में आत्मनिर्भरता, युवाओं के लिए रोजगार अवसरों आदि सहित सर्वांगीण विकास यात्रा पर चलते हुए 'विकसित भारत' के लक्ष्यों को साकार करने का विज़न है। इन्हीं परिवर्तनकारी पहलों में से एक है 'उच्चतर शिक्षा'।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एनईपी-2020 में कई पहलें की हैं। एनईपी-2020 का उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक तौर पर पाठशालाओं में तथा दूर-दराज में बसे शिक्षार्थियों को पारंपरिक भारतीय संस्कृति एवं उसके मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से उच्चतर शिक्षा एवं रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है ताकि वे अमृतकाल में देश का नेतृत्व कर सकें।

भारतीय भाषाओं का ऐतिहासिक महत्व

भारत विविध भाषाओं की भूमि है, जहां प्रत्येक क्षेत्र अपनी अनूठी भाषाई विरासत का दावा करता है। हिंदी, जो भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, राष्ट्र के इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई और देश के विभिन्न प्रातों में स्वतंत्रता सेनानियों के बीच महत्वपूर्ण संचार के माध्यम के रूप में कार्य किया। नवजागरण काल, देशभक्ति गीतों, भाषणों और साहित्य में हिंदी के उपयोग ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हिंदी के अलावा, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती और तेलुगु ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रवींद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने

अपनी-अपनी भाषाओं का उपयोग करके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित और जागृत किया। भारत की भाषाई विविधता एक बाधा नहीं थी, बल्कि यह उसकी एक ताकत थी जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाने में एकजुट किया।

भारतीय भाषाओं का सांस्कृतिक प्रभाव

किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के विकास में उसकी भाषा का विशेष योगदान होता है, क्योंकि भाषा और संस्कृति का आपस में अटूट संबंध होता है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा ही संस्कृति की संवाहक है। प्रत्येक भाषा का एक इतिहास होता है जो देश विशेष एवं उसके नागरिकों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है। हालांकि भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, किंतु देश के अधिकतर भाग में बोली अथवा भाषा, साहित्य रचना एवं लेखन आदि में हिंदी का प्रयोग प्रचुर रूप में किया जाता है। भारतीय भाषाओं का भी इसी प्रकार का इतिहास, भूमिका एवं प्रभाव रहा है।

भारत की सांस्कृतिक समृद्धि उसकी भाषाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। प्रत्येक भाषा अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान की द्योतक है, जो उसके साहित्य, संगीत, नृत्य और परंपराओं में परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए, हिंदी में प्राचीन महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत से लेकर आधुनिक उपन्यासों और कविताओं तक का विशाल साहित्यिक संग्रह है। हिंदी फिल्म उद्योग, जिसे लोकप्रिय रूप से बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ने भी भाषा को लोकप्रिय बनाने और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसी तरह, अन्य भारतीय भाषाओं की अपनी समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। रवींद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महान साहित्यकारों के साथ बंगाली साहित्य ने भारतीय और विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन संगम कविता और आधुनिक कृतियों के साथ तमिल साहित्य भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव ने इस सांस्कृतिक विविधता को उजागर करने का एक अवसर प्रदान किया।

शिक्षा में भारतीय भाषाओं की भूमिका

शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां भारतीय भाषाओं के महत्व को तेजी से पहचाना जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर देती है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाना है, यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे अपनी ही मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकें और अच्छी तरह समझ पाएं।

आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान, शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल शुरु की गई हैं। इन्हीं में से एक है 'अस्मिता (ASMITA] जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य के विषयों को कवर करते हुए 22 भारतीय भाषाओं में 2200 पुस्तकों का मौलिक लेखन कर उन्हें उपलब्ध कराना है। शिक्षा प्रणाली में भाषाई विविधता को संरक्षित और बढ़ावा देने में ऐसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' संकल्प के तहत विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा और भारतीय भाषाओं से परिचित कराने और

उन्हें बढ़ावा देने के लिए 'भाषा संगम' कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसलिए, यह समय भारतीय साहित्य, धर्म, दर्शन, और विज्ञान का अमृतकाल कहा जाएगा, जिसने भारतीय भाषाओं को कई नए आयाम दिए हैं।

प्रौद्योगिकी प्रगति और भारतीय भाषाएं

डिजिटल युग ने भारतीय भाषाओं के प्रचार और संरक्षण के लिए नए रास्ते खोले हैं। प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, अब कई भाषाओं में डिजिटल कन्टेंट बनाना संभव हो गया है, जिससे सूचना और ज्ञान को व्यापक शिक्षार्थियों तक पहुंचाना आसान हो गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई डिजिटल पहले शुरू की गई हैं। उदाहरण के लिए, भाषा सीखने वाले ऐप्स और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास से लोगों के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखना और समझना आसान हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल पुस्तकालयों ने भी क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाषा संरक्षण और प्रचार में प्रौद्योगिकी का उपयोग आजादी का अमृत काल के दौरान एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा।

चुनौतियों और भविष्य की संभावनाएँ

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद, इस राह में कई चुनौतियों अभी भी बनी हुई हैं। शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रभुत्व अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं को पीछे धकेल देता है। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम में सहायता प्रदान करने के लिए अधिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण और शहरीकरण की बढ़ती गति की भाषाई विविधता के संरक्षण के लिए खतरा पैदा कर रही है।

फिर भी, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, भावी संभावनाएं आशाजनक हैं। आजादी का अमृत महोत्सव ने भाषाई विविधता के महत्व पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। सरकारी पहलें, प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ मिलकर, भारतीय भाषाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। मातृभाषा शिक्षा पर जोर, डिजिटल सामग्री का निर्माण और क्षेत्रीय साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना सही दिशा में उठाए गए कदम हैं।

निष्कर्ष

आज़ादी का अमृत महोत्सव केवल भारत की स्वतंत्रता का उत्सव नहीं है, बल्कि यह समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के प्रति भी श्रद्धांजलि है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं ने राष्ट्र और संस्कृति एवं मूल्यों को एक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उम्मीद है कि ये भविष्य में भी ऐसा करती रहेंगी। हमारे लिए हिंदी के राजभाषा बनने की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव इस आलोक में भी महत्वपूर्ण है कि हम भारत की भाषाई विविधता को अक्षुण्ण रखें और इसे निरंतर प्रोत्साहित करें ताकि यह राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान दे सके। ऐसा करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी भाषाओं की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए परिरक्षित रहेगी।

पश्चिम बंगाल में मेरी हिंदी यात्रा

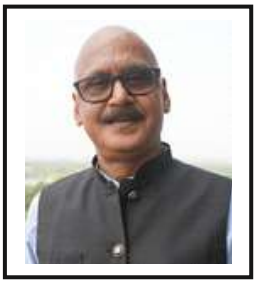

मृत्युंजय
पूर्व महानिदेशक, होमगार्ड पश्चिम बंगाल

বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে।
মারবি তোরা কে তারে॥
এই ভাষাতে কাজ চলছে
সাত পুরুষের আমলে।
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা বলে॥

(बांग्ला भाषा मेरे प्राण की भाषा है रे! कैसे उसे तुम मार सकते हो। इसी भाषा से सात पुरखों के जीवन में सारे काम हुए हैं। इसी भाषा में माँ की गोद में पहली बार मुख से माँ फूटा था।)

भजहरि महतो (तीन बार लोक सेवक संघ से लोक सभा के सांसद रह चुके थे) ने यह टुसु गीत लिखा था जिसे हज़ारों की संख्या में मानभूम के लोग हिंदी विरोधी आंदोलन के दौरान गाते फिरे। पहली बार यह गीत मैंने सन् 1996 में सुना जब मैं बांकुरा जिले का पुलिस अध्यक्ष होने के नाते पड़ोस के जिला पुरुलिया गया था। पुरुलिया स्वतंत्रता पूर्व मानभूम जिले का एक भाग है। यह गीत मुझे क्यों याद आया उसका प्रसंग आने पर आप स्वयं समझ जायेंगे।

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षण के दौरान जब हमें यह बताया गया कि मुझे पश्चिम बंगाल कैडर में भेज जा रहा है तब नियमानुसार हमें उस राज्य की भाषा की प्राथमिक शिक्षा लेने की भी जरूरत पड़ी। साहित्य में रुचि होने के कारण मैं कई बांग्ला भाषी साहित्यकारों से उनकी रचना के हिंदी अनुवाद के माध्यम से परिचित था। अनुवाद ही सही, बांग्ला साहित्य के माध्यम से बंगाली समाज के रुचिबोध से तो मैं अवगत हो ही चुका था, कुछ-कुछ यहां की सामाजिक और राजनीतिक संरचना से भी मेरा परिचय अनजाने ही स्थापित हो चुका था। और सोने में सुहागा की परिस्थिति नियति ने तब बना दी जब मैं एक ऐसी लड़की के प्रेम में पड़ा जिसका बचपन कलकत्ता के पार्श्ववर्ती जूट मिलों के आसपास गुजरा था। लेकिन इस बात का महत्व तब तक नहीं था जब तक कि मुझे बंगाल कैडर नहीं मिला था। उसी लड़की का दामन पकड़े मुझे नियति उसी के आंगन में ले आई। भागीरथी के तीर पर बसे एक जूट मिल के सुंदर कुंज सरीखे बगीचे में मुझे औपचारिक रूप से नियति ने उसी लड़की को सौंपा जो मेरी जीवन संगिनी है। इस साथ का प्रभाव निश्चित रूप से मेरे बांग्ला भाषा की सीख और भाषा की समझ पर पड़ा। अभिप्राय यह कि बंगाल कैडर में आना मेरे लिए एक दैवीय रूप से सुनिश्चित भाग्य का विधान था। प्राथमिक बांग्ला में स्वर्ण पदक पाने के बाद मुझे ऐसा लगा था जैसे अब क्या, अब तो कोई समस्या ही नहीं रही। लेकिन ये कहां पता था कि बंगाली में 'पंजाबी' कुर्ते को कहते हैं! कि अंग्रेजी का 'चेयर' ही उनकी भाषा में कुर्सी का नाम है। कि यहां रिटायर्ड लोग

अपने काम से 'अवसर प्राप्त' करते हैं न कि 'अवकाश'। कि भिंडी को बांग्ला में 'ढेंढूस' कहते हैं।

मिदनापुर जिले में प्रशिक्षण पर गया तो ग्रामीण बांग्ला भाषा के स्थानीय भेद उभर कर सामने आए। कांथी क्षेत्र की बांग्ला मिदनापुर से, अपने बोलने के चलन और कुछ शब्द रूपों में, भिन्न है। बाद में फिर बांकुड़ा में जनजातीय बांग्ला और मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशीय बांग्ला के साथ समय गुजारते हुए बांग्ला की कुछ और भाषीय प्रजातियों से संपर्क बना। पुलिस में था तो कुछ हिंदुस्तानी भी अपने फोर्स में मिले। हां, बंगाली पुरबिया लोगों को 'हिंदुस्तानी' कह कर ही बुलाते हैं। कलकत्ता के बहुलवादी समाज में भी इसका ही प्रचलन है। लेकिन जहां भी गया, स्पष्ट रूप से हिंदी की समझ सारे लोगों में दिखी। जनजातीय क्षेत्रों के कुछ बीहड़ इलाके हैं जहाँ हिंदी शायद लोग ना समझें, परन्तु सड़कों के किनारे कई मीलों दूर तक बसे गाँवों में भी लोग हिंदी समझ लेते हैं, भले ही बोलने में असुविधा हो। ठीक वैसे ही जैसे धनबाद, गिरिडीह, हज़ारीबाग़, रांची आदि शहरों में प्रायः हर हिंदी भाषी कामचलाऊ बांग्ला समझ लेता है। दार्जीलिंग के पहाड़ों में सेवारत था तो नेपाली सीखी, उनके गीत गाए, और अब भी जिन्हें मैं गाता हूँ। बंगाल के इन पहाड़ों के शहरी बाशिंदों के बीच हिंदी का अच्छा प्रचलन है। गाँवों में लेकिन, वहां के लोग मुश्किल से कुछ शब्द भर पकड़ते हैं या समझते हैं। भाषाओं की परस्पर अंतः क्रिया ऐसे ही तो शुरू होती है।

मूलतः हिंदी अधिकतर भोजपुरी, अवधी और ब्रज क्षेत्र के लोगों के साथ चल कर बंगाल और उसके पूर्ववर्ती क्षेत्रों में आयी है। कन्नौज की ओर से आये कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का तो एक वृहद् इतिहास ही है। बांकुरा के गंगाजलघाटी क्षेत्र में मल्ल राजाओं के समय से तिवारी ब्राह्मणों का निवास है। वह अभी भी अपनी बेटियों का ब्याह बिहार के पश्चिमवर्ती कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। मिथिला से तो बंगाल का नाभिनाल सम्बन्ध रहा है। चाहे वह विद्यापति हों, चैतन्य महाप्रभु या फिर नबद्वीप के नव्य न्याय दर्शन के रघुनाथ शिरोमणि, मिथिला से बंगाल के सूत्र बहुत पुराने हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान कलकत्ता को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाने लगा था। आधुनिक उद्योग और व्यापार बहुत दूर-दूर से लोगों को अपनी ओर खींच लाया था। इसी स्थल से झुण्ड के झुण्ड गिरमिटिया मज़दूर भी तमाम ब्रिटिश,डच और फ्रेंच उपनिवेशों में भेजे गए। मॉरिशस में इसीलिए हिंदी को 'कलकतिया भाषा' भी कहते हैं। स्वाभाविक ही है कि इतने लोगों की आमद जहाँ होगी, उनकी भाषाएँ और रहन-सहन के तौर-तरीके भी उनके साथ ही रहेंगे। मनुष्यों से इतर, भाषाएँ जब संपर्क में आती हैं तो फ़ौरन उनके बीच सर्जनात्मक विनिमय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मनुष्य जजमेंटल होते हैं, भाषाएँ नहीं। मनुष्य संकीर्ण हो सकता है, भाषायें उदात्त चित्त ही होती हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने तो हिंदी का बांग्ला से स्थायी संपर्क ही गढ़ दिया। कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि स्वतंत्र देश की कोई भाषा यदि संपर्क भाषा बनने लायक है तो वह हिंदी ही है। इस परिवेश से देखते हुए कितना विचित्र लगता है वह दृश्य, जब सबसे पहले हिंदी के स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुई और 1921 में हिंदी के सबसे पहले स्नातकोत्तर हुए, एक बंगाली, नलिनी मोहन सान्याल महाशय! हिंदी भाषा के विकास और उसके प्रति जागरूकता के लिए इस बंगभूमि के इतने योगदान हैं जिनकी एक विराट बड़ी सूची हो सकती है। कुछ बातें जो आपके समक्ष रखने वाली हैं उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:

बाबूराव विष्णु पराडकर - कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में मराठी और हिंदी के शिक्षक थे। 'आज' हिंदी पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने ही किया था। हिंदी में 'मानकीकरण', 'मुद्रास्फीति' और 'राष्ट्र' जैसे शब्दों के वह जनक थे। हिंदी गद्य की नींव कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में पड़ी। महान भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी और स्वयं कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर का हिंदी के विकास और प्रचार में महत योगदान रहा है। रवींद्रनाथ ठाकुर ने गाँधी जी की सोच को समर्थन देते हुए स्पष्ट कहा था कि भारत को जोड़ने वाली यदि कोई एक संपर्क भाषा हो सकती है तो वह हिंदी ही है। पंडित जुगल

किशोर शुक्ल द्वारा पहली हिंदी पत्रिका 'उदन्त मार्तण्ड' और राजा राममोहन राय के हाथों 'बंगवासी' का प्रकाशन भी कलकत्ता में ही हुआ था। 1873 में एक बंगाली महेन्द्र भट्टाचार्य ने ही हिंदी में पदार्थ विज्ञान की रचना की थी। समूचे देश में एक लिपि विस्तार योजना के मकसद से जस्टिस शारदा चरण मित्र ने 1907 में 'देवनागर' नामक पत्र निकाला तो अमृतलाल चक्रवर्ती ने हिंदी 'बंगवासी' के जरिए हिंदी की बहुविध सेवा की। रामानंद चटर्जी ने 'बांग्ला प्रवासी' और अंग्रेजी मार्डन रिव्यू के साथ हिंदी में 'विशाल भारत' भी निकाला था और उसका संपादक पहले बनारसी दास चतुर्वेदी और बाद में अज्ञेय को बनाया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से जुड़े 'मतवाला' पत्रिका का प्रकाशन भी कलकत्ता से ही हुआ। मतवाला और निराला के संबंधों से गढ़े साहित्य का एक महत आंदोलन देखा है हिंदी ने, इसी कलकत्ता, इसी बंगाल में। तो यह है वह अंतर्संबंध जो हिंदी और बांग्ला भाषाओं के सामासिक अस्तित्व का साक्षी है, क्योंकि यह इतिहास है... और इतिहास झूठ नहीं बोलता, इतिहासकार शायद बोल भी लें।

उन्होंने हिंदी के अति उत्साही पृष्ठपोषकों की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करते हुए ऑफिसियल लैंग्वेज कमीशन (राजभाषा आयोग) के रिपोर्ट में हिंदी के राजभाषा होने के प्रति अपनी असहमति दर्ज़ कराई थी। इस रिपोर्ट में, जिसे 12 अगस्त 1957 को संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था, दो विभूतियों ने अपना विरोध जाहिर किया था - एक तो सुनीति कुमार चटर्जी और दूसरे,तमिलनाडु के सदस्य, पी. सुब्बारायन। सुब्बारायन जी का विरोध तो इस प्रस्ताव के पहले दिन से ही था, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी का मामला उनसे थोड़ा भिन्न था।

सुनीति कुमार चटर्जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की बंगाल शाखा के सभापति के रूप में हिंदी को अपनी सराहनीय सेवायें प्रदान की थी। उन्होंने हिंदी में चार पुस्तकें और कई लेख भी लिखे थे। उनमें से एक पुस्तक 'भारतीय आर्य भाषा और हिंदी' को उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा का अवैतनिक सदस्य बनाया गया था, और हिंदी साहित्य सम्मलेन ने उन्हें 'साहित्य वाचस्पति' के सम्मान से सुशोभित किया था। सुनीति कुमार चटर्जी ने 6-7 अगस्त 1949 को आयोजित राजभाषा सम्मलेन के एक गणमान्य प्रतिभागी के रूप में, हिंदी के पक्ष में, संविधान सभा पर गहरा दवाब भी बनाया था। हिंदी के साथ, हिंदी के हित में इतने गंभीर रूप से जुड़े उसी भाषाविद् सुनीति बाबू ने 1956 में अपनी दिशा बदल दी। अब वह हिंदी को एक 'साम्राज्यवादी भाषा' कहने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए एक देश को 'एक भाषा' देने की तलाश में निकले जन प्रतिनिधियों और गणमान्य भाषाविदों ने देश को एक गहन 'भाषा विवाद' की राजनीति में उलझा दिया। महात्मा गाँधी की 'हिंदुस्तानी' (वह फारसी-अरबीयुक्त हिंदी जो बोलचाल के दौरान प्रयोग होती थी) को राजभाषा बनाने की नीति का विरोध करते हुए पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में खड़ी हिंदी लॉबी ने 1938 की संविधान सभा में ही अपनी कठोर असहमति जता दी थी। इस हिंदी लॉबी का समर्थन प्राप्त करने की नीयत से गाँधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मलेन की सदस्यता भी स्वीकार कर ली। हिंदी लॉबी ने गाँधी जी के सहयोग को हिंदी के प्रचार का साधन तो बनाया, लेकिन 'हिंदुस्तानी' से अपने को विमुख किये रखा। गाँधी जी ने इसी कारण उस सम्मेलन से इस्तीफा भी दे दिया।

स्वतंत्रता के बाद इसी हिंदी लॉबी ने अपने जोश और जूनून के तहत एक ऐसा रास्ता चुना जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तैयार की गयी राष्ट्रभाषा की नीति से बिलकुल अलग था। भारत के विभाजन ने 'हिंदुस्तानी' भाषा की सोच को कमज़ोर बना दिया था, हालांकि गाँधी जी अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति के साथ 'हिंदुस्तानी' के पक्ष में डटे रहे। 10 अगस्त 1947 को प्रकाशित 'हरिजन' में उन्होंने स्पष्ट लिखा -"इस संकट के दौरान कांग्रेस को चट्टान की तरह दृढ़ता से खड़ा रहना चाहिए। भारत की भाषा के प्रश्न पर मेरे झुकने का सवाल ही नहीं उठता। वह फारसी युक्त उर्दू या संस्कृतनिष्ठ हिंदी नहीं हो सकती।" गाँधी जी की हत्या ने 'हिंदुस्तानी' की वह शक्ति ही छीन ली जिसके कारण उसका सौष्ठव

बरकरार था। हालांकि गाँधी जी की मृत्यु के बाद 'हिंदुस्तानी' का झंडा नेहरू जी ने उठाया, किंतु हिंदी लॉबी ने तब तक कई दमनकारी नीतियां अपनानी शुरू कर दी थीं। नागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी की मांग जोर पकड़ने लगी। हिंदी लॉबी ने नागरी लिपि में लिखे जाने वाली संस्कृत निष्ठ हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में पुरजोर मुहिम छेड़ दी थी। कांग्रेस के कई नेता भी उनके साथ हो लिए थे। जी.वी.मावलंकर ने अपनी एक चिट्ठी में, सेंट्रल प्रोविंस और बरार के विधान सभा द्वारा नियुक्त भारत के संविधान के प्रारूप निर्माण की कमिटी के अध्यक्ष, जी.एस. गुप्ता को आक्रामक भाषा में लिखा था -"सांप्रदायिक एकता का अर्थ यह कदापि नहीं कि बहुसंख्यक अपने को एक हिंसक और कट्टर अल्पसंख्यक को खुश रखने में डुबो दें। जबकि संस्कृत निष्ठ हिंदी ही केवल राष्ट्रभाषा बनने योग्य है जो देश को सशक्त और संगठित बना सकती है, अंग्रेजी, फारसी और अरबी का पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए।"

जेड.एच. लारी ने जुलाई 1948 में संविधान सभा को यह सूचित किया कि इस बार जब स्कूल खुले तब उनके छह साल के बेटे को अब से उर्दू की किताब लाने से मना कर दिया गया है। लारी ने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा कि प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देने वाले संविधान में एक अनुच्छेद शामिल किया जाए ताकि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराई जा सके। नेहरू इससे पूरी तरह सहमत थे, हालांकि उनका ऐसा मानना था कि लारी द्वारा प्रस्तावित संशोधन के मुद्दे पर चर्चा और संविधान में शामिल किये जाने की पहल से संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत देर हो जाएगी। उनका मानना यह भी था कि एक मुद्दा होने के बजाय यह एक नीतिगत मामला था जिसे संविधान में अंतर्भुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्होंने प्रांतीय सरकारों को लिख कर यह हिदायत दे भेजी कि सभी सरकारें ऐसी नीति ही अपनाएं।

ये सिर्फ उर्दू भाषी नहीं थे जो आपत्ति जता रहे थे, बल्कि कुछ और क्षेत्रीय भाषाओं ने भी हिंदी के बेपरवाह और अति उत्साही हिंदी नीति के कार्यान्वयन का अनुभव किया। 1948 में, बिहार ने हिंदी को अपनी राज्य भाषा के रूप में अपनाया। स्वाभाविक रूप से जून 1948 में एक आदेश द्वारा इसे न्यायालयों की 'एकमात्र भाषा' भी बना दिया गया। पूरे बिहार में इस आदेश का पुरजोर विरोध हुआ। मानभूम जिले के एक उप-मंडल धनबाद में, जहां अच्छी संख्या में बंगाली आबादी निवास करती थी, हस्ताक्षर अभियान चलाए गए और केंद्र सरकार को पत्र भेजे गए। जब बिहार सरकार ने जनगणना (1931) के आंकड़ों का हवाला देकर आदेश को उचित ठहराया और यह कहा कि जनगणना के मुताबिक तथाकथित बंगाली क्षेत्र में 50 प्रतिशत से भी कम बंगालियों की उपस्थिति है, नेहरू इस बात से बड़े अप्रसन्न हुए। बल्कि उन्होंने इस सिद्धांत पर ही सवाल उठाया। उन्होंने इस स्थिति में एक अधिक उदार नीति की मांग की, विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहाँ राज्य भाषा के अलावा अन्य भाषा बोलने वालों की एक बड़ी संख्या निवास करती हो। इसी बीच एक अन्य निर्देश के माध्यम से बिहार सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बांग्ला भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा लाने का निर्णय लिया। जब यह आदेश पुरुलिया, जो कि मानभूम जिले का ही एक सब-डिविजन है, में लागू किया गया तब पांच हज़ार बांग्ला भाषी छात्रों ने स्कूलों का वहिष्कार किया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर गीत गाते उमड़ पड़े। जवाहरलाल नेहरू को भी शिकायत भेजी गई। नेहरू जी ने तुरंत बिहार के प्रीमियर श्री कृष्ण सिंह जी को एक टेलीग्राम भेजा और उन्हें एक ऐसी नीति अपनाने को कहा जिसके तहत जहां कहीं भी पर्याप्त संख्या में छात्रों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की मांग की हो, वहां शिक्षा, उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए।

निसंदेह बंगाली मानस अपनी भाषा के प्रति सदैव जाग्रत और उसकी रक्षा के लिए सचेष्ट रहा है। बंगालियों ने ही अखंड भारत का एकमात्र भाषा आंदोलन किया और भाषा रक्षा की बलिवेदी पर चढ़े। उसी भाषा आंदोलन की लपटों ने

पुरुलिया के लोगों में भी विरोध की ऊष्मा भरी। आंदोलन का उत्स-स्थल तो ढाका था, जो संप्रति बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन हमारी तरफ के बंगाल (पश्चिम बंगाल) में भी आज तक भाषा दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पक्ष या विषय पर असहमति या विरोध तो दूर, इसकी वैचारिक जुगुप्सा भी बंगाल का जन मानस सहन नहीं करेगा।

अंग्रेजी सरकार की भारत भूमि पर पहली आमद के रूप में आए बंगाली जल्द ही पुनर्जागरण वाले उस विराट साहित्य के समक्ष खड़े थे जिसने इनकी कलात्मक वृत्ति को एक नया आयाम दिया। अपनी भाषा बांग्ला में वह आधुनिकता के प्रयोग करने लगे और परिणामस्वरूप माइकल मधुसूदन जैसी मेधा और त्वरा के साहित्यकार उभर कर आए। एक और विशिष्ट तथ्य जो बंगाल के भाषाई एक्य की संवेदना को संवारता है, वह यह कि बांग्ला भाषा ने जाति या धर्म भेद की कोई जगह ही नहीं छोड़ी। हालांकि इतिहास के कई काल खण्डों में बांग्ला भाषा को उपेक्षित होना पड़ा है। सेन के पहले पाल वंश में बांग्ला भाषा की एक समृद्ध नींव पड़ चुकी थी, और अंग्रेजों के पहले तुर्क और अफगानों के शासन काल में, उन्होंने बांग्ला को भले ही दरबार की भाषा न बनाई हो, लेकिन उसे दबाने या उपेक्षित रखने की चेष्टा भी नहीं की। तो बांग्ला की एक समृद्ध नींव तो पड़ चुकी थी, इसका बिखर जाना असंभव था। बल्कि अरबी और फारसी के 'मुसलमानी साहित्य' ने इन्हें साहित्य कल्पना की एक नई दुनिया से मिलवाया था। बंगाली अपने अनुभवों के कारण भाषा के महत्त्व से भलीभाँति अवगत थे। इसलिए ही शायद श्रेष्ठता की भावना के मनोविकार से ग्रस्त होते हुए भी बंगालियों में अन्य भाषाओं के प्रति विद्वेष की मात्रा कम रही है। कलकत्ता तो मैथिली से ले कर भोजपुरी तक के विकास और प्रसार का केंद्र रहा है। मैथिली को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता देने के सारे अहम् आंदोलन कलकत्ता से ही आयोजित और नियोजित हुए हैं। भोजपुरी के भिखारी ठाकुर और पुरबिया गीतों के सिरमौर महेन्दर मिसिर, दोनों ही विभूतियों का प्रशिक्षण केंद्र बंगाल रहा है।

यहां एक और खास बात बताना जरूरी है कि कलकत्ता में चाहे हिंदी कितनी भी बोली या समझी जाती हो, साहित्य के रूप में उसके पोषण और संरक्षण का महत धर्म यहां के मारवाड़ी व्यवसायियों ने निभाया है। चाहे वह संस्थागत सहयोग हो या किसी साहित्य संस्था का निर्माण, हर जगह उनकी उपस्थिति सराहनीय रही है। बांग्ला भाषा अपने प्रबुद्ध साहित्यकारों के हाथों एक लंबी कुलीनता का जब भोग कर रही थी, हिंदी का हाथ उससे छूट गया। हिंदी कुछ महाविद्यालयों के इवनिंग क्लास, कुछ विश्वविद्यालयों के उदासीन कोने और कुछ राजनीतिक गतिविधि के सहारे ही आगे बढ़ रही थी। हालांकि वर्तमान सरकार ने हिंदी के विकास के लिए, पिछले कुछ वर्षों में, बहुत कुछ किया है। हावड़ा का नया हिंदी विश्वविद्यालय, बंग हिंदी अकादमी का पुनर्जीवन एवं पुनर्गठन, राज्य की एक भाषा के रूप में हिंदी को औपचारिक मान्यता देना इत्यादि हिंदी के विकास की संभावनाओं को सशक्त करते हैं।

कई बांग्ला संस्थाएं जैसे 'यापनचित्र' का हिंदी साहित्य के अनुवाद के प्रति रुझान, हिंदी नाटक संस्थाएं जैसे 'रंगकर्मी' 'पदातिक' का बांग्ला भाषियों के बीच हिंदी नाटकों का प्रचार-प्रसार, भारतीय भाषा परिषद, हिंदी संसद, नीलांबर, बड़ा बाजार पुस्तकालय जैसी साहित्यिक संस्थाओं द्वारा हिंदी के प्रकाशन और कार्यक्रमों का आयोजन आदि, एवं अन्य कलाओं के फ्यूजन की तरह विभिन्न भाषाओं के साहित्य का परस्पर जुड़ाव, हिंदी के भविष्य को इस क्षेत्र में संरक्षित ही बताता है। लेकिन बांग्ला की कुलीनता वाली मानसिकता अभी भी हिंदी को बराबरी का स्थान देने को तैयार नहीं है। कॉलेज स्ट्रीट पर हिंदी की किताबें खोजने में दिक्कत होती है। ये और बात है कि तथाकथित 'हिंदुस्तानी' की संततियां, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने विस्थापन में स्थायित्व पा चुकी हैं, अब बढ़-चढ़ कर पढ़ भी रही हैं, लिख भी रही हैं, और सोशल मीडिया पर प्रसार भी पा रही हैं। किताबें भी अब एमेजॉन तथा इस जैसे कई अन्य

आभासी पोर्टलों पर उपलब्ध हैं, साथ ही गूगल ने शोध और विमर्श की सारी सामग्री उपलब्ध करा रखी है।

इस क्षेत्र में हिंदी की बढ़ती हुई शक्ति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाना चाहिए कि अस्सी के दशक से लेकर अभी तक कोई न कोई हिंदी या हिंदुस्तानी विरोधी गुट सक्रियता से हिंदी का विरोध करता दीखता है। अस्सी के दशक में 'आमरा बंगाली' थे जो गोरखा आंदोलन के दौरान 2008 के आसपास उत्तर बंग में फिर से सक्रिय हुए, फिर सुनील गंगोपाध्याय जैसे महारथी के नेतृत्व में साहित्यकार रास्तों के बोर्ड पर बांग्ला में लिखने की मुहिम ले कर टूट पड़े, और इन दिनों 'बांग्ला पक्खो' (बांग्ला पक्ष) वाले हैं जो कहते हैं कि हम हिंदी का विरोध नहीं करते किंतु हिंदी वालों की संस्कृति का विरोध करते हैं, क्योंकि उसका उनकी बांग्ला भाषा और संस्कृति पर बुरा असर हो रहा है। अस्मिता पर आंच आने की आशंका तभी होती है जब स्वयं की संरचना दुर्बल हो।

मैं स्वयं एक ऐसी बांग्ला साहित्य संस्था का ट्रस्टी हूं जिसमें किसी 'अ-बंगाली' का प्रवेश एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है। कुलीनता के परिवेश में भी कुछ साहित्य और संगीत सुधि ऐसे हैं जो निरंतर दूसरी भाषाओं के साथ संपर्क साधने में जुड़े रहते हैं ताकि परस्पर सर्जना के विसरण और परासरण का कार्य होता रहे। उनके इसी व्यवहार के कारण स्वर्गीय ऋतुपर्ण घोष जैसे फिल्मकार मेरे पास अपनी फिल्म 'चोखेर बाली' और 'अंतर्महल' के लिए भोजपुरी गीत लेने आए, कई और फिल्म और संगीत के धनी कलाकारों ने अपनी फिल्मों या संगीत के लिए मुझसे हिंदी गीत भी लिखवाए।

हिंदी के प्रचार-प्रसार का एक वृत्त अब तैयार होने को है। गाँधी जी द्वारा प्रस्तावित 'हिंदुस्तानी' को राष्ट्र भाषा न बना कर, हिंदी के पृष्ठपोषक उसे केवल राजभाषा बना कर ही संतुष्ट हो गए। कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि गाँधी को ऐसे ही कुछ लोग मार चुके थे, नेहरू जी सत्ता की सियासत के हाथों मजबूर थे, और तब तक संस्कृत निष्ठ हिंदी के प्रति विरोध का स्वर बहुत ऊँचा हो गया था। मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि जो लोग हिंदी को संस्कृत निष्ठ शब्दों से संवारना चाहते थे वह हिंदी की नहीं, संस्कृत की सेवा में रत थे। आज के दिन स्पष्टतः हिंदी को उसकी स्वाभाविकता के कारण अधिक लोगों का आश्रय और सहयोग मिल रहा है। अब हिंदी में लिखने वाले रचनाकार भी खुल कर तद्भव, और तद्भव से भी अधिक, देशज शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कवियों की तो भरमार है, गद्यकार भी अपने वाक्य विन्यास से ले कर शब्द-शिल्प, सब में बोलचाल की भाषा के करीब रहना चाहते हैं। कारण स्पष्ट है, जो सहज है वही प्रिय है।

मानव–मशीन संतुलित साहचर्य से समावेशी समग्र विकास

- डॉ. ओम विकास

बुद्धिजीवी मानव और कृत्रिम बुद्धियुक्त मशीन में प्रतिस्पर्धा

मानव पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों से युक्त बुद्धिजीवी प्राणी है। ज्ञान-कर्म इन्द्रियों की सीमाओं से परे कर सकने के लिए बुद्धि प्रयोग से यंत्र बनाता, सुधारता, प्रसारता रहता है। यंत्र मशीन कहलाए। पहले मानव-संचालित मशीनें बनीं फिर स्वचालित मशीनें बनने लगीं। स्वचालन के लिए बुद्धि की युक्तियों और नियमों को कलन विधि (प्रोग्रामिंग) में निबंधित कर यांत्रिक बुद्धि, मशीन बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि (AI : आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) आदि नामों से व्याख्यायित किया। बुद्धिजीवी मानव और कृत्रिम बुद्धियुक्त मशीन में प्रतिस्पर्धा की गति तेज हुई।

मानव में विकारों का कारण मन की चंचलता है, जिससे आलस्य, मद, मोह, क्रोध आदि उदीप्त होते हैं, जो दारिद्रय, हिंसा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार को बढ़ाते हैं। रेंडम विचार निकलने (Random thought generation) से निष्कर्षण एवं निर्णयन बाधित होने की संभावना रहती है। मशीन में स्वत: रैंडम डाटा न बनने से कम्प्यूटिंग बाधित होने की परिस्थिति नहीं आती, और न ही मानव की भांति थकती है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का लक्ष्य ट्यूरिंग टेस्ट है जिसके अनुसार यदि दीवार के इधर मानव और उधर मशीन है, तो उनमें भेद करना सम्भव नहीं हो। मानव और मशीन का बौद्धिक तादात्म्य हो। मानव की चेतन सत्ता बुद्धि की सीमाओं को लांघने और नव चिन्तन करने में समर्थ है। लेकिन मशीनी बुद्धि (AI : अर्टिफिशल इंटेलीजेंस) की सीमाएं है। क्षेत्र विषयक सूचना (डेटा) के संग्रह तक ही सीमित हैं। मशीन की गति और गणना (Processing) शक्ति को उत्तरोतर बढ़ाने की दिशा में नए नए आविष्कार हुए। कंप्यूटर का विकास महत्त्वपूर्ण है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेहतर बनते गए। आकार में लघुतर, प्रोसेसिंग में बृहत्तर होते गए। गति बढ़ी और डाटा संग्रह की क्षमता भी बढ़ी। कम्यूनिकेशन के क्षेत्र में भी स्पीड और बैंडविड्थ बढ़ी। कंप्यूटर और कम्यूनिकेशन के संयोग से गति (speed) में तेजी से विकास हुए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच बढ़ती गई। स्थानिक कम्प्यूटिंग से सामुदायिक, प्रादेशिक, और तदनंतर वैश्विक कम्प्यूटिंग सम्भव हुआ। आज वर्ल्ड वाइड वेब से वैश्विक ईमेल का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया है। मोबाइल फोन में लघुतर कंप्यूटर के प्रयोग–प्रसार से डेटा बढ़ता गया। पहले मशीन को सिखाया जाता था , लेकिन अब मशीन में स्वयं सीखना और विविध प्रकार के बहुल डेटा से नियम बना लेना आसान हुआ।

डेटा–निसृत नियमों से कम्प्यूटिंग में उत्तरोत्तर प्रगति

मानव–निर्मित नियमों के स्थान पर डेटा–निसृत नियमों से कम्प्यूटिंग उत्तरोत्तर लगभग सटीक और तात्कालिक होने से निर्वचन एवं निष्कर्षण प्रकिया तेज होने लगी। मानव-निर्मित नियमों से क्षेत्र विषयक एक्सपर्ट सिस्टम (विशेषज्ञ

प्रणाली) बने। जो कृषि स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, बैकिंग आदि में उपयोगी हैं। मोटे तौर पर निर्वचन (interpretation), पूर्वानुमान, निदान (diagnosis), डिजायन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, दोषमार्जन (debugging), रिपेयर, कंट्रोल के लिए एक्सपर्ट सिस्टम, Mycin (Medical Diagnosis Expert System: 1972 में विकसित AI आधारित चिकित्सा निदान प्रणाली), Dendral (1965 में विकसित AI आधारित अकार्मिक रसायन विज्ञान विश्लेषण प्रणाली) , MATLAB (Matrix Laboratory: पूरे डाटा सेट मेट्रिक्स पर काम करने में समर्थ प्रोग्रामिंग भाषा) आदि उत्तरोत्तर विकसित हुए।

आदर्श से यथार्थ की ओर संक्रमण

20वीं सदी के संक्रमण काल में मानव-मशीन साहचर्य में मशीन की प्रधानता का उदय होने लगा है। मानव विस्थापन और नवाचार संकुचन की संभावनाएं बढ़ रहीं हैं।

OpenAI द्वारा विकसित ChatGPT (जेनेरिक प्रीट्रेंड ट्रांसफार्मर) का प्रोटोटाइप नवम्बर 2022 में लॉन्च हुआ। यह ELIZA, ITS से अधिक उन्नत है। यह बोलकर संवाद करता है, प्रश्नों के प्राय: सही उत्तर देता है, प्रोग्राम कोड भी लिख सकता है। आजकल बहुत चर्चा में है।शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्न उठने लगे हैं, नकल आसान, शिक्षकों में कटौती, बेरोजगारी बढ़ेगी, इत्यादि। 1960s में जब पहले कंप्यूटर का आयात हुआ तब बहुत विरोध हुआ था। मानव नियंत्रण विहीन स्वच्छंद AI के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं - ड्राइवर विहीन कार की प्रोग्रामिंग में छोटी सी त्रुटि रह जाने पर बेलगाम होकर कार विध्वंसकारी बन सकती है, रोबोट खेल में खिलाड़ी को चोट पहुंचा सकता है, इत्यादि संभावनाएं भी हैं। अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धि खेल प्रणालियों से बच्चों में आभासी खेलों की लत पड़ सकती है, जिससे वे मैदानी खेल कूद और पढ़ाई में कटौती करते हैं। वयस्कों में हिंसा, अश्लीलता और अकर्मण्यता बढ़ सकती है। स्वच्छंद सोशल मीडिया से समाज में विघटन, असहिष्णुता, वैमनस्य और दंगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय विकास की गति और दिशा बाधित होती हैं।

विज्ञान के आविष्कार प्रयोग के अनुसार वरदान अथवा अभिशाप बनते हैं। AI से लाभ अनेक, लेकिन अप्रत्याशित जोखिम भी हैं। उन्नत आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से मानव का भौतिक अभ्युदय तो होगा , लेकिन भावी मानव संतति का बौद्धिक विकास – सोच, उद्यमिता, नवाचार, उत्साह, मानवीय संवेदना - कुंद मंद होने की प्रबल सम्भावना है।

AI के बढ़ते महत्त्व और बृहद् प्रयोग क्षेत्रों के कारण विश्वसनीय एवं दायित्वपूर्ण AI पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने AI के सिस्टम , संचालन चक्र , ज्ञान, प्रदाता, लाभार्थी को परिभाषित किया, और 5 अपेक्षित सिद्धांत दिए – समावेशी एवं सातत्यपूर्ण विकास, मानव मूल्य प्रधानता, समाधानात्मक पारदर्शिता और दुर्भेद्य सुरक्षा। इसके साथ ही राष्ट्रीय नीति अनुपालन एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी 5 अपेक्षित नीति निर्देश थे – AI शोध-विकास में निवेश, डिजिटल परिवेश संवर्धन, AI नीति , जॉब अनुकूल जन शक्ति विकास तथाAI विश्वसनीयता के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

इंडस्ट्री 4.0 में इंटरनेट संचार माध्यम से मशीन–मशीन सम्बद्ध रहे, बृहद् (थोक) उत्पादन (mass production) पर बल दिया गया । अब इंडस्ट्री 5.0 में मानव-मशीन की सहभागिता का संवर्धन लक्ष्य है, जिससे मानव के अनुभवों का प्रयोग करते हुए उपभोक्तापरक विनिर्माण (customisation) संभव होगा। इंडस्ट्री 5.0 के संदर्भ में नवाचारमय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रणालियों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं।

मानव रचनाशील (Creative) है, उत्पादनकर्ता (Creator) है, और उपभोक्ता (Consumer) है।

मानव बुद्धिजीवी है। प्रकृति में वस्तु और घटनाओं के बारे में जिज्ञासा से इनका अवलोकन, परीक्षण, विश्लेषण, निष्कर्षण, सत्यापन आदि के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त इस नए ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में वस्तु अथवा घटना को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्मतम अथवा बृहत्तर संरचना की अभिकल्पना का भी क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं, जैसे परमाणु संरचना मॉडल , ब्लैकहोल मॉडल , इत्यादि। प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति में सार्वभौमिक शाश्वत सत्य उद्घाटित करता है।

यदि वस्तु अथवा घटना मानव निर्णीत है तो उसके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को मानवकृतिक विज्ञान (Science of man-made artifacts / Design Science) कह सकते हैं। मानवकृतिक विज्ञान में निर्माण लक्ष्य पहले से निश्चित करते हैं। परिणाम कोई नवसृजन अथवा निर्माण विधि संभव है। लक्षित परिणाम सत्यापित हो, जिससे अन्य वैज्ञानिक भी उस निर्माण विधि से वह परिणाम पा सके।

मानव के जागतिक व्यवहार, कौशल, मनोदशा आदि के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को मानविकी विज्ञान कह सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धि प्रणालियाँ मानवकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं।

कृत्रिम बुद्धि प्रणालियों से अपेक्षा है कि प्रयोगकर्ता में प्रकृति के संरक्षण के प्रति अभिरुचि बढ़े, लोक संस्कृति के वैविध्य का संवर्धन हो। व्यापार में अनैतिक मार्केटिंग, मिलावट, मुनाफाखोरी के दुष्परिणामों के बारे में आगाह करते हुए शुचिता बढ़ाएं। डाक, यातायात, स्वास्थ्य, प्रशासन आदि जनसेवाओं में पारस्परिक सहयोग और प्रतिस्पर्धा बढ़े। सेवा प्रणालियों के विकास के दौरान प्रशासन और उपभोक्ताओं के बीच सहभागिता हो। उपभोक्ताओं में कुछ विशेषज्ञ आंशिक विकास कर सकते हैं, और कई प्रयोक्ता सुधारात्मक फीडबेक दे सकते हैं। मानव-मशीन साहचर्य संतुलित हो, सहयोगात्मक हो। कृत्रिम बुद्धि (AI :आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) मानव बुद्धि संवर्धनी (Augmenting (human) Intelligence) बने, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ाने में सहायक बने। मानव-मशीन के सह-सृजन से पर्यावरण संरक्षण और समावेशी समग्र वैश्विक विकास की अपार संभावनाएं हैं।

शिक्षा में नैतिकता, सकारात्मकता, और रचनात्मकता पर बल दिया जाए। स्कूल स्तरीय आधार-शिक्षा में सामाजिक व्यवहार, आत्म संयम, स्वास्थ्य सजगता, प्रकृति साहचर्य के विचारों पर बार बार बल दिया जाए। निज भाषा में लौकिक उपादेयता, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विदेशी भाषा से निज भाषा में ज्ञानान्तरण की मांग बढ़ रही है। भारतीय भाषाओं में ज्ञानान्तरण के संदर्भ में उदाहरण के तौर पर हिंदी में मशीन अनूदित सामग्री तेज प्रगति के नाम पर परोसे जाने से सांस्कृतिक सोच, भाषा लालित्य और सुबोधता का अभाव रहेगा। संस्कृत और तद्जनित भारतीय भाषाएँ ध्वन्यात्मक है। विशेष ध्वनि संकुल का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। संस्कृत का समृद्ध वाङ् मय है। ध्वन्यात्मकता, शब्दानुशासन, शब्दबोध संस्कृत और भारतीय भाषाओं के वैशिष्ट्य हैं जो अंग्रेजी से भिन्न हैं। संस्कृत और भारतीय भाषाओं में डिजिटलीकरण सुगम बनाने की दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है। रोमन लिपि के प्रयोग से भारतीय भाषा लिपि के कुछ स्वर, कुछ व्यंजन के ध्वन्यात्मक स्वरूप का लोप होगा, तदनुसार शब्दावली भी संकुचित होने लगेगी।

अनुसृजन से ज्ञानान्तरण

संस्कृतियों के बीच ज्ञानान्तरण आवश्यक है। इसके लिए अनुवाद का परिष्कृत स्वरूप अनुसृजन प्रस्तावित है। मानव-मशीन साहचर्य से विज्ञान साहित्य प्रणयन में अनुसृजन विधा से सुबोध लेखन के लिए अनुसृजनिका अर्थात् समेकित अनुसृजन सिस्टम (Integrated Transcreation System) विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें मशीन अनुवाद सिस्टम के साथ तकनीकी शब्दावली, कोश, कॉर्पस, व्याकरण चैक, शब्द निर्माण सामग्री, उत्कृष्ट अनुवाद संग्रह, संक्षिप्तीकरण, संकल्पना मैप निर्माण आदि की सुविधा हो। इस विधा से अनुसृजनकर्ता को अलग-अलग (स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा, व्यावसायिकी आदि) स्तरों पर अनुवाद परियोजनाओं में रचनात्मक शैली में विषय के सुबोध प्रतिपादन का अवसर मिलेगा।

अनुसृजन (Transcreation) भाषा और संस्कृति भिन्नता के कारण अनुवाद एक तथ्यात्मक एवं सृजनात्मक प्रविधि है। पाठकोन्मुखी सुबोध अनुवाद को अनुसृजन कह सकते हैं।

वर्तमान संदर्भ में अंग्रेजी को स्रोतभाषा से लक्ष्य भाषा हिंदी में अनुवाद की चर्चा करते हैं।

अनुवाद सामग्री साहित्यिक अथवा साहित्येतर हो सकती है। साहित्यिक के अंतर्गत कथा, कहानी, उपन्यास, कविता, महाकाव्य आदि आते हैं। साहित्येतर के अंतर्गत तकनीकी विषय जैसे विज्ञान, आयुर्विज्ञान, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी), विधि, वाणिज्यिक, प्रशासनिक, जन संचार इत्यादि आते हैं। इन सबकी अपनी अपनी विशिष्ट शब्दावली हैं, वाक्य पदीय मानक हैं , और सामाजिक जीवन मूल्यों के समावेशन की अपेक्षा है। सुबोध एवं रोचक अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट लेखन शैली है।

प्रौद्योगिकी की गति, प्रबल प्रभावकारिता और प्रसार से विश्व समाज प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। विगत 20वीं सदी से प्रारंभ में 10,000 विश्व भाषाएं जीवित थी, सदी के अंत तक लगभग 6,700 विश्व भाषाएं बच सकीं। प्रति वर्ष 2 प्रतिशत विश्व भाषाओं का लोप होता जा रहा है। भाषा के लोप से लोक संस्कृति और परंपरागत ज्ञान का विलोप होता है। भाषिक आदान-प्रदान तत्काल मौखिक संभव है। लिपि के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। सभ्यता के विकास और आवागमन के बढ़ने से भाषाएं और लिपियां एक दूसरे से प्रभावित हुई।

पाणिनी जैसे मनीषियों ने ध्वनि एवं लेखन में ऐक्य पर बल देते हुए ध्वनियों का स्वर एवं व्यंजन में वर्गीकरण किया, उच्चारण स्थान और विधि के आधार पर लिपि संरचना सारणी बनायी। देवनागरी ध्वन्यात्मक है , वैज्ञानिक आधार है।

ज्ञानान्तरण / अनुवाद पाथेय

वक्ता / लेखक ज्ञानान्तरक श्रोता / पाठक

(भाषा-i, संस्कृति-j) (भाषा-k, संस्कृति-m)

ज्ञानान्तरक / अनुवादक की जानकारी सीमित होने से भूलों की संभावनाएं अधिक और सही जानकारी ढूंढ़ने में अधिक समय लगता है। अनुवाद का काम अधिक होने और तत्काल मांग के कारण अनुवाद की गुणवत्ता घटती है। इसलिए

मशीन की मदद से अनुवाद का प्रारम्भिक प्रारूप लिया जा सकता है। ज्ञानांतरण के दो पक्ष हैं - 1. अनुवाद जो लेखकोन्मुखी होता है और 2. अनुसृजन जो पाठकोन्मुखी होता है। ज्ञानांतरक से लक्ष्य भाषा और संस्कृति की जानकारी अपेक्षित है

भाषा के संबंध में अपेक्षित जानकारी .... वर्तनी, व्याकरण, लेक्सिकोन, शब्दकोश, संख्या लेखन, दिन-मास-वर्ष , ऋतुएँ, मुहावरा कोश, समांतर कोश, एनोटेटेड कॉर्पस, वाक्यविन्यास, संधि विच्छेद, अलंकार, उत्कृष्ट लेख संग्रह, शैली, उच्चारण वैशिट्य इत्यादि ... का भाषायी ज्ञान।

संस्कृति के संबंध में अपेक्षित जानकारी .... रीति रिवाज, उत्सव, नृत्य, संगीत, विवाह पद्धति, कार्य पद्धति, भाव भंगिमा, लोक कला ... इत्यादि।

ज्ञानान्तरण प्रणाली (Knowledge Transfer System)

ज्ञानंतरण के मुख्य अंग –

1. स्रोत भाषा में मूल पाठ को पढ़ना (Read OT in SL)
2. मूल पाठ को समझना (Analyse OT)
3. अर्थ विवेचना करना (Interpret)
4. पूरा पाठ समझ लेना (Comprehend)
5. स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप सुबोधतापूर्ण अभिव्यक्ति करना – अनुसृजन (Recreate)

प्रविधि आधार – व्याकरण नियम, द्विभाषिक कॉर्पस, प्रयुक्ति उदाहरण, शब्द-पद सांख्यिकी, शब्दस्तर, वाक्य स्तर, अंतर-भाषा

अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद प्रणालियाँ -

· Anusarak , Matra , Mantra , Angla-Bharti

बहु भाषिक अनुवाद प्रणालियाँ -

- SAMPARARK (IL-IL) P-H, H-P, U-H, Te-Ta
- ANUVADAKSH (E-IL) IL: H, M, B, O, Ta,U
- ANGLA-BHARTI (E-IL) IL: B, P, Mal, U
- CILA: A, B, G, H, M, O, P, Ta, Te

IL: Indian Language, E: English, A: Assamese, B: Bengali , G: Gujarati , H: Hindi , K: Kannada, M: Malayalam , O: Oriya , P: Punjabi , Ta: Tamil , Te: Telegu , U: Urdu

Online Translators (in the context of Indian Languages)

- Google, Microsoft, Facebook, Yahoo
  www.Translate.google.com/manager
- www.Bing.com/translator

Other Tools needed (to develop) -
Cloud based Transcreation workbench including Spell Checkers, Grammar Checkers, Terminology Manager, E-dictionaries, Translation Memory Tools, Localization tools, etc.
मशीनी अनुवाद की व्यापारिक संभावनाएँ हैं – T2S (टेक्स्ट से बोल), S2T (बोल से टेक्स्ट), S2S (बोल से बोल)

भाषिणी मिशन (Mission Bhashini)

भारत सरकार के Ministry of Electronics & IT मंत्रालय ने जुलाई 2022 में तीन वर्षीय डिजिटल इंडिया भाषिणी का आरंभ किया। इसके अंतर्गत Bhashini platform (https://bhashini.gov.in) के माध्यम से कृत्रिम बुद्धि (AI) समर्थित सभी 22 संविधान स्वीकृत भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना था।

मिशन भाषिणी से अपेक्षाएं हैं :

1. अनुवाद एवं अनुसृजन पर एक कोर्स आवश्यक संसाधनों के माध्यम से प्रोत्साहित करें
2. संज्ञानिकी वर्कबेंच (Transcreation Workbench) का विकास किया जाए और इसके प्रयोग को सभी को मुफ्त किया जाए।
3. इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से वित्तपोषित प्रोजेक्टों के रिसर्च पेपर हिंदी में भी प्रकाशित किए जाएं। UGC-CARE से अनुमोदित रिसर्च जर्नल में हिंदी में रिसर्च जर्नल विज्ञान प्रकाश (www.vigyanprakash.in) त्रैमासिक है।
4. परिवर्धित देवनागरी के आधार पर भारतीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला मानक का विकास किया जाए।
5. भारतीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला मानक के आधार पर अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला मानक को बनाए जाने के लिए प्रयास की जाएं।

विज्ञान प्रकाश (www.vigyanprakash.in) रिसर्च जर्नल की भाषा समझने और समझाने की दृष्टि से सुबोध है। गुणवत्ता एवं पारदर्शिता की दृष्टि से लेखक और समीक्षकों के ईमेल भी दिए जाते हैं। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा खंड में भारतीय विज्ञान संस्कृति की उपलब्धियों का परिचय होता है। सभी प्रांतों से शोध पत्र आते हैं।

मानव–केन्द्रित मशीन बुद्धि युक्त (संज्ञानिकी) तकनीकी से वैश्विक सातत्यपूर्ण समावेशी समग्र विकास सम्भव है। समग्र विकास से तात्पर्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, अध्यात्म में समन्वित रूप से व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक विकास। समावेशी विकास से तात्पर्य है कि जिसमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में मानव सामर्थ्य, उत्साह, उद्यमिता, सौहार्द्र, परस्पर प्रीति और खुशहाली का संवर्धन हो , और जन भागीदारी हो। सातत्यपूर्ण (Sustainable) विकास से तात्पर्य है कि विकास रुके नहीं, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं में भी सूझबूझ से गिरकर उठने यानि पुनरुत्थान का दृढ़ संकल्प हो। वैश्विक विकास से तात्पर्य है कि विश्व कल्याण का भी भाव रहे। सर्वे भवन्तु सूखिन: सर्वे सन्तु निरामया। भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम् से मानव कल्याण को सर्वोपरि माना है। भारत की संसद के प्रवेश कक्ष में भी यह अंकित है। भारत की अध्यक्षता में G20 के लोगो में भी यह ध्येय वाक्य है।

अयं निज: परो वेति गणना लघु चेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम् ।।

अर्थात् यह मेरा अपना है अथवा पराया है, इस तरह की गणना छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो (सम्पूर्ण) धरती ही परिवार है।

भारत ने कोरोना महामारी के समय धैर्य और सूझबूझ से जनता का सहयोग लिया, श्रमिकों गरीबों को को आवश्यक राशन दिया, टेस्ट किट, ऑक्सीजन किट आदि बनाए, अपनी कोविड वैक्सीन बनाई, 220 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया और वैश्विक कल्याण का भाव सेअन्य 98 देशों को भी करीब 23.5 करोड़ कोविड वैक्सीन भेजी। भूकंप, बाढ़, आदि आपदाओं में भी अन्य देशों की मदद करता है।

नवाचार प्रोत्साहन से लगभग 27000 नवाचारमय स्टार्टअप और 115 यूनिकॉर्न बने और इस प्रकार भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे पायदान पर हैं। यूनोकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका मूल्य अमेरिकी डॉलर 1 बिलियन (1 करोड़) या इससे अधिक है। सरकार प्रशासन और प्रतिभा साहचर्य से विकसित टेक्नोलॉजी से जन समस्याओं के समाधान में बहुत योगदान है। 19 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में गड़बड़ी के बाद भारत सरकार ने तुरंत प्रभारी कदम उठाए। इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने समस्या से निपटने लिए सुझाव दिए। NIC सिस्टम अप्रभावित रहा। 2000 में Y2K की वैश्विक समस्या का हल निकालने में सूचना प्रौद्योगिकी के भारतीय विशेषज्ञों का उल्लेखनीय योगदान था।

भारतीय संस्कृति में जन कल्याण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए विकसित प्रविधियों, जैसे हल्दी, आंवला आदि अनेक पादप गुणों , औषधि सूत्रों आदि को पेटेंट की तरह गोपनीय नहीं रखा गया, यह ज्ञान सर्व सुलभ किया। भारत मुक्त (Open) टेक्नोलॉजी का समर्थन करता है। नई टेक्नोलॉजी के विकास में सत्यं शिवं सुंदरं के समन्वय पर बल दिया जाता है।

मुक्त एवं परस्पर सुगम संचालनीय तकनीकी (Open and Inter-operable Technologies) का विकास स्थानिक और वैश्विक शान्ति, समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य के लिए हो।

- प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहयोगात्मक तकनीकी परिवेश (Technology Echo-system) का विकास हो।
- सांस्कृतिक कलाएं तकनीकी से वैविध्यपूर्ण हों, समृद्ध हों।
- "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना से एक पृथ्वी, एक कुटुम्ब, एक भविष्य की बेहतरी के लिए वैश्विक सहयोग हो।

  आ नो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वत: अर्थात्, हमें सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार आएं। अच्छे विचारों को स्वीकार कर मनन विश्लेषण करें। बुद्धि विवेक से उचित अनुचित का निर्णय लें।

महात्मा गांधी का कथन प्रासंगिक है, आ नो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वत: के भाव में वे कहते थे कि सभी दिशाओं से अच्छे विचारों को ग्रहण करो लेकिन अपनी संस्कृति की विरासत से जुड़े रहें , पश्चिम की संस्कृति की आंधी में हमारे पैर उखड़ न जाएं , और हम परमुखापेक्षी बन जाएं।

अन्यथा उपनिवेशवाद का बीज वपन होगा, तदनन्तर विस्तार होगा, कुछ विकसित देश अंग्रेजी में डेटा -बाहुल्य के आधार पर अन्य भाषायी देशों के लोगों की मानसिकता और राजनीति को अपने अनुकूल बनाने का परोक्ष प्रयास करेंगे।

आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा का महत्व

- डॉ. सोमनाथ एस.
सचिव, अंतरिक्ष विभाग / अध्यक्ष, इसरो

भूमिका

भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का यहां अनूठा संगम है। विश्व में शायद ही कोई अन्य देश हो जो इतनी विविधता रखता हो, इसके बावजूद भारत ने विश्व के सामने एक सशक्त, प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी विविधता में भी एक अदृश्य एकता का सूत्र है, जो हमारी राष्ट्रीयता को मज़बूती प्रदान करती है। भाषा इस अदृश्य एकता के सूत्र की अभिन्न कड़ी है। भाषा मानवीय जीवन की महत्वपूर्ण इकाई होती है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है और अन्य व्यक्तियों तक संप्रेषित करके सामंजस्य स्थापित करता है। इस अभिव्यक्ति के साथ-साथ भाषा का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य समाज, नगर, राज्यों और देश में विभिन्न मानवीय, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना भी होता है। हर देश की राजव्यवस्था और विकास को सुचारु रूप प्रदान करने में भाषा की भूमिका निर्णायक होती है। भारत ने प्रागैतिहासिक काल से ही कई सांस्कृतिक और भाषायी संक्रमणों का सामना किया है। यदि प्राचीन भारत का भाषायी संदर्भ में अध्ययन किया जाए, तो संस्कृत, प्राकृत, तमिल, आदि अनेक प्रमुख भाषाएं प्रचलित रहीं, साथ ही अनेक लघु भाषाएं भी इन भाषाओं की सहायक धाराओं की भांति प्रवाहशील बनी रहीं। मध्ययुगीन भारत में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली आदि भाषाओं ने प्रवेश किया और उर्दू, हिंदी आदि उपर्युक्त भाषाओं के समागम के फलस्वरूप सामने आयीं। भाषा का हर रूप अपनी अपरिहार्यता और महत्व के कारण सदैव ही प्रासंगिक बना रहा।

'स्वभाषा' और 'आत्मनिर्भरता'

वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में 'आत्मनिर्भता' किसी भी देश को आत्मविश्वास प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। किसी भी क्षेत्र में पराश्रय देश को कमज़ोर बनाता है। 'स्वभाषा' भी 'आत्मनिर्भरता' का अभिन्न अंग है और इसके बिना देश पंगु बन जाता है। अनेक भाषाओं के देश में किसी भी एक भाषा को लेकर चलना आसान नहीं है। भाषाएँ समाज और संस्कृति का दर्पण होती हैं, इसलिए उन्हें भुला देना या उन्हें संजोकर न रखना अपनी ही जड़ें काटने के समान है।

हमें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हम शासकीय प्रयोजनों, विज्ञान, शोध और उच्चतर शिक्षा के लिए प्रमुख रूप से अंग्रेजी भाषा पर ही निर्भर हैं। वैज्ञानिक समुदाय व उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के लिए संप्रेषण का माध्यम अंग्रेजी ही रहा है। अब इन्हें धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं में लाने की कवायद की जा रही है और यह सही भी है। जैसे-जैसे राजभाषा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग इन क्षेत्रों में बढ़ेगा, हम और सहज होते जाएंगे। अन्य विकासशील देशों की तरह हम भारतीय भाषाओं को भी सभी व्यवहार क्षेत्रों के लिए सक्षम और उपयोगी

बना पाएँगे।

यह कार्य झट से नहीं हो सकता। विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयोग के लिए विशिष्ट शब्दावली की आवश्यकता होगी। शब्दावली निर्माण और उनके प्रयोग के बीच की गहरी खाई को भी पाटना होगा। विभिन्न मंचों से अक्सर सरल और सुबोध शब्दों के प्रयोग की हिमायत की जाती है। हमें इस अंतर को समझना होगा कि विशिष्ट क्षेत्र की शब्दावली आम बोल-चाल की भाषा से हमेशा भिन्न रही है और आगे भी भिन्न ही होगी। यह सच्चाई विश्व की सभी विकसित भाषाओं की भी है। कोई शब्द किसी व्यक्ति को क्लिष्ट या कठिन लग सकता है, यदि वह उसके व्यवहार क्षेत्र का ना हो या फिर वह उससे पूरी तरह अपरिचित हो। काठिन्य इस मामले में व्यक्ति सापेक्ष है। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति की शिक्षा-दीक्षा और वातावरण ऐसी भाषा से युक्त हो, जिसमें वह अपने आपको सहज महसूस करता है और अपनी आकांक्षाओं को बिना किसी बाधा या अन्य भाषा की बैसाखी के पंख दे सकता है।

राजभाषा समृद्धि और विस्तार

हिंदी देश की अधिकांश जनता के कामकाज की भाषा है; क्योंकि यही भारत की सभी भाषाओं को साथ लेकर एवं जोड़कर चलने वाली भाषा है। भारत में सन्1991-92 से नए आर्थिक परिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया से सामाजिक, आर्थिक और संभवत: अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन आया। इस परिवर्तन ने भाषायी परिदृश्य को भी प्रभावित किया। आज एफएम रेडियो, अनगिनत टीवी चैनल, सिनेमा, पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों के माध्यम से हिंदी देश के कोने-कोने तक पहुँच चुकी है। हिंदी अब मात्र मध्यम वर्ग की भाषा नहीं अपितु संभ्रांत और पेशेवर वर्ग की भी भाषा बन गई है। हिंदी ने बाजार की राह आसान बनाई है, हिंदी आज बाजार की भाषा है। हिंदी में एसएमएस, ई-मेल, सोशल मीडिया कंटेंट सृजित किए जा रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग में हिंदी की शानदार भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाजारीकरण में हिंदी विज्ञापनों की संख्या बढ़ी है। ज़रूरतों के हिसाब से हिंदी के रूपों और प्रयुक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों एवं नियमों के तहत राजभाषा हिंदी के प्रयोग को व्यापक बनाने के प्रयास के साथ-साथ भाषाई सद्भावना जागृत करने के लिए भी पहल की जानी चाहिए। एक उपाय यह है कि हिंदी भाषी राज्य किसी अन्य प्रांत/राज्य की राजभाषा को तीसरी भाषा के रूप में स्कूली शिक्षा में शामिल करें। यह भाषा ओडिया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाळम आदि कोई भी हो सकती है। मुझे यकीन है कि ऐसा करने से एक सकारात्मक वातावरण तैयार होगा। अन्य भाषा-भाषी भी गर्व महसूस करेंगे कि उनकी भाषा को भी हिंदी प्रदेश में स्वीकृति मिल रही है, आदर मिल रहा है।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम होगा इस लक्ष्य हेतु प्रयासरत एजेंसियों का बड़े पैमाने पर समन्वयन करना। आधुनिक प्रौद्योगिकी इस कार्य में बहुत मददगार साबित हो सकती है। एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाए, जहां सभी भारतीय भाषाओं के भाषाविद्, तकनीकी विषयों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक प्रयोक्ता सब एक-दूसरे से एक ही मंच के सहारे जुड़ें। नए शब्दों का चयन, उसके समतुल्य का सुझाव, सुझाव पर मंथन और अंत में नए समतुल्य शब्द का निर्माण सबकुछ एक ही मंच पर हो और इस महत् कार्य में देश के कोने-कोने से सेवारत एवं सेवानिवृत्त विशेषज्ञों को जोड़ा जाए। यह प्रक्रिया जितनी तेज़ होगी अपनी भाषा में नई शब्दावली उतनी चल पाएगी अन्यथा प्रचलित अन्य भाषा के शब्दों को अपनाने को हम बाध्य हो जाएंगे। जिस प्रकार विश्व साहित्य बिना अधिक विलंब के हमारी भाषाओं में उपलब्ध हो रहा है, यही स्थिति विज्ञान, शोध, पाठ्यपुस्तक के भाषांतरण में भी होनी चाहिए। मूल तकनीकी शब्दों को

ज्यों का त्यों रखते हुए विषय को अपनी भाषा में पढ़ा और समझा जा सके, तो इसका लाभ हर विद्यार्थी और शोधार्थी को होगा।

सरकारी मंत्रालय/विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार की सूचना अपनी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए हमें हर मंत्रालय, विभाग के मीडिया और प्रचार स्कंध को सशक्त बनाना होगा। एक कार्य बल भी तैयार करना होगा, जिसका काम होगा, ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री भिन्न-भिन्न भाषाओं में तैयार करना। ऐसी सुविधा तैयार हो, जहां संविधान सम्मत सभी भाषाओं में प्रश्न पूछा जा सकेगा तथा उन्हें जवाब भी उसी भाषा में मिल जाए।

नई तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों से सामंजस्य

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा नई प्रौद्योगिकियों का समावेशन भी किया जा रहा है। कंठस्थ 2.0, ई-ऑफिस के दस्तावेज़ों को स्वतः द्विभाषी बनाने में मदद करेगा तथा पुनरावृत्ति प्रकार के अनुवाद सामग्री पर किए जानेवाले अनावश्यक श्रम को बचाएगा। 'ई-महाशब्दकोश', 'हिंदी शब्द सिंधु' तथा 'ई-सरल वाक्य कोश' अत्यंत उपयोगी टूल हैं, जिनकी सहायता से हम अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य ने टंकण और आशुलिपि सीखने की आवश्यकता को कम कर दिया है। इसकी जगह फोनेटिक टाइपिंग और वॉइस टाइपिंग ने ले ली है। भविष्य में राजभाषा विभाग भी इन तकनीकों का संज्ञान लेते हुए प्रशिक्षण व्यवस्था में आवश्यक बदलाव लाएगा, ऐसी मेरी आशा है।

अंतरिक्ष विभाग में राजभाषा हिंदी

अंतरिक्ष के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को निरंतर प्रोत्साहित किया जाता रहा है। अंतरिक्ष विभाग/इसरो के केंद्रों/यूनिटों में वर्ष 1986 में हिंदी तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन की परंपरा प्रारंभ हुई। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे जटिल विषय को जनसामान्य के लिए सुगम बनाने का काम इतना आसान नहीं था। विषय विशेषज्ञता, भाषाई निपुणता और पारिभाषिक शब्दावली इन तीनों का आनुपातिक संयोग विकसित करने में लंबा समय व्यतीत हुआ है। आज हम देखते हैं कि वैज्ञानिक अपने अनुसंधान व विकास कार्यों के अनुभव और तकनीकी ज्ञान को कुशलता से हिंदी शोधपत्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतरिक्ष विभाग/इसरो में ही हर वर्ष लगभग 6-7 हिंदी तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें लगभग 250 से अधिक तकनीकी आलेख हिंदी में लिखे जा रहे हैं और उन पर मौखिक सत्रों में हिंदी में चर्चा की जा रही है। सचिव, राजभाषा विभाग के मुख्य आतिथ्य में अंतरिक्ष विभाग/ इसरो मुख्यालय, बेंगलूरु में दिसंबर, 2023 के दौरान संपन्न दो दिवसीय अखिल भारतीय हिंदी तकनीकी संगोष्ठी इन आयोजनों का नवीनतम उदाहरण है।

अंतरिक्ष विभाग के अधिकांश केंद्रों/यूनिटों द्वारा हिंदी गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें तकनीकी विषयों पर आलेखों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। अंतरिक्ष विभाग की अंतरिक्ष प्रदर्शनियों में हिंदी और भारतीय भाषाएं जनसामान्य के साथ संवाद के माध्यम के रूप में प्रमुखता से प्रयोग में लाई जाती हैं। अंतरिक्ष विभाग द्वारा विविध तकनीकी प्रकाशन/प्रदर्शन सामग्री, दूरदर्शन पर प्रमोचन गतिविधियों के प्रसारण और इंटरनेट वेबसाइटों पर शत-प्रतिशत द्विभाषी की नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

शीर्षस्थ बैठकों में भी हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। देश भर में भेजी जाने वाली चल अंतरिक्ष प्रदर्शनियों (स्पेस ऑन व्हील) में प्रदर्शन सामग्री हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार कर प्रदर्शित की जाती है और वरिष्ठ वैज्ञानिक समय-समय पर इन प्रदर्शनियों में जाकर स्कूली और उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के साथ भारतीय भाषाओं में संवाद करते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी का रूप थोड़ा व्यावहारिक और सरल हो गया है।

हिंदी का भविष्य

वैश्विक भाषाओं से संपर्क बढ़ने से हिंदी के विकास को नए आयाम मिले हैं। हिंदी अब संस्कृतनिष्ठ हिंदी नहीं रही, उसमें अंग्रेजी शब्दों की प्रचुरता है। नए अविष्कारों एवं विदेशी प्रौद्योगिकियों के लिए सृजित विदेशी शब्दों का हिंदी में भी बहुतायत प्रयोग हो रहा है। भाषा का स्वरूप भी उसके वर्तमान प्रचलन से ग्रहण किया जाना चाहिए। यहाँ आवश्यक हो गया है कि हिंदी अपनी प्रकृति और विशिष्टता को बरकरार रखते हुए विदेशी शब्दों को भी आत्मसात करती रहे। मेरा मानना है कि बदलते हुए परिवेश में हिंदी को अनुवाद की भाषा न बनाकर मूल प्रयोग की भाषा बनाना होगा। दूसरी भाषाओं के प्रत्येक शब्द के लिए शब्द गढ़ना बंद करना होगा, संबंधित भाषा के मूल शब्दों को अपनाकर उसका हिंदी की प्रकृति के अनुसार अनुकूलन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। जनता ने तो अपने स्तर पर हिंदी के लिए इसी पद्धति को अपनाया है और उसका परिणाम भी आज सर्वगत है, हिंदी के औपचारिक प्रयोग में भी इस प्रकार की उदारता से बोधगम्यता और स्वीकार्यता में वृद्धि होगी।

देश-दुनिया की हिंदी

- डॉ. शुभंकर मिश्र
उप महासचिव, विश्व हिन्दी सचिवालय, मॉरीशस

हिंदी भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह लोगों से संवाद करने और स्वयं को अभिव्यक्त करने में हमारी मदद करती है। एक भाषा के रूप में हिंदी हमारी सांस्कृतिक और भाषिक पहचान है, जो हमें अपने इतिहास और विरासत से जोड़ती है। विश्रुत है कि भारत में संस्कृत संस्कार की भाषा मानी जाती रही है। उक्ति है - "संस्कृतिः संस्कृताश्रिता" अर्थात हमारी संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है। प्रकारांतर से यदि इसे व्याख्यायित किया जाए तो यहाँ इसका आशय यह भी गृहीत है कि यदि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है तो निज भाषा का अवलंबन सर्वोपरि है। नैतिकता और नैष्ठिकता इसके अंतर्निहित गुण हैं। सामासिक संस्कृति की परिचायिका हिंदी अब संस्कार के अतिरिक्त सशक्तिकरण का प्रतीक भी है और अखिल भारतीय स्तर पर हम सबको सहिष्णुता और समरसता का पाठ पढ़ाती है।

पृष्ठभूमि स्वरूप यहाँ यह उल्लेखनीय है कि देशीय स्तर पर हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी एक प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है।

भारत के संविधान ने सन 1950 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने और इसकी सुलभता और व्यापकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय, जैसे कई मंत्रालय, इस लक्ष्य की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह सराहनीय है कि शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान और केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसे संगठन, हिंदीतर भाषियों और विदेशी शिक्षार्थियों के लिए बुनियादी शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। इनके अलावा, सरकार ने राजभाषा अधिनियम, 1963 को लागू करते हुए गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोगों के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष विभाग, राजभाषा विभाग तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जैसी अधीनस्थ संस्थाओं की स्थापना की है। इनके अतिरिक्त, कानून और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग, अधिनियम के अनुसार कानूनी दस्तावेज़ों का सटीक और गुणवत्तापूर्ण हिंदी अनुवाद सुनिश्चित करता है। भारत में भाषाई विविधता और एकता को बढ़ावा देने के प्रति इन विभागों और संस्थानों की प्रतिबद्धता वास्तव में उल्लेखनीय है।

राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के अतिरिक्त देशीय स्तर पर हिंदी के और कई भावात्मक रूप भी हैं, जैसे- संपर्क भाषा, जनभाषा आदि-आदि, जो देश और समाज में हिंदी की अभिस्वीकृति और उसकी महत्तर प्रासंगिकता की ओर इंगित करता है।

भारत में हिंदी का प्रश्न, दरअसल मातृभाषा यानी वह पहली भाषा, जिसे हम जन्मना अनायास सीखते हैं, से भी जुड़ा हुआ है। मातृभाषा, हमारे आसपास की दुनिया को समझने-बूझने में काफी मददगार होती है। बदकिस्मती से दुनिया की 40% आबादी को उस भाषा में शिक्षा की बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसे वे समझते हैं। इससे खासकर गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ता है। भारतीय प्रसंग में हिंदी को बहुभाषा के समुच्चय रूप में देखे जाने की अब महती आवश्यकता है, क्योंकि प्रयोग-स्फीति की दृष्टि से हिंदी बहुव्यापी है और शब्द-संपदा की दृष्टि से अन्योन्याश्रित। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था, "भारतीय भाषाएँ नदियाँ हैं और हिंदी महानदी।" प्रकारांतर से स्वदेशी भाषाएँ, जिसमें हिंदी भाषा भी शामिल है, दरअसल हमारे चतुर्दिक विकास, शांति और सुलह के लिए ख़ास मायने रखती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय स्कूली पाठ्यक्रमों में बुनियादी शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रयोग की वकालत करती है ताकि विषय-वस्तु और सीखने-समझने के अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके। आमतौर पर यह माना जाता है कि अपनी भावनाओं को मातृभाषा या प्रथम-भाषा में व्यक्त करना अधिक प्रभावी होता है और उसका सीधा संबंध दिल से होता है। इसके विपरीत ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में सायास अर्जित भाषा का उपयोग उसके दिमाग तक ही सीमित होता है। आशय यह कि ऐसी शिक्षा हमारे दिल की गहराइयों तक उतर नहीं पाती। यह अब एक सर्व-स्वीकार्य तथ्य है कि जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे आम तौर पर जीवन में शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

न्यायसंगत ज्ञान-समाज के विकास पर बल देते हुए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' 2020 का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से एक सतत विकासमूलक शिक्षा प्रणाली विकसित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बुनियादी तौर पर पढ़ने-पढ़ाने में 'सीखने का आनंद' बरकरार रहे। यह स्वदेशी भाषाओं, जिसमें हिंदी भी परिगणित है, को अपनाने की दिशा में की गई एक सार्थक पहल है।

नई शिक्षा नीति, भारतीय भाषाओं के नियमित इस्तेमाल, शैक्षणिक सामग्री बनाने, शिक्षकों के प्रशिक्षण, मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम-भाषा के रूप में अपनाने जैसे प्रयासों को बढ़ावा देती है। नए वैश्विक शिक्षा एजेंडे में अब सभी के लिए गुणता, समानता और निरंतर सीखने को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि जीवन में भाषिक विविधता और समावेशी समाज के निर्माण की भावना को बल मिल सके। प्रसंगतः, इस स्वीकरण से शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी को अपनाने की दिशा में आशातीत गति मिली है।

वैश्विक स्तर पर यूनेस्को भी अब तक भाषा के बहुविध मुद्दों पर हमें अक्सर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करती रही है, मसलन "सीमाओं के बिना भाषाएँ" (2020), "शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा" (2021), "बहुभाषी बनने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना: चुनौतियाँ और अवसर" (2022), "बहुभाषी शिक्षा: शिक्षा को बदलने की आवश्यकता" (2023), "बहुभाषी शिक्षा अंतर-पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है" (2024) आदि-आदि। ये दरअसल पूरे विश्व में बहुभाषी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अहमियत पर बल देते हैं।

भारत से बाहर संख्याबल से दुर्बल होने के दर्द ने भारतीयों को, बावजूद इसके कि वे विभिन्न भाषा-भाषी और विभिन्न प्रांतों से हैं, हिंदुस्तानी या हिंदी के नाम पर एक-दूसरे से बखूबी जोड़े रखा है। यदि देखा जाए तो यह हिंदी के प्रातिपदिकार्थ का एक सुखद अर्थ-विस्तार है, जो लोगों को भारत-भारतीयता, भाषा-संस्कृति के नाम पर एकजुट किए हुए है। इन प्रवासी भारतीयों के सृजन का संसार अपनी आगामी पीढ़ी को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने और इस क्रम

में उन्हें संस्कृति व संस्कार के सीखने-सिखाने की एक अकुलाहट के साथ दिखती है। पर इन देशों में एक वर्ग ऐसा भी है, जो इतिहास जनित सहज कौतुहलता के कारण प्राच्य-विद्या और अतुल्य भारत को नज़दीक से जानना-समझना चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विदेशों में उदीयमान हिंदी पठन-पाठन की व्यवस्था के कतिपय महत्वपूर्ण कारणों में ये कुछ कारण विचारणीय हैं।

वैश्विक स्तर पर हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा बनती जा रही है। मोटे तौर पर प्रवासी भारतीय संसार के दो फलक माने जा सकते हैं। पहला फलक उन गिरमिटिया प्रवासी मज़दूरों और उनके द्वारा येन-केन- प्रकारेण उस अर्जित संसार का है, जो परिस्थितिजन्य प्रतिकूलता के बावजूद कठोर श्रम की नींव पर खड़ी है। गिरमिटिया देशों के साहित्य में प्रायः दुर्धर्ष-संघर्ष की लोमहर्षक कहानी दर्ज़ हैं, जो मानवीय मर्म और धर्म की बुनियाद पर हम सबको 'न दैन्यं न पलायनम' का अटल संदेश देता है। प्रवासी भारतीय साहित्य की परिधि-विस्तार के क्रम में स्वेच्छा से गए यहाँ उन भारतीयों का उल्लेख भी अपरिहार्य है, जो भौतिक-आर्थिक उन्नति के लिए अपनी माटी अपना देश छोड़कर जहाँ भी गए, बस वहीं के होकर रह गए। साहित्य इनके द्वारा भी प्रभूत मात्रा में रचा जा रहा है। यह फलक यद्यपि बहुरंगी और अपनी विविधवर्णी आभा के साथ प्रवासी हिंदी साहित्य को आलोकित कर रहा है, पर उसमें भी आजीविका के अतिरिक्त भावनात्मक संवेदना और देश से बिछड़ने का दर्द यत्र-तत्र-सर्वत्र दिखता है। ख़ुशकिस्मती है कि इन दोनों ही स्तरों पर साहित्य-सृजन और हिंदी पठन-पाठन की स्थिति दिनानुदिन बेहतर होती जा रही है और जो 'भाषा गई तो संस्कृति गई' के मनोविज्ञान पर आधारित है।

यह बेहद उत्साहपूर्ण है कि राष्ट्रीय सीमाओं से परे हिंदी पड़ोसी देश नेपाल और फिज़ी, मॉरीशस, सूरीनाम और गुयाना जैसे गिरमिटिया देशों में अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज़ करा रही है। यहाँ हिंदी उनके पूर्वजों की भाषा के रूप में श्रद्धेय है और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित हुई है। इन पड़ोसी और गिरमिटिया देशों के अलावा हिंदी रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया आदि देशों में भी खूब फल-फूल रही है। इन तमाम देशों में हिंदी प्रचार-प्रसार का संदर्भ कोई वैधानिक बाध्यता का नहीं अपितु इसकी विशुद्ध लोकोपरकता व भावनामूलकता से है। ध्यातव्य है कि दुनिया भर में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पठन-पाठन और शोध के औपचारिक अवसर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ हिंदी विभिन्न निजी प्रयासों से भी निरंतर फल-फूल रही है, जो दरअसल वैश्विक स्तर पर हिंदी की व्यापक अभिस्वीकृति का एक स्पष्ट संकेत है।

दुनिया भर में इस भाषा को अब बड़ी तादाद में लोग समझते, बोलते और पढ़ते-पढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 'विश्व प्रवासन रिपोर्ट', 2022 के अनुसार, सन 2020 में दुनिया भर में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भारतीयों की थी। मैक्सिको, रूस और चीन का स्थान इसके बाद आता है। सांख्यिकीय दृष्टि से यह विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली, समझी जाने वाली भाषा है। भारत के बाहर रहने वाली इस उभरती भारतीय 'सॉफ्ट पावर' के साथ, हिंदी में विभिन्न महाद्वीपों के लोगों को परस्पर जोड़ने और इनके मध्य सांस्कृतिक अंतराल को पाटने की पर्याप्त क्षमता है, जिससे यह आज विश्वभर में सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण भाषा बन गई है।

हिंदी प्रचार-प्रसार के वैश्विक फलक की चर्चा में अब अंतरराष्ट्रीय संगठन 'संयुक्त राष्ट्र संघ' में हिंदी की उपस्थिति का आकलन भी एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप मे जुड़ गया है। सन 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भला कौन भूल सकता है ? जब उन्होंने पहली बार 'संयुक्त राष्ट्र की आम सभा' में हिंदी में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। "मैं भारत से शुभकामना संदेश लाया हूँ....., के उस

इतिहास प्रसिद्ध भाषण के माध्यम से पहली बार हिंदी विश्व का आम स्वर बना, जिसमें रंगभेद, गुटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय सरोकार था और वसुधैव कुटुम्बकम् के भारतीय दर्शन का संदेश था। हिंदी में दिया गया यह ऐतिहासिक भाषण एक निर्णायक क्षण था, जिसने विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने हेतु भारतीय प्रयासों के लिए एक रास्ता बनाया। दूसरी बार उन्होंने सन 2002 में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। पश्चात सन 2021 में हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' को हिंदी में संबोधित किया है और कूटनीति की भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है।

वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार-प्रसार भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। विश्व स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय कटिबद्ध है। विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क और चयनित मिशनों में तैनात द्वितीय सचिव और अताशे (हिंदी और संस्कृति) भाषा की पहुँच एवं उपलब्धता को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय, इस हेतु प्रतिष्ठित विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करता है और साथ-ही-साथ मॉरीशस में 'विश्व हिंदी सचिवालय' के काम की देखरेख भी करता है, जो दोनों गणराज्यों की एक द्विपक्षीय संस्था है। भारत सरकार की यह पहल दुनिया भर में हिंदी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अब यह सुस्पष्ट है कि हिंदी एक महत्वपूर्ण वैश्विक मान्यता वाली भाषा है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसकी मान्यता और उपयोग बढ़ाने के उल्लेखनीय प्रयासों के साथ, हिंदी, संयुक्त राष्ट्र में नौ कामकाजी भाषाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज़ करा चुकी है। भारत द्वारा सह-प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में बहुभाषावाद के लिए लाए गए प्रस्ताव से हिंदी भाषा को ऐतिहासिक स्वीकृति मिली है। 10 जून, 2022 को सर्वसम्मति से अपनाया गया यह प्रस्ताव, आधिकारिक और गैर-आधिकारिक भाषाओं, जिनमें हिंदी भी शामिल है, में महत्वपूर्ण जानकारी और संदेशों के प्रसार के महत्व पर ज़ोर देता है। यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व और उसकी प्रासंगिकता को बयाँ करती है। हालाँकि, अब समय आ गया है कि हिंदी को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। इस तरह की मान्यता से न केवल भारत को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, बल्कि दुनिया भर के व्यवसायों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा।

संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सन 2018 में, संयुक्त राष्ट्र के भीतर हिंदी को दो वर्षों के लिए बढ़ावा देने हेतु, संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के बीच एक 'स्वैच्छिक वित्तीय योगदान समझौते' पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे सन 2019 में अगले पाँच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और वर्तमान में यह मार्च 2025 तक लागू है। इस समझौते के तहत, संयुक्त राष्ट्र ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट और यूएन न्यूज़ के लिए एक हिंदी वेबसाइट लॉन्च की है। इनके अलावा, संयुक्त राष्ट्र, 'संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट' पर हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित करता है, 'साउंड क्लाउड' पर एक साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन जारी करता है तथा हिंदी में एक संयुक्त राष्ट्र ब्लॉग प्रकाशित करता है। इनके साथ ही एंड्रॉइड और आईओएस के लिए 'यूएन समाचार मोबाइल' ऐप का 'हिंदी-विस्तार' भी उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2022 से 2032 तक स्वदेशी भाषाओं के 'अंतरराष्ट्रीय दशक' की घोषणा के साथ, स्वदेशी भाषाओं को स्वीकारना और संरक्षित करना हिंदी की वैश्विक पहुँच और उपलब्धता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार विदेशों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई उल्लेखनीय कदम उठा रही है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस' मनाना इसी प्रयास का एक अहम हिस्सा है। इस दिशा में नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने वाले

विश्व हिंदी सम्मेलन, दुनिया भर के विद्वानों और लेखकों को एक साथ लाने और हिंदी भाषा के योगदान एवं इसकी उपलब्धियों पर विमर्श करने का एक बड़ा मंच प्रदान करता है। इसका आयोजन सन 1975 से मेज़बान देश के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता रहा है। हिंदी को बढ़ावा देने और इसके प्रचार-प्रसार के प्रति समर्पित इन सम्मेलनों की मेज़बानी विभिन्न देशों में की जाती रही है। डिजिटल युग में भाषा के विकास के प्रति समर्पित विमर्श 'हिंदी: पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक' जो पिछले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में नादी, फिज़ी में आयोजित किया गया था, दरअसल हिंदी शिक्षार्थियों को समसामयिकता के परिदृश्य से जोड़ने की दृष्टि से एक बेहद उपयुक्त कदम के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह के सम्मेलनों से हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए परस्पर विचार-विमर्श तथा इसके उज्ज्वल और आशाजनक भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली है।

इसी क्रम में, आगे एक साझे प्रयत्न के रूप में, विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना ऐतिहासिक और निर्णायक साबित हुई, जिसने हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित किया। सन 1999 में एक समझौता ज्ञापन के तहत, मॉरीशस में एक द्विपक्षीय संस्था के रूप में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना, हिंदी को एक वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता की वकालत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है कि यह प्रस्ताव 10 जनवरी, 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान मॉरीशस के पहले प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम द्वारा लाया गया था।

हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में इसकी सार्वभौमिक स्वीकृति और मान्यता की वकालत करने में विश्व हिंदी सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। गौरतलब है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए भारत को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। इस हेतु भारत संयुक्त राष्ट्र में कम से कम 129 वोट हासिल करने हेतु विभिन्न देशों से समर्थन प्राप्त करने के लिए वर्तमान में प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र का 'वैश्विक संचार विभाग' यूएन में 'भाषाई समावेशिता' के प्रति उत्तरदायी होता है। यूएन में हिंदी (Hindi@UN) परियोजना के तहत यूएन में और इसके माध्यम से हिंदी की सार्वजनिक पहुँच को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार अपना वित्तीय अंशदान देता रहा है। इसे वैश्विक स्तर पर हिंदीमूलक समावेशी संवाद और समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक कारगर पहल के रूप में देखा जा सकता है।

इंटरनेट की दुनिया में आजकल क्षेत्रीय और अंग्रेज़ीतर भाषाओं का बोल-बाला दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में हिंदी के संदर्भ में 'एथ्नोलॉग.कॉम' के मुताबिक यह बात यहाँ कुछ कम संतोषजनक नहीं है कि हिंदी में एक संपन्न डिजिटल समर्थन प्रणाली उपलब्ध है, जो भाषा सीखने वालों के लिए आभासी सहायक, प्राथमिक पाठ, शाब्दिक संसाधन, भाषा-विवरण और अन्य भाषा-संबंधी सामग्री, संसाधन आदि उपलब्ध कराती है।

आज की तेजी से बदलती दुनिया में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए सतत कौशल अर्जन अब आवश्यक हो गया है। आज हम जिस वैश्वीकृत समाज में रह रहे हैं, उसमें हिंदी एक बड़े भू-भाग की भाषा होने के कारण व्यापार और व्यवसाय की भाषा बन गई है। यही वजह है कि इसे सीखना अब ज़रूरी समझा जाने लगा है। हिंदी के क्षेत्र में 'डिजिटल विभाजन' को पाटने की दिशा में अभी हालांकि काफी कुछ किया जाना शेष है, पर इस दिशा में चल रहे विभिन्न वैयक्तिक और सांस्थानिक प्रयत्न प्रयोक्ताओं और हिंदी प्रेमियों को इसके उज्ज्वल भविष्य के प्रति पूर्णरूपेण आश्वस्त करते हैं। शिक्षण और अन्य आनुषांगिक सामग्री का डिजिटलीकरण करके, हम 21वीं सदी में अपने संपूर्ण-

विकास के लिए वांछित तमाम कौशल, जैसे कि संचार कौशल, रचनात्मकता, डिजिटल साक्षरता, सांस्कृतिक जागरूकता आदि-आदि के लिए आधारभूत सामग्री तैयार कर सकते हैं ताकि ये प्रयोक्ताओं के समक्ष माउस के मात्र एक 'क्लिक' पर झट हाज़िर किया जा सके। यकीनन यह दृष्टिकोण, हिंदी को उसकी पारंपरिक पहुँच एवं उपलब्धता की चहारदीवारी से बाहर निकालते हुए, उसे एक विशाल लक्ष्य-समूह, जो अब तक हमारी पहुँच से बाहर हुआ करता था, वहाँ तक पहुँचाने में सफल होगा। आइए, हम सब एकमत होकर इस भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि के प्रतीक के रूप में संपोषित करने का संकल्प लें। भाषा-अभियानियों को इस हेतु अनंत शुभकामनाएँ! संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् !!

स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी भाषा-साहित्य की भूमिका

- प्रोफ़ेसर सुनील बाबुराव कुलकर्णी
निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

सारांश

हमारे पूर्वजों ने बड़े संघर्षों से इस राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण रखा है। हम पर कई आघात हुए। एक बड़ा कालखण्ड हमारे पुरखों नें दासता के रूप में बिताया, जिसमें हमारी महान सभ्यता-संस्कृति, भाषा-बोली, रहन-सहन, खान-पान आदि सब कुछ समृद्ध होने के उपरांत भी हमें नस्लीय और भाषाई आधार पर हीन बताया गया। उस समय की पीढ़ी को अस्थायी रूप से यह हीनता बोध कुछ अंश में कभी कुंठित भी करता रहा किंतु हमारा अभिज्ञान सदा सनातन था, सनातन रहा और सनातन रहेगा। जहाँ तक भाषाई सन्दर्भों की बात है तो यह कहा जा सकता है कि जब दासता से मुक्ति का संघर्ष तीव्र हुआ तब भारतीय भाषाओं ने उसमें अनन्य भूमिका निभाई और उस प्रभाव को एक सूत्र में पिरोकर उसे केंद्रीकृत कर प्रबल करने का कार्य हिंदी ने प्रभावपूर्ण पद्धति से किया दिखाई पड़ता है।

बीज शब्द:
अभिज्ञान, नवजागरण, समिधा, अभिप्रेरणा, उत्सर्ग

आलेख:

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 से 14 सितंबर 1949 तक तीन दिनों में लगभग 24 घण्टों की बहस के उपरांत 14 सितंबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को 'राजभाषा' के रूप में स्वीकृत किया। हम सभी हिंदी सेवियों के लिए यह बड़े हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किए 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम उसकी 'हीरक जयंती मना रहे हैं।

राजभाषा बनने से पूर्व भारत के स्वाधीनता आंदोलनकाल में हिंदी की एक लंबी यात्रा रही है जिसमें अनगिनत मोड़ और कई पड़ाव समाविष्ट हैं। विद्वान मानते हैं कि "अंग्रेज़ी बनाम भारतीय भाषाएँ यह प्रश्न अटठारह सौ सत्तावन के बाद भारत के विभिन्न प्रदेशों में बुद्धिजीवियों के सामने आया। .....जो भारत को अंग्रेज़ी शोषण से मुक्त कराना चाहते थे वे भारतीय भाषाओं का पक्ष लेते थे।"[(1)] सत्तावन की क्रांति के पश्चात भारतवर्ष में एक नवचेतना का संचार हुआ जिसके चलते निज सभ्यता के साथ निज भाषा की बात भी होने लगी। इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा के क्षेत्र में खड़ी बोली के नए रूप को स्थापित किया जो उर्दू से सर्वथा भिन्न था। 1875 में उन्होंने 'भारत दुर्दशा' नामक नाटक लिखा जो 'राष्ट्रीय चेतना का पहला 'हिंदी' नाटक माना जाता है। इस नाटक की हिंदी भाषा के माध्यम से वे सीधे जनता के हृदय पर प्रभाव करते और जनता में स्वाधीनता के प्रति एक ललक उत्पन्न करते हैं। भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए भारतेंदु ने उद्घोष किया कि 'निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल'[(2)] उस काल में यह एक प्रकार के मंत्र के रूप में प्रसारित हुआ। 1882 में अंग्रेज़ी शिक्षा आयोग के सामने हिंदी भाषा का पक्ष प्रबलता से रखते हुए भारतेंदु ने कहा था

कि-' सभी देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है यही (भारत) ऐसा देश है जहाँ अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की' यह भी उतना ही उल्लेखनीय है।

इस प्रकार भारतीय भाषाओं विशेष रूप से हिंदी को मध्य में रखकर सोच विचार होने लगा था। इसके अलावा उस समय ऐसे कई हिंदी समर गीत भी थे जो भाषाई सीमाओं से परे पूरे भारतवर्ष में एक नव स्वातंत्र्य भाव जगा रहे थे जिनमे जयशंकर प्रसाद का 'हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती', कवि प्रदीप का 'आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिन्दुस्तान हमारा है', सुभद्रा कुमारी चौहान का 'ख़ूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसी वाली रानी थी', श्यामलाल 'पार्षद' का 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा..' प्रभात फेरियों में यही गीत गूँजते थे, इन और इन जैसे असंख्य हिंदी गीतों को सुन भारत का जन-जन झूम उठता था, मचल उठता था कुछ कर गुज़रने के लिए, जो दर्शाता है भाषाई शक्ति को।

हम देखें तो पाते हैं कि स्वाधीनता के समर में राष्ट्र के कोने-कोने से हर धर्म-पंथ, भाषा-विचार के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इन सभी को एक सूत्र में बाँधने का कार्य हिंदी ने किया। महात्मा गाँधी गुजराती भाषी थे, सी.राजगोपालाचारी दक्षिण भारतीय थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बांग्ला भाषी थे, लोकमान्य तिलक मराठी भाषी थे इनके अलावा भी कई नेता ऐसे थे जो हिंदीतर भाषी थे किंतु किसी ने भी भाषा को लेकर कभी विवाद नहीं किया। सभी ने मिलकर हिंदी के माध्यम से अपनी-अपनी बात रखी और जनता तक स्वतंत्रता आंदोलन का संदेश आसानी से पहुँचाया।

बंगाल के श्री केशवचंद्र सेन, जिन्होंने 1873 में अपने पत्र 'सुलभ समाचार' (बंगला) में लिखा "यदि भाषा एक न होने पर भारतवर्ष में एकता न हो तो उसका उपाय क्या है? समस्त भारतवर्ष में एक भाषा का प्रयोग करना इसका उपाय है। इस समय भारत में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, उनमें हिंदी भाषा प्राय: सर्वत्र प्रचलित है. इस हिंदी भाषा को यदि भारतवर्ष की एक मात्र भाषा बनाया जाए तो अनायास ही (यह एकता) शीघ्र ही सम्पन्न हो सकती है।" इसी तरह नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने एक बार कहा था कि "भारत के स्वतंत्र होने के बाद हम भारतीय जनता को अंग्रेजी भाषा से भी मुक्ति दिलाएंगे, ऐसे में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा होगी, जिसे ज्यादातर भारतीय समझेंगे और बोलेंगे।" इसे स्वाधीनता की लड़ाई में हिंदी के विचार को प्रमुख तत्व के रूप में देखा जा सकता है।

महात्मा गाँधी ने स्वाधीनता के संघर्ष में जनता से जुड़ने के लिए हिंदी को ही माध्यम बनाया क्योंकि जब वे पहली बार सत्याग्रह के लिए चम्पारण गए तो उन्हें भाषा की समस्या आयी तब उन्होंने हिंदी के महत्व को जाना। 6 फरवरी 1916 को वायसराय लार्ड हार्डिंग 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' का शिलान्यास करने भारत आए थे। महामना मदनमोहन मालवीय के विशेष निमंत्रण पर महात्मा गाँधी भी इस समारोह में शामिल हुए थे जहाँ उन्होंने अपना पहला महत्वपूर्ण भाषण दिया सर्वप्रथम गाँधीजी ने समारोह की कार्यवाही एक विदेशी भाषा, अँग्रेजी में चलाए जाने पर आपत्ति की और दुख जताया था।

इसके अलावा देशभर में उन दिनों स्वतंत्रता के जो नारे गूँजते थे वे हिंदी में ही थे ताकि अधिकाधिक लोगों तक अपनी बात को आसानी से पहुँचाया जा सके यथा- 'अंग्रेजों भारत छोडो', 'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा', तुम मुझे खून दो,मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा' उपरोक्त सभी नारों का उद्घोष करने वाले स्वतंत्रता के सेनानी हिन्दीतर भाषी थे किंतु उन्होंने हिंदी के माध्यम से ही जनता के हृदय तक पहुँचने का मार्ग अपनाया। बंकिमचंद्र ने तो यहाँ तक कहा कि "हिंदी भाषा की सहायता से विभिन्न प्रदेशों में एक्य बाँधने हेतु भारत बंधु कहलाने योग्य है।" [3] स्वाधीनता के

सेनानी अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए हिंदी का ही सहारा लेते थे। सरदार भगतसिंह, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आदि जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी हिन्दीतर भाषी होने के बावजूद हिंदी में बोलते और लिखते थे।

हिंदी के कई समाचार पत्र - पत्रिकाओं ने भी स्वाधीनता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1826 में हिंदी का पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार प्रकाशित हुआ जिसका नाम 'उदंत मार्तंड' था जिसमें राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जनजागृति परक लेख लिखे जाते थे। इसके अलावा भारतेंदु का 'हरिश्चंद्र मैगजीन' भी बड़ा प्रभावशाली था। और "यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतेंदु काल तक हिंदी पत्रकारिता के साढ़े तीन सौ से अधिक अख़बार विकसित हो गए थे, जिनमें से अधिसंख्य लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा करने, देश के लिए मर मिटने तथा स्वाधीनता के लिए तैयारी कर रहे थे।"[4] देश के कोने-कोने में गाँधीजी के 'हरिजन' और तिलक के 'केसरी' आदि जैसे पत्र बड़े लोकप्रिय थे। लोग देश में घटित हो रही घटनाओं को जानने हेतु उत्सुक रहते थे। इन पत्रों ने लोगों में स्वाधीनता की भावना को बलशाली किया।

हिंदी भाषा की कविताओं ने भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और नवजागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैथिलीशरण गुप्त और गाँधीजी के प्रगाढ़ संबंध सर्वविदित हैं, वे उनकी रचनाओं और वक्तव्यों से प्रेरणा लेते रहे। गुप्त जी की रचना 'भारत-भारती' इस दृष्टि से उनकी सबसे प्रभावशाली रचना है जिसकी पंक्तियों ने तत्कालीन समाज में चेतना का प्रस्फुरण किया-

"मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती,
भगवान् ! भारतवर्ष में गूँजे हमारी भारती।"[5]

दादा माखनलाल चतुर्वेदी ने भी अपनी रचनाओं के बल पर तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी, स्वयं कई बार जेल यात्राएँ की किंतु हार नहीं मानी और निरंतर हिंदी रचनाओं के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, निरंतर इस समाज को जागृत करते रहे। उनकी 'सिपाही' नामक कविता में स्वतंत्रता संघर्ष का सिपाही कह उठता है -

"मैं हूँ एक सिपाही, बलि है
मेरा अंतिम साध्य !"[6]

अपनी अन्य रचना 'पुष्प की अभिलाषा' के माध्यम से स्वाधीनता हेतु उत्सर्ग के लिए प्रेरित करते हैं-

" मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ जावें वीर अनेक।।"[7]

इनके अलावा भी जगदंबा प्रसाद मिश्र 'हितैषी', गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', शिवमंगलसिंह सुमन, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', महादेवी वर्मा, दिनकर आदि जैसे असंख्य कवि अपनी-अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वातंत्र्य समर में अपनी समिधाएँ अर्पित कर रहे थे। संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कवियों की भूमिका देश भक्ति, त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत थी। इनके शब्दों से ऊर्जा पाकर सुप्त हृदयों में भी क्रांति की लहरें हिलोरें लेने लगती थीं, इस कालखण्ड में इन कवियों ने एक मार्गदर्शक तथा प्रेरक की भूमिका निभाकर स्वतंत्रता पथ पर आगे बढ़ते असंख्य वीरों का पथ प्रदर्शन किया और उन्हें एक लक्ष्य देकर ध्येय प्राप्ति की ओर उन्मुख किया।

इसी प्रकार कई कहानीकार भी अपनी लेखनी से भारत वीरों के त्याग और बलिदान का, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय समर्पण और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान का संदेश देती प्रेरणादायक हिंदी कहानियों का सृजन कर स्वाधीनता आंदोलन के मतवालों को अभिप्रेरित कर रहे थे।

वृंदावनलाल वर्मा की वीर सिखों के अतुलनीय बलिदान और शौर्य की गाथा को प्रस्तुत करती वीर सेनानी 'बंदा बैरागी' के जीवन पर आधारित कहानी 'रिहाई तलवार की धार पर'[8]। सुभद्रा कुमारी की राष्ट्रीयता की अलख जगाती कहानी 'अमराई'[9]। स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के वीर सेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस तथा उनकी आज़ाद हिंद सेना के अतुलनीय बलिदान को अधोरेखित करती विष्णु प्रभाकर की कहानी 'बहादुर सेनापति'[10]। स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर में युवाओं के जोश और उनके जुनून को तथा उस काल के सारे सामाजिक वातावरण को हमारे सामने बयां करती पांडेय बेचैन शर्मा 'उग्र' की कहानी 'उसकी माँ'[11]। भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय इतिहास का जीवंत दस्तावेज़ राहुल सांकृत्यायन के कहानी संग्रह 'वोल्गा से गंगा'[12] की कहानियाँ। उपरोक्त समस्त रचनाकार स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अपने सृजन कर्म के माध्यम से राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे थे जो था देशवासियों को अपने उज्जवल और गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का भान कराकर उनमें दासता के विरुद्ध चेतना का भाव जागृत करना।

निष्कर्ष:

हिंदी भाषा-साहित्य ने स्वाधीनता आंदोलन में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करते हुए जहाँ स्वाधीनता आंदोलन को एक सूत्र में पिरोकर उसे राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक बल दिया वहीं हिंदी गीतों, कविताओं, नारों की गूँज से सारा देश एकस्वर हुआ। स्वाधीनता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने में और उसे भारत भर में प्रसारित करने में हिंदी भाषा-साहित्य की बड़ी भूमिका रही। हिंदी भाषा-साहित्य ने एकता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय विचार समाज में प्रसृत करने का महान दायित्व बखूबी निभाया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान नेता, साहित्यकार, समाजसेवी, बड़ी संख्या में देशहित प्रचार हेतु देश के विभिन्न भागों में जाकर अलख जगाने का काम करते रहे और उनकी वाणी को शक्ति दे रही थी हिंदी भाषा तथा दिशा दे रहा था हिंदी का राष्ट्रीय साहित्य, जिसने अपनी महान भूमिका का सार्थक निर्वहन किया।

संदर्भ सूची :

(1) रामविलास शर्मा स्वाधीनता आन्दोलन के बदलते परिप्रेक्ष्य हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय 1962 पृष्ठ-163).
(2) भारतेंदु के निबंध, केसरीनारायण शुक्ल, सरस्वती मंदिर, बनारस, 1952, पृष्ठ-6.
(3) बालमुकुंद गुप्त निबंधावली, प्रथम भाग, पृष्ठ -159.
(4) अनिल सिन्हा, हिंदी पत्रकारिता : इतिहास,स्वरुप और संभावनाएं, पृष्ठ-18.
(5) भारत-भारती, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2020
(6) स्वतंत्रता पुकारती-संपादक-नन्द किशोर नवल-साहित्य अकादेमी,नई दिल्ली-2006
(7) वही
(8) शरणागत (कहानी संग्रह)-ले. वृंदावनलाल वर्मा, मयूर प्रकाशन, झाँसी, चतुर्थ संस्करण-1959
(9) बिखरे मोती (कहानी संग्रह) - ले. सुभद्राकुमारी चौहान, जबलपुर-1932
(10) मेरा वतन (विष्णु प्रभाकर संपूर्ण कहानियाँ) - ले.विष्णु प्रभाकर , प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, चतुर्थ संस्करण-2010
(11) कला का पुरस्कार (कहानी संग्रह)- ले. पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' - आत्माराम एंड संस, नई दिल्ली , सं.-1955
(12) वोल्गा से गंगा (कहानी संग्रह)-ले.राहुल सांकृत्यायन,प्रयाग- संस्करण 1942

साहचर्य से बढ़ती हिंदी की स्वीकार्यता

- अनंत विजय
वरिष्ठ पत्रकार

हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के बारे में जमकर चर्चा होती है, हिंदी को बाजार और रोजगार से जोड़ने की बातें भी होती हैं। स्वाधीनता के बाद से अब तक हिंदी की व्याप्ति बढ़ने पर हिंदी समाज प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसमें से कुछ लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत करते मिलेंगे। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार से अपील होगी। परंतु ऐसा नहीं है कि ये सब बातें हैं। हिंदी की समृद्धि के लिए शब्दकोश तैयार किए गए हैं। हिंदी को तकनीक से जोड़ने के लिए सांस्थानिक और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भले ही हिंदी शब्द का उल्लेख नहीं है लेकिन मातृभाषा और भारतीय भाषा को प्राथमिकता की बातें हैं। इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी शिक्षा के लिए हिंदी में पुस्तकें तैयार हुईं। नई दिल्ली में आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उनकी सीट के सामने भारत लिखा था। इसके पहले राष्ट्रपति ने राष्ट्र प्रमुखों के लिए जो भोज का आयोजन किया। उसके निमंत्रण पत्र में भी प्रेसिडेंट आफ भारत लिखा गया था। जी 20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन हिंदी में हुआ। यह प्रधानमंत्री के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में लिए गए पंच प्रण के अनुसार उठाया जा रहा कदम था। भारत शब्द में जो अपनत्व का बोध है या इस शब्द से लोगों का जो जुड़ाव है वो अपेक्षाकृत इंडिया से काफी अधिक है। नरेन्द्र मोदी संसद में भी और वैश्विक मंचों पर भी हिंदी में ही भाषण देते हैं। लोगों को वो क्षण भी याद है जब प्रधानमंत्री ने अपने पिछले अमेरिकी दौरे में व्हाइट हाउस में अपने स्वागत के समय हिंदी में वक्तव्य दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी खड़े होकर मोदी के हिंदी में दिए गए वक्तव्य को सुन रही थीं। संभव है उन्होंने इसको समझने के लिए अनुवाद यंत्र का उपयोग किया होगा। इस सरकार के मंत्री भी यथासंभव भारतीय भाषाओं में ही संवाद करते हैं। इससे भी भारतीय भाषाओं के बीच सामंजस्य बनता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसदीय राजभाषा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के सामने पांच प्रण रखे थे। जिनमें से दो प्रण हैं- विरासत का सम्मान और गुलामी के चिह्नों को मिटाना। अमित शाह ने उस बैठक में बताया था कि इन दोनों प्रण के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए सभी भारतीय भाषाओं और राजभाषा को अपनी शक्ति दिखानी होगी। विरासत का सम्मान भाषा के सम्मान के बिना अधूरा है। राजभाषा की स्वीकृति तभी आएगी जब स्थानीय भाषाओं को सम्मान देंगे। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि हिंदी की स्पर्धा स्थानीय भाषाओं से नहीं है। सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने से ही राष्ट्र सशक्त होगा। इसके पहले भी गृह मंत्री राजभाषा हिंदी को लेकर इस तरह की बातें करते रहे हैं। अगर मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो हिंदी का भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चलने का प्रयास दिखाई देता है। बिना किसी पर हिंदी थोपे अपने व्यवहार से और भारतीय भाषाओं के उन्नयन की योजना के क्रियान्वयन से हिंदी को शक्ति देने का प्रयास हो रहा है। अमित शाह ने संसदीय समिति की बैठक में स्पष्ट भी किया था कि राजभाषा की स्वीकृति कानून या सर्कुलर से नहीं बल्कि सद्भावना, प्रेरणा और प्रयास से आती है।

जब इंजीनियरिंग और मेडिकल के पाठ्यक्रम और पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में तैयार करने की बारी आई तो इसको 10 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी 10 भारतीय भाषाओं में आरंभ हुई। अगर सिर्फ हिंदी में शुरुआत की जाती तो अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों को ये लग सकता था कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं पर वरीयता दी जा रही है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब ये पाठ्यक्रम सभी भारतीय भाषाओं में आरंभ हो जाएंगे तो वो क्षण स्थानीय भाषा और राजभाषा के उदय का क्षण होगा। स्वाधीनता के अमृत काल में ये एक बेहद सुखद संकेत है कि वर्तमान सरकार ये मानती है कि विरासत का सम्मान भाषा के सम्मान के बिना अधूरा है और राजभाषा की स्वीकृति या व्याप्ति तभी बढ़ेगी जब सभी भारतीय भाषाओं को एक प्रकार का सम्मान दिया जाएगा। यह अकारण नहीं है कि भाषा को लेकर अगर इक्का दुक्का राजनीतिक दल या नेताओं को छोड़ दें तो कहीं से भी इसके विरोध के स्वर सुनने को नहीं मिलते हैं। भाषा को लेकर होने वाली राजनीति को जनता ना केवल समझ चुकी है बल्कि इससे ऊब भी चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जिस तरह से भारतीय भाषाओं पर जोर है उसने भी हिंदी विरोध को कम किया है। इस नीति में सभी भारतीय भाषाओं को एक समान महत्व दिया गया है।

दरअसल अगर हम भारतीय भाषाओं के बीच कटुता के कारणों की ओर नजर डालते हैं तो इसके बीज हमें औपनिवेशिक काल में दिखाई देते हैं। जब अंग्रेज भारत आए और मुगलों को परास्त करके सत्ता पर काबिज हुए तो उनके पास भाषा को लेकर कोई नीति नहीं थी। भारतीय भाषाओं को लेकर अंग्रेजों का दृष्टिकोण और नीति उनके हितों के आधार पर तय होती थी। उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होते-होते अंग्रेजों ने भाषा को लेकर ठोस नीति बनाने पर विमर्श आरंभ किया। भाषा के वर्गीकरण, उसकी भौगोलिक सीमा और भाषाई परिवार को तय करने का कार्य भी आरंभ किया। इसके पहले तो भाषा और उसके वर्गीकरण का काम ईसाई मिशनरियों के जिम्मे था। अंग्रेज अधिकारी भारतीय भाषा को सीखने में रुचि नहीं दिखाते थे वो तो बस इतना सीखना चाहते थे ताकि उनका राज काज चल सके। सबसे पहले उन्होंने फारसी सीखी ताकि मुगलों और उनके कारिंदों के साथ संवाद हो सके। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को लगा कि भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के धर्म और उनकी भाषा को जाने बिना उनपर शासन करने में कठिनाई होगी। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय भाषाओं और धर्म के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास आरंभ किया। 1792 में वारेन हेस्टिंग्स की योजना में भी ये तय किया गया कि भारत पर लंबे समय तक शासन भारतीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। बाद में भाषा को लेकर अंग्रेजों ने ग्रियर्सन की अगुवाई में लिंग्विस्टिक सर्वे करवाया।

स्वाधीनता आंदोलन ने जब जोर पकड़ा तो भाषा को सामाजिक और राजनीतिक लामबंदी के लिए उपयोग किया गया। गांधी ने हिंदी की महत्ता को समझते हुए अपने आरंभिक दिनों में इसको वरीयता दी और राजनीतिक औजार के तौर पर उपयोग किया। गांधी के इस कदम के पहले भी और बाद में भी गैर हिंदी भाषी स्वाधीनता सेनानियों ने हिंदी को शक्ति प्रदान करने पर बल दिया था चाहे वो बंगाल के भूदेव मुखर्जी हों या महाराष्ट्र के वीर सावरकर। उस समय अंग्रेजों ने हिंदी के सामने उर्दू को खड़ा कर दिया और हिंदी उर्दू विवाद को हवा दी। स्वाधीनता के बाद भी ये क्रम चलता रहा। परिणाम ये हुआ कि अन्य भारतीय भाषा के लोगों के बीच हिंदी को लेकर एक उपेक्षा या शत्रुता भाव दिखने लगा। कालांतर में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो भारतीय भाषाओं के बीच वैमनस्यता और बढ़ी। अमृतकाल में हमें उन ऐतिहासिक कारणों को भी देखना चाहिए जिसकी वजह से हिंदी को पराधीन हिंदुस्तान में संघर्ष करना पड़ा और जिसका असर स्वाधीनता के बाद भी हिंदी पर दिखाई दे रहा है। उपरोक्त कारणों की पड़ताल करने पर गोरखपुर में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के 19वें अधिवेशन में 2 मार्च 1930 को गणेश शंकर विद्यार्थी का

अध्यक्षीय भाषण देखना चाहिए। अपने भाषण में गणेश शंकर विद्यार्थी ने विस्तार से उन कारणों और परिस्थितियों की चर्चा की है जिसकी वजह से हिंदी को पराधीन भारत में परिधि पर डालने और उसको वहीं बनाए रखने का षडयंत्र किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने लंबे वक्तव्य के आरंभ में ही इस ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने तब कहा था कि 'आज से उन्नीस वर्ष पहले जब इस सम्मेलन का जन्म नहीं हुआ था और उसके जन्म के पश्चात भी कई वर्षों तक अपनी मातृभाषा का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करने के लिए पग पग पर न केवल संस्कृत, प्राकृत, शौरसैनी, मागधी, सौराष्ट्री आदि की छानबीन करते हुए शब्द-विज्ञान और भाषा-विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ा करती थी कि हिंदी भाषा संस्कृत या प्राकृत की बड़ी कन्या है, किंतु बहुधा बात यहां तक पहुंच जाया करती थी और यह भी सिद्ध करना पड़ता था कि नानक और कबीर, सूर और तुलसी की भाषा का बादशाह शाहजहां के समय जन्म लेनेवाली उर्दू बोली के पहले, कोई अलग गद्य रूप भी था। जिस भाषा में पद्य की रचना इतने ऊंचे दर्जे तक पहुंच चुकी हो, उसके संबंध में इस बात की सफाई देनी पड़े कि उसका उस समय गद्य रूप भी था, इससे बढ़कर कोई हास्यास्पद बात हो नहीं सकती।' गणेश शंकर विद्यार्थी के मुताबिक उस समय ये संभव हो सकता है कि गद्य लिखने की परिपाटी न हो और बड़े बड़े ग्रंथ पद्य में लिखे जाते रहे हों। उन्होंने इस संबंध में ईरान, ग्रीस, रोम और चीन का उदाहरण देकर अपनी बातें स्पष्ट की थीं। हिंदी को लेकर इस तरह की बातें कहनेवालों पर उपहास की शैली में प्रहार भी किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी के उपरोक्त कथन को देखें तो वो हिंदी को भाषा कहते हैं और उर्दू को बोली।

गणेश शंकर विद्यार्थी के चिंतन के मूल में एक और बात थी जो उनके वक्तव्य में परिलक्षित होती है। उनके मुताबिक राजनीतिक पराधीनता पराधीन देश की भाषा पर अत्यंत विषम प्रहार करती है। राजनीतिक पराधीनता का भाषा पर किस प्रकार असर पड़ता है उसको भी विद्यार्थी जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने तब कहा था कि 'राजनीतिक पराधीनता ने भारतवर्ष में भी उसी प्रकार, जिस प्रकार उसने अन्य देशों में किया, भाषा विकास की राह में रोड़े अटकाने में कोई कमी नहीं की।...इस देश के मुसलमान शासकों के कारण भारतीय भाषाओं का सहज सवाभाविक विकास नहीं हो सका। सबसे अधिक हानि हिंदी की हुई। उनकी सत्ता देश के उत्तर, पश्चिम और मध्यवर्ती भाग में थी। यही प्रदेश शाही सत्ता के कारण अरबी अक्षरों और फारसी साहित्य से इतने प्रभावित हुए कि उनका रंग रूप ही बदल गया। एक भाषा दूसरी भाषा के संसर्ग में आकर शब्दों और वाक्यों का सदा दान-प्रतिदान किया करती है। यह हानिकारक या अपमानजनक बात नहीं है किंतु जब ये दान-प्रतिदान प्रभुता या पराधीनता के भाव से होता है, एक भाषा को दूसरी भाषा के शब्दों और वाक्यों को इसलिए लेना पड़ता है कि दूसरी भाषा के लोग बलवान हैं, उनकी प्रभुता है, उनको प्रसन्न करना है, उनके सामने झुकना है, तो इससे लेनेवाले की उन्नति नहीं होती, वो अपनी गांठ का बहुत कुछ खो देते हैं और पर-भाषा की सत्ता को स्वीकार करके अपनी परवशता और हीनता को पुष्ट करते हैं और अपने सर्वसाधारण जन से दूर जा पड़ते हैं। इस देश में विजेताओं के साथ फारसी के प्रवेश से ये बातें हुईं।' अब यहां से सूत्र पकड़ने की आवश्यकता थी जिसमें बाद के विद्वानों से चूक हुई या उनमें से कुछ ने अपनी विचारधारा की वजह से इन कारणों को जानबूझकर छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि हिंदी भाषियों को यह सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ी कि फारसी के आगमन और उर्दू के जन्म के पहले भी हिंदी गद्य का स्वतंत्र अस्तित्व था।

इस प्रकार का वातावरण लंबे कालखंड तक चला और फिर मुगलों के बाद इस देश पर अंग्रेजों का शासन कायम हुआ। उस समय अदालतों की भाषा फारसी थी। अंग्रेजों ने फारसी के स्थान पर उर्दू को स्थापित कर दिया। जबकि उर्दू का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। गणेश शंकर विद्यार्थी के मुताबिक उस समय मुसलमान जिस हिंदी को बोलते और लिखते थे और जिसमें वे फारसी के कुछ शब्दों का प्रयोग करते थे वही उर्दू थी। अंग्रेजों ने उत्तर भारत में उर्दू को ऐसा स्थान देकर जो उसे पहले से प्राप्त न था, हिंदी और उर्दू के विवाद का सूत्रपात किया। इस प्रकार बहुसंख्यक हिंदी भाषा-भाषी लोगों

की सुविधा और विकास में बाधा उत्पन्न कर दी। अब अगर इन बिंदुओं पर विचार करें तो हिंदी के लंबे संघर्ष को समझा जा सकता है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान हिंदी का उपयोग एक बार फिर से बढ़ा और उसको हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने वाली भाषा के तौर पर देखा जाने लगा। उस समय के कई नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा देते हुए ये अपेक्षा की थी कि स्वाधीनता के बाद हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बनेगी। ये सबको स्वीकार भी था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान होनेवाले विरोध अभियानों का नाम देखें तो हिंदी की स्थिति स्पष्ट होती है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा सुंदर हिंदी शब्द हो, नमक सत्याग्रह या पूर्ण स्वराज या भारत छोड़ो आंदोलन। ये हिंदी शब्दों की स्वीकार्यता और संप्रेषणीयता थी जिसने पूरे हिन्दुस्तान को एक कर दिया। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तब वो भी हिंदी के पक्षधर थे। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर देखते थे लेकिन कालांतर में वो हिन्दुस्तानी के पक्षधर होते चले गए। वो हिन्दुस्तानी जिसको लेकर स्वाधीनता के बाद संविधान सभा में बहस हुई, पहले आम चुनाव के बाद संसद में बहस हुई लेकिन आज वो अपनी पहचान और प्रासंगिकता दोनों खो चुका है। मुगलों के समय हिंदी आक्रांताओ की भाषाई सांप्रदायिकता का शिकार बनी, उसके बाद अंग्रेजों ने हिंदी को उर्दू से दबाने की कोशिश की। अंग्रेजी को प्राथमिकता देकर भारतीय भाषाओं का तिरस्कार किया। कुल मिलाकर अमृतकाल में हमें इन बातों पर विचार करते हुए हिंदी और भारतीय भाषाओं को मजबूत करने का प्रण लेना चाहिए।

हिंदी की व्याप्ति : संदर्भ तथा प्रगति

- प्रोफ़ेसर गिरीश्वर मिश्र
पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
वर्धा, महाराष्ट्र

असंदिग्ध रूप से भाषा मानवीय अभिव्यक्ति का सबसे समर्थ माध्यम है। इसकी सहायता से ज्ञान और संस्कृति के निर्माण, संरक्षण, संचार और अगली पीढ़ी तक हस्तांतरण का कार्य सुगमता से हो पाता है। ज्ञान के साथ भाषा का रिश्ता इतना गहन और व्यापक है कि उसके बिना चिंतन और सर्जनात्मकता की बात ही बेमानी हो जाती है। भाषा के सहारे मनुष्य अपने सीमित देश-काल की परिधि का अतिक्रमण कर पाता है। एक महत्वपूर्ण अर्थ में भाषा न केवल मनुष्य की सत्ता का विस्तार करती है बल्कि उसकी परिभाषा भी बन जाती है। भाषा हमारे यथार्थ की सीमा गढ़ती है। विभिन्न समुदाय उसी के सहारे आपस में जुड़ कर अपनी पहचान बनाने लगते हैं। यही कारण है कि भाषा को औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में विशेष स्थान प्राप्त है। वह पहले ज्ञान पाने के माध्यम के रूप में अर्जित होती है और बाद में ज्ञान का आधार बन जाती है। यह क्रम अटूट चलता रहता है। ज्ञान को भाषा में ही संजोया जाता है और भाषा के आलोक में ही दुनिया दिखती है। आज विद्यमान या जीवित भाषाओं की विविधताएँ इतनी हैं कि उनका वर्गीकरण भाषा वैज्ञानिकों के लिए एक जटिल समस्या है।

भारत इस दृष्टि से अद्भुत है कि इसमें हज़ार से ज़्यादा संख्या में भाषाओं की उपस्थिति है और इनमें बहुतेरी भाषाएँ ऐसी भी हैं जो सिर्फ़ वाचिक स्तर पर ही जीवित हैं और उनकी लिपि ही नहीं है। उन्हें सुना जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। इस प्रसंग में इस तथ्य पर भी ध्यान देना होगा कि भाषा स्वभाव से एक सामाजिक उत्पाद है। भाषा का एक वातावरण बच्चे को जन्म के समय ही तैयार मिलता है। उस भाषा में यानी मातृभाषा में बच्चा बोलने के पहले से ही उसके शब्दों की गूंजें सुन सुन कर उसका स्वाभाविक अभ्यास चलता रहता है। इसलिए अपनी मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में पाने का अवसर मिले तो विद्यार्थी को सीखने में सुभीता होता है। इसके अनेक परोक्ष और प्रत्यक्ष परिणाम भी होते हैं जो उसके समग्र विकास में सहायक होते हैं। भारत की अंग्रेज़ी छाप की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा मुख्यतः अपने उपनिवेश के शासन को संचालित करने के लिए ज़रूरी कर्मचारियों को तैयार करने के लिए थी। इस काम के लिए अंग्रेज़ी ही उपयुक्त भाषा थी। यह ध्यान में रख कर लॉर्ड मैकाले की अगुआई में भारतीय भाषाओं को विस्थापित कर भारतीय जनों पर अंग्रेज़ी को लाद दिया गया और आगे का इतिहास सभी को ज्ञात है। समय के साथ अंग्रेज़ी की भूमिका और सबल होती गई। इसमें यह भ्रम भी सहयोगी हुआ कि अंग्रेज़ी एक सार्वदेशिक भाषा है यद्यपि फ़्रांस, जर्मनी, जापान, चीन और रूस आदि अनेकानेक छोटे बड़े देश अपनी-अपनी भाषा में अधुनातन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी सफलतापूर्वक शिक्षा देते हैं। इसराइल में मृतप्राय हिब्रू भाषा को जिस प्रभावी ढंग से पुनर्स्थापित किया गया। वह राष्ट्रीय इच्छा शक्ति का सजीव उदाहरण है। उनकी तकनीकी उन्नति उल्लेखनीय है। वस्तुतः वे सभी देश जहां मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है प्रगति और सृजनात्मकता की दृष्टि से समृद्ध हैं।

भारत ने अंग्रेजों की नीति को लगभग ज्यों का त्यों स्वीकार किया और उसी के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज़ी के

वर्चस्व को बरकरार रखा। ऐसे में भारतीय भाषाएँ हाशिए पर जाती रहीं। सरकारी काम-काज मुख्य रूप से अंग्रेज़ी में ही चलता रहा और हिंदी सिर्फ़ अनुवाद की भाषा बनी रही। हिंदी भाषा लगभग हजार-बारह सौ वर्षों से भारत में जन भाषा के रूप प्रयुक्त हो रही है। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि इस भाषा के अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि भिन्न-भिन्न रूपों को लेकर साहित्य-सृजन की एक लम्बी परम्परा विकसित होती रही है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम जिस ढंग से भारतीय समाज द्वारा लड़ा गया उस लड़ाई में भी हिंदी की अहम् भूमिका थी। महात्मा गांधी समेत उस समय देश के अधिकांश राजनेताओं ने देश और समाज के साथ जुड़ने और जोड़ने के कार्य में हिंदी का खूब उपयोग किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आदि हिंदी के क्षेत्र से बाहर के अनेक नेताओं ने इसे लोक में संवाद करने का माध्यम बनाया। इसका स्पष्ट कारण था कि एक बड़े भू भाग में रहने वाले भारतीय समाज में हिंदी की व्यापक उपस्थिति रही है। इस व्यापक उपस्थिति को ध्यान में रखकर ही यह निश्चय किया गया और भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गयी कि भारत को जिस संपर्क की जरूरत है उस संपर्क के लिए हिंदी ही सबसे ठीक भाषा होगी। संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रबलता के आधार पर चुन कर 22 भाषाएँ उल्लिखित हैं जिनमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। वह व्यावहारिक धरातल पर अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो कर भारत की सम्पर्क भाषा की भूमिका अदा कर रही है। दूसरी ओर अंग्रेज़ी ऐतिहासिक कारणों से सहायक राजभाषा बनी हुई है हालाँकि सच्चाई यही है कि उसकी भूमिका एक प्रामाणिक राजभाषा की है और उसमें दक्षता शिक्षा, नौकरी और सरकारी कार्यालयों के लिए बेहद ज़रूरी बनी हुई है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस बात की बहुत अच्छे ढंग से न केवल वकालत की बल्कि इसके लिए काम भी किया। उन्होंने वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद की स्थापना की और अपने पुत्र श्री देवदास गांधी को दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के काम को बढ़ावा देने लिए भेजा। इस पूरी पृष्ठभूमि में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी लेकिन आजादी मिलने के बाद दक्षिण भारत में कुछ राजनीतिक उथल-पुथल हुई जिसमें हिंदी का विरोध शुरू हुआ और धीरे—धीरे एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसमें भारत सरकार को यह व्यवस्था देनी पड़ी कि जब तक सभी प्रदेश तैयार न हो जाएं तब तक हिंदी का प्रयोग सर्वत्र न किया जाए। उसके बाद भाषा को लेकर एक प्रकार की तटस्थता और उदासीनता का दौर शुरू हुआ और इस क्षेत्र में मंथर गति से काम चलता रहा। राष्ट्रीय अस्मिता और एकता की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण विषय की लगभग उपेक्षा होती रही।

स्वतंत्र भारत में यदि साहित्य-रचना को विविधता और परिमाण की दृष्टि से देखें तो हिंदी ने साहित्य की भिन्न-भिन्न शैलियों में और जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उसके प्रकाशनों में प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में हिंदी की उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज हुई है। भारत से बाहर जहां भी प्रवासी भारतीय रहते हैं वहां भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। भारत सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने में रुचि ली और अनेक योजनाओं के तहत तकनीकी शब्दावली का निर्माण, कोश निर्माण, पुस्तक-लेखन और अनुवाद को कई तरह से प्रोत्साहित किया गया। कई राज्यों में हिंदी की साहित्यिक अकादमियाँ बनीं और ग्रंथ-निर्माण का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के प्रयोग की दिशा में प्रयास तेज हुए हैं। अब वहाँ की बुलेटिन हिंदी में भी प्रसारित होना आरंभ हुई है और सभी दस्तावेज़ हिंदी में उपलब्ध करने की व्यवस्था हो रही है। विदेश मंत्रालय के काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। पत्रकारों के साथ गंभीर विचार-विमर्श हुआ है और भाषागत समस्याओं को पहचान कर उनमें सुधार लाया जा रहा है। हिंदी के लिए भाषिक प्रौद्योगिकी के विकास की दृष्टि से कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। केंद्र के राजभाषा विभाग ने कई ठोस कदम उठाए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को अनेक संस्थाओं में बढ़ावा दिया गया है। हिंदी के लिए अनेक साफ्टवेयर विकसित हुए हैं। विदेशों में हिंदी पीठ की संख्या बढ़ाई गई है और

विदेशों से भारत में आकर हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। हिंदी के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है।

यह गंभीरता से अनुभव किया जाना चाहिए कि हिंदी एक बड़े समाज की भाषा है। वह उस समाज की संस्कृति को धारण करती है और उसे समृद्ध करते हुए आगे ले जाती है। उसका एक बृहत्तर रूप भी है जिसमें न केवल भारत कि लोक भाषाएँ ही सम्मिलित हैं बल्कि भारत के बाहर त्रिनिदाद, मारीशस, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका,फीजी और गयाना आदि देशों में हिंदी के जो विविध रूप विकसित हो रहे हैं वे भी शामिल हैं। विगत वर्षों में अब तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है जिनमें विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ है। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमती सुषमा स्वराज ने बड़े प्रयास और मनोयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की ध्वजा फहराई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की उपस्थिति दर्ज की। इन लोगों के नेतृत्व में इस बात का प्रयास किया गया कि हिंदी का अधिकाधिक उपयोग हो और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप सर्वत्र अनेक विश्वविद्यालयों में भारत को समझने और भारतीय संस्कृति को जानने के लिए हिंदी के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस समय अनेक विदेशी विद्वान हिंदी में सर्जनात्मक साहित्य की रचना करने, कोश-निर्माण, अनुवाद और हिंदी भाषा के अध्ययन में संलग्न हैं। कई जगहों पर हिंदी विषयक महत्वपूर्ण अध्ययन की परम्पराएं विकसित हो रही हैं। रूस, चीन और चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में हिंदी की बड़े गंभीर अध्ययन की परम्परा है। हिंदी में अंतराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन की दृष्टि से रुचि बढ़ी है। वैसे जब तक किसी देश की राजनीतिक क्षमता बलशाली और उसकी प्रभुता सर्वत्र स्वीकृत समादृत नहीं होती तब तक उसकी भाषा का भी महत्व नहीं स्वीकार किया जाता है। आज हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत और विदेश में अपने अधिकांश व्याख्यान हिंदी में ही देते हैं और राष्ट्राध्यक्षों के साथ हिंदी में संवाद करते हैं। जिस वातावरण का निर्माण हो रहा है उसमें हिंदी ज्ञान-विज्ञान और संवाद के साथ एक सांस्कृतिक सेतु बनने के लिए तत्पर है। इस दिशा में यदि प्रयास किये जाएं तो उसके फलदायी परिणाम होंगे।

देश की सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियां जिस प्रकार की हैं उनमें हम किसी भाषा को और भाषा के उपयोग को कैसे समझते हैं? कैसे उसे ग्रहण करते हैं? ये बड़े महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। कोई एक भाषा यदि देश में चारों ओर स्वीकृत होती है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि दूसरी भाषाओं का अहित होगा। यह प्रचार कि हिंदी को स्वीकार करने से अन्य भाषाओं की हानि होगी अनर्गल और व्यर्थ की बात है। भारत की विभिन्न भाषाओं में जिस प्रकार साहित्य की रचना हुई है और हो रही है उसे देखते हुए आज इन भाषाओं के बीच पारस्परिक संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि आज भारत में वह भाषा जिसे बोलने वाले अधिक से अधिक 10 से 15 प्रतिशत हैं उस अंग्रेजी भाषा को हम व्यवस्था, प्रशासन, ज्ञान-विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशेष महत्व देकर लोकतंत्र को इस अर्थ में दुर्बल कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन रही है और कार्य-सम्पादन मुश्किल हो रहा है। अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद भी अंग्रेज़ी को लाद कर हम जनता की जनतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को प्रतिबंधित करते चले आ रहे हैं। यह करते हुए हम बहुसंख्यक भारतीय जनों के लिए दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या नागरिक जीवन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्य हों या न्याय का क्षेत्र हो, सब में भारत की भाषाओं का प्रयोग वर्जित हो यह किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में ऐसा नहीं होगा कि वहाँ के नागरिक को अपनी भाषा में न्याय न मिले। हमने तो ऐसा कर रखा है कि उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हिंदी के लिए बन्द हैं। वहां पर हिंदी में बहस नहीं हो सकती न अर्ज़ी लग सकती है। यह दुर्भाग्य ही है कि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह एक प्रकार से शासक (सरकार) और शासित (जनता) की बीच एक विभाजक रेखा बनाती है। वह बांध

देती है और कहती है कि रास्ता बंद है और आप आगे नहीं बढ़ सकते। यह हमारे लिए सुखद स्थिति नहीं है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जनजीवन में सभी को बराबर का अवसर मिले और बराबरी की भागीदारी हो। जब लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य अच्छी तरह से मालूम होंगे तभी उनके न्यायपूर्ण हक मिल सकेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें उनकी भाषा में बिना किसी दलाल की मध्यस्थता के प्रत्यक्ष संवाद करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा करना भारत राष्ट्र और भारतीय समाज के हित में होगा। जनतंत्र को पुष्ट और परिपक्व करने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रयोग में जीवन में उतारें और काम में ले आएं। सामाजिक सौहार्द और काम के सुभीते के लिए आपस में जनसंवाद को बढ़ाने की सख़्त ज़रूरत है। तभी हम शासक और शासित के बीच अनपेक्षित भेद की बढ़ती खाई को पाट सकेंगे।

भाषा को मात्र सरकार का दायित्व मान बैठ भारतीय मानस अक़्सर निश्चिंत हो कर यही सोचता है कि अब सरकार सारे कार्य पूरा करे। सरकार ने समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य पूरे भी किए हैं। उदाहरण के लिए 'तकनीकी शब्दावली आयोग' बना, ' केंद्रीय हिंदी संस्थान' बना और हिंदी के प्रशिक्षण के केंद्र बनाये गये। विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग शुरू किए गए गये, हिंदी की ग्रन्थ अकादमी बनी, अंतर राष्ट्रीय सम्बन्ध परिषद द्वारा विदेशों में हिंदी के पीठ बने, हिंदी लेखन के लिए पुरस्कार की व्यवस्था हुई आदि आदि। इन सभी उपायों के द्वारा यह कोशिश हो रही थी कि हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया जाय लेकिन सरकार की कार्य-प्रणाली और उससे जुड़ी गतिविधियां उतनी सक्षम नहीं रहीं जितनी होनी चाहिए थीं। समाज की आवश्यकता और भाषा व्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखकर वे उस हद तक कारगर नहीं रही जितनी अपेक्षित थीं। भाषा जीवन में, समाज में जीती है, पलती बढ़ती है। उसे किसी टकसाल में नहीं गढ़ सकते। भाषा तो प्रयोग के द्वारा ही जीवन रस ग्रहण करती है। जीवन में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है और जो शब्द चल पड़ते हैं उन शब्दों को ग्रहण करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। कहीं न कहीं हमारी यह कमी रही कि सहज भाषा का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। पूरी तरह परिनिष्ठित शुद्ध संस्कृत से गढे गए हिंदी शब्दों के प्रयोग का आग्रह बलवान होता गया और सरकारी हिंदी फाइलों और अलमारियों तक सिमटती गई। दूसरी ओर हम सरकार पर आश्रित होते गये इसके कारण बहुत से कार्य नहीं हो सके जो होने चाहिए थे। इस तरह भाषा समाज से कटती गई।

जहां तक संस्थाओं की बात है आरंभ में ये संस्थाएं कुछ ऐसे समर्पित महापुरुषों द्वारा संचालित हो रही थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन संस्थाओं के लिए लगा दिया था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन को अपने जीवन की तरह मानते थे। सारा श्रम और समय उन्होंने निष्काम भाव से उसे समर्पित किया। नागरी प्रचारिणी सभा जो काशी की थी वहां बाबू श्याम सुन्दर दास और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने आप को जोड़ा था और बड़े ही उच्च स्तर का प्रतिमान स्थापित किया। धीरे-धीरे उन संस्थाओं से अच्छे व्यक्तियों की रुचि कम हुई और निहित स्वार्थों ने उस पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और उन संस्थाओं का पतन शुरू हुआ। भाषा के प्रति जो आवश्यक लगाव था, जो उसके विकास के लिए होना चाहिए था, वह टूटता गया और ख़ानापूर्ति होती रही। ऐसा भारत की कई संस्थाओं के साथ हुआ है। भाषा के साथ जो अपनत्व, चैतन्य और स्वाभिमान का भाव होना चाहिए था वह घट रहा है। अब तो आदमी वह भाषा जो नौकरी और अवसरों के साथ जुड़ी हो, जिसकी कीमत हो, ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा। आज अंग्रेजी को हम महत्व देते हैं। उसका वर्चस्व है। 'जो अंग्रेजी जानता है वह शिक्षित है और जो केवल हिंदी जानता है वह अनपढ़ है' ऐसी धारणा रूढ़ि बन गयी है। इसका कारण है कि बहुत सी नौकरियों में अंग्रेजी जानना अनिवार्य है। ज्ञान के मामले में भाषा का गहरा विभेद हम देख रहे हैं। भाषा को कैसे सामर्थ्यवान बनाया जाए इस प्रश्न के प्रति जो रुझान समाज में होना चाहिए, जो गर्व होना चाहिए, वह घटा है। हम अच्छी हिंदी का उपयोग करें, वह हिंदी जो हमारी बातों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सके, हम अच्छी तरह से संवाद कर सके, इसके लिए अंदर से एक प्रकार का

उत्साह समन्वित गौरव बोध होना चाहिए। यह सांस्कृतिक चेतना के जागरण द्वारा ही सम्भव हो सकेगा।

गौरतलब है कि इस समय भारत के सभी शैक्षणिक केंद्रों में इस बात की चिंता बढ़ रही है कि छात्र छात्राओं में सृजनशीलता कम हो रही है। यह चिंता व्यक्त की जा रही है शोध में दोहराव ज्यादा है, मौलिकता कम है, नवाचार नहीं हो रहे हैं और ज्ञान में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पा रही है। विश्वविद्यालयों की संख्या तो हमने बढ़ाई है और हमारी आशा थी कि शैक्षणिक स्तर में भी सुधार होगा लेकिन ऐसा संभव न हो सका। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हम मातृ भाषा में जिस तरह सुखपूर्वक विचार कर सकते हैं , गहराई से सोच सकते हैं और अपने परिवेश में जुड़ कर उसे समझ सकते हैं यदि उसका अवसर नहीं मिलता है तो हम केवल अंग्रेजी में जो लिखा है उसका अनुवाद कर उन विचारों को ही उपयोग में ले आते हैं। यह एक कठिन स्थिति है। मौलिकता कहां से आयेगी क्योंकि हम तो सिर्फ उनका अनुधावन कर रहे हैं जो अंग्रेजी में घटित हो रहा है। उसी को हम समझ रहे हैं। मानसिक स्वराज हमसे बहुत दूर हो चुका है। हालत यहां तक पहुंच रही है कि भारत-बोध के लिए जिन विचारों और विमर्श के औजारों की आवश्यकता है उनको भी हम पश्चिम से आयात कर रहे हैं और उनके दिए लेंस या चश्मे के माध्यम से ही हम भारत को समझने का प्रयास करते हैं।

मौलिकता के लिए आवश्यक है कि हम उन गोचरों, उन पदार्थों तथा उन श्रेणियों को ठीक तरह से समझ सकें जो यहां की अपनी हैं। ज्ञान में प्रमाणिकता लाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा से ही सारा जगत दिखाई पड़ता है और समझा जाता है। भर्तृहरि की मानें तो यही कहेंगे - सर्वं शब्देन भासते। हम सब तो आरोपित श्रेणियों के द्वारा अपने सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि हमारी जो अपने विचार की पद्धतियां हैं उनके प्रति संशय के भाव पालते हुए उनसे हम लगातार दूर होते चले गये। अंग्रेजों के द्वारा अपने उपनिवेश को चलाने के लिए जो शिक्षा पद्धति शुरू की गयी उससे व्यवधान पैदा हुआ और हम छिन्नमूल होते हुए अपनी परम्परा से कटते चले गये। हम अपने आप को किस तरह पहचानें यह समस्या हो गई। भाषा सेतु का काम करती है। यदि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम जीवन के निकट होंगे, संस्कृति के निकट होंगे और शायद सोच विचार में मौलिकता के भी निकट होंगे। आज हम सोचने, पढने और लिखने को लेकर मुश्किल हालत में आ चुके हैं। एक भाषा में एक काम है दूसरी भाषा में दूसरा काम और हमारा बहुत सारा समय अनुवाद के काम में चला जाता है। गांधी जी ने उल्लेख किया है कि कई वर्ष का समय छात्रों का अंग्रेजी (से और में) अनुवाद में लग जाता है। इसलिए हमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ईमानदारी से शिक्षण सामग्री तैयार करनी होगी, उसका उपयोग करना पड़ेगा और अपनी भाषा के लिए आदर का भाव लाना पड़ेगा। यदि इस भाव के साथ हम आगे बढ़े तो हिंदी की स्थिति में सुधार होगा, समाज की स्थिति में सुधार होगा और ज्ञान की स्थिति में भी सुधार होगा।

भाषा कई तरह से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। वस्तुत: भाषा के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। भाषा केवल संवाद और संचार ही नहीं करती वह हमे अभिव्यक्ति का अवसर भी प्रदान करती है। हम अपना प्यार, गुस्सा, अपना नेह छोह, रिश्ता- नाता सब कुछ भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। भाषा से ही लोगों से जुड़ते हैं ओर लोगों को जोड़ते हैं। भाषा किस तरह से जोड़ने का काम करती है और क्या कमाल करती है यह तब दिखता है जब कोई अच्छा बोलता है और श्रोता खुद ब खुद उनसे जुड़ता जाता है। भाषा के प्रवाह में वे प्रवाहित होने लगते हैं। अच्छी भाषा का स्वाद कई तरह से मिलता है। वह संगीत, गायन, फिल्म, अच्छे लेखों, कविता व अन्य साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से मिल सकता है। यदि हम भाषा के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें तो बदलाव आ सकेगा। आज सोशल मीडिया बड़े ही प्रभावी ढ़ंग से सक्रिय हो रहा है और इसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों ही हम देख रहे हैं। कहीं न कहीं यह चेतना हमारे लेखकों

में, युवा वर्ग में, अध्यापकों और नेताओं और सामान्य जन में आनी चाहिए कि भाषा के प्रति थोड़ी संजीदगी और गंभीरता हो। इस चेतना को उकसाने का यदि समुचित प्रयास किया जाए तो उसके सार्थक परिणाम आयेंगे और समाज में सकारात्मक वृत्तियां भी पुष्पित-पल्लिवत होंगी। इस अवसर का उपयोग हमें करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि बहुत बार हिंदी अखबारों में अंग्रेजी भी शामिल हो कर हमारे सामने उपस्थित होती है। यदि हम सावधानी बरतें, एक नीति अपनाएं कि भाषा का संयम, भाषा का सौष्ठव और भाषा का सौन्दर्य बना रहे। इस तरह हम अच्छे ढंग से एक राष्ट का निर्माण कर सकेंगे जो भाषा और कार्यकुशलता दोनों की दृष्टि से समृद्ध होगा।

मीडिया आज की अनिवार्यता हो चुकी है। अब समाज में उसके माध्यम से ही संचार और संवाद होगा। वह जीवन के बहुत करीब हमारे सामने आता है। आप सूचना के लिए अखबार का इंतजार करें अब ऐसा नहीं रहा। घटित घटनाओं की सूचना हमें टी वी से पल-पल मिलती रहती है। एक प्रकार की मीडिया की चेतना या कहें यथार्थ का दूसरा रचित गठित रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उससे बच नहीं सकते। उससे हमारा सामना होना ही होना है। यह जरूर है कि यह एक रचना या निर्मिति है जो उन लोगों की है जो समाज में एक शक्ति के रूप में स्थापित हैं। आए दिन बहुत से सत्य और अर्ध सत्य मीडिया में बनाये और गढ़े जाते हैं। लोग उसका तरह-तरह से उपयोग और उपभोग करते हैं। मीडिया निरंतर विचारों, तथ्यों को हमारे सामने उलट-पलट और तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है। मीडिया का सकारात्मक उपयोग कैसे किया जाय यह हमारे सामने एक ज्वलंत प्रश्न है। आज हिन्दी के तमाम चैनल हैं, शायद सबसे ज्यादा। उनकी गुणवत्ता, उनकी भाषा, उनमें सामग्री का चयन और प्रस्तुति आदि गम्भीर प्रश्न हैं। यदि ऐसी सामग्री प्रस्तुत की जाती है जो साहित्य, संस्कृति और संस्कारों से जुड़ी हो और जो लोगों के विचार के स्वाद को परिवर्तित कर सके तो हम सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ सकेंगे। मीडिया की इस सशक्त भूमिका का हमें ठीक से दोहन करना चाहिए।

भाषा का जीवन में क्या स्थान रहेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस भाषा को हम किन—किन क्षेत्रों में प्रयोग में ला पा रहे हैं। हिंदी का उपयोग जितने ही अधिक क्षेत्रों में होगा उसकी उपादेयता लोगों को उतनी ही ज्यादा दिखाई देगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से अवसर हैं जहां पर हम मातृभाषा को वह स्थान नहीं दे सकेंगे। अभी बहुत से हिंदी बहुल क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन में हिंदी का वह स्थान नहीं है जो होना चाहिए। हिंदी के विभाग होने मात्र से हिंदी के साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था तो बढ़ेगी लेकिन हिंदी भाषा के प्रयोग का विस्तार तब तक नहीं होगा जब तक वह समाज विज्ञान, भौतिक विज्ञान समेत ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों विचार, ज्ञानार्जन और चर्चा की भाषा नहीं होगी।

आज फ्रांस में फ्रेंच में सभी विषयों की पढ़ाई होती हैं, जर्मनी में जर्मन भाषा में, चीन और जापान की भी वही स्थिति है। उन देशों में वहाँ की भाषाओं को वह क्षमता दी गयी और उन्नत कि ज्ञान-विज्ञान के हर क्षेत्र में कार्य किया जाए। हमें विचार करना पड़ेगा कि हममें क्या कमी रह गयी है। जो अच्छे विचारक होते हैं वे किसी भी भाषा में लिखते हैं उस भाषा को पढ़कर लोग अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं। बहुत सारे फ्रेंच विचारक और वैज्ञानिक हुए हैं जिनके कार्य को लोगों ने फ्रेंच पढ़ सीख कर, उनके विचारों को जाना समझा। फूको या डीरिडा की अक्सर चर्चा की जाती है। वे मूलत: अंग्रेजी में नहीं लिखते थे। भाषा की शक्ति तभी आयेगी जब उसको विचार के लिए, संचार के लिए और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए अवसर दिया जाय। हम बहुत सारी बातें तो करते हैं लेकिन यदि 70 वर्ष में भी हमने विभिन्न विषयों की मूल सामग्री तैयार नहीं कर सके हैं तो यह शक्ति नहीं आ सकेगी। यह युद्ध स्तर पर आवश्यक है कि हम विभिन्न विषयों में यथाशीघ्र स्तरीय सामग्री उपलब्ध करावें।

अभी भी हिंदी भाषा में विभिन्न विषयों के लिए स्तरीय शोध पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं होती हैं। यह चिंता की बात है। यह मान लिया गया कि भारत का बुद्धिजीवी अंग्रेजी में ही सोच सकता है। अच्छे विचार ज्ञान का प्रचार प्रसार सिर्फ अंग्रेजी में ही हो सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोगों द्वारा वह ग्रहण किया जाता होगा। भारत के 80 से 90 प्रतिशत लोगों के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी से हीन शेष समाज उससे अप्रभावित ही रहेगा। यहां जो ज्ञान पैदा होगा, चाहे समाज विज्ञान ही हो वह भारतीय समाज से संबंध स्थापित नहीं कर पायेगा, और यह जटिल तथा घातक समस्या है। हम उपेक्षा करके, समय काटकर आशा करते हैं कि अपने आप इसका समाधान हो जायेगा जो संभव नहीं है।

भारत में जो तमाम भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं से किसी का कोई वैमनस्य नहीं है। उनके विकसित होने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी एक विचारणीय प्रश्न है यदि भारत एक देश है तो यहां पर आपस में संपर्क के लिए कोई एक भाषा तो होनी ही चाहिए। देश को विचार करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए कि कोई एक संपर्क भाषा के रूप में आगे बढ़े ताकि देश की अभिव्यक्ति देश की भाषा में हो और हमें उसके लिए गहनता और तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए। इसलिए हिंदी को यह स्थान देना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं बल्कि इसलिए कि हिंदी में भारत के सबसे अधिक लोग बोलते बतियाते हैं। चाहे मनोरंजन के माध्यम से हो, बाजार के माध्यम से हो, कार्यकलाप के माध्यम से हो ऐसा ही सच है और यह बहुत पुरानी परम्परा है। अनेक क्षेत्रों के संतो महापुरुषों सबने हिंदी का प्रयोग किया है। हिंदी अनेक ढ़ंग से प्रयोग में दिखाई देगी। हिंदी तो शुरू से ही बहुलता का स्वागत करती है और उसका बहुत बड़ा परिवार है। वह किसी प्रदेश विशेष से नहीं जुड़ी है। इसलिए यह विविधता कोई समस्या नहीं है।

यहाँ भाषा का शिक्षा से सम्बन्ध भी ध्यातव्य है। शिक्षा को अपनी संस्कृति के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। भाषाई पहल किस तरह आयोजित की जाए ताकि अंग्रेजों द्वारा उखाड़ फेंका गया शिक्षा का खूबसूरत बिरवा किस तरह पुनर्जीवित कर हरा-भरा किया जाए? यह प्रश्न इसलिए भी आवश्यक है कि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है और उसकी सक्षम प्रतिभागिता तभी हो सकेगी जब उसे सार्थक और प्रभावी शिक्षा दी जाए। तभी भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा। भारत की विभिन्न भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने का सार्थक प्रयास ज़रूरी है। बहुत दिनों के बाद भारत सरकार की नई शिक्षा नीति ने विचार के उपरांत यह संकल्प प्रस्तावित किया है कि प्रारम्भिक शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से ही दिया जाय। प्रावधान तो यह भी है कि ऊँची कक्षाओं में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू करने का प्रयास हो। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परम्परा से भी शिक्षा को जोड़ने का संकल्प लिया गया है। इस दृष्टि से संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं के लिए शिक्षा में सम्माजनक स्थान सुरक्षित करने के लिए कहा गया है। आज की कृत्रिम बुद्धि और अन्य तकनीकों द्वारा इस दृष्टि से बड़ी सहायता मिल सकती है। नई शिक्षा नीति का दस्तावेज भाषाई हक़ीक़त को सुधारने का कार्य कर सके तभी समर्थ और विकसित भारत का स्वप्न साकार हो सकेगा।

12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

डॉ. सुमीत जैरथ
पूर्व सचिव
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।

राजभाषा अर्थात राज-काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम-जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत-मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने-कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया।

26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी। अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए| भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए|' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा – हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने केलिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन-प्रति-दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" "स्थानीय के लिए मुखर हों (Self Reliant India- Be Vocal for Local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी-डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ

एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो|

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए?, इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति-विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छह डी-

Democracy (लोकतंत्र)
Demand (मांग)
Demographic Dividend (जनसांख्यिकीय विभाजन)
Deregulation (अविनियमन)
Descent (उत्पत्ति)
Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने "12 प्र की रणनीति-रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है :

1 प्रेरणा (Inspiration and Motivation)
प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

2 प्रोत्साहन (Encouragement)
मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है।

3 प्रेम (Love and Affection)
वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

4 प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards)
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह

पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव(रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5 प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं – "आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है।" कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी थी। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए – ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत-स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC-Video Desk Top पर माइग्रेट किया गया है।

6 प्रयोग (Usage)

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (If you do not use it, you lose it) हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7 प्रचार (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व – माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट- ब्रैंड राजदूत (Brand Ambassadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश-विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वत: ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों का बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8 प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार-प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे| राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ-साथ बालीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9 प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊचाइयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

10 प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारी, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं| समय-समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी|

11 प्रतिबद्धता (Commitment)

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है| माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplery Leadership) से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है| जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच-बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है।

12 प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ।।

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्पित और निरंतर प्रयासरत है| विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भी आश्रय ले रहा है| विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों आवश्यक परिस्थितियां हैं। इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थितियां हैं|

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत ; 'सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत'** के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

न्यायपालिका में हिंदी

उमेश चन्द्र शर्मा, पूर्व न्यायमूर्ति
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि का विकास एवं लेखन तो आठवीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हो चुका था परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी आते-आते हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि एक परिपक्व भाषा एवं लिपि हो चुकी थी। ब्रिटिश भारत में उर्दू एवं फारसी का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा था तथा हिंदी भाषा एवं देवनागिरी लिपि का प्रयोग, प्रभाव, विस्तार एवं सीमा निरंतर वृद्धि की तरफ अग्रसर था। इन परिस्तिथियों में हिंदी भाषा एवं देवनागिरी लिपि का प्रयोग न्यायालयों एवं न्यायालयीय कार्यो में अपरिहार्य समझ कर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयास से ब्रितानी शासन में न्यायालयों में हिंदी भाषा एवं देवनागिरी लिपि का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। पंडित मालवीय जी डिप्टी वाइसराय अन्थोनी मैक्डोनाल्ड से 1898 में मिले जिन्होंने 18 अप्रैल, 1900 को हिंदी भाषा एवं देवनागिरी लिपि को एक भाषा एवं लिपि के रूप में न्यायालयों में प्रयोग करने की अनुमति सम्बन्धी राजाज्ञा शासकीय गजट में प्रकाशित किया। तत्समय से अब तक हिंदी भाषा एवं देवनागिरी लिपि का उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत (United Province) के न्यायालयों में प्रयोग उत्तरोत्तर अबाध गति से प्रवाहमान है।

महात्मा गाँधी जी ने सर्वप्रथम 1917 में हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। संविधान सभा ने लम्बे विचार विमर्श के उपरांत दिनांक 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इसके उपरांत संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितम्बर का दिन प्रति वर्ष "हिंदी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर, 1953 को भारत ने पहला "हिंदी दिवस" मनाया। दैनिक जागरण के 4 सितंबर, 2023 के अंक के अनुसार भारतवर्ष में 427 मिलियन लोग हिंदी को अपनी प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं और लगभग 120 मिलियन लोग हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं।

उत्तर भारत के प्रायः सभी राज्यों में हिंदी भाषा में कानून का शिक्षण एवं पठन – पाठन निरन्तर जारी है। परिणाम स्वरुप हिंदी भाषा के माध्यम से उत्पन्न विधि स्नातक, अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारी के रूप में हिंदी में कार्य कर रहे हैं तथा इस प्रकार उत्तरी भारत के समस्त प्रांतो में जनपद स्तर पर हिंदी भाषा एवं देवनागिरी लिपि में न्यायिक कार्य सुचारु रूप से सम्पादित हो रहा है।

"हिंदी बेल्ट" शब्द का प्रयोग प्रायः उन नौ भारतीय राज्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनकी आधिकारिक भाषा वर्त्तमान मानक हिंदी है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तथा चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार एवं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आते हैं।

भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को उनकी समझ में आने वाली भाषा में न्याय पाने का अधिकार है परन्तु न्यायालयों की भाषा अभी भी मुख्यतः अंग्रेजी है जबकि कुछ राज्यों के न्यायालयों में हिंदी का भी उपयोग किया जाता है।

हिंदी भाषा एवं देवनागिरी लिपि के न्यायिक क्षेत्र में सफल प्रयोग को देखते हुए तथा हिंदी भाषा एवं देवनागिरी लिपि की भारतवर्ष पर्यन्त आम बोल चाल की भाषा के रूप में व्यापकता को देखते हुए भारतीय संविधान के 37 भाग में "राजभाषा खंड" का समावेश अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया जिसका सुसंगत उल्लेख किया जाता है।

अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था कि गयी है कि संघ की शासकीय भाषा देवनागिरी लिपि में हिंदी होगी परन्तु संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्षो तक संघ के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होती रहेगी तथा 15 वर्षो के उपरांत भी संसद विधि द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रख सकती है।

अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा के सन्दर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग गठित किया जायेगा जिसमें एक चेयरमैन तथा शेष सदस्य आठवीं अनुसूची के विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे जो राष्ट्रपति को निम्न मामलो में संस्तुति प्रस्तुत करेगा।

1. संघ के शासकीय उद्देश्यों के लिए हिंदी भाषा का उत्तरोत्तर प्रयोग।

2. संघ के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबन्ध।

3. उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में भाषा का प्रयोग।

4. संघ के सभी या एक उद्देश्य के लिए संख्याओं के स्वरुप का प्रयोग।

5. राष्ट्रपति द्वारा संघ में शासकीय भाषा के प्रयोग, संघ एवं राज्य या एक राज्य या अन्य राज्यों में भाषा के प्रयोग के सन्दर्भ में।

समिति की आख्या पर विचारोपरांत राष्ट्रपति संपूर्ण आख्या अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में निर्देश दे सकते हैं।

अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य की विधायिका शासकीय उद्देश्यों के लिए एक या दो भाषा अथवा हिंदी का प्रयोग अंगीकृत कर सकती है।

संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया जिसके अनुसार संघ के राजकीय उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। इस प्रकार हिंदी भाषा के राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया है यद्यपि इसके पुनराकलन की व्यवस्था है परन्तु अब तक नहीं किया जा सका है।

इस सन्दर्भ में एक रोचक मुकदमा भारत संघ विरुद्ध मुरसोली मारन, ए. आई. आर. 1977 उच्चतम न्यायालय, पृष्ठ 225 का है जिस मामले में हिंदी के सन्दर्भ में निर्गत राष्ट्रपतीय आदेश, 1960 को चुनौती दी गयी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि राष्ट्रपति का आदेश हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर विकास की व्यवस्था करता है। यह

आदेश, जो व्यक्ति हिंदी सीखते है, उन्हें अतिरिक्त योग्यता प्रदान करता है परन्तु सरकारी कर्मचारियों से कुछ भी नहीं छीनता न ही उन्हें कोई हानि पहुँचता है। हिंदी सीखने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रस्तावित किया जाते हैं तथा उन्हें वेतन वृद्धि भी संभव है। यह मात्र प्रोत्साहन है। कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण कार्यावधि में ही होता है तथा यह निःशुल्क भी है, अतः यह आदेश राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं है।

अनुच्छेद 351 संघ पर हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने का कर्त्तव्य अधिरोपित करता है ताकि भारत की समग्र संस्कृति की सेवा हो सके तथा समृद्ध विरासत का संरक्षण किया जा सके।

अनुच्छेद 348 (I) के अनुसार संसद उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग की व्यवस्था दे सकती है। परन्तु जब तक संसद ऐसी व्यवस्था नहीं करती है, तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां , विधेयकों, अधिनियमों तथा आदेशों आदि के सभी आधिकारिक पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

18 वें विधि आयोग ने अपने 216 वें प्रतिवेदन में उच्चतम न्यायालय में हिंदी का प्रयोग करने सम्बन्धी व्यवस्था को अनुमोदित नहीं किया तथा शासन ने इस आख्या को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निकट भविष्य में उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग की कोई सम्भावना नहीं है।

अनुच्छेद 348 (2) के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के अतिरिक्त हिंदी भाषा अथवा किसी अन्य भाषा का राजभाषा के रूप में राज्य के राजकीय उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रयोग अधिकृत कर सकते हैं।

भारतवर्ष में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अधिकृत किया गया है। उक्त प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में निर्णय, डिक्री एवं आदेश हिंदी में पारित किये जा सकते हैं।

दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 137 के अनुसार जिला न्यायालयों की भाषा अधिनियम की भाषा के सामान होगी। राज्य सरकार को न्यायालय की कार्यवाही के लिए किसी भी क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक भाषा घोषित करने का अधिकार है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (1) के अंतर्गत गठित संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 24 नवंबर, 1998 को हिंदी के प्रयोग के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय एवं न्यायालयी कार्यो में हिंदी के प्रयोग के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियां की:-

i. संस्तुति संख्या 13 उच्चतम न्यायालय के महा निबंधक के कार्यालय को अपने प्रशासनिक कार्यो में संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना चाहिए। वहां हिंदी में कार्य करने के लिए आधारभूत संरचना स्थापित की जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

यह संस्तुति स्वीकार की गयी तथा यह व्यवस्था दी गयी कि इस संस्तुति के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय की आतंरिक प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में राज भाषा नीति चरणबद्ध तरीके से विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से, एक व्याहारिक कार्य योजना तैयार करे तथा उससे क्रियांवित करने पर विचार करे।

ii. संस्तुति संख्या 13- उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत होना चाहिए। प्रत्येक निर्णय दोनों भाषाओ में उपलब्ध हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में निर्णय दिया जा सकता है। यदि निर्णय हिंदी में सुनाया गया हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करके और यदि अंग्रेजी में सुनाया गया हो तो उसका हिंदी अनुवाद करके ऐसा किया जा सकता है।

यह संस्तुति स्वीकार की गयी तथा आदेशित किया गया कि विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय इस संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से उस न्यायालय के लिए उन अतिरिक्त व्यस्थाओं तथा संसाधनों एवं उसपर होने वाले व्यय का आकलन करे जो कि इस संस्तुति को अपनाने के लिए आवश्यक हो। साथ ही इसके लिए एक दीर्घकालीन योजना बना कर उसे क्रियान्वित करने पर विचार हो।

iii. संस्तुति संख्या 14 - उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों को अपने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यो में हिंदी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए।

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गयी कि इसे "क" क्षेत्र में स्थित उच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य में सम्बंधित राज्य सरकारों को आवश्यक विचार एवं कार्यवाही के लिए भेज दिया जाये तथा अन्य उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में उचित समय आने पर सम्बंधित राज्य तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय इस पर कार्यवाही करने पर विचार करे।

iv. संस्तुति संख्या 15 - एक ऐसा संस्थान या संगठन स्थापित किया जाये जो न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और विधि शिक्षकों को विधि के क्षेत्र में अर्थात विद्यमान, न्यायिक कार्य और विधि शिक्षा के लिए हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण दे।

इस संस्तुति को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया तथा केंद्र के विधायी विभाग को इस दिशा में आवश्यक पहल करने के लिए निर्देशित किया गया है।

v. संस्तुति संख्या 16 - उच्च न्यायालयों के निर्णय, प्रक्रियाओं व आदेशों में राजभाषा अथवा हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रत्येक निर्णय का प्राधिकृत अनुवाद दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो। उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां राज्य की राज्य की राज भाषा अथवा हिंदी या अंग्रेजी में की जा सकती हैं। यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में संविधान तथा राज भाषा अधिनियम 1963 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है।

vi. संस्तुति संख्या 18 - संघ के न्यायिक कल्प संगठन एवं प्रशासनिक अधिकरणों को अपना काम काज राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार करना चाहिए। इनमें संघ की राजभाषा हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था की जाये।

यह संस्तुति स्वीकार की गयी तथा उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने तथा प्रावधान बनाने के लिए आदेशित किया गया।

vii. संस्तुति संख्या 20 - अन्य भाषाओं में उपलब्ध विधि के गौरव ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करने के कार्य में तेजी लानी चाहिए। यह सिफारिश मान ली गयी तथा विधि विभाग को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

viii. संस्तुति संख्या 21 - उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों को हिंदी में अनुवादित कर विधायी विभाग की पत्रिका में प्रकाशित किया जाये। इसी प्रकार विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को हिंदी में अनुवादित कर प्रकाशित किया जाये। यह संस्तुति सिद्धांत रूप में स्वीकार की गयी तथा विधायी विभाग को आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया गया।

ix. संस्तुति संख्या 22- दिल्ली में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाये जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं का अधिकतम एवं अद्यतन विधि साहित्य उपलब्ध हो। यह संस्तुति स्वीकार की गयी।

यह देखा गया है कि जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालयों में हिंदी में कार्यवाही की जा सकती है, वहीं उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खंडपीठ लखनऊ में समस्त विभागों से आख्यायें शासकीय अधिवक्तागण के माध्यम से आज भी अंग्रेजी भाषा में ही परंपरागत रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। यही स्थिति अन्य उच्च न्यायालयों की भी है।

उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उत्तराखंड एवं हरियाणा आदि राज्यों में जिला न्यायालयों में हिंदी में न्यायिक कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। यद्यपि यह प्रवृत्ति भी देखी जा रही है कि वर्तमान समय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर नियुक्त न्यायिक अधिकारी अंग्रेजी भाषा में आदेश पारित करने को वरीयता दे रहे हैं। जहाँ तक न्यायालयों में साक्ष्य अभिलिखित करने अथवा तर्क वितर्क का प्रश्न है, जिला न्यायालयों से लेकर उपरोक्त प्रदेशों के उच्च न्यायालयों तक हिंदी भाषा का लगभग 90 प्रतिशत प्रयोग हो रहा है। उपरोक्त प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में यद्यपि न्यायाधीशगण किंचित अपवादों को छोड़ कर अंग्रेजी भाषा में ही आदेश पारित करते हैं परन्तु प्रायः तर्क वितर्क हिंदी में ही किया जा रहा है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा हिंदी में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जो अन्य प्रकाशनों से अत्यधिक सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ विधि प्रकाशन भी हिंदी में न्यायिक निर्णयों को प्रकाशित करते हैं। कुछ प्रकाशन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के हिंदी और अंग्रेजी भाषा में द्विभाषी संस्करण भी प्रकाशित कर रहे हैं जिनके माध्यम से इच्छुक अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारीगण विधिक ज्ञान को और अधिक परिपक्व कर सकते हैं।

वर्तमान समय में प्रायः सभी विधि पुस्तकें एवं अधिनियम हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। अतः विधिक हिंदी का ज्ञान रखने वाले अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारीगण न्यायालयीय कार्य हिंदी में सुचारु रूप से सम्पादित कर सकते हैं। विधिक शब्दावली की पुस्तक भी विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा अन्य प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अतः यह तर्क नहीं किये जा सकते कि हिंदी में विधिक शब्दावली का अभाव है तथा हिंदी में विधिक कार्य किया जाना संभव नहीं है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मेरे द्वारा ग्यारह मामलों में हिंदी में निर्णय पारित किये गये तथा हिंदी आशुलिपिक के उपलब्ध होने पर हजारों संक्षिप्त आदेश हिंदी में पारित किये गये हैं।

भारतीय संविधान के उपरोक्त प्रावधानों का अनुसरण करते हुए यह विधि व्यवस्था बनायी जा सकती है कि भारतवर्ष के सभी न्यायालयों एवं अर्ध-न्यायिक निकायों में हिंदी में ही विधिक कार्य सम्पादित किया जाये ताकि सर्वजन को उनकी अपनी भाषा, मातृभाषा एवं राजभाषा में निर्णय और आदेश प्रदान किया जा सके तथा वादकारी को किसी दुभाषिये का सहारा लेने के लिए विवश न होना पड़े।

अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग

- रामेश्वर काम्बोज 'हिमांशु'
सेवानिवृत प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय

वर्ण-विचार, अक्षर और वर्तनी

(क) वर्ण-विचार

वर्ण- भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जो ध्वनि चिह्न निश्चित किए गए हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं।अधिक प्रामाणिक रूप से कहें, तो मनुष्य द्वारा उच्चरित ध्वनि को स्वनिम (फोनिम -phoneme) कहा जाना चाहिए। प्रत्येक भाषा के वर्ण अलग-अलग ढंग से लिखे जाते हैं। यही लिखित रूप उस भाषा की लिपि कहलाता है। लिपि चिह्न की संख्या उच्चरित स्वनिम से कम ही होती है। हिन्दी, नेपाली और मराठी भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

वर्ण - विभाग

हिन्दी की देवनागरी वर्णमाला के दो विभाग हैं -**1-स्वर, 2-व्यंजन।**

१- **स्वर** -उस वर्ग को कहते हैं, जिसका उच्चारण करते समय हवा मुँह के भीतर से बिना किसी रुकावट के निकले और जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े।

२- व्यंजन -उस वर्ण को कहते हैं, जिसके उच्चारण में मुँह के भीतर हवा के रास्ते में पूरी या अधूरी रुकावट अवश्य होती है।

स्वर - उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी में निम्नलिखित स्वर हैं -

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ।

परम्परागत हिंदी वर्णमाला में ऋ, अं, अः को भी स्वर माना लिया गया था। इन तीनों स्वरों का उच्चारण- व्यंजन + स्वर = (ऋ) = र् + इ = रि, स्वर + व्यंजन = (अं) = अ + अनुस्वार (ङ्, ञ् ण्, न्, म्), स्वर + व्यंजन = (अः) = अ + ह्, के रूप में होने लगा है। इनमें (अं) और (अः) को अयोगवाह कहा जाता है। अ+योगवाह (अ+ योगवाह= स्वर+व्यंजन)। इनकी, यानी अयोगवाह की विशेषता है- प्रथम आए स्वर का स्पष्ट उच्चारण। दूसरा भाग व्यंजन की तरह बोला जाता है। बोलते समय यह ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं-

(अं)= अ+न्
(अः) = अ+ह्

अतः ये न पूर्णतया स्वर हैं, न व्यंजन।

ये दोनों घरों के मेहमान हैं, स्वर के भी और व्यंजन के भी।

अनुनासिक- 'अँचरा', 'अँधेरा' के 'अँ' में अनुनासिक ध्वनि का अलग से अस्तित्व नहीं है। वह इसी में समाई हुई है। इसे एक मात्रा अर्थात् 'लघु' ही माना जाएगा, जबकि अं और अः गुरु मात्राएँ हैं। अँचरा=१+१+२=४ मात्राएँ, अंचल= २+१+१=४ मात्राएँ, दुःख=२+१=३ मात्राएँ।

उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं - (क) ह्रस्व, (ख) दीर्घ

(क)ह्रस्व स्वर - जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, इ, उ ह्रस्व स्वर हैं।
(ख) दीर्घ स्वर - जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं।

मात्रा का मूल अर्थ है -उच्चारण में लगने वाला समय। कम समय -ह्रस्व, अधिक समय-दीर्घ
परम्परागत व्याकरण में 'ऋ' को ह्रस्व स्वर माना जाता है। जैसे –'हृदय' में १+१+१=३ मात्राएँ।

मौखिक स्वर - जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है, उसे मौखिक या निरनुनासिक स्वर कहा जाता है, जैसे - अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

अनुनासिक स्वर - जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है, जैसे - अँ, आँ, इँ, ईं, उँ, ऊँ, एँ, ऐं, ओं, औं।
अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए चन्द्र बिन्दु (ँ) या बिन्दु (ं) का प्रयोग किया जाता है।

१-जब मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो, तो बिन्दु लगाते हैं।
क-शिखा अभी तक नहीं आई है।
'नहीं' में हीं-अनुनासिक है।

२- यदि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर नहीं है, तो चन्द्रबिन्दु का प्रयोग किया जाता है।
जैसे-पूँछ, मूँछ।
अनुस्वार- 'अनुस्वार' का अर्थ है-स्वर के बाद में आने वाला।

अगर यह किसी शब्द के बाद में आता है, तो इसका उच्चारण- 'म्' के रूप में होता है- जैसे-
स्वयं, अहं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है-

स्+व्+अ+य्+अ+म् (अन्तिम दो वर्ण हैं- अ+म्), जिनमें पहला है अ-स्वर, दूसरा है-'म्' व्यंजन। अन्तिम वर्ण है- म्, यह 'म्' नासिक्य ध्वनि है।)। अहम(अरबी का विशेषण शब्द) और अहं-संस्कृत का सर्वनाम- है। इन दोनों में किसी तरह की समानता नहीं है।

विशेष - केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने 'ऑ' (आ और ओ के बीच की ध्वनि) को भी स्वरों में सम्मिलित करने की

सिफ़ारिश की है। अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण में (जैसे डॉक्टर) यह प्रयुक्त होता है।

क से म तक के पाँच व्यंजन वर्गों में पाँचवाँ व्यंजन नासिक्य होता है, अर्थात् ये व्यंजन-ङ्, ञ् ण्, न्, म् नासिक्य होते हैं। (इनमें अ स्वर जुड़ा हुआ है)। क् ख् ग् घ् आदि लिखने पर हलन्त लगा होने के कारण ये शुद्ध रूप से व्यंजन होंगे। हलन्त (हल्+अन्त) में हल् का अर्थ है -व्यंजन।

अब इन नासिक्य व्यंजनों की बात करते हैं। संस्कृत- लेखन में इन पाँच नासिक्य व्यंजनों का ही प्रयोग होता है।

हिन्दी में इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता। जैसे-

१-अन्त में कवर्ग (क्, ख्, ग्, घ्, ङ् -होने पर-)

-पंक, संकलन,शंका, शंख, रंग, संगीत, संघ, शृंगार

- -शृंगार शब्द सही है; लेकिन प्रेस वाले इसे अशुद्ध मानकर 'श्रृंगार' कर देते हैं। सही रूप निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है-

श्+र्+अ = श्र (जैसे-श्रम, श्रद्धा, श्रव्य, प्रश्रय)

श्+ऋ = शृ- (जैसे- शृंखला, शृंग, शृंगार)

श्रृ-कोई रूप नहीं होता; अतः 'श्रृंगार' पूर्णतया अशुद्ध है। किसी भी शब्द में दो स्वर एक साथ कैसे आ सकते हैं? श्+र्+अ+ऋ= श्रृ (अ+ऋ -दो स्वर आना असम्भव है।)

२-अन्त में (च्, छ्, ज्, झ्, ञ् - होने पर)
-कंचन, चंचल, चंचु, पंच, पंछी, पंजा गंजा, मंजु, संजु, झंझा, संझा।

३-अन्त में (ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्- होने पर)-
- कंटक, कंठ, दंड, खंड, पंढरपुर, पंडित, खंडित।

४-अन्त में (त्, थ्, द्, ध्, न् होने पर)
-पंत, तंत्र, पंथ, मंथन, मंद, संदीप, बंधन, बंध, कन्ध, संन्यास

५-अन्त में (प्, फ्, ब्, भ्, म्, होने पर)

-कंप, कंबु, दंभ , स्तंभ, कंबल, संपादक (इन शब्दों में स्पष्ट रूप से 'म्' का उच्चारण सुनाई पड़ता है।)

विशेष- उपर्युक्त शब्दों में स्पष्ट रूप से 'म्' का उच्चारण सुनाई पड़ता है। इन्हें कम्प,कम्बु, दम्भ, स्तम्भ, कम्बल लिखे जाने पर 'म्' का सही उच्चारण होता है। संस्कृत के तत्सम रूप में यही लिखा जाएगा। सम्मान सही है, इसे संमान नहीं लिखा जाता। सम्पर्क भी सही है। इसे संपर्क लिखना; इसलिए त्रुटिपूर्ण है कि 'सं' में अनुस्वार 'न्' के रूप में उच्चरित

होता है। जैसे कि 'पंत' और 'तंत्र' में। -'कंप' और 'कंबु' में अनुस्वार का उच्चारण 'न्' न होकर स्पष्ट रूप से 'म्' है। इन शब्दों का जब उच्चारण करते हैं, तो बोलते समय अनुस्वार के स्थान पर 'म्' की ध्वनि ही सुनाई देती है।

-य, र, ल, व, श, ष, स, ह यदि बाद में आते हैं, तो नासिक्य न होने पर भी अधिकतर शब्दों में अनुस्वार ही आएगा, जैसे-

सम् +य= संयत, संयम, संयुत, संयोग, संयोजन, संयुक्त।
सम् +र= संरचना, संरक्षण, संरोपित
सम् +ल= संलग्न, संलाप, संलिप्त, संलीन
सम् +व= संवत् ,संवरण, संवाद, संविदा, संविद, संविधान, संवाहक, संवेग,
सम् +श= संशय, संशोधन, संश्लेषण
सम्+स= संसाधन, संसद्, सांसद ,संस्मरण, संसार, संस्कार, संस्कृत।
सम्+ह= संहार, संहिता, संहर्ष, सिंहासन
अहम् +कार- अहंकार

विशेष- अनुस्वार, प्रायः स्वर और व्यंजन के बीच में आएगा। इसे निम्नलिखित वर्णिक विभाजन से समझा जा सकता है-

सम् +य= संयत= (स्+अ+म्+य्+अ+त्+अ)
अ+म्+य्=इसमे अ स्वर और य् व्यंजन के बीच म् आया है। यही अनुस्वार का रूप ले लेगा-
स्+अ+म्+य्+अ+त्+अ=स+ म्+यत=संयत

६-सम्+न्यास= संन्यास, सम्+न्यासी= संन्यासी -ये शुद्ध रूप हैं। सन्यास और सन्यासी अशुद्ध हैं।
अनुनासिक के प्रयोग में की जाने वाली त्रुटियाँ, जिनमें शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है-

१-मैं, में सही हैं। (मै, मे-अशुद्ध)
क-मैं घर जा रहा हूँ।
ख-मेरी बात ध्यान में रखना।

२-है-एकवचन, हैं -बहुवचन
क-काव्या लेख लिख रही है।(है-एकवचन)
ख-प्रवीण और देवेश अभी-अभी आए हैं। (हैं-बहुवचन)

३- थी-एकवचन, थीं -बहुवचन
अ-रश्मि गीत गा रही थी। (थी-एकवचन)
ब-छात्राएँ गीत गा रही थीं। (थीं-बहुवचन)

-वाक्य-'ब' में सहायक क्रिया 'थीं' बहुवचन है; अतः इस तरह लिखना अशुद्ध होगा-
छात्राएँ गीत गा रहीं थीं। (रहीं थीं न होकर -रही थीं- शुद्ध है।)

४-सर्वनाम के निम्नलिखित रूप सही हैं; लेकिन लापरवाही के कारण इनको अशुद्ध लिखने वालों की संख्या बहुत है

क-सही रूप- इन्हें, उन्हें, किन्हें, जिन्हें, हमें , तुम्हें। (बहुवचन रूप)
-पूर्णतया अशुद्ध- इन्हे, उन्हे, किन्हे, जिन्हे, हमे, तुम्हे।

ख- सही रूप- इन्होंने, उन्होंने, जिन्होंने, किन्होंने। (बहुवचन रूप)
- पूर्णतया अशुद्ध- इन्होने, उन्होने, जिन्होने, किन्होने

कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर 'हो' पर अनुस्वार न लगाकर अन्तिम वर्ण ने पर अनुस्वार लगा देते हैं, जो अशुद्ध है-
-पूर्णतया अशुद्ध- इन्होनें, उन्होनें, जिन्होनें, किन्होनें।

५-इन्हीं, किन्हीं, उन्हीं, वहीं, कहीं, नहीं

- इन+ही=इन्हीं बनता है। शेष शब्द भी इसी तरह परिवर्तित होते हैं।
- नहीं और न+ही अलग-अलग अर्थ के द्यौतक हैं-

१-सुदेश ने पाठ नहीं पढ़ा था। (निषेधात्मक अर्थ में)

२-आज न महेश आया है और न ही गजेन्द्र आया है।

यहाँ 'न' … 'न ही' दो वाक्यों को जोड़ते हैं। यहाँ 'न' और 'ही' अलग शब्द हैं। इसमें 'ही' अनुनासिक नही है, अत इसे 'हीं' के रूप में नहीं लिखा जा सकता।

नींद, ऐंठना में अनुनासिक का उच्चारण होता है, ई औ ऐ की मात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर लगी हैं।

वाजपेयी जी अनुनासिक की अनुस्वार की तरह स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानते। उनका कहना है- 'इसकी (अनुस्वार की तरह) पृथक् सत्ता नहीं है-स्वर से पृथक् इसकी ध्वनि नहीं की जा सकती। अनुस्वार, स्वर से पृथक् चीज है,जैसे अंगूर की बेल से अंगूर का गुच्छा।

स्वरों की अनुनासिकता प्रायः उन शब्दों में आती है, जो संस्कृत के तत्सम शब्दों से बने हैं।

'हिन्दी की प्रवृत्ति अनुनासिक प्रधान है, संस्कृत की अनुस्वार- प्रधान। जब भी हिन्दी किसी संस्कृत शब्द को तद्भव रूप देती है, तब अनुस्वार तथा 'न्'- 'ङ्' आदि को हटाकर उसके आश्रय स्वर को प्रायः अनुनासिक कर देती है। इसके अपवाद भी हो सकते हैं; परन्तु प्रवृत्ति यही है।

अंगुष्ठ-अँगूठा, अंगुली-उँगली, अन्त्र- आँत्र, दन्त- दाँत आदि। 'अङ्' , 'सम्' , 'अन्' आदि का उच्चारण अनुस्वार से मिलता-जुलता है, इसलिए इन्हें भी हटाकर हिन्दी स्वर को अनुनासिक कर देती है। यानी अनुस्वार हो, या उसका कोई भाई हो, सबको एक दृष्टि से यहाँ देखा जाता है। अक्षि में वैसी कोई चीज नहीं है, तो भी हिन्दी ने अपने तद्भव शब्द में अनुनासिक प्रवृत्ति दिखाई है।'

[आचार्य किशोरीदास वाजपेयीः हिदीशब्दानुशासन, १९ मार्च १९५८, पृष्ठ ९०]

जैसे-

अंकन= आँकना
अंकुरण= अँखुवाना, अँखुआना
अंगुष्ठ= अँगूठा
अंचल-आँचल, अँचरा
अंजलि/ अंजली= अँजुरी
अंधकार= अँधियारा
अन्त्र= आँत
आमलक = आँवला
कण्टक= काँटा
ग्राम-गाँव
चन्द्र= चाँद
तन्त्र-ताँत
दक्षिण-दाएँ
दन्त= दाँत
धूम- धुँआ
पंक्ति= पाँत
पंच= पाँच
पुंज= पूँजी
भ्रमर-भँवरा
मण्ड-माँड
मुंज-मूँज
मुण्डन- मूँडना
रंजन/रंग= रँगना, रँगाई
लंघन-लाँघना
वंटन-बाँटना
वंश- बाँस
वन्ध्या-बाँझ
वाम-बाएँ
संध्या-साँझ
स्थूण-ठूँठ

-दक्षिण-दाएँ -(मन्दिर / मूर्त्ति की जब हम प्रदक्षिणा/ परिक्रमा करते हैं, तो हमारा दक्षिण/ दायाँ हाथ, मन्दिर / मूर्त्ति की ओर ही होता है, इसीलिए परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा शब्द का प्रयोग किया जाता है।)
-यहाँ यह भी ध्यान दिया जाए कि उपर्युक्त शब्दों के ह्रस्व स्वर दीर्घ में परिवर्तित हो गए हैं, जैसे अंकन का आँकना में, अं-आँ, 'पंच' का पाँच में 'पं' का पाँच; लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे- अंकुरण= अँखुवाना, अँखुआना, अंचल= आँचल/अँचरा, अंधकार= अँधियारा

२-आँ- से शुरू होने वाले शब्द= आँच, आँजना, आँकड़ा, आँवाँ, आँधी,
कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका नासिक्य से कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसे तत्सम शब्द तद्भव बनने पर स्वतः अनुनासिक में बदल गए, जैसे-

अक्षि-आँख
अश्रु-आँसू
ऊष्ट्र-ऊँट
कास-खाँसी
कुक्षि-काँख
महार्घ-महँघा
मुख-मुँह
वाचन-बाँचना
श्वास-साँस
सत्य-सच-साँच
सर्प-साँप
श्मश्रु-मूँछ

पुच्छ- पूँछ (संस्कृत के शब्द पृच्छ -से पूछना बना है, पुच्छ से नहीं, लेकिन कुछ लोग जानवर की पूँछ और बात पूछने में अन्तर न करके यह बोलते-लिखते-मिलेंगे, मैंने सब साथियों से पूँछा, कोई भी कल नहीं आएगा। झूठ को भी झूँठ लिख देंगे, जो अशुद्ध है। भोजन के लिए भी जूठा के स्थान झूठा लिख देंगे,जो अशुद्ध है)

हिन्दी में आकारान्त बहुवचन बनने पर 'एँ' में परिवर्तित होने पर-

एँ -कथा- कथाएँ, हवा-हवाएँ,सभा- सभाएँ , दिशा-दिशाएँ, लता-लताएँ,
लेकिन चिड़िया से बहुवचन होगा-चिड़ियाँ, न कि चिड़ियाएँ। चिड़ियाएँ अशुद्ध।

इकारान्त से बहुवचन बनाने पर –'याँ' जुड़ने पर-
जाति-जातियाँ, पंक्ति-पंक्तियाँ, रिक्ति-रिक्तियाँ, सूक्ति-सूक्तियाँ।

ईकारान्त से बहुवचन बनाने पर –'याँ' जुड़ने पर-
कहानी-कहानियाँ , क्यारी-क्यारियाँ , लाठी-लाठियाँ , गाड़ी-गाड़ियाँ , साड़ी-साड़ियाँ, बेटी-बेटियाँ, गोटी-गोटियाँ, रोटी-रोटियाँ, गली-गलियाँ, कमी-कमियाँ, कुर्सी-कुर्सियाँ, पहाड़ी-पहाड़ियाँ, घाटी-घाटियाँ, दवाई-दवाइयाँ (अधिकतम दुकानों पर गलत शब्द -दवाईयाँ ही लिखा मिलेगा।)

क्रिया रूप में सजाना-सजाएँ , बताना -बताएँ, मनाना-मनाएँ, दिखाना-दिखाएँ, हटाना-हटाएँ, सुनाना-सुनाएँ, हँसना-हँसाएँ।

शब्द के मध्य में आने वाले अनुनासिक, जैसे-
पहुँच, पहुँचना, मेहँदी, हालाँकि,
दिशाबोधक शब्दों के अन्त में 'हां' न होकर अन्तिम वर्ण 'हाँ' होना चाहिए-

यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ।
एकल शब्द-हाँ, हूँ, माँ, चूँ, ।
ऊँ-पहले-ऊँचा, ऊँचाई, ऊँघना।

ऊँ- अन्त में- खाऊँ, बताऊँ, लाऊँ, जाऊँ ,नहाऊँ, बताऊँ, मनाऊँ, सुनाऊँ
ऊँ- बीच में-जाऊँगा, लाऊँगा, बताऊँगा, हराऊँगा

कुछ अन्य शब्द, जिनके साथ अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए-
फाँस, काँच, खाँचा, खूँच, खूँटा, घूँट, घूँघट, चाँदी, चिहुँक, चूँकि, ठूँसना, धँसना, मुँडेर, मुँदरी
क्रमवाचक संख्याओं के अन्त में-वाँ का योग-

पाँचवा, सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ, दसवाँ, ग्यारहवाँ आदि
षट् (छह) का षष्ट होता है, इसलिए छठा होगा (छटवाँ अशुद्ध)

१-हूँ -शुद्ध है, इसे 'हूं' लिखने वाले बहुत हैं।

२-माँ, हाँ शुद्ध हैं। इन्हें-मां, हां -अशुद्ध रूप में लिखने वाली की संख्या बहुत है।

3-भाँति-भाँति शुद्ध, भांति-भांति-अशुद्ध।

४-एक शब्द ऐसा है कि उसमें अनुनासिक होता ही नहीं; लेकिन लापरवाही से उसमें भी चन्द्रबिन्दु लगा देते हैं- दुनिया-शुद्ध, दुनियाँ-अशुद्ध

एकवचन हो चाहे बहुवचन-'चाहिए' रूप रहेगा। इसे चाहिएँ लिखना त्रुटिपूर्ण है।

१-प्रत्येक कर्मचारी को समय पर कार्यालय में आना चाहिए।

२-सबको चले जाना चाहिए। (सबको चले जाना चाहिएँ।-अशुद्ध)

३- हँसना -शुद्ध, हंसना -अशुद्ध।

४- हंस (पक्षी) और हँस (हँसना क्रिया में अन्तर करना आवश्यक है)

अनुस्वार और अनुनासिक पर संक्षेप में जानकारी दी गई है। भाषा का यह वह क्षेत्र है, जिसमें सर्वाधिक त्रुटियाँ होती हैं। इसका मुख्य कारण लापरवाही है, जिससे मुक्त होना आवश्यक है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को यह सब पढ़ाया जाता है। वे इनका सही प्रयोग जानते हैं; लेकिन बड़ी कक्षाओं में (विश्वविद्यालय स्तर पर भी) ये त्रुटियाँ छात्र और शिक्षक दोनों करते हैं। इससे बचना ज़रूरी है।

हिंदी को समृद्ध करने में नागरी की भूमिका

- डॉ. हरिसिंह पाल
महामंत्री, नागरी लिपि परिषद

जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि अभौतिक संस्कृति के क्षेत्र में भाषा, मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। मानव की सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, धार्मिक या राजनैतिक उपलब्धियों का प्रमुख कारण आविष्कार है और उस आविष्कार अथवा उपलब्धियों को प्रसारित करने का श्रेय मनुष्य की भाषा या वाणी की शक्ति को है। मनुष्य, भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट करता है। सामाजिक विचारों एवं समस्त क्रिया कलापों के आदान-प्रदान या अंतःक्रिया में भाग लेता है, संगीत और साहित्य की सृष्टि करता है। भाषा के माध्यम से ही मानव की मानवता महान है, अमर है। भाषा के कारण ही मनुष्य, पशु नहीं मानव है।

लिपि

एक भाषा जिस माध्यम से लिखी जाती है, उसे लिपि कहते हैं। लिपि की उत्पत्ति 'लिप्यते' शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है- 'लिखावट'। प्रत्येक अक्षर को अंकित करने के लिए कुछ चिह्न निर्धारित हैं। इन्हीं व्यवस्थित चिह्नों की श्रृंखला को 'लिपि' कहा जाता है। लिपि किसी भी भाषा की ध्वनि का ध्वन्यात्मक प्रतीक है। लिपि चाहे वर्णात्मक हो या चित्रात्मक। भाषा के संरक्षण और ज्ञान के प्रसार को स्थाई बनाने तथा उसे आगे बढ़ाने एवं भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने हेतु लिपि का निर्माण किया गया। इसलिए लिपि को भाषा का आवरण या परिधान माना गया है। लिपि का प्रयोग ' दिक ' और 'काल ' की सीमा को दूर करने के लिए किया जाता है। अभिव्यक्त भाषा दिक और काल से बंधी होती है। प्रारंभ में उच्चारित ध्वनियों को श्रुति परम्परा के द्वारा एक लम्बे समय तक रखने का प्रयास किया गया। भावों और विचारों को दीर्घकाल तक जीवित या स्थाई बनाए रखने के लिए, प्रतीकों तथा चिह्नों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने लगा।

इस प्रकार कहा जाता है कि लिपि का आविष्कार उच्चरित ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संकेतों से हुआ है। लिपि ध्वन्यात्मक भाषा को, दृश्य सांकेतिक चिह्नों में परिवर्तित करने की विधि है। जिस प्रकार भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसी प्रकार लिपि भाषा का वाहक रथ हैं, जिस पर सवार होकर भाषा पाठक तक पहुंच पाती है। लिपि एक प्रकार से दृश्य भाषा ही हैं।

देवनागरी लिपि

नागरी लिपि अथवा देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव समूचे भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी की दो प्रमुख शैलियां मानी जाती है- उत्तर शैली और दक्षिण शैली। उत्तर शैली से गुप्त

लिपि, कुटिल, शारदा और प्राचीन नागरी का विकास हुआ। प्राचीन नागरी से पूर्वी नागरी (असमिया, बांग्ला, नेवारी, कैथी, मैथिली) और पश्चिमी नागरी (मराठी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी और देवनागरी) विकसित हुई। शारदा लिपि से कश्मीरी और गुरूमुखी विकसित हुई। दक्षिण शैली (पल्लव लिपि या नन्द नागरी) से तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम लिपियां उद्भूत हुई। एक अन्य मत के अनुसार ब्राहमी से शारदा, गुप्त और पल्लव लिपियां विकसित हुई। गुप्त लिपि से देवनागरी, मराठी, ओड़िया, बांग्ला, असमिया, गुजराती लिपिया बनी। डॉ. परमानंद पांचाल ने ब्राह्मी की दक्षिणी शैली में ग्रंथ लिपि से कलिंग लिपि, मध्य लिपि और पश्चिमी लिपि को माना है और उत्तरी शैली की प्राचीन नागरी लिपि से पूर्वी और पश्चिमी नागरी का उद्भव बताया है। इतना निश्चित है कि ब्राह्मी के आरंभिक अक्षर बदलते - बदलते आज की देवनागरी के रूप में आ गए हैं। साथ ही देवनागरी ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नए-नए वर्ण भी विकसित किए, जो ब्राह्मी में नहीं थे। उदाहरणार्थ - ब्राह्मी में शून्य (0) का अंक नहीं था, जबकि सैकड़ा और हजार संख्या के लिए अलग-अलग लिपि चिह्न थे। देवनागरी ने शून्य का विकास कर मानव सभ्यता को नई अंकीय विधि उपलब्ध कराई, जो बाद में कम्प्यूटर का आधार बनी। ब्राह्मी से ही सिंहली, तिब्बती, बर्मी, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और मंगोलिया की लिपियां और भाषाएं विकसित हुई। इस प्रकार इन देशों की लिपियां भी देवनागरी की सहगोत्री हैं। देवनागरी लिपि विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपियों में प्रमुख लिपि है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित संकेत-चिह्न होने के कारण, जो कुछ लिखा जाता है, वही बोला जाता है। इसमें अपनी ओर से कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ता और न किसी ध्वन्यांश को छोड़ने की आवश्यकता ही होती है। इसके सभी वर्ण के उच्चारण का स्थान तथा उच्चारण में श्वांस गति और जिह्वा की स्थिति का बराबर ध्यान रखा गया है। लिप्यिंतरण की दृष्टि से यह लिपि किसी भी भाषा को सही रूप में अंकित कर सकती है। नागरी की विशेषताओं को इस प्रकार भी देखा जा सकता है। यहां हम आचार्य विनोबा भावे के कथन का सम्मान करते हुए देवनागरी लिपि को नागरी लिपि के नाम से ही संबंधित करेंगे।

- नागरी लिपि की वर्णमाला में वर्णों का क्रम अत्यंत व्यवस्थित है। पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन।

- नागरी के स्वरों में भी ह्रस्व एवं दीर्घ क्रम रहता है। स्वरों के पांच वर्ग है।

- नागरी में चिह्नों के नाम उसमें, उसके उच्चारण के निकटतम हैं। यह लिपि उच्चारण की अनुवर्तिनी है, वर्तनी की नहीं।

- नागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिह्न हैं।

- नागरी लिपि का प्रत्येक वर्ण उच्चरित होता है, इसमें कोई मूक वर्ण (silent) नहीं है।

- नागरी लिपि वर्णों की लिखावट कलात्मक, सुंदर और सुगठित है और इसमें अपेक्षाकृत कम जगह लगती है। यह पढ़ने में सुगम और सहज है।

- यह वर्णात्मक लिपि है। इसके सभी वर्ण उच्चारण के अनुरूप है। लचीलापन इसकी अन्यतम विशेषता है। लिपि की वैज्ञानिकता अक्षरों से प्रकट होती है।

- उच्चारण के जितने भी उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, जितने भी मृदु, कठोर और कठोरतम बलाघात हो सकते हैं, सभी का समावेश नागरी लिपि में किया गया है।

- नागरी की वर्णमाला के किसी भी वर्ण को अलग-अलग करके लिख सकते हैं।
- मुख के पृथक-पृथक स्थानों से उच्चारित होने वाले व्यंजन भी अलग-अलग वर्गों में संग्रहीत हैं।

- कंठ से बोले जाने वाले 'क' वर्ग में, तालु से बोले जाने वाले 'च' वर्ग में, मूर्धन्य 'ट' वर्ग में, दंत्य 'त' वर्ग में, और ओष्ठ 'प' वर्ग में अक्षर आते हैं।

- सभी व्यंजनों के अंत में 'अ' समाहित है। इसमें वर्ण संयोग की पद्धति पूर्णतया वैज्ञानिक है।

- वर्णों की आकृति में स्पष्टता है। इसकी वर्णमाला अधिक परिष्कृत और विकसित है।

- इस लिपि में संक्षिप्तता है, स्पेलिंग (वर्तनी) याद रखने की जरूरत नहीं होने, उच्चारण की सरल प्रणाली है।

- इसमें विश्व की क्रमानुगत सभी भाषाओं की और नवागत ध्वनियों को उच्चारित एवं प्रतिनिधित्व करने वाले लिपि चिह्न विद्यमान हैं। इसमें ध्वन्यात्मक मूल्य अधिक है, इस कारण नए ध्वनि चिह्न अपना कर, इसने अंतर्राष्ट्रीय लिपि (विश्व लिपि) की क्षमता प्राप्त कर ली है।

इन्हीं गुणों के कारण भारत की अष्टम सूची की दस भाषाओं (मराठी, कोंकणी, बोडो, सिंधी, संथाली, मैथिली, डोगरी, नेपाली, संस्कृत और हिंदी) ने नागरी को अपनी अभिव्यक्ति लेखन का माध्यम चुना है। संस्कृत से लेकर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश तक हिंदी भाषा और साहित्य की लिपि नागरी ही रही है।

भारत में भले ही शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ रही हो या आक्रमणकारी विदेशियों के हाथ में, सभी ने अपनी शासन व्यवस्था में नागरी लिपि के महत्व को आदर और सम्मान के साथ स्वीकार किया। बाद में भले ही शासन की राजभाषा फारसी या अंग्रेजी रही हो, किंतु इस काल खंड में भी नागरी लिपि अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल रही।

ईसा से 23 वर्ष पूर्व एक राजकीय दान के ताम्रपत्र में उत्कीर्ण नागरी में लिखा संस्कृत भाषा का अभिलेख मिला है। 11 वीं सदी में नागरी में लिखे अनेक शिलालेख, मूर्ति - अभिलेख और ताम्रपत्र मिले है। मध्यकाल के प्रारंभ से लेकर (1200 ई.) मुगल शासन (1556-1605 ई.) तक राजस्व विभाग में नागरी लिपि का निर्विवाद प्रचलन था। मुगल बादशाह अकबर से लेकर औरंगजेब तक के शासन काल में सिक्कों पर और शाही फरमानों में नागरी लिखने की परंपरा थी। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य (1336-1564) के सिक्कों पर और सभी राजकीय कार्यों में नागरी लिपि का प्रयोग होता था। इसी प्रकार चोल राजाओं (11वीं सदी) और केरल के शासकों के सिक्कों पर भी नागरी लिपि अंकित मिलती है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का 'पलियम ताम्रपत्र' नागरी लिपि में मिला है। इतना ही नहीं श्रीलका के पराक्रमबाहु और विजयबाहु आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर मिले हैं। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, कठियावाड (गुजरात) के सौलंकी, आबू के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल और त्रिपुरी के कलुचरी आदि शासकों के अभिलेख भी नागरी में ही थे। अलबरूनी ने अपने ग्रंथ (1630 ई.) में लिखा था कि मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता है। इससे स्पष्ट है कि आठवीं से लेकर ग्यारहवीं सदी तक नागरी लिपि पूरे देश में प्रचलन में थी। उस समय यह सार्वदेशिक लिपि थी। हिंदी के सैंकड़ों वर्षों का समृद्ध साहित्य नागरी की शक्ति का ही परिचायक है। नागरी लिपि ने हिंदी भाषा और साहित्य को बखूबी संरक्षित और पोषित किया है।

नागरी लिपि आंदोलन

ईस्ट इंडिया कंपनी शासन काल के प्रारंभ में ही एशियाटिक सोसाइटी कलकता के संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोंस ने अपने शोध पत्र (17 अप्रेल 1724 ई.) में नागरी लिपि को अन्य लिपियों की अपेक्षा सर्वाधिक श्रेष्ठ लिपि घोषित किया। इसे नागरी लिपि आंदोलन का शुभारंभ माना जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम संविधान (1 मई 1793 ई.) के प्रथम अनुच्छेद की तृतीय धारा में नागरी लिपि को शासकीय कार्यों के लिए सरकारी स्वीकृति दी गई थी। फेड्रिक जॉन शौर ने अपनी न्यायधीश की सेवा (1832-1834 ई.) के दौरान निर्णय दिया था कि नागरी भारत की लिपि है, फारसी नहीं।

सन् 1837 में तत्कालीन सरकार ने निश्चय किया कि न्याय और राजस्व विषयक सभी कार्य फारसी के विपरीत, यहाँ की देश भाषा यानी नागरी लिपि और हिंदी भाषा में हों। बाद में 30 सितम्बर 1854 को सरकारी आदेश आया कि गांवों के पटवारियों के कागजात हिंदी भाषा और नागरी लिपि में लिखे जाएं। डॉ. राजेन्द्रलाल मित्रा ने 1864 में 'जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ' में यह विचार व्यक्त किया था कि नागरी लिपि को हिंदवी और उर्दू भाषाओं की लिपि के रूप में स्वीकार किया जाए। सन् 1866 में एफ.एस. ग्राउस ने नागरी लिपि को शासकीय स्वीकृति दिलाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए। सन् 1868 में राजा शिव प्रसाद 'सितारेहिंद' ने जनसाधारण की शिक्षा के लिए नागरी लिपि को सशक्त समर्थन दिया और हिंदी और नागरी लिपि के कट्टर समर्थक के रूप में अपनी पहचान बना ली। वह पहले भारतीय साहित्यकार थे, जिन्होंने नागरी लिपि के समर्थन में ब्रिटिश सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। सन् 1873 में पश्चिमोत्तर प्रदेशवासियों ने भी इसी प्रकार का ज्ञापन सरकार को दिया। 6 जून, 1881 को मध्यप्रदेश की कचहरियों में नागरी लिपि को सरकारी मान्यता मिल गई, जबकि उस समय विभिन्न देशी रजवाड़ों में शासन प्रशासन की लिपि फारसी थी। इंदौर के मल्हार राव होलकर (1693-1766) तत्पश्चात लोकमाता देवी आहिल्याबाई होलकर (1725-1795) ने नागरी को अपने राज्य की राजकीय लिपि बनाया। अयोध्या राज्य ने सन् 1903 में, कोटा ने 1907 में ,अलवर ने 1909 में, छतरपुर ने 1910 में अपने राज्य में शासन की लिपि नागरी स्वीकार की। 1854 में भारत के अंतिम मुगल बादशाह जफर के भतीजे वेदार बख्त ने स्वाधीनता संग्राम की सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए 'पयामे आजादी' अखबार निकाला जो फारसी और नागरी दोनों लिपि में था।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने 1857 में संस्कृत के लिए सभी विश्वविद्यालयों में नागरी लिपि को स्वीकृत कराया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में हिंदी की अनिवार्यता और इसे नागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखने का आग्रह किया। वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के सभापतित्व में 'एक लिपि परिषद' के कार्यक्रम में नागरी लिपि और हिंदी भाषा सार्वदेशिक रूप में प्रचार हेतु स्वीकार किया। वर्ष 1918 के इंदौर अधिवेशन (आठवें हिंदी साहित्य सम्मेलन) में अपने अध्यक्षीय भाषण में गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया था। जुलाई, 1927 में गांधी जी ने कहा था- 'भारत की सभी भाषाओं के लिए एक लिपि होना लाभदायक है और वह लिपि नागरी ही हो सकती है। भारत की सभी भाषाओं के लिए नागरी लिपि ही चलनी चाहिए।"

आधुनिक युग के हमारे सभी अग्रणी नेताओं, प्रबुद्ध विचारकों और मनीषियों ने राष्ट्रीय एकता के लिए नागरी लिपि के प्रयोग पर बल दिया था। राजा राममोहन राय, बंकिमचन्द चटर्जी, महर्षि दयानंद सरस्वती, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, केशववामन पेठे, कृष्णस्वामी अय्यर, मुहम्मद करीम छागला आदि मनीषियों ने राष्ट्रीय एकता के लिए नागरी लिपि की महत्ता को स्वीकार किया था। न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र (1848-1916) ने 1905 के एक लिपि विस्तार परिषद' की स्थापना की और 1907 में 'देवनागर' नाम से पत्रिका भी निकाली, जिसमें कन्नड, तेलुगु,

बांग्ला आदि अनेक भाषाओं की रचनाएं नागरी लिपि में प्रकाशित की जाती थी। लोकमान्य तिलक ने 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी में कहा था-' नागरी लिपि को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए।' दक्षिण भारतीय विद्वान वी. कृष्णास्वामी अय्यर ने 1910 में इलाहाबाद में कहा था-'देश की एकता के लिए नागरी लिपि को स्वीकार किया जाना चाहिए।" आचार्य विनोबा भावे ने नागरी लिपि के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था- ' हिन्दुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम नागरी लिपि देगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी भाषाएं नागरी लिपि में भी लिखी जाएं। सभी लिपियां चले। साथ-साथ नागरी लिपि का भी प्रयोग किया जाए। नागरी लिपि एक मजबूत कड़ी का काम करेगी और देश के एकीकरण में सहायक सिद्ध होगी।'

संविधान में नागरी हिंदी

स्वाधीनता के बाद गठित संविधान समिति ने फरवरी 1948 को जो प्रारूप प्रस्तुत किया, उसमें राजभाषा का कोई उल्लेख नहीं था। परन्तु कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के अथक प्रयासों से संविधान सभा में राजभाषा पर चर्चा हुई। नागरी लिपि की महत्ता को सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया। इसीलिए भारत की संविधान सभा में, नागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा नियत करने का प्रस्ताव तमिलभाषी गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा, जिसे तेलुगुभाषी दुर्गाबाई, कन्नडभाषी कृष्णमूर्ति, गुजरातीभाषी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मराठीभाषी शंकरराव देव, उर्दूभाषी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने समर्थन दिया था।

फलस्वरूप 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग-17 के अनुच्छेद 343 (1) में राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को स्वीकार किया गया। जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। हमारे विद्वान राजनेताओं को यह विश्वास था कि नागरी लिपि राष्ट्रीय एकता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत की लगभग सभी प्राचीन और आधुनिक भाषाओं की लिपि नागरी है। नागरी हिंदी में अदभुत ग्रहणशीलता है, यह जीवन्त लिपि है। इसने अपनी सुरक्षा के लिए व्याकरण का अभेद किला नहीं बनाया है। इसके दरवाजे सभी भाषाओं से आगत ध्वनियों और शब्दों के लिए खुले हुए हैं। इसकी संपन्नता, पूर्णता, व्यापकता, सरलता, सुंदरता आदि को ध्यान में रखकर देश के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों ने नागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि बनाने की एकमत से इच्छा व्यक्त की। हिंदी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं निश्चित बोध गम्यता एवं अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता नागरी लिपि के कारण है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमारे मनीषियों ने सदियों पूर्व प्रत्येक वर्ण के उच्चारण को इतनी अच्छी तरह से बता दिया था और यही बात हमारी नागरी लिपि एवं हिंदी भाषा की एक गौरवपूर्ण धरोधर बन गई। नागरी लिपि, रोमन लिपि की भांति विदेशी लिपि नहीं है, अपितु पूर्णतः भारतीय है। इसकी उत्पत्ति और विकास भारत भूमि में हुआ है। इस प्रकार इसकी जड़ें देश के इतिहास और संस्कृति में है। भारत में जितनी लिपियां प्रचलित हैं, उनमें नागरी लिपि को जानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। स्वतंत्रता से पहले नागरी लिपि की प्रतिष्ठा और इसकी परिकल्पना अधिक व्यापक थी। इसे भारत के कार्यालयों की लिपि अर्थात मात्र राजकाज की लिपि बनाने की इच्छा नहीं थी, बल्कि इसे संपूर्ण भारत की सम्पर्क लिपि, सम्पूर्ण भारतीयता एवं राष्ट्रीय चेतना की लिपि बनाने का संकल्प था। नागरी - हिंदी को राष्ट्र में सबद्ध परम्पराओं, रीति-रिवाजों तथा भावनाओं के साथ सम्पूर्ण राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम एवं प्रतीक माना गया।

नागरी लिपि में लिखी हिंदी, अपनी सभी उपभाषाओं और बोलियों की सांझी संपत्ति है। संस्कृत तथा प्राकृतों की परंपरा को आत्मसात करने के कारण, यह कमोवेश सभी भारतीय भाषाओं की सम्मिलित धरोहर है। हिंदी के तत्सम शब्द संस्कृत परंपराओं के हैं जबकि तद्भव शब्द जनभाषाओं (प्राकृत) से गृहीत हैं। अंग्रेजी, फारसी,

पुर्तगीज, फ्रेंच आदि भाषाओं से आगत शब्द संपूर्ण भारतीय भाषाओं की संपति है और देशज शब्द लोक की सर्जनात्मकता के परिणाम है। भाषा के राष्ट्रीय विस्तार में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से, हिंदी के विविध रूप विकसित हो रहे हैं,जो राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थों में पूजा-अर्चना के लिए संस्कृत भाषा और सामान्य बोलचाल के लिए हिंदी का व्यवहार दिखाई देता है। कश्मीर के अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर जगन्नाथ पुरी, कामख्या, गोविंद देव (इंफाल) तक हिंदी-नागरी ही देश के विविध भाषा-भाषियों को राष्ट्रीय एकता के एकसूत्र में पिरोती है। प्रारंभ में हिंदी का प्रयोग 'जबाने हिंदी' और 'अल हिंदय, (अलबरूनी, 1025 ई.) के रूप में भारत की समस्त भाषा-बोलियों के लिए होता था। हिंदी-नागरी भारतीय आत्मा का स्वर है, हदय की वाणी है। हिंदी अपने राष्ट्रीय स्वरूप में दखिनी हिंदी, हैदराबादी हिंदी, मुंबईया हिंदी, अरुणाचली हिंदी, पूर्वोत्तरी हिंदी आदि रूपों में विस्तारित हो गई हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हिंदी का यह जबानी फैलाव लिपि के स्तर पर भी देखा जा सकता है। संपूर्ण देश में विज्ञापनी भाषा में हिंदी का बढ़ता प्रयोग इसका उदाहरण है। हिंदी ने पूरे राष्ट्र को अलग-अलग भाषायी पहचान के बावजूद एक भाषायी पहचान दी है। भारत में कई भाषा परिवार हैं, किंतु सभी भाषाएं समरूपी है और सभी भाषाओं में सम संरचनात्मकता है। हिंदी की ताकत सन 1623-24 में इतनी थी कि 'डिल्ला-बेल्ला नाम के एक यूरोपीय यात्री ने अपनी पुस्तक इंडियन ट्रैवेल्स में लिखा था- 'इस देश में हिंदुस्तानी ही संपर्क भाषा है और उसकी लिपि नागरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था- 'हिंदी का प्रश्न मेरे लिए स्वराज्य के प्रश्न से कम महत्वपूर्ण नहीं है।' हिंदी ही ऐसी भाषा है जो 1600 बोलियों 300 क्षेत्रीय भाषाओं और 22 राष्ट्रीय भाषाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसके वाक्यों में किसी भी भाषा के शब्दों को समायोजित करना आसान है।

हिंदी और नागरी के विकास एवं प्रचार-प्रसार तथा संरक्षण-संवर्द्धन में हिंदी मीडिया, फिल्मों, टीवी. कार्यक्रमों, पत्र-पत्रिकाओं और अब सोशल मीडिया आदि सबका सकारात्मक योगदान है। जो लोग हिंदी भाषा और नागरी लिपि को अपने साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का माध्यम बना चुके है, उन सबकी मातृभाषा, हिंदी भाषा नहीं है। उन्होंने इस भाषा और नागरी लिपि को माध्यम बनाकर देश की एकता को सुदृढ़ किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का भोपाल में उद्घाटन करते हुए कहा था- "एक ऐसा रास्ता विनोबाजी के द्वारा प्रेरित विचारों से, लोगों ने डाला था कि हमें धीरे-धीरे आदत डालनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं वो भाषाएं अपनी लिपि लिखने की आदत डालनी तो बरकरार रखे, उसको तो समृद्ध बनाएं लेकिन नागरी लिपि में भी अपनी भाषा को लिखने की आदत डालें। शायद विनोबाजी का ये विचार अगर प्रभावी हुआ होता तो लिपि भी भारत की विविध भाषाओं के लिए और भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए, एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर आई होती।"

संदर्भ स्रोत

1. नागरी लिपि की वैज्ञानिकता, नागरी लिपि परिषद, राजघाट, नई दिल्ली
2. नागरी संगम, नागरी लिपि परिषद का मुखपत्र, नई दिल्ली के अनेक अंक

राष्ट्रीय एकात्मता में लोक-भाषाओं से संपन्न हिंदी का योगदान

डॉ. राजेश्वर उनियाल
होटल प्रबंधन संस्थान
दादर पश्चिम, मुंबई – 400028

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। राष्ट्र की एकात्मता, सभ्यता एवं संस्कृति को जोड़ने में भाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय एकात्मता किसी एक संस्कृति, भाषा, सभ्यता या धर्म की सीमाओं में बंधी हुई नहीं होती है। यह बहुसंस्कृति, बहुभाषी, विभिन्न सभ्यताओं, धर्मों व रीति रिवाजों व विविधताओं के होते हुए भी एकता का बोध कराती है। आज भारत की विभिन्न लोक-भाषाओं से सम्पन्न हिंदी में वह क्षमता है कि वह हमारी राष्ट्रीय एकात्मता को समृद्ध कर सके।

हमारे देश में प्राचीनकाल में उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक वैदिक संस्कृत का वर्चस्व था। संस्कृत का प्रयोग तत्कालीन भारत ही नहीं, बल्कि यूरोप के देशों तक में भी होता था। धीरे-धीरे हमारी संपर्क भाषा वैदिक संस्कृत से लोक-संस्कृत होने लगी। यही लोक - संस्कृत धीरे-धीरे सामान्य जनता द्वारा लोकभाषाओं में परिवर्तित होती रही। वैदिक संस्कृत विद्वानों एवं राजकाज की भाषा थी, जबकि सामान्य जन लोक-संस्कृत से होते हुए लोकभाषाओं का प्रयोग करने लगे थे। उस दौर में केवल श्रुति वाचन की परंपरा थी। आमजन का लिपि से कोई संबंध नहीं होता था। धीरे-धीरे लोक-संस्कृत का रूप भी परिवर्तित होते हुए वह पालि एवं प्राकृत के रूप में जन सामान्य के मध्य व्याप्त हुआ। लोगों ने लोक-संस्कृत के साथ पालि, प्राकृत व अपनी स्थानीय बोलियों का समावेश कर लोक - बोलियों को प्रचलित किया। चूंकि लोक-बोलियों का ना तो कोई लिखित साहित्य होता है और ना ही ये किसी व्याकरण के बंधन में बंधी होती हैं, इसलिए लोक-बोलियों को आम जन अपनी सुविधानुसार व्यवहार में लाता है। फिर धीरे-धीरे क्षेत्र विशेष के विद्जन उस लोक-बोली को परिमार्जित कर लोक-साहित्य का निर्माण करते हैं, जो कि कालान्तर में शिष्ट भाषा के रूप में परिभाषित होती है। आज हिंदी उसी शिष्ट या परिमार्जित या अभिजात्य वर्ग की भाषा के रूप में हमारे सम्मुख भारत की राजभाषा बन कर उभर रही है।

हालांकि लोक-भाषा और राजभाषा दोनों अलग - अलग विषय हैं। किसी भी लोक-भाषा में साहित्य रचा जा सकता है। वह जन भावनाओं और संवेदनाओं के संप्रेषण का सुगम माध्यम हो सकती है, उसमें लोक-संस्कृति का विकास भी निहित है तथा उसे समझने के लिए साक्षर होना भी आवश्यक नहीं है। परन्तु हर लोक-भाषा में राजभाषा बनने का सामर्थ्य हो, यह आवश्यक नहीं है। यहां तक कि अवधी और ब्रज सरीखी वे लोकभाषाएं भी, जिनमें रामचरितमानस व सूरसागर जैसे साहित्य रचे गए, राजभाषा का स्वरूप पाने में सफल नहीं हो सकीं। लेकिन कबीरवाणी, सूरसागर व रामचरितमानस जैसे लोक-ग्रंथों से ही हिंदी का साहित्य संपन्न हुआ है।

हां, यह बात अवश्य है कि एक समय ऐसा भी आ गया था, जबकि खड़ी बोली से पहले ब्रजभाषा में गद्य भी लिखा जाने लगा था और वह हिंदी का स्वरूप लेने लगी थी।

कुछ लोग यह भी तर्क करते हैं कि भारत की आजादी से पहले जब रजवाड़े थे, तो वे अमुक-अमुक लोकभाषाओं में राजकाज चलाते थे, जबकि ऐसा नहीं था। भारत में प्राचीनकाल से शासन की भाषा अलग रही तथा जनता के साथ संवाद व पत्राचार की भाषा हमेशा अलग रही। इसलिए वे उस समय भी राजकाज संस्कृत, फारसी, हिंदी या अंग्रेजी में ही चलाते थे तथा जनता से लोकभाषा में संवाद करते थे। हिंदीत्तर राज्यों में अवश्य ही मराठी, गुजराती, तमिल व असमिया आदि में राजकाज होता था, परंतु ये रजवाड़े भी दूसरे राज्यों से संस्कृत, फारसी या हिंदी आदि में ही पत्राचार करते थे। छोटी - छोटी रियासतों में बंटे शासक अपनी क्षेत्रीय बोलियों में अपना राजकाज अवश्य चलाते थे। लेकिन उस दौर में भी दो भिन्न रियासतों के शासक संपर्क भाषा के रूप में संस्कृत या हिंदी का ही प्रयोग करते थे, अर्थात लोक - भाषा का क्षेत्र सीमित ही था।

हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा रही है कि यहां सदैव शासक और प्रजा की अलग-अलग भाषाएं रही हैं। प्राचीनकाल में शासकीय कार्य वैदिक संस्कृत में होता था तो जन सामान्य लोक संस्कृत में आपसी व्यवहार करते थे। यही लोक संस्कृत आज की परिष्कृत संस्कृत के रूप में हमारे सम्मुख है। प्राचीनकाल की वैदिक संस्कृत से होते हुए हमारी शासन व्यवस्था पाली, प्राकृत, अरबी व अंग्रेजी तक आ गई। फिर भारत की आजादी के बाद संघ की भाषा हिंदी व राज्यों की अपनी-अपनी परिष्कृत भाषाएं व्यवहार में रही, लेकिन लोकभाषाओं का जो स्वरूप पहले था, वही स्वरूप और अस्तित्व आज भी विद्यमान है। वह सदैव लोक की भाषा अवश्य रही, परन्तु वह शासकीय भाषा बहुत कम राज्यों में बनी।

हमारी संस्कृति, हमारा समाज व हमारा परिवेश लोक-साहित्य से ही संपन्न होता है। इसलिए हमें लोक-भाषाओं को संरक्षण देते हुए इसका संवर्धन भी करना चाहिए। परन्तु केवल अष्टम अनुसूची में वर्णित करने से ही लोक-भाषाएं संपन्न नहीं होंगी, इसमें हिंदी का भी व्यापक हित जुड़ा हुआ है, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। वस्तुतः लोक-भाषाएं लोक-जीवन व लोक-संस्कृति के लिए होती हैं। कुछ भाषाविद लोक-भाषाओं को शासन की व संविधान की भाषाएं बनाने हेतु कार्यरत हैं, जो कि पूर्णतया अनुचित है। इससे हिंदी व अंग्रेजी नहीं जानने वाले या अशिक्षित समाज उनके बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के अथक प्रयास करने व बड़ी चुनौतियों के बाद आज जब हिंदी हमारे राष्ट्र की पहचान की भाषा बन पाई है, तो इस वैश्विक दौड़ में क्षेत्रीय भाषाओं का भला क्या भविष्य होगा? हां ! लोक-साहित्य व संस्कृति में लोकभाषाओं को अवश्य बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकभाषाओं में रचित साहित्य कालजयी होता है।

हमें चाहिए कि हम अपनी लोक-भाषाओं व बोलियों को भी संपन्न करें व उनमें साहित्य भी रचें ताकि उन्हें सरकारी व गैरसरकारी प्रोत्साहन भी मिल सके। वह अपनी व्यापकता से स्वयं राष्ट्रीय गौरव प्राप्त कर लेगी, जैसे कि आज ब्रज व अवधी सम्पन्न हुई है। इन्हीं लोक-भाषाओं व बोलियों के अक्षुण्ण रहने व संपन्न, संवर्धित होने से हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी विकसित होगी व अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर सकेगी। लोकभाषा व बोलियां इस भाषा रूपी वृक्ष की जड़ें हैं, इन जड़ों से ही वृक्षरूपी हिंदी फलेगी व फूलेगी।

आदि जगदगुरू शंकराचार्य जी ने केरल में जन्म लेकर संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक यात्रा करते हुए देश के चार कोनों में चारधाम की स्थापना की थी। उन्होंने संस्कृत के माध्यम से ही राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ा था। इसके बाद भारत में मुगलों व बाद में अंग्रेजों ने आक्रमण करना प्रारंभ किया। मुगल व अंग्रेज अपने साथ-साथ फारसी व अंग्रेजी भी लाए। इसी काल में भारतीय शासकों की अवनति के कारण हमारी लोक-भाषाएं भी ढंग से पनप नहीं पाई। हालांकि इसी युग में व्रज व अवधी में सूरसागर तथा रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचना भी हुई। अंग्रेजों के समय तक जहां

राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी, वहीं कोर्ट कचहरी आदि में फारसी का ही उपयोग होता रहा। लार्ड मैकाले की योजना के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनने लगी एवं यह सामान्य जनजीवन में छाने लगी। स्वाभाविक था कि इससे हमारी राष्ट्रीय एकात्मता पर भी दुष्प्रभाव पड़ा।

भारत की स्वतंत्रता के बाद आज जिस हिंदी को हम भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा व संपर्क भाषा के रूप में जानते हैं, इसका प्रादुर्भाव लगभग एक हजार वर्ष पहले हुआ था। लगभग एक हजार वर्ष पूर्व जब राजा महाराजा विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ रह थे, उस काल में चारणों व भाटों ने अपनी कविताओं से राजाओं का पथ प्रदर्शन किया। मुगलों के अत्याचार के दौरान भक्तिकालीन व श्रृंगारिक कवियों ने एक आस जलाए रखी। अंग्रेजों के समय यह आजादी की भाषा बनी। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की कल्पना बंगाल के नेताजी सुभाषचन्द बोस, राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज के केशवचन्द सेन, महर्षि दयानंद व भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जैसे मनीषियों ने की थी। स्वतन्त्रता के बाद एक ओर हिंदी हमारे जन जीवन में रच बस गई है, वहीं यह उच्च शिक्षा व विज्ञान के जगत में अपनी धाक भी जमा रही है। राष्ट्र की एकात्मता में भी हिंदी के इस योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे कई लोगों की हिंदी के प्रति जिज्ञासा बढ़ने लगी है एवं वे हिंदी की इस उपलब्धि को जानने हेतु उत्सुक होने लगे हैं।

यह सत्य है कि आज हिंदी विश्वभाषा बनती जा रही है। विश्व में मंदारिन (चीनी) भाषा के बाद हिंदी का दूसरा एवं अंग्रेजी का तीसरा स्थान है। चीनी के बाद हिंदी विश्व की दूसरी बड़ी भाषा है। विश्व के 44 राष्ट्र ऐसे हैं, जहां कि 10 प्रतिशत या इससे अधिक लोग हिंदी को जानते हैं। भारत के अतिरिक्त 30 राष्ट्रों के 155 विश्वविद्यालयों में हिंदी उच्च स्तर तक पढ़ाई जाती है। कल तक जो हिंदी सिसकती व सिकुड़ती सी नजर आ रही थी, वह अचानक आज विश्वपटल पर छाने लगी है। अब स्थिति यह हो गई है कि भारत के अतिरिक्त बंगला देश, नेपाल, भूटान, वर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव जैसे पड़ोसी राष्ट्रों में तो हिंदी आसानी से समझी व बोली जाती ही है, साथ ही गुआना, इंडोनेशिया, मारीशस, सुरीनाम, जावा, सुमात्रा व सऊदी अरब के कई देशों में हिंदी आम बोलचाल की भाषा बनती जा रही है। इसके साथ ही चूंकि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका व आस्ट्रेलिया आदि देशों में भारत व दक्षिण एशिया के कई लोग रहते हैं, इसलिए वहां के मुख्य बाजारों में हिंदी समझने वाले काफी लोग मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, तो अब सऊदी अरब के न्यायालयों में हिंदी को भी मान्यता मिल गई है। विश्व हिंदी सम्मेलन एवं विश्व में फैले हिंदी प्रेमियों के प्रयासों से अब हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की चौखट तक पहुंच गई है एवं जिस दिन 193 देशों में से दो तिहाई अर्थात 129 देश हिंदी के पक्ष में मत दे देंगे, उस दिन हिंदी, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता मिलते ही यह आधिकारिक विश्व भाषा भी बन जाएगी।

हिंदी का साहित्य बहुत ही समृद्ध है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। हिंदी का पहला लिखित साहित्य वीर चंदवरदाई का पृथ्वीराज रासो माना जाता है। इसमें 69 सर्ग (अध्याय) हैं। इस काव्य में पृथ्वीराज चौहान एवं संयोगिता के प्रेम प्रसंग के साथ ही पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी का विस्तृत वर्णन है। इसके बाद हिंदी का विकास होता गया एवं इसे कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, बिहारी व रसखान आदि कवियों ने समृद्ध बनाया। हिंदी के साहित्य को आदि काल, मध्य काल एवं आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी के गद्य साहित्य के विकास का श्रेय श्री भारतेन्दु हरीशचंद्र को दिया जाता है।

भारतेन्दु के बाद तो हिंदी साहित्य के गद्य यथा उपन्यास, कहानी, नाटक, प्रहसन, व्यंग्य, संस्मरण, समीक्षा, आलोचना व निबंध के आदि के क्षेत्र में कई विद्वानों ने अपना योगदान दिया। एक ओर जहां श्री प्रेमचंद, श्याम चरण शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, रामधारी सिंह दिनकर व हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने अपनी रचनाओं से हिंदी

साहित्य को गद्य की सभी विद्याओं में संपन्न किया, वहीं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि विद्वानों ने हिंदी काव्य को छंदों, अलंकारों, कथ्य व शिल्पों से नया आयाम दिया।

हिंदी के विकास में भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीया व सुभाष चन्द्र बोस आदि हिंदीतर भाषी नेताओं ने हिंदी के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का शंख फूंका। इससे हिंदी सहज ही सम्पूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा बन गई। हिंदी का पहला समाचार पत्र श्री जुगल किशोर के संपाद में 'उदन्त मार्तण्ड' सन 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। श्री केशवचन्द्र सेन से प्रभावित होकर राजा राममोहन राय ने 1829 में हिंदी में बंगदूत प्रारंभ किया। इसी तरह काशी में 16 जुलाई 1882 को नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। प्रयाग में 1899 में हिंदी साहित्य सम्मेलन किया गया। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई व 1933 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गठित की गई।

स्वतंत्रता के बाद हिंदी फिल्मों, आकाशवाणी व दूरदर्शन ने तो हिंदी को जन-जन की भाषा बना दी। हिंदी फिल्मों की ललक व हिंदी गानों की धूम भारत ही नहीं वरन् सात समुन्दर पार भी हिलोरे खाने लगी। वर्तमान में मॉरीशस में 12 नवम्बर, 2002 से अंतरराष्ट्रीय हिंदी सचिवालय स्थापित हो गया है।

आज का जगत विज्ञान एवं व्यापार का युग है। वैज्ञानिक उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने व व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किसी प्रचलित भाषा का ही सहारा लेना होता है। भारत में यह सुखद बात है कि हिंदी का क्षेत्र विज्ञान एवं व्यापार जगत तक विस्तृत हो गया है, अतएव आज हिंदी व्यापार की भी भाषा बन गई है। हिंदी के विकास में अन्य विधाओं जैसे पर्यटन, क्रीड़ा व राजनीति का भी विशेष योगदान है। इन सभी के कारण आज हिंदी भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा बन गई है।

फिर भी हिंदी से जो अपेक्षाएं की जा रही थी या इतने प्रयासों के बाद आज हिंदी को जिस स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, वह पूर्णतया सफल नहीं हो सका है। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं। परन्तु उनमें से प्रमुख कारण यह है कि भारत विविधता में एकता वाला बहुभाषी देश है।

सन 2011 में हुई भाषायी जनगणना के अनुसार भारत में 121 भाषाएं तथा 19569 मातृभाषाएं हैं। इनमें से 123 अनुसूचित तथा 147 गैर अनुसूचित अर्थात कुल 270 मातृभाषाएं ऐसी हैं, जिनको बोलने वाले दस हजार से अधिक तथा 29 भाषाओं को दस लाख से अधिक बोलने वाले लोग हैं।

इसके साथ ही हम यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी के विकास में कुछ राजनीतिक कारण भी रोड़े अटकाते रहे हैं। यह भी सत्य है कि जब तक हिंदी रोजगार की भाषा नहीं बन जाती है, तब तक यह सुगमता के साथ विकसित नहीं हो सकती है।

चूंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अतएव हम यह भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब तक किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक सफलता कोसों दूर ही होगी। हमने स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति, श्वेत क्रांति व पीत क्रांति का नारा दिया और हम आज खाद्यान्न के क्षेत्र में संपन्न राष्ट्र हो गए हैं। हमने आण्विक बम भी बना लिया है एवं हमारे उपग्रह सौरमंडल में विचरण कर रहे हैं। ठीक इसी तरह जब हिंदी का बिगुल बजेगा तो

अवश्य ही कहीं न कहीं चिंगारी अवश्य भड़केगी।

परन्तु इसके लिए हम केवल राजनीति या राजनेताओं को ही दोषी नहीं मान सकते हैं। भारत की आजादी के बाद कुछ घटनाचक्र ऐसे घटे कि स्वाभाविक था कि हमारी सरकार उन समस्याओं के निराकरण पर पहले ध्यान देती, जैसे कश्मीर पर हमला, चीन की लड़ाई, पाकिस्तान से तीन-तीन युद्ध, पंजाब का आतंकवाद, कश्मीर का आतंकवाद एवं कभी असम, कभी नागा तो कभी बांग्लादेश की समस्या। इसके साथ ही अलगाववाद एवं अन्य कई समस्याएं उभरती रही। इन सबके कारण हमारी प्राथमिकता में हिंदी को वह स्थान नहीं मिल पाया, जो अब तक मिल जाना चाहिए था।

चूंकि हिंदी केवल साहित्य की भाषा ही नहीं वरन् यह आम भारतीय की बोलचाल अर्थात संपर्क की भाषा बन गई है, अतः स्वाभाविक है कि समाज का हर वर्ग अपनी सुविधा एवं अपने परिवेश में ही हिंदी को स्वीकार कर रहा है एवं इसी में हिंदी व राष्ट्र का भी व्यापक हित है।

हिंदी न केवल समृद्ध व विकसित हो रही है वरन् यह अपनी सरलता व सहजता के कारण सर्वमान्य भी बनती जा रही है। यदि एक छोटे से राष्ट्र स्विटजरलैंड की 4 राजभाषाएं हो सकती हैं, तो भारत तो इतना बड़ा व विशाल राष्ट्र है। फिर यहां की समस्त भाषाएं संस्कृत के गर्भ से ही पलकर विकसित हुई हैं, इसलिए सभी भाषाओं में सांस्कृतिक समरसता भी है।

अब हिंदी उच्च शिक्षा एवं विज्ञान की भाषा भी बनती जा रही है। आईएएस, कंपनी सचिव, चार्टर्ड एकाउंटेट, कृषि वैज्ञानिक एवं कई उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज के विज्ञान के युग में अब समस्त कार्य कम्प्यूटर मशीन के चिप्स में समा गए हैं। हालांकि हिंदी ने भी इस क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति की है, परन्तु जितनी तेजी के साथ अंग्रेजी यहां आगे बढ़ रही है, उसके मुकाबले हिंदी विशेषकर देवनागरी लिपि को अभी भी काफी प्रयास करने होंगे।

हिंदी मंद गति से ही सही, परन्तु धीरे-धीरे समाज के चारों ओर प्रकाशवान होती जा रही है। हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि वर्तमान की आंग्ल भाषा भी चौदहवीं शताब्दी तक इंग्लैंड के एक कबीले की भाषा थी, जिसे वहां का शिष्ट समाज जंगली व आदिवासियों की भाषा कहता था। लेकिन बाद में उसी अंग्रेजी का जब सूर्य चमकना प्रारंभ हुआ, तो वह विश्वभाषा बन गई। अंग्रेजी के सूर्य को चमकने में 500-600 साल की मेहनत लगी और वह सूर्य भी वहीं तक चमक पाया, जहां कि अंग्रेजों का शासन था। इंग्लैंड में अंग्रेजी 1650 में राजभाषा बन गई थी, परंतु यह वहां भी 121 साल बाद 1771 में अस्तित्व में आई।

हिंदी अपनी उदारता, लचीलापन, समृद्ध साहित्य, वैज्ञानिक गुण व समस्त भारतीयों की अथाह राष्ट्रभक्ति के कारण विश्वभाषा बनती जा रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी न्यास, विश्व पर्यटन, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और प्रवासी भारतीयों के विशिष्ट योगदान के कारण हिंदी विश्व पटल पर छा रही है एवं हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनने की ओर अग्रसर है। आज हिंदी उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक राष्ट्र की संपर्क की भाषा बन चुकी है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी ने संस्कृत के गर्भ से उभरकर तथा भारत की विभिन्न लोक-बोलियों, क्षेत्रीय व अष्टम अनुसूची में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं के साथ मिलकर एवं हिंदी साहित्य

के एक हजार वर्ष की साधना व हिंदी की अंतरराष्ट्रीय स्वीकारोक्ति के साथ जो अपना समृद्ध रूप बनाया है, उससे हिंदी भारत की राष्ट्रीय पहचान बनने से लेकर राष्ट्रीय एकता व एकात्मता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संदर्भ : हिंदी लोक-साहित्य का प्रबंधन – डॉ. राजेश्वर उनियाल

: डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल के विभिन्न शोध पत्र
: भाषाई जनगणना – 2011, भारत सरकार

कृत्रिम बुद्धिमता (ए आई) और हिंदी भाषा की चुनौतियाँ

"भारत लोगों के कल्याण के लिए टेक्नोलाजी खासकर ए आई के इस्तेमाल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, आश्वस्त करता है कि ग्लोबल साउथ के देश इसका लाभ उठाने के पीछे नहीं है।"
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार

- राम स्वरूप यादव,
उप महाप्रबंधक (वित्त)
के आई ओ सी एल लिमिटेड,
बेंगलुरु - 560034

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक तकनीकी क्षेत्र है जो मानवीय बुद्धि को मशीनों में समाहित करने का प्रयास करता है। यह तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई जा रही है, जैसे कि स्वास्थ्य, विनिर्माण, वित्त, शिक्षा, आदि। हाल के वर्षों में, AI के विकास और उपयोग में भारत में भी वृद्धि हुई है। हमारे देश में भाषाओं की विविधता है, और यहां भाषाओं के अनुभागों में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बावजूद, AI को विशेष भाषाओं के साथ काम करने में कई चुनौतियाँ हैं। भारत, जिसकी धरोहर में भाषाओं की समृद्धि है, एक ऐसा देश है जो अपने दृष्टिकोण में 'डिजिटलीकरण' को महत्व देता है। लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों के बावजूद, भारत के 1.4 बिलियन लोगों के लिए स्थानीय भाषा सीमा एक 'बड़ी डिजिटल बाधा' बन गई है। अधिकांश ऑनलाइन सामग्री अंग्रेजी में होती है और इसके बावजूद हमें सभी को तकनीक पहुंचाने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो।

हिंदी, जिसे 600 मिलियन से अधिक लोग बोलते हैं, विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके व्यापक उपयोगकर्ता आधार के बावजूद, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ तकनीकी प्रगति के मामले में अक्सर अंग्रेजी से पिछड़ जाती हैं। यह असमानता डिजिटल विभाजन को जन्म दे सकती है, जिससे जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एआई की क्षमताओं का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकता है।

"इसमे दो राय नहीं कि भारत बुनियादी क्षेत्रों में प्रगति के लिए पहले से ही ए आई का इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को उनकी अपनी मूल भाषा में कोई जानकारी मुहैया करना ए आई की एक बड़ी मिसाल है। गूगल भारत सरकार के साथ करीब 800 बोलियों का स्पीच डाटा जुटाने और उसे ओपेन सोर्स का हिस्सा बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं,

बेंगलुरु में गूगल रिसर्च टीम एक एकीकृत मॉडल तैयार करने में जुटी है जो 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है।" --- ***सुंदर पिचाई, सीईओ, गूगल***

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदी की चुनौतियाँ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रवेश किया है। वॉयस असिस्टेंट जैसे सिरी और एलेक्सा से लेकर जटिल डेटा विश्लेषण उपकरणों तक, एआई का प्रभाव निस्संदेह गहरा है। हालाँकि, गैर-अंग्रेजी भाषाओं, विशेष रूप से हिंदी में एआई का विकास और कार्यान्वयन अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिन्हें समावेशिता और प्रभावशीलता के साथ हल करने की आवश्यकता है।

1. **अनुवाद और भाषा की विविधता:** भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, और यहां भाषाओं की विविधता है। अलग-अलग राज्यों में भी भाषाओं की विभिन्न डायलेक्ट्स होती हैं। इससे अनुवाद करने में चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि एक भाषा का अर्थ दूसरी भाषा में सही रूप से प्रकट नहीं हो सकता। हिंदी, अन्य भाषाओं की तरह, अपने स्वयं के व्याकरणिक नियमों, वाक्य संरचनाओं और शब्दावली के साथ आती है। जबकि अंग्रेजी काफी हद तक विश्लेषणात्मक है, हिंदी एक सिंथेटिक भाषा है जिसमें समृद्ध रूपात्मक संरचनाएँ हैं। इसका मतलब है कि शब्द काल, लिंग, और संख्या के आधार पर अर्थ बदल सकते हैं, जिससे एआई एल्गोरिदम के लिए उन्हें संसाधित और समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
2. **वास्तविक समय सीमा (Real-Time Constraints):** व्यक्तिगत चैटबॉट्स और अनुवाद सेवाएं वास्तविक समय में काम करती हैं। वास्तविक समय में अनुवाद करने में चुनौतियाँ हो सकती हैं, खासकर जब हिंदी जैसी विशेष भाषाएं शामिल होती हैं। प्रायः देखा गया है की चैट बॉट में परिणाम अर्थ का अनर्थ होने से सही नहीं होते हैं
3. **गुणवत्तापूर्ण डेटा की कमी:** मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर आधारित एआई सिस्टम को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए विशाल मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। जहाँ अंग्रेजी में टेक्स्ट डेटा की प्रचुरता है, वहीं हिंदी में उच्च-गुणवत्ता वाले, एनोटेटेड डेटासेट की कमी है। यह कमी हिंदी के लिए मजबूत एआई मॉडल के प्रशिक्षण में बाधा डालती है।
4. **बोलियाँ और क्षेत्रीय विविधताएँ:** हिंदी की कई बोलियाँ और क्षेत्रीय विविधताएँ हैं। सरकारी और शैक्षिक संदर्भों में उपयोग की जाने वाली मानक हिंदी भारत के विभिन्न हिस्सों में बोले जाने वाले तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। यह विविधता एआई सिस्टम के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करती है, जिन्हें इन विविधताओं को ध्यान में रखना होगा।
5. **लिपि और लेखन प्रणाली:** हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो अंग्रेजी की लैटिन वर्णमाला की तुलना में अधिक जटिल है। इस लिपि में विभिन्न प्रकार के अक्षर और उच्चारण चिह्न होते हैं जो उच्चारण और अर्थ को प्रभावित कर सकते हैं। देवनागरी के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) सिस्टम और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) टूल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है।

भाषायी चुनौतियों के समाधान:

1. मल्टी-लिंगुअल मॉडल: गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ मल्टी-लिंगुअल एआई मॉडल विकसित कर रही हैं जो एक साथ कई भाषाओं को समझ और संसाधित कर सकते हैं। यह मॉडल विभिन्न भाषाओं के बीच अनुवाद

की सटीकता और गुणवत्ता में सुधार करते हैं।

2. भाषाई डेटा संग्रहण: उच्च गुणवत्ता वाले भाषाई डेटा को एकत्रित और एनोटेट करने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की जा रही हैं। यह डेटा एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होता है। सरकारी और निजी संस्थाएं मिलकर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए बड़े पैमाने पर डेटासेट तैयार कर रही हैं।

3. भाषाई तकनीकी पहल: भारतीय भाषाओं के लिए विशेष एआई और NLP टूल्स का विकास किया जा रहा है। इन टूल्स का उद्देश्य भाषाई विविधता को समझना और उनका सही ढंग से उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, भाषिणी ऐप एक ऐसा टूल है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद और वॉयस रिकग्निशन सेवाएं प्रदान करता है।

4. कस्टम मॉडल प्रशिक्षण: स्थानीय भाषाओं के लिए कस्टम एआई मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, जो उनकी विशेषताओं और संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित किए जाते हैं। ये मॉडल विभिन्न भाषाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सटीक और प्रभावी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

5. ओपन सोर्स पहल: ओपन सोर्स एआई समुदायों के माध्यम से भाषाई मॉडल और टूल्स को साझा करना और सहयोग करना भी महत्वपूर्ण है। इससे शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को विभिन्न भाषाओं के लिए बेहतर समाधान विकसित करने में मदद मिलती है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि हगिंग फेस (Hugging Face) और टेंसरफ्लो (TensorFlow) पर भारतीय भाषाओं के लिए मॉडल और डेटासेट साझा किए जा रहे हैं।

वर्तमान प्रयास और भविष्य की दिशा

इन चुनौतियों के बावजूद, महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। विभिन्न संगठन और अनुसंधान संस्थान हिंदी के लिए एआई उपकरण और प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ उल्लेखनीय प्रयास निम्नलिखित हैं:

1. **गूगल की एआई पहल:** गूगल ने कई भाषाओं, जिसमें हिंदी भी शामिल है, के लिए एआई विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। गूगल ट्रांसलेट और गूगल असिस्टेंट अब हिंदी का समर्थन करते हैं, जो मशीन लर्निंग और एनएलपी में प्रगति के लिए संभव हुआ है। इन उपकरणों ने हिंदी बोलने वालों के लिए ऑनलाइन जानकारी और सेवाओं तक पहुँच को आसान बना दिया है।
2. **माइक्रोसॉफ्ट का लोकल लैंग्वेज प्रोग्राम:** माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्थानीय भाषाओं, जिसमें हिंदी भी शामिल है, का समर्थन करने के लिए पहल शुरू की है। उनके एआई-संचालित उपकरण, जैसे टेक्स्ट अनुवाद और भाषण पहचान, धीरे-धीरे हिंदी बोलने वालों के लिए सटीकता और उपयोगिता में सुधार कर रहे हैं।

भारत सरकार की पहल: भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य न केवल प्रौद्योगिकी को सुलभ और उपयोगी बनाना है, बल्कि इसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं, विशेष रूप से हिंदी, के संदर्भ में विकसित भी करना है। आइए, उनके उद्देश्यों पर विस्तृत नज़र डालें:

1. डिजिटल इंडिया पहल: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार ने एआई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार स्थानीय भाषाओं में एआई टूल्स और सेवाओं को विकसित करने पर जोर दे रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी एआई तकनीकें उपलब्ध हों। सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयासों में एआई का उपयोग हो रहा है। इससे हिंदी भाषी जनता को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच मिल रही है।

2. राष्ट्रीय एआई पोर्टल: भारत सरकार ने राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया है, जो एआई से संबंधित सभी जानकारी का एक केंद्रीय मंच है। इस पोर्टल का उद्देश्य है एआई पर विभिन्न कोर्स और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे हिंदी भाषी लोग भी एआई की समझ विकसित कर सकें और साथ साथ एआई के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोध और विकास के बारे में जानकारी प्रदान करना, जिसमें हिंदी भाषा में भी सामग्री शामिल है।

3. नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (N-AIM): N-AIM का उद्देश्य एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए विशेष एआई मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, जिससे इन भाषाओं में एआई टूल्स की सटीकता और प्रभावशीलता बढ़ सके, उच्च गुणवत्ता वाले हिंदी डेटा का संग्रहण और एनोटेशन किया जा रहा है, जो एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने में सहायक है।

4. भारतीय भाषा तकनीकी पहल: इस पहल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत हिंदी के लिए उन्नत नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, जो भाषा की जटिलताओं को समझने और प्रोसेस करने में सक्षम हैं। हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच स्वचालित अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

5. डेटा संरक्षण और गोपनीयता: भारत सरकार एआई के उपयोग में डेटा संरक्षण और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके तहत व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए सख्त नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे एआई तकनीकों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सके। एआई के विकास और उपयोग में नैतिकता को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का सम्मान किया जा सके।

6. सरकारी और निजी क्षेत्र का सहयोग: सरकार ने एआई के विकास में निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है। इस सहयोग का उद्देश्य उद्योगों में एआई तकनीकों का समावेश करना, जिससे उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ सके। एआई आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करना, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।

भारत सरकार द्वारा एआई के क्षेत्र में उठाए गए ये कदम हिंदी भाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए

महत्वपूर्ण हैं। इन पहलों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एआई की क्षमताएँ सभी तक पहुँचें और डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा मिले। जैसे-जैसे एआई का विकास हो रहा है, सरकार की ये नीतियाँ और पहल एक समावेशी और सशक्त डिजिटल समाज के निर्माण में सहायक साबित हो रही हैं।

एआई के लाभ:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी जगत में क्रांति ला दी है और इसका प्रभाव भारतीय जनसामान्य पर भी देखा जा सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, एआई तकनीकें विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जा रही हैं, जो जनसामान्य के जीवन को सुधारने और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आइए, एआई के प्रभाव और इसके विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत नजर डालते हैं।

1. सुविधा और सुलभता: एआई आधारित सेवाओं से लोगों के जीवन में सुविधा और सुलभता आई है। चाहे वह ऑनलाइन शॉपिंग हो, बैंकिंग सेवाएं हों या स्वास्थ्य सेवाएं, एआई ने सब कुछ आसान और सुलभ बना दिया है।

2. रोजगार के अवसर: एआई तकनीकों के विकास के साथ नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ जैसे नए प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है।

3. समय और संसाधनों की बचत: एआई के उपयोग से विभिन्न प्रक्रियाओं में समय और संसाधनों की बचत होती है। उदाहरण के लिए, ग्राहक सेवा में चैटबॉट्स का उपयोग, फसल निगरानी में ड्रोन का उपयोग आदि।

4. डिजिटल समावेशिता: एआई तकनीकों के माध्यम से भाषा की बाधाओं को दूर करके, डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे अधिक से अधिक लोग डिजिटल सेवाओं और सूचनाओं का लाभ उठा सकते हैं। एआई आधारित अनुवाद और वॉयस रिकग्निशन सेवाएं लोगों को उनकी मातृभाषा में जानकारी और सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।

5. शिक्षा और प्रशिक्षण: एआई का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में भी किया जा रहा है। विभिन्न भाषाओं में एआई आधारित शिक्षण सामग्री और ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को अपनी मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो सके। यह विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच एक बड़ी चुनौती है।

6. व्यावसायिक सेवाएं: एआई तकनीकों का उपयोग व्यवसायों में भी किया जा रहा है। विभिन्न भाषाओं में ग्राहक सेवा, मार्केटिंग, और संचार सेवाओं के माध्यम से व्यवसायों को अधिक व्यापक रूप से अपने ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिल रही है। इससे व्यवसायों की पहुंच और प्रभाव बढ़ता है, और वे विभिन्न भाषाई समूहों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं।

निष्कर्ष: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय जनसामान्य के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और ग्राहक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई का उपयोग लोगों की जीवनशैली को सुधारने और सुलभ बनाने में सहायक साबित हो रहा है। हालांकि, भाषाई बाधाएं, डिजिटल साक्षरता की कमी और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन सरकार और निजी संस्थाएं मिलकर इनका समाधान करने में जुटी हैं। एआई के साथ,

भारत एक डिजिटल और सशक्त समाज की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई और भाषा बाधा की चुनौती को समझना और उससे निपटना एक महत्वपूर्ण कार्य है, विशेष रूप से भारत जैसे बहुभाषी देश में। एआई तकनीकों के माध्यम से भाषाई बाधाओं को दूर करके, हम डिजिटल समावेशिता और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले डेटा संग्रहण, कस्टम मॉडल प्रशिक्षण, और मल्टी-लिंगुअल मॉडल के विकास के माध्यम से, एआई तकनीकें भारतीय भाषाओं में भी सटीक और प्रभावी सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। एआई तकनीकें तेजी से अपनाई जा रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग हो रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों में एआई का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ यह कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं में बड़े बदलाव ला रहा है। हालांकि, एआई के उपयोग के साथ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, जिनसे निपटने के लिए मजबूत उपायों की आवश्यकता है। एआई के इस बढ़ते उपयोग के कारण, यह तकनीक भविष्य में हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसके सही और नैतिक उपयोग से समाज में व्यापक सुधार और प्रगति संभव है।

संदर्भ:

1. Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI), 2023- Summit Delhi
2. India Today, 17 January, 2024

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ : अंतर्संबंध के अंत:सूत्र

- डॉ. हरीश कुमार सेठी, निदेशक
अनुवाद अध्यन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

भाषायी विविधता से संपन्न राष्ट्र के रूप में 'भारत' की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। भाषा वैज्ञानिक आधारों और यहाँ के भौगोलिक कारणों से इस धारणा को बल मिलता रहा है कि भारत एक बहुभाषा-भाषी राष्ट्र है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान आधुनिक भारतीय भाषाओं के स्वतंत्र अस्तित्व की अवधारणा की परिणति आजादी के बाद भाषावार प्रांतों के अस्तित्व में आने के बाद मुखरित होकर उभरी। इस दौरान सिर्फ भारतीय भाषा क्षेत्रों का ही नहीं, हिंदी जैसी व्यापक जन-समुदाय की भाषा के भी अनेक भाषा रूपों अर्थात बोलियों की स्वीकारोक्ति हुई। अनेकानेक भाषाओं की व्यवहार भूमि भारत में संविधान-स्वीकृत 22 भाषाएँ इसी वैविध्य को प्रमाणित करती दिखाई देती हैं। लेकिन, विविधता से परिपूर्ण भारत देश में एकता की मजबूत कड़ियाँ इसका अद्भुत चरित्र निर्मित करती हैं। भाषायी स्तर पर भिन्न-भिन्न भाषा परिवारों में परिगणित विविध भाषा रूपों को दर्शाते इस परिदृश्य में उनके बीच परिव्याप्त परस्पर निकटता, हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच अंतर्संबंधों की स्पष्टता की अपेक्षा रखती है। इस संदर्भ में सबसे पहले 'भाषा-परिवार' की अवधारणा के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है।

'भाषा-परिवार' की अवधारणा

किसी भी भाषा की अपनी निजी विशेषताएँ उसे स्वतंत्र पहचान देती हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे कुछ अन्य भाषाओं से साम्यता के धरातल पर खड़ी नजर आती हैं और अनेक अन्य भाषाओं से असमानता को दर्शाती हैं। वैश्विक संदर्भ में देखें तो माना जाता है कि इस समय विश्व में लगभग छह हजार भाषाएँ प्रयोग-व्यवहार में लाई जा रही हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं के बीच परस्पर समानता के कुछ तत्वों के आधार पर उन्हें कतिपय समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें 'भाषा-परिवार' की संज्ञा दी जाती है। वैसे, मानव परिवारों-समाजों की भाँति भाषा-परिवारों को भी उप-परिवारों अथवा शाखाओं में विभाजित किया जाता है। विश्व में प्रमुख भाषा-परिवारों की संख्या 14 मानी जाती है। ये हैं - भारोपीय भाषा परिवार, यूरालिक, पुरा-साइबेरियाई, अल्ताइ, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाई, चीनी-तिब्बती, नाइजर-कांगो, नील-सहारा, खोइसान, ऑस्ट्रोनेशियन, भारत-प्रशांत, उत्तर और दक्षिण अमेरिका की भाषाएँ और ऑस्ट्रेलियाई आदिम भाषाएँ। विश्व की भाषाओं को उनके गुणों एवं साम्यता-वैषम्यता के आधार पर इन भाषा-परिवारों और उनकी विभिन्न उपशाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन, कोरियाई, जापानी, दक्षिणी एवं पूर्व स्पेन की इबेरियन, दक्षिणी-पश्चिमी यूरोप की बास्क एवं उत्तर-पश्चिमी कश्मीर की बुरूशास्की आदि कई ऐसी भाषाएँ भी हैं जो किसी भाषा-परिवार विशेष का हिस्सा नहीं हैं।

भारतीय भाषाओं की विविध भाषा-परिवारों से संबद्धता

भारत में विभिन्न भाषाओं के चार भाषा-परिवारों की 1652 भाषाओं को व्यवहार में लाया जाता है। लेकिन, ये भाषा-परिवार केवल भारतीय संदर्भ लिए हुए नहीं हैं। विश्व के चार भाषा-परिवार हैं - भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाई और चीनी-तिब्बती भाषा परिवार। इनमें से भारोपीय भाषा-परिवार को विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा - परिवार माना जाता है क्योंकि इसका विस्तार भारत से लेकर यूरोप तक है। इसके दो उपभाषा - परिवार हैं - केंतुम और सतम्। ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी, इतालवी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, स्पैनिश आदि केंतुम् वर्ग की प्रमुख भाषाएँ हैं। जबकि रूसी, आर्मीनियम, अल्बेनियमन, लिथुआनियन, पोलिश, बल्गारियाई, फारसी; और संस्कृत आदि सतम् वर्ग की प्रमुख भाषाएँ हैं। सतम् वर्ग के अंतर्गत भी भाषाओं के इलीरियन, बल्टिक, स्लाव, आमीनियन आदि अनेक उपवर्ग हैं। इनमें से एक वर्ग है - 'भारत-ईरानी'। इस उपवर्ग की तीन शाखाएँ हैं - (क) ईरानी (जिसमें अवेस्ता, फारसी, पश्तो, पहलवी, ताजिक आदि भाषाएँ प्रमुख हैं); (ख) दरद (जिसकी प्रमुख उल्लेख्य भाषा है - कश्मीरी); (ग) भारतीय (जिसमें संस्कृत और उससे विकसित भाषाएँ आती हैं)। भारोपीय परिवार की भारतीय शाखा को 'भारतीय आर्य भाषा' भी कहते हैं।

भारोपीय भाषा परिवार की आर्य उपशाखा की 'भारतीय आर्य भाषा' सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है। भारतीय आर्य भाषाएँ केवल भारत ही नहीं अपितु भारतीय उपमहाद्वीप के पाँच अन्य देशों में भी बोली जाती हैं। इनमें पाकिस्तान की उर्दू, नेपाल की नेपाली, बांग्लादेश की बांग्ला और श्रीलंका की सिंहली भी शामिल हैं। इन सभी भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का संबंध भी भारोपीय भाषा परिवार की आर्य उपशाखा की भारतीय आर्यभाषा परिवार रूपी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा से ही है।

भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास लगभग साढ़े तीन हजार वर्षों का इतिहास है। भारत के अधिकांश भूभाग में बोली जाने वाली भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएँ सतम् वर्ग की भारत-ईरानी शाखा में आती हैं। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से प्रमुख नौ भाषाओं - असमिया, ओडिया, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, हिंदी; और उर्दू का संबंध इसी भारतीय आर्य उपशाखा से है।

जहाँ तक द्रविड़ भाषा-परिवार का संबंध है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़; और मलयालम - इसकी चार मुख्य भाषाएँ हैं। वैसे इन चारों भाषाओं के अलावा भी दक्षिण भारत में बोली जाने वाली कई अन्य महत्वपूर्ण भाषाएँ भी हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर यह विश्व के भाषा-परिवारों में पाँचवे स्थान पर है। वहीं, खासी और निकोबारी (मॉन-ख्मेर) और मुंडा भाषाओं का संबंध ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार से है। चौथा भाषा परिवार चीनी-तिब्बती है। इसमें अंगामी (नगालैंड में), मणिपुरी (मणिपुर में), मिज़ो (मिज़ोरम में), बोडो (असम में), लेप्चा (सिक्किम में) और लद्दाखी (लद्दाख में) भाषाएँ शामिल हैं।

हिंदी और भारतीय भाषाओं में अंतर्संबंधों के आयाम

भारत में भाषायी वैविध्य के इस परिदृश्य के बावजूद भारत की एक बहुभाषा-भाषी राष्ट्र के रूप में अपनी अस्मिता को बनाए रखने का मूल आधार 'परस्पर मजबूत संबंध' है। ऐसे में इन परस्पर संबंधों को मजबूत करने वाले आधार-तत्वों पर विचार करना जरूरी है। इन आधार-तत्वों को भाषायी परिवार के संदर्भ में; 'भाषायी सहिष्णुता' के आधार पर; आधुनिक भारतीय भाषाओं के आविर्भाव और विकास तथा भाषा विकास के विभिन्न चरणों के साथ-

साथ भाषिक घटकों के संदर्भ में अंतर्संबंधों के सूत्रों को तलाशने की आवश्यकता है।

(1) भारत में भाषायी परिवार के संदर्भ में अंतर्संबंध : उल्लेखनीय है कि भारतीय भाषाओं के चार भाषा परिवार - भारतीय आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार और आग्नेय भाषा परिवार - ऊपर से एक-दूसरे से संबद्ध और असंबद्ध भले ही नजर आते हों लेकिन यह भी वास्तविकता है कि ये सभी भारत के भाषायी परिदृश्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। चार भाषा परिवारों में अंतिम दो - ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार और चीनी-तिब्बती भाषा परिवार का संबंध भारत के सीमित भौगोलिक क्षेत्र से है। इसलिए, इन चारों में से द्रविड़ और भारतीय आर्य भाषा परिवार ही प्रमुख हैं।

भाषावार प्रांतों के आधार पर द्रविड़ भाषा परिवार की चार प्रमुख भाषाओं का संबंध तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना से है तथा ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार एवं चीनी-तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित पूर्वोत्तर क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में आर्य भाषा परिवार की भाषाएँ व्यवहार में लाई जाती हैं। आर्य भाषा परिवार का उत्स संस्कृत भाषा है। इस आधार पर वर्तमान भारतीय भाषाओं के दो स्रोत हैं - संस्कृत और द्रविड़। द्रविड़ परिवार की चार भाषाओं में से मलयालम, कन्नड और तेलुगु की शब्दावली का स्रोत संस्कृत है और व्याकरण तमिल है। जहाँ तक तमिल का संबंध है, यह द्रविड़ परिवार की मूल भाषा है और यह संस्कृत के समांतर विकसित हुई है। इस दृष्टि से यह मान लिया जा सकता है कि भारत में प्रारंभ से दो भाषाएँ थीं - द्रविड़ (तमिल) और संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा का एक केंद्र सुदूर उत्तर गंधार में था, जहाँ पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ 'अष्टाध्यायी' की रचना की तो दूसरा केंद्र सुदूर दक्षिण केरल में था, जहाँ के आदि शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। इसलिए प्रतिष्ठित समालोचक और भाषा-चिंतक डॉ.रामविलास शर्मा जैसे कतिपय भाषा-चिंतक तो यह विचार व्यक्त करते हैं कि आर्य भाषाएँ और द्रविड़ भाषाएँ, दो अलग-अलग भाषा परिवारों की भाषाएँ न होकर एक ही भाषिक स्तर पर विकसित भाषाएँ हैं। डॉ.शर्मा ने अपनी पुस्तक 'भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याएँ' में यह लिखा है कि 'इनकी सामान्य विशेषताएँ' इतनी ज्यादा हो गई हैं अथवा परस्पर आदान-प्रदान इतना बढ़ रहा है कि आर्य-द्रविड़ परिवारों की जगह एक ही भारतीय भाषा-परिवार की कल्पना करना उचित होगा - अभी नहीं तो कुछ दिन बाद यह भारतीय भाषा परिवार ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान की अकाट्य सच्चाई बन जाएगा।' (पृ.72)

भारत में विभिन्न भाषायी परिवारों के बीच अंतर्संबंध का एक उल्लेखनीय पक्ष यह भी है कि भारत के विभिन्न भाषा परिवार और उनकी भाषाएँ, विश्व की अन्य भाषाओं और उनके भाषा-परिवारों की तुलना में अधिक दीर्घकाल से साथ-साथ रहते आई हैं। वस्तुस्थिति यह रही है कि इनमें शताब्दियों से परस्पर आदान-प्रदान होता रहा है और यह आदान-प्रदान एक-दूसरे के लिए नुकसानदेह नहीं रहा तथा नष्टकारी भी नहीं रहा। उदाहरण के लिए भारतीय आर्यभाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार के बीच अंतर्संबंध के चलते दोनों में ऐसी सामान्य विशेषताएँ उत्पन्न हुई हैं जो यूरोप की 'आर्य' भाषाओं में नजर नहीं आतीं। भाषा-परिवारों के इस दीर्घकालिक सह-अस्तित्व के कारण अनेक भाषावैज्ञानिक भारत को भाषागत इकाई (लिंग्विस्टिक एरिया) मानते हैं। डॉ.रामविलास शर्मा के अनुसार, 'भाषागत इकाई का अर्थ यह है कि एक ही भूखंड में बहुत दिनों तक साथ रहने के कारण भिन्न भाषा-परिवारों ने ऐसी सामान्य विशेषताएँ विकसित की हैं जो भारत के बाहर इन परिवारों से संबद्ध अन्य भाषाओं में नहीं मिलतीं।' (पृ.62)

(2) 'भाषायी सहिष्णुता' पर अवलंबित अंतर्संबंध : भारत में भाषायी विविधता के संबंध में यह भी वास्तविकता है कि इन भाषा-परिवारों की विविध भाषाओं को बोलने वाले लोगों में परस्पर समरसता का भाव बना रहा है। ध्यान देने की बात यह भी है कि एक भाषा-भाषी समुदाय ने अन्य भाषा-भाषी समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास में न

केवल साथ दिया है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार दूसरे भाषा-भाषी समुदाय की भाषा को सीखना और अपनाना भी शामिल रहा है। भाषा को सीखने और अपनाने के साथ-साथ भाषा-प्रयोक्ता समुदाय भी न केवल उसमें प्रवीणता प्राप्त कर लेता रहा है बल्कि उस भाषा के साहित्य के विकास में अपना सक्रिय सहयोग भी देता रहा। विभिन्न भाषा-समुदायों के बीच इस सक्रिय सहयोग को हम सामाजिक-सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया कह सकते हैं। आपसी समन्वय का यह सिलसिला शताब्दियों से चला आ रहा है। विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों के बीच समन्वय की प्रक्रिया के कारण भारत की एकता एवं अखंडता सुदृढ़ हुई।

भारतीय भाषाओं में तात्विक समानता के बिंदु देश में भाषायी एकरूपता की स्थिति ही नहीं बनाते, उसका मेरुदंड भी सिद्ध होते हैं। एकरूपता की इस स्थिति के चलते देश में 'भाषायी सहिष्णुता' भी स्थापित होती है। यहाँ भाषायी सहिष्णुता शब्द व्याख्या की अपेक्षा रखता है। 'भाषायी सहिष्णुता' के अंतर्गत अपनी भाषा के साथ-साथ अन्य भाषा को अपनाने का भाव समाहित है, लेकिन अपनी भाषा के परित्याग करने की लागत पर नहीं। भारत के किसी भी एक कोने का विशिष्ट भाषा-भाषी जब देश के किसी अन्य भाषायी समाज में जाकर बसता है तो सांस्कृतिक एवं पारिवारिक सहिष्णुता के फलस्वरूप उस पर अपनी मूल भाषा को त्याग देने, छोड़ देने या फिर भूला देने जैसा किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। बल्कि, वह तो अपने बसने वाले क्षेत्र की भाषा को आत्मसात करते हुए उसे सहज-स्वाभाविक रूप से सीखकर द्विभाषी हो जाता है। इस 'भाषायी सहिष्णुता' के प्रमाण-स्वरूप हिंदी साहित्य में जगत में अनेक दक्षिण भारतीय साहित्यकारों के प्रति आदर-सम्मान पाने वाले और दक्षिण भारतीय भाषाओं में रचना-कर्म कर प्रतिष्ठा पाने वाले हिंदी या आर्य भाषा-परिवार से संबंधित आधुनिक भारतीय भाषाओं के अनगिनत साहित्यकारों का उल्लेख किया जा सकता है।

भारत में परिव्याप्त भाषायी सहिष्णुता के परिणामस्वरूप हमें अखिल भारत में एक संपर्क भाषा की स्वीकृति का भाव नजर आता है। आज हिंदी पूरे देश में संपर्क भाषा की जो सार्थक भूमिका निभा रही है और अखिल भारतीय समाज हिंदी की इस स्थिति को स्वीकार कर सहज-स्वाभाविक रूप से व्यवहार में ला रहा है, उसके मूल में भाषायी सहिष्णुता परिलक्षित की जा सकती है। वास्तविकता यह है कि व्यावहारिक तौर पर आसानी से समझी जा सकने वाली भाषा के तौर पर और पूरे भारतीयों को स्वाधीनता के आंदोलन में एकजुट बनाने में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद से लेकर आज तक हिंदी, देश में संपर्क भाषा का दायित्व निभा रही है।

(3) आधुनिक भारतीय भाषाओं के आविर्भाव और विकास के संदर्भ में : तमिल और उर्दू को छोड़कर अन्य अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं का आविर्भाव 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच हुआ माना जाता है। जहाँ तक तमिल भाषा का संबंध है, इसे संस्कृत की भाँति ही प्राचीन भाषा माना जाता है। बल्कि कतिपय विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि यह संस्कृत से भी अधिक पुरानी है, क्योंकि संस्कृत के प्राचीनतम रूप ऋग्वैदिक संस्कृत में द्रविड़ मूल के कई शब्द मिलते हैं। अगर हम तमिल में साहित्य रचना के संदर्भ में देखें तो 'संगम साहित्य' को तमिल का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य कहा जाता है, जिसका समय लगभग 500 ई.पू. से 200 ई.पू. का माना जाता है। 'संगम साहित्य' के बाद के तमिल साहित्य में नए युग का सूत्रपात छठी शताब्दी के बाद हुआ और जहाँ तक उर्दू का संबंध है, इसका आरंभ 15वीं शताब्दी में हुआ, हालाँकि कुछ लोग इसकी शुरुआत तेरहवीं-चैदहवीं सदी के बाबा फरीद, वली, अब्दुल हमीद, नागोरी और अमीर खुसरो की रचनाओं से स्वीकार करते हैं। इनके अलावा, गेसुदराज, शाह मीरॉनजी, बुरहानुद्दीन जानम और शाहमीनुद्दीन आला, रुसतमी नुसरती, हाशिमी, सौएवासी, मुल्ला वजही, सिराज आदि भी उर्दू

के आरंभिक लेखक हैं।

उर्दू और तमिल के अलावा, अन्य भारतीय भारतीय भाषाओं के साहित्य पर विचार करने पर हमें यह पता चलता है कि 'चर्यागीत' बांग्ला की आरंभिक रचनाएँ हैं। यह माना जाता है कि चर्यागीत दसवीं से बारहवीं शताब्दी के आसपास रचे गए होंगे। बांग्ला की भाँति, असमिया में भी चर्यापद से साहित्य रचना की शुरुआत होती है। हेम सरस्वती की 'प्रह्लाद चरित्र' को असमिया की सर्वप्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा, उनकी 'हरि-गौरी संवाद' तथा अन्य लेखकों की रचनाएँ तेरहवीं सदी की हैं। 14वीं सदी के माधव कंदली ने 'रामायण' का रूपांतरण कर असमिया साहित्य को गतिमान बनाया। उड़िया भाषा और साहित्य का विकास भी हमें बांग्ला की भाँति चर्यागीतों में मिलता है। उड़िया में व्यंग्यात्मक काव्य और लोकगीत तेरहवीं शताब्दी के माने जाते हैं। चौदहवीं शताब्दी में तो सारलादास का आविर्भाव हो जाता है जिन्हें 'ओडिया का व्यास' कहा जाता है। सारलादास ने 'महाभारत', 'विलंका रामायण' और 'चंडीपुराण' आदि की रचना की।

हिंदी में ग्यारहवीं सदी से व्यवस्थित साहित्य मौजूद है। हालाँकि हिंदी में साहित्य रचना और इसके प्रथम कवि होने का श्रेय देने आदि पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इस संदर्भ में सिद्धों-नाथों और जैनियों द्वारा रचित साहित्य और वीरगाथाकालीन साहित्य में नरपति नाल्ह का 'बीसलदेव रासो', चंदबरदाई का 'पृथ्वीराज रासो', जगनिक का 'परमाल रासो', दलपति विजय का 'खुमान रासो', विद्यापति का 'कीर्तिलता', 'कीर्तिपताका'; और 'पदावली' आदि विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। पंजाबी में भी ग्यारहवीं सदी से व्यवस्थित साहित्य मौजूद है। शेख फरीद, पंजाबी में साहित्य रचना करने वाले पहले कवि हैं। इसके अलावा, पंजाबी के सूफी कवियों में वारिस शाह, बुल्ले शाह और सिहरफी आदि का नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। गुजराती के शालिभद्र भारतेश्वर का रचनाकाल भी बारहवीं शताब्दी (1185 ई.) है। उन्होंने 'भरतेश्वर बाहुबली रास' की रचना की थी। उनकी इस रचना को कतिपय विद्वान गुजराती के अलावा हिंदी और राजस्थानी का प्रथम काव्य तक कह देते हैं। मराठी में बारहवीं सदी से साहित्य की शुरुआत होती है। मुकुंद राज (1128-1198 ई.) को मराठी का आदि कवि माना जाता है जिनका प्रधान ग्रंथ 'विवेक सिंधु' है। संत ज्ञानेश्वर को मराठी साहित्य का जनक और निर्माता स्वीकार किया जाता है। उन्होंने 'ज्ञानेश्वरी' और 'अमृतानुभव' की रचनाएँ कीं।

दक्षिण में तेलुगु साहित्य का आविर्भाव भी ग्यारहवीं सदी में ही होता है। नन्नय, तेलुगु साहित्य के प्राचीनतम ज्ञात कवि हैं। इस भाषा में साहित्य लेखन की शुरुआत अनुवाद से होती है। हालाँकि तेलुगु में नन्नय ने 'महाभारत' का अनुवाद शुरू किया था और उनकी मृत्यु के बाद तिक्कना और एर्राना ने इसे पूरा किया था। नन्नय का 'महाभारत' तेलुगु का आदिग्रंथ है। तेलुगु में ही गोन बुद्धा रेड्डी ने 'रंगनाथ रामायण' की रचना की थी। वहीं, 9वीं शताब्दी के पूर्व कन्नड़ में कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं होता है। कन्नड़ का प्राचीनतम ग्रंथ 'कविराजमार्ग' 9वीं सदी का है, जिसकी रचना राष्ट्रकूट वंश के नरेश नृपतुंग (814-877 ई.) ने की थी। वहीं, प्राचीन तमिल भाषा की शाखा मलयालम ने 9वीं सदी के आसपास अपनी पृथक पहचान बना ली थी। मलयालम में 13वीं सदी में साहित्य रचना की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम रामवीर वर्मा ने अपने प्रबंध काव्य 'रामचरितम्' की रचना भी लगभग 13वीं सदी में की थी।

(4) भाषा विकास के विभिन्न चरणों के संदर्भ में अंतर्संबंध : अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं का आविर्भाव 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच हुआ और यह आज तक जारी है। उदाहरण के लिए अगर हम हिंदी भाषा के विकास पर ही नजर दौड़ाएँ तो यह पाते हैं कि 1000 ई. के आसपास का समय लगभग अपभ्रंश-युग की समाप्ति का है। 1000 ई. से हिंदी के बीजांकुर प्रस्फुटित होने लग जाते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का

भी यही काल रहा जो सत्रहवीं सदी के मध्य तक का माना जाता है। लेकिन यहाँ यह संकेत करना भी अनुचित न होगा कि विकास के ओर की यह उन्मुखता कुछ भिन्न रूप वाली रही है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सत्रहवीं सदी के मध्य तक का समय भारत में मुगल शासनकाल का था और उसके बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई थी। उसके पश्चात औपनिवेशिक शासन के अंत ने भाषाओं के विकास को एक भिन्न आयाम प्रदान किया। इस तरह कहा जा सकता है कि विकास के चरणों की दृष्टि से भारतीय भाषाओं और उनमें रचित अधिकांश साहित्यों का विकास क्रम लगभग एक समान है। इस तरह, हम प्रायः सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की विकास-यात्रा के इतिहास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करके देख सकते हैं :

(क) आदिकाल (दसवीं सदी से पंद्रहवीं सदी तक)

(ख) मध्यकाल (पंद्रहवीं सदी से सत्रहवीं सदी के मध्य तक)

(ग) आधुनिक काल (सत्रहवीं सदी के मध्य से अब तक)

(i) औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान विकास
(ii) भूमंडलीकरण-पर्यंत विकास (1947 से 1990 तक)
(iii) भूमंडलीकरण के दौर में विकास (1990 से अब तक)

(5) भाषिक घटकों के संदर्भ में भारतीय भाषाओं में अंतर्संबंधों के सूत्र : भाषावैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह स्वीकार्य है कि भारत की विभिन्न बोलियों-भाषाओं कमोबेश व्याकरणपरक, ध्वनिपरक, रूपपरक और अर्थपरक स्तर पर समानता के आयाम प्राप्त हैं। भिन्न भारतीय भाषा परिवारों से संबंधित विभिन्न भारतीय भाषाओं की अपनी-अपनी ध्वनियाँ तो हैं किंतु उनकी ध्वन्यात्मक व्यवस्था में समानता देखी जा सकती है। जैसे, आर्यभाषा परिवार की आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं तथा द्रविड़ परिवार की भाषाओं का वर्णमाला क्रम एक समान है - स्वर के स्तर पर 'अ' से लेकर 'अः' तक; और व्यंजनों के स्तर पर 'क' से लेकर 'ह' तक।

हालाँकि यह सही है कि द्रविड़ परिवार की भाषा तमिल में वर्णमाला का क्रम देवनागरी से पूरी तरह से भिन्न है, परंतु दोनों भाषाओं की वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम हिंदी के समान है। हिंदी स्वर वर्णमाला में ह्रस्व और दीर्घ के क्रम की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की वर्णमाला में भी इसी प्रकार के क्रम की व्यवस्था पाई जाती है, जबकि भारोपीय परिवार की यूरोपीय भाषाओं में स्वर वर्णमाला में यह क्रम नजर नहीं आता है।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में व्यंजनों की क्रम-व्यवस्था वैज्ञानिक है। इसके अलावा, व्यंजनों के कंठ (गले) से लेकर ओंठ तक के बीच के उच्चारण स्थानों से उच्चरित व्यंजनों में भी एक समुचित क्रम-व्यवस्था पाई जाती है। 'क' वर्ग, 'च' वर्ग और 'प' वर्ग के स्तर पर यह क्रम-व्यवस्था विशेष तौर पर देखी जा सकती है। इस वैज्ञानिक व्यंजन क्रम व्यवस्था के कारण हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में साम्य नजर आता है।

विभिन्न भारतीय भाषा परिवारों से संबंधित अलग - अलग भारतीय भाषाओं की अपनी-अपनी ध्वनियाँ हैं, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में आ गई हैं। उदाहरण के लिए, द्रविड़ भाषाओं की 'ट' वर्ग वाली मूर्धन्य ध्वनियाँ (ट, ठ, ड और ढ) संस्कृत एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं में आ गई हैं। संस्कृत भाषा में उनका व्यवहार द्रविड़ भाषाओं के प्रभाव से होने लगा था। इसलिए आर्य भाषाओं को ये ध्वनियाँ, द्रविड़ों की देन माना जाता है।

हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में शब्द के स्तर पर भी समानता नजर आती है। उदाहरण के लिए, अगर हम हिंदी भाषा के शब्द समूह पर ही विचार करें तो यह पाते हैं कि यह प्रमुख रूप से भारतीय भाषा शब्द समूह है। हिंदी में अनेक शब्द अपने तत्सम रूप में सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं और कई शब्द तद्भव रूप में। इसी प्रकार, 'लोटा', 'झगड़ा', 'लड़का', 'पेड़' और 'कुत्ता' आदि देशज शब्द भी हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में इनमें से कुछ शब्द तो समान अर्थ का बोध कराते हैं, जबकि कुछ भिन्नार्थी हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत का 'उत्थान' शब्द हिंदी, असमिया, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला और सिंधी आदि भाषाओं में भी प्रयुक्त होता है। वैसे, तमिल में यह शब्द 'उत्तानम', तेलुगु में 'उत्पानामु' और मलयालम में 'उत्तानम' के रूप में प्रयुक्त होता है। जबकि संस्कृत मूल के कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अलग-अलग भारतीय भाषाओं में भिन्नार्थी हैं। जैसे, द्रविड़ परिवार की भाषाओं - विशेष तौर पर तमिल और मलयालम में 'कल्याणम्' शब्द 'विवाह' के अर्थ में प्रयक्त होता है जबकि हिंदी या पंजाबी भाषाओं में यह शब्द 'भलाई' अथवा 'मंगल' के अर्थ में। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अगर संस्कृत के आधार पर विभिन्न भारतीय भाषाओं की शब्दावली का अध्ययन-विवेचन किया जाए तो लगभग सभी भाषाओं में यह किंचित परिवर्तन वाली समान शब्दावली प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए, हिंदी का 'कंगन' मराठी में 'कांकण', बांग्ला, ओडिया और कन्नड़ में 'कंकण', मलयालम में 'कंकणम्', तेलुगु में 'कंकणमु', पंजाबी में 'कंगण', सिंधी में 'कंगणु' और गुजराती में 'कंकण/कंगड़ी' है। उर्दू में तो यह यथावत ही है। इसी प्रकार, भारतीय भाषाओं में आगत शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। जैसे, हिंदी ने बांग्ला भाषा के 'उपन्यास', 'गल्प', 'धन्यवाद' आदि शब्द लिए तो मराठी से 'वाङ्मय', 'प्रगति', 'लागू'; गुजराती से 'हड़ताल'; और पंजाबी से 'छोले', 'भठूरे' आदि शब्द।

भारतीय भाषाओं में वाक्य संरचना के स्तर पर भी समानता को परिलक्षित किया जा सकता है। विभिन्न भाषाओं में पदक्रम व्यवस्था अलग-अलग होती है। यह स्थिति विशेष तौर विषम स्रोतीय भाषाओं के संदर्भ में स्पष्ट रूप से नजर आती है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी भाषा के वाक्य में पदक्रम कर्ता, क्रिया और कर्म के अनुसार होता है जबकि हिंदी भाषा में यह क्रम-व्यवस्था कर्ता, कर्म और क्रिया का अनुक्रम लिए हुए होती है। वहीं अगर हम जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनी और अंग्रेजी आदि समस्रोतीय भाषाओं के वाक्यों की क्रम-व्यवस्था को देखें तो उनमें इस स्तर पर समानता नजर आएगी। लेकिन, इसे हिंदी भाषा की विलक्षणता ही कहा जाएगा कि इसकी पदक्रम व्यवस्था अपने भाषा-परिवार की यूरोपीय भाषाओं से भिन्नता लिए हुए है और भारतीय भाषाओं के समान है। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी भाषा की वाक्य रचना में क्रम व्यवस्था भारतीय आर्य शाखा की भाषाओं, द्रविड़ भाषाओं और ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार की भाषाओं के समान है।

भारतीय भाषाओं में लिपि के स्तर पर समानता के आयाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। फारसी लिपि आधारित कश्मीरी, सिंधी और उर्दू को छोड़कर नौ लिपियों में भारतीय भाषाओं को लिखा जाता है। ये सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से उद्भूत हैं। इसलिए इनमें वर्णों के लेखन के स्तर पर समानता दिखाई देती है। इसके अलावा, लेखन प्रवृत्ति भी एक जैसी है अर्थात बाएँ से दाएँ लिखना। हिंदी, मराठी तथा संस्कृत की लिपि देवनागरी है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी एवं बांग्ला भाषाओं की लिपियाँ अलग-अलग हैं। विभिन्न भाषाओं की अलग-अलग लिपियाँ होने के बावजूद भारतीय साहित्य की आत्मा 'भारतीय' ही है और भारतीय साहित्य में व्याप्त यही 'भारतीय' आत्मा ही भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है।

निष्कर्ष

भौगोलिक इकाई के रूप में नजर आने वाले भारत में भाषा व्यवहार के स्तर पर विविधता के परिदृश्य के बावजूद एकता और समन्वय का अद्भुत निदर्शन होता है, जो भारतीय संस्कृति को मिली-जुली संस्कृति अर्थात 'सामासिक संस्कृति' का प्रतिनिधि बना देता है। यूरोप के अनेक देशों में भाषा-परिवारों के स्तर पर विविधता अधिक है, जबकि कई एशियाई देशों की भाषाएँ भारतीय भाषा परिवारों से मिलती-जुलती हैं। वहीं, दीर्घकाल तक एक-साथ रहने के कारण विभिन्न भारतीय भाषा परिवारों में कुछ सामान्य विशेषताएँ विकसित हो चुकी हैं। चार भाषा-परिवारों से संबंधित आधुनिक भारतीय भाषाओं के आविर्भाव का काल लगभग एक समान है, जो 9वीं शताब्दी से शुरू होकर 13वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। विचार और संवदेना के धरातल पर प्रवाहित साहित्यिक धाराओं की समांतरता और एकरूपता के आधार पर इन भाषाओं की विकास यात्रा के इतिहास को कमोबेश एक समान चरणों में विभाजित करके देखा जाता है। भाषायी सहिष्णुता का आधार लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की यह अद्वितीयता भाषा-परिवारों से परस्पर संबद्धता से भी आलोकित है। भाषा वैज्ञानिक आधार स्पष्ट करता है कि भारत की विभिन्न भाषाओं को व्याकरण, ध्वनि, रूप और अर्थ के स्तर पर कमोबेश साम्यता के आयाम प्राप्त हैं। कुल मिलाकर, यदि गहराई से विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि यहाँ की भाषाई विविधता के तंतु, राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का ताना-बाना बुनते हैं। एकता की दृष्टि से विविध भारतीय भाषाएँ निकटता का आयाम लिए हुए हैं। विचार और संवेदना के अवलंब पर निर्मित यहाँ की भाषायी एकता को समझने के लिए विभिन्न भाषा-परिवारों में परिगणित हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच अंतर्संबंधों को इन संदर्भों में गहराई से समझने की आवश्यकता है।

आर्यभाषा से प्रस्फुटित होती हिंदी की अविचल धारा

- भारती
प्रबंधक (राजभाषा)
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय

"वयक्ता वाचि वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः"

अथार्त् 'जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं-पतंजलि' । भाषा मानव जाति का अस्तित्व है। भाषा के बिना विचारों की अभिव्यक्ति शून्य अथवा निर्जीव समान है। भाषा शब्द संस्कृत धातु भाष से निष्पन्न है। जिसका अर्थ है भाषा व्यक्तायां वाचि अर्थात् वाणी। भविष्यते व्यक्तवाण् रुपेण अभिव्यज्यते इति भाषा अर्थात् भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है।

जिस प्रकार एक मूक व्यक्ति संकेतों से यह तो बता सकता हैं कि आम मीठा है, किंतु भाषा के अभाव में मिठास की तीव्रता को भावों में केवल वाणी ही शब्दों के प्रयोग से व्यक्त कर सकती है। भाषा के संबंध में भाषा शास्त्रियों द्वारा विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैः

"भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है।-कामता प्रसाद गुरु

प्रत्येक मनुष्य के मन हृदय में किसी वस्तु-घटना के संबंध में कुछ विचारों की ध्वन्यांतमक स्फुटी होती है, वही भाषा है। भाषा ध्वनि समूहों की एक क्रमबद्ध इकाई है जिसके अपने नियम होते हैं जो भाषा को दुरुह होने से सुरक्षित रखते हैं। भाषा नियमों के अभाव में भाषा के अस्पष्ट तथा अनर्थक होने की स्थिति उत्पन्न होती है।"ध्वन्यात्मकता शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है-हैनरी स्वीट"।

"मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्याकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है-ओत्तो येस्पर्सन"।

मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य की अपनी एक भाषा थी। चाहे वह भाषा का प्रतीकात्मक रूप ही क्यों न हो। प्रागैतिहासिक काल का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि उस समय की सभ्यताएं संपर्क के लिए जिन भाषाओं का प्रयोग करती थी, वे प्रतीक एवं चिह्नों के रूप में विद्यमान थी जिसके माध्यम से वे अपने विचारों का आदान-प्रदान करते थे। अजंता एवं ऐलोरा की गुफाओं या फिर मिस्र के पिरामिडों पर उकेरे गए प्रतीक चिह्न इसका प्रमाण है। ऐसा कहा जा सकता है कि प्रत्येक मानव सभ्यता की अपनी एक भाषा अथवा भाषिक चिह्न होंगे। इतिहास की दृष्टि से यदि

भारतीय भाषाओं पर दृष्टिपात किया जाए तो हजारों वर्षों पूर्व भाषा का जो रूप प्रचलित था, वह और अधिक परिष्कृत होकर आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है और उनमें भी शास्त्रीय भाषाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा रही जो अपनी विकास यात्रा में सबसे अधिक प्राचीन तथा ऐतिहासिक जान पड़ेगी। हिंदी भाषा को स्थापित करने में कई संघर्षों का दौर चला और यह संघर्ष आज भी अविच्छिन्न रूप से जारी है।

विश्व में प्रचलित लगभग तीन हजार भाषाओं को शब्द समूह एवं व्याकरणिक संरचना की समानता के आधार पर भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। भाषा परिवार की संख्या को लेकर प्रायः मतभेद है किंतु भाषाविदों के अनुसार चार भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत अट्ठारह भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। भारतीय भाषाएं भौगोलिक रूप से यूरेशिया के भाषा परिवारों के अंतर्गत भारोपीय तथा द्राविड़(कुछ दक्षिण भारतीय) परिवार में सम्मिलित है। 'भारोपीय भाषा परिवार' को 'इण्डो-जर्मनिक', 'आर्य परिवार', 'भारत-हित्ती-परिवार' के नाम से भी जाना जाता है।

भारतीय आर्य भाषा ने लगभग 2000 ई॰पूर्व 'वैदिक संस्कृत' का रूप लिया। वैदिक संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा का मूल रूप है। वैदिक संस्कृत में 'संहिता', 'ब्राह्मण' एवं 'उपनिषदों' की रचना हुई है। विद्वानों के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी गई है जिनमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन हैं। "डॉ. हरदेव बाहरी ने स्वरों की 14 संख्या मानी है"। वैदिक भाषा में तीन लिंग यथा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग तथा तीन वचन यथा एक वचन, द्विवचन एवं बहु वचन थे। क्रियाएं दस गणों में विभक्त थी। संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत जिसका विवेचन पाणिनी के अष्टाध्यायों में किया गया है। लौकिक संस्कृति में 48 ध्वनियां ही शेष थी। 500 ई.पू. तक ये भाषा अत्यंत दुरूह एवं नियमों में जकड़ी हुई थी जिस कारण यह सामान्य जन से दूर होती चली गई। इसके अतिरिक्त भारतीय जातीय व्यवस्था तथा संरचना के कारण शिक्षितों की भाषा के रूप में संकुचित हो गई, जिसका उपयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित हो गया। ऐसे में सामान्य जन की भाषा के रूप में 'पालि-प्राकृत' भाषाओं का उदय हुआ। "अतिशय नियमबद्धता के कारण संस्कृत का प्रचलन कम होने लगा, परंतु तत्कालीन जन सामान्य की भाषा निरंतर विकसित होती रही। बौद्ध और जैन धर्म की क्रांतियों के फलस्वरूप जनभाषा को पुनः विकास का अवसर मिला। संस्कृत की अपेक्षा परवर्ती युग में पालि तथा नाना प्राकृतों एवं अपभ्रंशों में साहित्य रचा जाने लगा-डॉ. केशव दृता रूवाली"। पालि भाषा में त्रिपिटकों की रचना हुई। ये त्रिपटक हैं-'सुत पिटक', 'विनय पिटक' एवं 'अभिधम्म पिटक'। "पाली भारत की प्रथम देशभाषा है-हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, पृ.10"। पाली को ही शिलालेखी प्राकृत कहा जाता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसे शिलालेखी प्राकृत की संज्ञा दी जाती है।

मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार - प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है'। जबकि दूसरे मत के अनुसार 'प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानते हैं। प्राकृत अथवा द्वितीय प्राकृत को साहित्यक प्राकृत भी कहा जाता है'। इसके विषय में भरतमुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में विवेचन किया गया है। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत के व्याकरण की रचना 'प्राकृतप्रकाश' में की है। इन्होंने प्राकृत के चार भेद बताए हैं-'महाराष्ट्री', 'पैशाची','मागधी' और 'शौरसेनी'। महाराष्ट्री को प्राकृत वैयाकरणों के आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। शौरसेनी प्राकृत मूलतः मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्यदेश की भाषा होने के कारण शौरसेनी का बहुत आदर था। शौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। पैशाची प्राकृत को पैशाचिकी, पैशाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूतवचन आदि नामों से संबोधित किया गया। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा थी।

अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी थी। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रत्येक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के लिए अपभ्रंश की संभावना की है। ऐसा मत है कि 500 ई. से 1000 ई. के मध्य कम से कम छह प्रकार की अपभ्रंश मौजूद थी। 'डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुसार अपभ्रंश भारतीय आर्यभाषा के विकास की एक स्थिति है'। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं शती तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा-जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी प्राकृत के बाद शौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्री प्राकृत के बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश का विकास हुआ। अतः ऐसा माना जा सकता है की इन्हीं भाषाओं के उद्गम के साथ ही हिंदी का उभार हुआ है। **शौरसेनी के अंतर्गत व्याप्त पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी अर्धमागधी के अंतर्गत व्याप्त पूर्वी हिंदी मागधी के अंतर्गत बिहारी के अंतर्गत आने वाली सत्रह बोलियों का समग्र रूप हिंदी है।**

हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं-"डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम ग्रंथ निशिथचूड़ी में मिलता है"। विभिन्न मतांतरों के अनुसार हिंदी शब्द फारसी है जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। 'सिंधु' शब्द का ईरानी में 'हिंदु' हो गया जो सिंधु नदी के किनारे बसे स्थानीय ईरानियों का क्षेत्र था। कालांतर में हिंदु शब्द में 'ई' बलाघात के कारण अन्त्य 'उ' का लोप हो गया तथा हिंदु का हिंदी निर्मित हुआ। हिंदी शब्द में विश्लेषार्थक प्रत्यय 'ईक' जोड़ने से 'हिंदीक' शब्द बना जिसका अर्थ है 'हिंदी का'। कालांतर में 'क' लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। भारत के फारसी कवि 'औफी' ने सर्वप्रथम 1228 ई. में 'हिंदवी' शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके देशी भाषाओं के लिए किया। मुस्लिम शासकों ने आरंभ में हिंद की भाषा को हिंदी कहा किंतु यह ज्ञात होने के पश्चात कि देश में हिंदी केवल एक भाषा में व्यवहार में नहीं है तो उन्होंने केवल मध्यदेश की भाषा को हिंदी कहना प्रारंभ कर दिया।

डॉ. धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार-13-14 वीं सदी में देशी भाषा को 'हिंदी या हिंदकी या हिंदुई' नाम प्रचलित करने में 'अमीर खुसरों' का नाम सबसे अधिक है, जबकि डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, अमीर खुसरो हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुस्लमानों की भाषा के रूप में करते हैं। 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रही थी तथा 19वीं सदी तक आते-आते मुसलमानों की भाषा ने 'रेख्ता" और उसके बाद 'उर्दू' का रूप ले लिया। हिंदी के विकास क्रम को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

आदिकाल के 1000 ई. को अपभ्रंश का अवसान तथा हिंदी का उत्थान युग कहा जा सकता है। पं. चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1000 ई. से 1500 ई. तक प्रचलित अपभ्रंश को 'पुरानी हिंदी' की संज्ञा दी है। 12वीं सदी में जैनाचार्य 'हेमचंद्र सूरि' ने 'सिद्ध हेमचंद्र' में शोरसैनी अपभ्रंश के जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं उनमें हिंदी का आदिरूप देखा जा सकता है-

भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि म्हारा कंतु।
लज्जेजं तु बयांरिअहु जई भग्गा घरु एंतु।

उक्त दोहे की भाषा में प्राचीन हिंदी के पुट दिखाई पड़ते हैं। ग्यारहवीं सदी से भारत पर मुसलमान शासकों के प्रभावस्वरूप हिंदी भाषा मे तुर्की, फारसी और अरबी शब्दों का समावेश होने लगा। 'अमीर खुसरों की मुकरियों और पहेलियों में हिंदी का यही मिश्रित रूप दृष्टिगत होता है, जिसे बाद में खड़ी बोली की संज्ञा दी गई है'।–

एक नारि ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया।

जों-जों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए।।

चारण कवियों द्वारा रासों तथा आल्हा के लिए भाषा के पिंगल तथा राजस्थानी मिश्रित डिंगल का प्रयोग हुआ जो पुरानी हिंदी के अधिक निकट थी।

बारह बरीस लै कूकर जीएं, और तेरह लै जिएं सियार।
बरसि अठारह छत्री जिएं, आगे जीवन को धिक्कर।।

अपभ्रंश से हिंदी में लगभग सभी ध्वनियॉं समाहित करने के साथ 'ड़' , 'ढ़' आदि ध्वनियां भी विकसित हो गयी थी। अपभ्रंश में 'ऐ' तथा 'औ' संयुक्त किंतु प्राचीन हिंदी में संस्कृत के 'ऐ', 'औ' पुनः प्रयोगशील हो गए। इसी प्रकार 'न्ह', 'म्ह', 'ल्ह' पूर्व में संयुक्त व्यंजन थे अब 'न','म','ह' महाप्राण हो गए। शब्द भंडार की दृष्टि से आदिकालीन हिंदी में तद्भव और बाद में तत्सम, देशी और अरबी-फारसी एवं तुर्की के शब्दों की पर्याप्तता होने लगी और परसर्गों के बढ़ते प्रयोग के साथ वाक्य विन्यास भी सुनिश्चित हुआ।

मध्यकाल अर्थात् 1500 ई. के बाद राजनीतिक सत्ता के मुगलों के पास स्थानांतरित होने के साथ ही उनकी भाषा यथा अरबी-फारसी का प्रभाव व्यापक बढ़ गया। शासन की भाषा फारसी होने के साथ उसका प्रचलन बढ़ने लगा तथा जनसामान्य में पुरानी हिंदी के साथ अवधी और ब्रज भाषा की प्रधानता रही किंतु तुलसीदास, कबीर,जायसी तथा सूर आदि ने अपने काव्य के रूप में अवधी और ब्रज भाषा को महत्ता प्रदान की तुलसी की अवधी संस्कृतनिष्ठ थी वहीं सूफी कवियों की अवधी में अरबी-फारसी शब्दों की बहुलता थी।

'तुम्ह पूँछहु मैं कहत डेराऊँ। धरेहु मोर घर फोरी नाऊँ।।- गोस्वामी तुलसीदास'
'मुहमद यहि कबु जोरि सुनावा। सुना जो पेम पीर भा पावा।-मलिक मुहम्मद जायसी'

शौरसेनी अपभ्रंश की जन्मभूमि में ब्रज भाषा का उदय हुआ। 1000 ई. के आसपार ब्रज भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव था। 12वीं से 13वी शती तक ब्रज का गेय पदों में प्रयोग आरंभ हो गया था किंतु परिनिष्ठित ब्रज को साहित्य में स्थापित करने का श्रेय सूरदास जी को प्राप्त है। किंतु रीतिकाल तक आते-आते यह केवल समांतों-चारणों की भाषा तक सीमित हो गयी। इस काल खंड में अवधी एवं ब्रज के मध्य हिंदी अपना रूप खोने लगी थी।

खड़ी बोली के रूप में हिंदी का विकास

1800 ई. के आस-पास अवधी और ब्रज की क्षीण होती प्रभावशीलता तथा सामान्य जन से दूर होने के कारण हुआ। इस काल में शासन सत्ता मुगलों से अंग्रेजो को स्थानांतरित होने लगी तथा ब्रज भाषा केवल पद्य की भाषा तक सीमित हो गयी। चूंकि अंग्रेजों ने जनसंपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी को स्वीकार करना आरंभ किया। 'प्रिंटिंग प्रेस' की स्थापना ने गद्य साहित्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। जिसके लिए 'खड़ीबोली' के रूप में हिंदी का प्रसार हुआ। 'दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मुज्फ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून के मैदानी भागों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप खड़ी बोली है'। खड़ीबोली के संबंध में **डॉ. धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि ब्रज भाषा की अपेक्षा यह खड़ी सी लगती है, कदाचित इसी कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ गया।**

10 जुलाई 1800 ई. में फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता की स्थापना जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा की गई। इनके द्वारा

भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया गया। ईस्ट ईडिया कंपनी के प्रशासकों को सिखाने के लिए उन्होंने व्याकरण एवं शब्दकोश की रचना भी की थी, किंतु इसकी लिपि देवनागरी थी। इसमें अरबी-फारसी के शब्द अधिक थे जोकि मूलतः हिंदुस्तानी भाषा थी। फोर्टविलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट द्वारा लल्लूजीलाल, सदल मिश्र को भाखामुंशी नियुक्त किया गया । खड़ी बोली का आदर्श प्रस्तुत करने हेतु लल्लूजीलाल ने **'प्रेमसागर'** तथा सदलमिश्र में **'नासिकेतोपख्यान'** की रचना की। **नासिकेतोपख्यान** की रचना हेतु ग्रिलक्राइस्ट द्वारा ऐसी रचना के आदेश दिए गए, जिनमें अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग न हुआ हो। जो दिल्ली, मेरठ-आगरा की खड़ी बोली से संबंध रखती हो।

पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिंदी को विकसित किया। हिंदी का पहला पत्र 'उदंत मार्तंड' 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ किंतु कुछ समय पश्चात यह प्रचलन से बाहर हो गया। भारतेंदु युग में पत्र-पत्रिकाओं ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिक निभायी। 1873 में' हरिश्चंद्र मैगजीन' के प्रकाशन के साथ खड़ीबोली का व्यावहारिक रूप लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र आए। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटकों, कहानियों निबंधों आदि रचनाओं से हिंदी को प्रफ्फुलित किया। किंतु इस समय के साहित्यकार अभी भी पद्य हेतु ब्रज जबकि गद्य हेतु खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे जिससे नवीन रचनाकारों एवं पाठकों में दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। साहित्यकार दो गुटों में बट गए। उनमें एक जो दोनों भाषाओं को साहित्य में बनाए रखने के पक्षधर थे जबकि एक वर्ग ऐसा था जो गद्य और पद्य दोंनों के लिए खड़ी बोली को स्वीकारने के पक्ष में था। भाषा की इस दुविधा को द्विवेदी युग में दूर किया जा सका। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य में परिनिष्ठित हिंदी के प्रयोग को बल दिया। द्विवेदी जी ने भाषा को समयानुरूप बदला। डॉ० नगेंद्र ठीक के अनुसार 'जयंद्रथ वध' की प्रसिद्धि ने ब्रज भाषा के मोह का वध कर दिया। 'भारत-भारती' की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय-भारती सिद्ध हुई ब्रज भाषा का वैभवशाली रुप धराशयी हुआ और खड़ीबोली ने विकास पाया। भाषा के बदलने से जो क्रांति हुई वह आगे हिंदी साहित्य में स्पष्ट है। छंदोबद्धता को त्यागकर भी कविता जन के और अधिक निकट हुई। इस समय खड़ी बोली का जो रूप प्राप्त हुआ, वही धीरे-धीरे अंततः हिंदी के रूप में अधिष्ठित हुआ। भारतेंदु युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔंध' खड़ी बोली ने खड़ी बोली को काव्य में स्थापित करने हेतु कड़ा संघर्ष किया और यह संघर्ष **'प्रिय प्रवास'** जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, के रूप में फलीभूत हुआ है।

"दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला।।
तरु शिखा पर थी अब राजती। कमलिनी कुल-वल्लभ की प्रभा।।"

हिंदी साहित्य की दृष्टि से तेलुगु, तमिल, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएँ बेशक हिंदी से आगे थीं, परंतु बोलने वालों के लिहाज से हिन्दुस्तानी सबसे आगे थी। सन् 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने हिन्दुस्तानी की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि 'यही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए'। सन् 1900 से लेकर 1950 तक हिंदी के अनेक रचनाकारों ने इसके विकास में योगदान दिया'। इनमें प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, सुमित्रानन्दन पन्त, महादेवी वर्मा आदि प्रमुख कहे जा सकते हैं। इन लेखकों-कवियों ने हिंदी के साहित्य को विश्व साहित्य के समकक्ष खड़ा कर दिया। हिंदी को साहित्यकारों द्वारा खड़ी बोली हिंदी को स्वीकारने के साथ-साथ खड़ी बोली समग्र रूप से हिंदी भाषा के रूप स्थापित हो चुकी थी। जिसकी लिपि देवनागरी तो थी ही, किंतु इसमें भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों का समावेश होता चला गया। इसीलिए प्रायः कहा जाता है कि हिंदी का हृदय बेहद विशाल है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ही एक ऐसी भाषा के रूप में सामने आई जिसने संपूर्ण राष्ट्र में क्रांति का आह्वान किया जो साहित्यकारों की भाषा में साफ झलकती थी। द्विवेदी युग के साथ-साथ छायावादी कवियों में राष्ट्रभक्ति की यह भावना उनके काव्य में सरस प्रवाहित

होती है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने "भारत-भारती" में देशप्रेम की भावना को सर्वोपरि मानते हुए आव्हान किया-

"जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, नर-पशु निरा है और मृतक समान है।।"

इसके अतिरिक्त बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के 'विप्लव गान' में इसी प्रकार की हुंकार भरी गयी है।

"कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये,
एक हिलोर इधर से आये, एक हिलोर उधर को जाये,
नाश ! नाश! हाँ महानाश! ! ! की
प्रलयंकारी आंख खुल जाये।"

महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था 'कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है; यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सम्पर्क माध्यम के रूंप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है'। 15 अगस्त, 1947 भारत का ऐतिहासिक दिन था जब गुलामी की जंजीरे तोड़ती हुई भारतीय संस्कृति आगे बढ़ी। स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर बाबू गुलाबराय का कथन समीचीन है - "15 अगस्त का शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक महत्व है। आज ही हमारी सघन कलुष-कालिमामयी दासता की लौह श्रृंखला टूटी थीं। आज ही स्वतंत्रता के नवोज्ज्वल प्रभात के दर्शन हुए थे। आज ही दिल्ली के लाल किले पर पहली बार यूनियन जैक के स्थान पर सत्य और अहिंसा का प्रतीक तिरंगा झंडा स्वतंत्रता की हवा के झौंकों से लहराया था। आज ही हमारे नेताओं के चिरसंचित स्वप्न चरितार्थ हुए थे। आज ही युगों के पश्चात् शंख-ध्वनि के साथ जयघोष और पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष हुआ था।"

आजादी के लड़ाई की संघर्षपूर्ण दौर में हिंदी या हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो प्राप्त हो चुका था, अब उसे राजभाषा का दर्जा दिए जाने की जरूरत थी। अब समय था स्वंय को अंग्रेजी जकड़न से पूर्णतः तोड़ देना। जिसमें भाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में स्वतंत्र भारत की भाषा के रूप में भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में हिंदी को भारतीयों ने राष्ट्रभाषा के रूप में तो स्वीकार कर लिया था किंतु प्रशासन या काम-काज की भाषा को स्वीकारना शेष था। संविधान सभा के निर्माण के साथ ही राजभाषा संबंधी बहस का आरंभ हुआ किंतु एक स्वर में सभी ने 14 सितंबर, 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। 14 सितम्बर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद जब संविधान का भाषा संबंधी तत्कालीन भाग 14 क और वर्तमान भाग 17, संविधान का भाग बन गया

उपसंहार -

हिंदी भारत की स्वयं सिद्ध भाषा है। वर्तमान में हिंदी की व्यापक लोकप्रियता और इसे संप्रेषण के माध्यम के रूप में मिली आम स्वीकृति किसी संवैधानिक प्रावधान या किसी सरकारी दबाव का परिणाम नहीं है। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को प्राण वायु देने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का इतिहास इस तथ्य को पुष्ट करता है कि हिंदी को सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहचान दिलाने में डॉ॰ श्यामसुंदर दास, पंडित मदन मोहन मालवीय, राजा

शिवप्रसाद सितारे 'हिन्द', राजा लक्ष्मण सिंह, राजा रामपाल सिंह, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी, दयानन्द सरस्वती सहित विदेशी विद्वानों फ्रेडरिक पिंकाट, फादर कामिल बुल्के, विलियम केरे, जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन,जॉन गिलक्राइस्ट आदि हिंदी समर्थकों का सहयोग रहा, जिनका सहयोग, समर्थन पाकर हिंदी भाषा ने संघर्ष का लंबा मार्ग तय किया। हिंदी उत्तर भारत की भाषा थी। हिंदी भारतीय संस्कृति की एकता को शक्ति प्रदान करने वाली वह कड़ी है, जिससे अतीत में अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय विद्वान भी जुड़े थे और अंग्रेजी त्याग कर पूर्ण रूपेण भारतीय रंग में रंग गए। हिंदी भाषा सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता के लिए संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम करती है। किसी भी समाज का निर्माण व्यक्तियों के भावनात्मक लगाव पर निर्भर करता है। भाषा अभिव्यक्ति का आधार होती है। सरल प्रकृति और ग्राह्य शक्ति अर्थात्दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण और स्वीकार करने की हिंदी भाषा की क्षमता ने उसे विश्व में सबसे अधिक प्रचलित बनाया है। कई कठिन मार्गों से गुजरती हुई तथा स्वयं में सभी भाषाओं को समेटती हुई, आज हिंदी नवीन रूप में हमारे समकक्ष खड़ी है तथा आगे भी इसकी यह अनवरत यात्रा चलती रहेगी एवं अन्य भाषाओं को स्वीकर करने के अपने मूल स्वरूप में प्रवाहित होती रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ-

1. हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास (गोविंद पाण्डेय एवं सरस्वती पाण्डेय)
2. भारत के प्राचीन भाषा - परिवार और हिंदी (रामविलास शर्मा)
3. हिंदी साहित्य का इतिहास (आचार्य रामचंद्र शुक्ल)
4. हिंदी का वैश्विक परिदृश्य (डॉ. मंजू रानी, मानसरोवर प्रकाशन)
5. हिंदी भाषा (डॉ. भोलानाथ तिवारी)
6. हिंदी की दशा और दिशा (डॉ. सुधेश)
7. भारत आज़ादी और संस्कृति
8. भाषा सहोदरी हिंदी (ऑनलाइन पत्रिका)
9. सहचर (त्रैमासिक हिंदी पत्रिका)
10. विकिपीडीया (ऑनलाइन मंच)

सरकार और न्यायपालिका के जनभाषा में न्याय की ओर बढ़ते कदम

- डॉ. मोतीलाल गुप्ता 'आदित्य'
पूर्व उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय
राजभाषा विभाग

जब हम जनतंत्र की बात करते हैं तो यह भी अपेक्षा की जाती है कि जनता के सभी कार्य, शासन- प्रशासन, न्याय, शिक्षा और रोजगार आदि जनता की भाषा में हों। इसी को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्यों में राज्यों की भाषा अथवा भाषाओं के प्रयोग का उपबंध किया गया। संविधान के इन्हीं उपबंधों के अंतर्गत संघ के कार्यालयों में संघ की राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। इसके परिणाम स्वरूप न्याय के क्षेत्र में संघ और राज्यों की भाषाओं को समुचित स्थान नहीं मिला।

स्वतंत्रता के समय से ही यह माँग उठती रही है कि विश्व के अन्य प्रभुसत्तासंपन्न लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी देश की जनता को उसकी भाषा में न्याय दिया जाए। न्याय प्रणाली के संबंध में तो यही बात न्याय संगत है कि जनता को उसकी भाषा में न्याय मिले, जिसे वह ठीक से समझ सके, जिसमें वह ठीक से अपनी बात रख सके। जब कभी किसी कानूनी कागज पर हस्ताक्षर करने हों तो वह उसे समझ कर उस पर हस्ताक्षर कर सकें।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, "इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है कि मुझे अपने देश में इंसाफ पाने के लिए भी अंग्रेजी की मदद लेनी पड़े।" लेकिन स्वतंत्रता के लंबे समय बाद भी गांधीजी की भावनाओं के प्रतिकूल न्यायपालिका में अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा। भारत का संविधान लागू होने के पश्चात से ही समय-समय पर समाज के विभिन्न तबकों से लगातार यह मांग उठती रही है कि निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में भी भारतीय भाषाओं में न्याय का प्रावधान किया जाए। लेकिन यह कहना अनुचित न होगा कि जनतंत्र और जन-अपेक्षाओं के बावजूद इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो सकी। भारत की विधि एवं न्याय-प्रणाली में उस भाषा, यानी अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा, जो सामान्यत: भारत के नागरिकों की मातृभाषा नहीं है। हो सकता है कि भारत जैसे कुछ पुराने औपनिवेशिक देशों में कुछ हद तक उस भाषा का प्रयोग होता हो, जिन देशों के वे कभी वे गुलाम रहे हों और उनकी अपनी कोई विकसित भाषा न हो। अन्यथा विश्व के सभी प्रभुसत्तासंपन्न लोकतांत्रिक देशों में विधि और न्याय की भाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा या जनभाषा ही होती है।

संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रखी गई है। अन्य निचले न्यायालयों में राज्य द्वारा जनभाषा में न्याय के उपबंध किए जा सकते हैं, और इस प्रकार के उपबंध किए भी गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत की राजधानी दिल्ली सहित आज भी देश के अनेक राज्यों में सभी स्तरों पर अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। जिन उच्च न्यायलयों में और निचली अदालतों में भारतीय भाषाओं के प्रयोग की व्यवस्था है, उसके बावजूद न्यायपालिका में अधिवक्ताओं से लेकर न्यायमूर्ति भारतीय भाषाओं से मुंह मोड़ते दिखते हैं। जो अधिवक्ता या याचिकाकर्ता अपनी भाषा में न्याय पाने के प्रयास करते भी हैं तो उन्हें अक्सर हताशा हाथ लगती है।

हालांकि संविधान में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में भारतीय भाषाओं में न्याय के उपबंध हैं। संविधान के अनुच्छेद 348(2) में उपबंध है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। राजभाषा अधिनियम, 1963 में इसी बात को दोहराया गया है और धारा 7 के तहत उपबंध किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। इन उपबंधों के अंतर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों के उच्च न्यायालयों में कार्यवाहियों के साथ-साथ निर्णयों, आदेशों या आदेशों में भी हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया है। उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा के प्रयोग के संबंध में संसद द्वारा अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है। अतः उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होती हैं।

भारत के 18वें विधि आयोग ने "भारत के उच्चतम न्यायालय में अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी की शुरुआत करने की अव्यवहार्यता" (2008) पर अपनी 216वीं रिपोर्ट में सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरांत, अन्य बातों के साथ-साथ सिफ़ारिश की गई है कि उच्चतम न्यायपालिका पर वर्तमान सामाजिक संदर्भ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वह प्रेरक स्वरूप का ही क्यों न हो, नहीं थोपा जाना चाहिए। अभिप्राय यह कि कोई रास्ता नहीं बना। राज्यों के संबंध में भी आगे चलकर एक ऐसी बाधा खड़ी हो गई जिसने अनुच्छेद 348(2) के उपबंध को अप्रत्यक्ष रूप से अप्रभावी बना दिया। 1965 में लिए गए संसदीय समिति के एक निर्णय के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा के उपयोग के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की टिप्पणियाँ आवश्यक हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की कार्यवाही में क्रमशः तमिल, गुजराती और हिंदी के प्रयोग की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार से भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर 1965 में लिए गए संसदीय समिति के निर्णय के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह मांगी गई थी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने दिनांक 16.10.2012 के अ.शा. पत्र द्वारा सूचित किया कि पूर्ण न्यायालय ने उचित विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन किया है। इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों में जनभाषा में न्याय की गाड़ी वहीं रुक गई।

तमिलनाडु सरकार से प्राप्त अन्य अनुरोध के आधार पर सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से दिनांक 04.07.2014

के अ.शा. पत्र द्वारा उच्च न्यायालयों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के लिए और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए इस संबंध में पिछले निर्णयों की समीक्षा करने और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति भेजने का अनुरोध किया है। माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने दिनांक 18.01.2016 के अ.शा. पत्र द्वारा सूचित किया है कि पूर्ण न्यायालय ने विस्तृत विचार विमर्शों के उपरांत इन प्रस्तावों को निरनुमोदित किया है और उन संकल्पों को दोहराया है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भी ऐसा प्रस्ताव भेजा गया। यहाँ विचार का विषय है कि किस प्रकार एक सरकारी निर्णय से संविधान के उपबंध की राह में गतिरोध आया और न्याय की राह जिसे समयानुसार जनभाषा की ओर जाना था वह थम गई।

यहाँ विचार का विषय यह है कि जब देशभर में विधि की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जाएगी तथा न्यायपालिका भी अंग्रेजी के पक्ष में खड़ी होगी तथा उच्च न्यायलयों में जनभाषा में न्याय का मार्ग बंद हो जाए तो ऐसे में जो होना है वही हुआ और न्यायतंत्र पर अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता गया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा बिहार जैसे राज्य जिन राज्यों में पहले से हिंदी के प्रयोग का प्रावधान था, उन राज्यों से अलग होकर जब क्रमश: उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य बने तो वहां स्थित उच्च न्यायालयों में भी हिंदी के प्रयोग के उपबंध नहीं किए गए और वहाँ भी हिंदी के बजाय केवल अंग्रेजी चलने लगी। इस प्रकार आजादी के 75 वर्ष बाद भी स्थिति लगभग ज्यों की त्यों है। सुगबुगाहट है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राष्ट्रपति जी को की गई सिफारिशों में 1965 के उपर्युक्त के निर्णय को समाप्त करते हुए जनभाषा में न्याय की मार्ग को प्रशस्त करने की बात है। यदि ऐसा होता है तो आज नहीं तो कल, राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय में संघ अथवा राज्य की भाषाओं के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। जब एक राज्य में ऐसा होगा तो निश्चित रूप से अन्य राज्य भी जनतंत्र में जनता की मांग के अनुसार अपने राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय में अपने राज्य की भाषा का प्रयोग करने के लिए विवश होंगे। यह एक महत्वपूर्ण आशा की किरण है।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि जिन चार राज्यों के उच्च न्यायालयों में संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अंतर्गत हिंदी का प्रयोग स्वीकार किया गया है वहाँ भी उसके रास्ते में इतनी बाधाएँ हैं कि वहाँ भी ज्यादातर वकील यही बेहतर समझते हैं कि अंग्रेजी में ही केस लड़ा जाए। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वर्गीय न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त और वर्तमान न्यायमूर्ति गौतम चौधरी सहित कई ऐसे न्यायमूर्ति हुए हैं और हैं जो अपने अधिकांश निर्णय हिंदी में देते हैं। कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो हिंदी के प्रबल समर्थक हैं और उच्च न्यायालय में यथासंभव हिंदी में ही वकालत करते हैं। दूसरे कई उच्च न्यायालयों में भी ऐसे कई अधिवक्ता हैं। लेकिन ऐसे न्यायमूर्तियों की संख्या बहुत ही कम है जो जनभाषा हिंदी को प्राथमिकता देते हैं। इसके विपरीत हिंदी न जानने वाले या अंग्रेजी में स्वयं को अधिक सहज मानने वाले न्यायमूर्तियों के कारण हिंदी में याचिका दाखिल करने और मुकदमे लड़ने वाले वकीलों को अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। इन न्यायालयों में भी हिंदी में याचिका दाखिल करने वाले अनेक ऐसे अधिवक्ता हैं, जिन्हें हिंदी के कारण अनेक दुष्कर स्थितियों का सामना करना पड़ा। अगर निचली अदालतों की बात करें तो वहाँ भी हिंदी में न्याय पाना सुगम नहीं होता। देश के विभिन्न न्यायालयों में ऐसे अनेक लोग हैं जो पिछले अनेक वर्षों से जनभाषा में न्याय के लिए जूझ रहे हैं।

पटना उच्च न्यायालय, जहाँ हिंदी के प्रयोग के उपबंध हैं, वहाँ भी पूर्व में केंद्र की तरह मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लेकर ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में याचिका दायर करता है तो उसे उसका अंग्रेजी अनुवाद भी देना पड़ेगा ? जब अंग्रेजी अनुवाद देना ही है तो कोई व्यक्ति हिंदी में याचिका दाखिल क्यों करेगा ? तत्कालीन बिहार सरकार के इस निर्णय से बिहार में हिंदी में न्याय की राह बाधित हुई। इसे लेकर पटना उच्च न्यायालय में सरकारी

अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद द्वारा निरंतर संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था हिंदी का रास्ता रोके खड़ी है। हिंदी में बहस को लेकर माननीय मुख्य न्यायाधीश और अधिवक्ता की बहस का वीडियो देशभर में बहुत वायरल भी हुआ था। कई बार हिंदी में अपनी बात रखने के कारण मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें फटकार ही नहीं मिली बल्कि महाधिवक्ता द्वारा भी उन्हें सरकारी मामले देने बंद कर दिए गए और अनेक प्रकार से उन्हें हतोत्साहित किया गया था। लेकिन कुछ समयपूर्व राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार द्वारा उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ के निर्णय के आलोक में मंत्रिमंडल में हिंदी याचिका के अंग्रेजी अनुवाद की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जो माननीय राज्यपाल, बिहार के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए भेजा गया है। इस निर्णय से निश्चय ही पटना उच्च न्यायालय में जनभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा।

2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जनभाषा में न्याय के प्रति अपना निश्चय व्यक्त करते हुए जनभाषा में न्याय का मार्ग प्रशस्त करने के प्रयास किए गए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य था भाषा-प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का याचिकाकर्ता की भाषा में अनुवाद उपलब्ध करवाना। इस प्रकार बड़ी संख्या में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हिंदी में अनुवाद उपलब्ध करवाया गया है। कई उच्च न्यायालयों में भी ऐसा हो रहा है। 30 अप्रैल 2022 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'त्वरित समाधान और सामाजिक न्याय पाने के लिए मध्यस्थता हमारी कानूनी प्रक्रिया की कुंजी है। हमें खुशी है कि कई राज्यों ने तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान करने के लिए पहल की है।' उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती, कई बार भाषा भी सामाजिक न्याय का माध्यम बन जाती है। भाषा की बाधा के कारण आम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को समझना बड़ा मुश्किल होता है, हमें इसे आसान बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश में स्वराज का आधार न्याय होता है, न्याय जनता की भाषा में होना चाहिए, जब तक फैसला आम लोगों की समझ में नहीं आता, उनके लिए न्याय और सरकारी आदेश में फर्क नहीं होता।' उस मंच पर उपस्थित भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने भी अपने संबोधन में कहा, "कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे" सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत विचारों से जनभाषा में न्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ।

पूर्व केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा भी अपने कार्यकाल में लगातार जनभाषा में न्याय का पुरजोर समर्थन करते हुए अनेक मंचों पर इस बात को रखा गया। इलाहाबाद में विधि महाविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय भाषाओं में न्याय की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि विधि महाविद्यालयों में विधि की शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डी.वाई. चंद्रचूड़ 13 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। दीक्षांत समारोह में उन्होंने अपने भाषण में कहा, 'भारत विविधताओं का देश है, जिसमें भाषिक विविधता भी है इसलिए कानून की शिक्षा स्थानीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषाओं की अपनी अहमियत है और फायदे हैं।'

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश के अपर महाधिवक्ता जयदीप रॉय ने बताया कि विधि शिक्षा का

पाठ्यक्रम बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया जाता है और कौंसिल द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में विधि शिक्षा की पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है, जिससे अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं में विधि की शिक्षा प्रारंभ हो सकेगी। करीब एक वर्ष पूर्व हरियाणा के सोनीपत में भारतीय भाषा अभियान के कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की कुलपति ने विद्यार्थियों को हिंदी में परीक्षा देने की सुविधा की भी घोषणा की थी।

जनभाषा में न्याय की प्रगति के संबंध में विभिन्न संस्थाओं के प्रयासों का उल्लेख भी आवश्यक है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अंतर्गत 'भारतीय भाषा अभियान' न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं को स्थापित करने के लिए प्रयासरत संस्था है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों सहित देशभर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता सम्मिलित हैं। इस संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय भाषाओं में न्याय के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी प्रकार इस क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका है, इटावा हिंदी सेवा निधि की जिसके संस्थापक इलाहबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश स्व. प्रेम शंकर गुप्त थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सभी निर्णय हिंदी में दिए थे। इस मंच द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों सहित अनके न्यायमूर्ति व अधिवक्ता सम्मिलित होते हैं। इस मंच पर मुझे भी दो बार सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के सम्मुख जनभाषा में न्याय पर अपनी बात रखने का अवसर मिला। सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति माननीय कृष्ण मुरारी का कहना था कि यदि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना दिया गया होता तो न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर उन्हें भाषायी कठिनाई न होती। पिछले वर्ष दिसंबर में इसी मंच से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय पंकज मित्तल ने जनभाषा के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा बहुत समय निकल चुका है, अब सरकार को नोटबंदी की तरह इस संबंध में कोई निर्णय लेना चाहिए। मुंबई में 'वैश्विक हिंदी सम्मेलन' द्वारा 'जनभाषा में न्याय' के संबंध में मुंबई सहित कई राज्यों में संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती रही हैं। संस्था द्वारा दो वर्ष पूर्व जंतर-मंतर पर सभा करके सरकार से जनभाषा में न्याय की माँग की थी, जिसमें सांसद, कई वरिष्ठ पत्रकार, विद्वान व भारतीय भाषा समर्थक शामिल हुए थे। मुंबई में इस संबंध में अपनी बात रखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजन कोचर का कहना था कि न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं की प्रयोग के लिए संविधान के अनुच्छेद 348 में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्कता है। उनका कहना था कि यह काम एकदम नहीं हो सकता, इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन के साथ-साथ सरकारी कामकाज भी भारतीय भाषाओं का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार पटना में 'वैश्विक हिंदी सम्मेलन' द्वारा जनभाषा में न्याय पर आयोजित सम्मेलन में उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश व विधि विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति ने जनभाषा में न्याय के संबंध में कहा कि संविधान निर्माण के समय जो कमियाँ रह गई थीं, उन्हें अब ठीक किए जाने की आवश्यकता है।

'न्यायपालिका में भारतीय भाषाएँ' विषय पर कई संस्थाओं द्वारा आयोजित ई-संगोष्ठी में पूर्व राज्यपाल तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विष्णु सदाशिव कोकजे का कहना था कि यदि सरकार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ शासन-प्रशासन के कामकाज में हिंदी भाषा अख्तियार कर ले तो हिंदी सहज तौर पर न्याय की भाषा भी बन जाएगी। इसी संगोष्ठी में उपस्थित बार कोंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं को न्यायालयों व अन्य प्रशासनिक कामों में वह जगह न मिलने को विडंबनापूर्ण बताया और कहा कि इसके लिए सभी मोर्चों पर सभी को मिलजुलकर रणनीति बनानी होगी।

उच्च न्यायालयों और विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में अक्सर यह कहा जाता रहा है कि वहाँ आपको एक शब्द भी हिंदी में सुनने को नहीं मिलेगा। इस मिथक को तोड़ते हुए अब भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय

लिया है जो न केवल विधि और न्याय की दृष्टि से बल्कि भाषाई दृष्टि से भी अभूतपूर्व है। भारतीय संसद ने तीन ऐतिहासिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तन कार्यक्रम उठाया है। विधि और न्याय की दृष्टि से तो यह परिवर्तन एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है ही क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदल गया है। ये कानून अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे, जिन में भारत के लोगों से न तो कोई परामर्श लिया गया था और न ही भारतीयों के सामाजिक परिवेश और जीवन प्रणाली को ही ध्यान में रखा गया था।

भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद से पास होने के बाद 1 जुलाई, 2024 से ये कानून लागू हो गए हैं। ये कानून है - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन तीनों कानूनों के नाम हिंदी में रखे गए हैं। अर्थात अंग्रेजी में भी अब इन हिंदी नामों का ही प्रयोग होगा। कहने का मतलब यह है कि निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक देश की सैकड़ों अदालतों में प्रतिदिन इन हिंदी नामों की गूँज सुनाई देगी। इस परिवर्तन से निश्चित रूप से देश की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से लेकर सभी न्यायालयों में भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार होगा और हिंदी की गूंज सुनाई देगी।

अब तक यह कहा जाता रहा है कि उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालयों में तैनाती पर न्यायमूर्ति प्राय: वहाँ की भाषा नहीं जानते। 26 जुलाई, 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डी.वाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने जनभाषा में न्याय को लेकर इस बड़ी अड़चन को दूर करने के लिए एक ऐसी बात कही है जो मील का पत्थर साबित हो सकती है। उन्होंने कहा है कि न्यायमूर्तियों को तैनाती के स्थान की भाषा को अपनाना चाहिए। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात को निर्देशों का रूप दिया जाता है तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा।

यह सही है कि सरकार द्वारा न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं को लाने के प्रयासों के बावजूद अभी भी मंजिल दूर है। लेकिन विभिन्न संस्थाओं के प्रयासों और उनकी मांग तथा सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में न्याय व्यवस्था को लाने की घोषित नीति के चलते एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया है कि पहले जहां पूरा न्याय तंत्र भारतीय भाषाओं को नकारता था। अब इसे नकारता नहीं, बल्कि काफी हद तक स्वीकारता दिख रहा है।

निष्कर्षत: जनतंत्र और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप जनता की भाषा को सम्मान देने के लिए जब सरकारें दृढ़ निश्चय से निर्णय लेंगी तो जनभाषा में न्याय के लिए न्यायिक व्यवस्था बदलने में भी देर न लगेगी। जनभाषा में न्याय की राह में अभी बाधाएँ तो हैं लेकिन इन बाधाओं को प्रबल इच्छाशक्ति से दूर किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि अब न्यायपालिका द्वारा न्यायतंत्र में भारतीय भाषाओं का सीधे विरोध नहीं हो रहा। सरकारी नीति और देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय भाषाओं की संस्थाओं, कुछ न्यायमूर्तियों और अधिवक्ताओं आदि के प्रयासों से छोटे-छोटे कदमों से ही सही भारत के न्यायतंत्र में हिंदी सहित भारतीय भाषाएँ अपना स्थान बनाने में लगी हैं।

आशा है कि प्रौद्योगिकी के सहारे न्यायतंत्र में जनभाषा की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। हम विधि एवं न्याय में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ानें में सफल होंगे। राजभाषा की हीरक जयंती पर आशाओं का यह प्रकाश-पुंज विधि एवं न्याय के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के उज्जवल भविष्य की ओर इंगित कर रहा है।

चैट जीपीटी और हिंदी

- रीना पाण्डेय
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

चैटबॉट (Chatbot) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, "ChatGPT" एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में उभर कर आया है। चैट जीपीटी जिसे OpenAI ने विकसित किया है, मानव-संवाद को समझने और उसका उत्तर देने में सक्षम एक भाषा मॉडल है। हिंदी जैसे विभिन्न भाषाओं में इसकी उपयोगिता बढ़ रही है, जिससे कार्यालय और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में इसके व्यावहारिक उपयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

चैट जीपीटी, OpenAI के GPT-4 आर्किटेक्चर पर आधारित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल है। GPT का पूर्ण रूप है "Generative Pre-trained Transformer"। यह मॉडल इंटरनेट पर विशाल मात्रा में उपलब्ध डेटा से प्रशिक्षित किया गया है, जिससे यह मानव जैसी भाषा में संवाद करने में सक्षम है। चैट जीपीटी विभिन्न भाषाओं में, जिसमें हिंदी भी शामिल है, संवाद कर सकता है और विभिन्न प्रकार के कार्यों में सहायता प्रदान कर सकता है।
चैट जीपीटी कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं:

1. समय और संसाधन की बचत: यह मॉडल तेजी से और सटीक उत्तर प्रदान कर सकता है, जिससे समय की बचत होती है और मानव संसाधनों की आवश्यकता कम होती है।
2. 24/7 उपलब्धता: चैट जीपीटी किसी भी समय और किसी भी दिन उपयोग किया जा सकता है, जिससे व्यवसायिक प्रक्रियाओं में अवरोध नहीं आते।
3. व्यापक ज्ञान: यह मॉडल विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित है, जिससे यह विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान कर सकता है।
4. व्यक्तिगत अनुकूलन: उपयोगकर्ताओं की जरूरतों और प्रश्नों के आधार पर उत्तर देने में सक्षम, जिससे व्यक्तिगत अनुभव बेहतर होता है। चैट जीपीटी का प्रयोग कई तरीकों से किया जा सकता है।
5. ग्राहक सेवा: चैटबॉट के रूप में, यह ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, जिससे ग्राहक सेवा में सुधार होता है।
6. सूचना पुनर्प्राप्ति: यह विभिन्न विषयों पर जानकारी खोजने में सहायता कर सकता है।
7. शिक्षा: छात्रों और शिक्षकों के लिए यह एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
8. लेखन और संपादन: यह लेखन कार्यों में सहायता कर सकता है, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट, ईमेल, रिपोर्ट्स आदि का मसौदा तैयार करना।

9. अनुवाद: विभिन्न भाषाओं के बीच अनुवाद में सहायता कर सकता है।

कार्यालय में चैट जीपीटी की व्यावहारिकता को जानने के लिए नीचे कुछ बिंदुओं पर गौर करना जरुरी है। कार्यालय में चैट जीपीटी की व्यावहारिकता पर विचार करते हुए, यह विभिन्न कार्यों में अत्यधिक सहायक साबित हो सकता है।

चैट जीपीटी कार्यालय में एक आंतरिक प्रश्नोत्तर सेवा के रूप में काम कर सकता है। कर्मचारी अपने सामान्य प्रश्न, जैसे कि छुट्टियों की नीतियां, पेरोल जानकारी या आईटी सहायता से संबंधित समस्याएं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। यह तुरंत और सटीक उत्तर प्रदान कर सकता है, जिससे कर्मचारियों का समय बचता है और उनके प्रश्नों का शीघ्र समाधान हो जाता है।

कार्यालयों में रिपोर्ट लेखन एक नियमित कार्य है। चैट जीपीटी इस प्रक्रिया को सरल और तेज़ बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के लिए डेटा एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और फिर उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना शामिल है। चैट जीपीटी के उपयोग से इन कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

ईमेल ड्राफ्टिंग एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां चैट जीपीटी का उपयोग किया जा सकता है। यह कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के ईमेल, जैसे कि अनुस्मारक, सूचना ईमेल और प्रतिक्रिया ईमेल तैयार करने में मदद कर सकता है। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि ईमेल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।

चैट जीपीटी का उपयोग ग्राहक सेवा में भी किया जा सकता है। ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों के लिए चैटबॉट के रूप में, यह ग्राहकों के प्रश्नों और समस्याओं का तुरंत उत्तर दे सकता है। इसके साथ ही, यह ग्राहकों की प्रतिक्रिया एकत्र करने और उनकी संतुष्टि को मापने में भी मदद कर सकता है। बहुभाषी कार्यालयों में, ChatGPT विभिन्न भाषाओं के बीच अनुवाद में सहायता कर सकता है। यह दस्तावेजों, ई-मेल और संवादों का तुरंत अनुवाद कर सकता है, जिससे भाषा की बाधाएं कम होती हैं और संचार अधिक प्रभावी होता है।

चैट जीपीटी को ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। यह कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों और जानकारी को संग्रहीत और पुनर्प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। इसके माध्यम से कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकती है, जिससे काम की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार होता है।

नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास में चैट जीपीटी का उपयोग किया जा सकता है। यह उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकता है और उनकी प्रारंभिक शंकाओं का समाधान कर सकता है। इसके अलावा, यह निरंतर सीखने और विकास के लिए भी एक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है।
हिंदी में चैट जीपीटी का उपयोग करने के कई फायदे हैं, विशेषकर उन कार्यालयों में जहां हिंदी राजभाषा है। हिंदी में संवाद करने की क्षमता के कारण, यह न केवल भाषा की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि अधिक प्रभावी और स्पष्ट संचार भी सुनिश्चित करता है।

हिंदी भाषी क्षेत्रों में, चैट जीपीटी ग्राहकों के साथ उनकी भाषा में संवाद कर सकता है, जिससे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह ग्राहकों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में अधिक सक्षम होता है। कार्यालय में हिंदी और अंग्रेजी के बीच अनुवाद कार्यों में चैट जीपीटी की उपयोगिता अत्यधिक होती है। यह त्वरित और सटीक अनुवाद प्रदान कर सकता है, जिससे दस्तावेज़ों और संवादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। हिंदी में कंटेंट

निर्माण के कार्यों में भी सहायक हो सकता है। यह ब्लॉग पोस्ट, लेख, रिपोर्ट, और अन्य दस्तावेज़ों को हिंदी में तैयार करने में मदद कर सकता है। इससे सामग्री निर्माण की प्रक्रिया तेज़ होती है और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए, चैट जीपीटी एक महत्वपूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। यह उन्हें उनकी भाषा में जानकारी प्रदान कर सकता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है।

हिंदी और प्रौद्योगिकी के इस सुनहरे मेलबंधन की कुछ सीमाएं और इनके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। हालांकि चैट जीपीटी अत्यधिक उपयोगी है।

कभी-कभी, चैट जीपीटी भाषा में त्रुटियाँ कर सकता है, विशेषकर जटिल वाक्यों और संदर्भों में। यह मॉडल हमेशा संदर्भित जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता, जिससे कभी-कभी गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान हो सकती है। संवेदनशील डेटा के साथ काम करते समय, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का रखना आवश्यक है। विभिन्न व्यवसायों और कार्यस्थलों के लिए चैट जीपीटी को अनुकूलित करना आवश्यक होता है, जिससे यह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सके। चैट जीपीटी विशेष रूप से हिंदी में, कार्यालय और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी उपयोगिता और व्यवहारिकता को देखते हुए, यह समय और संसाधन बचाने, संचार में सुधार और कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में अत्यधिक सहायक है। हालाँकि, इसकी सीमाओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इसका उचित उपयोग और अनुकूलन आवश्यक है। सही तरीके से प्रयोग किए जाने पर, चैट जीपीटी एक मूल्यवान उपकरण साबित हो सकता है, जो व्यवसायों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करता है। चैट जीपीटी से विस्तृत और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जो कुछ भी पूछ रहे हैं वह स्पष्ट और सटीक हो, उसमें उदाहरण और संदर्भ शामिल हों, प्रश्न बहुस्तरीय प्रकार के पूछे जाएं, इसमें तुलनात्मक विश्लेषण भी पूछा जा सकता है, किसी भी चीज के प्रभाव और उसके परिणामों की जानकारी भी मांग सकते हैं।

चैट जीपीटी से विस्तृत और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पष्ट, सटीक और बहुस्तरीय प्रश्न पूछना आवश्यक है। विशिष्ट शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करके हम अपने प्रश्नों को अधिक स्पष्ट और विस्तारपूर्ण बना सकते हैं, जिससे हमें अधिक उपयोगी और व्यापक उत्तर प्राप्त होंगे।

विज्ञान एवं तकनीकी संचार की भाषा हिंदी: अंतरिक्ष विज्ञान के विशेष संदर्भ में

- डॉ. वेदप्रकाश बोरकर
सहायक आचार्य, हिंदी विभाग,
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को सदैव अग्रगामी व्यवस्थित एवं विकसित दिशा दी है। विज्ञान का उद्देश्य उसके अन्वेषण,उसके व्यावहारिक सम्प्रेषण और जनमानस की भाषा में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले जनसंचार में निहित रहता है। विज्ञान का जनमानस की भाषा में सम्प्रेषण समसामयिक आवश्यकता भी है। इस युग को अधिकतम उपादेय एवं प्रभावी बनाने के लिए जनसाधारण को विज्ञान के साथ जोड़ना ही आज विज्ञान लेखन का परम लक्ष्य होना चाहिए। वैज्ञानिक जागरूकता को विकसित करने का सबसे सशक्त तथा समर्थ माध्यम है विज्ञान लेखन। यदि विज्ञान को जनमानस की संवेदना का हिस्सा बनाना है तो हमें भारतीय भाषाओं की विशेष रूप से राजभाषा हिंदी की महत्ता को समझना ही होगा।

आधुनिक शिक्षा ऐसी हो जो प्रगतिशील हो, जीवन की जड़ता को दूर करे। मनुष्य को उदार तथा सहिष्णु बनाए। मनुष्य चीजों तथा घटनाओं को समग्रता में देखें। प्रकृति एवं पर्यावरण के सरोकारों के प्रति संवेदनशील बनें। विज्ञान सम्यक् दृष्टि निर्माण करें, जिसमें मनुष्य संकीर्ण विचारों से ऊपर उठे। मनुष्य की गरिमा समाज में सर्वोपरि हो। यदि ऐसा तंत्र तथा विचार समाज में विकसित एवं स्थापित हो सके तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता को बहुत बल मिलेगा।

विज्ञान का उद्देश्य सामान्य जनता के हित में ज्ञान का विकास करना है एवं सर्वहिताय इस ज्ञान को जनता की भाषा में ही जनता तक पहुंचाया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों एवं नवोन्मेषी विज्ञानियों को इस बात की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए कि वैज्ञानिक खोजों एवं शोध परिणामों का लाभ आम जनता तक जरूर पहुंचे। आम जन के लिए तो अंतरिक्ष एक रहस्यमयी एवं रोमांचकारी विषय ही है। यह क्षेत्र विशेष आर्कषण एवं कौतूहल का है। अंतरिक्ष की कल्पना विशालता एवं जटिलताओं से परे है। यह एक ऐसा विषय है जिससे आमजन पहुंच से बाहर रहा है, पर उसकी जिज्ञासा उसे इसका रहस्य एवं ज्ञान जानने के लिए उत्साहित करती रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने अंतरिक्ष में मानव की पहुंच को संभव कर दिया है। परन्तु, यह पहुंच विशिष्ट प्रतिभा के धनी लोगों अर्थात वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों एवं तकनीकीविदों की है। इसलिए यह नितांत जरूरी है कि इसरो की तकनीकी गतिविधियों से आम लोगों को भी अवगत कराया जाए। इसकी जिम्मेदारी इन लोगों की ही है, परन्तु यह तभी संभव है जब यह आमजन की भाषा में हो। चूंकि भारतवर्ष हिंदी प्रधान देश है, इसलिए अंतरिक्ष एवं तकनीकी गतिविधि के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

संप्रति सूचना प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म तंत्र ज्ञान, जैव तंत्र ज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे नवीनतम क्षेत्र हैं, जिनमें हिंदी में प्रामाणिक वैज्ञानिक साहित्य की रचना की जा रही है। इस दिशा में युवा प्रतिभाशाली अध्येताओं को हिंदी विज्ञान लेखन के प्रति आकृष्ट करने की आवश्यकता है। आज का युग जनसाधारण का भी युग है।

हिंदी विज्ञान लेखन के लिए चार तत्व आवश्यक हैं - हिंदी भाषा का ज्ञान, लेखन क्षमता और वैज्ञानिक जानकारी तथा हिंदी में विज्ञान का प्रचार-प्रसार करने की तीव्र अभिलाषा। इन चारों का आश्चर्यजनक समायोजन ही हिंदी विज्ञान लेखन है। विज्ञान लेखन के लिए तीन बातें आवश्यक हैं - विज्ञान सामग्री को पढ़ना, देखना, समझना, सोचना और फिर क्रमबद्ध तथा सुव्यस्थित रूप से अभिव्यक्त करना।

विज्ञान संचार दरअसल वैज्ञानिक सूचनाओं एवं वैज्ञानिक विचारों को उनके स्रोत से लेकर लक्ष्य वर्ग तक किसी माध्यम के द्वारा संप्रेषित करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। विज्ञान संचार को हम प्रायः दो वर्गों में बांट सकते हैं - 1.शास्त्रीय या शोधपरक विज्ञान संचार, और 2. लोकप्रिय विज्ञान संचार, जिसे हम विज्ञान लोकप्रियकरण के नाम सेभी जानते हैं।

विज्ञान संचार के दो प्रमुख उद्देश्य हैं - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और दूसरा उनमें वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण विकसित करना। न केवल समय एवं ऊर्जा बचाने में, बल्कि जीवन रक्षा के लिए वैज्ञानिक जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। विज्ञान संचार कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य देश के कोने-कोने में सभी वर्ग के लोगों में विज्ञान की जानकारी का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना तथा उनमें वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक दृष्टिकोण विकसित करना है।

जब समस्या आती है लोकप्रिय विज्ञान संचार की, जहां ज्ञान-विज्ञान की जानकारी एवं वैज्ञानिक विचारों या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन-जन तक फैलाना होता है। तो प्रायः अधिकतर वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विद् आम आदमी की भाषा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सम्प्रेषित करने में स्वयं को असमर्थ पाते है।

वही दूसरी ओर हमारा आम आदमी भी गहन विज्ञान की गूढ़ एवं तकनीकी भाषा में उपलब्ध जानकारी को समझने में सक्षम नहीं हो पाता है। इस प्रकार यह समस्या उभरकर सामने आती है कि प्रायः वैज्ञानिक वर्ग आम आदमी की भाषा नहीं जानता एवं आम आदमी वैज्ञानिक की भाषा नहीं जानता।

यही दोनों के बीच, अर्थात विज्ञान की जानकारी एवं आमआदमी के बीच एक खाई बन जाती है, जो प्रतिदिन विकसित हो रहे नये ज्ञान-विज्ञान के साथ और भी तेजी से बढ़ती जारही है। इस खाई को भरना जरूरी है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तब तक व्यर्थ है, जब तक उसकीजानकारी एवं लाभ उसके वास्तविक उपभोक्ताओं, अर्थात आम लोगों तक नहीं पहुंचते। यह एक चुनौती भरा कार्य है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जिनकी विज्ञान में रूचि हों एवं जटिल विज्ञान के विषयों को समझकर आत्मसात कर सके एवं उसे सरल आम बोलचाल की भाषा में आम लोगों के लिए प्रस्तुत कर सके। इन्हें हम विज्ञानसंचारक, विज्ञान लोकप्रियकर्ता, विज्ञान सक्रिय, या विज्ञान पत्रकार, आदि के नाम से जान सकते हैं। विज्ञान संचार के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य की विज्ञान संचार आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विज्ञान विधि –

विज्ञान संचार एवं विज्ञान लोकप्रियकरण का दूसरा पहलू है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास विज्ञान की जानकारी प्राप्त कर लेना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पा लेना नहीं है। हो सकता है, विज्ञान पढ़े-लिखे व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमीहो, जबकि विज्ञान पढ़े-लिखे व्यक्ति में प्रचुर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के तर्कशील सोच, विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तौर-तरीकों, उपयुक्त व्यवहार और उत्कृष्ट कार्य पद्धति तथा विवेकशील निर्णय लेने की क्षमता को प्रतिबिम्बित करता है। यह किसी के व्यक्तित्व, व्यवहार और तार्किकतापूर्ण कार्यपद्धति को दर्शाता है अर्थात् वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुसम्पन्न व्यक्ति के काम करने के ढंग, तौर-तरीकों, सोच, आचरण और व्यवहार तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विज्ञान विधि या वैज्ञानिक पद्धति की स्पष्ट छाप दिखनी चाहिए।

विज्ञान संचार के पाँच तत्व -

लोकप्रिय विज्ञान संचार चाहे जिस किसी भी वैज्ञानिक विषय को लेकर हो, किसी भी माध्यम के द्वारा हो, किसी भी लक्ष्य वर्ग के लिए हों, किसी भी विधा में हो या किसी भी भाषा में, उसमें लोकप्रिय विज्ञान संचार के पाँच मूल तत्वअवश्य होने चाहिए।

1. भाषा शैली प्रस्तुतिकरण :

लोकप्रियकरण विज्ञान संचार हेतु भाषा शैली प्रवाहपूर्ण, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग उपयुक्त होगा। भाषा शुद्ध, एकरूप एवं लयबद्ध होने से लक्ष्य वर्ग को समझने में आसानी होगी और उनका मन भी लगेगा। सबसे पहले हमें यह निश्चित करना होगा कि किस भाषा में हमें विज्ञान संचार करना है। जैसा कि पहले बतायाजा चुका है, शास्त्रीय और शोधपरक विज्ञान संचार के लिए तो अंग्रेजी भाषा चल सकती है, परंतु लोकप्रिय विज्ञान संचार के लिए हमें क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों का सहारा लेना पड़ेगा। तभी हम विज्ञान की जानकारी और वैज्ञानिक सोच को जन-जन तक पहुँचा पाएंगे। इसलिए लोकप्रिय विज्ञान संचार के लिए उस भाषा या बोली का चयन करना चाहिए जिस पर आपका अधिकार हो और जिसे लक्ष्य वर्ग समझता हो।

2. विषयवस्तु :

विषयवस्तु में कोई-न-कोई सार गर्भित विज्ञान की जानकारी या वैज्ञानिक विचार अवश्य होना चाहिए। वह कौन-सी जानकारी या विचार है जिसे हमें लोगों तक संचारित करना है। यह विज्ञान के विभिन्न विषयों, जैसे- रसायन, भौतिकी, अभियांत्रिकी, जीव विज्ञान, भू-विज्ञान, कृषि, पर्यावरण, चिकित्सा, ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि से संबंधित हो सकती है। इसके साथ ही कोई वैचारिक संदेश भी हो सकते हैं, जिन्हें जनता में प्रचारित किया जाना है। विज्ञान संचार हेतु विज्ञान की विषय वस्तु निर्धारित की जानी आवश्यक है। ज्यादा उपयुक्त होगा यदि बहुत व्यापक विषय न लेकर सूक्ष्म विषय लिया जाए और उस विस्तार से सभी पहलुओं से संबंधित विवेचनात्मक जानकारी दी जाए। विज्ञान की जानकारियों और वैज्ञानिक विचारों को विभिन्न विधाओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे - विज्ञान समाचार, रिपोर्ट, लेख, फीचर, कहानी, नाटक, कविता, साक्षात्कार, परिचर्चा, व्याख्यान, डाक्यूमेंटरी, साइंटून ; साइंस, कार्टून साइंटून , हास्य व्यंग्य आदि।

3. क्यों एवं कैसे ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में क्यों एवं कैसे का बहुत महत्व है। बिजली क्यों चमकती है? वर्षा क्यों होती है? कोई यंत्र कैसे काम करता है? आदि, सामान्य जिज्ञासा के प्रश्न हैं। जिस किसी भी विषय का प्रचार-प्रसार करना है, उस विषय के विभिन्न भागों, उपभागों में निहित क्यों और कैसे के प्रश्नों को खोजकर उनके उत्तर देने का प्रयास करने से विषय स्वतःबोधगम्य हो जाएगा और गूढ़ विज्ञान के विषय आसानी से समझ में आ जायेंगे।

4. विश्लेषण :

आजकल विश्लेषणात्मक एवं तथ्यात्मक जानकारी का बहुत महत्व एवं मांग है। अधिकतर ऐसे समाचार पत्र ज्यादा चलते हैं, जो नीर, छीर, विवेक के आधार पर विश्लेषण करके दूध का दूध और पानी का पानी करने में या तो खुद समर्थ होते हैं या पाठकों को ऐसा सूत्र देते हैं जिससे वे वास्तविकता तक पहुंच सकें। टेलीविजन पर प्रायः उन चैनलों के समाचार अधिक पसंद किए जाते हैं जो खबर का उपयुक्त विश्लेषण करके प्रस्तुत करते है।

अतः विज्ञान लेखन एवं विज्ञान संचार में गतिशिलता एवं जागरूकता लाने के लिए यह आवश्यक है कि विषय का विश्लेषणात्मक पहलू दिया जाए। यह विषय के विभिन्न पहलुओं पर विविध लोगों के विचारों के गहन विश्लेषण एवं विचार-विनिमय से प्राप्त होगा।

5. रोचकता :

उपर्युक्त सभी तत्त्वों के साथ-साथ विज्ञान लोकप्रियकरण का एक और महत्वपूर्ण तत्व है रोचकता जिनके लिए विज्ञान लोकप्रियकरण का कार्य किया जा रहा है, उनको आकर्षित करना और बांधे रखना बहुत जरूरी है। अन्यथा वे रेडियो परविज्ञान का कार्यक्रम सुनने की बजाए विविध भारती सुनना अधिक पसंद करेंगे। इसलिए लोकप्रिय विज्ञान संचार केप्रयास रोचकता एवं मनोरंजन से भरपूर हों और साथ ही विज्ञान की जानकारी भी दें। तभी हम विज्ञान को जन-जन तक पहुंचा सकेंगे एवं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। रोचकता के साथ-साथ विषय की उपयोगिता भी बहुतआवश्यक है। आमतौर पर वही विषय ज्यादा पसंद किए जाते है, जिनकी मांग एवं उपयोगिता हो, सामयिकता का पुट भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि भूकंप के बाद भूंकप से संबंधित कोई भी जानकारी दी जाएगी तो वह न केवल सामयिक होगी बल्कि भूंकप प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयोगी भी होगी।

डिजिटल माध्यमों के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जटिलता को सहज रूप में संचारित करने में विज्ञान संचार की विभिन्न भूमिकाएं इस प्रकार हैं -

अवैज्ञानिक बातों का खंडन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रोत्साहन विज्ञान संचार द्वारा किया जाता है।
विज्ञान संचार, विज्ञान की प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रामाणिक निष्कर्षों के संचार में सहयोग करता है।
विज्ञान के नाम पर जहां लोगों को गुमराह किया जाता है, वहां विज्ञान संचार की भूमिका का दायित्व अहम हो जाती है।
वैज्ञानिक ई-जर्नल, वेब ब्लॉग, ऑनलाइन चर्चा मंच आदि युक्तियां के द्वारा वैज्ञानिकों में परस्पर संवाद स्थापित करने मेंविज्ञान संचार सहायक साबित होता है।

हिंदी में अंतरिक्ष विज्ञान संचार :

आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान को ही शक्ति माना गया है। आज सूचना ही क्रांति है, आज की सूचना आकाशीय ग्रहों तथा उपग्रहों पर आधारित हो गई है। उपग्रहों के कारण आज संचार की दुनिया में काफी विकास हुआ है। आज इन्हीं उपग्रहों के द्वारा प्रेषित संवाद दिन-रात पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे रेड़ियो, टीवी. द्वारा सुना एवं देखा जा रहा है।

आज इन्हीं उपग्रहों के चलते एक ही समाचार-पत्र के कई-कई संस्करण विभिन्न नगरों से एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं। इन्हीं उपग्रहों की सहायता से लेख, समाचार, फोटो, विज्ञापन सभी प्रकाशित हो रहे हैं। आज के संचार क्रांति के युग में'अंतरिक्ष संचार' का महत्त्व दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है।

अंतरिक्ष विज्ञान संचार में अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी समाचार, रिपोर्ताज और लेख, अंतरिक्ष विज्ञान कथाएं, अंतरिक्ष पर आधारित उपन्यास एवं कविताएं शामिल होती हैं। साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान नाटक, चित्र कथाएं, व्यंग्य चित्र, हास्य व्यंग्य, हिंदी में अंतरिक्ष वैज्ञानिक समीक्षाएं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वीर का साक्षात्कार, भेंटवार्ता तथा परिचर्चा से खगोलीय विषय वस्तु पर सम्यक् प्रकाश डाला जाता है।

जिस प्रकार पत्रकारिता लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाती है, ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष संचार सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा सकारात्मक परिवर्तन में उपयोगी है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास को समाप्त कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्मित करने तथा आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली नयी-नयी तकनीकों को जन-जन तक पहुंचाने में अंतरिक्ष विज्ञान संचार की केंद्रीय भूमिका हो सकती है।

नवीन तकनीकी से एक नवीन युग 'अन्तरिक्षीय युग' का प्रार्दुभाव हुआ। फलस्वरूप अमरीका, रूस आदि देशों में प्रचुर साहित्य तैयार हुआ तथा जब भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर लिया तो इससे संबंधित साहित्य हिंदी में भी लिखा गया। यह साहित्य दो प्रकार के हैं - प्रथम लोकप्रिय एवं बालोपयोगी तथा दूसरा सैद्धांतिक एवं तकनीकी।

अंतरिक्ष को लेकर बालोपयोगी पुस्तकें लिखने वालों में रमेश वर्मा, भवतीप्रसाद श्रीवास्तव (1967), जयप्रकाश भारती(1969 से 1991), गुणाकार मुले (1974), कैलाश साह (1973),हरीश अग्रवाल मुख्य है। कुछ एक कहानियां एवं उपन्यास भी लिखे गए। अंतरिक्ष विषयक पुस्तकों के हिंदी अनुवादों में उपग्रह एवं अंतरिक्षयान (1996), अंतरिक्ष विज्ञानऔर भारत (1979) जैसी पुस्तकें प्राप्त हैं।

अंतरिक्ष के विषय में प्रगति प्रकाशन, मोस्को ने रूसी से हिंदी अनुवाद कराया है। अमरीकी अंतरिक्षयान अपोलो तथा रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज की साझा उड़ान का रोचक वर्णन 'सौर पवन के संग' में मिलता है। इसके मूल लेखक रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्साई लेओनेव है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की रूसी अंतरिक्ष यात्रा में सहभागिता पर भी पुस्तक प्रकाशित हुई है।

रॉकेट एवं उपग्रहों के विषय में कुछ विशेषज्ञों ने ही कलम चलाई है। इनमें शिवप्रसाद कोष्टा (1979-1990), ओ.पी.कल्ला, कालीशंकर तथा मणीशचंद्र उत्तम ने पुस्तकें लिखी हैं । वैसे पत्र-पत्रिकाओं में अनेकानेक लेख प्रकाशित होते रहे हैं । 'अंतरिक्ष विज्ञान' शब्दावली आयोग ने प्रकाशित कर दी है। अंतरिक्ष या उपग्रहों को लेकर लिखे उपन्यास या कहानियां बहुत हल्की-फुल्की हैं।

हिंदी अखबारों में जनसत्ता, अमर अजाला, नई दुनिया आदि द्वारा अपने-अपने रविवार के परिशिष्ट में अंतरिक्ष विज्ञान सामग्रियों को समावेशित किया जाता है। इधर विभिन्न समाचार-पत्रों के साप्ताहिक परिशिष्ट भी अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े विषयों पर केंद्रित किए जाने लगे हैं।

सुप्रसिद्ध लेखक एवं ख्यातिप्राप्त नक्षत्र विज्ञानवेत्ता डा. जयंत विष्णु नार्लिकर की पुस्तक 'विज्ञान, मानव और ब्रह्मांड' ललित निबंधों का उत्तम संग्रह है।

अंतरिक्ष विज्ञान संचार का अद्यतन स्वरूप -

वास्तव में पिछले अनेक वर्षों के दौरान ग्रहों और उपग्रहों संबंधी प्रचुर ज्ञान के उदय से, खगोलीय पिंड, भू-वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गए हैं। आजकल, मानव पृथ्वी से बंधा हुआ नहीं है। वास्तव में अंतरिक्ष विज्ञान पृथ्वी के जीवन और प्रशासन के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। इन सभी से विश्व की विभिन्न राष्ट्र भाषाओं में नए शब्दों का समावेश होने के कारण तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता हुई ताकि ब्रह्मांड के विषय में विकसित हुए ज्ञान को आत्मसात किया जा सके। संप्रति, हमारा देश अंतरिक्ष के गहन एवं क्रमिक अन्वेषणों में व्यस्त है जिनसे और पृथ्वी के वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान का इलेक्ट्रॉनिकी से घनिष्ठ संबंध है। इसके द्वारा पृथ्वी की प्रयोगशालाओं तक पहुंचते हैं।

नवीनतम अंतरिक्ष खोजों के परिणामस्वरूप ब्रह्मांड ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और इस प्रकार नए ज्ञान से नई शब्दावली का विकास हो रहा है। जिनमें अंतरिक्ष विज्ञान, एक्स-रे तथा गामा किरण, खगोल विज्ञान, प्लाज्मा, भौतिकी, उल्कापिंड, राकेट, सैटेलाइट-दूरदर्शन संचार, मौसम विज्ञान, भूगणित आदि शामिल हैं।

अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति एवं सभ्यता के विकास के साथ जनसामान्य की ज्ञान पिपासा भी बढ़ती जारही है। इनके लिए एक उत्तम खुराक एवं अपने आप में रहस्य रोमांच का आनंद प्रदान करने में सक्षम होने के कारण अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रूझान बढ़ा है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संचार माध्यमों में इन्हें पहले की अपेक्षाकृत अधिक स्थान एवं समय मिलने लगा है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संचार के उद्देश्य हैं -

1. आम आदमी तक हमारे नित्य जीवन से संबंधित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जानकारी संचारित करना एवं लोकप्रिय बनाना।

2. उनमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मनोवृत्ति की भावना घर कराना।

3. उन्हें आधुनिकतम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने और उन्हें अपनाने तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ उन्हें जोड़ने के बारे में जागरूक करना।

4. लोगों को इस योग्य बनाना कि अनुसंधान और विकास के माध्यम से जिस तरह के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परिवर्तनहो रहे हैं वे उन्हें समझ सकें।

5. समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शिक्षा के स्तर को विकसित करना और बढ़ाना।

6. नयेपन की भावना जगाना अर्थात लोगों में खोजपरकता की भावना विकसित करने का भी प्रयत्न करती है तथा सृजनात्मक के प्रयोग और अपने कार्य को अधिक परिपूर्ण और बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का समाज के प्रति एक महान उत्तरदायित्व है।

सुझाव :

- विज्ञान पत्रिकाओं के विभिन्न स्तंभों में पाठकों को अधिक से अधिक समाहित किया जाए, ताकि वे उसे अपनी पत्रिका समझने लगे। इससे पत्रिका का प्रचार-प्रसार होगा, तथा पाठक विज्ञान प्रसार हेतु प्रवृत्त हो सकेंगे।

- मौलिक विज्ञान लेखन को हिंदी में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- विज्ञान लेखन की विविध विधाओं में परिष्कृत लेखन हो।

- विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा, सर्वेक्षण और साक्षात्कार प्रकाशित किए जाएं। एक ही सामयिक विषय पर अनेक विशेषज्ञों से भेटवार्ताओं पर आधारित रोचक फीचर प्रकाशित किए जाएं। पत्रिकाओं को पत्रकारिता की मुख्य धारा में लाया जाए। उनके कलेवर, सामग्री आदि में पत्रकारिता का पुट हो।

- यथासंभव शीघ्र ही विज्ञान विश्वकोश की रचना हो।

- जब कोई नव विज्ञान लेखक किसी विज्ञान पत्रिका को स्वरचित विज्ञान नाटक, कहानी, या कविता आदि भेजता है, तो स्पष्ट है कि उनमें उस विषय में अभिरुचि एवं प्राकृतिक क्षमता है। ऐसे लेखकों की पहचान करके उन्हें आवश्यक दिशानिर्देश देकर, उनकी क्षमता और अभिरुचि को विकसित और पोषित किया जाए। उन्हें एक विशेष विधा में आगे बढ़ने को प्रेरित किया जाए। नये उभरते वैज्ञानिक विषयों पर अधिकारी विद्वानों से हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित किया जाए।

- हिंदी में विज्ञान पत्रकारिता एवं लेखन पर प्रशिक्षण पाठ्क्रम आरंभ किये जाए। यथा - कृषि विज्ञान पत्रकारिता, अंतरिक्ष विज्ञान पत्रकारिता, आधुनिक जीव-विज्ञान पत्रकारिता, चिकित्सा विज्ञान पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन विज्ञान पत्रकारिता आदि।

- विश्वविद्यालय, महाविद्यालय - राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान चलचित्र-मेला का आयोजन हों जिसमें विज्ञान फिल्में का प्रदर्शन हो फलस्वरूप विद्यार्थियों में नवसृजन की प्रेरणा प्राप्त हों सके।

- प्रकाशित / प्रसारित / प्रदर्शित वैज्ञानिक साम्रगी केवल सूचनात्मक ही नहीं बल्कि पाठकों श्रोताओं के लिए उपयोगी भी हो।

- दैनिक साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाओं में विज्ञान के स्तंभ शुरू किए जाएं।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवीन एवं समसामयिक विषयों पर योजनाबद्ध तरीके से पुस्तकों को विकसित किया जाए।

- हिंदी में लेखन करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लोकप्रिय एवं प्रचलित अंतरराष्ट्रीय शब्दों के यथारूप देवनागरी लिपि में मानक शब्दों के साथ दिए जाने की स्वीकार्यता मिले।

- हिंदी में लेखन के क्षेत्र में संस्थागत और व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले प्रयासों का संकलन किया जाए ताकि वर्तमान स्थिति का आकलन हो सके और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा स्पष्ट हो सके।

- हिंदी भाषा में विज्ञान विषयों पर वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन अनिवार्य किया जाएं। ऐसी शोध पत्रिकाओं को अन्य विदेशी भाषाओं के समकक्ष ही मान्यता मिले।

- डिजिटल इंडिया के तहत प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित दुर्लभ ग्रंथों जैसे 'भारत की संपदा' आदि साहित्य को निःशुल्क वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा विज्ञान विश्वकोश का प्रकाशन हिंदी में किया जाए।

- देश की सभी वैज्ञानिक, अंतरिक्ष संगठन, पर्यावरण, चिकित्सा संस्थानों में विज्ञान संचार इकाई की स्थापना की जाए एवं विज्ञान संचार के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं में पदों का सृजन किया जाए।

- अंतरिक्ष विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदी में विज्ञान सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

- हिंदी में दैनिक विज्ञान समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया जाएं।

- जिन विषयों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष में भारत का कार्य महत्वपूर्ण है, उनमें अधिकाधिक मूल जानकारी हिंदी में प्रकाशित की जानी चाहिए।

- बच्चों को वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए साहित्य की उपयुक्तविधाओं जैसे कहानी, कविता, रूपक, चित्रकथा, लेख तथा नाटक आदि का प्रयोग करना उपयुक्त होगा।

- विज्ञान संचारक, संचार के प्रत्येक उस उन्नत व नवाचार माध्यम को चुने जिसके जरिये वह जनसामान्य तक पहुंच सके।

- विज्ञान का अलग चैनल जिसका प्रसारण हिंदी में हो।

- कंप्यूटरीकृत तीव्रगामी वैज्ञानिक सारांश सेवाएं उपलब्ध हो।

- हिंदी विज्ञान लेखकों के लिए नये-नये पुरस्कारों की स्थापना हो।

- इंटरनेट पर हिंदी में विज्ञान का प्रचार-प्रसार हो, जिसमें वैज्ञानिक जानकारियों, वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक शोध कार्यों एवं नवीन वैज्ञानिक खोजों केबारे में उल्लेख हों।

- ब्लॉग लेखन से अंतरिक्ष, पर्यावरण आदि विज्ञान क्लब गतिविधियों को जनसामान्य तक पहुंचाया जा सके तथा विज्ञान को सरल और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, फलस्वरूप समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके।

- विज्ञान संबंधी सूचनाओं की तत्क्षण रिपोर्टिंग हो।

- आज जरूरत इस बात की है कि हिंदी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वयं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा उपलब्ध कराई गई विविध इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल सेवाओं, सुविधाओं एवं विधियों के विवेक सम्मत प्रयोग से सामूहिक एवं एकीकृत प्रयास को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाए।

मैं हूँ राजभाषा हिंदी

- एस.के. सनोडिया
उप प्रबंधक
एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद

मैं हूँ हिंदी, भारत के नागरिकों में सर्वाधिक प्रचलित भाषा। मैं भारत संघ की राजभाषा हूँ और मैं भारोपीय (भारत-यूरोपीय) परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक हूँ। मेरा परिवार अर्थात् भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रमुख भाषा परिवार है और मेरे इस परिवार में शामिल भाषाओं के प्रयोगकर्ताओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। मेरे अलावा मेरे परिवार की प्रमुख भाषाएँ संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगाली, फ़ारसी, ग्रीक, लेटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतालवी इत्यादि हैं।

मेरी यात्रा मेरी जननी अर्थात् संस्कृत भाषा, जिसे 'आर्यभाषा' और 'देवभाषा' भी कहा जाता था, के विकास से प्रारंभ होती है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत व्याकरणाचार्य 'पाणिनि' द्वारा लिखित व्याकरण ग्रंथ 'अष्टाध्यायी' में संस्कृत के दो रूपों का उल्लेख है। वेदों की रचना में प्रयुक्त संस्कृत को वैदिक संस्कृत तथा बाद में व्याकरण के आधार पर परिवर्तित संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहा गया। कालांतर में 'पाणिनि' द्वारा संस्कृत के बिगड़ते स्वरूप को व्याकरणबद्ध करने के फलस्वरूप संस्कृत भाषा का प्रयोग शास्त्र शिक्षा, अध्ययन-अध्यापन, आयुर्वेद, योग तथा साहित्य की भाषा के रूप में होता रहा किंतु लोकभाषा के रूप में उसका प्रयोग सीमित होने लगा तथा 'पाली भाषा' जो संस्कृत की तुलना में सरल थी और जनसामान्य में प्रचलित हो रही थी, का प्रयोग बढ़ने लगा। भाषाओं के विकास और परिवर्तन के क्रम में 'पालि भाषा' के पश्चात 'प्राकृत' और इसके पश्चात 'अपभ्रंश' लोकभाषा के रूप में प्रचलन में आई। समय बीतने के साथ-साथ यही 'अपभ्रंश' साहित्य की भाषा बनी और इसने मेरा अर्थात् वर्तमान हिंदी एवं हिंदी से संबंधित अन्य लोकभाषाओं का स्वरूप ग्रहण किया। मेरा वर्तमान स्वरूप इस प्रकार विकसित हुआ है :

मेरे इस विकास क्रम को कुछ शब्दों के माध्यम से समझना और भी रोचक है। जैसे, संस्कृत का 'मृतिका' शब्द 'मट्टिया' से 'माटी' में परिवर्तित होते हुए अंत में हिंदी में 'मिट्टी' बना। इसी प्रकार संस्कृत शब्द 'कर्म' प्राकृत और अपभ्रंश काल में 'कम्म' हुआ और बाद में यही शब्द हिंदी के 'काम' में परिवर्तित हुआ।

सामान्य रूप से मेरा आरंभ मुख्यत: 11वीं शताब्दी में माना जाता है। उस समय मुझमें मेरी बड़ी बहनें अर्थात् प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का प्रभाव था। थोड़े समय के बाद इसमें से प्राकृत का प्रभाव समाप्त हो गया और मैं 'ब्रज' तथा कालांतर में 'अवधी' के रूप में स्वतंत्र भाषा बनकर विकसित होने लगी, किंतु इसी बीच भारत में आक्रमणों और व्यापार के उद्देश्य से आने वाले विदेशियों के सम्पर्क में आने से मुझमें अरबी-फ़ारसी और अंग्रेजी, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। अरबी-फ़ारसी बोलने वाले मुस्लिम लोग यहाँ के लोगों में काफी घुलमिल गए थे इसलिए मुझमें इन भाषाओं के शब्द समाहित होते चले गए।

मेरे वर्तमान रूप अर्थात् आधुनिक हिंदी साहित्य की जब बात आती है तो मुझे मेरे पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की दो पंक्तियां याद आती हैं :

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, रहत मूढ़ के मूढ़।।"

उक्त पंक्तियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरे पितामह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को मुझसे कितना अधिक लगाव रहा होगा। बाद में भारतेन्दु जी ने लिखा :

हा-हा भारत दुर्दशा देखी न जाई
अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी
पै धन विदेश चलि जात ईन्हें अति ख्वारी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मुझे ही देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी अधिकांश सभाओं में मेरे माध्यम से ही लोगों को संबोधित किया और उनके सत्याग्रह असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में मेरे माध्यम से ही समन्वय स्थापित हुआ। मुझे इस बात का गर्व हैकि मैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा रही हूँ। मेरी उदार प्रवृत्ति का ही प्रमाण है कि विदेशी और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द ग्रहण करके मैंने अपने आपको सम्पन्न बनाया है। आज मैं भारत में मातृभाषा के साथ-साथ सम्पर्क भाषा और राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हूँ।

मातृभाषा के रूप में मेरा प्रयोग :

मातृभाषा से तात्पर्य मनुष्य की प्रथम भाषा से है। जन्म के बाद व्यक्ति जो पहली भाषा सीखता है, उस भाषा को उसकी मातृभाषा कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार "मातृभाषा भाषा का वह रूप है जो एक बच्चा अपनी माँ से, पड़ोस से, किसी विशेष क्षेत्र से या समाज से सीखता है।" इस प्रकार मातृभाषा के अंतर्गत घर की बोली, क्षेत्रीय भाषा और समाज विशेष की स्वीकृत भाषा आती हैं।

भारत में चूंकि मैं सबसे अधिक परिवारों में बोली जाती हूँ, इसलिए यहाँ के अधिकांश लोगों की मातृभाषा मैं ही हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मातृभाषा के रूप में मेरा प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 43.63% अर्थात् लगभग 53 करोड़ थी तथा इसमें पूर्व के वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि दर्ज की गई थी। यह बात 12 वर्ष पूर्व की है अर्थात् अभी मेरा प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चय ही 53 करोड़ से काफी अधिक है। भारत के 12 राज्यों की मैं प्रमुख भाषा हूँ जिनमें उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आदि शामिल हैं।

सम्पर्क भाषा के रूप में मेरा प्रयोग :

सामान्य रूप से सम्पर्क भाषा उस भाषा को कहा जाता है, जिस भाषा में अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले व्यक्ति आपस में वार्तालाप या व्यवहार करें। भारत भाषाओं की दृष्टि से एक बहुत ही समृद्ध राष्ट्र रहा है। यहाँ पर अलग-अलग

प्रांतों में अलग-अलग भाषाएँ तथा उत्तर भारत के अधिकांश प्रांतों में मेरी अनेक बोलियाँ प्रचलन में हैं। मेरी प्रमुख बोलियों में अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, कुमांऊनी, मागधी और मारवाड़ी शामिल हैं तथा प्रांतीय भाषाओं के अंतर्गत प्रमुख रूप से बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और मराठी आदि भाषाएँ अलग-अलग राज्यों में बोली जाती हैं। ये सभी प्रांतीय भाषाएँ मेरी बहनें हैं तथा मेरी बोलियों वाले क्षेत्र हों या प्रांतीय भाषाओं वाले क्षेत्र, सभी स्थानों पर मैं बहुत लंबे समय से सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित रही हूँ क्योंकि मेरी व्यापकता किसी न किसी रूप में पूरे भारत में रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत में स्थित तीर्थस्थलों तथा कुंभ जैसे मेलों आदि में, साक्षर हों या निरक्षर, सभी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा मैं संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती रही हूँ।

संघ की राजभाषा के रूप में मेरा प्रयोग :

वर्ष 1947 में देश जब अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ, तब भारत में सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलन में थीं। इनमें से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, यह एक बड़ा प्रश्न था।

गांधी जी मुझे राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के लक्षणों के बारे में कहा कि "राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जो प्रयोग करने वालों के लिए सरल हो, उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सके, भारत के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों, राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए तथा उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर ज़ोर नहीं देना चाहिए।" उस समय मैं ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा राष्ट्रभाषा बनने के लिए बताए गए सभी आवश्यक लक्षण पूरे होते हैं। मेरे पक्ष में तर्क थे कि (1) मैं एक भारतीय भाषा थी, (2) देश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती थी, (3) मुझे नहीं बोल पाने अन्य भाषा-भाषी लोग भी मुझे समझ लेते थे, (3) सीखने की दृष्टि से अन्य भाषाओं की तुलना में मैं सरल थी, (4) मेरी लिपि वैज्ञानिक थी और मैं जैसी बोली जाती थी वैसी ही लिखी जाती थी तथा (5) मैं लचीली भाषा थी तथा मुझमें सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक सभी प्रकार के कार्यों के संचालन की पूर्ण क्षमता थी।

भारत में प्राचीन समय से मैं किसी न किसी रूप में एक ऐसी भाषा रही हूँ जो सरल और समृद्ध होने के साथ-साथ सम्पूर्ण भारत में पढ़ी-लिखी या बोली-समझी जाती थी तथा संपर्क का माध्यम रही थी। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भी मैंने देशभक्त आंदोलनकारियों के बीच राष्ट्रीय एकता के सूत्र के रूप में कार्य किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वाधीन भारत की संविधान सभा ने काफी विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर, 1949 को मुझे एकमत से राजभाषा का दर्जा दिया तथा संविधान में मुझे संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। इसके लिए संविधान के भाग-17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 343 के अनुसार मुझे भारत संघ की राजभाषा बनाया गया तथा देवनागरी लिपि को मेरी लिपि के रूप में मान्यता दी गई। इसी प्रकार अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत सरकार मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करते हुए मेरा विकास इस प्रकार करेगी कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के समस्त तत्वों की सम्यक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सके। भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को मान्यता दी गई तथा देश की 14 प्रमुख प्रांतीय भाषाओं (वर्तमान में 22) को संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिकारिक भाषाओं के रूप में रखा गया।

मुझे संघ की राजभाषा अर्थात् शासन प्रशासन की भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्णय संविधान सभा में एकमत से लिया गया था क्योंकि उस समय भारत के लगभग 36 करोड़ निवासियों में एक करोड़ लोग भी ऐसे नहीं थे जो अंग्रेजी में

पूरी तरह से निपुण रहे हों। दूसरी बात यह भी कि जिस विदेशी शासन को हमने भारत से बाहर निकाल कर स्वाधीनता प्राप्त की थी, उनकी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का अर्थ यह था कि हम स्वाधीनता मिलने के बाद भी मानसिक रूप से गुलाम ही कहलाते। परिणामस्वरूप अंग्रेजी को राजभाषा बनाने का प्रश्न समाप्त हो गया। अन्य प्रांतीय भाषाएँ भी अपनी व्यापकता में मुझसे बहुत पीछे थीं।

कुछ लोगों का विचार है कि मेरे प्रभाव से धीरे-धीरे प्रादेशिक भाषाएँ समाप्त हो जाएँगी, जबकि प्रादेशिक भाषाओं से मेरा कोई बैर नहीं है। प्रादेशिक भाषाएँ तो मेरी बहनें हैं। प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे अपने राज्य का कार्य अपनी प्रादेशिक भाषा में कर सकते हैं। मैं केवल केंद्र सरकार की राजभाषा घोषित की गई हूँ तथा प्रांतीय सरकारें अन्य प्रांतों की सरकारों से तथा केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार मुझमें करेंगी।

मेरे राजभाषा घोषित हो जाने पर भी एकदम मेरा प्रयोग में आ जाना कठिन था क्योंकि उस समय प्रशासन का कामकाज अंग्रेजी में हो रहा था। इसलिए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए वर्ष 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और इन 15 वर्षों में मुझे पूर्ण समृद्धशाली बनाने के प्रयत्न किए जाएँगे।

संविधान के अनुसार 26 जनवरी, 1965 को मुझे अंग्रेजी के स्थान पर देश की आधिकारिक भाषा बनाया जाना था और उसके बाद विभिन्न राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ संवाद के लिए मेरा प्रयोग करना था। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को मेरा प्रयोग करते हुए अपने कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करने योग्य बनाने के लिए शासन की ओर से मेरे प्रशिक्षण की विशेष सुविधाएँ दी गईं। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे अनिवार्य विषय बना दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से मेरे अर्थात् हिंदी के पारिभाषिक शब्द निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाएँ भी शासन की ओर से हिंदी शिक्षा को दी गई ताकि 1965 में मैं अंग्रेजी का स्थान पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकूँ।

किंतु दक्षिण के राज्यों के कुछ निवासियों को यह डर था कि मेरे लागू हो जाने से वे उत्तर भारतीयों के मुकाबले विभिन्न क्षेत्रों में कमजोर स्थिति में आ जाएँगे। इसके फलस्वरूप देश में मेरे विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गए, जिनके परिणामस्वरूप वर्ष 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया जिसके प्रावधानों के अनुसार 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर उपयोग न करने के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया तथा 1965 के बाद भी हिंदी के साथ-साथ अधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान किया गया। किंतु मेरा विरोध करने वाले आंदोलनकारियों को इस कानून में कुछ अस्पष्टता दिखाई दे रही थी इसलिए वे इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए और उनके आंदोलन उग्र रूप लेने लगे। तब तत्कालीन सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के रूप में वर्ष 1967 में राजभाषा कानून में संशोधन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन के माध्यम से अंग्रेजी को देश की सह-राजभाषा के रूप में तब तक आवश्यक मान लिया गया जब तक कि गैर हिंदीभाषी राज्य ऐसा चाहते हों और आज तक यही व्यवस्था चली आ रही है।

मेरे प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना और उसे क्रियान्वित करना आवश्यक था। संघ सरकार क्रमश: मेरा अर्थात् हिंदी का एवं अंग्रेजी का प्रयोग किन क्षेत्रों एवं किस सीमा तक करेगी, इसका निर्धारण संविधान के प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 में दिए गए प्रावधानों द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में जून, 1975 में गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी।

संसदीय कार्यवाही और कानून :

भारतीय संविधान के अनुसार संसदीय कार्यवाही में उपयोग की जाने वाली भाषा और कानून बनाने की भाषा के बीच भेद है। संविधान के अनुसार संसदीय कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। इसके लिए अंग्रेजी का उपयोग 15 वर्षों के अंत तक समाप्त हो जाना था, जब तक संसद इसका उपयोग बढ़ाने का निर्णय न करे, जिसे संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 के माध्यम से किया था। इसके अतिरिक्त संविधान हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात कहने में अक्षम व्यक्तियों को यह अनुमति भी देता है कि वह संबंधित सदन के अध्यक्ष की अनुमति से सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित कर सकता है।

इसके विपरीत संविधान में सभी कानूनों (संसदीय अधिनियम एवं वैधानिक उपकरण सहित) के अधिकारिक पाठ को अंग्रेजी में होना आवश्यक है जब तक कि संसद अन्यथा निर्णय न ले। संसद ने अभी तक ऐसा निर्णय लेने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। इसके स्थान पर केवल यह आवश्यक है कि ऐसे सभी कानून और उपकरण तथा संसद के समक्ष लाए गए सभी विधेयकों का हिंदी में भी अनुवाद किया जाए लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी पाठ ही आधिकारिक माना जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि का आधिकारिक पाठ भारत के राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक राजपत्र में हिंदी में प्रकाशित किया जाता है।

न्यायतंत्र में मेरा प्रयोग :

संविधान में यह प्रावधान किया गया है और भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी दोहराया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। संसद के पास कानून के माध्यम से इसे परिवर्तित करने का अधिकार है लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तथापि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि राज्यों के उच्च न्यायालयों में राष्ट्रपति की सहमति से मेरे वैकल्पिक उपयोग की अनुमति है और ऐसे प्रस्ताव सफल रहे हैं।

प्रशासन की भाषा :

राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संघ सरकार भारत की जनता के लिए अभिप्रेत अधिकांश दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी, दोनों का प्रयोग करेगी। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश, संकल्प, परिपत्र, नियम, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदाएँ, करार, अनुज्ञप्तियाँ, निविदा प्रारूप, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचनाएँ, अधिसूचनाएँ तथा संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषिक जारी किए जाएँगे। इसके विपरीत राजभाषा नियम केंद्रीय सरकार के कार्यालयों (तमिलनाडु के कार्यालयों को छोड़कर, जिन पर ये नियम लागू नहीं होते) के बीच संचार के लिए हिंदी के उच्चतर प्रयोग का प्रावधान करते हैं। केंद्र सरकार के भीतर विभिन्न विभागों के बीच संचार अंग्रेजी और हिंदी में हो सकता है तथापि यदि कार्यालय हिंदी भाषी राज्यों में है तो उसी विभाग के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी में होना चाहिए अन्यथा हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए जिसमें हिंदी का प्रयोग प्राप्तकर्ता कार्यालय में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कार्मिकों के प्रतिशत के अनुपात में किया जाना चाहिए। फाइलों में नोट और ज्ञापन अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में हो सकते हैं। सरकार का

कर्तव्य है कि वह यदि आवश्यक हो तो दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराए। इसके अलावा किसी शिकायत के निवारण के लिए किसी प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता को आवेदन भारत में प्रयुक्त किसी भी भाषा में प्रस्तुत करने का अधिकार है।

दुनिया में मेरी पहुँच :

मैं अधिकांश भारतवासियों की मातृभाषा और संपर्क भाषा हूँ। अंग्रेजी और मंदारिन के बाद मैं विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा हूँ। मारीशस, सूरीनाम, फिजी, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका तक में मेरा प्रयोग करने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। मेरा पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं से इतना घनिष्ठ संबंध है कि इन भाषाओं के बोलने वाले बिना किसी प्रयास के ही मुझे समझ लेते हैं।

वैसे मुझे जानने, समझने और बोलने वाले व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अब विश्व भर में वेबसाइट अपने क्रियाकलापों में मुझे भी वरीयता दे रही हैं। ईमेल, ईकॉमर्स, ईबुक, इंटरनेट, एसएमएस एवं वेब जगत आज मुझे तेज़ी से अपना रहा है तथा मैं यहां सहजता से देखी जा सकती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आइबीएम तथा ओरेकल जैसी कंपनियाँ अत्यंत व्यापक बाजार और भारी मुनाफे को देखते हुए मेरे प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं। आज फिजी, मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो एवं संयुक्त अरब अमीरात सहित दुनिया के कई देशों में भारत को बेहतर तरीके से जानने के लिए लगभग 115 शिक्षण संस्थानों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन होता है।

मेरे विकास के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास :

मेरे अर्थात् राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ हर वर्ष राजभाषा सप्ताह, पखवाड़ा या राजभाषा माह का आयोजन किया जाता है जिसमें हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पिछले चार वर्षों से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा भारत के अलग-अलग राज्यों में बृहद् स्तर पर हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत वर्ष के राजभाषा अधिकारी एवं राजभाषा कर्मी प्रतिभागिता करते हैं।

प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। उच्च अधिकारियों को शामिल कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई है जिसकी प्रत्येक तिमाही में संस्थान प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक की जाती है। नगर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों को सदस्य बनाकर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गई हैं जो हिंदी के कार्यान्वयन में वृद्धि हेतु कार्य करती हैं।

मेरे कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की नीति प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की रही है। देश के अधिकांश हिस्सों में मेरे विकास और प्रसार की बड़ी संभावनाएँ हैं। यह तभी संभव हो पाएगा जब सरकारी स्तर पर भी मेरे प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा तथा कुछ मामलों में मुझे अनिवार्य बनाया जाएगा।

वैसे तो मैं सम्पूर्ण भारत में अलग-अलग प्रांतों के अलग-अलग भाषा बोलने और विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ने वाली भाषा के रूप में जानी जाती हूँ किंतु वर्तमान में मेरा उपयोग उत्तर भारतीय घरों में बोलचाल तक सीमित

होने लगा है। सिनेमा और टेलीविजन आदि में धारावाहिकों और गानों तथा खबरिया चैनलों में भी मेरा प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और इसी कारण वस्तुओं के विज्ञापनों में भी मैं छाई हुई हूँ किंतु एक कटु सत्य यह भी है कि मेरे माध्यम से सरकारी या निजी क्षेत्र में ऊँचे पदों पर नौकरी पाना असंभव-सा होता जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय फौज तक में अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व मिल रहा है और वह कार्यालयों, न्यायालयों एवं तकनीकी संस्थानों में अपना प्रभुत्व जमाए बैठी है। दूसरी ओर मेरा प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को अंग्रेजी स्कूलों से शिक्षित उच्च पदासीन व्यक्तियों द्वारा वह सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वे पात्र हैं। इससे लोगों में मेरे प्रयोग के प्रति हिचक आ रही है। इन चीजों को देखकर हुए आज भारत वर्ष में मैं अपने-आपको ठगा सा महसूस करती हूँ।

अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में प्रगति के लिए मातृभाषा आवश्यक :

देखा गया है कि भारतीयों के इतने प्रतिभावान होने के बाद भी भारत लंबे समय से अनुसंधान के क्षेत्र में विकसित देशों की तुलना में पीछे है तथा यहाँ नए आविष्कार कम हो रहे हैं। इसका मूल कारण भारत के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विज्ञान, गणित, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी होना है। आज भारतीय युवा अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान, गणित, चिकित्सा, विधि और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उसमें दक्ष बन जाते हैं और वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित होने के कारण अच्छा रोजगार प्राप्त करके वैभवपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं किंतु मातृभाषा में अध्ययन-अध्यापन न होने के कारण उनके मस्तिष्क में मौलिक विचार जन्म नहीं लेते हैं और वे अनुसंधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

वहीं हम फ्रांस और रूस का उदाहरण लें तो पाते हैं कि उन्होंने अपनी भाषा में तकनीकी विकास हेतु कार्य किया और इसी कारण उनके पास अधिकांश तकनीकी ज्ञान उनकी अपनी भाषा फ्रेंच और रशियन में है। उनके इंजीनियरों ने चीजों की स्वयं खोज की और इसी कारण उनके पास विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग आदि का सारा मूल ज्ञान उनकी अपनी भाषा में है और इसीलिए वे भाषाएँ प्रासंगिक बनी रहने के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी भी बनी हुई हैं और निरंतर विकास कर रही हैं। भारत और चीन, दोनों राष्ट्रों में लगभग एक ही समय में लोकतंत्र की स्थापना हुई है किंतु चीन ने आत्मनिर्भर बनने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यों के निष्पादन में अपनी भाषा के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया और इसलिए उसकी भाषा मंदारिन निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इसलिए आवश्यक है कि हम भी अपने विद्यालयों में गणित, विज्ञान, चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग आदि विषयों की शिक्षा मेरे माध्यम से अथवा प्रांतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करें।

यह एक अटल सत्य है कि किसी भी व्यक्ति में मौलिक विचार केवल उसकी अपनी मातृभाषा में ही आते हैं। दूसरी भाषा के माध्यम से कोई कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले और ज्ञाता बन जाए पर उस नई भाषा में उसके मस्तिष्क में मौलिक विचार नहीं आ पाएँगे जो अनुसंधान-विकास तथा आविष्कार संबंधी कार्यों की दिशा में आगे बढ़ने की पहली शर्त है। इसलिए आवश्यक है कि देश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में धीरे-धीरे अनुवाद के माध्यम से गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा आदि विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराकर उनके माध्यम से हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा इन विषयों में मूल लेखन को भी बढ़ावा दिया जाए जिससे देश अनुसंधान, विकास और नए आविष्कारों की दिशा में आगे बढ़ सके।

भारत के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि देश में अनुसंधान एवं विकास हेतु दूरगामी योजनाएं बनाई जाएँ। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है कि देश में बड़े पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास केंद्रों का शुभारंभ किया

जाए तथा वहाँ पर नए आविष्कारों हेतु प्रयास किए जाएँ। किंतु यह तभी संभव है जबकि लोगों को उनकी मातृभाषा चाहे वह हिंदी हो या अन्य प्रादेशिक भाषा, का बृहद् ज्ञान हो। राजनैतिक दलों को भी आज यह विचार करने की आवश्यकता है कि वे अपने वर्तमान स्वार्थ से ऊपर उठकर भविष्य में देश के चहुँमुखी विकास की दिशा में कार्य करें तथा भारत की अपनी भाषाओं के विकास के लिए अपना योगदान दें।

इस कदम से अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ प्रासंगिक तथा रोजगारोन्मुखी बनेंगी तथा अपनी भाषा में अध्ययन-अध्यापन करने से यहाँ के लोग अनुसंधान और आविष्कार की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे।

गणित, विज्ञान, चिकित्सा, विधि और इंजीनियरिंग से संबंधित विषयों पर कार्य :

आज देश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गणित, विज्ञान, चिकित्सा, विधि और इंजीनियरिंग की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जा रही है और इसका कारण है इन विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों की हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में अनुपलब्धता। आज आवश्यकता है कि इन विषयों से संबंधित पुस्तकों का अनुवाद हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शीघ्रता से कराया जाए तथा भारतीय छात्रों को अंग्रेजी के साथ-साथ उनकी रुचि के अनुसार हिंदी या उनकी मातृभाषा में उक्त विषयों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की जाए। इसके साथ हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी राज्यों में रोजगार उपलब्ध कराते समय वहाँ की स्थानीय भाषा जानने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

सरकारी सूचनाओं का बहुभाषी प्रसारण :

सरकारों द्वारा जो भी कानून राजपत्र में प्रकाशित किए जाएं उनके मूल संस्करण हिंदी सहित अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं में एक साथ जारी किए जाने चाहिए। इससे लोगों में मेरे एवं अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति जागरुकता उत्पन्न होगी और अदालतों में लोग भारतीय भाषाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

भारत में मेरा प्रयोग बढ़ाने के लिए मुझसे प्रेम करने वाले हिंदीभाषी लोगों को भी उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा उन्हें प्रांतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने के लिए अपने द्वार हमेशा खुले रखने चाहिए। इसके लिए मेरे व्याकरण के नियमों को सरल बनाना होगा। शासन की ओर से पारिभाषिक शब्दों का जो निर्माण हो रहा है उसमें सरल शब्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा अनुवाद कार्यों में तेज़ी लानी होगी।

स्पष्ट है कि यदि उक्त सभी क्षेत्रों में मेरे विकास हेतु प्रयास किए जाएँ तो निश्चय ही मैं भी सिनेमा, धारावाहिकों, खबरों तथा गाँव-देहात के किस्से-कहानियों की भाषा से ऊपर उठकर ज्ञान-विज्ञान की भाषा बनकर कार्यालयों, अदालतों, तकनीकी संस्थानों, कल-कारखानों और चिकित्सा क्षेत्र की भाषा बनकर देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम आ पाऊँगी और अपने प्यारे राष्ट्र भारत के नागरिकों को एकसूत्र में आबद्ध करके नवराष्ट्र के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर पाऊँगी।

अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में हिंदी भाषा की भूमिका

- डॉ. साकेत सहाय
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय, हैदराबाद पंजाब नैशनल बैंक

पृष्ठभूमि:

हिंदी ईसा पूर्व से ही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, दक्खिनी, हिंदुस्तानी तथा आधुनिक हिंदी के रूप में भारत में परस्पर संचार, कारोबार, संवाद एवं अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। आधुनिक युग में भी अर्थ, बाजार, कारोबार, संपर्क, कला, सिनेमा, साहित्य एवं मीडिया ने हिंदी की महत्ता को भली-भांति रेखांकित किया है। पर यह भी सच्चाई है कि हिंदी ने अभी तक की यह यात्रा अपनी जनप्रियता के बल पर हासिल की है। यह स्थापित तथ्य है कि हिंदी ने लोकसत्ता के बल पर लोकमानस में राष्ट्रभाषा की स्वीकार्यता पाई है। देश के स्वाधीनता संग्राम में हिंदी के अतुलनीय योगदान को भला कौन भूला सकता है, पर सत्ता की ताकत इससे सदैव दूर रही। लोकसत्ता के प्रभाव से ही हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। पर यह वास्तविक सत्ता से बहुत दूर रहीं। यही कारण है कि राजभाषा होने के बावजूद सत्ता वर्ग में इसे वह हक नहीं मिला जिसकी यह अधिकारिणी थी। पर वर्तमान सरकार की स्पष्ट भाषा नीति, सूचना क्रांति एवं हिंदी के चार्तुदिक महत्व ने इसकी अपार क्षमता को सशक्त किया है। अब यह कहा जा सकता है कि 'वक्त बदल गया है।'

यह सर्वमान्य बात है कि सत्ता व व्यापार की ताकत जिस भाषा के साथ रहती है वहीं भाषा समृद्ध होती है। आज की हिंदी के ऊपर भी यह बात लागू होती है। दिन-प्रतिदिन मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ आज दुनिया के अधिकांश देश अपना संबंध बेहतर करना चाहते है और भारत को बेहतर तरीके से जानने–समझने के लिए भारत की राजभाषा, संपर्क भाषा, कला–संस्कृति, कारोबार एवं मनोरंजन की भाषा हिंदी को जानना-समझना अत्यावश्यक है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के हर मंच पर हिंदी में अपनी बात कहना गर्व की बात समझते हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है राजभाषा हिंदी ही इस देश की प्रमुख भाषा है। राजभाषा हिंदी ही विश्व मंच पर भारत एवं भारतीयता की पहचान है।

किसी भी क्षेत्र या संगठन की सफलता, क्षमता एवं मजबूती में भाषा की महत्ता निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय प्रणाली इसकी अपवाद नहीं है। भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति ही नहीं है बल्कि ज्ञान, अनुभव, कौशल की संचित कोश भी होती है। जीवन का हर कोना भाषा की सुरभि से सुवासित हैं। अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय व्यवस्था भी हर आमो-खास के जीवन में खास महत्व रखता है और उसे प्रभावित भी करता है। अर्थव्यवस्था

एवं वित्तीय क्षेत्र की अपनी एक खास भाषा होती है। यह भाषा कभी तकनीकी तो कभी साधारण होती है। उदाहरण के लिए बैंकिंग, बीमा क्षेत्र के नियम, अधिनियम, कानून, करार आदि जहां तकनीकी भाषा के अंतर्गत आते हैं वहीं इनसे संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार आदि साधारण भाषा के अंतर्गत आते हैं। जिसकी बहुत अधिक व्यवहारिक महत्ता है। यह कहा जा सकता है कि वित्तीय क्षेत्र में इन दोनों तरह की भाषाओं का पर्याप्त महत्व है।

इसे भाषा की खूबसूरती ही कहा जाएगा कि जटिल से जटिल विषय भी इससे सरल प्रतीत होते हैं। वित्तीय क्षेत्र के कई नियम, अधिनियम विषयानुरूप जटिलताओं को लिए हुए रहते हैं। यदि इन जटिलताओं से सज्जित भाषा को विशुद्ध रूप से कर्मचारियों एवं ग्राहकों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो ज्यादातर के लिए यह भाषा बोझिल एवं दुरूह ही होगी।

यहीं पर भाषा की सरलता, सहजता एवं जानकारी का महत्व प्रमुखता से उभरता है। कहने का मतलब यहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र को व्यापक, कुशल व समावेशी बनाना है तो भारत की भाषाई स्थिति को समझते हुए इसके अनुरूप कार्य करना होगा। भारत की भाषाई स्थिति के अनुरूप यह भाषा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी एवं स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाएँ ही हैं। अत: यह जरूरी है कि अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की भूमिका को मजबूती से स्थापित किया जाए।

प्रस्तुत आलेख के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में हिंदी की भूमिका को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।

अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में हिंदी भाषा की भूमिका :
बहुसंख्यक आबादी की समझ की भाषा

भारतीय जनमानस को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत की सबसे बृहत भाषा हिंदी है। आज भारत में तकरीबन 110 करोड़ लोग हिंदी को अच्छे से बोल एवं समझ सकते हैं। एक सफल एवं सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिसे देश की बहुसंख्यक आबादी समझती हो। आजादी के 77 वर्षों के बाद भी हमारे देश में अंत्योदय का सपना तमाम भारी-भरकम योजनाओं के बाद भी साकार नहीं हो पाया है तो इसके पीछे कहीं-न-कहीं अपने देश में हद से ज्यादा एक विदेशी भाषा को तरजीह दिया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

इसे विंडबना ही कहा जाएगा कि आज भी हमारे देश की तमाम योजनाओं, नियमों को जिसे कई बार उच्च शिक्षित व्यक्ति भी समझने में सफल नहीं होते हैं, उसे जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह समावेशी विकास की अवधारणा के भी प्रतिकूल हैं। ऐसे में समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध वित्तीय प्रणाली को यदि वास्तविक अर्थों में लक्षित उद्देश्यों को पाना है तो जनभाषा को अपनाना होगा। इस दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी से बेहतर कोई और भाषा नहीं हो सकती।

वित्तीय लोभ एवं लालच की दृष्टि से बैंकिंग उद्योग में धोखाधड़ी की संभावना सदैव बनी रहती है। प्रौद्योगिकी से अगर सहूलियतें हैं तो आए दिन कुछ-न-कुछ नए खतरें भी प्रस्तुत होते हैं। बैंकिंग तकनीक के क्षेत्र में साइबर अपराध जैसी समस्याओं से हम सब रोज ही जूझ रहे हैं। वित्तीय या अन्य क्षेत्रों में भी ग्राहकों का शैक्षणिक स्तर एक समान नहीं होता है। अत: वित्तीय साक्षरता,जागरूकता व ज्ञान-विज्ञान से संबंधित सामग्री हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी भाषा में उपलब्ध कराना चाहिए जो सभी के लिए सुबोध एवं फायदेमंद हो। अंग्रेजी की जगह हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाए तो यह कहीं अधिक प्रभावी एवं उपयोगी होगा।

बहुधा अंग्रेजी न जानने, न समझने वाले लोग उस वक्त संकोच में पड़ जाते हैं जब अंग्रेजी में उन्हें कुछ बताया जाता है और उन्हें कई बातें समझ में नहीं आती। पूछने में हीनता बोध के अहसास से वे इन बातों को फिर से पूछ भी नहीं पाते। फलत: जिस उद्देश्य से बैंक,बीमा व अन्य क्षेत्र भी अपने ग्राहकों को जो कुछ बताना चाहता है, वह कई बार अधूरा ही रह जाता है। इसका नुकसान संगठन एवं ग्राहक दोनों को ही होता है। अत: संगठन एवं ग्राहक के आपसी रिश्तों की मजबूती भाषा पर बहुत हद तक निर्भर करती है और इस कार्य हेतु हिंदी का कोई विकल्प नहीं।

वित्तीय क्षेत्र के विस्तार में हिंदी की भूमिका

वित्तीय क्षेत्र के विस्तार में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, परंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि ज्ञान-विज्ञान के हर क्षेत्र के साथ बैंकिंग व बीमा प्रणाली में भी हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक रूप से बढ़ाने का प्रयास करना होगा। ऐसा कर हम दोहरे लक्ष्यों को पा सकते है-

1. बैंकिंग व बीमा को समावेशी विकास के साथ जोड़ना,
2. वित्तीय तकनीक को आम आदमी तक पहुंचाना, तथा
3. संवैधानिक दायित्वों का अनुपालन।

उपर्युक्त तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति में हिंदी सहायक हैं। बैंक जैसे विशुद्ध रूप से मुनाफे पर केंद्रित संगठन के लिए समावेशी विकास एवं वित्तीय तकनीक के प्रसार के साथ ही संवैधानिक दायित्वों का अनुपालन भी कॉरपोरेट लक्ष्य है। वास्तव में, संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का ही दस्तावेज है जिसका पालन करना देश की प्रगति के लिए अत्यावश्यक है।

भाषा मानव को संसाधन बनाने का प्रमुखतम जरिया है। अत: हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में लोकमानस में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया क्योंकि भारत में हर चीज हिंदी से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि वित्तीय प्रणाली में हिंदी की संभावनाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यूनिकोड व अन्य तकनीकों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें काफी हद तक बैंक प्रयासरत भी हैं। पंजाब नैशनल बैंक में व्हाट्सअप बैंकिंग, पीएनबी वन, मोबाइल बैंकिंग व डिजिटल बैंकिंग जैसे अनेक क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग सुलभ है।

ग्राहकों से संपर्क करने के लिए हिंदी भाषा ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बैंकों के बृहत समामेलन के बाद हिंदी की भूमिका और बढ़ जाती है। आर्थिक सशक्तिकरण में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही, बड़े बैंक विकसित होती अर्थव्यवस्था की जरूरत भी है। इन सभी बिंदुओं की पूर्ति में हिंदी प्रमुख आवश्यकता है। भारत बाजार आधारित आर्थिक प्रणाली की ओर गतिशील है जो मूलत: मांग व आपूर्ति की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसी भी उत्पाद का बाजार विस्तार एवं मूल्य इन्हीं शक्तियों पर निर्भर करता है। कमोबेश सभी बैंक एक जैसे ही उत्पाद का विपणन करते हैं जिससे प्रतियोगितात्मक क्षमता में वृद्धि होने से ही अस्तित्व की रक्षा हो सकती है। इस प्रतियोगिता का गुणात्मक प्रबंधन आवश्यक है। सेवा क्षेत्र में गुणवत्ता तभी स्थापित होती है जब सेवा का मूल्यांकन आम जन करें अर्थात् गुणवत्ता के श्रेष्ठ मूल्यांकन हेतु अपनी विशेषताओं से आमजन को परिचित कराना व उसका समुचित मूल्यांकन कराना जरूरी है। परस्पर संपर्क सुविधा व सहजता से प्रभावित होता है और इस सहजता में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंक एवं भाषा

राष्ट्रीयकरण के बाद और आज भी बैंक की शाखाओं का काफी बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पर्यावरण भाईचारे की संस्कृति से संचालित होता है। उनके लिए बैंक एक ऐसी संस्था है जो उनके परिश्रम से अर्जित धन को सबकी दृष्टि से बचाकर रखता है। बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण से उनकी आर्थिक गतिविधि संचालित होती है। बैंकों द्वारा उनके प्रति उसी सद्भाव का प्रकटन उन्हें सहज रूप से बैंक के साथ जोड़ता है। इस जुड़ाव में हिंदी व भारतीय भाषाओं की भूमिका स्पष्ट है।

योजनाओं का प्रसार

व्यवसाय की सफलता अपनी उत्पाद की विशिष्टता से अधिक जनरूचि व स्वीकार्यता से प्रभावित होती है। जनरूचि अर्थात् ऐसी भाषा का प्रयोग जो सहज रूप से लक्ष्य ग्राहक समूह समझ सकें। विपणन की सफलता भी इसी में निहित हैं और इसमें हिंदी की भूमिका स्वयंसिद्ध हैं। अत: हिंदी में योजनाओं का प्रसार होने से कार्यक्रम की सफलता निश्चित होगी। बैंकिंग जटिलताओं के विरूद्ध जनमानस को सहज भाषा के माध्यम से ही विश्वसनीय संबंध में बांधा जा सकता है।

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा की पहली शर्त है जनसामान्य से जुड़ना जिसके लिए हिंदी एवं भारतीय भाषाओं का प्रयोग स्पष्ट है। वित्तीय क्षेत्र यथा, बैंकों की विभिन्न सेवाओं की जानकारी हिंदी में देने से आय जोखिम मुक्त एवं बैंक के प्रति सद्भाव में वृद्धि करती हैं।

हिंदी : देश के आर्थिक विकास का इंजन

आर्थिक विकास हेतु बैंकों व बीमा कंपनियों की उपादेयता स्थापित करने हेतु वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसे हिंदी में संचालित करने में तार्किक परिणति, जनता की भागीदारी, बैंक के व्यवसाय एवं लाभार्जन की संभावना में प्रकट होती है।

हिंदी उत्तर, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी भारत के अधिकांश प्रांतों में बोली व समझी जाती है। दक्षिण व पूर्व के कुछेक प्रांतों में हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। चूँकि वित्तीय क्षेत्र विशेष रूप से बैंक व बीमा राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत काम करते हैं अत: बैंकों व बीमा कंपनियों की सोच, उत्पाद,रणनीति का भी एक राष्ट्रीय आधार होना ही चाहिए। इस राष्ट्रीयता की परिपुष्टि बैंक व बीमा कंपनियां उस भाषा के प्रयोग द्वारा कर सकते हैं जो बहुजन की भाषा हो।

हिंदी में अभिव्यक्ति से व्यक्ति, समाज या संगठन का विस्तार राष्ट्रीय फलक को पाता है। इस भाषा के प्रयोग से व्यवसाय के नए-नए आयाम स्वत: प्रशस्त हो जाते हैं। भारतीय जन की अभिव्यक्ति यदि हिंदी में हो तो यह देश के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विस्तार को सकारात्मक स्वरूप प्रदान करती है। हिंदी भाषा के प्रयोग द्वारा 138 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में हिंदी भाषा की भूमिका इससे स्थापित होती है।

मानव संसाधन प्रबंधन और हिंदी

किसी भी संगठन की सफलता, क्षमता एवं मजबूती मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करती है। मानव संसाधन के बेहतर समन्वय एवं उपयोग द्वारा कोई भी संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि संस्था को प्रगति पथ पर गतिमान बनाने हेतु मानव संसाधन की क्षमताओं का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए? इसका एकमात्र समाधान है – संगठन द्वारा मानव संसाधन का बेहतर प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं सांगठनिक आत्मीयता का उपयोग। मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं सांगठनिक आत्मीयता में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

दरअसल भाषा मानव सभ्यता के विकास की आरंभिक कड़ी है क्योंकि बिना भाव या संवाद के परिवार, समाज या संगठन की कल्पना ही बेमानी होगी। भाषा या बोली के माध्यम से ही भाव या विचार, परिवार, समाज, संगठन या व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं और यही भाव या विचार मानव को संसाधन के रूप में भी प्रकट करते हैं। यहीं कारण है कि मानव सभ्यता के विकासक्रम के आरंभिक काल से ही भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित है। आधुनिक भारत के संदर्भ में यह भाषा हिंदी है। हिंदी हम सभी को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव संसाधन के हर पहलू में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मानव संसाधन प्रबंधन में सांगठनिक आत्मीयता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आत्मीयता हमें स्वयं से प्रेम करने के साथ सर्व से प्रेम करने को भी प्रेरित करती है। यह आत्मीयता संगठन की प्रगति में सहायक होती है। इस आत्मीयता के प्रसार में परस्पर संवाद का महत्व बहुत अधिक है। इस परस्पर संवाद में व्यापक संपर्क की भाषा हिंदी की भूमिका स्थापित है।

आज के बदलते दौर में प्रबंधन तंत्र को संगठन की प्रगति एवं समन्वित विकास हेतु मानव संसाधन की महती भूमिका

को नए सिरे से समझने की जरूरत है। इसके लिए आवश्यक है मानव संसाधन यानि संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के गुणों को तराशने की। गुणों को तराशने से हमारा मतलब है उसे समुचित प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की सुविधाएँ मुहैया कराना। प्रशिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त भाषा हिंदी है। इससे पारदर्शिता स्थापित होगी। अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में इन तत्त्वों के महत्व तथा इसमें हिंदी की भूमिका को समझने की नये सिरे से आवश्यकता है।

विकास का मनोविज्ञान

कई बार व्यक्ति, संगठन या समाज अपनी सोच से भी विकसित होता है। यदि बैंक के स्तर पर ही देखें तो वर्तमान युग में ग्राहक आह्लाद यानि (कस्टमर डिलाइट) के साथ कर्मचारी-आह्लाद का होना भी आवश्यक है। किसी भी संस्था में कर्मचारी-आह्लाद इस बात पर निर्भर करता है कि प्रबंधन-वर्ग उनकी सुख-सुविधाओं के प्रति कितना संवेदनशील है और यहाँ पर मानव संसाधन प्रबंधन तंत्र के साथ हिंदी की भूमिका भी उल्लेखनीय हो जाती है। अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में विकास के मनोविज्ञान में भाषा की भूमिका उल्लेखनीय है।

नवोन्मेषी सोच के विकास में भाषा की भूमिका

खोजपूर्ण एवं नवोन्मेषी विचार किसी भी राष्ट्र की सशक्तिकरण हेतु सहायक होते हैं। चाणक्य एक कुशाग्र प्रशासक थे एवं अपनी बुद्धि एवं चातुर्य के बल पर भारत में नंद वंश की सत्ता को उखाड़ कर मौर्य वंश की स्थापना में उन्होंने अहम् भूमिका अदा की। भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपने विचारों से भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया और विश्व में गौरव दिलवाया। ये दोनों अपने विचारों के बल पर ही राष्ट्र एवं समाज को नई दिशा दे सकें। एक कहावत भी है कि संसार पर राज, विचार करते हैं, राजा या संस्थाएँ नहीं। यहाँ भी हिंदी एवं भारतीय भाषाओं की भूमिका उल्लेखनीय है। नवोन्मेषी सोच आर्थिक एवं बैंकिंग विकास में भी सहायक होते है। वर्तमान सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम स्टार्ट-अप,कौशल विकास नवोन्मेषी सोच को ही प्रेरित करती है। बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने मॉडल कौशल ऋण योजना की नए सिरे से घोषणा की है।

डिजिटल क्रांति में हिंदी

अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में डिजिटल क्रांति में हिंदी की भूमिका को समझने की आवश्यकता है। तकनीक की खोज भी उसी दिशा में मुड़ती है जिधर आवश्यकता उसे ले जाती है। वर्तमान वित्तीय क्षेत्र जो दिन-प्रतिदिन तकनीकी रूप से समृद्ध होता जा रहा है, इस हेतु हमें तकनीकीविदों को यह बराबर अहसास दिलाते रहना होगा कि हम वित्त, बैंकिंग या अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त की जा रही तकनीक में हिंदी के वर्तमान स्वरूप से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इस तकनीक में हिंदी एवं भारतीय भाषाएँ जुगाड़ स्तर तक ही उपलब्ध हैं। साथ ही, वित्तीय क्षेत्र के विस्तार हेतु यह जरूरी भी है कि हिंदी में कार्य को हम राष्ट्रीय कर्तव्य समझें क्योंकि यह व्यावसायिक आवश्यकता भी है। अन्यथा, डिजिटल क्रांति की सार्थकता देश की बड़ी आबादी के लिए शून्य ही रहेगी।

सांगठनिक विकास में हिंदी

संगठन के विकास में परस्पर संवाद एवं भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। संगठन द्वारा कर्मचारियों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाए तो इससे कर्मचारीगण अभिप्रेरित होते हैं। इसमें एक कुशल नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन सभी में हिंदी की भूमिका स्पष्ट है। उदाहरण के लिए महात्मा गाँधी ने अपनी नेतृत्वशीलता में हिंदी को पर्याप्त महत्व दिया।

ज्ञान-विज्ञान की भाषा

अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में हिंदी की भूमिका की संवृद्धि के लिए यह जरूरी है कि भारत में इसे ज्ञान-विज्ञान में शिक्षण और संप्रेषण के रूप में विकसित होने वाली भाषा के रूप में मजबूती के साथ स्थापित किया जाए। विविध विधाओं में यह अनुसंधान की भाषा के रूप में उभरें। इस हेतु सरकारों को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हिंदी बैंकिंग, ज्ञान- विज्ञान की भाषा है इसे प्रतिपादित करना होगा। देश के युवाओं को इस हेतु विश्वास दिलाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों को हिंदी में निर्वचन विधि का विकास करना होगा। उदाहरण के लिए विधि की शिक्षा विधि को जानने-समझने,इसके अर्थबोध की शिक्षा है। विधि का अर्थबोध एक निर्वचन की प्रणाली है, एक व्याख्या की प्रणाली है और इस हेतु भारतीय परंपराओं की शरण में जाना होगा। हिंदी मन का विधिशास्त्र विकसित करना होगा। वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। वास्तव में, हिंदी भारत में उच्च स्तर पर भारतीय वाक् के रूप में अल्पांश रूप में ही उपस्थित है। इसे बदलने हेतु हम सभी को समवेत होकर कार्य करना होगा। हालांकि नयी शिक्षा नीति से आशा की किरण जगी है फिर भी अभी मीलों आगे जाना है।

उपसंहार

निष्कर्षत: यदि हम आलेख में उल्लिखित बिंदुओं का उपसंहार करें तो पाते हैं कि देश के सशक्तिकरण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी के लिए यह सुखद भविष्य का संकेत है कि दिन-प्रतिदिन मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ आज दुनिया के अधिकांश देश अपना संबंध बेहतर करना चाहते हैं और वे भारत को बेहतर तरीके से जानने–समझने के लिए भारत की राजभाषा, संपर्क भाषा, कला–संस्कृति, मनोरंजन की भाषा हिंदी को अपना रहे है। आज विश्व स्तर पर हिंदी की उपस्थिति को लेकर यह कहा जा सकता है कि "हिंदी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता" और हिंदी के इसी उगते सूर्य से अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र को नयी दिशा मिलेगी।

विश्व पटल पर हिंदी

- सुनीता शर्मा
पूर्व उप महाप्रबंधक (राजभाषा),
जीआरएसई लि.

भाषा मनुष्य की भावात्मक अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा की नियति उसके बोलने वालों से जुड़ी होती है और भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति कभी नहीं रुकी क्योंकि यह हमारी जनभाषा है। वैश्वीकरण ने अचानक हिंदी को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। हिंदी को यह अवसर मिलने का कारण है कि भारत वर्तमान विश्व की अर्थव्यवस्था का जाना माना ब्रांड बनता जा रहा है। भारत के विश्व में महान शक्ति के रूप में उभरने के कारण वैश्वीकरण का असर हिंदी पर व्यापक रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्वीकरण से तात्पर्य केवल आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, भाषा आदि के लिहाज से भी वैश्वीकरण हो रहा है। ऐसे में हिंदी का व्यापक प्रयोग अपने उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए करना व्यवसाय की मजबूरी बनता जा रहा है। विश्व की व्यापारिक जरूरतों को देखते हुए हिंदी विश्व भाषा के रूप में अपनी पहचान बना रही है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में उज्बेकिस्तान दौरे पर अपने सम्बोधन में आर्थिक समृद्धि के साथ भाषाओं की समृद्धि को जोड़ते हुए कहा था कि भाषा का आर्थिक स्थिति से सीधा संबंध होता है। जो देश आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, उनकी भाषा के पंख भी बड़े तेज हो जाते हैं। दुनिया के सारे लोग उसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि इससे कारोबार में आसानी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में भारत की भाषाओं का महत्व भी बढ़ने वाला है क्योंकि भारत जैसे जैसे आगे जाएगा उसकी भाषाओं का महत्व बढ़ेगा। अत: यह स्पष्ट है कि भाषा में बहुत ताकत होती है। भाषा को बचाने का तात्पर्य है देश के भविष्य को ताकतवर बनाना।

विश्व पटल पर हिंदी के विकसित होने के प्रमुख कारण हैं :

क) वैश्वीकरण का अर्थ विश्व में अर्थव्यवस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय एकीकरण है। भाषा की भूमिका इसमें अहम है। आज विश्व एक बड़ा बाजार बन गया है। हिंदी के विश्व पटल पर उभरने का प्रमुख आधार है कि भारत व्यावसायिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक दृष्टि से एक विकसित देश बन रहा है और ऐसे में हिंदी का महत्व वैश्वीकरण एवं बाजारवाद के संदर्भ में बढ़ रहा है। आज हिंदी का स्वरूप वैश्विक अथवा ग्लोबल हो गया है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और कंप्यूटरीकरण के वर्तमान परिवेश में आज भारत में विकसित या आयातित प्रौद्योगिकी को जनमानस तक पहुंचाने का प्रश्न महत्वपूर्ण है। आज प्रतिस्पर्धा का युग है, हर एक अपने को श्रेष्ठ साबित कर आगे आने की होड़ में लगा हुआ है। ऐसे में हिंदी सहित देश की अन्य भाषाएँ भी अछूती नहीं हैं। आज भाषा का महत्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। विश्व के देशों को व्यवसाय के लिए हिंदी का प्रयोग करना अनिवार्यता बन गया है।

भारत अब (जीडीपी के हिसाब से) दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की विकास और नवाचार की विशाल क्षमता ने हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त भारत पर्यटन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय और सूचना प्रणाली एवं डिजिटल मीडिया जैसे हर क्षेत्र में अग्रसर है। आज का बाजार वैश्विक है अत: मीडिया, विज्ञापन की भाषा में उस भाषा का प्रयोग हो रहा है जो ग्राहक को अपनी ओर खींचे। आज अंतरराष्ट्रीय उत्पाद को बेचने के लिए हिंदी का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। यह आर्थिक अवधारणा आज सांस्कृतिक और भाषायी संस्कृति से भी जुड़ गई है। वैश्वीकरण का जो प्रभाव भाषा पर पड़ता है वह एकतरफा नहीं होता, ऐसे में विश्व की सभी भाषाओं का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ते विश्व संपर्क के कारण हर भाषा के शब्द हिंदी में मिल रहे हैं। आज विदेशी कंपनियां व्यावसायिक लाभ के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। भारत की जनसंख्या और व्यापार को देखते हुए विश्व के व्यापारी समझ गए हैं कि हिंदी के माध्यम से ही इस बाजार में उतरा जा सकता है। अधिकतर विज्ञापन आज हिंदी में हैं भले ही कुछेक में देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया गया हो।

ख) हिंदी के प्रयोक्ताओं की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। हिंदी संघ की राजभाषा ही नहीं अपितु यह विश्वभाषा भी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए कहा है कि विश्व पटल पर हिंदी का प्रचार-प्रसार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी की बढ़ती प्रतिष्ठा के चलते आज हिंदी सीखना समय की मांग हो गई है। 'एक वैज्ञानिक भाषा होने' और 'जैसा बोला जाता है वैसी लिखी जाने' जैसी विशेषताओं ने इसे लोकप्रिय भाषा बनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा देश विदेश में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिंदी में किए गए संबोधनों के द्वारा इन्होंने जिस तरह हिंदी को वैश्विक मंचों पर गौरवान्वित किया है, हमारे लिए प्रेरणा की बात है। इससे न केवल देश में बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी बहुत गर्व होता है।

विश्व के अनेक देशों में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भारतीय न हों। विश्व में फैले इन अप्रवासी भारतीयों की संख्या करोड़ों में है और इन करोड़ों लोगों द्वारा हिंदी बोली और समझी जाती है तथा विश्व के बहुत से देशों में हिंदी एक लोकप्रिय और जनभाषा के रूप में प्रचलित हो रही है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आज विश्व के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में भारतीय मूल के लोगों और हिंदी की उपस्थिति ने अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाया है। भारतीय मूल के करोड़ों लोग न केवल भिन्न भिन्न देशों में बिखरे हुए हैं अपितु वे वहाँ राजनीतिक, व्यापार, उद्योग, अध्ययन-अध्यापन, कला, संस्कृति के क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन हैं और ये सभी विश्व भर में हिंदी सहित देश की भाषाओं का प्रचार प्रसार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हिंदी के प्रयोग को देखते हुए ऐसे देशों, जहां हिंदी के प्रयोक्ताओं की संख्या अधिक है, को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

i) भारत के पड़ोसी राष्ट्र
ii) भारतवंशी राष्ट्र
iii) अप्रवासी बहुल राष्ट्र

नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका आदि भारत के पड़ोसी देशों में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या बहुत अधिक है और वे हिंदी को स्वेच्छा से प्रयोग में ला रहे हैं।

मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, थाईलैंड, इन्डोनेशिया, चेकोस्लोवाकिया, सिंगापुर आदि देशों में हिंदी लोकप्रिय भाषा होने के साथ-साथ बोली भी जाती है। इसके अलावा विश्व के उन देशों जहां भारतीय आजीविका की दृष्टि से बस गए हैं अथवा उच्च शिक्षा के लिए रह रहे हैं जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में हिंदी लोकप्रिय भाषा ही नहीं अपितु अप्रवासी भारतीयों के बीच एक संपर्क भाषा के रूप में अपनी पैठ बनाए हुए है।

देश विदेश के विचार, तकनीक, साहित्य का आदान-प्रदान अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। हिंदी अब केवल साहित्य की भाषा नहीं है अपितु यह पूंजी, बाजार और संचार तकनोलोजी का प्रतिनिधित्व कर रही है। विश्व की व्यापारिक जरूरतों और अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर हिंदी विश्व भाषा के रूप में अपनी स्पष्ट पहचान बनाने की ओर अग्रसर है।

ग) हिंदी के वैश्विक होने का एक अन्य प्रमुख कारण है भारत की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, दर्शन विश्व को सदैव आकर्षित करता रहा है। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि भाषाएं सांस्कृतिक परंपरा की प्रतिनिधि भी होती हैं और हिंदी ऐसी भाषा है, जिसमें अखिल भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधित्व की क्षमता है। स्वतन्त्रता के पश्चात महात्मा गांधी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, काका कालेलकर, सुभाष चन्द्र बोस, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, केशव चन्द्र सेन, बंकिम चन्द्र चटर्जी, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर आदि जिन जिन महापुरुषों ने हिंदी का प्रबल समर्थन किया और इसे राष्ट्र भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा, इन महापुरुषों में से अधिकांश की मातृभाषा हिंदी नहीं थी।

आज भारतीय संस्कृति भी विश्व पर अपना प्रभाव अंकित कर रही है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि विश्व की जानी मानी हस्तियां आज विवाह व अन्य सामाजिक आयोजन भारतीय रीति रिवाजों से भारत में आकर कर रहे हैं जिनमें विश्व भर के मेहमान इन आयोजनों में शिरकत करते हैं। इन आयोजनों में ये विख्यात हस्तियां भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं वह बात चाहे उनके परिधान व आभूषणों की हो या उनके हाव-भाव एवं तौर-तरीकों की हो। इसके साथ-साथ विदेशों में बसे भारतीय भी अपनी संस्कृति और अपने रस्मों-रिवाजों को वहाँ बरकरार रखे हुए हैं। ऐसे में भारतीयता और उसकी संस्कृति का प्रभाव मात्र यहीं तक सीमित नहीं रह जाता अपितु भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परिधान, भारतीय पकवान आदि के प्रति यह आकर्षण, यह मोह उन सभी लोगों के साथ विश्वभर में प्रचारित हो रहा है जो अपने साथ-साथ हिंदी की शब्दावली को भी जोड़े हुए है। तात्पर्य यह है कि किसी देश की संस्कृति अक्षुण्ण नहीं रहती वह देश की भाषा को भी अपने साथ लेकर चलती है। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि भारतीय संस्कृति और हिंदी एक दूसरे के पर्याय हैं।

भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ता आकर्षण एक नए वैश्विक बाजार को भी विकसित कर रहा है और वैश्वीकरण का तो आधार ही है बाजार, अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी। ऐसे में भाषा पर नियंत्रण केवल भाषाविदों के हाथों में नहीं रह गया है। इसका स्वरूप व्यापारियों और मार्केट एजेंसियों द्वारा निर्धारित हो रहा है। वैश्वीकरण का जो प्रभाव भाषा पर पड़ता है वह एकतरफा नहीं होता, ऐसे में विश्व की सभी भाषाओं का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ते विश्व संपर्क के कारण हर भाषा के शब्द हिंदी में मिल रहे हैं। विश्व स्तर पर हिंदी एक नए रूप में विकसित हो रही है। विश्व बाजार में इसका स्वरूप और अधिक व्यापक होकर उभर रहा है। बदलते हुए आर्थिक परिवेश के अनुसार हिंदी के स्वरूप में परिवर्तन अब अनिवार्य हो गया है। यह संचार की भाषा के रूप में लोकप्रिय विश्व भाषा बनकर अवस्थित हो रही है।

घ) हिंदी के विश्व पटल पर उभरने का एक और प्रमुख तथा महत्वपूर्ण कारण है कि आज हिंदी को वैश्विक धरातल

प्राप्त हो रहा है। विश्व के कई देशों में हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। विश्व के लोग भारत के बारे में, इसके दर्शन, इसके साहित्य, अध्यात्म, योग, ध्यान आदि का अध्ययन करना चाहते हैं। विश्व के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम संचालित किए जाने लगे हैं। विश्व भर में हिंदी की लोकप्रियता का परिणाम यह है कि भारत के केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी भाषा का अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं आज विश्व के कई देशों में हिंदी की पत्र- पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं जो वैश्विक स्तर पर हिंदी को समृद्ध बना रहे हैं। वैश्वीकरण के इस वेग में हिंदी भाषा और इसका साहित्य सरहदों को पार कर विश्व भर के पाठकों में अपनी उपस्थिति और स्वीकार्यता दर्ज करा रहा है और दुनिया भर के लेखक व पाठक एक वैश्विक मंच पर आ गए हैं।

आज हिंदी भाषा का अध्ययन विश्व के अनेक देशों में किया जा रहा है, जो स्कूल स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर हो रहा है। विश्व के सैकड़ों स्कूलों, विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था विविध स्तरों पर की हुई है। विश्व के प्राय: सभी महत्वपूर्ण देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन कार्य हो रहा है। इतना ही नहीं आबूधाबी में भी हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता मिल चुकी है। आज विश्व के ऐसे बहुसंख्यक देश हैं जहां हिंदी बोलने का प्रचलन बढ़ रहा है। हिंदी का प्रयोग भारत के बाहर रहने वाले लोगों द्वारा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। यह इसे अंतरराष्ट्रीय संचार के लिए एक बहुत उपयोगी भाषा बनाता है। हिंदी बोलने वालों की इतनी बड़ी आबादी होने के कारण, यह भाषा दुनिया भर के स्कूलों में भी पढ़ाई जा रही है। हिंदी के अध्ययन की दृष्टि से ऐसे देशों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

i) भारत के पड़ोसी देश जहाँ भारतीय मूल के लोग अधिक रहते हैं जैसे - नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव आदि।

ii) भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश जैसे - इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, कोरिया आदि।

iii) जहां हिंदी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है जैसे – अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के देश।

iv) अरब तथा अन्य इस्लामी देश जैसे – संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, कतर, मिस्र, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि।

इनके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर की जा रही निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों द्वारा हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया जा रहा है:

- विश्व हिंदी सचिवालय, जिसका मुख्यालय मॉरीशस में स्थित है, वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु कार्यरत है। इसका उद्देश्य है ऐसी नीतियों तथा व्यवस्था का प्रसार करना जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण को सुविधाजनक बनाया जा सके, प्रकाशनों तथा आई.सी.टी. नेटवर्क द्वारा विश्व भर में हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबद्ध जानकारियों का प्रसार करना, विश्व भर में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर हिंदी पठन-पाठन का प्रसार करना, हिंदी लेखकों, प्रकाशनों, संस्थानों तथा अन्य सहयोगियों का एक डेटाबैंक स्थापित करना, विश्व भर में हिंदी बोलने वाले समुदायों के बीच एक नेटवर्क स्थापित करना, हिंदी

के प्रचार-प्रसार तथा भाषा में गहन अनुसंधान करने के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं और मल्टीमीडिया सुविधाओं से युक्त एक संसाधन केंद्र की स्थापना करना तथा वैश्विक स्तर पर देशों तथा पुस्तकालयों को सहयोग प्रदान करना। विश्व हिंदी सचिवालय प्रति वर्ष हिंदी पत्रिका निकालता है, जिसमें विश्व में हो रही हिंदी गतिविधियों की जानकारी मिलती है।

- 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है।

- हिंदी सिनेमा हिंदी चैनल, हिंदी पत्र-पत्रिकाएं, वेबसाइट आदि - हिंदी फिल्मों, धारावाहिकों, मीडिया कार्यक्रमों, दूरदर्शन और हिंदी चैनलों ने हिंदी को ग्लोबल बनाने में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपितु उसकी संस्कृतनिष्ठ दुरूहता को समाप्त कर उसे रोज़मर्रा की बोली में परिणत कर दिया है। हिंदी सिनेमा और धारावाहिक विश्वभर में लोकप्रिय हैं। आज विश्वभर में कई हिंदी पत्र-पत्रिकाएं, वेबसाइट तथा ब्लॉग हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विभिन्न विषयों पर हिंदी के यूट्यूब चैनलों की तो बाढ़ सी आ गई है, व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी में सरलता, बोधगम्यता और लचीलापन है जो प्रत्येक भाषा के शब्दों को सहजता से आत्मसात करती है और अपने इन्हीं गुणों के कारण देश-विदेश में फैले पाठकों और दर्शकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में विश्वभर में हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। अत्यंत व्यापक बाजार को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू जैसी विश्वस्तरीय कंपनियां हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं। मेटा एआई अब हिंदी में भी उपलब्ध है। मेटा अब यूजर्स को एआई चैटबॉक्स की मदद से व्हॉट्सऐप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में हिंदी में चैटिंग, वीडियो और वॉइस कॉलिंग की सुविधा देगा।

- एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है अपितु यह भारतीय संस्कारों, संस्कृति, मूल्यों, परम्पराओं की संवाहक और परिचायक भी है। इसका जीता जागता प्रमाण है विश्व के 177 देशों की मान्यता के साथ 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया जाना।

- वर्ष 2018 में, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के बीच दो साल की अवधि के लिए एक स्वैच्छिक वित्तीय योगदान संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2019 में इस करार की अवधि को 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया और वर्तमान में यह मार्च 2025 तक लागू है।

इस करार के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र समाचार की एक हिंदी वेबसाइट पर हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को यूएन रेडियो वेबसाइट पर हिंदी में प्रसारित करता है, साउंड क्लाउड पर एक साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन जारी करता है, यूएन ब्लॉग को हिंदी में प्रकाशित करता है और एंड्रॉइड एवं आईओएस मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए यूएन न्यूज रीडर मोबाइल एप्लिकेशन को हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया है। हिंदी यूनेस्को के कामकाज की नौं भाषाओं में से एक है।

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में 'हिंदी पीठ' स्थापित की है। विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी अध्यापकों को विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों में हिंदी शिक्षण के लिए भेजती है तथा विदेशी नागरिकों के लिए ऑनलाइन हिंदी कक्षाएं आयोजित करती है। इसके अतिरिक्त विश्व भर में हिंदी को प्रोत्साहित करने और हिंदी के महत्व को मान्यता देने के लिए विभिन्न

देशों के प्रतिनिधियों हेतु 'हिंदी विश्व यात्रा' की पहल की है।

- भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा विदेशों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन इस दिशा में एक अत्यंत सराहनीय कदम है। वर्तमान में मॉरीशस (पोर्ट लुई), संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), यूनाइटेड किंगडम (लंदन), फ़िजी तथा सिंगापुर में नराकास गठित हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति अपने शिखर पर है। विश्व पटल पर हिंदी ने एक प्रमुख भाषा के रूप में अपनी पहचान बना ली है। नए जमाने के नए शब्दों को आत्मसात कर हिंदी वैश्वीकरण के आधुनिक परिवेश में समृद्ध हो रही है। अब यह संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनने के लिए प्रयत्नशील है। आवश्यकता है हिंदी को तकनीकी तौर पर और भी समृद्ध और सम्पूर्ण भाषा बनाने की और इसके लिए विधि, विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और अन्य तकनीकी के क्षेत्र में पाठ्य सामग्री हिंदी में शीघ्र उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है। ऐसे में हिंदी को न केवल देश की विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनाना होगा अपितु विदेशी शब्दों का भारतीयकरण करना होगा ।

मीडिया में हिंदी की भूमिका

- डॉ. अस्मिका सिन्हा
प्रबंधक राजभाषा, डीएमआरसी

प्रस्तावना

भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और मीडिया भाषा के व्यवहार का माध्यम है। हजारों वर्षों तक भाषा केवल वाचिक परंपरा के माध्यम से व्यवहार में आती रही है। उसके बाद ताम्रपत्रों, शिलाओं और पत्तों पर भाषा को लिखित रूप दिया जाने लगा। नवीं शताब्दी में चीन में लकड़ी के ब्लॉक्स के माध्यम से मुद्रण का प्रमाण मिलता है। 868 ईसवी में चीन में तांग वंश के शासन के दौरान 'स्वर्ण सूत्र' नाम से एक पुस्तक मुद्रित की गई जो करीब 1000 वर्ष एक गुफा में पड़े रहने के बाद सन् 1900 में मिली और फिलहाल ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन में है। लकड़ी के ब्लॉक्स से छपाई का यह तरीका आठवीं-नवीं शताब्दी में जापान और कोरिया में भी प्रयोग किया गया। मुद्रण मशीन आ जाने से भाषाओं का विस्तृत रूप से इस्तेमाल होने लगा। हिंदी को मुद्रण माध्यम का लाभ थोड़ी देर से मिलना शुरू हुआ। 30 मई, 1826 को देश का पहला हिंदी समाचार-पत्र (साप्ताहिक) पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने कलकत्ता में शुरू किया तो इसके साथ ही हिंदी भाषा के विस्तार ने गति पकड़नी शुरू की। आज हिंदी में छपने वाले पत्र-पत्रिकाओं की संख्या हजारों में और उनके पाठक करोड़ों में है। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में रेडियो और उतरार्द्ध में टीवी प्रसारण की शुरुआत होने से हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के व्यवहार और विस्तार को और बढ़ावा मिला।

कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था और अब ऐसा समय आ गया है कि जब हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हिंदी ने अपनी उपयोगिता और स्वत: स्फूर्त ऊर्जा से वह स्थान प्राप्त किया जिसके दमन के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने ताकत, क्रूरता, हिंसा का प्रयोग किया। भारतीय मूल के लोग पूरे विश्व में निवास करते हैं। उनमें मातृभाषा या दूसरी भाषा के रूप में हिंदी जानने वालों बहुतायत में हैं। इन विभिन्न भाषा-भाषी प्रवासी भारतीयों में से अधिकांश आपस में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी में साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं या ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। प्रारंभ में हिंदी भाषा और साहित्य वाचिक परंपरा से प्रचारित-प्रसारित होते रहे। देश में 18 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मुद्रण सुविधा शुरू हुई जिससे हिंदी जन-जन तक पहुंचने लगी। 20 वीं सदी के बाद से इंटरनेट के माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार तीव्र गति से हो रहा है। यदि मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है।

वर्तमान समय में देखें तो मीडिया की उपयोगिता, महत्व एवं भूमिका हिंदी के प्रचार-प्रसार में निरंतर बढ़ती जा रही है। कोई भी समाज, वर्ग, संस्था, समूह और व्यक्ति मीडिया की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता।

आज के जीवन में मीडिया एक अपरिहार्य अंग बन गया है। मीडिया जैसे समग्र तंत्र में प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि सूचना के माध्यम सम्मिलित हैं। हमारे समाज में मीडिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान दे रहा है एवं उसके उत्तरदायित्वों के निर्वहन के दौरान समाज पर उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि समाज में मीडिया की शक्ति, महत्ता एवं उपयोगिता में वृद्धि से सकारात्मक प्रभाव बढ़े हैं लेकिन साथ-साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं।

जनसंचार के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग कोई नई बात नहीं है, किंतु स्वतंत्रता के बाद हिंदी का प्रयोग इन माध्यमों के रूप में निरंतर विकासमान है। जनसामान्य को उपयोगी सूचनाएं एवं खबरें देने के लिए सदियों से सरकार एवं व्यापारी वर्ग इस भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। आधुनिक जनसंचार के प्रमुख माध्यम आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं एवं इंटरनेट हैं। जनसंचार के सभी माध्यमों में हिंदी ने मजबूत पकड़ बना ली है। चाहे वह हिंदी के समाचार-पत्र हों या रेडियो, दूरदर्शन, हिंदी विज्ञापन अथवा सिनेमा हो या ओटीटी प्लेटफ़ार्म हो - हिंदी सर्वत्र छाई हुई है। वर्तमान समय में हिंदी को वैश्विक संदर्भ प्रदान करने में उसके बोलने वालों की संख्या, हिदी फिल्में, पत्र पत्रिकाएं, विभिन्न हिंदी चैनल, विज्ञापन एजेंसियां, हिंदी का विश्वस्तरीय साहित्य तथा साहित्यकारों आदि का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त हिंदी को विश्वभाषा बनाने में इंटरनेट की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सन् 1991 में हुए उदारीकरण के बाद हिंदी प्रेस और अन्य हिंदी माध्यम पूरे देश में छाने लगे। आज हिंदी में अभिव्यक्ति सबसे सशक्त माध्यम बन गई है। हिंदी चैनलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाजार की स्पर्धा के कारण ही सही, अंग्रेजी चैनलों के कंटेन्ट का हिंदी में रूपांतरण हो रहा है। इस समय हिंदी में भी एक लाख से ज्यादा ब्लॉग सक्रिय हैं। अब सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएं इंटरनेट पर हिंदी में उपलब्ध हैं।

आज देश भर में आम बोलचाल की भाषा हिंदी है। आज अधिकतर लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी आज एक ऐसी भाषा है जो दुनिया में इतने बड़े स्तर पर बोली व समझी जाती है। यह तथ्य आज सभी स्वीकार करते हैं कि हिंदी अब व्यावहारिक तौर पर इस देश की संपर्क भाषा बन चुकी है। अब तो भारत के साथ सम्पर्क रखने के लिए हिंदी की अनिवार्यता विदेशी सरकारें भी महसूस कर रही हैं। इसलिए अमेरिका, चीन, यूरोप तथा अन्य प्रमुख देशों में हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था की जाने लगी है। विदेशों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान, विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थाओं में हिंदी पढने के लिए आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय को लेकर अध्ययन करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

हिंदी को आगे बढ़ाने की पहल हिंदी भाषी नेताओं ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी, रवीन्द्र नाथ टैगोर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सुभाषचंद्र बोस जैसे हिंदीतर भाषी लोगों की ओर से की गई। महात्मा गांधी देश भर में अपने भाषण हिंदी या हिंदुस्तानी में ही दिया करते थे। सुभाषचंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो विभिन्न राज्यों के सैनिकों को जोड़ने का काम हिंदी के माध्यम से ही किया। गांधीजी ने आज़ादी से पहले ही विभिन्न अहिंदी भाषी राज्यों, विशेषकर दक्षिण भारत में हिंदी प्रचारिणी सभाएं बनाई। इन सभाओं के माध्यम से हजारों हिंदी सेवी तैयार हुए जो देशभक्ति की भावना से हिंदी का प्रचार-प्रसार और शिक्षण करते थे।

जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी मीडिया के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं –

1. हिंदी फिल्में, 2. रेडियो, 3. हिंदी पत्र-पत्रिकाएं, 4. टेलीविजन, 5. ऑनलाइन माध्यम

भारत की स्वतंत्रता के समय बड़े या तथाकथित राष्ट्रीय समाचार पत्र अंग्रेजी मे ही छपते थे। किंतु शिक्षा और साक्षरता के प्रसार की दिशा मे किए गए प्रयासों के फलस्वरूप यह अवधारणा बदलने लगी तथा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। यह प्रक्रिया दुतरफा चली। एक ओर जहां साक्षरता दर बढ़ने से हिंदी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने के इच्छुक लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं हिंदी अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ने से हिंदी के बोलचाल और प्रयोग में बढ़ोतरी हुई। हिंदी अखबारों ने नए-नए प्रयोग किए और समाचार औपचारिकता के घेरे से निकालकर उसे स्थानीय रंगत तथा रोचकता प्रदान की। जिला स्तर के विशेष संस्करण निकलने से अखबार पढ़ना केवल उच्च शिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि मामूली पढ़े-लिखे लोगों का भी शौक बन गया। आज हालत यह है कि आम लोगों के एकत्र होने के किसी भी स्थान पर अंग्रेजी अखबार गायब हो गए हैं और ऐसे हर स्थान या केंद्र पर हिंदी अखबार ही पढ़ने को मिलते हैं। यही बात पत्रिकाओं के बारे में भी कही जा सकती है।

सिनेमा

हिंदी की लोकप्रियता का पैमाना हिंदी फिल्मों से बड़ा नहीं हो सकता जिसने देश के हर कोने में बसे लोगों के दिलों पर ही राज नहीं कर रखा है बल्कि दुनिया भर में अपना परचम फहराया है। यह स्थिति हर देश में है।

आकाशवाणी और रेडियो

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को स्वीकार्य बनाने में रेडियो की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आकाशवाणी ने समाचार, विचार, शिक्षा, समाजिक सरोकारों, संगीत, मनोरंजन आदि सभी स्तरों पर अपने प्रसारण के माध्यम से हिंदी को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसमें हिंदी फिल्में और फ़िल्मी गीतों का विशेष स्थान रहा है। हिंदी फ़िल्मी गीतों की लोकप्रियता ने हिंदी को देशभर के लोगों की ज़बान पर ला दिया। हिंदी को विश्वव्यापी मान्यता दिलाने में फिल्मों की भी महती भूमिका रही है किंतु फिल्मों से अधिक लोकप्रिय उनके गीत रहे हैं जिन्हें जन-जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने किया। अब वही काम निज़ी एफएम चैनल कर रहे हैं। एफएम चैनल हल्के-फुल्के कार्यक्रमों, वाद-संवाद और हास्य-प्रहसन के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहे हैं। जब मुंबई में एफएम स्टेशनों के लाइसेंस दिए गए तो पहले आधे स्टेशन अंग्रेजी प्रसारण के लिए निर्धारित थे किंतु कुछ ही महीनों में वे भी हिंदी में प्रसारण करने लगे क्योंकि अंग्रेजी के श्रोता कम थे। मनोरंजन के अलावा आकाशवाणी के समाचार, खेल कार्यक्रम, प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का आंखों देखा हाल तथा किसानों, मजदूरों और बाल एवं महिला कार्यक्रमों ने हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं।

टेलीविजन

मीडिया का सबसे मुखर, प्रभावशाली और आकर्षक माध्यम टेलीविजन माना जाता है। टेलीविजन श्रव्य के साथ-साथ दृश्य भी दिखाता है, इसलिए यह अधिक रोचक है। भारत में अपने आरंभ से लगभग 30 वर्ष तक टेलीविजन की प्रगति धीमी रही किंतु वर्ष 1980 और 1990 के दशक में दूरदर्शन ने राष्ट्रीय कार्यक्रम और समाचारों के

प्रसारण के ज़रिए हिंदी को जनप्रिय बनाने में काफी योगदान किया। वर्ष 1990 के दशक में मनोरंजन और समाचार के निज़ी उपग्रह चैनलों के पदार्पण के उपरांत यह प्रक्रिया और तेज हो गई। टेलीविजन पर प्रसारित धारावाहिक ने दर्शकों में अपना विशेष स्थान बना लिया। सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक तथा धार्मिक विषयों को लेकर बनाए गए हिंदी धारावाहिक घर-घर में देखे जाने लगे। रामायण, महाभारत, चंद्रकांता, भारत एक खोज जैसे धारावाहिक न केवल हिंदी प्रसार के वाहक बने बल्कि राष्ट्रीय एकता के सूत्र बन गए। टीवी से जुड़े लोग फ़िल्मी सितारों की तरह चर्चित और विख्यात हो गए। समूचे देश में टेलीविज़न कार्यक्रमों की लोकप्रियता की बदौलत देश के अहिंदी भाषी लोग हिंदी समझने और बोलने लगे।

हिंदी में प्रसारित 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के प्रतियोगियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जिससे साबित हुआ कि हिंदी की पहुंच समूचे देश में है। विभिन्न चैनलों ने भिन्न आयु वर्गों के लोगों के लिए आयोजित गायन प्रतियोगिताओं में अनेक अहिंदी भाषी प्रतिभागियो ने हिंदी में गीत गाकर प्रथम और द्वित्तीय स्थान प्राप्त किए। इन प्रतिभागियों को देखकर लगता ही नहीं कि हिंदी कुछ विशेष प्रदेशों की भाषा है। हिंदी फिल्मों की तरह टेलीविजन के हिंदी कार्यक्रमों ने भी भौगोलिक, भाषाई तथा सांस्कृतिक सीमाएं तोड़ी हैं।

हिंदी समाचार भी सबसे अधिक दर्शकों द्वारा देखे और सुने जाते हैं। टीआरपी के मामले में वे अंग्रेजी चैनलों से कहीं आगे हैं। हिंदी के समाचार चैनलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में यह जानना रोचक है कि स्टार, सोनी और ज़ी जैसे विदेशों से अपलिंक होने वाले चैनलों ने जब भारत में प्रसारण प्रारम्भ किया तो उनकी योजना अंग्रेजी कार्यक्रम प्रसारित करने की थी, किंतु बहुत जल्दी उन्होंने महसूस किया कि वे हिंदी कार्यक्रमों के जरिए ही इस देश में टिक सकते हैं और वे हिंदी चैनलों में परिवर्तित होते गए।

इंटरनेट

जब इंटररनेट का भारत में प्रसार शुरू हुआ तो यह आशंका व्यक्त की गई थी कि कंप्यूटर के कारण देश में फिर से अंग्रेजी का बोलबाला हो जाएगा। किंतु यह धारणा निर्मूल साबित हुई है और आज हिंदी वेबसाइट तथा ब्लॉग न केवल धड़ल्ले से चले रहे हैं बल्कि देश के साथ-साथ विदेशों के लोग भी इन पर सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा चैटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार इंटरनेट भी हिंदी के प्रसार में सहायक होने लगा है। आज का सच यह है कि जिस तरह हिंदी को अपने प्रसार के लिए मीडिया की जरूरत है उसी तरह मीडिया को अपने विस्तार के लिए हिंदी की आवश्यकता है।

सोशल मीडिया

मीडिया ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति और एक बड़े समुदाय तक निडर और बेबाकी से अपनी बात, अपनी सोच और अनुभव पहुंचाना संभव बनाकर करोड़ों लोगों को एक नई ताकत, बहस में भागीदारी का नया स्वाद और हिम्मत दी है। दुनिया भर में आज भारतीय फिल्में व टेलीविजन कार्यक्रम देखे जाते हैं। इससे भी दुनिया में हिंदी का प्रचार-प्रसार हुआ है। सोशल मीडिया, इंटरनेट व मोबाइल के कारण आज युवा पीढ़ी इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग कर रही है।

विज्ञापन

हिंदी का व्यापक प्रयोग, जनसंचार-माध्यमों की आज अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। हिंदी के बिना हिन्दुस्तान में जन-जन तक पहुंचना संभव नहीं है। शब्द-भण्डार, व्याकरण और साहित्य सभी दृष्टियों से अत्यन्त समृद्ध हिंदी का आज के इस अर्थप्रधान युग में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, जहां भारतीय भाषाओं के प्रयोग की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी, अब हिंदी सम्मानजनक स्थान प्राप्त करती जा रही है। रेडियो, टीवी तथा पत्र-पत्रिकाओं में हिंदी में विज्ञापन देने की होड़ लगी रहती है। आकाशवाणी पर मौखिक विज्ञापनों में स्वरों का आरोह-अवरोह, शब्दों की विभिन्न भंगिमाएं, भाषा का लचीलापन आवश्यक उपकरण हैं। यहां भी हिंदी की व्यापकता, सरलता ने विज्ञापन-व्यवसाय को नई-नई ऊंचाईयां प्रदान की है।

हिंदी भाषा का विज्ञापन के क्षेत्र में एक नये सिरे से प्रयोग हो रहा है, इससे हिंदी के शब्दों की सामर्थ्य बढ़ी है। विज्ञापन ने उन्हें अपूर्व आयाम भी दिए हैं। साहित्यिक प्रयोगों से विज्ञापन में एक नवीनता, एक आकर्षक समावेश हो रहा है। हिंदी अब साहित्य के दायरे से निकलकर व्यवहार-मूलक क्षेत्रों में भी अपनी विजय पताका फहरा रही है।

आजकल हिंदी विज्ञापन-जगत पर छाई हुई है तथा सभी व्यावसायिक कंपनियां अपने उत्पादों का विज्ञापन हिंदी में देने को आतुर हैं। विज्ञापनों में हिंदी का प्रयोग, हिंदी समाचार-पत्रों की स्थापना के समय से होने लगा था, अत: अब इनकी भाषा में शुद्धता एवं निखार आता गया है। लोकप्रिय उपमाओं, अंलकारों, मुहावरों, कहावतों, तुकबंदी से विज्ञापनों को आकर्षक बनाया जाता है।

विविध माध्यम

भारतीय संसद में बोलने और तर्क-वितर्क करने के लिये हिंदी का प्रयोग पहले की अपेक्षा बढ़ा है। राजनीतिक दलों की प्रेस वार्ताएं तथा सार्वजनिक मंचों पर नेताओं के विचार अब अंग्रेजी की बजाए हिंदी में आने लगे हैं। इसमें हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के नेता और पार्टियां भी शामिल हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने एक बार कहा था कि वे प्रधानमंत्री शायद इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वे अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते थे। आजकल अधिकांश हिंदीतर भाषी राजनेता अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए हिंदी में भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही अहिंदीभाषी प्रदेश से आते हैं, लेकिन उनकी हिंदी में भाषण देने की कला देश-भर में उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है।

विदेशों में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ आदि के मंचों पर अब भारत के राजनैतिक नेता एवं प्रतिनिधि हिंदी का अधिक प्रयोग करने लगे हैं। इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जनवरी 2022 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का विवरण हिंदी में जारी करने का निर्णय किया है। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय रेल का चरित्र अखिल भारतीय होने के कारण इसने भी हिंदी के प्रसार में महती भूमिका निभाई है।

हिंदी को लेकर दक्षिण के राज्यों में यह बदलाव धीरे-धीरे हुआ है। 1980 के दशक में निजी स्कूलों में हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। उनका कहना था कि जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं तो उनका वहां बने रहना बहुत मुश्किल होगा। आजकल अहिंदीभाषी क्षेत्रों में हिंदी का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

आंकड़े क्या कहते हैं ...

डिजिटल दुनिया में हिंदी की मांग अंग्रेजी की तुलना में पांच गुना ज्यादा तेज है। भारत में हर पांचवा इंटरनेट प्रयोगकर्ता हिंदी का उपयोग करता है। आज स्मार्टफोन के रूप में हर हाथ में एक तकनीकी डिवाइस मौजूद है और सभी आपरेटिंग सिस्टम में हिंदी में संदेश भेजना, हिंदी की सामग्री को पढ़ना, सुनना या देखना लगभग उतना ही आसान है जितना अंग्रेजी की सामग्री को। हालांकि कंप्यूटरों पर भी हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है और इंटरनेट पर भी, लेकिन मोबाइल ने हिंदी के प्रयोग को अचानक जो गति दे दी है उसकी कल्पना अभी पांच वर्ष पहले तक किसी ने नहीं की थी। दूसरी ओर भारतीयों में हिंदी के प्रति रुझान भी बढ़ा है। भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। जबकि करीब 21 प्रतिशत भारतीय हिंदी में इंटरनेट का प्रयोग करना चाहते हैं। स्मार्टफोन में औसतन 20-25 ऐप में से अधिकांश हिंदी ऐप भी उपलब्ध हैं। भारतीय युवा यूट्यूब पर 93 फीसदी हिंदी वीडियो देखते हैं।

मीडिया की बहुआयामी भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय मीडिया आज भारत की जन-भाषा, संपर्क भाषा-हिंदी की हितैषी की भूमिका में सामने आया है। अब समय आ गया है कि मीडिया अपनी शक्ति का सदुपयोग जनहित में करते हुए आम जनमानस को प्रोत्साहित करे ताकि आम जनता की भाषा हिंदी बन सके।

संदर्भ :

1. न्यू मीडिया में हिंदी की वर्तमान स्थिति – शैलेश शुक्ला
2. दृष्टि आईएएस अकेडमी के नोट्स
3. विकिपीडिया (इंटरनेट) से साभार
4. एआई ऑनलाइन

हिंदी का ई-जगत

- डॉ. श्याम सुंदर कथूरिया
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अभी तक हमने हिंदी के संसार एवं विविध आयामों के बारे में बहुत पढ़ा और जाना होगा, परंतु हमें हिंदी के ई-संसार एवं इसके आयामों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इस विषय से सुभिज्ञ होना भी आवश्यक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके बारे में बहुत अधिक चिंतन नहीं हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र में हुए विकास, प्रगति एवं अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाए। यह जाना जाए कि हिंदी के ई-जगत में क्या कुछ हो रहा है।

यहां मैं यह नहीं बताना चाहूंगा कि हिंदी ने देश में क्या ख्याति अर्जित की है, अपितु कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार भारत ने विश्व में अपना गौरव बढ़ाया है, उसी प्रकार आज हिंदी विश्व की सबसे सशक्त उभरती हुई भाषाओं में से एक मानी जा रही है। भारत सरकार भी विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने तथा हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करने और दुनिया भर में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है। परिणामस्वरूप विश्व के अनेक देशों में इस भाषा के प्रयोक्ता मिल जाते हैं और कुछेक देशों की तो यह आधिकारिक भाषा भी है। विदेशों के लगभग 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में इसका किसी-न-किसी रूप में पठन-पाठन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के प्रयोजन से अपने सभी कामकाज और आवश्यक संदेशों के प्रसार के लिए हिंदी भाषा को भी मान्यता दे दी है। अब हिंदी इस संघ की सातवीं आधिकारिक भाषा बनने के लिए तैयार है। अमरीका में लोग इस भाषा को अंग्रेजी के बाद दूसरी बड़ी भाषा मानते हैं। यहां के विद्यालयों में अब इसे दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। ब्रिटेन के विद्यालयों में भी हिंदी को दूसरी भाषा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फरवरी, 2019 से हिंदी आबू धाबी न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा है। भारत को विश्व का एक बड़ा बाजार माना जाता है, इस कारण अमरीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रबंधन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का भी ज्ञान दिया जा रहा है।

वर्ष 1975 से अलग-अलग देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा को संसार के सर्वोत्कृष्ट संपर्क माध्यम के रूप में माना गया है। विदेशों में अनेक समाचार पत्र-पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही है। हिंदी का अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचार तथा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए मंच तैयार

करने के उद्देश्य से 11 फरवरी, 2008 को विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय ई-युग चल रहा है। प्रस्तुत आलेख भी हिंदी के ई-संसार के विविध आयामों से संबंधित है। यहां 'ई' अक्षर एक उपसर्ग या संक्षिप्तीकरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अभिप्राय है- 'इलेक्ट्रॉनिक'। इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ है- किसी गतिविधि को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों- कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी आदि या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निष्पादित करना। यह सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और इंटरनेट से जुड़ी या प्रसारित होने वाली लगभग किसी भी चीज़ को संदर्भित करता है। इसके उपयोग के कुछ उदाहरणों में ई-बिजनेस, ई-कॉमर्स, ई-बुक, ई-मेल आदि शामिल हैं। इसके प्रकार्य में विद्युत ऊर्जा लगती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है और इनके उपकरण इलेक्ट्रॉनिक घटकों से बने होते हैं।

हिंदी की वैश्विक स्थिति तथा इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा को समझने के बाद अब हम जानेंगे कि हिंदी के ई-संसार के विविध आयाम क्या-क्या हैं? प्रारंभ में, जो सूचना प्रौद्योगिकी केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थी, आज वह हिंदी में भी सुलभ है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे सर्च इंजनों और इनके वेब ब्राउज़रों ने अपने सभी उत्पादों को विश्व की अन्य भाषाओं सहित हिंदी में भी उपलब्ध कराया है, इससे हिंदी के ई-संसार का दायरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत स्वदेशी सूचना प्रौद्योगिकी के नए-नए आविष्कारों के साथ-साथ इसमें अनेक विकल्प देखने को मिल रहे हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

1. यदि शुरुआत हिंदी साहित्य से की जाए तो हमें ज्ञात होता है कि हिंदी का नव रचित साहित्य ही नहीं अपितु पूर्व साहित्यकारों की हिंदी कविताएं, निबंध, कहानियां, उपन्यास या अन्य विधाएं भी अब डिजिटल रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। आज हिंदी समाचार पत्र-पत्रिकाएं या पुस्तकें ई-बुक या ई-पब्लिकेशन के रूप में तैयार हो रही हैं। इनकी बिक्री अमेज़ॉन और किंडल पर बहुतायत में हो रही है। कुछ सरकारी और गैर-सरकारी हिंदी संस्थाएं हिंदी साहित्य को अपनी वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध करा रही हैं। ब्लॉग के माध्यम से भी हिंदी रचनाओं को आगे बढ़ने के व्यापक अवसर मिले हैं।

2. आधुनिक मीडिया, विशेषतः सोशल मीडिया, जैसे- व्हाट्सएप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन आदि संप्रेषण और संचार के त्वरित, सशक्त एवं लोकप्रिय माध्यम हैं। इन सब पर हम अपने संदेश हिंदी में भेजने और पढ़ने में समर्थ हो चुके हैं। विश्व के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूनिकोड समर्थन उपलब्ध होने के कारण टंकित पाठ गार्बेज या जंक कैरेक्टर्स में नहीं बदलता। पूरे विश्व में प्रचलित सभी ई-मेल प्लेटफार्म, जैसे- गूगल, याहू, आउटलुक आदि के माध्यम से हम अपनी मेल हिंदी में भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, "डाटामेल.भारत" वर्ष 2016 से ई-मेल का पता हिंदी में बनाने की सुविधा दे रहा है, अर्थात अब हमें अंग्रेजी पते पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है।

3. हिंदी का प्रचार-प्रसार करने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सैंकड़ों सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं, जैसे- साहित्य अकादमी, राज्य स्तरीय हिंदी अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, राज्य स्तरीय हिंदी ग्रंथ अकादमी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, विश्व हिंदी सचिवालय, वैश्विक हिंदी परिवार, वैश्विक हिंदी संस्थान, साहित्य कुंज आदि के बारे में कोई भी जानकारी संसार के किसी भी कोने में बैठकर संबंधित वेबसाइट पर हिंदी में प्राप्त की जा सकती है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से हिंदी के ई-संसार का ऐसा स्वरूप विकसित कर दिया है, जैसा पहले कभी नहीं था।

4. इतना ही नहीं कोविड महामारी के दौरान जब पूरा विश्व शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ा था, ऐसे समय में हिंदी से जुड़ी संस्थाओं ने ही इन्टरनेट और गूगल मीट, ज़ूम, वेबेक्स जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करके ऑनलाइन आभासी संगोष्ठियों, बैठकों, कार्यशालाओं, कार्यक्रमों आदि के माध्यम से न केवल आपस में एक-दूसरे को जोड़े रखा, अपितु हिंदी के ई-संसार को पहले से अधिक समृद्ध किया।

5. अभी हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी का एक नवीनतम स्वरूप उभर कर सामने आया है। इसके अंतर्गत ओपन एआइ चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट बिंग चैट और गूगल बार्ड जैसे चैट बॉट हिंदी में कोई भी जानकारी देने में सक्षम और समर्थ हैं। इनमें, हिंदी में हर वह सुविधा उपलब्ध है, जो किसी दूसरी भाषा में है। इनमें आप संसार के किसी भी विषय पर हिंदी में प्रश्न टंकित कर हिंदी में ही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

6. हिंदी के ई-संसार को विस्तार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीवी चैनलों ने भी निभाई है। उपग्रहों के माध्यम से हम संसार के हर देश में हिंदी समाचार, मनोरंजन, ज्ञान-विज्ञान, खेल-कूद, अध्यात्म आदि के चैनल आसानी से देख सकते हैं। इन पर प्रसारित कार्यक्रमों के माध्यम से हम विदेश की धरती पर भी स्वयं को हिंदी से जुड़ा हुआ पाते हैं।
7. हम अपने मोबाइल फोन में ई-कॉमर्स के अंतर्गत जितने भी वाणिज्यिक, बैंकिंग, लेनदेन आदि एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, जैसे- भीम यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे का प्रयोग करते हैं, वे सभी हिंदी इंटरफेस के साथ-साथ हिंदी इनपुट का भी समर्थन करते हैं।

8. आज विश्व में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे- कंप्यूटर, पामटॉप, मोबाइल फोन आदि हैं, उन सभी में यूनिकोड हिंदी टंकण की सुविधा इनबिल्ट या सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुलभ है। इनमें हिंदी टंकण के एक-से बढ़कर-एक सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे- देवनागरी या रोमन लिपि से फोनेटिक हिंदी टंकण, हिंदी में बोलकर वॉइस टाइपिंग, स्टाइलस या उंगली की नोक से स्क्रीन पर लिखकर टंकण, माउस के माध्यम से लिखकर टंकण, ऑनस्क्रीन कुंजी पटल पर हिंदी अक्षरों को क्लिक करके टंकण करना आदि।

अब विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस भी देवनागरी में परिवर्तित किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस स्युट भी हिंदी विकल्प देता है।

9. विभिन्न सॉफ्टवेयरों और एप्लीकेशनों की आपसी स्पर्धा के चलते हमारे पास हिंदी शब्दकोश एवं मशीन अनुवाद के सैंकड़ों सरकारी और गैर-सरकारी टूल उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख हैं- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के ई-शब्दकोश, अनुवादिनी, भाषिणी, गूगल ट्रांस्लेट, बिंग ट्रांस्लेटर, हिन्खोज आदि। इनके अतिरिक्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ' नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस है। अनुवादिनी ने तो सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक टूल्स को हिंदी में ही एक ही स्थान पर लाने का प्रयास किया है।

10. हिंदी भाषा को विश्व के जन-जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी साहित्य और ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ व्याकरण को भी इंटरनेट पर सुलभ कराया गया है। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा सीखने वालों के लिए 'डुओलिंगो' जैसे एप्लिकेशन सहित राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित स्वयं शिक्षण पैकेज पाठ्यक्रम 'लीला', 'लीला हिंदी प्रवाह' सॉफ्टवेयर और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सहयोग से निर्मित 'हिंदी शब्द सिंधु' जैसे शब्दकोश उल्लेखनीय हैं।

11. भारत सरकार की सभी वेबसाइट अनिवार्य रूप से हिंदी में भी होती हैं। इनके अनुसरण में कुछ प्राइवेट वेबसाइट भी हिंदी में देखने को मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, अब वेबसाइट के पते या यूआरएल हिंदी में भी बनाए जा रहे हैं, जैसे- 'राजभाषा.सरकार.भारत' आदि। इंटरनेट पर ज्ञान का भंडार हिंदी भाषा में होना ही हिंदी के ई-संसार की वास्तविक उपस्थिति है।

12. विश्व में उपलब्ध प्रमुख वेब ब्राउज़र जैसे- गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी आदि सभी खोज एवं इंटरफेस की सुविधा हिंदी में भी देते हैं। इनके अतिरिक्त गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना वर्चुअल असिस्टेंट, एलेक्सा आदि हिंदी संवाद भी करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए एप्लीकेशनों में भी हिंदी की सुविधा रहती है।

13. विविध टूल, जैसे- पाठ से वाक्, अकादमिक शिक्षा एवं हिंदी शिक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर, वर्तनी परीक्षक, प्रकाशित संप्रतीक अभिज्ञान (ओसीआर) आदि हिंदी में आधुनिक तकनीक संपन्न हैं। गूगल लेन्स की न केवल हिंदी ओसीआर सुविधा अपितु अन्य विशेषताएं भी अतुलनीय हैं।

अंतरराष्ट्रीय संगठन 'संयुक्त राष्ट्र संघ' ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट के साथ-साथ यूएन न्यूज की एक हिंदी वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को संयुक्त राष्ट्र रेडियो पर हिंदी में प्रसारित करता है और अगस्त 2018 से साउंड क्लाउड पर एक साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन जारी कर रहा है, हिंदी में एक संयुक्त राष्ट्र ब्लॉग प्रकाशित करता है और इसके द्वारा यूएन न्यूज रीडर मोबाइल एप्लिकेशन का हिंदी प्रारूप भी प्रदान किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने वर्ष 2022 में भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का विवरण अपनी वेबसाइट पर हिंदी में प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र, हिंदी को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों की सराहना करता रहा है और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नियमित रूप से हिंदी में समाचार प्रसारित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट हर वर्ष लगभग 1000 पोस्ट प्रकाशित करते हैं। ट्विटर पर इसके लगभग 50,000; इंस्टाग्राम पर 29,000 और फेसबुक पर 15,000 फॉलोअर्स हैं। हिंदी संयुक्त राष्ट्र समाचार वेबसाइट पर लगभग 1.3 मिलियन वार्षिक इंप्रेशन हैं और इसके साथ ही यह इंटरनेट सर्च इंजनों में शीर्ष दस में बनी हुई है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, जापान, चीन जैसे देशों में हिंदी रेडियो चैनल हैं या हिंदी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

ऊपर हमने हिंदी का विशाल ई-संसार जाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन सुविधाओं का भरपूर प्रयोग करें। यदि इन सुविधाओं का उपयोग हम नहीं करेंगे तो हिंदी में अन्य नई सुविधाएं हमें कोई नहीं देगा। फलस्वरूप मौजूदा सुविधाएं भी बंद हो जाएंगी।

वर्णित उपलब्धियां के बावजूद अभी भी अनेक ई-क्षेत्र ऐसे हैं, जहां हिंदी को अपनी पताका फहरानी है। हम आज भी हिंदी पीडीएफ फाइल आसानी से एडिटेबल फॉर्मेट में प्राप्त नहीं कर पाते। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने और विश्व की पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बाद भी कई बार ऐसे विदेशी एप्लीकेशन अथवा सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं, जहां हिंदी को स्थान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणो, जैसे- रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन आदि के प्रयोक्ता मेनुअल हिंदी में नहीं होते। जबकि थाईलैंड, मलेशिया, पुर्तगाल जैसे छोटे-छोटे देशों की भाषाओं के विकल्प वहां उपलब्ध रहते हैं। यह अपमानजनक प्रतीत होता है। इसका उपाय यह है कि हिंदी की सुविधा तथा उपस्थिति पहले हमें अपने देश के स्तर पर सुनिश्चित करानी होगी, उसके पश्चात विदेशी लोग अपने-आप इसे संज्ञान में लेंगे।

उपर्युक्त के आलोक में समग्रतः यह स्पष्ट है कि इस समय विश्व में जितने भी ऐप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर, टूल या उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि हैं, उनमें यथासंभव हिंदी की सुविधा अथवा विकल्प भी प्रदान कराया जा रहा है। इसका आशय यह है कि जो सुविधाएं अंग्रेजी में या विश्व की अन्य भाषाओं में हैं, वे हिंदी में भी सुलभ हैं। हिंदी का ई-जगत भारतीय जन-समुदाय के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है। यह इस संसार में एक सेतु का कार्य कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ये सभी सुविधाएं डेस्कटॉप संस्करण के साथ-साथ मोबाइल संस्करण में भी उपलब्ध हैं तथा ये सब केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, अपितु 'ई' रूप में होने के कारण पूरे विश्व के लिए प्राप्य हैं। अच्छी बात यह है कि इन

साधनों के सेवा प्रदाता एक नहीं अपितु अनेक हैं और इनमें से अधिकांश निःशुल्क हैं।

आज विश्व की लगभग 62% जनसंख्या इंटरनेट का प्रयोग कर रही है। इसका अर्थ यह है कि लगभग पांच अरब लोग हिंदी के ई-संसार का लाभ उठा सकते हैं। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की आशातीत वृद्धि के कारण लोगों द्वारा इसका प्रयोग भी गुणात्मक रूप से बढ़ रहा है। आने वाले समय में उच्च शिक्षा या शोध आदि के क्षेत्र में ई-ज्ञान की संभावनाएं प्रबल होंगी। कृत्रिम बुद्धि की सहायता से हिंदी का ई-संसार अनंत विस्तार पा सकता है। भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी निश्चित ही हिंदी भाषा को न केवल संरक्षित अपितु संवर्धित भी करेगी।

संदर्भ

1. https://mea.gov.in/lok-sabha-hi.htm?dtl/36920/QUESTION+NO1390+INCLUSION+OF+HINDI+IN+UN
2. https://hindi.news18.com/news/world/united-nations
   विश्व में हिंदी का स्थान | हिंदीकुंज,Hindi Website/Literary Web Patrika (hindikunj.com)

गांधीगिरी में है गहन हिंदी प्रेम और गहन हिंदी चिंतन

- सुरेश कुमार श्रीचन्दानी

गांधीगिरी (गांधी दर्शन) के साहित्य में हिंदी प्रेम यत्र तत्र ध्वनित होता दिखलायी पड़ता है। डॉ. नगेन्द्र अपनी पुस्तक 'विचार और विश्लेषण' में लिखते हैं कि महात्मा गांधी उन चार मनीषियों में से एक हैं जिन्होंने हमारी आधुनिक युगीन चेतना का निर्माण किया है। ये चार मनीषी हैं – डार्विन, फ्रायड, मार्क्स और गांधी। डार्विन के विचार समूह का केंद्र है प्राकृतिक जगत, फ्रायड का है मनो जगत, मार्क्स का है अर्थ जगत तो गांधी का आध्यात्मिक जगत। महात्मा गांधी के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विचारों में धर्म और अध्यात्म की इतनी प्रधानता है कि कहा जाता था कि महात्मा गांधी नेताओं में सन्त थे और सन्तों में नेता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख भाषा थी हिंदी। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व अपने युग में महात्मा गांधी ने किया था। उनके भाषणों, वार्ताओं और लेखन में हिंदी की प्रधानता तो है ही साथ ही उन्होंने हिंदी की वकालत कई अकाट्य तर्कों से की है। इसे शोध का विषय बनाने पर यह प्रतीत होता है मानो इससे किसी लोकतान्त्रिक राष्ट्र की राष्ट्रभाषा की पृष्ठभूमि निर्मित हो रही हो। महात्मा गांधी के गहन हिंदी प्रेम से ओत प्रोत विचार भाषा विषयक समग्रता लिये हुए हैं। अंग्रेजी, हिंदी, हिंदुस्तानी, संस्कृत, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति प्रस्थिति के बारे उनकी सोच स्पष्ट थी। महात्मा गांधी किसी भाषा के विरोधी भी नहीं थे लेकिन उन्होंने हिंदी की पैरवी जितनी शिद्दत से की है उतनी शिद्दत से किसी अन्य भाषा की पैरवी नहीं की।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि "राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है"। उन्होंने भारत के इस गूंगेपन को दूर करने के लिये भारत के अधिकतर प्रान्तों में बोली समझी जाने वाली हिंदी को अनेक दृष्टिकोणों से उपयुक्त पाया और इसे राष्ट्रभाषा के रूप में मान लेने का आह्वान किया। 1909 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन के 6 वर्ष पूर्व ही उन्होंने 'हिंद स्वराज' में लिखा कि सारे हिंदुस्तान के लिये जो भाषा चाहिये वह तो हिंदी ही होनी चाहिये। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट होनी चाहिये। हिन्दू मुसलमानों के संबंध ठीक रहें इसलिये हिंदुस्तानियों को इन दोनों लिपियों को जान लेना ज़रूरी है। उनका यह भी मानना था कि हिंदुस्तान जब एक राष्ट्र होगा तो उसकी एक राष्ट्रीय लिपि भी होगी। उन्होंने गुजरात शिक्षा सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में राष्ट्रभाषा की व्याख्या की थी। उन्होंने "हिन्द स्वराज" में लिखा है कि एक राष्ट्र के लिये एक राष्ट्रभाषा चाहिये। उनका दृढ़ मत था कि राष्ट्रभाषा की जगह हिंदी ही ले सकती है, दूसरी जबान नहीं। वे पूर्णतः निश्चायक होकर कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा का एक ही नाम। हिंदी और केवल हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा। जो तुलसी की भाषा है वह हमारी भाषा है। मेरी हिंदुस्तानी हिंदी से आयी है। सर्वसाधारण जिसे आसानी से समझ ले वही राष्ट्रभाषा है। हिंदी के बिना हमारा स्वराज्य निरर्थक है। स्वराज्य का आरम्भ स्वभाषा से है। "हिन्द स्वराज" में ही वे लिखते हैं कि सारे हिंदुस्तान के लिये हिंदी ही होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं करना राष्ट्र की हत्या। राष्ट्रभाषा बने या न बने हिंदी को मैं छोड़ नहीं सकता। हिंदी के प्रबल पक्षों से अभिभूत होते हुए उन्होंने "इन्डियन ओपिनियन" (1906) में लिखा है कि हिंदी मीठी, नम्र और ओजस्वी भाषा है।

उनका यह भी मानना है कि हिंदी स्वयंसिद्ध उद्देश्य है।

महात्मा गांधी के अनुसार बहुत पहले ही मुझे इस बात का विश्वास हो गया था और मेरा विश्वास तब से अनुभव के द्वारा पुष्ट हुआ है कि यदि कोई भारतीय भाषा कभी भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है और यदि भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो किसी न किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिये तो वह भाषा केवल हिंदी है और मैं हमेशा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहा हूं।

महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि हमने बार-बार यह घोषणा की है कि हिंदुस्तानी हमारी राष्ट्रभाषा या प्रान्तों के आपसी व्यवहार की सामान्य भाषा है या होनी है। यदि हमारी इस घोषणा के पीछे ईमानदारी है तो हिंदुस्तानी के ज्ञान को अनिवार्य बनाने में बुराई कहां है ? इंग्लैंड के स्कूलों में लैटिन की शिक्षा अनिवार्य थी और शायद है भी। उसके अभ्यास में और अंग्रेज़ी के अभ्यास में कोई अड़चन नहीं पड़ती। इसके विपरीत एक उदात भाषा के सम्पर्क से अंग्रेजी कि श्रीवृद्धि ही हुई।

महात्मा गांधी के अनुसार यहां हमें यह याद रखना चाहिए कि यह हिंदी शब्द हिन्दुओं का गढ़ा हुआ नहीं है। यह तो इस मुल्क में मुसलमानों के आने के बाद उस भाषा को बतलाने के लिये बनाया गया था जिसे उत्तर हिंदुस्तान के हिन्दू बोलते और लिखते पढ़ते थे। अनेक नामी गिरामी मुसलमान लेखकों ने अपनी भाषा को हिंदी या हिंदवी कहा है और जबकि हिंदी के अन्दर उन विभिन्न रूपों को शामिल कर लिया गया है जिन्हें हिन्दू और मुसलमान दोनों बोलते हैं और लिखते हैं तब यह महज शब्दों का झगड़ा कैसे है

अपने पुत्र देवदास गांधी को नड़ियाद से दिनांक 02 जुलाई, 1918 को जारी पत्र में लिखा "यदि तुम मद्रास प्रदेश को हिंदी दान कर सको और लोग उसे स्वीकार कर लें तो एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हल हो जाता है। तुम हिंदी को सरल और दिलचस्प बनाओ। इसमें तुम्हारी चतुराई का उपयोग हो जायेगा। इससे तुम्हें ऐसा कोई सरल मार्ग मिल जायेगा जिससे तुम लोगों को थोड़े प्रयत्न से अधिक सिखा सकोगे। धातुओं से बने शब्द खूब सिखा देने चाहिए जिससे स्मरण शक्ति पर बोझ कम पड़ता है। वहां हिंदी भाषियों को तमिल पढ़ने के लिये भेजना है।

"मेरे सपनों का भारत" में वे लिखते हैं कि अगर मेरे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज ही विदेशी भाषा के माध्यम से अपने लड़कों और लड़कियों को शिक्षा बंद कर दूं और सारे शिक्षकों एवं प्रोफेसरों से या माध्यम तुरंत बदलवा दूं या उन्हें बर्ख्वास्त कर दूं। 15 अगस्त 1947 को बी.बी.सी लंदन पर उन्होंने कहा दुनिया वालों से कह दो गांधी अंग्रेज़ी नहीं जानता।

संस्कृत, हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के संबंधों के बारे में अपनी सोच को स्पष्ट कर उन्होंने कई वक्तव्य दिये। उनमें से कुछ प्रमुख हैं :- संस्कृत के बिना हिन्दू बालक की शिक्षा अधूरी है। संस्कृत सीखना मुसलमानों का कर्तव्य भी है। संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के शब्द अपनाने से हिंदी के गौरव में वृद्धि होगी।

संस्कृत शब्दों के इस्तेमाल पर झगड़ा करके खुद हिंदी भाषा के खिलाफ विद्रोह क्यों करें ? सीधे सादे प्रचलित शब्दों की जगह संस्कृत शब्द रखने या तद्भव शब्दों को संस्कृत के तत्सम शब्दों का रूप देने का कृत्रिम तरीका निस्संदेह निन्दनीय है। इससे तो भाषा की सहज मिठास ही चली जाती है। मगर राष्ट्र के विकास के साथ साथ केवल संस्कृत जानने वाले हिन्दू संस्कृत शब्दों का एक हद तक उपयोग करते हैं तो उनका ऐसा करना अनिवार्य है। सिर्फ अरबी जानने वाले मुसलमान भी यही करते हैं।

जहां तक दक्षिण भारत की भाषाओं का संबंध है बहुत सारे संस्कृत शब्दों से युक्त हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो दक्षिण भारत के लोग पसंद कर सकते हैं क्योंकि कुछ संस्कृत शब्दों और संस्कृत ध्वनियों से तो पहले ही परिचित होते हैं। जब से दोनों हिंदी और हिंदुस्तानी या उर्दू घुलमिल जायेगी और जब दरअसल सारे हिंदुस्तान की एक भाषा बन जायेगी तथा प्रांतीय शब्दों के दाखिल होने से वह रोज़ रोज़ तरक्की करती जायेगी तब हमारा शब्द भंडार अंग्रेज़ी शब्दकोश से भी अधिक समृद्ध बन जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अब आप समझ गये होंगे कि हिंदी हिंदुस्तानी के लिये मेरा इतना आग्रह क्यों है।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं, राष्ट्रभाषा हों, अंग्रेज़ी नहीं हिंदी हो। हिंदी, हिन्दुस्तानी और उर्दू तीनों का अर्थ एक ही भाषा है। उर्दू को ही हिन्दू मुसलमान पहले हिंदी कहते थे। झगड़ा हिंद उर्दू का नहीं अपितु इन दोनों का अंग्रेज़ी से है। हिंदुस्तानी सीखना रचनात्मक कार्यक्रम की पहली सीढ़ी है। हिंदी और उर्दू की एकरूपता से ही हिंदुस्तानी बनेगी। हिंदी और उर्दू एक ही भाषा की दो शैलियां हैं। हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदुस्तानी करोड़ों स्वाधीन मनुष्यों की भाषा है। हिंदुस्तानी के प्रचार से हिंदू मुस्लिम एकता होती है। उर्दू वालों से भी अपनी मोहब्बत साबित करनी चाहिये। हिंदुस्तानी से भाषा का झगड़ा मिट जायेगा। मां बाप बच्चों को हिंदुस्तानी सिखाने की मांग करें। मेरी हिंदुस्तानी हिंदी से ही आयी है। हिंदुस्तान में सबकी बोली एक ही हो सकती है।

हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू एक ही भाषा के मुख्तलिफ़ नाम हैं। हमारा मतलब आज एक नयी भाषा बनाने का नहीं है अपितु जिस भाषा को हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू कहते हैं उसे अंतर्प्रान्तीय भाषा बनाने का हमारा उद्देश्य है।

हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी में कोई भेद नहीं है। दोनों का व्याकरण एक सा है। लिपि के कारण दोनों में जो फर्क है सो है और इस पर विचार करने से मालूम होता है कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी – ये तीनों शब्द एक भाषा के सूचक हैं। इन भाषाओं के शब्दकोशों को देखने पर हमें पता चलता है कि इनके अधिकतर शब्द एक से हैं। इसलिये एक लिपि के सवाल को छोड़ दें तो इसमें मुसलमानों को कोई कठिनाई नहीं हो सकती है और लिपि का सवाल तो अपने आप हल हो जाएगा।

दक्षिण की कम से कम एक लिपि तो सीख ही लो। अगर लिपि के प्रश्न को छोड़ दें तो प्रांतीय भाषाओं को बिना कठिनाई सीख सकते हैं। द्राविड़ बालक आसानी से हिंदी सीख सकते हैं। तमिल जन हिंदी के प्रचार का कार्य खुद करें। गुजराती भाई दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार करें। उत्तर दक्षिण की एकता के लिये हिंदी सीखना अनिवार्य है। हिंदी से ही प्रांतीय भाषाओं का विकास सम्भव है। दक्षिण में हिंदी का प्रचार स्वराज्य प्राप्ति का साधन है। प्रेम, निश्चय

और विनय से ही अहिंदी भाषियों का हृदय परिवर्तन संभव है। अपने सूबे की या राष्ट्रीय भाषा में लिखा पढ़ी करें। तमिल भाई अन्य प्रांत के लोगों से हिंदुस्तानी में बोलें। हमारे तमिल भाई वर्ष भर में राष्ट्रभाषा सीख लें।

विदेशी भाषा माध्यम ने जिसके द्वारा भारत में उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है, राष्ट्र को बौद्धिक और नैतिक क्षति पहुंचायी है। शिक्षा का माध्यम किसी भी कीमत पर तुरन्त परिवर्तित होना चाहिये और प्रांतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिया जाना चाहिये।

देवनागरी लिपि के बारे में महात्मा गांधी की दृष्टि सम्यक थी। उन्होंने कहा है कि साक्षरता का प्रचार करने वाले देवनागरी अपना लें तो भावी संतति की दुआएं पाएगें। उनका यह भी मानना था कि देवनागरी लिपि को सर्वमान्य बनाने के पीछे दृढ़ कारण हैं। देवनागरी ही भारत के लिये व्यावहारिक आदर्श है। नागरी में बंगला और बंगला में हिंदी पुस्तकें तैयार हों। राष्ट्र के निरक्षर बहुसंख्यकों पर अनेक लिपियों का बोझ लादना आत्मघात है। उन्होंने एक बार यहां तक कह दिया कि मेरी चले तो सब प्रांतीय भाषाओं के लिये देवनागरी ही चले। आखिर में जो लिपि आसान होगी वही चलेगी।

चारों दक्षिणी भाषाओं में से कोई एक सामान्य लिपि तैयार करने का सुझाव आता रहता है। मुझे उनके लिये देवनागरी भी उतनी ही आसान मालूम होती है जितनी कि चारों को मिलकर तैयार की गयी लिपि। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो उन चारों में से मिली जुली लिपि की आवश्यकता नहीं हो सकती। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सिर्फ इतनी सामान्य सिफ़ारिश की जाये कि जहां कहीं सम्भव हो उन भाषाओं को जो यदि संस्कृत की शाखाएं नहीं हैं तो कम से कम जितना संस्कृत से महत्वपूर्ण संबंध तो हो ही, संशोधित देवनागरी अपना लेनी चाहिए।

यदि हिंदू लोग देवनागरी लिपि (फारसी शब्दों की बहुलता से युक्त उर्दू से भिन्न) और हिंदी के ज्ञान पर ज़ोर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। एक हिन्दू को चाहे वह कहीं भी हो देवनागरी लिपि के माध्यम से ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये जिससे कि वह सर्वोत्तम श्रेणी का भक्ति साहित्य पढ़ सके। ऐसा साहित्य अन्य किसी प्रांतीय भाषा में उपलब्ध नहीं है।

अपने पुत्र देवदास गांधी को अहमदाबाद से दिनांक 23 फरवरी 1919 को जारी पत्र में लिखा कि "मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर भारतीय को मातृभाषा और हिंदी उर्दू अच्छी तरह सीख लेनी चाहिये। अलग अलग प्रान्तों के लाखों हिंदुस्तानियों के पास व्यवहार के लिये सामान्य भाषा हिंदी उर्दू ही है, इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। इस आवश्यक तैयारी के बिना हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकेगें।

हिंदी भाषा या किसी भाषा के प्रचार के बारे में महात्मा गांधी का कहना था कि प्रचारकों की चारित्रिक दृढ़ता से ही हिंदी की प्रगति होगी। राष्ट्रभाषा के प्रचारक कठिन मेहनत से दोनों भाषायें सीखें। हिंदी प्रचार और चारित्रिक शुद्धि आवश्यक है। प्रस्ताव पास करने से नहीं अमल से ही हिंदी का प्रचार होगा। अपने पुत्र देवदास गांधी

को दिनांक 23 जून 1918 को जारी पत्र में लिखा था कि "देखता हूं, तुमने शिक्षण कार्य का आरम्भ ठीक तरह से किया है। मैंने कल कुछ सुझाव भेजे थे। व्याकरण जल्दी सिखाना। उसमें उन्हें रस आयेगा। उसमें सबसे पहले शब्दों के रूप सिखाना ठीक रहेगा। उनकी तुलना तमिल के रूपों से करनी चाहिये।

महात्मा गांधी ने हिंदी के पक्ष में कई स्तरों पर कई सुझाव और आग्रह प्रकट किये। अपने पुत्र देवदास गांधी को दिनांक 17 अगस्त 1918 नड़ियाद से जारी पत्र में लिखा कि दिन प्रति दिन अपना हिंदी ज्ञान बढ़ाते जाना और अपने चरित्र को दृढ़ बनाना। जो व्यक्ति सत्यवान, ब्रह्मचारी, अपरिग्रही, दयावान और शूरवीर होगा उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। तुम उस प्रभाव से लोगों को इकठ्ठा कर सकोगे और उन्हें आसानी से हिंदी का ज्ञान दे सकोगे।

विविध वर्ग के भारतीयों का उन्होंने आह्वान करते सुझाया कि लाट साहब को भी पत्र हिंदी में लिखें। हिंदी बोलें, भूलें हों तो चिंता नहीं। आश्रम का प्रत्येक छात्र हिंदी सीख ले। शिक्षक मातृभाषा के महत्व को समझें। उद्देश्य सही हो तो गलत हिंदी भी चल सकती है। अंग्रेज़ी जितनी कठिन हिंदी उतनी ही सरल भाषा है यानी अंग्रेज़ी की अपेक्षा हिंदी सीखना सरल है। उत्तीर्ण विद्यार्थी देश सेवा के लिये हिंदी का प्रयोग करें। प्रत्येक पाठशाला में हिंदी भाषोत्तेजक संघ बनायेँ जायेँ। राष्ट्रपिता ने नये शब्दों के लिये एक कमेटी के गठन का सुझाव दिया। उनके अनुसार हिंदी की खूबियों और उनका व्यापक प्रसार होना चाहिये। जो मुझे चिट्ठी लिखें अपनी भाषा में लिखें। अरबी फारसी के शब्दों को अपनी भाषा में लेने में क्यों हिचकिचाएं? नेताओं को मान पत्र हिंदी में ही दें।

महात्मा गांधी के अनुसार अभी तक मध्यम वर्ग के लोगों ने ही हिंदी सीखने का काम शुरू किया है। हमारे विशिष्ट नेता इसे कब शुरू करेंगे? एडवोकेट जनरल कब अपने मिसिल-मुकदमों की तरफ से ध्यान हटाकर आधे घंटे का समय हिंदी सीखने में लगाएंगे? मैं चाहता हूं कि दक्षिण के सबसे प्रतिष्ठित वर्ग के स्त्री पुरुष भी हिंदी सीखें।

महात्मा गांधी हिंदी के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने हिंदी की स्वीकृति पर ही वाइसराय की युद्ध परिषद में भाग लिया। हिंदी में ही 'नवजीवन' समाचार पत्र प्रारम्भ किया। कोलकत्ता के राष्ट्रीय महाविद्यालय के उदघाटन अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि हिंदी की रामायण आधुनिक साहित्य में बेजोड़ है।

हिंदी के दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के लिए राष्ट्र भाषा के रूप में हर दृष्टिकोण से हिंदी ही मुफीद होगी। यह पूछे जाने पर क्यों नहीं तेलगु, तमिल या गुजराती तो उन्होंने कहा था " मैं वही चाहता हूं जो देश की छवि को दिखा सके। यही बात उन्होंने चम्पारण जाकर भी दोहरायी थी।

"यह बात नहीं है कि भाषा के पीछे मैं दीवाना हो गया हूं। न ही इसका यह मतलब है कि अगर भाषा के मोल पर स्वराज्य मिलता है तो मैं उसे लेने से इनकार कर दूंगा लेकिन जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि सत्य और अहिंसा की बलि देने से मिलने वाला स्वराज्य मैं हरगिज़ नहीं लूंगा। फिर भी मैं भाषा पर इतना ज़ोर इसलिये देता हूं कि राष्ट्रीय एकता हासिल करने का यह एक ज़बरदस्त साधन है और इसका आधार जितना दृढ़ होगा हमारी एकता का आधार

उतना ही प्रशस्त होगा।" संपूर्ण गांधी वाङमय (खण्ड 65) का पृष्ठ क्रमांक 35.

सम्पूर्ण ज्ञान मौन से ज़्यादा प्रकट होता है क्योंकि भाषा कभी पूर्ण विचार को प्रकट नहीं कर सकती। अज्ञान विचार की निरकुंशता का सूचक है। इसलिये उसे भाषा रूपी वाहन चाहिये। - सम्पूर्ण गांधी वाङमय (खण्ड 67) का पृष्ठ क्रमांक 132.

"सर्वप्रथम और महान सामाजिक सेवा जो हम अर्पित कर सकते हैं – अपनी देशी भाषाओं पर लौटना है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उसका प्राकृत स्थान दिलाना है, अपनी प्रांतीय कार्यवाहियों को हिंदी में करना है। हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकेगें जब तक हमारे स्कूल और कॉलेज देशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा न दें।" - इंडियन रिव्यू (जनवरी 1918)।

1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के आठवें इन्दौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा की व्याख्या की तथा हिंदी भाषी राज्यों में उसके प्रचार-प्रसार का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को यदि सचमुच एक राष्ट्र बनना है तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है। इसका कारण है जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को नहीं मिल सकता है। प्रत्येक प्रान्त में उस प्रान्त की भाषा सारे देश के आपसी व्यवहार के लिये सम्पर्क भाषा हिंदी तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यवहार के लिए अंग्रेज़ी का उपयोग हो। उसी इंदौर अधिवेशन में ही उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार का प्रस्ताव पारित कराया।

20 अप्रैल 1935 को हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24 वें अधिवेशन की अध्यक्षता इंदौर में महात्मा गांधी ने की। इस अधिवेशन में उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख किया।

महात्मा गांधी का मानना था कि हिंदी का आंदोलन करोड़ों भारतीयों के हित में है। इसलिये वे कहते थे कि मज़हबी और तहजीबी हैसियत से क्या हम हिंदी से दूर रहें ? उन्होंने आह्वान किया था कि अदालतों में अपना काम हिंदी में चलाए। उनकी अपील थी कि आखरी अदालत की जबान हिंदी करार दी जाये तब नहीं तो अब सही जो भारत में अभी तक भी सपना ही है।

ग्रंथ सूची

1. विचार और विश्लेषण – डॉ. नगेंद्र
2. हिन्द स्वराज – महात्मा गांधी (1909)
3. इंडियन ओपिनियन- दक्षिण अफ्रीका (1906-1907)
4. मेरे सपनों का भारत – महात्मा गांधी
5. हरिजन (9 जुलाई 1938)
6. इंडियन रिव्यू (जनवरी 1918)
७. सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय

विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी:
अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी लेखन

राकेश शुक्ला, वैज्ञानिक 'एस जी',
प्रधान एस आई टी एस
एवं सुचना सुरक्षा अधिकारी,
ऐड्रिन, अंतरिक्ष विभाग

'इसरो तू एक सच्चाई है,भारत की ऑखों का सपना।
इसरो तू एक कर्मणी भाँति,साकार किया है यह सपना॥'

सारांश

अंतरिक्ष की गहनता-विशालता को मनुष्य ने आदिकाल से ही सराहा है तथा उसके बारे में जानने को सदैव उत्सुक रहा है। मानव समुदाय ने मात्र कुछ दशकों में अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति बना डाली है। अंतरिक्ष में जीवन हेतु अन्वेषण के कार्य वैसे तो रोबोटों और प्रोबों से किया जा सकते हैं लेकिन किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में कोई भी निर्णय केवल मनुष्य ही ले सकता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति की है। आने वाले वर्षों में भविष्य का अध्ययन करने वाले विद्वान भारत को जापान व अमेरिका से सम्पन्नता में आगे निकल जाने की भविष्यवाणी करने लगे हैं| सभी भारतीयों को देश की इस उपलब्धि पर गर्व है। अगर अंतरिक्ष अन्वेषण इसी गति से चलता रहा तो कौन जान सकता है कि आने वाले वर्षों में हम कहाँ पहुँच जाएँगे।आज भारत अपनी स्वतंत्रता की 78 वीं वर्षगाँठ मना चुका है तथा विश्व अंतरिक्ष समुदाय स्पूतनिक-1 के प्रमोचन की 50वी वर्षगाँठ मना चुका है। इस दौरान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक विशाल और एकीकृत कार्यक्रम है जो आत्मनिर्भरता के साथ साथ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को साथ लेकर चलता है। इस कार्यक्रम में शामिल हैं तकनीकी क्षमताएँ, अत्याधुनिक उपग्रहों का विकास, प्रमोचन यान, अंतरिक्ष अनुसंधान और परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को देश के सामाजिक विकास की ओर उन्मुख किया गया तथा नई-नई तकनीकों को विकसित किया गया। अंतरिक्ष में जीवन के अन्वेषण हेतु मानव को भेजना आवश्यक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाना है। इन स्पिन ऑफ और विकास की जानकारी, हमें आम आदमी तक पहुचानी है तथा राजभाषा हिंदी एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है जिससे हम समाज को अंतरिक्ष विज्ञान और उसके लाभों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं।

राजभाषा हिंदी एक समर्थ और उदारशील भाषा है जो कि अपने आप में सक्षम है जिसने पूरे देश को एकजुट

करने में संपर्क भाषा का कार्य किया है। राजभाषा हिंदी राष्ट्र का पानी है जो कि भौतिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि, विज्ञान की दिशा में बढते हुए हमारे कदम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की अपनी पहचान एवं चांद तारों को छूने की तमन्ना और विश्व नेता बनने में सहायक होगी। राजभाषा हिंदी के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपि देवनागरी ध्वन्यात्मक लिपि है तथा उच्चारण एवं स्पष्टता से व्यवस्थित व वैज्ञानिक है। प्रस्तुत लेख में अंतरिक्ष विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन में आ रही बाधाएं तथा उनका समाधान और इस दिशा में उठाए गए कदमों पर मंथन किया गया है।

वैज्ञानिक साहित्य अनुवाद एवं लोकप्रिय अंतरिक्ष विज्ञान लेखन

अंतरिक्ष विज्ञान लेखन में मानवीकरण एवं सृजनात्मक भाव होना चाहिए। अंतरिक्ष विज्ञान लेखन समाज को प्रभावित करता है और यह समाज की भाषा के रूप में कार्य करता है।अंतरिक्ष विज्ञान साहित्य की भाषा लोकप्रिय होनी चाहिए। तकनीकी अंतरिक्ष विज्ञान लेखन का प्रभाव भाषा, शब्द चयन और शैली पर दिखाई देना चाहिए। लोकप्रिय अंतरिक्ष विज्ञान वैज्ञानिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है ,जो अंतरिक्ष विज्ञान का अर्थ निर्वचन (इन्टरप्रटेशन) होता है। अंतरिक्ष विज्ञान पत्रकारिता नवीनतम वैज्ञानिक विकासों पर केंद्रित होती है लेकिन लोकप्रिय अंतरिक्ष विज्ञान विस्तृत क्षेत्र में फैला विषय होता है जो अनेक स्वरूपों में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें पुस्तकें, पत्रिका लेख, टेलीविज़न वृत्तचित्र (डाक्युमेन्टरी) और वेब पृष्ठ(पेज) हो सकते हैं। इस तरह लोकप्रिय अंतरिक्ष विज्ञान एक प्रकार से वैज्ञानिक साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधानों के वृत्तिक (प्रोफ़ेशन) माध्यम के बीच का एक सेतु होता है। अंतरिक्ष विज्ञान साहित्य अनुवाद की दृष्टि से, हिंदी में निम्नलिखित गुण हैं:-

1. इसकी व्याकरण और वाक्य-संरचना जटिल नहीं है।
2. उसे विभिन्न सांस्कृतिक, व्यावसायिक, राजनीतिक आदि परिवेश में क्रिया-व्यापार के अनुकूल ढाला जा सकता है।
3. इसमें अन्य भाषाओं के सहज शब्दों को अपनाने की स्वाभाविक क्षमता है।
4. इसमें अपने-आप लोगों के बीच लोकप्रिय हो सकने की क्षमता है।
5. भारत जैसे बहु-भाषी देश में यह मीडिया के विभिन्न तबकों के लोगों द्वारा नि:संकोच रूप से स्वीकार्यता प्राप्त करती जा रही है।
6. वैज्ञानिक कार्यकलापों हेतु यह ऐसी संपर्क भाषा है जो कि बोलने और सुनने में आत्मीयतापूर्ण है तथा और पूरे देश की प्रिय है। यह गुण हिंदी भाषा में कूट-कूट के भरे हैं।
7. इसके माध्यम से संक्षेप में वैज्ञानिक संप्रेषण भी किया जा सकता है।
8. इसकी शब्दावलियां इतनी आसान और उच्चारण में सहज है कि उन्हें केवल सुनकर कंठस्थ किया जा सकता है।

जब कभी किसी व्यक्ति से किसी वैज्ञानिक विषय की पुस्तक लिखने या अनुवाद करने के लिए कहा जाता है तो वह इसके लिए तभी तैयार होता है जब उन वैज्ञानिक शब्दों के पर्यायवाची शब्द कोई हिंदी में बनाकर दे दे जिनकी

उस पुस्तक या लेख को लिखने में ज़रूरत पड़ेगी। आज भी संभावित लेखक ऐसी ही मांग करते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि आज पहले जैसी स्थिति नहीं है। अब शब्दों को बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी बनाए जा चुके शब्दों के प्रयोग की। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जैसी संस्थाओं ने विभिन्न विज्ञानों के लाखों शब्द तैयार किए हैं और नए विषयों पर शब्द निर्माण का काम लगातार हो रहा है। ज़रूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान और वैज्ञानिक राष्ट्रीय भाषाओं में आम लोगों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक लेखन करें। इसके लिए उन्हें अपने लक्षित पाठकों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग लेखन शैलियाँ विकसित करनी होंगी क्योंकि बच्चों, विद्यार्थियों, आम जन और विशेषज्ञों के लिए लेखन शैली एक जैसी नहीं हो सकती।

अंतरिक्ष विज्ञान का लोकप्रिय साहित्य अनुवाद की मांग कर रहा है। आज समाज के सभी वर्ग और आयु के लोग अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें उनकी भाषा में और उनके स्तर पर जानकारी दी जाए। हिंदी में अंतरिक्ष विज्ञान लेखकों की संख्या बढ़ रही है, लेखन में विषयों की विविधता है और पत्र-पत्रिकाओं में इन लेखकों की नियमित उपस्थिति से इस विधा की लोकप्रियता का संकेत मिलता है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या भाषा माध्यम की है। उच्च शिक्षा में भाषा माध्यम न बदलने के कारण, अभी भी अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहुंच अधिकांश समाज तक नहीं हो पाई है। अनुवाद इसका एक सरल समाधान हो सकता है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की समस्या सरकारी और व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ हद तक हल हो गई है, जिससे आज ज्ञान की हर विधा में सार्थक अभिव्यक्ति संभव हो सकी है। हालांकि, अभी तक अनुवाद पर अधिक निर्भरता रही है, जिसमें कुछ कमियाँ भी रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान लेखन ने जो प्रगति की है, वह उसके उज्ज्वल भविष्य का संकेत देती है। इस क्षेत्र में नई पीढ़ी के लेखकों की मौलिकता पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। आज विषय विशेषज्ञ भी मौलिक अंतरिक्ष विज्ञान साहित्य सृजन के लिए आगे आ रहे हैं। विज्ञान पत्रिकाओं में अंतरिक्ष विज्ञान विषय का विस्तार हुआ है और प्रकाशक भी इस विधा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पाठकों की रुचि परिष्कृत हो रही है। हमारे देश में हिंदी में विज्ञान लेखकों की कमी नहीं है, लेकिन इस बड़े समुदाय का कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है। ये सब बिखरे हुए हैं।

लोकप्रिय विज्ञान के लिए बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन सरल और सुलभ विज्ञान साहित्य, जिसे आम लोग समझ सकें, की कमी है। जनसंचार माध्यम, विशेष रूप से समाचार पत्रों में विज्ञान संबंधी सूचनाओं और लेखों की कमी है। इंटरनेट पर हिंदी में विज्ञान सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे और विकसित करने की आवश्यकता है। सामान्यतः अंतरिक्ष विज्ञान विषय के विशेषज्ञों की हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में लेखन में रुचि कम है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे भाषा में कठिनाइयां, तकनीकी लेखों को प्रस्तुत करने के मंचों की कमी और तकनीकी लेखों के प्रकाशन की समस्याएं।

वैज्ञानिक और तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का हिंदी में अब अभाव नहीं है तथा विज्ञान लेखक इसका उचित

उपयोग भी कर रहे हैं और खुद नए शब्द भी बना रहे हैं। परंतु अभी भी वैज्ञानिक पुस्तकों की भाषा का मानकीकरण नहीं हो पा रहा है। हिंदी में विज्ञान शोधपत्र और आलेख प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजी के समकक्ष विज्ञान मंचों की स्थापना की आवश्यकता है | आज ऐसे राष्ट्रीय मंचों की बढ़ोत्तरी हो रही है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलन आयोजित कर सकें और विज्ञान के बहुपृष्ठी चित्रात्मक शोध पत्रों का संकलन प्रकाशित कर सकें। परंतु अभी भी इस क्षेत्र में काफी कार्य होना बाकी है

अनुवाद के संदर्भ में अंतरिक्ष विज्ञान लेखन में निम्न विशेषताओं होनी चाहिएं-

1. वैज्ञानिक साहित्य की भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए।
2. उसमें अनावश्यक विवरण नहीं होने चाहिए।
3. उसमें मूल सिद्धांतों की सही-सही और सटीक व्याख्या की जानी चाहिए।
4. उसमें भाषागत स्पष्टता और गरिमा का निर्वाह किया जाना चाहिए।
5. उसमें विषय को पर्याप्त उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए।

हिंदी में अंतरिक्ष विज्ञान लेखन : समस्याएँ एवं निदान

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महान प्रगति हुई है लेकिन एक सामान्य मानव इससे आज भी अनभिज्ञ है। इसका प्रथम कारण तो यह है कि एक तो अंतरिक्ष विज्ञान हाइटेक विषय है तथा दूसरा कारण यह है कि अंतरिक्ष विज्ञान मूल रूप से अंग्रेजी में ही उपलब्ध है और उच्च स्तर की अंग्रेजी पत्रिकाओं में ही पाया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लोकरुचि का विकास तकनीकी लेखन की लोकप्रियता या लोकप्रिय तकनीकी अंतरिक्ष विज्ञान लेखन का ही दूसरा नाम है। इसके कारण सामान्य जनमानस इस विषय को समझ नहीं पाते हैं और इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। पाठकों के साथ ही साथ अंतरिक्ष विज्ञान को लोकप्रिय भाषा में लिखने वालों की भी कमी है। दोनों बातों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी साहित्य को जनसामान्य की भाषा में लिखा जाना नितांत आवश्यक है। हिंदी में साहित्य लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है जबकि अंतरिक्ष विज्ञान अपेक्षाकृत नया है। एक समय था जब हिंदी को केवल साहित्य की माध्यम भाषा के रूप में माना जाता था। हिंदी में अंतरिक्ष विज्ञान साहित्य का अभाव है और प्रायः यह पाठयपुस्तकों के रूप में ही मिलता है। कुछ लोग बोलचाल की भाषा में लेख प्रकाशित करते हैं लेकिन यह लेख व्यवसायिक अंतरिक्ष विज्ञान लेखन तक ही सीमित है। वैज्ञानिक उपलब्धियों को अनुवाद के द्वारा प्रकाशित करने के प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। अनुवाद से विषय का सही प्रस्तुतिकरण संभव नहीं हो पाता है क्योंकि प्रायः अनुवादकों को विषय का ज्ञान नहीं होता है। हिंदी में अंतरिक्ष विज्ञान लेखन किस दिशा में जा रहा है? उसकी शैली क्या है? इसमें कहाँ तक सफलता मिल पा रही है? इन प्रश्नों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी भाषा के प्रारंभिक विकास के उपायों में अनुवाद का सहारा लेना स्वाभाविक ही है। परंतु अनुवाद समस्या का समाधान नहीं है। अनुवाद एक हद तक ही समस्या का समाधान है। अनुवाद के कारण उद्भूत भाषापरक कृत्रिमताओं से चिंतित हो कर कई विद्वानों ने इस ओर संकेत भी किए तथा मौलिक चिंतन एवं मौलिक लेखन के विकास को लक्ष्य मान कर कई सराहनीय प्रयत्न भी किए

गए है। राजभाषा हिंदी की समस्याओं में वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली की समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज के इस वैज्ञानिक युग में, जबकि प्राविधिक ज्ञान का अति विकास तथा विस्तार हुआ है, भारत के लिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक दिशा में अन्य देशों से पीछे न रहे तथा स्वाधीनता प्राप्ति के बाद तो इस आवश्यकता का महत्व और भी बढ़ गया है। भारत में आधुनिक तकनीकी परंपरा अँग्रेजी की देन है। अतः अंतरराष्ट्रीय भाषा-वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक कारणों से अँग्रेजी को मानक भाषा मानकर चल सकते हैं। आब एक ओर अँग्रेजी है तो दूसरी ओर हिंदी है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली को हम तीन वर्गों में विभाजित करें-गुणमूलक, व्यत्पत्तिमूलक एवं विषय परक। ये तीनों प्रकार के वर्गीकरण सोपान की भाँति एक दूसरे से संबंधित हैं। विषयमूलक वर्गों को आगे विभागों, उपविभागों तथा विशिष्ट उपविभागों में विभाजित कर सकते हैं। यदि यों कहें तो अत्युक्ति न होगी कि तकनीकी शब्दावली उन असंख्य शब्दों , चिन्हों और संकेतों की राशि है जिन में सामान्यतः कम से कम दस लक्षण पाए जाते हैं। ये दस लक्षण इस प्रकार हैं:- परिशुद्धता, स्पष्टता, प्रतीक, प्रयोग, परिभाषा-परिसीमन, त्र्योक्ति अभाव, काव्यगुणलोप, निश्चयात्मक प्रादुर्भाव, मौलिक संबद्धता एवं औचित्य। इन दस गुणों वाले शब्दों की जिस सामग्री में अधिकता होती है उसको तकनीकी सामग्री अथवा तकनीकी साहित्य कहते हैं। तकनीकी सामग्री के दो स्वरूप होते हैं:- एक प्रकृति एवं विधि और दूसरी विषय वस्तु की एक राशि। किंतु इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, विषय वस्तु तो पहुँचने के लिए एक मार्ग है। विधि तथा ज्ञान राशि होने के कारण विषय वस्तु के रूप में तकनीकी सामग्री विधि द्वारा उद्भूय होती है। इस दोनों का अस्तित्व अभिन्न है। संपूर्ण तकनीकी सामग्री में निहित सूचनाएँ एवं उसमें अर्थ तकनीकी विचार धारा एवं क्रियाविधियों के परिणाम होते हैं। इसके साथ-साथ विचार की अभिव्यक्ति मूलतः स्थूल, भौतिक विह्ढा के व्यापारों की ओर एवं अस्तित्वों की ओर उन्मुख होती है जो आधारतः किसी-न-किसी वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिक ज्ञान प्रशाखा की विषयवस्तु होती है। तकनीक विचारधारा या प्रवृत्ति जीवन के प्रत्येक पहलू में अभिव्यक्ति हो सकती है। एक विशेष अर्थ में तकनीकी सामग्री दैनिक कार्यात्मक घटनाओं का ही परिवर्तित,प्रायः अत्यंत ताक्षणिक स्वरूप होता है। यह बहुसंख्यक के लिए भी नहीं है अपितु यह केवल उन गिने चुने लोगों के लिए है जो किसी प्राविधिक विषय का विशेष अध्ययन करना चाहते हैं। यह कटु सत्य है, लेकिन पारिभाषिक या शाब्दिक लोक व्यवहार के लिए उपयोग में कम ही किए जाते हैं। आइए अब हम देखें कि शब्दों का चयन और शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है।

शब्द चयन:- पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में कभी-कभी उचित शब्दों के चयन का प्रश्न भी उपस्थित होता है। शब्द चयन करते हुए हमें सरलता तथा यथार्थता की ओर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए अँग्रेजी के 'पावर', 'एनर्जी' तथा 'फोर्स' के लिए 'शक्ति' 'ऊर्जा' तथा 'बल' शब्दों का चयन उचित तथा सरल हुआ है। इस प्रकार शब्दों के चयन में अर्थ एवं रूप को देखना आवश्यक है। पारिभाषिक शब्दावली ने क्रमशः अपना रूप विस्तार व्यवस्था के आधुनिकीकरण और सभ्यता के विज्ञानीकरण के कारण अर्जित किया है। अब पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य उन सारी शब्दाभिव्यक्तियों से है जो अंतरिक्ष विज्ञान और व्यवहार में विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त होती है। प्राचीन शास्त्रकारों ने आधुनिक संकेत, परिभाषा तथा अर्थ बोधक पद पारिभाषिक स्वीकार किए हैं।

शब्द निर्माण:- वस्तुतः पारिभाषिक शब्द वही होता है, जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप से होता है।

इस दृष्टि से यथासंभव संक्षिप्त शब्द ही पारिभाषिक शब्दावली के लिए उपर्युक्त हो सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली को हम कठिन न कहें क्योंकि वह बोलचाल की भाषा से अलग होती है। एक उदाहरण के लिए इजरायल ने अपनी राष्ट्र भाषा हिब्रू को सजीव बनाकर आज उसे प्रत्येक ज्ञान-विज्ञान की शब्दावली से समृद्ध कर लिया है, फिर कोई कारण नहीं है कि हमारी हिंदी जो की अति समृद्ध एवं सशक्त भाषा है , वह पारिभाषिक तकनीकी शब्दावली के निर्माण कार्य में पीछे रहे। कोई भी भाषा तभी सक्षम बन सकती है , जब उसे व्यवहार एवं प्रयोग में लाया जाए। विज्ञान के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है, अपनी भाषा है तथा अपनी शब्दावली है। इसलिए हिंदी तकनीकी एवं विज्ञान लेखन के लिए हम हिंदी तकनीकी शब्दावली को सीखे बिना इस क्षेत्र की गहराई में बैठने का दावा नहीं कर सकते। साथ ही साथ विज्ञान के हर और विभिन्न शाखाओं की अपनी अपनी शब्दावली होती है जिनके कार्य के लिए उनका अध्ययन अनिवार्य है। हिंदी में विज्ञान की उच्चतरीय शिक्षा तथा अनुसंधान में मुख्य बाधक तत्व मानसिकता का अभाव ही रहा है। आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी युग में विज्ञान और उपर्युक्त प्रौद्योगिकी के ज्ञान को जनसाधारण तक पहुँचाने का कार्य कितना महत्वपूर्ण है इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः उच्चस्तर पर विज्ञान की शिक्षा हिंदी में हो तो इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि उच्चतम ज्ञान का भंडार अँग्रेजी में सबसे ज़्यादा ते.जी से बढ़ रहा है और हिंदी में शिक्षित विद्यार्थी इस ज्ञान से पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। जब रूसी, चीनी,जापानी,फ्रांसीसी आदि अपनी भाषाओं में विज्ञान की शिक्षा, उच्चतम अनुसंधान और सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य कर सकते हैं तो हिंदी में ऐसा क्यों नहीं हो सका?

शब्द प्रयोग के कुछ आसान नुस्खे: हिंदी भाषा के संदर्भ में हिंदी के तकनीकी पक्ष को सबल बनाने की दिशा में शोध की प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ेगी। जहाँ एक ओर वैज्ञानिकों को हिंदी में लिखने के लिए प्रवृत्त करना है वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा में विज्ञान संबंधी विषयों पर शोधकार्य एवं लेखन कार्य करने की पहल करना आवश्यक है। विज्ञान संबंधी लेखन की महत्ता से ही हिंदी जगत को वैज्ञानिक स्वरूप मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। विशुध्द हिंदी में तकनीकी लेखन करने से पाठक के लिए कभी कभी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए आम भाषा के शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। रेल शब्द को हम रेल के ही रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 'लौह पथ गामिनी' शब्द का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।एन्टेना शब्द को एन्टेना ही कहा जा सकता है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं लेकिन तकनीकी शब्दावली के संदर्भ में ज्ञातव्य है कि शब्द अपेक्षाकृत जल्दी-जल्दी बदलते हैं तथा इनकी परिभाषा भी बदल जाती है और नए शब्द गढ़े जाते हैं। तकनीकी शब्दावली को तकनीकी के मुख्य भागों में बांट कर विषयवार शब्दावली का प्रकाशन आवश्यक है। प्रत्येक 2-3 वर्ष बाद तकनीकी शब्दावली का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक प्रतीत होता है , अन्यथा तकनीकी शब्दावली और तकनीकी विकास के बीच सामंजस्य नहीं हो सकेगा। आज कंप्यूटर विज्ञान स्वतंत्र रूप में विकसित हो गया है। इसकी शब्दावली तैयार होने से इस महत्वपूर्ण विज्ञान को हिंदी के माध्यम से अभिव्यक्ति करना आसान हो गया है। तकनीकी शब्दों को इनके निरंतर प्रयोग के आधार पर ही प्रचलित करना संभव है।

अंतरिक्ष विज्ञान पर तकनीकी लेखन की कुछ आवश्यकताएं और चुनौतियां नीचे दी गई हैं :-

आवश्यकताएँ

1. **गहन विषय ज्ञान:** अंतरिक्ष विज्ञान पर तकनीकी लेखन के लिए लेखकों को इस क्षेत्र का गहन ज्ञान होना आवश्यक है। यह न केवल अंतरिक्ष विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, बल्कि नई खोजों और तकनीकी प्रगति को भी सही रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होता है।
2. **सटीकता और स्पष्टता:** तकनीकी लेखन में सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेखकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वैज्ञानिक तथ्यों और आंकड़ों को सही रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही, जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना भी आवश्यक है ताकि पाठक आसानी से समझ सकें।

3. **उपयुक्त तकनीकी शब्दावली:** अंतरिक्ष विज्ञान की तकनीकी शब्दावली को सही और सटीक तरीके से उपयोग करना तकनीकी लेखन की एक प्रमुख आवश्यकता है। यह न केवल लेख की सटीकता को बढ़ाता है, बल्कि पाठक को विषय की गहराई तक पहुँचने में भी मदद करता है।

4. **स्रोत और संदर्भ:** तकनीकी लेखन में उपयोग की जाने वाली सभी जानकारी और तथ्यों के लिए प्रामाणिक स्रोत और संदर्भ प्रदान करना आवश्यक है। यह न केवल लेख की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बल्कि पाठकों को आगे की जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोत भी प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

1. **जटिल अवधारणाओं का सरलीकरण:** अंतरिक्ष विज्ञान में कई जटिल अवधारणाएं होती हैं, जिन्हें सरल भाषा में समझाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेखकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे वैज्ञानिक जटिलताओं को बिना खोए सरल और बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत करें।

2. **भाषा की बाधा:** अंतरिक्ष विज्ञान के तकनीकी लेखन में अक्सर अंग्रेजी का उपयोग होता है, जबकि भारत में हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में इस प्रकार का साहित्य कम उपलब्ध है। यह भाषा की बाधा लेखक और पाठक दोनों के लिए एक चुनौती हो सकती है।

3. **नवीनतम जानकारी का अभाव:** अंतरिक्ष विज्ञान एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। लेखकों को नवीनतम शोध और खोजों के प्रति अद्यतित रहना होता है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए निरंतर अध्ययन और शोध आवश्यक है।

4. **तकनीकी उपकरणों की कमी:** अंतरिक्ष विज्ञान पर तकनीकी लेखन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्रोत, शोध पत्रिकाएँ और इंटरनेट संसाधन की आवश्यकता होती है। लेकिन अक्सर इन संसाधनों की कमी लेखकों के लिए एक बाधा बन जाती है।

अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी लेखन के क्षेत्र में राजभाषा को आसान बनाने के उपाय

1. तकनीकी लेखन सरल भाषा में किया जाना चाहिए तथा कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अधिकृत तकनीकी शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
2. आज लोकोपयोगी विज्ञान का प्रचार एवं प्रसार तकनीकी लेखन का मूल उद्देश्य है। इसलिए मूल विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उसके मानवीय उपयोगों की प्रासंगिकता को ठीक से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
3. अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में तकनीकी लेखन हेतु इस बात का ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लेख का प्रस्तुतिकरण एक सामान्य पाठक के लिए है तथा प्रयासों की सफलता इस बात से ऑकी जाएगी कि सामान्य पाठक तकनीकी लेख को समझ सका है कि नहीं है।
4. गणित सूत्रों का प्रयोग सरल रूप में किया जाना चाहिए तथा सूत्रों के मतलब को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना चाहिए।
5. मुश्किल तथ्यों को समझाने के लिए , सरल उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए।
6. तकनीकी लेखन करने वालों को विषय में समुचित ज्ञान होना अति आवश्यक है जिससे अर्थ का अनर्थ न हो जाए। तकनीकी लेखक को वैज्ञानिक सामाग्री को श्रृंखलाबद्ध और संगठित करके प्रस्तुत करना चाहिए। विषय वस्तु को समझने वाले लेखक ही सरल और समझने वाली भाषा में लेखन कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं।
7. हिंदी भाषा के संदर्भ में हिंदी के तकनीकी पक्ष को सबल बनाने की दिशा में शोध की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जहाँ एक ओर वैज्ञानिक हिंदी में लिखने के लिए प्रवृत्त हो रहे है वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा में विज्ञान संबंधी विषयों पर शोधकार्य एवं लेखन कार्य भी जोर शोर से शुरु हो चुका है। विज्ञान संबंधी लेखन की महत्ता से ही हिंदी जगत को वैज्ञानिक स्वरूप मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। विशुद्ध हिंदी में तकनीकी लेखन करने से पाठक के लिए कभी कभी समस्या खड़ी हो जाती है।
8. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य में राजभाषा को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं लेकिन तकनीकी शब्दावली के संदर्भ में ज्ञातव्य है कि शब्द अपेक्षाकृत जल्दी-जल्दी बदलते हैं तथा इनकी परिभाषा भी बदल जाती है और नए शब्द गढ़े जाते हैं। तकनीकी शब्दावली को तकनीकी के मुख्य भागों में बाँट कर विषयवार शब्दावली का प्रकाशन आवश्यक है। प्रत्येक 2-3 वर्ष बाद तकनीकी शब्दावली का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक प्रतीत होता है, अन्यथा तकनीकी शब्दावली और तकनीकी विकास के बीच सामंजस्य नहीं हो सकेगा। आज कंप्यूटर विज्ञान स्वतंत्र रूप में विकसित हो गया है। इसकी शब्दावली तैयार होने से इस महत्वपूर्ण विज्ञान को हिंदी के माध्यम से अभिव्यक्ति करना आसान हो गया है। तकनीकी शब्दों को इनके निरंतर प्रयोग के आधार पर ही प्रचलित करना संभव है। इस दिशो में भी आज जोर शोर से कार्य चल रहा है।

निष्कर्ष: अंतरिक्ष विज्ञान पर तकनीकी लेखन एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक जानकारी को व्यापक जनसमूह तक पहुँचाया जा सकता है। इसके लिए लेखकों को गहन विषय ज्ञान, सटीकता,

उपयुक्त तकनीकी शब्दावली और विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। हालांकि, इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे जटिल अवधारणाओं का सरलीकरण और नवीनतम जानकारी तक पहुँच। इन चुनौतियों के बावजूद, तकनीकी लेखन में निपुणता और निरंतर अध्ययन के माध्यम से इन पर काबू पाया जा सकता है। तकनीकी हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में हिंदी तकनीकी लेखकों का योगदान रहा है। तकनीकी हिंदी को लोकप्रिय बनाने में और राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाने में इन लेखकों का योगदान सराहनीय है। आधुनिक युग में आर्थिक पहलू की महत्ता को देखते हुए हिंदी के प्रसार में हिंदी तकनीकी लेखन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।भारतीय समाज को आविष्कारोन्मुखी बनाने में लोक भाषा हिंदी के माध्यम से विज्ञान शिक्षण,प्रशिक्षण, शोध आदि की अत्यंत आवश्यकता है। तकनीकी हिंदी के समन्वित विकास के लिए वैज्ञानिकों एवं हिंदी लेखकों को एक मंच पर आकर, अनेक परियोजनाओं पर कार्य करना है, जैसे तकनीकी संगोष्ठी, लेखन प्रोत्साहन, लेखन में कार्यशाला,मानस पुस्तकें, शोध प्रकाशन, तकनीकी विकास आदि। देश की एकता एवं उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तथा साथ ही साथ तकनीकी हिंदी भाषा को सक्षम बनाने के लिए यह .जरूरी है कि हम अपने विज्ञान तथा अनुसंधान के कार्य एवं शोध परिणामों को हिंदी में ही प्रकाशित करें। अंत में हम यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को प्रौढ़ बनाने के लिए एक दिन में गढ़कर शब्दावली नहीं दी जा सकती। पारिभाषिक शब्द भले ही बने पर जब तक उनका ज्ञान-विज्ञान साहित्य में प्रयोग नहीं तब तक वे भाषा के अंग नहीं बन सकते। अतः नवीन शब्दावली का निर्माण ही मुख्य कार्य नहीं है अपितु सबसे बड़ा कार्य है इस नवीन शब्दावली का उत्मुक्त प्रयोग। नए विज्ञान लेखक, विद्वान जितनी तत्परता से पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे, तकनीकी हिंदी उतनी जल्दी विकसित होगी। अपने मूल शब्द भंडार के संरक्षण और आंतरिक त्रुटियों के अनुरूप संवर्द्धन के सहारे तकनीकी हिंदी को इस संघर्ष में जीतना है। साथ ही साथ यह भी स्वीकारना होगा कि पारिभाषिक शब्दावली बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। समय-समय पर इस बात की समीक्षा होती रहनी चाहिए कि कितने-कितने शब्द प्रतिदिन उपयोग की भाषा में घुल-मिल गए हैं, कितने लड़खड़ा रहे हैं तथा कितने बिल्कुल नहीं चल पाए। ऐसी समीक्षा आगे होने वाले कार्य को अधिक शक्ति प्रदान करेगी। इस चिंतन से इस दिशा में होने वाला कार्य हिंदी को अधिक संपन्न तथा ग्राह्य बनाएगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की रचना तथा सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब उसका लिखने एवं कहने वाले का आशय दूसरे व्यक्ति की समझ में आ जाए।

संदर्भ सूची

1. हिंदी में अभियांत्रिकी एवं तकनीकी शिक्षा :समस्याएँ व समाधान, हरशरन गोयल
2. तकनीकी विषयों मे हिंदी माध्यम अपनाने से संकोच क्यों?:- बाधाएं एवं उनके निराकरण के कुछ सुझाव, नीरा चतुर्वेदी
3. सामाजिक संतुलन और भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा, दयाप्रसाद खंडेलवाल
4. तकनीकी हिंदी का विकास :समस्याएँ व समाधान, , कुंजबिहारी वार्ष्णेय
5. हिंदी में तकनीकी पारिभाषिक शब्दावलीः श्रीमती उमा शुक्ल

संविधान सभा में हिंदी पर हुई बहसें

सूजय प्रसाद, लेखा परीक्षक

संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिनकी संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में 11 सत्रों में और 167 दिनों के दौरान बैठके हुई। संविधान सभा की बहस में भाषा पर हुआ विवाद भारतीय संघ के गठन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था और यह मुद्दा आज भी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में जीवित है। 13 सितंबर, 1949 को संविधान सभा की बहस अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद की निगरानी में शुरू हुई। सबसे पहले महान स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ विनायक धुलेकर ने बहस की शुरुआत की थी। धुलेकर यूनाइटेड प्रोविंस की तरफ से अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था कि महोदय, अगर हिंदी को देश की राजभाषा बनाया जाता है तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। उन्होंने सभा में कहा था कि हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले। अगर किसी बहस आदि में कोई बात हो तो वहां भी हिंदी को ही मान्य माना जाए।

संविधान सभा में भाषा पर बहस का प्रारूप इस प्रकार देखा जा सकता है:

1. तुलसीदास और स्वामी दयानंद का हवाला

धुलेकर ने फिर कहा कि यह लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें सालों और सदियों लगे हैं। स्वामी रामदास ने हिंदी में लिखा था। तुलसीदास ने हिंदी में लिखा। और इसके बाद आधुनिक संत स्वामी दयानंद ने भी हिंदी में लिखा। वे गुजराती थे लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखा। आखिर उन्होंने हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा थी। इस पर उन्होने कहा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब वह कांग्रेस में आए थे तो उन्होंने अंग्रेजी की जगह हिंदी में बात रखी। हिंदी यूनिवर्सल भाषा बन गई है और आगे बढ़ रही है। यही हमारी राष्ट्रीय भाषा की ताकत है।

2. संविधान सभा की बैठक और प्रारंभिक बहस

13 सितंबर 1949 को, संविधान सभा की बैठक में भाषा पर बहस शुरू हुई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की जो कि भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। इस बहस में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। यह बहस दो दिन तक चली और इसके बाद संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया।

3. रघुनाथ विनायक धुलेकर का तर्क

रघुनाथ विनायक धुलेकर, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस से थे, ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि हिंदी देश की प्राचीन और लोकप्रिय भाषा है। उन्होंने महात्मा गांधी, तुलसीदास, स्वामी रामदास और स्वामी दयानंद जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों का हवाला देते हुए यह तर्क किया कि हिंदी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। धुलेकर ने कहा कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके उपयोग के कारण, इसे आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

4. संस्कृत का प्रस्ताव और एच. आर. गुरेव रेड्डी का दृष्टिकोण

संविधान सभा में हिंदी के खिलाफ एक प्रमुख तर्क संस्कृत के पक्ष में था। मैसूर स्टेट के एच. आर. गुरेव रेड्डी ने संस्कृत को राजभाषा के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने संस्कृत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित किया और उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि, उनके प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों का समर्थन नहीं मिला, और हिंदी को ही राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई।

5. फ्रैंक एंथनी का अंग्रेजी के प्रति दृष्टिकोण

फ्रैंक एंथनी, जो एक प्रमुख नेता थे और अंग्रेजी के समर्थक थे, ने हिंदी की क्षमताओं पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि अगर संविधान हिंदी में लिखा जाता है, तो कितने लोग इसे समझ पाएंगे। उन्होंने अंग्रेजी को एक व्यावसायिक और प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन स्वीकार किया कि यह राष्ट्रभाषा के रूप में उपयुक्त नहीं है। उनके इस दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट किया कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को चुनने का निर्णय कितना महत्वपूर्ण था।

6. हिंदीतर भाषी राज्यों की आपत्तियाँ

गैर-हिंदी भाषी राज्यों के सदस्यों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। मद्रास के ए कृष्णास्वामी अय्यर ने सुझाव दिया कि गैर गैर-हिंदी प्रांतों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ओडिशा के सारंगधर दास ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी की अनिवार्यता की तुलना में अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी जानी चाहिए। इन विचारों ने यह दर्शाया कि भारत की बहुभाषीय पहचान को मान्यता देने की आवश्यकता है और सभी भाषाओं का समान प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है।

7. संविधान सभा की समाप्ति और निर्णय

14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बहस समाप्त हुई, और हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि को आधिकारिक लिपि के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस निर्णय ने एक संतुलन स्थापित किया, जिसमें हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, जबकि अन्य भाषाओं को भी सम्मान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

8. आज का परिदृश्य और संविधान सभा की भूमिका

संविधान सभा की बहस ने न केवल हिंदी को एक आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया, बल्कि भारत के विविध भाषाई परिदृश्य को भी एकीकृत किया। आज भी, हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच विवाद और बहस जारी है, जो कि भारतीय समाज की बहुलता और विविधता को दर्शाता है।

9. संविधान सभा की निर्णय प्रक्रिया

संविधान सभा की बहस के बाद, हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, और देवनागरी लिपि को आधिकारिक लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप भारतीय अंकों का होगा। इस निर्णय के साथ ही एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित किया गया, जिसमें सभी भाषाओं को मान्यता देने की कोशिश की गई।

10. आज के विवाद और संविधान सभा की भूमिका

आज भी भाषा को लेकर विवाद जारी है, जैसे कि अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच हुआ। यह विवाद दर्शाता है कि भाषा एक संवेदनशील मुद्दा है, जो विभिन्न क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों को प्रभावित करता है। संविधान सभा की बहस में उठाए गए मुद्दे और तर्क आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे भारत की बहुभाषीय और विविध सांस्कृतिक पहचान को समझने में सहायक हैं।

संविधान सभा ने एक समझौता किया, लेकिन असहमति की यह प्रक्रिया भी दर्शाती है कि भाषा की पहचान और अधिकारों को लेकर एक सतत संवाद की आवश्यकता है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में यह बहस और संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि सभी भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान को उचित मान्यता मिल सके।

11. डॉ. राजेंद्र प्रसाद का संबोधन

संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर हुई इस बहस का समापन करते हुए अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा-'मैं आश्चर्य कर रहा था कि हमें छोटे से मामले (रोमन अंकों के उपयोग) पर इतनी बहस करने की, इतना समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? आखिर अंक हैं क्या? वैसे दस ही तो हैं। इन दस में मुझे याद पड़ता है कि तीन तो ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में एक से हैं--2, 3 और 0। मेरे ख्याल से चार और है जो रूप में एक से है किंतु उनमें अलग-अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी का 4 अंग्रेजी के 8 से बहुत मिलता जुलता है। मैं अपने हिंदी के मित्रों से कहूंगा कि वह इसे (दक्षिण भारतीयों की रोमन अंकों के उपयोग के प्रस्ताव) उस भावना से स्वीकार करें। इसलिए स्वीकार करें कि हम उनसे हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि स्वीकार करवाना चाहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सदन ने बहुमत से सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

निष्कर्ष:-

अतः संविधान सभा में हिंदी पर हुई बहस एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बहस ने न केवल हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि भारत की बहुभाषीय पहचान को मान्यता देने की आवश्यकता है। यह बहस आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि एक लोकतांत्रिक और बहुभाषीय देश में भाषा के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण और जटिल हो सकते हैं।

पूर्वोत्तर भारत में हिंदी

- जैनेंद्र चौहान

पूर्वोत्तर के राज्य भारतवर्ष के अभिन्न अंग हैं। पूर्वोत्तर का इतिहास महाभारत काल से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर पूर्वोत्तर भारत में आठ राज्यों - असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम हैं। पूर्वोत्तर सात बहनों और एक भाई के नाम से भी जाना जाता है। यहां अनेक प्रकार की जाति और जनजातियां निवास करती हैं। जिनमें से असमिया, बोड़ो, कछारी, नागा, मिजो, खासी, कार्बी, दिमासा, देउरी, जयंतिया, कोच, गारो, मिसिंग, मैतेई, कूकि, निशी, आदि, जामातिया, त्रिपुरी इत्यादि प्रमुख हैं, जिनकी अपनी-अपनी भाषाएँ और बोलियां हैं। पूर्वोत्तर की मात्र असमिया, बोड़ो और मणिपुरी भाषाएं ही भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। पूर्वोत्तर में हिंदी की नींव स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने स्थापित की थी। उस समय स्वतंत्रता सेनानियों की संपर्क भाषा हिंदी ही रही। भारत स्वाधीन होने के पश्चात् 14 सितंबर, सन् 1949 ई. को भारत के संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली और लिखी जाने वाली भाषा है। इसलिए यह देश की राजभाषा होने के साथ-साथ व्यावहारिक रूप से देश की राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी को आज विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा के रूप में जाना जाता है। पूर्वोत्तर के लोग भी देश के अन्य लोगों से संपर्क हेतु अधिकतर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बड़े हर्ष की बात यह है कि वर्तमान समय में हिंदी के कई लेखक पूर्वोत्तर से आते हैं। जो अहिंदीभाषी होने के बावजूद निरंतर हिंदी में लेखन कार्य कर रहे हैं। अत: इस लेख का उद्देश्य पूर्वोत्तर में हिंदी के विस्तार का अवलोकन करना है।

भारत को गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत होने के पश्चात् 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 'हीरक जयंती' मनाने जा रहा है। हिंदी की विशालता और मधुरता राष्ट्रीय एकता की एक सशक्त कड़ी के रूप में विकसित हो रही है। पूर्वोत्तर के प्रायः सभी राज्य हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी सीखने और पढ़ने में पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूर्वोत्तर की जनजातीय भाषाओं में लिपियों का अभाव है। कुछ जनजातियां रोमन, असमिया और देवनागरी लिपि तो अपनाई हैं परंतु अभी भी बहुत सी भाषाओं की अपनी कोई लिपि नहीं है। यदि भारत सरकार के सहयोग से जिन जनजातीय भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है, उन्हें देवनागरी लिपि ग्रहण कराई जाए तो इससे उन्हें हिंदी समझने और लिखने में अधिक सुविधा मिलेगी। पूर्वोत्तर में हिंदी के विस्तार के बारे में रघुनाथ पांडे ने लिखा है, "पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में केंद्रीय हिंदी संस्थान का योगदान भी उल्लेखनीय है। संस्थान के तीन केंद्र गुवाहाटी, शिलांग तथा दीमापुर में स्थित हैं। ये तीनों केंद्र अपने-अपने कार्य क्षेत्रों के राज्यों में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के विशेष कार्यक्रम चलाते हैं।" अत: हम अब पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में हिंदी की स्थिति को बारी-बारी से अध्ययन करेंगे –

असम में हिंदी : ब्रह्मपुत्र घाटी में बसा असम पूर्वोत्तर का प्रमुख राज्य है, जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से भारत को जोड़ता है। इसलिए असम के गुवाहाटी को 'गेटवे ऑफ पूर्वोत्तर' भी कहा जाता है। प्राचीन काल में असम को 'प्रागज्योतिषपुर' और 'कामरूप' नाम से जाना जाता था। हिंदी के कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदी के प्रथम आदि कवि सरहपा असम के ही निवासी थे। डॉ. हरेराम पाठक ने लिखा है, "आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पर्यन्त बहुत से विद्वान सरहपा को कामरूप जिले (असम) के रानी (राणी) गाँव का निवासी मानते हैं।" 14 वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव का आविर्भाव असम में हुआ। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। वे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भाषा के समन्वयक थे। उन्होंने 'एक शरण वैष्णव धर्म' का प्रचार-प्रसार पूरे असम में करने के लिए जिस भाषा को चुना उसे 'ब्रजावली' या 'ब्रजबुली' कहते हैं। यह भाषा हिंदी से बहुत मिलती-जुलती है। यही कारण है की असम की असमिया और हिंदी भाषा में काफी सामन्ताएं हैं। जिससे असमवासियों को हिंदी समझने में आसानी होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर गोपीनाथ बरदलै की अध्यक्षता में सन् 1938 ई. में 'असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के बाद हिंदी असम के विद्यालयों में पढ़ाई जाने लगी। सुशील कुमार शर्मा असम में हिंदी के विस्तार के बारे में लिखते हैं, "सन् 1951-52 से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी की शिक्षा प्रारंभ की और कक्षा चार से इसे अनिवार्य कर दिया। इतना ही नहीं असम के अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी इस योजना का श्रीगणेश किया गया।... तथापि सन् 1973 में राज्य की आंतरिक परिस्थितियों के कारण इस प्रक्रिया में संशोधन हुआ और केवल कक्षा पाँच से सात तक हिंदी को अनिवार्य बनाया गया तथा कक्षा आठ से दस तक की कक्षाओं के लिए हिंदी को ऐच्छिक विषय के रूप में रखा गया।" वर्तमान समय में असम में हिंदी छठी से आठवीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है और नौवीं से दसवीं कक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

सन् 1970 ई. में गुवाहाटी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना हुई। यहाँ एम.ए. की पढ़ाई के साथ-साथ एम.फिल. और पी.एच.डी. डिग्री के लिए शोध कार्य भी होता है। इस विश्वविद्यालय के अलावा तेजपुर विश्वविद्यालय, कॉटन विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में भी हिंदी में परास्नातक और पी.एच.डी. कराई जाती है। असम में लगभग 45 से 50 महाविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन चल रहा है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉ. रीतामणि वैश्य हिंदी में निरन्तर लेखन कार्य कर रही हैं। उन्हें 'पूर्वोत्तर की विशिष्ट हिंदी लेखिका' के रूप में जाना जाता है। हिंदी की श्रेष्ठ 'हंस' और 'वागर्थ' पत्रिका में उनकी कई कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 'मृगतृष्णा' कहानी संकलन काफी चर्चा में रहा। वे पूर्वोत्तर की एकमात्र असमिया भाषी हिंदी लेखिका हैं, जिनका 'मेघना' उपन्यास फरवरी, 2024 में प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास में पूर्वोत्तर की भाषा, संस्कृति और पूर्वोत्तर की वादियों में पली एक स्त्री की अंतर्यात्रा का यथार्थ चित्रण हुआ है। वे 'पूर्वोदय शोध मीमांसा', 'शोध-चिंतन पत्रिका', 'पूर्वोत्तर सृजन पत्रिका' की संपादक भी हैं। हिंदी को असम तथा पूर्वोत्तर में समृद्ध करने में रीमामणि जी का योगदान उपस्थित एवं बरकरार है।

असम में हिंदी के प्रसार करने में सिनेमा, दूरदर्शन और आकाशवाणी का भी बहुमूल्य योगदान है। हिंदी सिनेमा जगत में असम के गायक भारत रत्न स्व. भूपेन हज़ारिका की महती भूमिका रही है। इनके अलावा असम के ज़ुबीन गर्ग,

अंरराग महंत(पापन), कल्पना पटोवारी आदि अपने मधुर स्वरों से हिंदी सिनेमा को पल्लवित कर रहे हैं। असम के कई कलाकार हिंदी सिनेमा और टीवी सीरियलों में अभिनय कर रहे हैं। असम के कई समाचार-पत्र भी हिंदी में प्रकाशित होते आ रहे हैं। जिनमें से रविशंकर रवि द्वारा प्रकाशित 'दैनिक पूर्वोदय' और 'पूर्वांचल प्रहरी' मुख्य हैं। इस तरह असम में हिंदी का विस्तार संतोषजनक है।

अरुणाचल प्रदेश में हिंदी : अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य है जहाँ सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है। इसे पहले 'नेफा' नाम से जाना जाता था। यह वृहत्त असम का हिस्सा हुआ करता था। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 20 जनवरी, 1972 ई. में केंद्रशासित राज्य के रूप में घोषित किया तथा कुछ वर्षों के बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। सभी जनजातियों की अपनी अलग-अलग भाषा हैं। जिनमें आदि, आका, मिजी, नोकते, निशी, तागिन, मोनपा इत्यादि प्रमुख हैं।

अरुणाचल प्रदेश की सरकारी भाषा अंग्रेजी होने के बावजूद हिंदी यहाँ की सम्पर्क भाषा है। हर्ष की बात है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में हिंदी उन्नत, समृद्ध और विस्तृत है। यहाँ की प्राकृतिक संपदा से सम्पन्न जनजाति लोग बड़े प्यार से हिंदी बोलते हैं। उनके हृदय में हिंदी के प्रति तनिक भी द्वेष भाव नहीं है बल्कि हिंदी को अपने देश की भाषा स्वीकार कर आपस में वार्तालाप कहते हैं। अरुणाचल में हिंदी की उत्पत्ति के संदर्भ में सुशील कुमार शर्मा ने लिखा है - "सन् 1970 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के मंत्री श्रीशंकर राव लोढ़े ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। 'हिंदी दिवस' के अवसर पर 14 सितंबर, 1974 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेमाखंदू खुंगन की उपस्थिति में संपन्न बैठक में 'उत्तर पूर्वांचल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना की गई।"

वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के प्राय: सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन व अध्यापन सुचारु रूप से चल रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में हिंदी साहित्य का कलेवर भी विस्तार ले रहा है। यहाँ हिंदी के कई साहित्यकार उभर रहे हैं। हिंदी के युवा लेखक तारो सिंदिक ने अब तक कई पुस्तकों का लेखन कार्य सम्पन्न किया है। इनके द्वारा लिखित 'अक्षरों की विनती' (काव्य संग्रह), 'हिंदी-तागिन अध्ययेता कोश' (केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से प्रकाशित), 'फिर आना तुम' (काव्य संग्रह) प्रकाशित हो चुकी है। तारो सिंदिक पूर्वोत्तर के एकमात्र हिंदी कवि हैं जिन्हें हिंदी कविता संग्रह 'अक्षरों की विनती' के लिए साहित्य अकादेमी द्वारा सन् 2017 ई. में 'साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार' प्रदान किया गया था। डॉ. जमुना बीनी हिंदी विभाग, राजीब गांधी विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें अरुणाचल की हिंदी कथाकार और लेखिका के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा रचित 'अब आदिवासी गाता है' (कविता संग्रह), 'उईमोक' (न्यीशी लोककथा संग्रह), 'अयाचिक अतिथि और अन्य कहानियाँ' (कहानी संग्रह) आदि रचनाएँ हैं। हिंदी की कई श्रेष्ठ पत्रिकाओं में इनकी कविताएँ और कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉ. जोराम यालम नाबम ने भी 'साक्षी है पीपल' कहानी संग्रह लिखी हैं। इन हिंदी के साहित्यकारों के अलावा अरुणाचल प्रदेश में कई लेखक हिंदी में रचनाओं का सृजन कर रहे हैं। कहा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की वादियों में हिंदी का परचम लहरा रहा है।

मेघालय में हिंदी : मेघालय सन् 1972 ई. में असम से अलग होकर एक राज्य बना। मेघालय का अर्थ है - 'बादलों का घर'। इसे 'पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है। इस राज्य में मुख्यतः तीन- गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ की सरकारी भाषा अंग्रेजी है। पर्यटकों बड़ी संख्या में यहां आवागमन होने के कारण संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्राय: व्यवहार किया जाता है। सन् 1976 ई. में केंद्रीय हिंदी संस्थान के शिलांग केंद्र की स्थापना हुई थी। पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय मेघालय में हिंदी का अध्ययन बेहतर तरीके से चल रहा है।

मिजोरम में हिंदी : मिजोरम प्राकृतिक संपदा से भरपूर पर्वतों का राज्य है। 'मिजोरम' शब्द का अर्थ 'मिजो' भाषा में 'पहाड़ी निवासियों की भूमि' है। सन् 1972 ई. में यह केंद्र शासित राज्य था तथा सन् 1987 ई. में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मिजोरम में मुख्य रूप से आठ भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें मिजो, चक्मा, रियाङ आदि प्रमुख हैं। 'मिजो' भाषा की अपनी स्वतंत्र लिपि न होने के कारण इसे रोमन लिपि में लिखा जाता है। यहाँ की सरकारी भाषा 'अंग्रेजी' और 'मिजो' दोनों हैं। हिंदी का प्रचार-प्रसार यहाँ देर से आरम्भ हुआ। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा यहाँ हिंदी सिखाने का कार्य चल रहा है। "वर्तमान में यहां दो स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं कार्यरत हैं - 1. मिजोरम हिंदी प्रचार सभा, आइजोल, 2. यूनिवर्सल कम्युनिकेशन हिंदी सेंटर, आइजोल। मिजोरम हिंदी प्रचार सभा, मिजोरम की प्रारम्भिक संस्था है जो राष्ट्रभाषा महाविद्यालय संचालित करती है। इस महाविद्यालय में राज्य के दूरस्थ अंचलों से हिंदी सीखने के इच्छुक लोग आते हैं। जिन्हें नि:शुल्क हिंदी में प्रशिक्षित कराया जाता है।" आज मिजोरम के बच्चे हिंदी सीखने, पढ़ने और हिंदी गानों में रूची ले रहे हैं। डॉ. इंजीनियरी जेनी मिजोरम के ही निवासी एवं हिंदी के प्राध्यापक हैं। जिन्होंने 'हिंदी मिजो शब्दकोष' भी लिखा है । साथ ही मिजोरम विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग भी मिजोरम में हिंदी के प्रचार-प्रसार में महती भूमिका निभा रहा है, जहाँ एम.ए., एम.फिल. तथा पी-एच.डी. तक हिंदी का अध्ययन-अध्यापन होता है।

नागालैंड में हिंदी : नागालैंड सन् 1963 ई. में एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। यह राज्य घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। नागा एक जनजाति होने के बाद भी यहाँ अलग-अलग पहाड़ों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यहां की सरकारी भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड में हिंदी आगमन के संदर्भ में सुशील कुमार शर्मा ने लिखा है, "नागालैंड के चुचइम्हाग में स्थित गांधी आश्रम के व्यवस्थापक श्रीनटवर भाई ठक्कर थे। प्रसिद्ध गांधीवादी आचार्य काका कालेकर के अनुरोध पर श्रीठक्कर ने पाँच युवक-युवतियों को हिंदी सिखाने के लिए वर्धा भेजा। वर्धा में इन्हें पच्चीस रुपये मासिक छात्रवृत्ति देते हुए, इनकी नि:शुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षक की व्यवस्था की गई। दो वर्ष में समिति की परिचय परीक्षा उत्तीर्ण कर ये पांचों छात्र वापस अपने प्रदेश आ गए और यहाँ इन्होंने हिंदी प्रचार-प्रसार का कार्य प्रारंभ किया। जिन पाँच छात्रों ने हिंदी को प्रथम बार सीखने का साहस जुटाया वे थे - लिड तोंबा, तुशीबा, तकोबा, कु. रोङ सनला एवं कु. अनङला।" नागालैंड में सर्वप्रथम 'केंद्रीय हिंदी संस्थान' द्वारा सन् 1972 ई. में शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था। नागालैंड के दीमापुर में रहने वाले प्योंग तेमजेन जामीर ने अपना सम्पूर्ण जीवन हिंदी के प्रचार-प्रसार में समर्पित कर दिया है। 86 वर्षीय प्योंग तेमजेन जामीर को हिंदी का प्रचार करने एवं समाज सेवा के लिए 14 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'पद्मश्री' सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। नागालैंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में स्थानीय नागा विद्यार्थी हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं।

मणिपुर में हिंदी : मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के एक पहाड़ पर बसा म्यांमार से सटा हुआ है। 'मणिपुर' का अर्थ 'आभूषणों की भूमि' है। इस राज्य में मुख्य रूप से तीन जनजातियाँ निवास करती हैं, जो क्रमश: मैतेई, कूकी और नागा हैं। यहाँ सरकारी कामकाजी भाषा 'अंग्रेजी' और 'मणिपुरी' है। 'मणिपुरी' भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित है। स्वतंत्रता से पहले ही मणिपुर में हिंदी का प्रचार कार्य शुरू हो गया था। 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' द्वारा सन् 1972 ई. में हिंदी का परीक्षा केंद्र कांचीपुर, इंफाल में आरम्भ हुआ था। "प्रयाग द्वारा प्रारंभ किए गए केंद्र की गतिविधियां चल रही थीं, इसी बीच काका कालेकर का भ्रमण राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की ओर से सन् 1940 में मणिपुर में हुआ। उनके प्रभावी भाषणों और व्यावहारिक कार्यों से मणिपुर में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ। सन् 1940 में ही इस राज्य में 'मणिपुर हिंदी प्रचार सभा' की स्थापना हुई।" स्वाधीनता के बाद मणिपुर में हिंदी का प्रसार तीव्र गति से आरंभ हुआ। आज लगभग सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एम.ए. की पढ़ाई और शोध कार्य भी चल रहा है। डॉ. ई. विजय लक्ष्मी, हिंदी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वे मणिपुरी हैं और हिंदी में निरतंर लेखन कर रही हैं। देश की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिकाओं में उनकी कई रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। मणिपुर में आकाशवाणी, दूरदर्शन, हिंदी चलचित्र और गानों ने भी हिंदी की लोकप्रियता को बढ़ाया है। भारतीय खेल जगत में यहाँ के युवक और युवतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अत: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के कारण यहाँ के युवा अच्छी हिंदी बोल लेते हैं।

त्रिपुरा में हिंदी : त्रिपुरा राज्य का गठन सन् 1972 ई. में हुआ। यहाँ त्रिपुरी, देववर्मा, जमातिय, चकमा आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ की सरकारी भाषा अंग्रेजी होने के साथ-साथ कामकाज में अंग्रेजी के साथ बंगाली, त्रिपुरी भाषा का व्यवहार होता है। हिंदी के प्रचार में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा 'त्रिपुरा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना हुई। इस समिति ने बहुत से विद्यार्थियों को हिंदी सिखाने का कार्य किया है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की एसोशिएट प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया हिंदी में लेखन कार्य कर रही हैं और हिंदी के प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं।

सिक्किम में हिंदी : हिमालय की गोद में बसा सिक्किम राज्य 16 मई, 1975 ई. में भारत का राज्य बना। यहाँ मुख्य रूप से भूटिया, लेप्चा, नेपाली लोग रहते हैं। यहाँ की सरकारी भाषा अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी, लेप्चा है तथा सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का भी व्यवहार किया जाता है। हिंदी यहाँ के लोग बिना भेद-भाव के आराम से बोलते हैं। सिक्किम के निवासी सुबास दीपक हिंदी के अच्छे लेखक हैं। उनकी कई रचनाएँ हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कई बांधाओं के बावजूद पूर्वोत्तर में हिंदी का विस्तार संतोषजनक है। राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों में भाग लेने के कारण यहाँ के युवक-युवतियों में हिंदी सीखने और बोलने में वृद्धि हो रही है। यदि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग पूर्वोत्तर के हिंदी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मुहैया कराने का प्रबंध करे तो हिंदी पढ़ने वाले छात्रों में अवश्य वृद्धि होगी और हिंदी का विकास भी होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. अवस्थी, दिलीप कुमार. पांडेय, रघुनाथ (सं). 'पूर्वोत्तर भारत और हिंदी'. निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा. पृ. 153

2. प्रो. मोहन (सं.). 'समन्वय पूर्वोत्तर' अंक, 10 जनवरी-मार्च 2011. पृ. 21

3. शुक्ल, रजनीश कुमार(प्र.सं). 'बहुवचन' अंक 68-69-70-71 (भारतीयता का अरुणोदय:पूर्वोत्तर) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र. पृ. 50-51

कृत्रिम मेधा के दौर में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं

- दिलीप कुमार सिंह
प्रबंधक (राजभाषा)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

सत्रहवीं सदी में भाप के इंजन के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद से यह तकनीकी विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऊर्जा की बुनियाद बनी और औद्योगिक क्रांति को इससे बहुत विस्तार मिला। अठारहवीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद जन सामान्य को पुस्तकें सुलभ हो पायीं। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ। उन्नीसवीं सदी में बिजली उत्पन्न करने की तकनीकी ने दुनिया बदल कर रख दी। बीसवीं सदी में कंप्यूटर के आविष्कार के बाद इसकी उपयोगिता ने सभी क्षेत्रों में इसकी अनिवार्यता स्थापित की। अगर 21वीं सदी की बात की जाए तो निश्चित तौर पर यह सदी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अर्थात कृत्रिम मेधा के नाम से जानी जाएगी। इस युग में सभी तक सूचनाएं समान रूप से सूचनाएं पहुँचने लगीं और सूचनाओं का लोकतंत्रीकरण हुआ।

1. कृत्रिम मेधा

कृत्रिम मेधा यानि मशीन में निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करना है। मशीन से इंसानी भाषा में संवाद करते हुए कार्य पूरा करना और प्रसंगानुकूल निर्णय लेना ही कृत्रिम मेधा की विशेषता है। आज कंप्यूटर मानव से उनकी स्वाभाविक भाषा में बहुत कुशलता के साथ संवाद कर रहे हैं, जिसे प्राकृतिक भाषा संसाधन कहा जाता है। कृत्रिम मेधा के पहले कंप्यूटरों को विशिष्ट कोडिंग भाषा में कुछ निर्धारित निर्देश देने होते थे, जो कोई प्रोग्रामिंग भाषा हुआ करती थी, यथा - Cobol, Visual Basic, Abap, Python आदि। इसे ही कंप्यूटर समझ सकते थे। आज कृत्रिम मेधा की सहायता से कंप्यूटर सीधे प्रयोक्ता से उसी की भाषा में बातचीत करते हुए अपेक्षित कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं। अब कृत्रिम मेधा से आगे बढ़ते हुए जेनरेटिव कृत्रिम मेधा तक तकनीकी पहुँच चुकी है। यह हम सबके लिए अधिक उपयोगी साबित हो रही है। आज चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लाउड जैसे हजारों प्लेटफॉर्म जेनरेटिव कृत्रिम मेधा की मदद से सीधे पाठ, वीडियो, आडियो, कोडिंग, तकनीकी आदि के सृजन का कार्य कर रहे हैं।

2. कृत्रिम मेधा बनाम जेनरेटिव कृत्रिम मेधा

कृत्रिम मेधा विभिन्न प्रकार के मॉडल जैसे नियम-आधारित सिस्टम, डिसीजन ट्री, या सरल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग

करता है और जेनरेटिव कृत्रिम मेधा आमतौर पर जटिल न्यूरल नेटवर्क, विशेष रूप से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर या जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क (GANs) का उपयोग करता है।

कृत्रिम मेधा में मुख्य रूप से निर्धारित नियमों और पैटर्न का पालन किया जाता है। पूर्व निर्धारित निर्देशों के दायरे में रहकर ही कार्य होते हैं। निर्धारित नियमों और पैटर्न का पालन करने के कारण कृत्रिम मेधा से अक्सर निश्चित या अनुमानित परिणाम मिलता है। जेनरेटिव कृत्रिम मेधा में नए विचारों और संयोजनों को उत्पन्न करने की बड़ी क्षमता है, जो कभी-कभी मानव रचनात्मकता की नकल कर सकता है। इसलिए जेनरेटिव कृत्रिम मेधा समान इनपुट होने पर भी हर बार अलग-अलग आउटपुट दे सकता है।

जेनरेटिव कृत्रिम मेधा लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) पर आधारित होता है। इसमें प्रसंगानुकूल सामग्री उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस अद्भुत क्षमता का उपयोग हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सामग्री सृजित करने में किया जा रहा है।

3. भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा का विकास

इस संबंध में अगर भारत की बात की जाए, तो यहाँ पर 22 आधिकारिक भाषाएँ और 1600 से अधिक मातृभाषाएँ हैं। भारत की भाषायी विविधता हमारी भाषाओं को तो समृद्ध कर रही हैं, लेकिन इस विविधता की वजह से तमाम तरह की भाषायी बाधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इस वजह से सभी भारतीयों के लिए डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने की चुनौती भी आती है। इस चुनौती से निपटने में कृत्रिम मेधा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम मेधा के सहयोग से भारतीय भाषाओं का डिजिटलीकरण तेजी से हुआ है।

शुरुआती दौर में अंग्रेजी भाषा कृत्रिम मेधा के शोध और विकास के लिए प्राथमिक भाषा थी। भारत में वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव, मोबाइल और इंटरनेट की जनसाधारण की पहुँच, सस्ते डेटा प्लान की वजह से स्थानीय भाषाओं में तकनीकी युक्तियों और सामग्री की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। इस बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति के लिए भाषा-प्रौद्योगिकी से संबंधित नयी सुविधाओं के विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया।

वर्ष 2000 के पहले तक भारतीय भाषाओं के लिए आधारभूत कृत्रिम मेधा टूल्स का विकास करने की दिशा में कार्य आरंभ हो गया था। इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर पर सक्षमता के साथ टाइपिंग के लिए ही सफलता मिल पायी थी। इस समय तक टाइपिंग के लिए फोनेटिक की-बोर्ड बना लिया गया था, जो कि बहुत लोकप्रिय भी हुआ था।

वर्ष 2000 से 2010 के दशक में, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तकनीकों के विकास के साथ, भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा अनुप्रयोगों का विकास तेज हो गया। इस दौरान, भाषा मॉडलिंग, मशीन अनुवाद, और स्पीच रिकग्निशन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस दिशा में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के प्रयास बहुत उल्लेखनीय हैं।

वर्ष 2010 के बाद आज, भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा एक परिपक्व क्षेत्र बन गया है। बड़ी तकनीकी कंपनियों से लेकर स्टार्टअप्स तक, कई संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और अमेजन जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में भारतीय भाषाओं का समर्थन प्रदान कर रही हैं, अनुवादिनी जैसे वेबपोर्टल पर भाषा-केंद्रित कृत्रिम मेधा समाधान विकसित किए जा रहे हैं।

इसी के अंतर्गत आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में शुरू की गयी परियोजना AI4Bharat एक अग्रणी राष्ट्रीय पहल है, जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम मेधा (AI) के विकास और अनुप्रयोग पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य देश की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान कृत्रिम मेधा के माध्यम से करना है। इस परियोजना की विशेषता यह है कि AI4Bharat न केवल तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि यह भारत की विविधतापूर्ण भाषाई और सांस्कृतिक परिदृश्य में कृत्रिम मेधा के समावेशी विकास को भी सुनिश्चित करता है।

4. हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा के प्रमुख अनुप्रयोग

कृत्रिम मेधा ने भारतीय भाषाओं के उपयोग को कंप्यूटर के विभिन्न क्षेत्रों में सुगम बनाया है। इनकी मदद से भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा की मदद से वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं-

4.1 मशीन अनुवाद : मशीन अनुवाद कृत्रिम मेधा का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जो भारतीय भाषाओं के बीच और भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी (और अन्य विदेशी भाषाओं) में अनुवाद को सक्षम बनाता है। आज पाठ से पाठ, पाठ से वाक, वाक से पाठ, वाक से वाक अनुवाद तत्क्षण उपलब्ध है। इस तकनीकी की मदद से आज मात्र एक भाषा जानने से दुनिया की सभी भाषाओं में व्यक्त ज्ञान को जाना जा सकता है। गूगल ट्रांसलेट, बिंग ट्रांसलेटर, अनुवादिनी, कंठस्थ और भाषिणी प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं। AI4Bharat परियोजना के माध्यम से भाषा-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत सी नि:शुल्क एपीआई भी उपलब्ध करवायी गयी हैं।

इन टूल्स ने न केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए अनुवाद को आसान बनाया है, बल्कि व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों को भी बड़े पैमाने पर सामग्री का अनुवाद करने में मदद कर रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइटें अब कृत्रिम मेधा-संचालित अनुवाद का उपयोग करके अपनी सामग्री को कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करती हैं। इसके अलावा मशीन अनुवाद के प्लगइन ब्राउजर में लगा देने से वेबसामग्री मनचाही भाषा में प्राप्त हो जाती है।

4.2 पाठ से वाक और वाक से पाठ प्रणाली : भारत जैसे देश में, जहाँ साक्षरता दर अभी भी एक चुनौती है, वाकध्वनि-आधारित इंटरफेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृत्रिम मेधा-संचालित पाठ से वाक और वाक से

पाठ प्रणाली ने भारतीय भाषाओं में वाकध्वनि आधारित संप्रेषण को संभव बना दिया है।

गूगल के Gboard कीबोर्ड ऐप हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में वाकध्वनि आधारित टाइपिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसी तरह, Amazon का Alexa और Google Assistant जैसे वॉयस असिस्टेंट अब हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में इन उपकरणों के साथ संप्रेषण करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

4.3 प्राकृतिक भाषा संसाधन (NLP) : प्राकृतिक भाषा संसाधन कृत्रिम मेधा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके माध्यम से कंप्यूटरों को मानव भाषा को समझने और इसे सृजित करने के योग्य बनाया गया है। भारतीय भाषाओं के लिए एनएलपी मॉडल्स द्वारा पाठ विश्लेषण, भावना विश्लेषण और पाठ निर्माण जैसे कार्यों को संभव बनाया गया है।

उदाहरण के लिए, अब कंपनियाँ ग्राहकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एनएलपी-आधारित भावना विश्लेषण (सेंटीमेंट एनालिसिस) टूल का उपयोग कर रही हैं। इसी तरह, न्यूज एग्रीगेटर्स भारतीय भाषाओं में समाचार लेखों को वर्गीकृत और सारांशित करने के लिए एनएलपी का उपयोग कर रहे हैं। जेनरेटिव कृत्रिम मेधा के विकास में प्राकृतिक भाषा संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है।

4.4 ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) : भारतीय भाषाओं के लिए OCR सिस्टम ने पुराने दस्तावेजों और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सिस्टम स्कैन किए गए दस्तावेजों या फोटो से टेक्स्ट को पहचान सकते हैं और उसे संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित कर सकते हैं।

गूगल का Tesseract OCR इंजन और सीडैक का OCR टूल भारतीय भाषाओं के लिए OCR में अग्रणी हैं। इन टूल्स का उपयोग पुस्तकालयों, अभिलेखागारों, और सरकारी विभागों द्वारा बड़ी मात्रा में दस्तावेजों को डिजिटाइज करने के लिए किया जा रहा है।

4.5 वर्तनी और व्याकरण जाँच : अब अंग्रेजी के समान ही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा संचालित वर्तनी और व्याकरण जाँच किया जा सकता है। अब आटो-करेक्ट हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में भी संभव हो रहा है। इससे लेखन की गुणवत्ता में सुधार आया है। व्याकरण जाँच के माध्यम से ये टूल न केवल गलतियाँ पकड़ते हैं, बल्कि बेहतर सुझाव भी दे रहे हैं। यह टूल्स दूसरी भाषा में लिखने और दूसरी भाषा सीखने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स जैसे लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर अब कई भारतीय भाषाओं में वर्तनी जाँच और

व्याकरण जाँच सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ग्रामरली जैसी कंपनियां भी भारतीय भाषाओं के लिए अपने टूल विकसित कर रही हैं।

5. विशिष्ट क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा का प्रभाव

भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा के विकास से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य की गुणवत्ता और सहजता बढ़ी है। इनमें से कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

5.1 शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में शिक्षा सुलभ करवाने पर विशेष चिंता व्यक्त की गयी है। कृत्रिम मेधा के विकास से भारतीय भाषाओं में शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया है। कुछ प्रमुख अनुप्रयोग इस प्रकार हैं:

- **भाषा शिक्षण ऐप्स:** Duolingo जैसे ऐप्स अब हिंदी व अन्य भाषाओं को सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस दिशा में कई भारतीय स्टार्टअप्स अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए इसी प्रकार के ऐप्स विकसित कर रहे हैं।

- **अनुवादित शैक्षिक सामग्री:** कृत्रिम मेधा-संचालित अनुवाद टूल्स का उपयोग करके पुस्तकों व अन्य सामग्री को तेजी से विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। इससे भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से दिए जाने की शुरुआत कर दी गयी है। इस दिशा में ऑनलाइन पोर्टल अनुवादिनी के प्रयास उल्लेखनीय हैं। इस दिशा में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

5.2 सरकारी सेवाएं

भारत सरकार ने नागरिकों तक सरकारी सेवाएं पहुँचाने के लिए कृत्रिम मेधा और भाषा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की शुरुआत की है:

- **डिजिटल सेवाएं:** MyGov पोर्टल जैसी सरकारी वेबसाइटें अब कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिसमें कृत्रिम मेधा-संचालित अनुवाद का उपयोग किया जाता है।
- **चैटबॉट्स:** कई सरकारी विभाग अब स्थानीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा-संचालित चैटबॉट्स का उपयोग कर रहे हैं, जो नागरिकों के प्रश्नों का तत्काल उत्तर देते हैं।

- **वाक्ध्वनि आधारित सेवाएं:** कुछ राज्य सरकारें वाक्ध्वनि आधारित कृत्रिम मेधा प्रणाली का उपयोग कर रही हैं, जो नागरिकों को फोन पर अपनी स्थानीय भाषा में सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

5.3 मीडिया और मनोरंजन

मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही कृत्रिम मेधा निर्मित रोबोट को जी न्यूज पर समाचार पढ़ने का प्रदर्शन किया गया था। कृत्रिम मेधा ने भारतीय भाषाओं में मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बदल दिया है:

- **सामग्री स्थानीयकरण:** तमाम अंतरराष्ट्रीय टीवी चैनल, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कृत्रिम मेधा का उपयोग करके अपनी सामग्री का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद और डबिंग कर रहे हैं।
- **समाचार एग्रीगेशन:** कृत्रिम मेधा-संचालित समाचार एग्रीगेटर विभिन्न भाषाओं से समाचार एकत्र करते हैं और उन्हें उपयोगकर्ता की पसंदीदा भाषा में प्रस्तुत करते हैं।
- **सामग्री निर्माण**: कुछ न्यूज आउटलेट्स अब स्पोर्ट्स स्कोर और स्टॉक अपडेट्स जैसी नियमित रिपोर्टें लिखने के लिए कृत्रिम मेधा का उपयोग कर रहे हैं।

5.4 व्यवसाय और वाणिज्य

कृत्रिम मेधा ने भारतीय भाषाओं में व्यापार संचालन को सरल बनाया है:

- **ग्राहक सेवा:** कई कंपनियां अब स्थानीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा-संचालित चैटबॉट्स और वॉयस असिस्टेंट का उपयोग कर रही हैं।
- **बाजार अनुसंधान:** कृत्रिम मेधा-आधारित भावना विश्लेषण (सेंटीमेंट एनालिसिस) टूल कंपनियों को विभिन्न भाषाओं में ग्राहक प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने में मदद कर रहे हैं।
- **बाजार अनुकूलन**: कृत्रिम मेधा का उपयोग करके, कंपनियां अपने विज्ञापनों और मार्केटिंग सामग्री को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में तेजी से अनुकूलित कर रही हैं।

6. चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद, कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं:

1. भारत की भाषाई विविधता एक बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रमुख भाषाओं के लिए कृत्रिम मेधा मॉडल विकसित किए गए हैं, लेकिन कई छोटी और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अभी भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है।

2. डेटा की कमी कुछ भारतीय भाषाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल डेटा की कमी है, जो उच्च-गुणवत्ता वाले कृत्रिम मेधा मॉडल के विकास में बाधा बनती है।

3. तकनीकी चुनौतियाँ भारतीय भाषाओं की जटिल लिपि प्रणालियाँ और व्याकरण संरचनाएँ कृत्रिम मेधा मॉडल के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं।

4. डिजिटल विभाजन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल साक्षरता की कमी कृत्रिम मेधा-आधारित भाषा टूल्स के व्यापक उपयोग में बाधा बन सकती है। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद, भविष्य की संभावनाएं उज्ज्वल हैं।

- मशीन लर्निंग तकनीकों में निरंतर प्रगति के साथ, भारतीय भाषाओं के लिए और अधिक सटीक और प्राकृतिक भाषा मॉडल विकसित होने की उम्मीद है।

- भविष्य में, हम ऐसे कृत्रिम मेधा सिस्टम देख सकते हैं, जिनमें एक साथ कई भारतीय भाषाओं में काम किया जाना संभव हो सकता है। इससे भाषाओं के बीच निर्बाध संचार संभव हो सकेगा।

- भविष्य में कृत्रिम मेधा का व्यापक उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बढ़ेगा। यह इन सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाएगा।

- दुनिया भर की बहुत सी भाषाओं पर लुप्त होने का खतरा है। कृत्रिम मेधा टूल्स का उपयोग इन भाषाओं और उसकी संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में किया जा सकता है।

7. कृत्रिम मेधा और भारतीय भाषाओं पर सामाजिक प्रभाव

कृत्रिम मेधा के भारतीय भाषाओं में प्रयोग का प्रभाव केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसने समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित किया है:

7.1 कृत्रिम मेधा ने सामाजिक समावेशन की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा अनुप्रयोगों ने डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद की है। अब, अंग्रेजी न जानने वाले लोग भी तकनीक का लाभ उठा सकते हैं। कृत्रिम मेधा की मदद से वे आसानी से सूचना और सेवाओं तक पहुँच रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बहुत आवश्यक है। इससे अंग्रेजी जानने वालों का अघोषित वर्चस्व तोड़ने में मदद मिलेगी।

7.2 भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा विकास ने नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। भाषा विशेषज्ञों, कृत्रिम मेधा डेवलपर्स, और सामग्री निर्माणकर्ताओं की मांग बढ़ी है जो स्थानीय भाषाओं में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं।

7.3 सांस्कृतिक संरक्षण कृत्रिम मेधा टूल्स का उपयोग भारत की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में किया जा रहा है। पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और अनुवाद इसका एक उदाहरण है।

7.4 शैक्षिक समानता भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा-संचालित शैक्षिक सामग्री ने शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया है। अब, छात्र अपनी मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

7.5 भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा का उपयोग स्वास्थ्य जानकारी और सेवाओं को अधिक सुलभ बना सकता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकता है, जहाँ भाषा अक्सर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में एक बाधा रही है।

7.6 कृषि क्षेत्र में, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कृत्रिम मेधा-संचालित भाषा टूल्स किसानों को उनकी स्थानीय भाषाओं में महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह प्रदान कर सकते हैं। यह फसल प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, और बाजार जानकारी जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।

8. निष्कर्ष

भारतीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय वास्तव में एक नई क्रांति की शुरुआत है। यह न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि भारत की भाषाई विविधता को डिजिटल युग में संरक्षित करने और बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। अनुवाद, टाइपिंग, पत्र लेखन, और रिपोर्ट तैयार करने जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा के प्रयोग ने भारतीय भाषाओं के उपयोग को सरल और व्यापक बनाया है।

हालांकि चुनौतियाँ मौजूद हैं, लेकिन भविष्य की संभावनाएँ उत्साहजनक हैं। जैसे-जैसे कृत्रिम मेधा तकनीक विकसित होती जाएगी, भारतीय भाषाओं में इसके अनुप्रयोग और भी व्यापक और प्रभावी होंगे। यह न केवल भारत के डिजिटल परिदृश्य को बदलेगा, बल्कि देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अंत में, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय भाषाओं में कृत्रिम मेधा का विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह केवल तकनीकी विशेषज्ञों का काम नहीं है, बल्कि इसमें भाषाविदों, सांस्कृतिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों का सहयोग आवश्यक है। केवल एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से ही हम कृत्रिम मेधा की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं ताकि भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित किया जा सके और साथ ही डिजिटल युग में इसकी समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।

स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी का महत्व

- देवाशीष चक्रवर्ती
हिंदी अधिकारी, आकाशवाणी राउरकेला

हिंदी की महत्ता तभी स्थापित हो गई थी जब वह स्वाधीनता संग्राम के समय समूचे देश को जोड़ने वाली सबसे सशक्त संपर्क भाषा बन गई थी। उस दौर के सभी नेताओं का मानना था कि अगर कोई भारतीय भाषा देशवासियों को एकजुट करने मे सहायक बन सकती है तो वह हिंदी ही है। हिंदी के सामर्थ्य को गांधी जी ने भी समझा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी। आचार्य विनोवा भावे ने भूदान और ग्रामदान का संदेश पूरे भारत मे पहुँचाने में हिंदी के योगदान को भी सराहा था। हिंदी ने ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग को प्रशस्त किया है। हिंदी में ही वह शक्ति है कि वह अपने माध्यम से पूरे भारत को जोड़ सके। हिंदी साहित्य स्वाधीन चेतना के निर्माण के माध्यम से स्वतंत्रता की साधना करता है। निराला की कविता "वर दे वीणावादिनी वर दे" इस भाव बोध की अभिव्यक्ति करने वाली प्रमुख कविता है। परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए द्विवेदी युग के कवियों ने अपनी हिंदी रचनाओ के द्वारा लोगों के मस्तिष्क को झकझोर दिया। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन को तेज करने में अद्वितीय भूमिका निभाई। उनकी गौरव गाथा हमें प्रेरणा देती है कि हम स्वतंत्रता के मूल्य को बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित रहें। प्रेमचंद की रंगभूमि, कर्मभूमि (उपन्यास), भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत-दर्शन (नाटक), जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त (नाटक) आज भी उठाकर पढ़िए, देश प्रेम की भावना जगाने के लिए बड़े कारगर सिद्ध होंगे। वीर सावरकर की '1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम' हो या पंडित नेहरू की 'भारत एक खोज' या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 'गीता रहस्य' या शरदबाबू का उपन्यास 'पथकेदावेदार' - जिसने भी इन्हें पढ़ा, उसे घर-परिवार की चिंता छोड़ देश की खातिर अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए स्वतंत्रता के महासमर में कूदते देर नहीं लगी। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत-भारती' में देश प्रेम की भावना को सर्वोपरि मानते हुए आह्वान किया :

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, नर-पशु निरा है और मृतक समान है।।

देश पर मर मिटने वाले वीर शहीदों के कटे सिरों के बीच अपना सिर मिलाने की तीव्र चाहत लिए सोहनलाल द्विवेदी ने कहा :

हो जहां बलि शीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो।

देश प्रेम की भावना जगाने के लिए जयशंकर प्रसाद ने 'अरुणयह मधुमय देश हमारा', सुमित्रानंदन पंत ने 'ज्योति भूमि, जयभारत देश', निराला ने भारती! जय विजय करे। स्वर्गसस्य कमलधरे', कामता प्रसाद गुप्त ने 'प्राण क्या हैं देश के लिए, देश खोकर जो जिए तो क्या जिए', इकबाल ने 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा', तो बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

ने 'विप्लवगान' में कहा
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये।

इन कवियों ने यह वीर रस वाली कविताएं सृजित कर रणबांकुरों में नई चेतना का संचार किया। इसी श्रृंखला में शिवमंगल सिंह 'सुमन', राम नरेश त्रिपाठी, रामधारीसिंह 'दिनकर', राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधाकृष्ण दास, श्रीधर पाठक, माधव प्रसाद शुक्ल, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही (त्रिशूल), माखनलाल चतुर्वेदी, सियारामशरण गुप्त, अज्ञेय जैसे अगणित कवियों के साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी का देश प्रेम से ओत-प्रोत 'वंदेमातरम' गीत आजादी के परवानों को प्रेरित करता है। 'वंदेमातरम' आज हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसकी श्रद्धा, भक्ति व स्वाभिमान की प्रेरणा से लाखों युवक हंसते-हंसते देश की खातिर फांसी के फंदे पर झूल गए। वहीं हमारे राष्ट्रगान 'जनगण मन अधिनायक' के रचयिता रवींद्रनाथ ठाकुर का योगदान अद्वितीय अविस्मरणीय है।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे-

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नारों की विशेष भूमिका है। स्वतंत्रता के लिए बोले गए हर नारे ने भारतीय क्रांतिकारियों में ऐसी जान फूंक दी कि हर नारा अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन में के लिए हिंदी मुख्य भाषा सिद्ध हुई और हिंदी को व्यापक जनाधार मिला। उस समय देश की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी एवं आंदोलनों से जीवन प्रभावित हो रहा था। सन 1857 का आंदोलन दासता के विरुद्ध स्वतंत्रता का पहला आंदोलन था। यह आंदोलन यद्यपि संगठन और एकता के अभाव में असफल रहा था लेकिन इसने देशवासियो के हृदय में स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा उत्पन्न कर दी थी। आगे चलकर जब देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्रता के संगठित प्रयत्न आंरभ हुए तो यह स्पष्ट हो गया कि बिना एक सामान्य भाषा के देश में संगठन होना असंभव हैI राष्ट्रीय भावना को जगाने हेतु हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थानों द्वारा हिंदी प्रयोग हेतु आंदोलन के रूप में कार्य किया गया।

भारत के स्वत्व और पहचान के संदर्भ को चिन्हित कर ही राष्ट्र प्रेम को जन-जन में फैलाने के लिए हिंदी भाषा को माध्यम के रूप में चुना गया तथा भारत की समस्त उन्नति का मूल मंत्र घोषित किया गया।

हिंदी के महत्व को समझकर ही स्वाधीनता सेनानियों ने उसके माध्यम से राष्ट्रीय विचार को लोगों तक पहुँचाने के लिए हिंदी पत्रकारिता को अपनाया। राजभाषा के रूप में हिंदी को जो मान्यता दी गयी उसमें स्वतंत्रता-संग्राम के हमारे राजनेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हिंदी के विकास के लिए उन चिंतकों, मनीषियों और नेताओं ने अभूतपूर्व कार्य किया है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में ही उदित हुआ और प्रारंभ से अंत तक इसे वहां के मूर्धन्य नेताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। पूरे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा

हिंदी की कल्पना करने वालों में सबसे अग्रणी हैं बंगाल के श्री केशव चंद्र सेन, जिन्होंने 1873 में अपने पत्र 'सुलभ समाचार' (बंगला) में लिखा "यदि भाषा एक न होने पर भारतवर्ष में एकता न हो तो उसका उपाय क्या है? समस्त भारतवर्ष में एक भाषा का प्रयोग करना इसका उपाय है। इस समय भारत में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, उनमें हिंदी भाषा प्राय: सर्वत्र प्रचलित है। इस हिंदी भाषा को यदि भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो अनायास ही (यह एकता) शीघ्र ही सम्पन्न हो सकती है। इनके अलावा अन्य अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर मुक्तकंठ से हिंदी का समर्थन किया, जिनकी हिंदी सेवा अविस्मरणीय रहेगी।

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा" का नारा देने वाले नेता बाल गंगाधर तिलक का स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। भाषा के बारे में तिलक का विचार था कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी का समर्थन करते हुए, नागरी प्रचारिणी पत्रिका' में उन्होंने लिखा था यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, यह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूंगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारत वर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है, अतएव अदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो सबके लिए समान भाषा के बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है।

तिलक जहां हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे वहां देवनागरी को हिंदी की लिपि मानते थे। तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को प्रबल करने के लिए सन् 1903 में 'हिंदी केसरी' नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया और इस बात का परिचय दिया कि जनसाधारण तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए केवल हिंदी ही एक सरल और सशक्त माध्यम है। साथ ही तिलक ने अंग्रेजी की बजाय हिंदी में भाषण देने की परंपरा आरंभ कर अन्य नेताओं के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया।

महात्मा गांधी भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रश्नों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने प्रारंभ से हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। उनका अनुभव था कि "पराधीनता चाहे राजनीतिक क्षेत्र की हो अथवा भाषाई क्षेत्र की, दोनों ही एक दूसरे की पूरक और पीढ़ी-दर-पीढ़ी सदा परमुखापेक्षी बनाये रखने वाली है। सन् 1917 में उन्होंने एक परिपत्र निकालकर हिंदी सीखने के कार्य का सूत्रपात किया. गांधी जी की प्रेरणा से 1925 में काँग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि कांग्रेस का, काँग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिन्दुस्तानी में चलाया जायेगा। इसी का परिणाम था कि सन् 1925 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन भरतपुर में हुआ जिसकी अध्यक्षता गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने की और उन्होंने हिंदी में बोल कर हिंदी का प्रबल समर्थन किया।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विभिन्न राज्यों में हिंदी का प्रचार करने के लिए नेताओं को जहाँ प्रेरित किया वहीं लोगों के अलग-अलग जत्थो को राज्यों में भेजा। उन्होंने खुद अपने बेटे श्री देवदास गांधी को हिंदी-प्रचार के लिए भारत के दक्षिण में भेजा था। आज़ादी की इस मुहिम में इसे पुनीत कर्तव्य मानकर विभिन्न राज्यों में विभिन्न हिंदी-

प्रचारक गए और वहाँ उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में शिरकत करते हुए राष्ट्रीय चेतना से युक्त हमारे ये हिंदी-प्रचारक आज़ादी में और आज़ादी के बाद भी लोगों को जागृत करते हुए उनके बीच हिंदी का प्रचार-प्रसार करते रहे।

गांधी जी के प्रयत्नों से तमिलनाडु में हिंदी के प्रति ऐसा उत्साह प्रवाहित हुआ कि प्रांत के सभी प्रभावशाली नेता हिंदी का समर्थन करने लगे। यह वह समय था जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे नेता हिंदी के प्रचार को अपना भरपूर सहयोग दे रहे थे।

हिंदी पत्रकारिता का भारतेन्दु युग (1867 से 1900 तक)

यह युग भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों के कृतित्व से जाना जाता है। इसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साथ-साथ बालकृष्ण भट्ट, पं. प्रतापनारायण मिश्र, प्रेम धन , अंबिकादत्त व्यास आदि सम्मिलित थे। इनमें से प्रायः सभी पत्रकार भी थे। यह युग ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, रामकृष्ण मिषन तथा थियोसिफिकल सोसायटी की स्थापना के कारण जनजागृति तथा पुनर्जागरण का युग रहा। इसी समय स्वामी विवेकानंद ने अपने ओजस्वी भाषणों के द्वारा देश में राष्ट्रीय चेतना का सर्वाधिक प्रचार-प्रसार किया। भारतेंदु युग में ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना के साथ राजनीतिक-सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं विसंगतियों पर भी कड़े व्यंग्य होते थे। भारत की तत्कालीन स्थिति पर दुःख प्रकट करते हुए भारतेंदु ने कहा -

इस युग में प्रकाशित 'आनंद कादम्बिनी' एक साहित्यिक पत्र था। इसमें सर्वप्रथम पुस्तक समीक्षा नामक स्तंभ प्रारंभ किया गया था। विशुद्ध राष्ट्रीय पत्रों में स्वधर्म, स्वराज्य, स्वभाषा और देश हितैषी नामक पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रसंग में 'भारत जीवन' नामक पत्र का उल्लेख भी आवश्यक है। यह एक ऐसा पत्र था जो सबसे अधिक स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार-प्रसार को महत्व देता था। समग्रतः भारतेन्दु युग हर दृष्टि से नव चेतना और पुनर्जागरण का युग था और इस युग के प्रायः सभी समाचार पत्रों ने भारत की दुर्दशा, अंग्रेजों द्वारा शोषण और उनकी दमन नीतियों का खुलकर विरोध किया। हिंदी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से भारतेंदु का व्यक्तित्व पूर्णतः क्रांतिकारी था।

उन्होंने तथा उनकी मित्र मंडली ने अपने युग के जन मानस को अच्छी तरह उद्वेलित किया और वे सदा स्वदेशी के पक्षधर रहे। रामविलास शर्मा ने लिखा है "भारतेंदु हास्य विनोद से लेकर विज्ञान और पुरातत्व तक सभी सामग्री अपनी पत्रिका में देना चाहते थे। उस समय के अनेक पत्रों की यह विशेषता थी कि वे अपने पाठकों को सभी विषयों से थोड़ा बहुत परिचित कराना चाहते थे।"

हिंदी पत्रकारिता का द्विवेदी युग (1900 से 1920 तक)

1900 ई. में हिंदी भाषा को कचहरियों में उर्दू के साथ-साथ स्थान मिल गया था, इसके लिए भी हिंदी पत्रकारों को कठिन संघर्ष करना पड़ा था। हिंदी को प्रतिष्ठा मिलने से अब उसमें लिखने के लिए प्रोत्साहन भी दिए जाने लगे। अभी तक हिंदी का व्याकरण की दृष्टि से मानक रूप निर्मित नहीं हो सका था। यह कार्य 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपन्न किया। इतना ही नहीं उन्होंने भारतीय स्तर पर हिंदी साहित्य की संरचना का नेतृत्व भी किया। इस पत्रिका में जिस लेखक की एक भी रचना प्रकाशित हो जाती थी वह साहित्यकार की श्रेणी मे गिना जाता था।

समग्रतः पत्रकारिता की दृष्टि से यह युग राष्ट्रीयता के चरम विकास से संबंधित रहा है और प्रायः सभी समाचार पत्र अंग्रेजों द्वारा शोषण, उत्पीड़न, प्रवंचना आदि की घटनाओं से भी भरे रहे हैं इस युग में समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध भी रहे जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में विद्रोह की ज्वाला को और बल मिलता रहा है।

हिंदी पत्रकारिता का गांधी युग या क्रांतिकाल (1920 से 1947)

गांधी जी स्वयं प्रतिभाशाली पत्रकार थे और पत्रकारिता को वे वैचारिक क्रांति का साधन मानते थे। गांधी जी के 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' ऐसे दो पत्र थे जो देश के नर- नारियों को प्रेरित करने की शक्ति रखते थे। यंग इंडिया में प्रकाशित लेखों हेतु गांधी जी को छः वर्ष कारावास का दंड भी मिला। गांधी युग की विशेषता यह थी कि साहित्यिक पत्रकारिता, राजनैतिक पत्रकारिता से भिन्न बन गई थी और हिंदी पत्रकारिता को साम्यवादी एवं समाजवादी प्रवृत्तियाँ प्रभावित कर रही थीं।

मार्च 1930 मे मुंशी प्रेमचंद ने 'हंस' मासिक पत्र का संपादन प्रारंभ किया। सितम्बर 1936 तक इसके 36 अंक निकले। इसमें प्रेमचंद ने राष्ट्र की समस्याओं को प्रमुखता से स्थान दिया, साथ ही हिंदी साहित्य के संवर्द्धन में भी विषेष कार्य किया। इस पत्र पर कई बार अर्थ दंड भी लगाया गया। इस युग के अन्य साहित्यिक पत्रों मे सारथी जागरण, इंदू, नवयुग आदि का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है।

समग्रतः इस युग के सारे समाचार पत्र देष की स्वतंत्रता, क्रांति और बलिदान की प्रेरणा देने में तत्पर रहे हैं उनमें अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध और भारत की दुर्दशा का भी विवरण विस्तार से मिलता है। महात्मा गांधी के प्रभुत्व के कारण कुछ विद्वान इस युग को क्रांति युग की तो कुछ इसे गांधी युग की ही संज्ञा देते हैं। पत्रकारिता की दृष्टि से यह हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण युग रहा है। इस समय तक पत्रकारिता में व्यावसायिक प्रवृत्ति का प्रवेश नहीं हुआ था। सभी संपादक देश की स्वतंत्रता एवं हिंदी तथा हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए समर्पित रहे थे। उन पर प्रेस के मालिकों का अंकुश नहीं था और न वे किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप ही करते थे।

'पंजाब केसरी' के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय एक महान देशभक्त शिक्षा शास्त्री ही नहीं, एक प्रभावशाली पत्रकार भी थे। पंजाब में हिंदी के प्रचार का पूरा श्रेय लालाजी को जाता है। जब उर्दू - हिंदी का विवाद जोरों से चल रहा था, तब लालाजी ने हिंदी का बड़ा समर्थन किया और उन्हीं के प्रयत्नों से पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में हिंदी को स्थान मिला। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जिनमें हिंदी का अध्ययन अनिवार्य बनाया गया। लालाजी की प्रेरणा से ही पंजाब विश्वविद्यालय के पाठयक्रम में हिंदी को स्थान मिला।

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पुरूष के रूप में विख्यात पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम हिंदी प्रचारकों में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक महान हिंदीव्रती थे बल्कि हिंदी आंदोलन के अग्रणी नेता भी थे। हिंदी के प्रचार एवं प्रसार और हिंदी के स्वरूप निर्धारण दोनों ही दृष्टियों से उन्होंने हिंदी की अभूतपूर्व सेवा की। यह उन्हीं का प्रोत्साहन, समर्थन और प्रेरणा थी जिसकी बदौलत हिंदी प्रशासन एवं राजकाज की भाषा बनी `हिंदी, हिन्दू और हिन्दुस्तान' की सेवा उनका संकल्प था। उनके सार्वजनिक जीवन की सक्रियता, उनके आदर्श और उनकी योजनाएँ इसी संकल्प से प्रेरित थी। मालवीय जी जीवन-पर्यन्त भारतीय स्वराज्य के लिए कठोर तप करते रहे।

साहित्य और राजनीति उस दौर में एक मिशन था व्यवसाय नही। इसलिए साहित्य भी राजनीति के आगे-आगे चलने वाली रोशनी थी जो आज़ादी का रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रही थी, और ये सफर तब तक चलता रहा जब तक भारत को 1947 में आज़ादी नही मिल गई।

अमृतकाल में हिंदी और पूर्वोत्तर की भाषाएँ

- डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
त्रिपुरा विश्वविद्यालय

भारत एक ऐसा देश है जहाँ सांस्कृतिक और भाषाई वैविध्य मौजूद है। यह विविधता भारत की प्राचीनता और उसकी सामर्थ्य शक्ति को व्याख्यायित करती है। संपूर्ण भारत में मौजूद इस विविधता को वर्णित करने के संबंध में एक उक्ति प्रचलित है – *कोस-कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी*। इसका आशय यह है कि एक कोस यानी लगभग तीन किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और लगभग बारह किलोमीटर पर भाषा में कुछ-कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। यही कारण है कि एक ही भाषा अथवा बोली के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन इन सभी वैविध्यों के बावजूद भारत की एकता एवं अखंडता पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

यह सर्वविदित है कि भारत का विस्तार उत्तर में हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल के लोहित जिले से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक है। आज के भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसका वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलता है। विष्णु पुराण में इस भू-भाग की भौगोलिक स्थिति के विषय में यह उल्लेख मिलता है - उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ तात्पर्य यह है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों (नागरिकों) को भारती कहते हैं। इस सम्पूर्ण भूभाग में निवास करने वाले भारतीयों की भाषा एक नहीं है लेकिन अपने देश के प्रति समर्पण, त्याग और आत्मीयता का भाव एक ही है। ऐसे अनेक अवसर उपस्थित हुए हैं जब देश की सम्पूर्ण जनता ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी एकता का और अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का परिचय दिया है। यह अलग बात है कि प्रत्येक क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति की अपनी एक अलग अस्मिता भी है। इसके बावजूद वे अपने बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर निजी स्वार्थ को भुला देते हैं। यही स्थिति भारत की भाषाओं की भी है। यहाँ की छोटी-छोटी बोलियों ने ही मिलकर किसी भी भाषा का साहित्य निर्मित किया है। उन बोलियों के बिना भाषा का साहित्य-संसार सूना है। यह तथ्य भारत के अन्य क्षेत्र की भाषाओं के साथ-साथ पूर्वोत्तर की भाषाओं में ज्यादा दिखाई पड़ता है। चूँकि हमारा मन्तव्य पूर्वोत्तर की भाषाओं से है इसलिए यहाँ पूर्वोत्तर के राज्यों और वहाँ की भाषाओं का ही विवेचन-विश्लेषण किया जाएगा।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अनेक तरह की विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय विविधता के साथ-साथ धर्मगत और वैचारिक विविधता का स्पष्ट दर्शन होता है। यहाँ के निवासियों में मौजूद वैविध्य

उनकी जीवनचर्या और वैचारिक सरोकार को समझने में सहूलियत प्रदान करती है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों कई समूहों के हैं। अलग-अलग समूहों की भाषाओं में एक दूरी दिखाई पड़ता है। कहीं-कहीं इस तरह की दूरी को पाटने और सामंजस्य बैठाने के लिए यहाँ के निवासियों ने दो या दो से अधिक भाषाओं के योग से 'क्रियोल' अथवा 'पिजन' भाषा का निर्माण किया है। कहना न होगा कि इस तरह के प्रयास उन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक दृश्यमान हैं जिन क्षेत्रों में भाषाई वैविध्य अत्यधिक मौजूद है।

उल्लेखनीय है कि आज़ादी के समय सम्पूर्ण पूर्वोत्तर को असम प्रांत के रूप में स्वीकृत किया गया था। भारत के अन्य राज्यों की तरह ही इस क्षेत्र की जनता ने अपने भाषाई और जातीय वैविध्य को संरक्षित एवं सुरक्षित करने की दृष्टि से अलग-अलग राज्य की मांग की। बाद में केंद्र सरकार की अनुमति के परिणामस्वरूप इसे अलग-अलग राज्यों में विभक्त किया गया। आज इन सभी राज्यों की संख्या आठ हो गई है। सिक्किम के अलावा एक साथ जुड़े इन सातों राज्यों को समेकित रूप में एक और नाम से भी जाना जाता रहा है – सात बहनों का प्रदेश/सप्तभगिनी प्रदेश (State of seven sister's)। यह नाम सर्वप्रथम त्रिपुरा के पत्रकार एवं भूतपूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी ज्योति प्रसाद साइकिया ने अपने एक रेडियो वार्ता में दिया था। साइकिया जी ने आगे चलकर इसी नाम से (द लैंड ऑफ सेवेन सिस्टर्स) अपनी पुस्तक प्रकाशित की। इन आठों राज्यों की सीमाएं नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार (बर्मा) और बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि साइकिया जी द्वारा प्रदत्त नाम अत्यंत प्रचलित हुआ। इन आठों राज्यों के विषय में एक बात निश्चित है कि किसी भी राज्य की मातृभाषा हिंदी नहीं है। इस कारण इन्हें हिंदीतर भाषी प्रदेश के नाम से जाना जाता है।

पूर्वोत्तर के आठों राज्यों में विभिन्न भाषा-भाषी परिवार के साथ ही भाषाओं का वैविध्य विद्यमान है। इस क्षेत्र में कुल चार भाषा-परिवारों (भारोपीय, चीनी-तिब्बती, आस्ट्रो-एशियाटिक तथा ताई-कदाई) की लगभग 220 भाषाएँ व्यवहृत होती हैं। इन आठों राज्यों की भाषाई स्थिति अलग-अलग है। भाषाई वैविध्य की दृष्टि से अरुणाचल पहले स्थान पर स्थित है। इन सभी राज्यों की भाषिक स्थिति का विवरण यहाँ उपस्थित करना अत्यधिक समीचीन होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य असम है। इस प्रदेश की कार्यालयी भाषा मुख्य रूप से असमिया और बोडो है। बराक घाटी के तीन जिलों में बांग्ला को भी कार्यालयी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सादरी, मिशिंग, नेपाली और कार्बी प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाएँ भी हैं जो यहाँ के जनजातियों के द्वारा व्यवहृत की जाती हैं। यहाँ की सर्वाधिक जनता असमिया भाषा का प्रयोग करती है। असमिया और बांग्ला की अपनी लिपि है जबकि बोडो और सादरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। असम की कुल जनसंख्या की लगभग 5.88 प्रतिशत आबादी या तो हिंदी भाषी है अथवा हिंदी में दक्ष है। इसके अलावा असम के प्रमुख शहरों गुवाहाटी, सिलचर, तेज़पुर, जोरहाट, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में औद्योगीकरण, मशीनीकरण और भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों के शाखाओं की स्थापना के कारण असम प्रदेश के साथ – साथ भारत के अन्य हिस्सों के निवासी भी रहने लगे हैं। भारत के अन्य हिस्सों से आने वाले लोग इस क्षेत्र में प्रायः हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इससे धीरे-धीरे हिंदी का दायरा विस्तृत होता जा रहा है। समय-समय पर सरकार द्वारा जारी की जाने वाली नीतियों के सकारात्मक प्रभाव से इस दिशा में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इस संदर्भ में 17 अप्रैल, 2022 को बीबीसी इंडिया ने एक

रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें एक स्थानीय नेता ने हिंदी भाषा के विस्तार के विषय में अपना विचार व्यक्त किया था। उनका मत था कि, "आज के वातावरण में हम सब अपनी आवश्यकता के लिए हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी राजभाषा भी है। सोशल मीडिया से लेकर दूसरे प्लेटफार्म पर आज के समय में लोग हिंदी अधिक बोल रहे हैं। इसमें किसी भी तरह राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका जो मन करे, वो उसी भाषा में पढ़ाई करे। किसी पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी।" स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर अथवा किसी अन्य क्षेत्र में भी हिंदी का विकास ज़ोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। यह बाजार की स्वीकार्यता और स्थानीय भाषा के सहयोग से ही विकसित हो रही है। यहाँ के शिक्षण संस्थानों में हिंदी विषय पढ़ने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है।

मेघालय पूर्वोत्तर का एक महत्वपूर्ण राज्य है। 2 अप्रैल, 1970 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह प्रदेश प्रकृतिक सौन्दर्य से भरपूर आच्छादित है। इसके नाम से ही विदित है कि यह मेघों अर्थात बादलों का घर (मेघ+आलय) है। यहाँ की कार्यालयी भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की जनता खासी, गारो, पनार अथवा जयंतिया, बांग्ला, नेपाली, वर, हाजोंग और असमिया भाषा का व्यवहार करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय की कुल जनसंख्या की लगभग 34 प्रतिशत आबादी खासी भाषा बोलती है जबकि लगभग 32 प्रतिशत गारो। स्पष्ट है कि वहाँ के मूल निवासियों ने इन्हीं दोनों भाषाओं को आत्मसात किया है। उल्लेखनीय है कि खासी और गारो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है, इस कारण दोनों भाषाएँ रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। यह रोचक तथ्य है कि खासी भाषा ने असमिया, बांग्ला और नेपाली के बहुत सारे शब्द आत्मसात किए हैं। व्यवहार की दृष्टि से गारो भाषा बोडो भाषा के बहुत नजदीक है। गारो भाषा कई छोटी-छोटी बोलियों का समूह है जिसमें मुख्य रूप से अबेंग, अटोंग, अकावे या अवे, मात्ची दुआल, चेबोक, मेगस, रुगा और माटाबेंग शामिल है। यहाँ की कुल जनसंख्या की 1.62 प्रतिशत आबादी हिंदी भाषा का व्यवहार करती है। पर्यटन की दृष्टि से मेघालय की राजधानी शिलांग अत्यंत प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में इसे सामान्यतः झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिंदी का प्रसार और प्रचार पहले की अपेक्षा कुछ अधिक दिखाई पड़ता है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं – 1. राजनीतिक प्रभाव (केंद्र के साथ संवाद की अनिवार्यता) 2. पर्यटन। यहाँ आने वाले सैलानियों के साथ संवाद हेतु यहाँ के स्थानीय लोगों ने हिंदी सीख ली है। राष्ट्रीय स्तर के अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के कारण यहाँ बाहर से आने वालों की संख्या बढ़ गई है, लिहाजा टैक्सी चालक से लेकर कर्मचारियों तक में हिंदी भाषा को लेकर ख़ासी रुचि पैदा हुई है।

भाषाई दृष्टि से पूर्वोत्तर के अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक वैविध्यपूर्ण राज्य है – अरुणाचल प्रदेश। यह अकारण नहीं है कि टी टी हाओकीप ने इस प्रदेश को 'भाषाविदों का स्वर्ग' कहा है। उनका मन्तव्य है कि, "अनेक तरह की विविधताओं से भरा हुआ यह राज्य भाषा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ग के समान है।" यहाँ की कार्यालयी भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की जनता न्यीशी, आदी, गल्लोंग, नेपाली, तागिन, भोटिया, वांचो, असमिया, बांग्ला, चाकमा, अपातानी, मिशमी, तंगसा, नोक्टे और सादरी का व्यवहार करती है। इन भाषाओं के अलावा वहाँ छोटे-छोटे समूहों द्वारा कुछ अन्य भाषाओं का भी व्यवहार किया जाता है यथा – बोकर, बोरी, बुगुन, चुग, देवरी, दिगारो, पूर्वी बोडिश, इदू मिशमी, खो-बवा, कोरो, लिश, मीजू, मिशिंग, पुरोइक, सरतांग, शेरदुकपन, तंगम, तानी, त्शंगला आदि। 2011 की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश की लगभग 21 प्रतिशत आबादी न्यीशी भाषा का व्यवहार करती है। आदी और

गल्लोंग भाषा यहाँ की 17 प्रतिशत आबादी के द्वारा बोली जाती है। स्पष्ट है कि यहाँ की जनता इन्हीं दोनों भाषाओं का व्यवहार प्रमुखता से करती है। ध्यातव्य है कि इन दोनों भाषाओं (न्यीशी और आदी) की अपनी कोई लिपि नहीं है, इस वजह से यह भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा जिन छोटी-छोटी बोलियों का उल्लेख किया गया हैं उनकी भी स्थिति वही है जो न्यीशी और आदी की है। तात्पर्य यह है कि इन सभी बोलियों की भी अपनी कोई लिपि नहीं है, अतः ये सभी बोलियाँ भी रोमन लिपि में ही लिखी जाती हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या की लगभग 7.5 प्रतिशत आबादी हिंदी भाषा का व्यवहार करती है।

पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में एक राज्य मिजोरम भी है। सन् 1972 में यह राज्य असम से अलग हो गया था लेकिन उस समय इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का एक जिला था। 53वें संविधान संशोधन, 1986 के तहत इसे भारत के 23वें राज्य के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। मिज़ो और अंग्रेजी के साथ ही हिंदी भी यहाँ की कार्यालयी भाषा है। इसके अलावा चाकमा, लाखर, मारा, पावी, पाइते, हमार, रियांग, कॉकबरक, बांग्ला, नेपाली, असमिया, कछारी, बोडो आदि भाषाएँ इस प्रदेश की जनता द्वारा बोली जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश की 71 प्रतिशत आबादी मिज़ो भाषा का व्यवहार करती है। मिज़ो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है इस कारण यह भाषा रोमन लिपि अथवा हंटेरियन लिपि में लिखी जाती है। इस प्रदेश में बोली जाने वाली जिन बोलियों की अपनी कोई लिपि नहीं है वह रोमन में ही लिखी जाती है। यहाँ हिंदी बोलने वालों की संख्या राज्य की संपूर्ण आबादी का लगभग 1.5 प्रतिशत है।

मणिपुर राज्य भाषाई दृष्टि से विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ की कार्यालयी भाषा मैतेई अथवा मणिपुरी है। मणिपुरी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल बाईस भाषाओं में से एक है। इस भाषा की अपनी लिपि है। चूंकि 20 अगस्त, 1992 को इसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया इसलिए 20 अगस्त को मणिपुरी अथवा मैतेई भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुरी भाषा के अलावा यहाँ के छोटे-छोटे समूहों के द्वारा अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इनमें प्रमुख हैं – थाडो, तांगखुल, पाओला, माओ, नेपाली, रोगमेई, पाइते, काबुई, हमार, लियांगमेई, वाइफेई, कुकी, मराम, बांग्ला, अनाल, जोउ, मारिंग, जेमी, गांग्ते आदि। यहाँ की कुल आबादी में से लगभग 1.5 प्रतिशत आबादी हिंदी भाषा का व्यवहार करती है।

प्रकृति, संस्कृति और पर्यावरण के वैविध्य से परिपूर्ण राज्य है – नागालैंड। इस राज्य की स्थापना 1 दिसम्बर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप मे हुई थी। राज्य का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है जबकि असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्र समतल भी है। इस प्रदेश की कार्यालयी भाषा अंग्रेजी है। शिक्षा का माध्यम यहाँ अंग्रेजी ही है। नागामीज भाषा यहाँ सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा यहाँ की जनता कोन्यक, लोथा, ओ, चोकरी, संगताम, बांग्ला, चुंगली, चाँग, खियेमनुंगन, रेंगमा, जेलियांग, यिंमचुंगरे, फोम, मोंगसेन, नेपाली, अंगामी, खेजा, पोचुरी, कुकी, चाखेसंग आदि भाषाएँ बोलती हैं। यह रोचक तथ्य है कि यहाँ की कुल जनसंख्या की लगभग 3 प्रतिशत आबादी हिंदी भाषा का प्रयोग करती है।

सिक्किम बहुजातीय और बहुभाषाई राज्य है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य में 16 मई 1975 को शामिल हुआ। भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य पूर्वोत्तर के अन्य सातों राज्यों से अलग अवस्थित है। इसके पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन, पूर्व में तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व में भूटान की सीमा जुड़ी हुई है। यहाँ की कार्यालयी भाषा नेपाली, सिक्किमी अथवा भूटिया, लेप्चा हिंदी और अंग्रेजी है। इनके अलावा यहाँ लिंबू, शेरपा, तामांग, राय, तिब्बतन, गुरुंग, मगर, मुखिया, नेवारी आदि भाषा को भी राजकीय मान्यता प्राप्त है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की लगभग 63 प्रतिशत आबादी नेपाली भाषा बोलती है। नेपाली यहाँ संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। यहाँ की कुल जनसंख्या की लगभग 7 प्रतिशत आबादी हिंदी भाषा का व्यवहार करती है।

त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। यह पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में से एक है। इस राज्य के तीन दिशाओं की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। यहाँ कुल मिलाकर 19 जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ बांग्ला भाषी जनता बहुसंख्यक रूप में मौजूद है। बांग्ला, अंग्रेजी और कॉकबरक को यहाँ की कार्यालयी भाषा होने का गौरव प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि कॉकबरक भाषा त्रिपुरी भाषा समूह की एक भाषा है। बांग्ला के बाद सर्वाधिक मात्रा में व्यवहृत होने वाली भाषा त्रिपुरी ही है। त्रिपुरी भाषा समूह में मुख्य रूप से तीन भाषाएँ शामिल हैं – कॉकबरक, रियांग और त्रिपुरी। ध्यातव्य है कि त्रिपुरी भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है, यह रोमन लिपि में लिखी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा राज्य की कुल जनसंख्या की 63 प्रतिशत आबादी बांग्ला भाषा बोलती है और 26 प्रतिशत आबादी त्रिपुरी। इसके अलावा यहाँ की जनता चाकमा, मोघ, हलाम आदि भाषा बोलती है। यहाँ की कुल जनसंख्या की लगभग 2 प्रतिशत आबादी हिंदी भाषा का व्यवहार करती है। लेकिन आज हिंदी की स्थिति पहले की अपेक्षा और सुधरी है। यहाँ के युवाओं में हिंदी के प्रति आकर्षण पैदा हुआ है। त्रिपुरा सरकार भी बंगला और कॉकबरक के साथ-साथ हिंदी को बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रही है। सरकार का यह प्रयास है कि यहाँ के दर्शनीय स्थलों के विषय में प्रदान की जाने वाली जानकारी बंगला के साथ-साथ हिंदी में भी हो। यहाँ के महाविद्यालयों में हिंदी विषय में विद्यार्थियों की संख्या देखकर सुखद आश्चर्य होता है।

उपर्युक्त तथ्य इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि पूर्वोत्तर के आठों राज्यों में भाषाई वैविध्य पूर्ण रूप में मौजूद है। यहाँ के किसी भी राज्य में एक भाषा का व्यवहार संभव नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ की सभी जनजातियों के पास अपनी एक निजी भाषा है। सन् 2009 में यूनेस्को द्वारा जारी संकटग्रस्त भाषाओं की सूची में भारत की 196 भाषाओं को शामिल किया गया जिसमें से 80 भाषाएँ केवल पूर्वोत्तर से हैं। लेकिन इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार को देखने पर यह ज्ञात होता है कि तकनीकी की बहुलता और व्यापकता ने तथा विस्थापन ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इधर हाल के दिनों में संचार क्रांति ने यहाँ के निवासियों के जीवन में गुणीभूत परिवर्तन किया है। यहाँ की युवा पीढ़ी इन्टरनेट के माध्यम से जुड़कर दुनिया को देखना चाहती है और स्वयं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहती है। इन दोनों प्रक्रियाओं में माध्यम भाषा के रूप में हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। यहाँ के युवा अपनी मातृभाषा के साथ हिंदी का प्रयोग बहुलता से कर रहे हैं।

यह सर्वविदित है कि हमने अमृतकाल में देश को अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने का निश्चय किया है। इस स्थिति में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज़ादी के पहले हिंदी सेवियों ने हिंदी के विस्तार का जो सपना देखा था वह आज भी पूरा हो पाया है अथवा नहीं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'मातृभाषा की महत्ता' विषयक व्याख्यान में मातृभाषा के बिना स्वराज्य की कल्पना को स्वप्न करार दिया था। उनका विचार था कि, "स्वराज्य की प्राप्ति की चेष्टा के साथ-ही-साथ हमें मातृभाषा के स्वराज्य की प्राप्ति के लिए भी सचेत होना चाहिए। स्वराज्य पाने के लिए हमें किसी हद तक परमुखापेक्षण और परावलंबन की आवश्यकता है, पर भाषा के स्वराज्य के लिए नहीं। ... जातीय जीवन को एक सूत्र में बांधने के लिए भी सबसे श्रेष्ठ उपाय मातृभाषा का स्वराज्य ही है। उससे स्वधर्म की भी रक्षा हो सकती है, ऐक्य की भी वृद्धि हो सकती है और परंपरागत ज्ञान की उपलब्धि भी, थोड़े ही श्रम से हो सकती है।" कहना न होगा कि आचार्य द्विवेदी के लिए भाषा का सवाल सर्वोपरि था। लेकिन तब से लेकर आज हिंदी के प्रचार-प्रसार की स्थिति को देखने पर यह ज्ञात होता है कि हिंदी के विकास की गति अत्यंत धीमी है। आज पूर्वोत्तर की स्थिति देखकर कुछ संतोष होता है लेकिन प्रदत्त तथ्यों के आलोक में देखने पर यह ज्ञात होता है कि जहां से हमने यात्रा शुरू की थी उससे बहुत आगे नहीं आ पाए हैं। आज भी हमारे समाज के अनेक पढ़े लिखे लोगों के ऊपर उपनिवेशवाद का बुखार चढ़ा हुआ है। आज भी हमारा समाज अंग्रेजी की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाया है जिसे महात्मा गांधी ने सन् 1916 में ही पहचान लिया था। 'बनारस हिंदू विश्वविद्यालय' की स्थापना के अवसर पर होने वाले व्याख्यान में उन्होंने इस बात का संकेत किया था, "मैं यह कहाँ चाहता हूँ कि मुझे आज इस पवित्र नगर में, इस महान विद्यापीठ के प्रांगण में अपने ही देशवासियों से एक विदेशी भाषा में बोलना पड़ रहा है। यह बड़ी अप्रतिष्ठा और शर्म की बात है। ... क्या कोई व्यक्ति स्वप्न में भी यह सोच सकता है कि अंग्रेजी भविष्य में किसी भी दिन भारत की राष्ट्र भाषा हो सकती है? (नहीं नहीं की आवाजें) फिर राष्ट्र के पाँवों में यह बेड़ी किसलिए?" ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी आज से सौ साल पहले अंग्रेजी को बेड़ी मान चुके थे लेकिन वह आज तक हमारे समाज के पढ़े-लिखे, तथाकथित शिक्षित जनता के लिए अभिमान का विषय बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो प्राप्त हुआ लेकिन दुर्भाग्य से वह तत्कालीन भारतीय शासक समुदाय की पसंदीदा भाषा नहीं बन पाई। हिंदी का दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारतीय शासक समुदाय की नापसंदगी के बावजूद दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के अनेक राज्य उसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि मानते हैं। यही कारण है कि कई बार हिंदी भाषा का विरोध केवल भाषा का विरोध न होकर उसे बोलने वालों का भी विरोध होता है।

सम्पूर्ण विश्व की तरह भारत भी अनेक तरह के परिवर्तनों से गुजर रहा है। हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्रों में जनसंख्या की बढ़ोत्तरी के कारण और साथ ही सामाजिक-आर्थिक कारकों के चलते इन प्रदेशों के लोग संपूर्ण भारत में और पूर्वोत्तर में भी फैल गए हैं। वहाँ से आए ये सभी लोग स्थानीय जनता की प्रतिदिन की जिंदगी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही हिंदी का मास मीडिया (आडियो, वीडियो, टी.वी., फ़िल्म आदि) का भी असर पड़ा है। सन् 2014 के बाद होने वाले राजनीति परिवर्तन ने संपूर्ण पूर्वोत्तर में हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ा दिया है। अब पूर्वोत्तर भारत में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं रह गया है जहाँ के लोग हिंदी का व्यवहार न करते हों। भारत की बदली हुई राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के आलोक में हिंदी की स्थिति को देखने पर यह विश्वास होता है कि आने वाला समय हिंदी के लिए अत्यंत सुखद होने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में यहाँ की स्थानीय भाषाओं के साथ जुड़कर हिंदी का विकास हो रहा है। दूसरा तथ्य यह है कि पूर्वोत्तर में जिन भाषाओं के पास अपनी कोई लिपि नहीं है उन्हें देवनागरी लिपि में

लिखने का प्रयास हो रहा है। इससे न केवल भाषाई संप्रीति बढ़ेगी बल्कि सांस्कृतिक सामंजस्य और धार्मिक सौहार्द भी बढ़ेगा।

संदर्भ:

[1]राधाकृष्णन (2009). *भारतीय संस्कृति : कुछ विचार*. दिल्ली: राजपाल एंड संस. पृ.सं. - 78

[2]Saikia, J.P. (1976). *The Land of Seven Sisters.* Assam: Directorate of Information and Public Relations.

[3] राजभाषा अधिनियम, 1976.

[4] Dikshit, K.R. & Dikshit, Jutta K. (1995). *North-East India: Land, People and Economy*. New York: Springer.

[5] 52nd Report on the Commissioner for Linguistic Minorities in India (July 2014-June2015), Ministry of Minority Affairs, Government Of India.

[6] https://www.bbc.com/hindi/india-61073187

[7]Haokip, T.T. (2009). *Northeast India: Linguistic Diversity and Language Politics*. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses. P. 07

[8] 52nd Report on the Commissioner for Linguistic Minorities in India (July 2014-June2015), Ministry of Minority Affairs, Government Of India.

[9]यायावर, भरत (संपा). (2008). *महावीर प्रसाद द्विवेदी : रचना संचयन*. नई दिल्ली: साहित्य अकादेमी. पृ.सं. – 137

[10]*सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय खंड-13*. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार. पृ.सं. - 213

हिंदी के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका

- प्रीति अग्रवाल
अध्यक्ष, आईईटीई, अहमदाबाद केंद्र

प्रस्तावना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) आज के तकनीकी युग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह तकनीक न केवल अंग्रेजी, बल्कि हिंदी जैसी अनेक भाषाओं के विकास में भी अहम योगदान दे रही है। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है, उसके विकास और व्यापक प्रसार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का योगदान अनिवार्य रूप से देखा जा सकता है। इस लेख में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हिंदी भाषा में विकास और उसकी भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर और मशीनें इंसान की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। यह तकनीक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और अन्य कई तकनीकों का उपयोग करके मशीनों को बुद्धिमान बनाने का प्रयास करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके मशीनें उन कार्यों को भी कर सकती हैं, जो पहले केवल मानव बुद्धि से संभव थे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा प्रोसेसिंग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से भाषा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव भाषाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करती है। हिंदी भाषा के संदर्भ में, NLP की तकनीकें विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही हैं।

- **विषयवस्तु का विश्लेषण**: कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से हिंदी में विषयवस्तु का विश्लेषण समझना और इसे आसान हो गया है। यह तकनीक साहित्य, समाचार और सोशल मीडिया सामग्री का विश्लेषण करने में मदद करती है।

- **भावनात्मक विश्लेषण** : हिंदी विषयवस्तु के भावनात्मक स्वरूप को समझने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा सकता है। यह व्यवसाय और मार्केटिंग के क्षेत्र में उपभोक्ता की प्रतिक्रिया को समझने में सहायक होता है।

- **मूलपाठ की उत्पत्ति**: कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूलपाठ की उत्पत्ति (टेक्स्ट जनरेशन) की तकनीकें हिंदी भाषा में नई सामग्री तैयार करने में मदद करती हैं, जैसे कि स्वचालित लेखन, कहानी निर्माण और अनुवाद। अब इसकी मदद से मात्राओं और व्याकरण की गलतियाँ किये बिना लेखन बहुत आसान हो गया है।

हिंदी भाषा का वर्तमान परिदृश्य

हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है और करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी न केवल भारत में बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी बोली जाती है। इसके व्यापक प्रसार और महत्व के कारण, हिंदी भाषा का तकनीकी विकास और उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि, हिंदी भाषा के विकास के कई पहलू हैं, जैसे शब्दावली का विकास, व्याकरण और साहित्यिक अभिव्यक्ति, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से भाषा का विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीकें इस चुनौती को कम करने में सहायक साबित हो रही हैं।

भाषाई संसाधनों का निर्माण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी भाषा में बातचीत और अनुवाद को सक्षम बनाकर भाषा की बाधा को दूर करता है। यह लोगों को उनकी भाषा में संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इससे हिंदी भाषी लोगों को विभिन्न सेवाओं का लाभ उनकी अपनी भाषा में मिलता है। भाषाई संसाधन, जैसे कि शब्दकोश, अनुवाद टूल्स और डेटा कोरपस, भाषा के विकास और उसके प्रभावी उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने हिंदी भाषा के लिए इन संसाधनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1. **कोरपस निर्माण**

कोरपस एक बड़ा और संरचित डेटा सेट होता है जिसमें पाठ्य सामग्री होती है। यह भाषाई अनुसंधान, मशीन लर्निंग और NLP (नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग) मॉडलों के लिए आधारभूत संसाधन प्रदान करता है। AI की मदद से हिंदी कोरपस के निर्माण में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है :

- **डेटा संग्रहण** : AI ने वेब स्क्रैपिंग, सोशल मीडिया एनालिसिस और अन्य डिजिटल स्रोतों से हिंदी भाषा का विशाल मात्रा में डेटा एकत्रित किया है। इस डेटा को कोरपस में बदलने से भाषा के विभिन्न पहलुओं को समझने और विश्लेषण करने में मदद मिलती है।

- **स्वचालित लेबलिंग** : AI तकनीकें स्वचालित रूप से डेटा को लेबल करने की क्षमता प्रदान करती हैं, जैसे कि भावनात्मक स्वरूप, विषयवस्तु और व्याकरणिक वर्गीकरण। इससे कोरपस को अधिक संरचित और उपयोगी बनाया जा सकता है।

- **विविधता और समावेशन**: AI द्वारा विभिन्न बोलियों और शैलियों को शामिल करने के लिए डेटा सेट्स को विविध और समावेशी बनाया जा रहा है, जिससे हिंदी की विविध भाषाई विशेषताओं को समझा जा सके।

2. शब्दकोश और थिसॉरस

शब्दकोश और थिसॉरस भाषा के महत्वपूर्ण संसाधन हैं जो शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची और विलोम शब्दों की जानकारी प्रदान करते हैं। AI ने इन संसाधनों को अधिक सटीक और व्यापक बनाने में मदद की है :

- **ऑटोमैटेड शब्दकोश निर्माण** : AI तकनीकें स्वचालित रूप से शब्दों के अर्थ, उपयोग और पर्यायवाची शब्दों की पहचान कर सकती हैं। इससे हिंदी शब्दकोशों को अद्यतित और विस्तृत बनाया जा सकता है।

- **कंटेक्स्टुअल थिसॉरस**: AI आधारित थिसॉरस शब्दों के संदर्भ और उपयोग के आधार पर पर्यायवाची और विलोम शब्दों की सटीकता को बेहतर बनाते हैं, जिससे लेखक और अनुवादक अधिक प्रभावी सामग्री तैयार कर सकते हैं।

- **डायनैमिक अपडेट्स**: AI की मदद से शब्दकोशों को निरंतर अद्यतित किया जा सकता है, जिससे नए शब्द, शब्दावली और भाषा के बदलावों को त्वरित रूप से शामिल किया जा सके।

3. **वॉयस और स्पीच टेक्नोलॉजी**

AI ने हिंदी भाषा के वॉयस और स्पीच टेक्नोलॉजी में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है:

- **स्पीच रिकग्निशन**: AI आधारित स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स ने हिंदी में वॉयस कमांड्स और ऑडियो डेटा को सटीकता से ट्रांसक्राइब करने में सक्षम बनाया है। यह तकनीकें स्मार्टफोन्स, वॉयस असिस्टेंट्स और अन्य उपकरणों में उपयोगी साबित हो रही हैं।

- **स्पीच सिंथेसिस**: AI आधारित स्पीच सिंथेसिस तकनीकें हिंदी में प्राकृतिक और स्पष्ट वॉयस जेनरेशन करती हैं। इससे उपयोगकर्ता इंटरफेस और वॉयस बोट्स को हिंदी में बेहतर अनुभव मिलता है।

- **वॉयस ट्रांसलेशन**: AI तकनीकें वॉयस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को भी सटीक और प्रभावी बनाती हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपनी वॉयस कमांड्स को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित कर सकते हैं।

4. **भाषाई मॉडल और चैटबॉट्स**

AI ने हिंदी भाषा में भाषाई मॉडल और चैटबॉट्स के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- **भाषाई मॉडल**: AI आधारित भाषाई मॉडल्स, जैसे GPT (Generative Pre-trained Transformer), ने हिंदी भाषा में स्वचालित लेखन, उत्तर देने और संवाद की गुणवत्ता को सुधारने में मदद की है। ये मॉडल्स उपयोगकर्ता की भावनाओं और संदर्भ को समझकर प्राकृतिक और सटीक प्रतिक्रियाएं प्रदान करते हैं।

- **चैटबॉट्स**: AI आधारित चैटबॉट्स ने ग्राहक सेवा, सहायता और संवाद को हिंदी में बेहतर बनाया है। ये चैटबॉट्स स्वचालित रूप से सवालों का उत्तर देते हैं और यूजर्स के साथ संवाद करते हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है।

5. **शैक्षिक संसाधन और भाषा सीखना**

AI ने हिंदी भाषा के शैक्षिक संसाधनों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है:

- **लर्निंग ऐप्स** : AI आधारित लर्निंग ऐप्स हिंदी भाषा सीखने के लिए इंटरएक्टिव और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करते हैं। ये ऐप्स उच्चारण सुधार, शब्दावली विस्तार और व्याकरण की शिक्षा में मदद करते हैं।

- **ऑनलाइन ट्यूटरिंग**: AI आधारित ऑनलाइन ट्यूटरिंग सिस्टम्स ने हिंदी भाषा के शिक्षण को अधिक प्रभावी और पहुंच योग्य बनाया है। ये ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स व्यक्तिगत अध्ययन योजनाओं और सुधारात्मक फीडबैक प्रदान करते हैं।

- **एडुकेशनल गेम्स**: AI का उपयोग शैक्षिक खेलों में भी किया जा रहा है, जो बच्चों को हिंदी भाषा की शिक्षा को मजेदार और इंटरएक्टिव बनाते हैं। ये गेम्स भाषा के विभिन्न पहलुओं को सिखाने में सहायक होते हैं।

हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग

1**. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) :** हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई अनुप्रयोग हैं जो इसके विकास में योगदान दे रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अनुप्रयोग इस प्रकार हैं : NLP कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो मानव भाषा को समझने और प्रोसेस करने का काम करती है। हिंदी भाषा में NLP के अनुप्रयोगों ने एक नई दिशा प्रदान की है। उदाहरण के लिए हिंदी में वॉयस असिस्टेंट, अनुवाद उपकरण और चैटबॉट्स का विकास हो रहा है जो हिंदी भाषा में बातचीत करने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में स्पीच टू (आवाज से लिखित) टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच (लिखित से आवाज) की तकनीक भी विकसित की जा रही हैं।

2. हिंदी भाषा में अनुवाद की प्रगति :

अनुवाद तकनीकें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सबसे प्रभावशाली अनुप्रयोगों में से एक हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से स्वचालित अनुवाद उपकरण हिंदी भाषा को अन्य भाषाओं में और अन्य भाषाओं को हिंदी में अनुवाद करने में सक्षम हैं। हिंदी में अनुवाद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मशीन ट्रांसलेशन (MT) तकनीकें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद को सरल बनाती है।

- **मशीन ट्रांसलेशन (MT)** : AI आधारित मशीन ट्रांसलेशन सिस्टेम्स ने हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच अनुवाद की प्रक्रिया को सरल और सटीक बनाया है। उदाहरण के लिए, गूगल ट्रांसलेट और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर जैसी सेवाएं हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद प्रदान करती हैं।

- **न्यूरेल नेटवर्क्स** : डीप लर्निंग आधारित न्यूरेल नेटवर्क्स ने हिंदी अनुवाद के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। इन नेटवर्क्स का उपयोग करके अनुवाद की सटीकता और प्रवाह को सुधारने में मदद मिली है।

- **स्थानीयकरण और सांस्कृतिक अनुकूलन** : AI तकनीकें अनुवाद के दौरान सांस्कृतिक और स्थानीय संदर्भों को समझने में मदद करती हैं, जिससे अनुवाद अधिक सटीक और प्रासंगिक होता है।

3. शिक्षा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी भाषा में शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षा प्लेटफार्म छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये प्लेटफार्म छात्रों की क्षमताओं और उनके सीखने के तरीकों के आधार पर कस्टमाइज्ड कंटेंट प्रदान करते हैं। यह तकनीक हिंदी भाषी छात्रों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रही है।

4. स्वास्थ्य

हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट्स और स्वास्थ्य सम्बन्धी एप्स मरीजों को हिंदी तथा उनकी भाषा में जानकारी और परामर्श प्रदान कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं।

5. ग्राहक सेवा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट अब हिंदी में ग्राहक सेवा प्रदान कर रहे हैं। यह तकनीक कंपनियों को उनके ग्राहकों के साथ उनकी भाषा में संवाद करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाती है।

हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ

1. समावेशिता बढ़ाना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी भाषा में तकनीकी सेवाओं की पहुंच बढ़ाकर डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अंग्रेजी में निपुण नहीं हैं। इससे वे लोग भी तकनीकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं।

2. आवश्यकतानुसार सेवाएं

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से हिंदी भाषा में आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राहक सेवा में। यह सेवाएं लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफार्म छात्रों के सीखने के तरीकों के आधार पर उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करते हैं।

3. संस्कृति और समाज पर प्रभाव

AI तकनीकों का भाषा पर प्रभाव केवल तकनीकी सुधार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है। हिंदी भाषा के संदर्भ में AI ने समाज और संस्कृति पर भी कई सकारात्मक प्रभाव डाले हैं।

- **सांस्कृतिक संवर्धन** : AI तकनीकें हिंदी सांस्कृतिक विरासत और साहित्य को संरक्षित और संवर्धित करने में सहायक हो रही हैं। AI आधारित डिजिटल लाइब्रेरी और आर्काइव्स ने पुराने साहित्य और ऐतिहासिक दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें आसानी से पढ़ और समझ सकेंगी।

- **भाषाई विविधता की मान्यता** : AI का उपयोग हिंदी की विभिन्न बोलियों और भाषाई विविधताओं को मान्यता देने में किया जा रहा है। भाषाई डाटा और एटलस बनाने के लिए AI तकनीकें उपयोगी साबित हो रही हैं, जो हिंदी की विभिन्न बोलियों के विकास और संरक्षण में मदद करती हैं।

- **संवाद और समावेशन**: AI आधारित संवाद प्लेटफॉर्म्स ने विभिन्न समुदायों और भाषाई समूहों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया है। इससे विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमियों वाले लोग एक दूसरे के विचारों और संवेदनाओं को समझने में सक्षम हो रहे हैं।

हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियाँ

1. डेटा की कमी

हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए पर्याप्त डेटा की कमी एक प्रमुख चुनौती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होती है, जो हिंदी में आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके लिए डेटा संग्रहण और प्रबंधन की प्रणाली को विकसित करना आवश्यक है।

2. भाषाई विविधता

हिंदी भाषा के कई रूप हैं। हर कोस में पानी बदले और हर कोस में बोली वाली कहावत को चरितार्थ करती है। विभिन्न बोलियों और रूपों को समझना और प्रोसेस करना एक बड़ी चुनौती है। हर क्षेत्र में हिंदी की एक अलग बोली और उच्चारण होता है, जिसे समझने और प्रोसेस करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कठिनाई हो सकती है। इसके लिए भाषाई विविधता को समझने और उसे प्रोसेस करने की तकनीक विकसित करना आवश्यक है।

3. तकनीकी अवसंरचना

भारत में तकनीकी अवसंरचना की कमी भी हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बाधित करती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी सेवाओं की सीमित उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए देशव्यापी तकनीकी अवसंरचना का विकास आवश्यक है।

भविष्य की संभावनाएँ

भविष्य में AI और हिंदी भाषा के विकास की दिशा पर गौर करते हुए कई प्रमुख क्षेत्रों में AI के योगदान से हिंदी भाषा को और अधिक लाभ हो सकता है। हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए कई संभावनाएं हैं। जैसे-जैसे तकनीक में सुधार हो रहा है और डेटा की उपलब्धता बढ़ रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी भाषा में और भी उन्नत और सटीक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हिंदी भाषा के विकास में इसका योगदान एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ विषय है। हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों ने तकनीकी दुनिया में एक नई दिशा प्रदान की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने हिंदी भाषा के लिए भाषाई संसाधनों के निर्माण में एक नई दिशा प्रदान की है। कोरपस निर्माण, शब्दकोश और थिसॉरस,

अनुवाद उपकरण, वॉयस और स्पीच टेक्नोलॉजी, भाषाई मॉडल और चैटबॉट्स और शैक्षिक संसाधनों के क्षेत्र में AI के योगदान ने हिंदी भाषा के विकास को एक नई ऊँचाई पर पहुँचाया है।

इन संसाधनों के निर्माण से न केवल हिंदी भाषा की उपयोगिता और प्रभावशीलता में सुधार हुआ है, बल्कि भाषा सीखने और संचार के तरीकों में भी नवाचार हुआ है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हिंदी भाषा में और भी उन्नत और सटीक सेवाएं प्रदान करने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इस क्षेत्र में निरंतर शोध और विकास हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाएगा जहां भाषा की बाधा को पूरी तरह से दूर किया जा सकेगा और तकनीकी सेवाओं की पहुंच सभी के लिए संभव होगी। भविष्य में, AI के निरंतर विकास और अनुसंधान के साथ, हिंदी भाषा के लिए और अधिक उन्नत और समृद्ध भाषाई संसाधन उपलब्ध होंगे, जो भाषा के विकास को और भी सशक्त बनाएंगे।

AI के माध्यम से हिंदी भाषा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का यह सफर एक रोमांचक और प्रेरणादायक प्रक्रिया है, जो न केवल भाषा के विकास को प्रोत्साहित करेगा बल्कि समाज और संस्कृति की समृद्धि में भी योगदान देगा। आशा है कि AI की तकनीकें हिंदी भाषा को और अधिक समृद्ध, प्रासंगिक और प्रभावी बनाने में सहायक होंगी और इसका लाभ सभी हिंदी भाषी समुदायों और भाषाई क्षेत्रों को मिलेगा।

संदर्भः : https://rajbhasha.gov.in/
https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence
https://hi.wikipedia.org
https://www.coursera.org/articles/what-is-artificial-intelligence

राष्ट्रभाषा, राजभाषा और भारत

- डॉ. सत्येंद्र सिंह
पूर्व वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी
मध्य रेल, पुणे

किसी भी देश की पहचान वहाँ की मुख्य भाषा होती है। भारत ऐसा विशाल देश है जहाँ कई ऐसी समृद्ध भाषाएँ हैं कि वे सभी एक-एक देश की स्वतंत्र भाषा हो सकती हैं। परंतु अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने में हिंदी की भूमिका बहुत प्रभावी रही और देश के सभी क्षेत्रों को एकसूत्र में पिरोने में सक्षम बनी। महात्मा गांधी जी ने हिंदी में स्वयं लिखा ही नहीं अपितु जनता की भावनाओं को देखते हुए और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए देश के कई हिस्सों में राष्ट्रभाषा समितियों की स्थापना की क्योंकि राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा होती है, जिसका संबंध एक राष्ट्र से होता है। जब कोई राष्ट्र या देश किसी भाषा को अपने राष्ट्र की भाषा घोषित करता है और संविधान में उल्लेख करता है तो वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा की कुछ विशेषताएँ होती हैं, जैसे- राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है, देश की सरकार द्वारा केंद्रीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, राष्ट्रभाषा देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है। अतः राष्ट्रभाषा एक देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है, जिसे संपूर्ण राष्ट्र के समस्त कार्यों में प्रमुखता से प्रयोग में लाया जाता है। वह भाषा, जिसे राष्ट्र के समस्त नागरिक अन्य भाषा भाषी होते हुए भी जानते, समझते हैं और उसका व्यवहार करते हैं, तो वही राष्ट्रभाषा कहलाती है।

हिंदी में राष्ट्रभाषा की ये सभी विशेषताएँ हैं, परंतु संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर केंद्र सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया है और प्रांतों की प्रमुख भाषाओं को संबंधित प्रांत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी भारत में कई समृद्ध भाषाओं के होते हुए भी स्वतंत्रता से पूर्व ही जनभाषा का स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका को देखते हुए यहाँ की जनता ने इसे राष्ट्रभाषा मान लिया था। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने 1905 में हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि मान लिया था। पं. मदन मोहन मालवीय ने 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कराई। परंतु माना यह जाता है कि महात्मा गाँधी अकेले राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की भाषा समस्या और राष्ट्रभाषा पर इतना ध्यान दिया। महात्मा गाँधी की मातृभाषा हिंदी नहीं थी परंतु विदेश से भारत लौटने के बाद उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं अपितु उसे राष्ट्रभाषा मानते हुए उसके विकास हेतु 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार समितियों की स्थापना करने में अग्रणी भूमिका निभाई। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पुणे के एक कार्यक्रम में पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. केशव प्रथमवीर का यह कथन सत्य ही है कि सम्राट अशोक के बाद महात्मा गाँधी ही ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने पुत्र को धर्म के प्रचार के लिए तो नहीं लेकिन हिंदी भाषा के प्रचार के लिए दक्षिण भारत भेजा। साथ ही एक राष्ट्र और एक राष्ट्रभाषा के उनके

पवित्र संकल्प को मूर्त रूप देने में डॉ.राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, काकासाहब कालेलकर, माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य नरेंद्र देव, वियोगी हरि, सुब्रमण्यम भारती आदि विद्वान महापुरुषों के अथक परिश्रम को भी भुलाया नहीं जा सकता। फिर भी संविधान बनाते समय सबसे पहले राष्ट्रभाषा पर ही विचार किया गया परंतु जैसे कि सभी जानते हैं कि भाषा व्यक्ति व क्षेत्र की पहचान होती है और अपनी पहचान खोने के डर से, दूसरे नौकरियों में पीछे रह जाने के डर से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाते समय मतभेद सामने आ गए। संविधान सभा ने प्रारंभ में राष्ट्रभाषा संबंधी जिस विषय को प्रथम स्थान पर विचारार्थ रखा था उसे आगे बढा दिया गया। संविधान सभा की बैठकों की कार्यवाहियों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर देश की राजभाषा का दर्जा सर्वानुमति से दिया गया। हिंदी की लिपि और अंकों के स्वरूप पर मतभेद अवश्य थे। जब मौलाना आजाद ने संविधान सभा की बैठक में यह बताया कि अंकों का आविष्कार भारत में ही हुआ था और जिन अंकों को अंग्रेजी के अंक माना जाता है यह सत्य नहीं है, हां भारतीय अंकों को लिखने का स्वरूप बदल कर अंतरराष्ट्रीय स्वरूप बन गया है। इस तरह संविधान में भारतीय अंकों के इस अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को मान्यता दी गई। तीन लिपियाँ सामने थीं देवनागरी, रोमन और अरबी। झांसी के रघुनाथ विनायक धुलेकर, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, सेठ गोविंददास जैसे विद्वानों की दलीलों पर हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि मानने पर अधिक बल था।

फिर भी, भारत सरकार द्वारा एक बहुभाषी देश में एकता और अखंडता बनाए रखते हुए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे अत्यंत प्रशंसनीय हैं। सभी राज्य सरकारों के प्रयास भी सराहनीय हैं। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग हिंदी के प्रयोग प्रसार संबंधी एक वार्षिक कार्यक्रम बनाता है और उसमें दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर मंत्रालय में राजभाषा विभाग है और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में भी राजभाषा अधिकारी व अनुवादक हैं जो राजभाषा हिंदी को बढावा देने के लिए कार्यरत हैं। ये राजभाषा अधिकारी अपने विभाग व कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की सहायता के लिए हैं क्योंकि राजभाषा नीति के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रशासनिक प्रधान का ही है। इस प्रकार सभी मंत्रालयों, विभागों, हर राज्य में स्थित केंद्रीय कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में हिंदी के प्रयोग प्रसार के लिए जो ये करते हैं, उसे चंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। केंद्रीय हिंदी संस्थान, विश्व हिंदी सचिवालय, सभी देशों के दूतावास, देश विदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के जो प्रोफेसर प्रवक्ता, हिंदी प्रेमी लेखक, कवि, पत्रकार, फिल्म, नाटक के अभिनेता, कलाकार, गीतकार हिंदी को बढावा देने के लिए अपने जीवन का जो अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उसका प्रभाव हिंदी को विश्व शिखर पर देखकर ही हो रहा है। लेकिन पूरे देश के समेकित प्रयासों के बावजूद बड़े नखरों के साथ यह कह दिया जाता है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि विश्व के तमाम देश ऐसे हैं, जिनकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है और एक से अधिक भी हैं। कई देशों में एक ही भाषा राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों हैं, लेकिन जिस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है उसके लिए कोई टिप्पणी कहीं नहीं की जाती, कोई आलोचना नहीं की जाती कि अमुक देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। केवल भारत के लिए कहा जाता है।

विश्व के कुछ देशों में राष्ट्रभाषा या राजभाषा की संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत के बारे में टिप्पणी करने वाले समझ सकें। कई देशों के संविधान में अपनी-अपनी राष्ट्रभाषा या

राष्ट्रभाषाओं अथवा राजभाषा या राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। अल्बेनिया की राष्ट्रभाषा अल्बेनियन भाषा है परंतु राजभाषा का उल्लेख नहीं है। ग्रीक अपने समुदाय की राष्ट्रभाषा है जो दक्षिण में आधिपत्य रखती है। एरोमेनियन भाषाई अल्पसंखयकों की राष्ट्रभाषा है। अल्बेनियन भाषा कोसोवो, दक्षिणी इटली के भागों, दक्षिणी मोंटेनेग्रो और दक्षिण सरबिया की भी राष्ट्रभाषा है। हां, यह उत्तरी मेसेडोनिया की सह-राजभाषा अवश्य है परंतु राष्ट्रभाषा नहीं। अल्जीरिया की राष्ट्रभाषा अरबी है। यहां फ्रेंच को शासकीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है लेकिन शिक्षा, व्यापार और मीडिया में उसका बहुत प्रयोग होता है। अंडोरा की राष्ट्रभाषा कैटलन है। इसके अतिरिक्त कैटलन को स्पेन के कई क्षेत्रों में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और बिना शासकीय मान्यता के स्पेन के कई क्षेत्रों में बोली भी जाती है। अर्मेनिया में अर्मेनियन भाषा भारोपीय परिवार से पृथक भाषा परिवार की है लेकिन अर्मेनिया में खूब बोली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में कोई राजभाषा नहीं है लेकिन अँग्रेजी वास्तव में राष्ट्रभाषा है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में लगभगम 400 भाषाएं थीं जो वहाँ के यूरोपियनों से पहले देसी लोगों द्वारा बोली जाती थीं। अब उनमें से 70 भाषाएं ही बची हैं और 30 समाप्ति के कगार पर हैं। अजरबैजान में अजेरी राष्ट्रभाषा है। बंगला देश की राष्ट्रभाषा बंगाली है, जो बंगला देश की आजादी का एक प्रमुख कारण भी है। बोस्निया और हर्जेगोविना में सर्वोक्रोएटियन राष्ट्रभाषा है जो तीन नामों से जानी जाती है जैसे बोस्नियन, क्रोएटियन और सर्बियन। लैटिन और सिरिलिक दोनों वर्णमालाओं को राष्ट्रीय लिपि का दर्जा प्राप्त है। बुलगेरिया में बुल्गेरियन राष्ट्रभाषा है। कनाडा में अंग्रेजी (कनेडियन अंग्रेजी) और फ्रेंच (कनेडियन फ्रेंच) दोनों राजभाषा हैं। कनाडा जैसे एक देश में दो देश अर्थात् इंग्लिश कनाडा और फ्रेंच कनाडा दोनों देश की ये दोनों समान राष्ट्रभाषाएँ हैं। कनाडा के दो उत्तरी क्षेत्रों में कई देसी भाषाओं को संविधान में लिया गया है और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अंग्रेजी और फ्रेंच को छोड़कर 9 राजभाषाएँ हैं। चीन में कई भाषाएँ बोली जाती हैं, लेकिन वहाँ की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है जो देश में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। क्रोएशिया में क्रोएशियन राष्ट्रभाषा है। चेक रिपब्लिक की राष्ट्रभाषा चेक है। इथियोपिया एक ऐसा देश है जहाँ 80 देश हैं और उनके नागरिक एक साथ रहते हैं और वे 80 विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। फिर भी इथियोपिया में अफार, अम्हेटिक, क्रोमो, सोमाली, टिगरिन्या और अंग्रेजी कार्यालयी राजभाषाएँ हैं। वहाँ अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाने वाली विदेशी भाषा है और सेकेंडरी व उच्च शिक्षा का माध्यम भी है। वहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। फिनलैंड में दो राष्ट्रभाषाएँ हैं – फिन्निश और स्वीडिश। फिनलैंड के संविधान द्वारा न्यायालयों और अन्य राज्यों में फिनिश और स्वीडिश के उपयोग की अनुमति दी गई है। वहाँ के संविधान में सामी भाषा का प्रयोग करने की भी स्वीकृति दी गई है। फ्रांस में फ्रेंच राजभाषा है। जर्मनी में जर्मन राजभाषा है। हैती की राजभाषाएँ हैतियन क्रेओल और फ्रेंच हैं। आयरलैंड की आयर्लैंडिक राजभाषा है। इंडोनेशिया में इंडोनेशियन राजभाषा है। ईरान की राष्ट्रभाषा फारसी है। आयरलैंड की राष्ट्रभाषा आइरिश है। इजरायल की राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिब्रू है। इटली की राजभाषा इतालवी है जिसे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कारणों से राष्ट्रभाषा भी माना जाता है। केन्या की राजभाषाएँ अंग्रेजी और स्वाहिली हैं। स्वाहिली को राष्ट्रभाषा का विशेष दर्जा भी दिया गया है। लेबनान की अरबी भाषा शास्त्रीय राष्ट्रभाषा है। लक्जेमबर्ग की राजभाषाएँ लक्जमबोरगिश, फ्रेंच और जर्मन हैं। माल्टा की माल्टीज़ भाषा राजभाषा है। यह आयरलैंड की भी अंग्रेजी के साथ साथ राजभाषा है। नाम्बिया में देश के हिसाब से राष्ट्रभाषाएँ हैं और वहाँ 20 राष्ट्रभाषाएँ हैं। नेपाल की राजभाषा नेपाली है परंतु वहाँ बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें उर्दू और अंग्रेजी के साथ मैथिली, अवधी, भोजपुरी और हिंदी शामिल हैं। न्यूजीलैंड में अंग्रेजी व माओरी भाषा राजभाषाएँ हैं। नाइजेरिया में हौसा, इग्बो और योरुबा तीन राष्ट्रभाषाएँ हैं। पाकिस्तान की उर्दू राष्ट्रभाषा है परंतु सरकारी और कानूनी कामकाज में तथा उच्च

शिक्षा में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, जिसे वहाँ पाकिस्तानी अंग्रेजी कहा जाता है। फिलीपाइंस में फिलिपिनो राष्ट्रभाषा है। उस देश में भी बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। पोलैंड की राजभाषा पोलिश है। पुर्तगाल की राजभाषा पोर्चुगीज है। रोमानिया की राजभाषा और राष्ट्रभाषा रोमानियन माया है। रूस में रूसी राजभाषा है परंतु 27 अन्य भाषाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा का दर्जा दिया गया है।

सेरबिया में सेरवियन राष्ट्रभाषा है। सिंगापुर में चार राजभाषाएँ हैं जैसे अंग्रेजी. चीनी, मलय और तमिल। स्लोवेनिया में स्लोवाल राष्ट्रभाषा है। दक्षिण अफ्रीका में 11 राजभाषाएँ हैं। स्पेन में स्पेनिश संवैधानिक राष्ट्रभाषा है, लेकिन अन्य चार भाषाओं को भी सह-राजभाषा का दर्जा दिया गया है। स्विट्जरलैंड में चार राष्ट्रभाषाएँ हैं- जर्मन, फ्रेंच, इटेलियन, रोमांश। तायवान में वहाँ के मूल निवासियों की भाषाओं को राष्ट्रभाषा माना जाता है। ट्यूनीशिया में अरबी भाषा राजभाषा है। टर्की में टर्किश राष्ट्रभाषा है। युगांडा में अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है। यूक्रेन में उक्रेनिया राजभाषा है परंतु रूसी भी खूब बोली जाती है। स्कॉटलैंड में अंग्रेजी को बराबर का दर्जा देते हुए गैलिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वेल्स में वेल्श राजभाषा है, लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। वियतनाम में वियतनामी राष्ट्रभाषा है। युगांडा में अंग्रेजी, संयुक्त अरब अमीरात में अरबी राष्ट्रभाषा है। यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी, वेल्श, स्काट, स्कोट्स, गेलिक, आयरिश भाषाएँ हैं परंतु ब्रिटिश अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है। संयुक्त राज्य अमरीका में अंग्रेजी, स्पैनिश, फ्रेंच, हवाईयन राजभाषाएँ हैं परंतु अमेरिकन अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है। उजबेकिस्तान में उज़बेक राष्ट्रभाषा है। वेनेजुएला में स्पैनिश, यमन में अरबी, जाम्बिया में अंग्रेजी, जिम्बावे में अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा है।

उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि कई देश बहुभाषी हैं और किसी देश में राष्ट्रभाषा है तो राजभाषा नहीं, और कहीं राजभाषा है तो राष्ट्रभाषा नहीं। कहीं पर राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों हैं। कहीं पर राष्ट्रभाषा व राजभाषा एक से अधिक भी हैं।

लेकिन भारत के लिए ही कहा जाता है कि उसकी राष्ट्रभाषा नहीं है जबकि कई देशों में केवल राजभाषा ही बताई गई है और उनके लिए नहीं लिखा जाता कि उनकी राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि जब भारत की राष्ट्रभाषा के बारे में कुछ खोज की जाती है तो हिंदी को ही बताया जाता है।

वस्तुतः आज हिंदी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व के सभी देशों में बोली जाती है। जहाँ जहाँ भारतीय किसी भी रूप में गए वहाँ वहाँ हिंदी बोली समझी जाती है। हिंदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले नंबर पर संपर्क भाषा के रूप में आती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी का स्वरूप भी ग्रहण करती जा रही है। भले ही भारत के संविधान में अभी उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है, पर भारत में आमजन की संपर्क भाषा हिंदी ही है और इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। हिंदी किसी पर थोपी हुई भाषा नहीं है, वह हृदय की भाषा है, प्रेम की भाषा है। भारत के आमजन की राष्ट्रभाषा है। किसी भी देश में जो भारतीय हैं चाहे वे किसी भी भारतीय भाषा वाले प्रदेश के हों, उनके बीच भी संपर्क भाषा हिंदी ही है।सबसे बड़ी बात यह कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, हिंदी ही बोलते हैं और सभी देशों के लोग बड़ी रुचि से सुनते हैं, जिससे हिंदी राजभाषा तो है ही, राष्ट्रभाषा भी है, ऐसा बोध होता है।

कहानी राजभाषा हिंदी की

- राज भवन
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
केंद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई)

भारत विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं का देश है। इसलिए यहां पर एक कहावत बहुत प्रसिद्व है – ''कोस – कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी''। इस कहावत के अनुसार पहले भारत में हर चार कोस पर वाणी यानी भाषा या बोली बदल जाती है। इसलिए भारत को अपने विभिन्न क्षेत्रों एवं लोगों को भारतीयता के अंदर एकजुट रखने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा।

395 अनुच्छेदों एवं 8 अनुसूचियों के साथ दुनिया का सबसे लंबा संविधान लिखा गया और संविधान में कई देशों के संविधानों से कुछ अच्छे अंक भी लिए गए। इसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और 26 जनवरी, 1950 को भारत में संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। हालांकि भारत को अपना संविधान मिल गया था, लेकिन उपनिवेशवाद की नितियों के कुछ प्रभाव रह गए थे। जिसके कारण भारत को भाषा, धर्म तथा अन्य मामलों में अपनी पहचान के लिए कई संघर्ष करने पड़े। 1991 की भारत की जनगणना के अनुसार अलग व्याकरणीय संरचनाओं के साथ देश में 1576 मातृभाषाएं तथा 1796 अन्य भाषाएं मौजूद थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरु जैसे चिंतकों ने भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के पत्र में आवाज उठाई थी। उन्होंने राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का भी समर्थन किया था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भाषा, संस्कृति, विकास एवं एकता जैसे प्रशासनिक सुविधा के चार मौलिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसे एक भाषा और द्विभाषी राज्यों के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार ने आयोग की सिफारिशों को मानकर एक बार फिर राज्यों की भाषाई समानता के आधार पर भारत का मानचित्र तैयार किया।

1950 में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें असमिया, बंगाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, उर्दू शामिल थी। इसके बाद सूची को तीन बार विस्तारित किया गया। पहली बार में इसमें सिंधी जोड़ी गई। दूसरी बार में इसमें कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ा गया और तीसरी बार इसमें डोगरी, संथाली, मैथली और बोडो को इसमें जोड़ा गया। यह भाषाएं अब आधुनिक भारतीय भाषाएँ कही जाने लगी हैं।

भाषा के आधार पर राज्यों के पुनगर्ठन ने भाषाई पहचान के दावों को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण देश

के कई हिस्सों में भाषाओं के नाम पर आंदोलन एवं प्रदर्शन शुरु हो गए। आंदोलनों का मुख्य कारण भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को क्रियान्वित नहीं कर पाना था। केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को लागू करना भी आंदोलन एवं प्रदर्शन का कारण था।

भारतीय संविधान में 1950 में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की दो आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी होंगी और 15 वर्षों के भीतर हिंदी भाषा को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा में अपनाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अनुसार हिंदी 1965 में देश की आधिकारिक भाषा होगी। साथ ही कहा गया कि अंग्रेजी सह-भाषा के रूप में रहेगी। 10 वर्ष बाद संसदीय समिति को यह देखना था कि हिंदी देश में अपनी पैठ बना पाई है कि नही। इस आधार पर निर्णय लेना था कि अंग्रेजी का दर्जा बरकरार रखा जाए या नही।

1965 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाए जाने एवं उसके संबंध में योजना के बारे में रिपोर्ट मांगी। सरकार के इस कदम के बाद तमिलनाडु में हिंदी के विरुद्ध दंगे भड़क गए जिससे सरकार को अपने रुख पर पुनर्विचार करना पड़ा। इसके बाद राज्य सरकारों को आश्वशत किया गया कि केंद्र सरकार आधिकारिक भाषा के रुप में हिंदी को राज्यों में तब तक लागू नहीं करेगी, जब तक कि एक भी राज्य हिंदी के विरोध में रहेगा।

आजादी के वर्षों में भाषा से संबंधित आंदोलन उन राज्यों में हुए, जहां बहुत कम लोग उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा की तुलना में अन्य भाषा बोलते थे। बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा के प्रभुत्व एवं चयन तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं किए जाने के कारण भारत के कई राज्यों में विरोधी समूहों का गठन हुआ। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने 1961 में त्रिभाषा फॉर्मूला का सूत्र अपनाया।

त्रिभाषा फॉमूला में हर राज्य को हिंदी भाषा को मान्यता देने के अतिरिक्त अपनी क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा के रुप में दो अन्य भाषाओं को चयन करने का विकल्प दिया गया। लेकिन एक और समस्या सामने आने लगी कि कई राज्यों में एक भाषा को बोलने वाले कई समुदाय थे। इससे भाषाई अनुक्रम का विकास हुआ और हिंदी को सबसे ऊपर रखा जाने लगा और इसके बाद क्षेत्रीय भाषा का स्थान आता था। प्रशासन में भाषा के उपयोग के कारण भाषा के विकास और उसे एक मानक के रुप में विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए भारत सरकार ने केंद्र और राज्य स्तर पर बहुत ही सराहनीय कदम उठाए। केंद्रीय स्तर पर गठित बोर्डों और आयोगों ने राज्य सरकारों द्वारा शुरु किए गए भाषाई विकास की समीक्षा की। भारत सरकार ने भाषाई विकास एवं शोध के लिए कई संस्थानों की स्थापना की जिसमें शामिल हैः-

1) **वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटी)**
2) **केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सीएसडी)**
3) **केंद्रीय हिंदी संस्थान (सीआईएच)**
4) **भारतीय भाषा संस्थान**
5) **दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा**

1. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

भारत की स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक-तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1950 में बोर्ड की स्थापना की। सन् 1952 में बोर्ड के तत्वाधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रकार विभिन्न अवसरों पर तैयार शब्दावली को 'पारिभाषिक शब्द संग्रह' शीर्षक से प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य एक ओर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के समन्वय कार्य के लिए आधार प्रदान करना था और दूसरी ओर अन्तरिम अवधि में लेखकों को नई संकल्पनाओं के लिए सर्वसम्मत पारिभाषिक शब्द प्रदान करना था। शब्दावली निर्माण कार्यक्रम को सही दिशा देने के लिए 1950 में शिक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना की गई। तत्पश्चात भारत सरकार ने 1 अक्तूबर, 1961 को प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ॰ डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की ताकि शब्दावली निर्माण का कार्य सही एवं व्यापक परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित किया जा सके।

उद्देश्य:

हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना; शब्दावलियों को प्रकाशित करना। पारिभाषिक शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना; यह देखना कि विकसित किए गए शब्द और उनकी परिभाषाएं छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि को पहुंचती हैं। कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/प्रबोधन कार्यक्रमों के जरिए किए गए कार्य के संबंध में उपयोगी फीडबैक प्राप्त करके उचित उपयोग/आवश्यक अद्यतन/संशोधन/सुधार सुनिश्चित करना। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली की एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों के साथ समन्वय करना।

अंग्रेजी/हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संबंध में द्विभाषी और त्रिभाषी शब्दावलियां तैयार करना तथा उनका प्रकाशन करना। राष्ट्रीय शब्दावली तैयार करना और उसका प्रकाशन करना। स्कूल स्तर की शब्दावली और विभागीय शब्दावलियों की पहचान करना और उनका प्रकाशन करना। अखिल भारतीय शब्दों की पहचान करना। पारिभाषिक शब्दकोशों और विश्वकोशों को तैयार करना। विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों, मोनोग्राफों और पत्रिकाओं को तैयार करना। ग्रंथ अकादमियों, पाठ्य-पुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों को क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के लिए सहायता अनुदान। प्रशिक्षण/प्रबोधन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आदि माध्यम से गढ़े गए और परिभाषित शब्दों का प्रचार-प्रसार, विस्तार और ध्यानपूर्वक समीक्षा करना। प्रकाशनों का नि:शुल्क वितरण। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को आवश्यक शब्दावली उपलब्ध कराना।

2. केंद्रीय हिंदी निदेशालय

हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसरण में समग्र भारत के सम्पर्क भाषा के

रूप में इसका विकास करने हेतु भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च, 1960 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय), उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत की गई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी में स्थित हैं। इसकी स्थापना किए जाने की तारीख से निदेशालय हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

निदेशालय निम्नानुसार बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :-

- सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी - केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, हिंदी में डिप्लोमा पाठ्यक्र, उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम और सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम जैसे बहुत से पाठ्यक्रम संचालित करता रहा है।
- एक भाषा में/द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन की योजना।
- पत्राचार पाठ्यक्रम।
- हिंदी लेखकों को पुरस्कार।
- विस्तार सेवाएं और कार्यक्रम।
- श्रव्य के माध्यम से हिंदी शिक्षण और इसका प्रचार-प्रसार करना।
- पुस्तकों के प्रकाशन/खरीद करने के लिए सहायता की योजना सहित हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान देना।
- नि:शुल्क वितरण हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद करना।

3. केंद्रीय हिंदी संस्थान

सम्पूर्ण भारत में हिंदी के अखिल भारतीय मानदंडों को आगे बढ़ाने तथा उसके प्रोन्नयन और प्रचार-प्रसार के मद्देनजर, एक पंजीकृत स्वायत्त निकाय, "केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल" 19 मार्च, 1960 को स्थापित किया गया। यह एक पूर्णत: वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है। यह केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के साथ इसके दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर तथा अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों का भी संचालन करता है। संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- संविधान की धारा 351 के तहत प्रतिबद्धता को पूरा करने के प्रयोजनार्थ, यह संस्थान अखिल भारतीय

भाषा के रूप में हिंदी के विकास के कार्य करता है और ऐसे पाठ्यक्रमों का समन्वयन, आयोजन एवं संचालन करता है जो इस उद्देश्य की पूर्ति करें।

- विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार; हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण; हिंदी भाषा और साहित्य में उच्च अध्ययनों के लिए व्यवस्थाएं करना और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी में मनो-भाषाई अध्ययन को बढ़ावा देना। अंतत: यह संस्थान हिंदी भाषा से संबंधित शोध और इसके शिक्षण से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है।

- विभिन्न स्तरों पर पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने, प्रकाशित करने और वितरित करने के साथ-साथ संदर्भिकाओं और शोध-आधारित साहित्यों का प्रकाशन।

- संस्थान के लक्ष्यों से संबंधित जर्नलों और पत्रिकाओं का प्रकाशन।

- समान क्षेत्रों में कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग, सदस्यता नामांकन, समन्वयन, सदृशीकरण, प्रत्यायन इत्यादि देकर समन्वय करना।

- संस्थान के प्रचलित मानदंडों के अनुरूप फैलोशिप, एवार्डस का प्रावधान करना और हिंदी भाषा के अनुप्रयोग तथा इससे संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना।

4. केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, की स्थापना 1969 में की गई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में सहायता करने तथा भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी और समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास में समन्वय करने हेतु स्थापित की गई है। संस्थान बहुत सी विस्तृत योजनाओं के जरिए भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देता है। अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

क. भारतीय भाषाओं का विकास

इस योजना का आशय आदिवासी/लघु/अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान, मानव संसाधन के विकास और सामग्री के सृजन के द्वारा भारतीय भाषाओं का विकास करना है।

ख. क्षेत्रीय भाषा केंद्र (आरएलसी)

भुवनेश्वर, पुणे, मैसूर, पटियाला, गुवाहाटी, सोलन तथा लखनऊ में स्थित इसके क्षेत्रीय भाषा केंद्र सरकार के त्रिभाषा सूत्र (फार्मूला) के कार्यान्वयन तथा शिक्षण सामग्री को तैयार करने के लिए कार्य करते हैं। क्षेत्रीय भाषा केंद्र शिक्षक

प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं जिनमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को उनकी मातृभाषा से इतर अन्य भाषाओं में प्रशिक्षित किया जाता है।

ग. सहायता अनुदान योजना

सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान अधिक मात्रा में खरीद, आदिवासी भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं (हिंदी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत और अंग्रेजी को छोड़कर) में पाण्डुलिपियों और छोटी पत्रिकाओं के प्रकाशन में सहायता करके अलग-अलग व्यक्तियों और स्वयं सेवी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

घ. राष्ट्रीय परीक्षण सेवा

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी अनुवाद कार्यकलापों, सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों रूपों में, जितना संभव हो सके उतनी अधिक भारतीय भाषाओं में क्लीयरिंग हाऊस के तौर पर कार्य करना है। इसके अतिरिक्त, मिशन विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यकलापों में अनूदित सामग्री के प्रयोक्ताओं और जन साधारण तथा निजी एजेंसियों के मध्य सम्पर्क भी स्थापित करता है।

5. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा

एक प्रमुख हिंदी सेवी संस्था है जो भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक में भारत के स्वतंत्र होने के काफी पहले से हिंदी के प्रचार -प्रसार का कार्य कर रही है।

सन् 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियाँ प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, मद्रास में है। सभा की शाखाएँ दक्षिण के चारों प्रान्तों केरल कर्नाटक आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु . में हैं तथा दिल्ली में सम्पर्क कार्यालय है।

सभा के प्रमाणित प्रचारकों के द्वारा दक्षिण के चारों प्रान्तों के गाँव-गाँव में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था तथा एतद्द्वारा राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिंदी के लिए दक्षिण भारत भर में अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना हिंदी के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी को हर प्रकार से समृद्ध बनाने में योग देना।

आज के समय में पूरे विश्व में हिंदी के तेजी से प्रचार-प्रसार हो रहा है। हिंदी के प्रसार-प्रसार में उपयुर्क्त संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तरह हिंदी का उपयोग होता रहा तो एक दिन हिंदी पूरे विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली और सबसे अधिक समझे जाने वाली भाषा बन जाएगी।

ग्रंथ एवं संदर्भ सूची:

1. https://vishwahindidb.com/show_organisation.aspx?id=166

2. https://www.education.gov.in/hi/language-education-3-hi

3. https://www.education.gov.in/hi/language-education-10-hi

4. https://www.education.gov.in/hi/language-education-5-hi

5. https://hi.wikipedia.org/wiki/दक्षिण_भारत_हिंदी_प्रचार_सभा

राजभाषा बनाम हिंदी : दशा, दिशा,अपेक्षाएं और समाधान

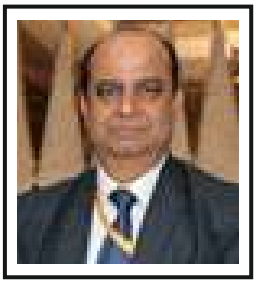

- राकेश कुमार
पूर्व निदेशक (राजभाषा)

ब्रिटिश संसद में दिनांक 02 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा नीति पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में कहा था :

"मैंने भारत की ओर-छोर की यात्रा की है, पर मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा, जो भीख माँगता हो या चोर हो। मैंने इस मुल्क में अपार संपदा देखी है। उच्च उदात्त मूल्यों को देखा है। इन योग्यता मूल्यों वाले भारतीयों को कोई कभी जीत नहीं सकता, यह मैं मानता हूं, तब तक, जब तक कि हम इस मुल्क की रीढ़ ही न तोड़ दें और भारत की रीढ़ है उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत ..... इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को हम बदल दें। उसकी संस्कृति को बदलें, ताकि हर भारतीय यह सोचे कि जो भी विदेशी हैं, वह बेहतर है। वे यह सोचने लगें कि अंग्रेजी भाषा महान है अन्य देशी भाषाओं से। इससे वे अपना सम्मान खो बैठेंगे। अपनी देशज जातीय परंपराओं को भूलने लगेंगे और फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, सचमुच एक आक्रांत एवं पराजित राष्ट्र।"

सन 1835 की लार्ड मैकाले की भविष्यवाणी इस बात का प्रमाण है कि उस समय की भारतीय शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, उच्च उदात्त मूल्य, परंपरा और संस्कारों से युक्त भारत का कोई जोड़ नहीं था। अपार संपदा का मालिक, **सोने की चिड़िया** कहा जाने वाला भारत एक महान देश था। व्यापार करने के लिए आने वाले इन अंग्रेजों ने योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से भारत में व्यापार की शुरूआत के साथ ही धीरे-धीरे अपनी कूटनीतिज्ञता से भारत पर साम्राज्य स्थापित करके उसे परतंत्र बना दिया। सन् 1835 के, लॉर्ड मैकाले के इस इस कथन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारत को गुलाम बनाना, अंग्रेजों की गहरी और सोची समझी चाल थी। भारत को टुकड़ों में बांट, अलगाववाद की नींव रखकर, अंग्रेज, **"फूट डालो और राज करो"** के अपने मकसद में कामयाब हो गए।

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ किंतु संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान 14 सितम्बर, 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जिसके अनुसार "भारत की राजभाषा, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी तथा अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मान्य होगा।" संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में, भारत की राजभाषा नीति के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के परन्तुक, संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी

भाषा के अतिरिक्त, हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाने के आदेश जारी किए गए। वर्ष 1955 में, बी०जी० खेर भाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत किया गया। खेर आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1956 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई तथा वर्ष 1957 में खेर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई।

संसदीय समिति की इस रिपोर्ट पर सितम्बर 1959 में संसद में विस्तृत बहस हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अंग्रेजी को सह-भाषा के रूप में प्रयोग में लाए जाने हेतु कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा और न ही इसके लिए कोई समय-सीमा ही निर्धारित की जाएगी। भारत की सभी भाषाएँ समान रूप से आदरणीय हैं और ये सभी हमारी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं।

विस्तृत संसदीय बहस और प्रधानमंत्री नेहरू के उक्त आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में 27 अप्रैल, 1960 को संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश जारी किए गए, जिनमें हिंदी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्य विधिक साहित्य का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी के प्रसार-प्रचार विधेयकों की भाषा, उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे प्रमुख थे।

संविधान के अनुच्छेद 343(3) में निहित प्रावधान तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को देखते हुए वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा और अंग्रेजी सह-भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाएगी। इस अधिनियम में वर्ष 1967 में संशोधन किया गया तथा 5 सितम्बर 1967 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में वर्ष 1968 में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया जब 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया जिसमें हिंदी के राजकीय प्रयोजनों हेतु उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए एक अधिक गहन और व्यापक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने, इस प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने, हिंदी के साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने, त्रिभाषा सूत्र को अपनाए जाने, संघ सेवाओं के लिए भर्ती के समय हिंदी तथा अंग्रेजी में से किसी एक के ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित होने और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परीक्षा के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की बात कही गई।

राजभाषा संकल्प,1968 में किए गए प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 1968-69 से राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करके इसका सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालन प्रारंभ किया गया। अब तक ऐसे 55 वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग द्वारा जारी

किए गए हैं।

राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन तथा सांविधिक प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत जून, 1975 में राजभाषा विभाग की पृथक रूप में स्थापना की गई तथा वर्ष 1976 में हिंदी के प्रयोग के संबंध में 12 राजभाषा नियम बनाए गए जिन्हें राजभाषा नियम 1976 कहा गया। हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की प्रोत्साहन नीति के अनुसार वर्ष 1986-87 में इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार प्रारंभ किए गए। राजभाषा नियम 1976 में, 09 अक्तूबर 1987 को संशोधन किया गया। प्रश्न यह है कि इन 12 नियमों का अनुपालन हम कितनी गंभीरता और ईमानदारी से कर रहे हैं।

संघ की राजभाषा नीति का सुचारू कार्यान्वयन किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी जाँच करने के लिए एक उच्च स्तरीय संसदीय राजभाषा समिति का गठन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (4) के अंतर्गत, वर्ष 1976 में किया गया। समिति में कुल 30 संसद सदस्य होते हैं जिनमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से हैं। समिति का कार्य पूरे देश में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों आदि में हो रहे हिंदी के कार्य की प्रगति की समीक्षा करना तथा उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना है। समिति अब तक रिपोर्ट के 11 खंड प्रस्तुत कर चुकी है जिस पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग में संबंधित मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति नामक एक आंतरिक विभागीय समिति भी होती है जिसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव (प्रशा.)तथा राजभाषा के प्रभारी संयुक्त सचिव होते हैं। प्रत्येक तिमाही में इसकी बैठकों में, संबन्धित कार्यालयों में हिंदी में किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा इसके प्रयोग को बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर विचार किया जाता है।

भाषा की दृष्टि से, सरकार ने पूरे देश को 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है तथा पत्राचार हेतु हिंदी तथा हिंदीतर क्षेत्रों में लक्ष्य भी 100 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत दिए हैं। इन लक्ष्यों में अन्तर का, इन क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों पर बहुत अधिक असर नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा हिंदी में जितना कार्य संभव हो पाता है, उतना ही वे करते हैं। बाकी तो रिपोर्ट में दिये गए आँकड़ों की सत्यता साक्षी होती है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों तथा 14 सितम्बर 1949 से अब तक लगभग 75 वर्षों की एक लम्बी अवधि में, हिंदी को उचित स्थान मिल जाना चाहिए था अर्थात् केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा पूरी तरह हिंदी बन जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हिंदी को अभी भी बहुत से क्षेत्रों में अंग्रेजी की बैसाखी के सहारे धीरे-धीरे चलना पड़ रहा है। अभी भी भारत सरकार के अधिकांश कार्यालयों में केवल अंग्रेजी में कार्य हो रहा है। केवल हिंदी में कार्य करने की प्रवृति अभी भी बहुत कम है। हिंदी में मूल रूप से कार्य करने के लक्ष्य से अभी हम बहुत पीछे हैं। यहाँ तक कि हिंदी भाषी राज्यों में तथा उनके बीच

पत्राचार भी पूरी तरह हिंदी में नहीं किया जा रहा है। गैर हिंदी भाषी राज्यों की तो बात ही छोड़ दें।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी 14 प्रकार के कागजात को अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाने का प्रावधान है। कम से कम इस अधिनियम को तो सख्ती से लागू करवाने के उपाय किए जा सकते हैं। शुरू में मुश्किल हो सकती है परन्तु शनैः-शनैः स्थिति में सुधार आएगा। यह कर पाना भी संभव प्रतीत नहीं हो पाएगा क्योंकि समय-समय पर सरकार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया जाता रहा है कि हिंदी किसी पर थोपी नहीं जाएगी। सरकार की राजभाषा नीति 'प्रेरणा और प्रोत्साहन' पर आधारित हैं। हिंदी में कार्य न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु किसी प्रकार के कठोर दंड का प्रावधान नहीं है। यहां तक कि जहाँ नियम कड़े बनाए भी गए हैं वहाँ भी उनके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। परिणामतः हिंदी के आदेशों को सतही तौर पर लिया जाता है

यहां प्रसंगवश एक बात और कहना चाहूँगा कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केवल हिंदी अधिकारी अथवा राजभाषा अधिकारी पर डाल दी जाती है जबकि राजभाषा अधिकारी केवल इस कार्य में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता के लिए होता है। उसकी भूमिका मात्र एक सुसाधक अथवा एक टूल की होती है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार, प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग तथा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाएं।

प्रत्येक वर्ष हिंदी मास, हिंदी पखवाड़ा तथा हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। यानि वर्ष में एक बार हिंदी को औपचारिक रूप से याद किया जाता है। इस दौरान हिंदी टंकण यंत्रों, हिंदी फाइलों/ कागजात,पुस्तकों आदि से धूल हटाई जाती है। हिंदी में पत्र वहीं भेजा जाता है जहां हिंदी में पत्र भेजने की बाध्यता होती है। वर्ष के शेष दिनों में राजभाषा हिंदी केवल अनुवाद की भाषा बनकर रह जाती है। सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन तथा पुरस्कार योजनाएं चलाई गई हैं। इसके बावजूद हिंदी प्रयोग की गति अत्यंत मंथर है। कमी कहां है? जाहिर है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह ईमानदार नहीं हैं। भाषा के सम्बंध में, हमारे अन्दर राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान की भावना की कमी आज भी नज़र आती है।

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में हिंदी पत्राचार, हिंदी पुस्तकों की खरीद, हिंदी प्रशिक्षण, टिप्पण आलेखन, राजभाषा निरीक्षण, यांत्रिक सुविधाएं तथा अन्य मदों के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा प्रत्येक तिमाही में तथा वर्ष में तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के माध्यम से इसकी सूचना भी एकत्र की जाती है। यह सूचना सभी कार्यालयों द्वारा राजभाषा विभाग को प्रेषित की जाती है।

राजभाषा विभाग इसके आधार पर वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखता है। रिपोर्ट में जिन मंत्रालयों/विभागों द्वारा लक्ष्य प्राप्त में कमी अथवा उनका उल्लंघन किया जाता है, उन्हें

राजभाषा विभाग द्वारा उन कमियों तथा उल्लंघनों को दूर करने के संबंध में कहा जाता है। यह पूरी प्रणाली तथा प्रक्रिया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। प्रश्न यह उठता है कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को न बढ़ाने वाले तथा इसे गंभीरता से न लेने वाले मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के विरूद्ध किस स्तर से क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वे भविष्य में हिंदी में कार्य करने को और गंभीरता से लेना शुरू कर दें। यहां भी ठोस कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता हमेशा से अपेक्षित रही है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में गठित दो उच्च स्तरीय समितियों केंद्रीय हिंदी समिति तथा केंद्रीय राजभाषा कार्यानवयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं ताकि सभी मंत्रालय और विभाग राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रति सतर्क रहें और इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

सरकार द्वारा प्रत्येक नगर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय/उपक्रमों तथा बैंकों के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (TOLIC) का गठन किया जाता है तथा प्रत्येक छमाही में उसकी बैठक का भी आयोजन किया जाता है।

इन बैठकों में उस नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष के रूप में विभिन्न कार्यालयों के हिंदी में कामकाज की समीक्षा करते हैं।वर्तमान में देश में लगभग 537 नराकास कार्यरत हैं।

हिंदी में अच्छा कार्य करने वाले कार्यालयों तथा उल्लेखनीय कार्य करने और गतिविधि चलाने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उस नगर में स्थित एक अलग मंच होता है जहाँ हिंदी को देश भर में फैले केंद्रीय दफ्तरों की भाषा बनाने की व्यापक कवायद की जाती है। इसके पश्चात् भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है।

कुछ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को छोड़ भी दें तो एक बहुत बड़ी संख्या में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का कार्य सुचारू प्रकार से नहीं हो पाता। इसका एक बड़ा कारण सभी 08 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में स्टॉफ की बेहद कमी होना है। पूर्व में,150 नराकास के समय जो स्टाफ संख्या स्वीकृत थी वही स्टाफ संख्या आज 537 नराकास के समय भी है। इनमें से भी अधिकांश पद खाली पड़े हैं।

मंत्रालय, विभाग, उपक्रम और बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में शिथिलता तथा अडियल रवैया अपनाने वाले अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान भी किया जाना चाहिए क्योंकि उच्च स्तर पर यदि हिंदी के प्रति गंभीरता और ईमानदारी नहीं होगी तो निचले स्तर पर भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा। इस बारे में भी हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

जहाँ तक बैंकों में राजभाषा के प्रयोग का संबंध है, तो यह एक सुखद सत्य है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों

की अपेक्षा, बैंकों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। बैंक चूंकि सीधे-सीधे आम आदमी से जुड़े हैं, अतः एक तो व्यावसायिक आवश्यकता और दूसरा संवैधानिक दायित्व। इन दोनों अपेक्षाओं ने बैंकों को हिंदी अपनाने की ओर तेजी से अग्रसर किया है। यही नहीं किसी राज्य विशेष में स्थित बैंकों की शाखाओं में स्थानीय भाषा के प्रयोग को भी प्रचुरता से देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ हिंदी बाध्यता की भाषा नहीं बल्कि ज़रूरत की भाषा है।

यदि हमें सच्चे अर्थों में संघ की राजभाषा नीति को सफलतापूर्वक लागू करना है तो झिझक और औपचारिकताओं से बाहर निकल कर इसे गंभीरता से लेना होगा। अपनी मानसिकता में यह बात लानी होगी कि भारत सरकार की अन्य नीतियों और नियमों की तरह ही राजभाषा नीति भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें पूरी ईमानदारी और गंभीरता से इसे लागू करना है। हम केवल हिंदी के बारे में बात न करें बल्कि हिंदी में बात करें। हिंदी के बारे में न सोचें बल्कि हिंदी में कार्य करने के बारे में सोचें, तभी भारत की राजभाषा नीति का सुचारू कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में हिंदी पदाधिकारियों, अनुवादकों, आशुलिपिकों तथा टंककों के पद बनाये गए हैं। प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी के कार्य सुनिश्चित कर दिए गए हैं और वे अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करते भी हैं। उनके मन में निराशा तथा कुंठा तब जन्म लेती है जब उनके द्वारा किए गए कार्यों को उच्च अधिकारियों द्वारा सतही तौर पर लिया जाता है।

राजभाषा कर्मी स्वयं भी जानते हैं कि वे चूंकि मूल कार्य से नहीं बल्कि अनुवाद के कार्य से जुड़े हैं, अतः उनकी इतनी महत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती है। मूल कार्य अधिकांशतः अंग्रेजी में होता है तथा बाद में औपचारिक रूप से उसका अनुवाद करवाया जाता है।

इस स्थिति को बदलना होगा। राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े कर्मियों के आत्म सम्मान को अक्षुण्ण रखा जाना नितांत आवश्यक है। जब तक राजभाषा अधिकारी तथा अनुवादक को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, हिंदी सही अर्थों में सम्मान नहीं पा सकेगी। इस बारे में भी गंभीरता से और सोचे जाने की आवश्यकता है।

अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा प्रणाली अपने हिसाब से अंग्रेजी में ढाली। सरकारी कार्यालयों एवं बैंकों में कामकाज की प्रणाली अंग्रेजी में विकसित की जिसे हम आज भी नहीं छोड़ पा रहे हैं जबकि हम सब हिंदी में लिखना-पढ़ना जानते हैं। भारतीयों के मन में ऐसी मानसिकता घर कर गई है कि जो कुछ भी विदेशी है वह श्रेष्ठ है। अंग्रेजों ने भारतवासियों को मानसिक रूप से निरुत्तर, निस्साहय और पंगु बनाकर छोड़ दिया। भारत की हिंदी, संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर अंग्रेजी हावी हो गई है। भारतीयों में अंग्रेजी भाषा के प्रति लगाव आज भी विद्यमान है। यहां तक कि कामकाज की भाषा हिंदी में काम करने में भी उन्हें असुविधा और शर्म महसूस होती है।

यदि हम वास्तव में सच्चे भारतीय हैं तो आज ही संकल्प लें कि अपनी खोई हुई अस्मिता को पुन: प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और अपनी राष्ट्र भाषाओं का सम्मान करेंगे।

संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 राष्ट्रीय भाषाओं तथा बाद में और भाषाओं को जोड़ते हुए वर्तमान में 22 राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रावधान किया गया। ये भाषाएं हिंदी की प्रगति और इसके सरकारी प्रयोग में कहीं भी बाधक नहीं हैं। हिंदी की लड़ाई अंग्रेजी से है क्योंकि जब भी सरकारी कामकाज हिंदी में करने की आवश्यकता होती है, अंग्रेजी विकल्प के रूप में सामने आ जाती है। इसके फलस्वरूप हिंदी पिछड़ जाती है।

मेरा मानना है कि जब तक देश में अंग्रेजी रहेगी, भारत में दो वर्ग बने रहेंगे। एक शासन करने वालों की भाषा, जो अंग्रेजी है तथा दूसरी शासित लोगों की भाषा, जो हिंदी है। जब तक शासन करने वालों और शासित लोगों की भाषा अलग-अलग रहेगी, भाषा की यह खाई बनी रहेगी। अतः यदि इस खाई को पाटना है तो शासक और शासित दोनों की भाषा एक, अर्थात हिंदी बनानी होगी। जब मानसिकता, एक भाषा के बारे में और एक भाषा की होगी, तभी हम अपने व्यवहार में हिंदी का निस्संकोच प्रयोग कर सकेंगे और तभी सरकार की राजभाषा नीति पूर्ण रूप से सफल और सार्थक बन पाएगी और इसकी सही दिशा तय हो सकेगी।

हिंदी जिनकी ऋणी है

बूँद बूँद से सींचा हिंदी पर किया उपकार
कुछ पत्थर नींव के हैं ये, नहीं समस्त आधार।
असंख्य सेवी हिंदी के, जिनके आधार खड़ी है
कुछ चेहरे इतिहास से ये, जिनकी हिंदी ऋणी है।

ISSN No. 0970-9398

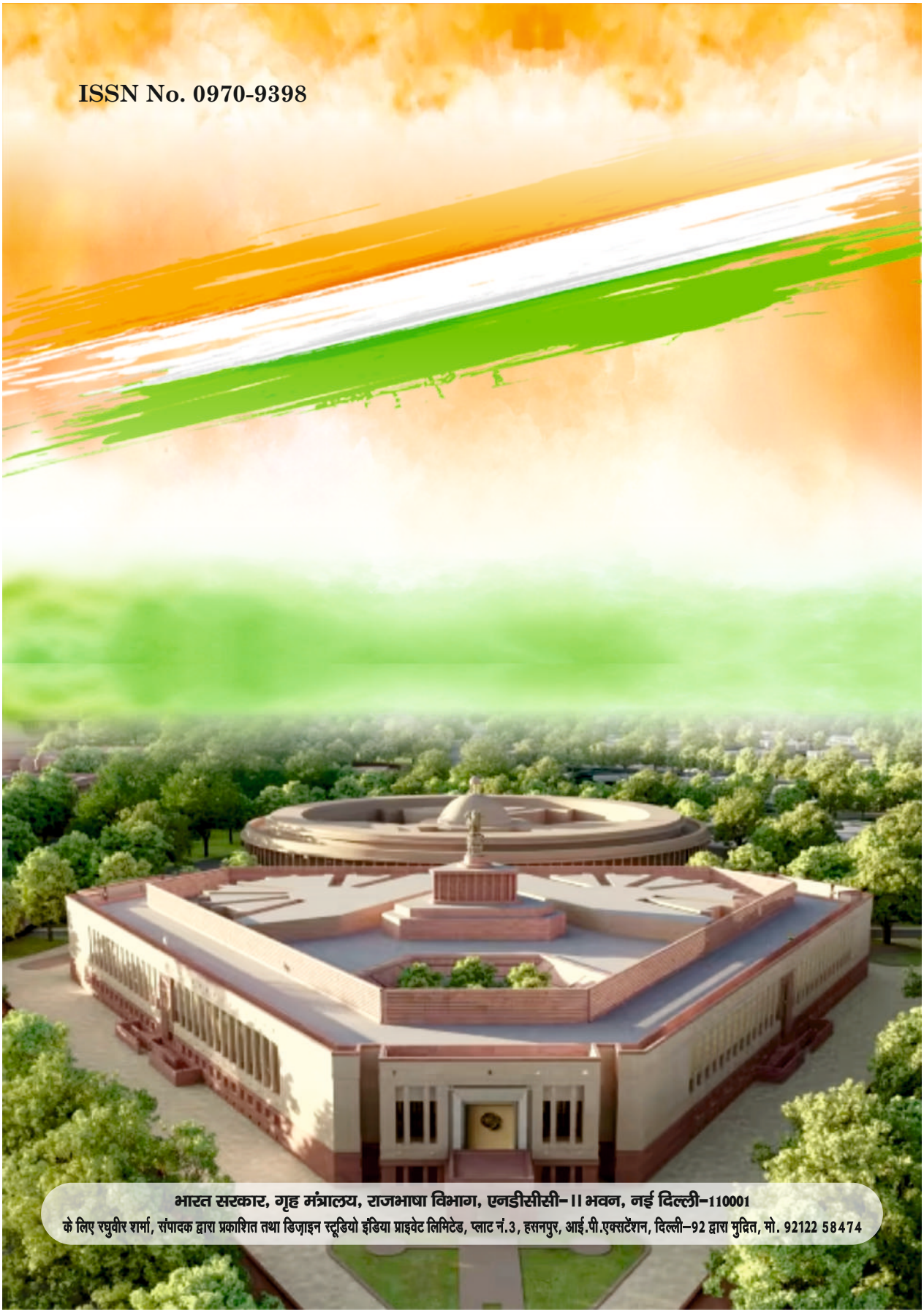

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी–II भवन, नई दिल्ली–110001
के लिए रघुवीर शर्मा, संपादक द्वारा प्रकाशित तथा डिज़ाइन स्टूडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं.3, हसनपुर, आई.पी.एक्सटेंशन, दिल्ली–92 द्वारा मुद्रित, मो. 92122 58474